मानव संसाधन विकास मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट
1993-94

भाग—1

भारत सरकार
शिक्षा विभाग
1994

LIBRARY &
...al
110016
D-8014
13-04-94

बगाल ऑफसेट वर्क्स, नई दिल्ली-110005 द्वारा मुद्रित। फोनः 524200, 7510455

विषय वस्तु

1. **प्रस्तावना** 3
2. **सिंहावलोकन** 15
   निधियों का आबंटन और उनका उपयोग
   प्रारम्भिक शिक्षा
   माध्यमिक शिक्षा
   प्रौढ़ शिक्षा
   विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा
   तकनीकी शिक्षा
   अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग
   भाषा विकास
   शिक्षा का विकेन्द्रीकृत प्रबंध
   अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा
   अल्पसंख्यकों की शिक्षा
   शिक्षा के लिए संसाधन
3. **प्रशासन** 23
   संगठनात्मक संरचना (ढांचा)
   अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त संगठन
   कार्य
   सतर्कता कार्यकलाप
   सरकारी कार्य में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग
   प्रकाशन
   बजट प्राक्कलन
   व्यावसायिक विकास और कर्मचारियों का प्रशिक्षण
   प्रधान मंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष को अंशदान
4. **महिला समानता के लिए शिक्षा** 31
5. **प्रारम्भिक शिक्षा** 37
   प्रारम्भिक शिक्षा जन-जन तक पहुंचाना
   आपरेशन ब्लैकबोर्ड
   न्यूनतम अध्ययन स्तर
   सूक्ष्म आयोजना संचालन योजना
   गैर औपचारिक शिक्षा
   शिक्षक शिक्षा
   राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्
   बाल भवन सोसाइटी, भारत
   जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

6. **माध्यमिक शिक्षा** 51
माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण
शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम
विज्ञान शिक्षा
अन्तर्राष्ट्रीय गणितीय ओलम्पियाड
स्कूल शिक्षा में पर्यावरण बोध
स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन परियोजना (क्लास परियोजना)
राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना
विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा
सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों के बच्चों को शैक्षिक रियायतें
स्कूलों में योग को आरम्भ करने की योजना
संस्कृति तथा शिक्षा के मूल्यों के सुदृढ़ीकरण के लिए एजेन्सियों को सहायता सम्बन्धी योजना
शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार
स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम
राष्ट्रीय खुला विद्यालय
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
नवोदय विद्यालय
केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
7. **उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान** 85
उच्चतर शिक्षा पद्धति का विकास
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना
विशेषज्ञता वाले अनुसंधान
अन्य योजनाएं
भारतीय विश्वविद्यालय संघ
8. **तकनीकी शिक्षा** 115
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
भारतीय प्रबंध संस्थान
राष्ट्रीय औद्योगिक अभियान्त्रिकी प्रशिक्षण संस्थान (नीटी)
राष्ट्रीय ढलाई तथा गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची
योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली
तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अन्तराष्ट्रीय सहयोग
क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और शोध कार्य का विकास
गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम
तकनीकी शिक्षा की सहायता हेतु विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना
तकनीकी शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र
आधुनिकीकरण और अप्रचलनो का निराकरण
राष्ट्रीय तकनीकी जन शक्ति सूचना प्रणाली
गैर विश्वविद्यालय केन्द्रों में प्रबन्ध शिक्षा का विकास
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
सामुदायिक पालिटेक्निक
प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम
एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंकाक
शैक्षिक अर्हता मूल्यांकन बोर्ड
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनो मे भाग लेने के लिए आंशिक वित्तीय सहायता
गैर निगमित तथा असंगठित क्षेत्रो—उद्यमशीलता तथा प्रबन्ध विकास के लिए नई
सस्थाओ की स्थापना और विद्यमान संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण
उद्योग संस्थान अन्त क्रिया
सतत शिक्षा की योजना
चुनिन्दा उच्चतर तकनीकी संस्थाओं मे अनुसंधान और विकास
भारतीय शैक्षिक परामर्शदाता लिमिटेड
उपकरण तथा उपभोज्यों के आयात हेतु पास बुक योजना/सीमा शुल्क छूट प्रमाण-पत्र
सत लोंगोवाल इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान, गाव लोंगोवाल, जिला संगरूर, पंजाब
वि. अनु. आ. के माध्यम से तकनीकी संस्थाओं को सहायता प्रदान करना
सास्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम
तकनीकी शिक्षा के लिए कोलम्बो योजना स्टाफ कालेज, मनीला
उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सस्थान
जम्मू में नए इंजीनियरी कालेज की स्थापना
भारतीय विज्ञान संस्थान, (बंगलौर)
उच्च तकनीशियन कार्यक्रम
तकनीकी विकास मिशन
9 **प्रौढ़ शिक्षा** 141
राष्ट्रीय साक्षरता मिशन
सम्पूर्ण साक्षरता अभियान
वातावरण निर्माण--भारत ज्ञान विज्ञान जत्था -2
अरुण घोष समिति
उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा

स्वैच्छिक एजेन्सियां
शैक्षिक और तकनीकी साधन सहायता
ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाएं
श्रमिक विद्यापीठ
प्रशासनिक संरचना को सुदृढ़ बनाना
प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय
जनसख्या शिक्षा
राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान

10. **संघ राज्य क्षेत्रों में शिक्षा** 157
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह
चण्डीगढ़
दादरा और नागर हवेली
दमन और दीव
दिल्ली
लक्षद्वीप
पांडिचेरी

11. **पुस्तक प्रोन्नति तथा कापीराइट** 171
राष्ट्रीय पुस्तक न्यास
पुस्तक संवर्धन कार्यकलाप तथा स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता
राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद
पुस्तकों के लिए निर्यात तथा आयात नीति
अन्तर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांकन के लिए
राजनाराम मोहन राय राष्ट्रीय एजेन्सी
कापीराइट
कापीराइट को लागू करना
अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट
कापीराइट में प्रशिक्षण सुविधाएं

12. **भाषाओं की प्रोन्नति** 179
हिन्दी की प्रोन्नति और विकास
आधुनिक भारतीय भाषाओं (एम. आई. एल.) का संवर्धन एवं विकास
अंग्रेजी भाषा शिक्षण में सुधार
संस्कृत तथा अन्य श्रेण्य भाषाओं की प्रोन्नति

13. **छात्रवृत्तियां** 193
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना
राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना
अनु. जा./जन. जाति के छात्रों की योग्यता के उन्नयन की योजना
हिन्दी में उत्तर मैट्रिक अध्ययनों के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को छात्रवृत्तियां

संस्कृत के अतिरिक्त, अर्थात अरबी और फारसी आदि श्रेण्य भाषाओं के लिए अध्ययन
में लगी हुई परम्परागत संस्थाओं से उत्तीर्ण छात्रों को अनुसंधान छात्रवृत्तिया
ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना
यू. के. कनाडा आदि की सरकारों द्वारा प्रदत्त
राष्ट्रमंडलीय छात्रवृत्ति/शिक्षावृत्ति योजनाएं
नेहरू शताब्दी (ब्रिटिश) शिक्षावृत्तिया/पुरस्कार
ब्रिटिश तकनीकी सहयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम
ब्रिटिश विजिटरशिप कार्यक्रम परिषद
ब्रिटिश उद्योग समुद्रपार (ओवरसीज)
छात्रवृत्ति योजना का महासंघ
जॉन क्रॉफोर्ड छात्रवृत्ति योजना

4. **बीस सूत्रीय कार्यक्रम और वंचित वर्ग के लिए शिक्षा को सुलभ बनाना।** 199

अनुसूचित जातियो तता अनुसूचित जनजातियो की शिक्षा
अल्पसंख्यकों की शिक्षा
शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक वर्गो के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम योजना
मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता की योजना
अल्पसख्यकों की शिक्षा हेतु मानिटरिंग कमेटी
प्रतियोगी परीक्षाओ के लिए शिक्षण कक्षाओं की योजना

5. **आयोजना, प्रबन्ध और अनुश्रवण** 205

शिक्षा का विकेन्द्रीकृत प्रबंध
केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड
मुख्य मत्रियो का सम्मेलन
राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वियन हेतु अध्ययन, सेमिनारों, मूल्याकन, इत्यादि हेतु
सहायता योजना
वार्षिक योजना
शैक्षिक आँकड़े
कम्प्यूटरीकृत प्रबंध सूचना प्रणाली
शिक्षा के विकास के लिए राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित कम्प्यूटर आधारित
प्रबंध सूचना प्रणालियाँ

6. **अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग** 215

सबसे बड़े विकासशील देशों में सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को-यूनिसेफ
की पहल
विकास हेतु शिक्षा हेतु शैक्षिक नवाचार के लिए एशिया प्रशान्त कार्यक्रम
यूनेस्को के आम सम्मेलन का 27वां सत्र-पेरिस में 25 अक्तूबर से 16 नवम्बर 1993
तक आयोजित
सभी के लिए शिक्षा का एशिया-प्रशान्त कार्यक्रम

दक्षिण तथा मध्य एशिया के यूनेस्को के लिए राष्ट्रीय आयोगों की उपक्षेत्रीय बैठक—
नई दिल्ली में 8-12 फरवरी, 1993 को आयोजित
एशिया और प्रशान्त क्षेत्र में आर्थिक आयोजना के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों तथा शिक्षा मंत्रियों
का सातवां राष्ट्रीय सम्मेलन (एम. आई. एन. ई. डी. ए. पी.-6) 21-24 जून, 1993-
कुआलालमपुर, मलेशिया
सभी के लिए शिक्षा सम्बन्धी चीनी राष्ट्रीय सम्मेलन
सभी के लिए शिक्षा संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शक मच की दूसरी बैठक
यूनेस्को द्वारा प्रायोजित अन्य सम्मेलनों/बैठकों/कार्यशालाओ/ कार्य-दलों में भारत की सहभागिता
यूनेस्को का सहभागिता कार्यक्रम
अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना हेतु शिक्षा, यूनेस्को क्लब और सम्बद्ध स्कूल
एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्र में फोटो प्रतियोगिता
यूनेस्को कूपन कार्यक्रम
यूनेस्को कूरियर के भारतीय भाषा संस्करणों का प्रकाशन
स्वैच्छिक निकायों, यूनेस्को क्लबों और सम्बद्ध स्कूलों को वित्तीय सहायता की योजना विदेशी
शैक्षिक संबद्ध स्कूलों को वित्तीय सहायता योजना
विदेश शैक्षिक सम्बन्ध — शिक्षा संबंध सार्क तकनीकी समिति
यूनिसेफ के साथ सहयोग— बिहार शिक्षा परियोजना
बहुपक्षीय/द्विपक्षीय परियोजनाएँ
—उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा परियोजना
—महिला सामख्या
—शिक्षा कर्मी परियोजना
—लोक कर्मी परियोजना
—लोक जुम्बिश
आरोविल

अनुबंध

महत्वपूर्ण कार्यक्रमो के लिए वित्तीय आबंटन 233
केन्द्रीय प्रायोजित रा. शि. नि. योजनाओं को लागू करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों
को वित्तीय सहायता सम्बन्धी परिशिष्ट 247
चार्ट 265
शैक्षिक साख्यिकी विवरण 285
स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान 297
बकाया लेखा-परीक्षा पैराओं का विवरण 389
प्रशासनिक चार्ट 395

प्रस्तावना

1

प्रस्तावना

1.1.0 मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना 1985 में शिक्षा, महिला तथा बाल विकास, कलाओं, संस्कृति, युवा कार्यक्रमों तथा खेलों के क्षेत्रों में मानव क्षमता के विकास की दिशा में प्रयासों के समेकन के उद्देश्य से की गई थी। 1993-94 के वर्ष के दौरान मंत्रालय ने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने प्रयास को जारी रखा। इस रिपोर्ट में मंत्रालय के चारों विभागों के कार्यकलाप शामिल किए गए हैं और इसे चार भागों में प्रस्तुत किया गया है :—

भाग—I शिक्षा विभाग

भाग—II संस्कृति विभाग

भाग—III युवा कार्यक्रम तथा खेल विभाग

भाग IV महिला तथा बाल विकास विभाग

शिक्षा विभाग

1.2.1 वर्ष 1993-94 की सर्वाधिक ऐतिहासिक घटना 16 दिसम्बर, 1993 को नई दिल्ली में नौ जनसंख्या बहुल देशों का सभी के लिए शिक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करनी थी। ये नौ देश हैं— बंगलादेश, ब्राजील, चीन, मिश्र, भारत, इण्डोनेशिया, मेक्सिको, नाइजीरिया और पाकिस्तान, इन देशों में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या रहती है और इनमें संसार के 70 प्रतिशत अशिक्षित हैं। संयुक्त राष्ट्र की तीन एजेंसियों अर्थात् संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संघ, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन निधि और यू. एन. एफ. पी. ए. के अध्यक्षों ने भी शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। नौ जनसंख्या बहुल देशों ने दिल्ली घोषणा और कार्यवाही ढाँचे को पारित किया।

1.2.2 घोषणा में प्रत्येक बच्चे के लिए किसी स्कूल में अथवा उसकी योग्यता के अनुसार उपयुक्त शिक्षा कार्यक्रम में कोई स्थान सुनिश्चित करने, सार्वजनिक और निजी स्रोतों से बच्चों, युवाओं और प्रौढ़ों के लिए मूलभूत शिक्षा की दिशा में प्रयासों को समेकित करने, सभी लोगों के लिए बुनियादी शिक्षा को एक संघटित कार्यनीति के संदर्भ में साक्षरता तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में सुधार करने और उनका विस्तार करने बुनियादी शिक्षा की प्राप्ति की दिशा में असमानताओं को दूर करने के लिए बुनियादी शिक्षा की कोटि और प्रासंगिकता में सुधार लाने के लिए और सभी कार्यों में मानव विकास को राष्ट्रीय तथा अन्य स्तरों पर यह सुनिश्चित करते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता देना कि राष्ट्रीय और सामुदायिक संसाधनों में बढ़ते हुए अंश को बुनियादी शिक्षा के प्रति समर्पित किया जाए और शिक्षा के लिए विद्यमान संसाधनों के प्रबंध में सुधार लाने की अपेक्षा की गई है।

1.2.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और कार्यवाही योजना, 1992 में वास्तव में तत्वतः दिल्ली घोषणा और कार्यवाही ढाँचे के प्रावधानों की प्रत्याशा की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह सुनिश्चित करने के लिए यह संकल्प किया गया है कि संतोषप्रद कोटि की

निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा 21वीं सदी से पहले 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को प्रदान की जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति/कार्यवाही योजना के कार्यान्वियन कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए कार्यवाही पहले ही की जा रही है। दिल्ली घोषणा के अनुसरण में उठाए गए विशेष कदमों में कुछ कदम हैं—नौ देशों में दूरस्थ शिक्षा के लिए एक सहयोग युक्ति विकसित करना। अनुभवों के आदान-प्रदान की दृष्टि से नौ देशो में समय-समय पर परामर्श करना। समुदायों और अभिभावकों को अधिक प्राधिकार देने की दृष्टि से शिक्षा संबंधी ढाचों में विकेन्द्रीकृत प्रबंध को शुरू करना और स्कूल को उसके कार्य निष्पादन के लिए समुदाय के प्रति और अधिक उत्तरदायी बनाना, शिक्षकों के लिए कार्य निष्पादन संबंधी मानदण्डों तथा आचार संहिता को विकसित करना तथा जिला विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रमों को विकसित करना।

1.2.4 शिखर सम्मेलन शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबंध के संबंध में के. शि. स. बो. (केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड) की समिति और साक्षरता के संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद् की समिति की रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्रवाई पर विचार करने के लिए प्रधानमंत्री ने 15 फरवरी, 1994 को सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मन्त्रियों का एक विशेष सम्मेलन आयोजित किया। मुख्य मंत्रियों ने निर्णय लिया कि शिक्षा के लिए संसाधन जुटाने और प्राथमिक तथा प्रौढ़ शिक्षा को उच्च प्राथमिकता प्रदान करने के लिए स्थानीय समुदाय राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार की ओर से समन्वित और संगठित कार्रवाई किए जाने की जरूरत होगी।

1.2.5 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में, जिसे 1992 तक अद्यतन किया गया है, कई प्रमुख कार्यनीतियों का प्रावधान है। इनमें (I) प्रारंभिक शिक्षा और प्रौढ़ साक्षरता के कार्यान्वियन के वास्ते योजना की इकाई के रूप में राज्य के स्थान पर जिले पर ध्यान देना, (II) मूलभूत बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक गतिशीलता पर निर्भरता बढ़ाने, और (III) छोटे परिवार के मानदण्ड, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण तथा पोषण जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों के साथ प्रौढ़ साक्षरता और गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों का समेकन शामिल है। प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के संदर्भ में, 8वीं योजना में अपनाई गयी कार्य नीतिया ये हैं:—

— जन सहभागिता के माध्यम से सूक्ष्म आयोजना के व्यापक कार्य नीति के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए जिला सापेक्ष योजनाओं को तैयार करने पर बल देते हुए एक भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण अपनाना।

— स्कूलों में नौसिखियों के शिक्षा ग्रहण में सुधार लाने के लिए न्यूनतम अध्ययन स्तर आरंभ करना। सूक्ष्य आयोजना से सार्वभौमिक पहुंच तथा सार्वभौमिक सहभागिता प्राप्त होगी जबकि अध्ययन के न्यूनतम स्तर सार्वभौमिक उपलब्धता के लिए कार्यनीति होगी।

1.2.6 यह बल दो प्रकार का होगा : प्रथमतः, स्कूल—वंचित बस्तियों में नए स्कूल खोल कर सार्वभौमिक पहुंच को प्राप्त करना, जो औपचारिक स्कूल में नहीं जा सकते उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए गैर-औपचारिक अध्ययन केन्द्र नेटवर्क का विस्तार करना। दूसरे, बेहतर अवसंरचना तथा कार्यकलाप आधारित, बाल केन्द्रित, कौशलोन्मुख पठन-पाठन प्रक्रिया के जरिए स्कूल के वातावरण में सुधार लाकर सार्वभौमिक रूप में शिक्षा जारी रखना तथा तत्सम्बन्धी उपलब्धता।

1.2.7 वर्तमान संस्थागत कार्य ढाँचे को पूर्णतया कार्यात्मक तथा कौशल के उच्चतर स्तर पर कार्यकरण के अनुरूप बनाया जाना है। शिक्षक प्रशिक्षण की केन्द्रीयता निर्दिष्ट होने पर, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों, सी. टी. ई. और आई. ए. एस. ई. के संचालन पर शीघ्रातिशीघ्र बल दिया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ये व्यावसायिक तौर पर निपुण और उच्च अभिप्रेरित कार्मियों से सुसज्जित हों। आपरेशन

ब्लैक बोर्ड की स्कीम का कार्यान्वियन उचित उत्साह से किया जाएगा। गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्रों का स्थान नियत करने, उनके कार्यकरण की मानिटरिंग तथा पर्यवेक्षण पर ध्यान दिया जाएगा ताकि वंचित वर्ग इस स्कीम से अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें।

1.2.8 पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण और सर्वसार्विक प्रौढ़ साक्षरता का दुतरफा दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा दोनों मे जिला सापेक्ष कार्यक्रम विकसित किए गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख नई शुरूआत के रूप से वर्ष 1993-94 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया जिसमें जिला स्तर योजना की कार्य नीति को आरम्भ करना अपेक्षित है। इस कार्यक्रम में प्राथमिक शिक्षा विकास कार्यक्रम के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है और सहभागी आयोजना और प्रबंध पर मुख्य रूप से बल दिया गया है। इसमें बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष रूप से अधिक बल दिया गया है और शिक्षकों के प्रशिक्षण और विकेन्द्रीकृत प्रबंध में निवेशों के जरिए स्कूल की प्रभावकारिता को बढ़वा देने की अपेक्षा की गई है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय, राज्य अथवा स्थानीय सभी स्तरों पर बल देता है और इसमें ऐसी कार्यनीतियां विकसित की गई हैं जिनके अनुसार वैसी ही कार्यनीतियां बनाई जा सके और उन्हें बरकरार रखा जा सके। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश के 19 जिलों में पहले ही शुरू किया जा चुका है। आठवीं योजना के दौरान कम मे कम 110 जिलों में इस कार्यक्रम को आरम्भ करने के प्रयास किए जाएगे।

1.2.9 संपूर्ण साक्षरता अभियान अब सर्वाधिक अनुकूल कार्यनीति तथा साथ-साथ प्रौढ़ निरक्षरता के उन्मूलन के लिए एक कारगर और व्यवहार्य प्रतिमान के रूप में उभरा है। सम्पूर्ण साक्षरता अभियान ने शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को अपने कार्य क्षेत्र मे शामिल करके काफी प्रयत्न किए हैं। इन अभियानों का केन्द्र बिंदु अब उत्तरी राज्यों में संकेन्द्रित है जहां बहुतायत में निरक्षर जनसंख्या रहती है।

1.2.10 देश में स्कूली शिक्षा की सुविधाओ की वर्तमान स्थिति का निर्धारण करने के लिए, 30 सितम्बर, 1993 को संदर्भ तिथि मानकर इस वित्तीय वर्ष के दौरान रा. शै. अ. प्र. परि., राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र तथा राज्य स्तरीय एजेसियों के जरिए छठा अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण किया जा रहा है। स्कूली छात्रों के शैक्षिक बोझ को कम करने हेतु उपाय सुझाने के लिए प्रो. यशपाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने 15.7.93 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

1.2.11 पंचायती राज और नगर पालिका संस्थानों के संबध मे 73वें और 74 वें संवैधानिक संशोधन के अनुसरण मे इस विभाग ने शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबंध ढाचे को आरंभ करने के वास्ते राज्यों के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएं तैयार करने के लिए शीघ्र पहल की है। यह आशा है कि विकेन्द्रीकृत प्रबंध ढांचे की शुरूआत से शिक्षा मे सामुदायिक सहयोग बढ़ेगा। इसके परिणामस्वरूप, निश्चित रूप से समाज के सभी वर्गों द्वारा शिक्षा में अधिक सहभागिता होगी और शिक्षा की कोटि में सुधार होगा।

1.2.12 स्कूली शिक्षा में माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण एक प्रमुख लक्षित क्षेत्र है। (दस) जमा दो के स्तर पर माध्यमिक शिक्षाके व्यावसायीकरण की योजना शिक्षा संबंधी अवसरों में विविधता लाने के उद्देश्य से फरवरी, 1988 में आरंभ की गई थी ताकि व्यक्तिगत रूप से रोजगार चलाने की प्रक्रिया में वृद्धि हो सके, कुशल जनशक्ति की मांग और पूर्ति के मध्य बेमेल को कम किया जा सके और बिना किसी विशेष हित अथवा उद्देश्य के उच्च शिक्षा जारी रखने वालों के लिए विकल्प उपलब्ध कराया जा सके। यह आशा की जाती है कि 1995 के अंत तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 10 प्रतिशत दिक् परिवर्तन का लक्ष्य प्राप्त करना संभव होगा। इसके अतिरिक्त शैक्षिक शिक्षा के वांछित आयाम के रूप में व्यवसाय में भाग लेने के लिए कक्षा IX तथा X के छात्रों को तैयार करने के लिए 1993-94 से निम्न माध्यमिक स्तर पर पूर्व

व्यावसायिक शिक्षा की योजना आरंभ की गई। आठवी योजना के दौरान 1000 स्कूलों को इसके अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है।

1.2.13 महिलाओं की शिक्षा हमेशा से प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पूर्ण शैक्षिक पद्धति को महिलाओ की शिक्षा और उनके अधिकारों के लिए कार्य करने की परिकल्पना की गई है। इस बात पर बल दिया गया है कि स्त्री और पुरूष की समस्या के प्रति चेतना सभी शैक्षिक प्रक्रियाओं में उत्पन्न की जानी चाहिए। औपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन और उनकी शिक्षा जारी रखने, शिक्षकों के रूप में ग्रामीण महिलाओं की भर्ती और पाठ्यचर्या में महिलाओं की भर्ती और पाठ्यचर्या में महिला और पुरूष के भेदभाव को दूर करने पर बल दिया गया है। विभिन्न योजनाओं में विशेष प्रावधान किए गए हैं जैसे नई ब्लैक बोर्ड योजना में यह व्यवस्था की गई है कि कम से कम 50 प्रतिशत महिला शिक्षक नियुक्त किए जाने चाहिए और गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्णतया लड़कियों के लिए स्थापित केन्द्रों के लिए 90 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है। लड़कियों की शिक्षा को जारी रखने के उद्देश्य से माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में छात्राओं की भोजन व्यवस्था और छात्रावास सुविधाएं सुदृढ़ करने हेतु चालू वर्ष के दौरान एक नई योजना शुरू की गई। इस योजना के अन्तर्गत भोजन, फर्नीचर, उपकरणों और मनोरंजन संबंधी सामग्रियां, इत्यादि के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे विद्यमान छात्रावासों या बोर्डिंग हाउसों को सहायता प्रदान की जाती है। अप्रैल, 1989 में शुरू की गई महिला सामाख्या परियोजना काफी सफल रही है जिसमें यह मान लिया गया हैं कि महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा एक निर्णायक घटक हो सकती है। यह कार्य नीति, कुछ अन्य बुनियादी शिक्षा परियोजनों में अपनाई जा रही है। उच्चतर शिक्षा सामान्य और तकनीकी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के लिए असाधारण रूप से शैक्षिक अवसर उपलब्ध होने की गुंजाइश है।

1.2.14 अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास पर बल देने के लिए शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए एक क्षेत्र गहन कार्यक्रम चलाया गया है। प्रारम्भ में यह कार्यक्रम शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल जिलों पर ध्यान केन्द्रित करेगा।

संस्कृति विभाग

1.3.1 संस्कृति विभाग का प्रमुख ध्येय देश की सांस्कृतिक परंपराओं का परिरक्षण, प्रोन्नयन और संवर्धन करना है। इन परंपराओ को जीवंत बनाए रखने के लिए विभाग द्वारा संस्थानों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है और नई योजनाएं शुरू की गई हैं। इन नई योजनाओं में स्मारकों तथा ऐतिहासिक स्थलों का उत्खनन, संरक्षण, सुरक्षण, पुस्तकालयों व संग्रहालयों का विकास, साहित्यिक, रूपंकर तथा प्रदर्शन कलाओं का प्रोन्नयन, सांस्कृतिक क्षेत्र की प्रतिभाओं का अभिनंदन करना तथा उन्हें पुरस्कृत करना शामिल है। देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए संस्कृति विभाग द्वारा किए गए बहुविध कार्यकलापों में से में कुछ थोड़े से कार्यकलाप हैं। विभाग विभिन्न देशों की जनता को भारत की जनता के और निकट लाने के अपने प्रयासों के अंतर्गत विभिन्न देशों के साथ सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम निष्पादित करता है तथा अन्य देशों के सांस्कृतिक महोत्सवों का भारत में तथा भारत महोत्सवों का विभिन्न देशों में आयोजन करता है। अगले परिच्छेदों में 1993-94 के दौरान संस्कृति विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों और उपलब्धियों को प्रस्तुत किया गया है।

1.3.2 वर्ष 1993-94 के दौरान, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए. एस. आई.) ने देश के विभिन्न भागों में लगभग 500 स्मारकों को परिरक्षण और संरक्षण कार्य के लिए अपने हाथ में लिया, जिनमें से व्यापक परिरक्षण-कार्य के लिए लगभग 250 कार्यों का विशेष रूप से पता लगाया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दलों ने अंकोरवाट, कम्बोडिया के स्मारकों को परिरक्षित तथा संरक्षित करने का अपना कार्य जारी रखा, जिसकी

आंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त पुरातत्वविदों तथा संरक्षणविदों द्वारा प्रशंसा की गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा भारत के भिन्न-भिन्न भागों में प्रागैतिहासिक काल से लेकर मध्य काल के अनेक स्थलों और अवशेषों का पता लगाया गया है। धौलपुर जिले के पार्वती तथा उंतगन नदी घाटी सहित अनेक स्थलों तथा पूर्वोत्तर राज्यों के प्रागैतिहासिक स्थलों की खोज का कार्य किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दिल्ली के लालकोट में तोमर शासक अनंगपाल II द्वारा ग्यारहवीं शताब्दी के मध्य में निर्मित दिल्ली की प्रथम किलाबंद राजधानी की खोज की। तमिलनाडु के दक्षिण अकोर्ट जिले के जिंजी किला के सफाई कार्य के दौरान 16वीं शताब्दी के एक महल, एक भूमिगत पथ तथा एक सिंहासन-मंच का पता चला। मामल्लपुरम, तमिलनाडु से एक दीर्घवृत्ताकारी ढांचे का पता चला है, जिसमें सीढ़ियां हैं तथा इसमें एक पंक्ति का उत्कीर्णन भी है, जिससे इस बात का संकेत मिलता है कि इसे राजसिम्हा के नाम से मशहूर प्रसिद्ध पल्लव राजा नरसिंह वर्मन III (695-722 ई.) द्वारा बनवाया गया था।

1.3.3 वर्ष के दौरान, भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता ने मंगोलिया के ललित कला संग्रहालय में बौद्ध कला वस्तुओं की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें भगवान बुद्ध के जीवन और संदेश को दर्शाया गया था। इसने सिंगापुर में "बौद्ध-मार्ग पर" नामक एक अन्य प्रदर्शनी का भी आयोजन किया, जिसमें लगभग 60 उत्कृष्ट और प्रतिनिधि कलावस्तुओं को प्रदर्शित किया गया, जिनमें भगवान बुद्ध के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया था। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली ने राजा रवि वर्मा के चित्रों, आरेखों तथा तैलचित्रों, की एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया। उत्तर-पूर्व के आदिवासियों की जीवन शैली पर पूर्णतया जीर्णोद्धारित तथा पुनः अभिकल्पित एक नई वीथी का भी उद्घाटन किया गया। शिक्षा और संस्कृति पर भारत अमरीका उपआयोग के तत्वाधान में राष्ट्रीय संग्रहालय में "देवता, संरक्षक और प्रेमीः उत्तरी भारत के मंदिरों की मूर्तिकला' नामक प्रदर्शनी में लगाने के लिए एशिया सोसायटी गैलरी, न्यूयार्क को पत्थर की 16 मूर्तियां भेजीं। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् कलकत्ता को राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र, दिल्ली में लगाए गए "सूचना क्रांति" नामक अपने प्रदर्श के लिए प्रौद्योगिकी - इतिहास सोसायटी, संयुक्त राज्य अमेरिका से 1993 का वांछित 'डिबनर एवार्ड' प्राप्त हुआ।

1.3.4 संस्कृति विभाग के अंतर्गत आने वाले पुस्तकालय अपने साहित्यिक कार्यकलापों के अलावा पुस्तकों पत्रिकाओं को प्राप्त करने तथा पाठक सेवा प्रदान करने संबंधी अपने कार्यकलाप जारी रखें। केन्द्रीय सचिवालय ग्रंथागार ने अपनी महाभारत आंकड़ा-आधार परियोजना के अंतर्गत, लगभग 30,000 श्लोकों को मशीन द्वारा पढ़ने योग्य रूप में रूपांतरित किया।

1.3.5 भारतीय मानव-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग ने भारत के लोग नामक अपनी रिपोर्ट को प्रकाशित करने के लिए कदम उठाए है। इस परियोजना के अंतर्गत तैयार किए गए सूचना के संपूर्ण क्षेत्र के फलस्वरूप कुल 43 खंड बने हैं, जिनमें से 11 राष्ट्रीय तथा 32 राज्य श्रृंखलाएं हैं। वर्ष के दौरान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के दृश्य मानव-विज्ञान में जन-परिप्रेक्ष्य पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। यह आदिवासी तथा सदृश लोगों पर अनन्त यात्रा (इटर्नल वोयेज) नामक एक अंतर्राष्ट्रीय समागम आयोजित करने की योजना तैयार कर रहा है। "आदिवासियों की सांस्कृतिक विरासत" पर ऊटी, शिलांग तथा कई अन्य स्थानों पर शैक्षिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संग्रहालय ने मिट्टी के बर्तन तथा टेराकोटा की जीवंत भारतीय परंपरा पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें एक कुंभकार प्रतियोगिता, एक कार्यशाला तथा संगोष्ठी का आयोजन शामिल था। इसमें भारत के विभिन्न भागों के 40 से भी अधिक कुंभकारों ने भाग लिया तथा अपनी परंपरागत तकनीकों का प्रदर्शन किया।

1.3.6 साहित्य अकादमी ने, जो साहित्य की राष्ट्रीय अकादमी है, वर्ष के दौरान 140 पुस्तकों का प्रकाशन किया है तथा 29 पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन किया है। इसके अतिरिक्त, अकादमी द्वारा साहित्यिक मंच की 27 बैठकें तथा "लेखक से मिलिए"

नामक 5 बैठकें भी आयोजित की गई हैं। संगीत नाटक अकादमी ने जो संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी है, दिल्ली में कथकली महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें कथकली के प्रतिनिधि नाटककारों द्वारा लिखे गए 10 नाटकों को शामिल किया गया। इन नाटकों में आजकल प्रचलित कथकली परंपरा की व्यापक तस्वीर खींची गई है। चार क्षेत्रीय थियेटरों का आयोजन करने के अतिरिक्त, अकादमी एक युवा नाट्य समारोह, युवा निर्देशकों के लिए राष्ट्रीय थिएटर महोत्सव का आयोजन करने की योजना तैयार कर रही है, जिसमें वर्ष 1993-94 के दौरान चार क्षेत्रीय महोत्सवों में मंचित किए गए नाटकों में से चुनिंदा नाटकों को मंचित किया जएगा। ललित कला अकादमी ने जो कला की राष्ट्रीय अकादमी है, ढाका, बंगलादेश में आयोजित छठी एशियाई कला द्विवार्षिकी में भाग लिया। फ्रांस के दूतावास के साथ मिलकर इसने नई दिल्ली में चित्रों, मूर्तियों तथा मुद्रणों पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की रंगमंडली ने लखनऊ में "मुआवजे" का मंचन किया। इस मंडली ने ग्रीष्म नाटक उत्सव का भी आयोजन किया।

1.3.7 वर्ष के दौरान, गुवाहटी में कुछेक वर्षों की अवधि में 10.00 करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता से "श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र" नामक एक सांस्कृतिक परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। आशा है कि कुछ वर्ष पहले हस्ताक्षरित ऐतिहासिक "असम समझौते" के खंड 6 के अनुरूप इससे असम के लोगों की सांस्कृतिक विरासत को परिरक्षित करने की असम की जनता की काफी समय से लम्बित मांग पूरी हो सकेगी।

1.3.8 सांस्कृतिक समुदाय की काफी समय में लम्बित मांग को पूरा करने के लिए विभाग का प्रस्ताव है कि नई दिल्ली में बहुकला राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिसर स्थापित किया जाए जो शहर के सांस्कृतिक और रचनात्मक कार्यकलापों के मुख्य केन्द्र के रूप में कार्य करेगा। "परिसर" के नाम से जाने वाले इस सांस्कृतिक परिसर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समतुल्य स्तर की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी जहां एक ही स्थान पर सेमिनार, प्रदर्शनी, थिएटर, नृत्य रूपक सहित प्रदर्शन कलाओं के आयोजन के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

युवा कार्यक्रम और खेल विभाग

युवा कार्यक्रम

1.4.1 युवा कार्यक्रम और खेल विभाग युवा विकास की अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। ये योजनाएं इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हैं कि युवा वर्ग राष्ट्र का अत्यधिक महत्वपूर्ण मानव संसाधन है जिस पर देश का वर्तमान् और भविष्य निर्भर करता है। वर्ष के दौरान किए गए अनेक कार्यो में युवाओं की अत्यधिक शक्ति को रचनात्मक कार्यकलापों में लगाने के लिए युवा कार्यक्रमों के लिए एक नया आयाम दिया गया है। महत्वपूर्ण कार्य नीचे दर्शाए गए हैं :— .

1.4.2 साहसिक कार्य के प्रोत्साहन की योजना को स्थल, जल, वायु से संबंधित अनेक साहसिक कार्यकलापों को शामिल करने के लिए पुनः तैयार किया गया है। यद्यपि, इस योजना के अंतर्गत अनेक प्रोत्साहनों की वृद्धि की गई है फिर भी विभाग से सहायता लेने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

1.4.3 साहसिक कार्यकलापों को मान्यता देने के लिए इस वर्ष से अर्जुन पुरस्कार के समतुल्य तीन साहसिक पुरस्कार शुरू किए गए हैं।

1.4.4 यह निर्णय किया गया है कि युवाओ मे संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रलेखन तथा विस्तार सेवाएं प्रदान करने के लिए एक शीर्ष संस्थान और संसाधन अभिकरण के रूप में श्रीपेरेमबुदुर में राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान की स्थापना की जाए। भारत के प्रधानमंत्री ने 1 सितम्बर, 1993 को श्रीपेरेमबुदुर में संस्थान के परिसर के लिए आधारशिला रखी।

1.4.5 नेहरू युवा केन्द्रों के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है जिसमें कार्यक्रम कार्यान्वयन

स्तर पर विकेन्द्रीयकरण के लिए जोर दिया गया है। ऐसे विकेन्द्रीयकरण से स्थानीय परिस्थितियो एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नए कार्यक्रम तैयार करने में सहायता मिलेगी।

1.4.6 एन. एस. एस. जो कि समुदाय सेवा छात्र युवा कार्यक्रम तथा छात्रों के व्यक्तित्व विकास का एक बड़ा हिस्सा हैं, रजत जयन्ती वर्ष 24 सितम्बर, 1993 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्रारम्भ किया गया। वर्ष के दौरान कार्यान्वित किए जाने वाले बहुत से कार्यक्रम तैयार किए गए हैं ताकि छात्रों को विभिन्न विकासात्मक कार्यकलापों में शामिल किया जा सके। जहां कहीं एन. एस. एस. यूनिटें विद्यमान हैं वहां ऐसे विश्वविद्यालयों को शामिल करने के लिए प्रमुक स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम विश्वविद्यालय तक सड़क का विस्तार किया गया हैं।

1.4.7 9 अगस्त, 1993 को राष्ट्रीय चेतना वर्ष का समापन स्थानीय स्वतन्त्रता सेनानियों का सम्मान करते हुए सभी क्षेत्रीय युनिटों में मनाया गया। अन्तर समुदाय, अन्तर-विश्वास और आपसी सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए सम्पूर्ण देश में 20 अगस्त, 1993 को सद्भावना दिवस मनाया गया। सभी विश्वविद्यालयों के एन. एस. एस. स्वयंसेवकों द्वारा तथा सभी जिलों में नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा समारोहों का आयोजन किया गया। मुख्य समारोह दिल्ली के इन्दिरा गांधी इन्डोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर तीन उत्कृष्ट युवा क्लबों को भी पुरस्कारों का वितरण किया गया।

खेल और शारीरिक शिक्षा

1.5.1 खेल और शारीरिक उपयुक्तता के लिए भारत की लम्बी परम्परा रही है। नवें एशियाई खेलों के आयोजन से पहले 1982 में अलग खेल विभाग के सृजन से इस विषय को उच्च मान्यता दी गई। तद्-पश्चात् 1984 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय खेल नीति घोषित की गई। इस नीति के कार्यान्वियन के लिए 1992 में (वर्षाकालीन सत्र मे) संसद के समक्ष एक नया कार्यान्वियन कार्यक्रम रखा गया।

1.5.2 वर्ष 1993-94 के दौरान विभाग ने एशियाई खेल 1994 के लिए टीमों और खिलाड़ियों की तैयारी हेतु अपने सभी प्रयास संगठित किए हैं। संशोधित मार्गदर्शी रूपरेखाएं जारी की गई है जिनमें प्रशिक्षण शिविरों, खेल उपस्कारों की खरीद, विदेश में प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा के जरिए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन और खेलों में अच्छे प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक प्रोत्साहन शुरू करने का प्रावधान है। आगामी एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल की तैयारी का प्रबोधन करने के लिए राज्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।

1.5.3 स्कूली आयु से खेलों का विस्तार करने के लिए सरकार ने सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री श्री के. पी. सिंह देव की अध्यक्षता में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की उप-समिति गठित की है जिसने खेल और शारीरिक शिक्षा को शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाने के लिए उपायों का अपना विचार-विमर्श पूरा कर लिया हैं और विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

1.5.4 खेलों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए और खिलाड़ियों के लिए खेल उपस्कारों के आयात को सुगम और सरल बनाने के लिए वर्ष के दौरान कई उपाय शुरू किए गए हैं। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (ए) (सी) को संशोधित किया गया है। इससे औद्योगिक घरानों द्वारा खेलों के संवर्धन अथवा विकास कार्यक्रमों पर किया गया खर्च 100 प्रतिशत छूट के लाभ का पात्र होगा। इसके अतिरिक्त वाणिज्य मंत्रालय ने एक सार्वजनिक सूचना जारी की है जिसमें ऐसी खेल वस्तुओं/उपस्करों को विनिर्दिष्ट किया गया है, जो विनिर्दिष्ट संगठनों द्वारा बिना किसी आयात लाइसैंस के खरीदी जा सकती है।

महिला एवं बाल विकास विभाग

1.6.1 महिलाओं और बच्चो का चौमुखी विकास देश के मानव संसाधन विकास प्रयासों का एक महत्वपूर्ण अंग है। महिला एवं बाल विकास विभाग को जो कि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक संघटक विभाग है, महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों प्रकार के संगठनों के प्रयासों में मार्ग-दर्शन करने, उनका समन्वय, संवर्धन करने तथा उनकी समीक्षा करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है।

1.6.2 महिलाओ और पुरूषों के बीच असमानता पूरे विश्व में व्याप्त है, हालांकि भ्रामक रूप से यह असमानता का सूक्ष्म रूप प्रतीत होता है। सरकार महसूस करती है कि महिलाओं को, जो हमारी जनसंखया का आधा हिस्सा ही नहीं हैं, बल्कि जो सामाजिक परिवर्तन की धुरी हैं, यदि विकास की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता है तो विकास स्थाई नहीं बन सकता। अतः, महिलाओं और पुरुषों के बीच सभी प्रकार की असमानताओं को दूर करना तथा महिलाओं को वास्तविक अर्थों में समान दर्जा दिलाना, जैसा कि हमारे संविधान में निहित है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अतः, सरकार के सभी प्रयास, महिलाओं के समग्र स्तर-सामाजिक, आर्थिक, कानूनी और राजनैतिक-को पुरुषों के स्तर के बराबर लाकर उन्हें राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में शामिल करने पर केन्द्रित हैं। इस संबंध में अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं, जिनमें रोजगार और आयोत्पादन, कल्याण और समर्थन सेवाएं, लिंग संचेतना और जागरूकता विकास गतिविधियां शामिल हैं। उपर्युक्त क्षेत्रों में विभाग द्वारा कार्यान्वित किए गए कार्यक्रम, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, रोजगार तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों में महिलाओं के सामान्य विकास की अन्य कार्यक्रमों के पूरक और अनुपूरक है।

1.6.3 सरकार ने जनवरी, 1992 में एक सांविधिक राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की है, जिसका विशिष्ट दायित्व महिलाओं को प्रदत्त संवैधानिक और कानूनी रक्षोपायों से संबधित सभी मामलों का अध्ययन और प्रबोधन करना, यथावश्यक संशोधनों का सुझाव देने के लिए मौजूदा विधानों की समीक्षा करना, तथा महिलाओं को अधिकारों से वंचित किए जाने के संबंध में शिकायतों की जांच करना है। यह आयोग महिलाओं पर अत्याचारों की रोकथाम के लिए एक प्रहरी निकाय के रूप में महत्वपूर्ण निभा रहा है। यह आयोग सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, बैठकों, आदि का आयोजन करके महिलाओ में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें एकजुट करने के कार्य में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा हैं। इसी प्रकार के आयोग राज्य स्तर पर भी स्थापित किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और केरल राज्यों ने आयोगों की स्थापना कर ली है।

1.6.4 हाल ही में एक राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई है। जैसी कि परिकल्पना की गई है, इस कोष का उद्देश्य ऐसी सर्वाधिक निर्धन और परिसम्पत्ति-विहीन महिलाओं की जरूरतों को पूरा करना हैं, जिन्हें ऋण की आवश्यकता है, किन्तु जिनकी पहुंच औपचारिक बैंकिंग अथाव ऋण प्रणाली तक नहीं है। इससे अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं के लिए ऋण संबंधी सेवाओं का एक राष्ट्रीय नेटवर्क विकसित करने में मदद मिलेगी और इससे महिलाओं के स्वरोजगार-प्रयासों को बढ़ावा मिलने की संभावना हैं।

1.6.5 महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करके उन्हें शक्तिसम्पन्न बनाने के लिए की गई एक अन्य पहल है- 2 अक्तूबर, 1993 को प्रारंभ की गई महिला समृद्धि योजना। महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं में बचत की आदत को बढ़ावा देना और उनकी वित्तीय परिसम्पत्तियों में सुधार लाना है। इससे वास्तव में महिलाओं को अपने घरेलू संसाधन पर अधिक नियंत्रण रख सकने का एक अवसर प्राप्त होगा। महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत यदि कोई ग्रामीण महिला एक वर्ष की लॉक-इन अवधि के लिए 300 रु. तक जमा करती है तो उसे जमा राशि पर सरकार की ओर से 25 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी। यह योजना पूरे देश में ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक बेहतरी के लिए शुरू की गई नई प्रायोगिक परियोजनाओं में से एक है।

1.6.6 वर्ष 1990 के दशक के दौरान, कार्यनीति यह सुनिश्चित करने की होगी कि विभिन्न क्षेत्रो से मिलने वाले विकास के लाभों से महिलाएं वंचित न रहें और सामान्य विकासीय कार्यक्रमों के पूरक के रूप में ऐसे विशेष कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाएं, जिनमें लिंग-संचेतना पर अधिक बल हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, तथा रोजगार के तीन कोर क्षेत्रों मे महिलाओं को मिलने वाले लाभों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि महिलाओं को विकास की मुख्य धारा मे शामिल करने के लिए ये क्षेत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं?

1.6.7 राष्ट्रीय बाल कार्य योजना (1992) और राष्ट्रीय बालिका कार्य योजना (1991-2000) तैयार कर ली गई है। ये दो कार्य-योजनाएं बच्चों की "उत्तरजीविता", "संरक्षण" और "विकास' सुनिश्चित करने के लिए समन्वित और बहु-क्षेत्रीय हैं, जिनका उद्देश्य अन्ततोगत्वा बच्चों का बेहतर भविष्य बनाना है। जबकि बालिका को बच्चों के समग्र लक्ष्य वर्ग का एक अभिन्न अंग होने वाले सामान्य कार्य योजना से पूरा लाभ प्राप्त होने की आशा है। उसकी लिंग-विशिष्ट आवश्यताओं की पूर्ति बालिका कार्य योजना द्वारा की जाएगी जिसमें किशोर लड़कियों पर अधिक बल दिया जाएगा।

1.6.8 भारत सरकार द्वारा अगस्त, 1974 में अपनाई गई राष्ट्रीय बाल नीति से राष्ट्र के बच्चों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण सम्पत्ति कहा गया है। तदनुसार, यह विभाग समन्वित बाल विकास सेवाओं का एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है, जिनमें अत्याधिक पिछड़े हुए ग्रामीण क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों और शहरी गन्दी बस्तियों में रहने वाले 0-6 वर्ष की आयु-वर्ग के बच्चों और गर्भवती तथा शिशुवती माताओं की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित की जाती है। समन्वित बाल विकास सेवा के अंतर्गत सेवाओ का एक पैकेज प्रदान किया जाता है, जिनमें स्वास्थ्य-जौंच, टीकाकरण, डॉकटरों-परामर्श सेवाएं, पूरक-पोषाहार पोषण, 3-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल-पूर्व शिक्षा तथा स्वास्थ्य और महिलाओ को पोषाहार शिक्षा शामिल है। सेवाओं का यह समेकित पैकेज बच्चों के समग्र विकास के लिए एक अभिसारी रूप से प्रदान किया जाता है। इस समय पूरे देश में कुल 3066 आई सी डी एस परियोजनाएं हैं, जिनसे 16.3 मिलियन बच्चों तथा 3.2 मिलियन माताओ को लाभ पहुंच रहा है।

1.6.9 नियमित आई. सी. डी. एस. कार्यक्रम के अलावा, विभाग, वर्ष 1991-92 से, अधिकांशतः आदिवासी/पिछड़े क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश के 110 ब्लाकों और उड़ीसा के 191 ब्लाकों में विश्व-बैंक से सहायता प्राप्त आई सी डी एस परियोजनाएं भी कार्यान्वित कर रहा है, जिनके अन्तर्गत महिलाओं को रोजगार देने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण, महिलाओं के लिए समेकित जीवन शिक्षा, किशोर लड़कियों के लिए सेवाएं, अत्यधिक कुपोषित का पोषाहारीय पुनर्वास, आदि जैसी अतिरिक्त सेवाएं प्रदान की जाती है। हाल ही में, वर्ष 1993-94 में, विश्व बैंक से सहायता प्राप्त इसी प्रकार की आई सी डी एस परियोजनाएं बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों के लिए स्वीकृत की गई हैं और उनका कार्यान्वयन शुरू हो गया है।

1.6.10 विभाग ने समेकित बाल विकास सेवा प्रणाली के माध्यम से एक नई पहल की हैं जिसके अन्तर्गत अब तक उपेक्षित किशोर लड़कियों को विशेषकर स्कूली पढ़ाई छोड़ देने वाली लड़कियों की आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाती है। इन सेवाओं से स्वास्थ्य और पोषाहार देखभाल कार्य साधक साक्षरता और व्यावसायिक प्रशिक्षण शामिल है। इन सेवाओं का 507 आई. सी. डी. एस. ब्लाकों में विस्तार किया जा रहा है। जब यह कार्यक्रम पूरी तरह लागू हो जाएगा तो इसके अन्तर्गत 11-18 वर्ष की आयु वर्ग की 4.5 लाख किशोर लड़कियां लाभान्वित होंगी।

1.6.11 समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रमों के अलावा विभाग द्वारा बाल विकास के क्षेत्र में कार्यान्वित किए गए अन्य कार्यक्रमों में प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा, बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम, शिशुगृह आदि शामिल हैं। जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों

तथा अन्य पिछड़े-समुदायों जैसे विशेष वर्गों के बच्चों पर विशेष बल देते हुए, बच्चों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है।

1.6.12 शिशुगृहों की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्रीय शिशुगृह कोष की स्थापना की गई है। इस कोष से नए शिशुगृह केन्द्र खोलने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह सहायता मुख्य रूप से कोष की राशि से प्राप्त ब्याज में से और कुछ सीमा तक कोरपस निधि से दी जाएगी।

1.6.13 अपने देश के लोगों के लिए पर्याप्त पोषाहार सुनिश्चित करने की संवैधानिक वचनबद्धता को पूरा करने के लिए एक राष्ट्रीय पोषाहार नीति बनाई गई और कार्यान्वियन के लिए उसे अपनाया गया। चूंकि पोषाहार एक बहुआयामी समस्या है इसलिए नीति में विभिन्न क्षेत्रों द्वारा बहुआयामी कार्रवाई की परिकल्पना की गई है। नीति में इस बात को स्वीकार किया गया है कि महिलाएं और बच्चे दोनों ही हमारे प्राथमिकता-प्राप्त वर्ग हैं जिनकी और विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

सिंहावलोकन

2

सिंहावलोकन

निधियों का नियतन और उनका उपयोग

2.10 वर्ष 1993-94 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र मे शिक्षा के लिए 2159.33 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई। इसमें योजनेत्तर के अंतर्गत 850.03 करोड़ रूपये और आयोजना के अन्तर्गत 1309-30 करोड़ रूपए की व्यवस्था थी।

प्रारंभिक शिक्षा

2.2.1 प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में, 2000 ईसवी तक सभी स्कूल आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। यद्यपि इस समय वस्तुतः नामांकन 80 प्रतिशत से अधिक है, इस सर्वसुलभता के लिए स्कूल भवनों, शिक्षकों और शैक्षणिक सामग्रियों को बढ़ाना आवश्यक होगा। अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र पढ़ाई बीच मे छोड़ जाने वाले बच्चों की दर में कमी और अध्ययन के अनिवार्य स्तरों की प्राप्ति में सुधार हैं। एक कार्रवाई योजना तैयार कर ली गई हैं और केन्द्रीय तथा राज्य दोनो स्तरों पर प्रारंभिक शिक्षा के लिए वित्तीय नियतनों में पर्याप्त वृद्धि की गई है।

माध्यमिक शिक्षा

2.3.1 माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन में वृद्धि सुनिश्चित करने तथा गैर सरकारी संगठनों (एन. जी. ओ.) की सहभागिता के लिए रा. शि. नी. के दिशा निर्देश के लिए विशेष समर्थकारी योजना तैयार करने के लिए, कार्रवाई योजना 1992 के पैरा 8.3.1 में सिफारिश को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से, आठवी योजना अवधि में "माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं के लिए बोर्डिंग/ छात्रावास सुविधाओं को सुदृढ़ करने की योजना" शीर्षक से एक नई केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना का मूल उद्देश्य उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के शिक्षा जारी रखने पर बल देना है। 1993-94 मे आरंभ की गई यह योजना, स्वैच्छिक एजेन्सियों द्वारा चलाए जा रहे लड़कियों के विद्यमान चात्रावासों अथवा बोर्डिंग हाउसों में भोजन के लिए आवर्ती सहायता तथा फर्नीचर, बर्तनों और मनोरंजन सबधी सहायक सामग्रियों के लिए अनावर्ती सहायता प्रदान करेगी। योजना के अन्तर्गत ऐसे छात्रावासों अथवा बोर्डिंग हाउसों मे रहने वाली उन लड़कियों को सहायता प्रदान की जाएगी जो मान्यता प्राप्त स्कूलों की कक्षा IX-XII की छात्राएं होंगी।

2.3.2 ग्रामीण, शहरी तथा सभी क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार के संतुलित विकास को प्राप्त करने की दृष्टि से निचले स्तर पर उपयुक्त शैक्षिक आयोजना हेतु संस्थाओं के विवेचित सांख्यिकीय आंकड़े बस्ती-वार पहुँच, नामांकन, भौतिक सुविधाएं, शिक्षक और उनकी योग्यताएं आदि अपेक्षित हैं। यह आंकड़ा आधार विशेष रूप से विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए अनिवार्य हैं। रा. शै. अनु. प्र. परि., एन. आई. सी. तथा राज्य स्तरीय एजेन्सियों के सहयोग- तंत्र के माध्यम से छठा अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद भी शैक्षिक आंकड़ों के वार्षिक अद्यतन को सुकर बनाने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर आंकडा आधार तैयार करने के लिए कम्प्यूटर नेटवर्क का विस्तृत उपयोग किया जाएगा। इस सर्वेक्षण पर, कुल अनुमानित व्यय 666.60 लाख रु. है। छठे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण की सन्दर्भ तारीख 30 सितम्बर 1993 है। सर्वेक्षण की संक्षिप्त रिपोर्ट 30.11.94 तक प्राप्त हो जाने की संभावना है और मुख्य रिपोर्ट 30.6.95 तक प्राप्त हो जाएगी।

2.3.3 स्कूल के छात्रों पर शैक्षिक बोझ की समस्या पर नए सिरे से विचार करने की दृष्टि से मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता मे मार्च, 1992 में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया था। इस समिति ने 15.7.93 को मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यशपाल समिति की सिफारिशों का विश्लेषण करने के लिए मंत्रालय में एक दल का गठन किया ताकि वह इन सिफारिशों के कार्यान्वियन की संभाव्यता पर विचार दे सके। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दल ने 1.10.93 को अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया। यशपाल समिति तथा इस दल, दोनों की रिपोर्ट 15.10.93 को केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में रखी गई जहाँ यह निर्णय लिया गया कि इन पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा विचार किए जाने और राज्य सरकारों को अपनी सलाह सूत्रबद्ध करने से पूर्व अभिभावकों/शिक्षकों आदि के संयुक्त दलों के साथ इन पर राष्ट्र-व्यापी विचार विमर्श किया जाए।

2.3.4 " स्कूली शिक्षा में पर्यावरण प्रबोधन" संबंधी केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम में किंचित परिवर्तन किया गया। इस स्कीम के दायरे को और व्यापक बनाया गया है जिससे कि माध्यमिक तथा सीनियर माध्यमिक स्तरों पर विभिन्न विषयों की पाठ्यचर्याओं की समीक्षा और विकास को उसमें शामिल करने के साथ-साथ उसमें पर्यावरण संबंधी शिक्षा संबंधी अवधारणाओं में शामिल किया जा सके। संशोधित स्कीम में अपर प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण संबंधी शिक्षा प्रदान करने हेतु कार्यनीति की समीक्षा करने के लिए कार्यशालाओं /सेमिनारों के आयोजन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता देने की परिकल्पना की गई है।

2.3.5 +2 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा की व्यवसायीकरण योजना के अलावा, विद्योचित शिक्षा के वांछित आयाम के रूप में कार्य में सहभागिता के लिए कक्षा 9 और 10 के छात्रों को तैयार करने के लिए 1993-94 से निम्न माध्यमिक स्तर पर पूर्व-व्यवसायिक शिक्षा की एक योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत आठवी योजना के दौरान 1000 स्कूलों को शामिल करने का विचार है।

प्रौढ़ शिक्षा

2.4.0 पूर्ण साक्षरता अभियान, जो क्षेत्र सापेक्ष समय-बद्ध, स्वयंसेवक आधारित और परिणामोन्मुख हैं, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत अब मुख्य कार्यनीति है। इन अभियानों के परिणामस्वरूप जो सर्वाधिक अनूठी बात उभरकर एक मात्र सामने आई है वह है एक ओर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का संयुक्त प्रयास तो दूसरी ओर जिला प्राधिकारियों तथा समुदाय की संयुक्त सहायता। फरवरी, 1994 की स्थिति के अनुसार 258 जिलों को पूर्ण साक्षरता अभियानों तथा 80 जिलों को उत्तर साक्षरता अभियानों मे शामिल किया गया है। चौथे वर्ष की श्रृंखला में यूनेस्को ने नोमा पुरस्कार यूनेस्को क्लब के भारतीय राष्ट्रीय फैडरेशन ने प्रदान किया और भावनगर जिला साक्षरता समिति को सम्मानित उल्लेख से भी पुरस्कृत किया।

तकनीकी शिक्षा

2.5.0 तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं:—

I) तकनीकी शिक्षा के आधुनिकीकरण और अप्रचलन को दूर करने संबंधी कार्यक्रम के अन्तर्गत, 225 परियोजनाओं को 18.00 करोड़ रु की राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

II) तकनीकी शिक्षा सहायता के लिए विश्व बैंक में सहायता प्राप्त परियोजना पर 1650-00 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसमे 1990-99 की अवधि के दौरान 373.00 मिलियन के विशेष आहरण अधिकारों की विश्व बैंक ऋण सहायता शामिल है। इस परियोजना के दो चरणों के अन्तर्गत 17 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों के 539 पालिटेक्निक शामिल हैं। गोवा राज्य को जुलाई, 1993 से चरण एक में शामिल किया गया। शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पालिटेक्निकों को इस परियोजना के सम्पूर्ण

ढांचे और लचीलेपन के अन्तर्गत विश्व बैंक सहायता के लिए शामिल करने का प्रस्ताव है।

III) ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सामुदायिक पालिटेक्निकों की संख्या 232 हो गई है। ये संस्थाएं प्रत्येक वर्ष औसतन 40,000 ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित करेंगी। सामुदायिक पालिटेक्निकों ने दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों मे विस्तार केन्द्र स्थापित किए हैं ताकि गांवों में इस व्यवस्था के जरिए सेवाएं तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

IV) प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्डों ने 20,367 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षण सुलभ किया।

V) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का पुनर्गठन किया गया है। सभी क्षेत्रों में बड़ी संख्या मे लंबित पड़े प्रस्तावों के कार्य को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय आधार पर एक कार्य दल नियुक्त किया गया। वर्ष के दौरान, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने 174 नई संस्थाओं तथा 822 नए पाठ्यक्रमों और मौजूदा तथा नई तकनीकी और प्रबंध संस्थाओं में आरंभ किए जाने वाले कार्यक्रमों को अनुमोदित किया।

विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा

2.6.1 देश मे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उच्चतर शिक्षा प्रणाली में निरंतर वृद्धि हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय विश्वविद्यालयों की संख्या 25 थी जो अब 221 हो गई है (इसमें 34 समविश्वविद्यालय शामिल हैं) और महाविद्यालयों की संख्या 700 थी जो बढ़कर 1993-94 की शुरूआत में लगभग 8,000 हो गई है। छात्रों का नामांकन 2,00,000 से बढ़कर 1992-93 मे 48 लाख हो गया हैं। 1992-93 में कुल 48.05 लाख के नामांकन में से 42.33 लाख (88.1) प्रतिशत स्नातक कार्यक्रमों में नामांकन किया गया, 4.56 लाख (9.5%) स्नातकोत्तर तथा अनुसंधान कार्यक्रमों में नामांकन किया गया। महिला छात्राओं का नामांकन पिछले वर्ष में 15.12 लाख की तुलना में 1993-94 के शुरूआत में 15.90 लाख हुआ।

2.6.2 1980 के दशक के दौरान छात्र नामांकन की वृद्धि की प्रवृत्ति में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। जबकि छात्र नामांकन मे 1985-86 तक प्रतिवर्ष औसतन 5 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। 1988-89 सें 1992-93 की अवधि के दौरान नामांकन की वृद्धि वार्षिक संयुक्त वृद्धि दर 4.2 रही। 1983-84 सें 1992-93 के दशक के दौरान नामांकन की औसत दर्सक वृद्धि दर 4.4 प्रतिशत के निकट थी जबकि पिछले दशक (1973-74 से 1982-83) मे यह 3.8 प्रतिशत रिकार्ड की गई थी। यह अनुमान है कि यदि यह वृद्धि दर चलती रही तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में छात्रों का कुल नामांकन लगभग 60 लाख होना चाहिए।

2.6.3 छात्रों के संकायवार ब्यौरा से यह पता चलता है कि लगभग 40.4 प्रतिशत छात्रों का कला और मानविकी में, 21.9 प्रतिशत वाणिज्य में, 19.6 प्रतिशत विज्ञान में, 4.9 प्रतिशत इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में, 5.3 प्रतिशत विधि में, 5.6 प्रतिशत अन्य संकायों में नामांकन किया गया।

2.6.4 पिछले 3-4 वर्षों में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के लिए काफी उत्साह देखा गया है। वर्ष 1993-94 के दौरान विभिन्न अध्ययन कार्यक्रमों के लिए इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय में छात्र नामांकन 80,000 से अधिक हो जाने की संभावना है। इसके साथ इस विश्वविद्यालय में छात्रों का कुल नामांकन 2.30 लाख हो जाने की संभावना है। आठवीं योजना अवधि के दौरान महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक क्षेत्र, मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा संस्थाओं में 10 लाख छात्रों के अतिरिक्त नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त करना होगा।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

2.7.1 भारत ने 16 दिसम्बर, 1993 को नई दिल्ली में नौ जनसंख्या बहुल देशों का सभी के लिए शिक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित किया। इस शिखर सम्मेलन में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत के प्रधान मंत्री, चीन के उप-प्रधानमंत्री तथा छः अन्य देशों - बंगलादेश, ब्राजील, मिश्र, मेक्सिको,

नाइजीरिया और पाकिस्तान के राज्य अथवा सरकार के अध्यक्षों के विशेष प्रतिनिधियों के रूप में उनके शिक्षा मंत्रियों ने भाग लिया।

2.7.2 भारत ने 8-10 सितम्बर, 1993 तक नई दिल्ली में सभी के लिए शिक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय परामर्श संघ की दूसरी बैठक का आयोजन किया। बैठक के मुख्य विषय "सभी के लिए शिक्षा की कोटि" को चार शीर्षकों अर्थात प्रारंभिक बाल्यकाल, स्कूली शिक्षा में सुधार, अनौपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमों में सुधार और कोटिपरक शिक्षा का वित्त पोषण को स्पष्ट किया गया। इस मंच में 80 मुख्य अतिथियों ने भाग लिया जिनमें नीति निर्धारक, विकासकर्ता, शिक्षाविद और अन्य व्यावसायिक शामिल थे जिन्होंने विकासशील देशों, अन्तर सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों इत्यादि का प्रतिनिधित्व किया।

2.7.3 60 से अधिक द्विपक्षीय आदान-प्रदान कार्यक्रमों के शैक्षिक घटक और अन्य सहयोगी प्रबंध के कार्यान्वियन का बारीकी से निरीक्षण करके विदेशों के साथ शैक्षिक संबंध सुदृढ़ करने के उपाय किए गए थे।

2.7.4 मदर टेरेसा को कलकत्ता में यूनेस्को के महानिदेशक फेडरिको मेयर द्वारा यूनेस्को शांति शिक्षा पुरस्कार 1992 से विभूषित किया गया।

भाषाओं का विकास

2.8.1 भारत सरकार ने हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों के हिन्दी के अध्यापकों के वेतन की पूर्ति हेतु राज्य सरकारों को सहायता योजना को जारी रखा। इन संस्थाओं ने करीबन 1360 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है।

2.8.2 केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने लगभग 14674 व्यक्तियों को क्षेत्रीय भाषाओं में हिन्दी सिखाने के लिए पत्राचार कार्यक्रम प्रदान किए हैं।

2.8.3 केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर ने आधुनिक भारतीय भाषाओं में हिन्दी भाषी क्षेत्रों से शिक्षकों के प्रशिक्षण का अपना कार्यक्रम जारी रखा।

2.8.4 केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद ने अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थाओं के कार्यकलापों को समन्वित करने के कार्य में एक प्रभावशाली भूमिका अदा की है। केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान ने जिला केन्द्रों के माध्यम से अंग्रेजी भाषा के शिक्षकों के संतृप्ति प्रशिक्षण सबंधी योजनाओं की मानिटरिंग भी की।

2.8.5 उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध मे एक समिति ने, जिसका गठन प्रस्तावित विश्वविद्यालय के सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार करने और सरकार को इस संबंध में उचित सिफारिशें करने के लिए सितम्बर, 1992 में किया गया था, अपनी रिपोर्ट 12 जून, 1993 को प्रस्तुत कर दी है।

2.8.6 अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय संबंधी एक समिति ने, जिसकी स्थापना जुलाई, 1992 मे, देश में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय स्थापित करने के संबंध में सरकार को सलाह देने के संबंध मे की गई थी, 1.5.1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।

2.8.7 हिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में आधुनिक भारतीय भाषा शिक्षकों (हिन्दी को छोड़कर) की नियुक्ति केलिए वित्तीय सहायता संबंधी एक नई केन्द्र प्रायोजित, योजना चलाई गई।

2.8.8 पुनर्गठित संस्कृत बोर्ड ने अपनी पहली बैठक न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में की।

2.8.9 एक अन्य महत्वपूर्ण योजना, नामतः मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण भी वर्ष के दौरान शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत विज्ञान, गणित इत्यादि के शिक्षण के साथ साथ विज्ञान की पुस्तकों/ गणित किटों की खरीद के लिए अनुदान दिया जाएगा।

शिक्षा का विकेन्द्रीकृत प्रबंध

2.9.1 केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने संकल्प पारित किया कि 73 वें और 74 वें संविधानिक संशोधनों के अनुसरण में, शिक्षा में विकेन्द्रीकृत प्रबंध ढाँचों को लागू करने हेतु सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा तत्काल कार्रवाई और उपाय किए जाने की आवश्यकता है ताकि शिक्षा

के क्षेत्र में राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सुविधा हो। के. शि. स. बोर्ड ने शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबंध पर के. शि. स. बोर्ड की सिफारिशों से सहमति प्रकट की और उनकी विशिष्ट स्थितियों तथा संवैधानिक संशोधनों की भावना को ध्यान में रखकर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उचित रूपान्तरण तथा प्रभावी कार्यान्वियन के लिए सराहना की।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा

2.10.0 असमानताएं दूर करने और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने पर बल दिया जाना जारी रखा गया।

अल्पसंख्यकों की शिक्षा

2.11.0 शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में शैक्षिक अवसरों को प्रोन्नत करने के लिए क्षेत्र गहन दृष्टिकोण के साथ एक नई योजना शुरू की गई।

शिक्षा के लिए संसाधन

2.12.0 वर्ष 1991-92 के लिए वर्तमान मूल्यों पर कुल घरेलू उत्पाद 541888 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। उसी वर्ष, अर्थात 1991-92 के लिए केन्द्र तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शिक्षा विभागों का संशोधित बजट 19009.29 करोड़ रुपये है। यह निवेश कुल घरेलू उत्पादन का लगभग 3.5 प्रतिशत है।

बीस सूत्री कार्यक्रम

2.13.0 शिक्षा विभाग, टी. पी. पी. - 1986 की मद संख्या 10 पर अर्धवार्षिक प्रगति की मानिटरिंग के लिए एक नोडल विभाग है। इस मद के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा में प्रगति की, मानिटरिंग पूर्व निर्धारित भौतिक लक्ष्यों के अनुसार भौतिक और वित्तीय रूप से की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अर्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय को भेजी जाती है।

प्रशासन

3

प्रशासन

संगठनात्मक संरचना

3.1.0 शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक घटक है जिसका समग्र प्रभाव मानव संसाधन विकास मंत्री के अधीन है। शिक्षा और संस्कृति उपमंत्री उनकी सहायता करती हैं। सचिवालय का नेतृत्व सचिव द्वारा किया जाता है जिसको अपर सचिव तथा शिक्षा सलाहकार (तकनीकी) सहयोग देते हैं। यह विभाग ब्यूरो, प्रभागों, शाखाओं, डेस्कों, अनुभागों तथा एककों में संघटित हैं। प्रत्येक ब्यूरो एक संयुक्त सचिव/संयुक्त शिक्षा सलाहकार के प्रभार में होता है जिसे प्रभागीय प्रमुख सहयोग देते हैं। विभाग का संगठन इस रिपोर्ट के साथ संलग्न संगठन चार्ट में दर्शाया गया है।

अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त संगठन

3.2.1 कई अधीनस्थ कार्यालय तथा स्वायत्त संगठन इस विभाग के अंतर्गत आए हैं। महत्वपूर्ण अधीनस्थ कार्यालय इस प्रकार हैं:

- प्रौढ शिक्षा निदेशालय (प्रौ. शि. नि.)
- केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (के. हि. नि.)
- वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग (वै. त. श. आ.)
- उर्दू प्रौन्नति ब्यूरो (उ. प्रो. ब्यू.)
- केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (कें. भा. भा. सं.)

3.2.2 महत्वपूर्ण स्वायत्त संगठन इस प्रकार हैं:

- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (रा. शै. अनु. प्र. पारि.), नई दिल्ली स्कूली क्षेत्र में संचालन करने वाली एक राष्ट्रीय स्तर की स्रोत संस्था हैं।
- राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (रा. शै. यो. प्र. सं.) नई दिल्ली शैक्षिक प्रबंध की समस्याओं में विशेषज्ञता वाली एक राष्ट्रीय स्तर की स्रोत संस्था है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि. अनु. आ.), जो उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में समन्वय करता है तथा मानक निर्धारित करता है।
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अ. भा. त. शि. परि.), नई दिल्ली, जो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में समन्वय करती है और मानक निर्धारित करती है।

3.2.3 निम्नलिखित संस्थाएं उच्चतर शैक्षिक अनुसंधान में लगी हुई हैं:—

- भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (भा. उ. अ. सं.), शिमला।

- भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (भा. सा. वि. अ. परि.), नई दिल्ली।
- भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (भा. ऐ. अनु. परि.), नई दिल्ली।
- भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद (भा. दा. अनु. परि.), नई दिल्ली।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (अ. मु. वि.), अलीगढ़।
- बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (ब. हि. वि.), वाराणसी।
- दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
- हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद।
- जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली।
- जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (ज. ला. ने. यू.) नई दिल्ली।
- उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय.
- पाडिचेरी विश्वविद्यालय,
- विश्वभारती विश्वद्यिालय, शांति निकेतन।
- तेजेपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर
- सिल्चर विश्वविद्यालय, सिल्चर
- इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
- केन्द्रीय हिंदी संस्थान (के. हि. स.), आगरा जो भारत तथा विदेशों में हिन्दी का प्रचार करता है।
- राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली, संस्कृत में प्रोन्नति, विकास और अनुसंधान (स्कूल उच्च शिक्षा स्तर तक) में लगा हुआ है यह एक जांच निकाय भी है।

स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में

- केन्द्रीय विद्यालय संगठन (कि. वि. स.), नई दिल्ली केन्द्रीय सरकार से स्थानांतरणीय कर्मचारियों के लाभार्थ स्कूल चलाता है।
- नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लाभार्थ स्कूलों को चलाती है।
- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (कि. मा. शि. बो.), नई दिल्ली जो स्कूलों को सम्बद्ध करता है और परीक्षाएं आयोजित करता है।

पुस्तक संवर्धन के क्षेत्र में :

- राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में

- भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर।
- भारतीय खान स्कूल, धनबाद।
- राष्ट्रीय औद्योगिकी इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई।
- राष्ट्रीय ढलाई तथा गढ़ाई प्रौद्योगिकी, रांची।
- आयोजना तथा वास्तुकला स्कूल, नई दिल्ली।
- भारतीय प्राशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद।
- अहमदाबाद, बंगलौर, कलकत्ता तथा लखनऊ स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान (भा. प्र. स.)।
- भोपाल, कलकत्ता, चंडीगढ़ और मद्रास स्थित तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं (त. शि. प्र. स.)

- बम्बई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर तथा मद्रास स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भा. प्रौ. सं.)
- क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज (कुल 17)।

प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में

- राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान (रा. प्रौ. शि. सं.)

3.2.3 जबकि वि. अनु. आयोग, केन्द्रीय विश्वविद्यालय और भा. प्रौ. संस्थानों जैसी संस्थाएं और स्वायत्त संगठन या तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हैं या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किए गए हैं।

कार्य

3.3.0 शिक्षा एक समवर्ती विषय है। समवर्ती का तात्पर्य केन्द्र सरकार और राज्यों के बीच एक सार्थक सहभागिता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निम्नलिखित का उल्लेख किया गया है:

> जबकि शिक्षा के संबंध में राज्यों की भूमिका और उनके उत्तरदायित्व में अनिवार्यतः कई परिवर्तन नहीं होगा केन्द्रीय सरकार शिक्षा की कोटि और स्तरों (सभी स्तरों पर शिक्षण व्यवयास सहित) को बनाए रखने, अनुसंधान और प्रोन्नत अध्ययन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकास हेतु जनशक्ति के संबंध में समस्त देश की शैक्षिक अपेक्षाओं का अध्ययन और उनका अनुश्रवण करने शिक्षा, संस्कृति और मानव संसाधन के अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं की देखभाल करने और सामान्य तौर पर देश भर में शैक्षणिक पिरामिड (संस्वीकृत) के सभी स्तरों पर उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा के राष्ट्रीय तथा समेकित स्वरूप को लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार 'व्यापक उत्तरदायित्व को स्वीकार करेगी।"

यह विभाग राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा तैयार की गई भूमिका को पूरा करने के प्रयास करता रहा है तथा राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के घनिष्ठ सहयोग से कार्य करता रहा है।

सतर्कता कार्यकलापः

3.4.1 आलोच्य वर्ष के दौरान, मुख्यालयों तथा अधीनस्थ कार्यालयों में प्रशासन को तेज करने तथा विभाग के कर्मचारियों में अनुशासन बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास जारी रहें।

3.4.2 केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्वीकृति से श्री प्रियदर्शी ठाकुर, संयुक्त सचिव को मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया।

3.4.3 तीन अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई तथा पांच अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों पर निर्णय लिया गया तथा प्रत्येक मामले में उचित आदेश जारी किए गए। इसके अलावा, आलोच्य वर्ष के दौरान चार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई आरंभ की गई तथा पांच अधिकारियों (जिनमें चार राजपत्रित अधिकारी शामिल हैं) के खिलाफ पहले आरंभ की गई अनुशासनिक कार्रवाई चल रही है। इस विभाग से संबंधित सात शिकायतों (जिनमें से चार शिकायतें राजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ थी) पर प्रारंभिक जांच करने के लिए कार्रवाई की गई।

3.4.4 विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले 57 स्वायत्त संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से अब तक 49 संगठनों/उद्यमों ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्शी अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया है। इनमें से 25 संगठनों ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सहमति से मुख्य सतर्कता अधिकारियों को नियुक्त किया।

3.4.5 लोक शिकायतों को दूर करने के संबंध में सरकार की नीति को पूर्णतया कार्यान्वित किया गया है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के

दिशा-निर्देशों के अनुसरण में, दिशा-निर्देशों का एक व्यापक सैट तैयार किया गया तथा कार्यान्वियन के लिए सभी संगठनों को भेजा गया। 57 संगठनों में से अब तक 35 संगठनों ने लोक शिकायत सुधार तंत्र का गठन किया हैं तथा लोक शिकायतो के सुधार के लिए शिकायत अधकारियों को नियुक्त किया है। आलोच्य वर्ष के दौरान, शेष संगठनों में भी लोक शिकायतों के सुधार के लिए तंत्र गठित करने के प्रयास भी किए गए हैं।

3.4.6 अनुशासन तथा समय निष्ठा के अनुपालन पर जोर दिया जा रहा है।

सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

3.5.1 मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग सबसे बढ़ा विभाग है। इस समय शिक्षा विभाग में 100 अनुभाग, 10 अधीनस्थ कार्यालय, एक सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान तथा 79 स्वायत्त संगठन हैं, जो पूरे देश में फैले हुए हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) से प्राप्त वर्ष 1993-94 के लिए भारत सरकार की राजभाषा नीति कार्यान्वियन के वार्षिक कार्यक्रम को इस विभाग, इसके अधीनस्थ कार्यालयो तथा स्वत्तया संगठनों को इस आग्रह के साथ परिचालित किया गया था कि उसमें निधीरत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस, प्रयास किए जाएं, तथा इस संबंध में इस विभाग के अधीन विभिन्न कार्यालयों,/संगठनों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में प्रगति की समीक्षा की जाए। इसके अलावा, राजभाषा अधिनियम तथा नियमावली और उसके अन्तर्गत बताए गए प्रशासनिक आदेशों के अनुपालन की मानीटरिंग तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से की गई जहां आवश्यक था वहां उपचारी उपाय भी सुझाए गए।

3.5.2 आलोच्य वर्ष के दौरान, हिन्दी सलाहकार समिति की एक बैठक 28 जुलाई, 1993 को हुई जिसकी अध्यक्षता शिक्षा और संस्कृति उपमंत्री कुमारी सैलजा ने की। इस बैठक में शिक्षा विभाग में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बारे में चर्चा की गई। शिक्षा विभाग, की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तीन बैठकें आयोजित की गई तथा वर्ष की शेष अवधि के दौरान तत्सबधी और अधिक बैठकें बुलाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, विभाग के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्त संगठनों में भी राजभाषा कार्यान्वियन समितियां हैं। विभाग के राजभाषा एकक के अधिकारियो ने भी इन समितियों की बैठकों में भाग लिया तथा इन कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा की।

3.5.3 अगस्त, 1993 से एक हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई थी तथा सरकारी काम-काज में हिन्दी का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए और अधिक कार्यशालाएं आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया है।

3.5.4 राजभाषा विभागों की हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों अर्थात हिन्दी टाइपलेखन, हिन्दी आशुलिपि तथा हिन्दी प्रबोध प्रवीण तथा प्राज्ञ पाठ्यक्रमों से प्रशिक्षण देने के लिए एक सौ दो कर्मचारी नामित किए गए।

3.5.5 संसदीय राजभाषा समिति ने इस विभाग के विभिन्न कार्यालयों/संगठनों अर्थात् राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, बंबई, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, आयोजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलूर तथा केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर आदि का दौरा कर निरीक्षण किया। इन निरीक्षणों के दौरान राजभाषा कार्यान्वियन कार्य से संबधित विभागीय अधिकारियों ने विभाग का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा, संसदीय राजभाषा समिति ने दिनांक 21, 22 तथा 23 जून, 1993 तथा 12 अक्टूबर, 1993 को इस विभाग का तथा इस विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त संगठनों अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मद्रा,स तथा खड़गपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी

संस्थानों, भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया, पाडिचेरी विश्वविद्यालय, उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा योजना तथा प्रशासन संस्थान तथा केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान आदि से मौखिक साक्ष्य भी लिया।

3.5.6 राजभाषा कार्यान्वियन नीति से संबंधित इस विभाग के अधिकारियों ने भी अपने नियंत्रणाधीन कार्यालयों/संगठनों का निरीक्षण किया ताकि दिल्ली तथा भोपाल, अहमदाबाद और सूरत स्थित अन्य कार्यालयों/संगठनों मे सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके।

3.5.7 इस विभाग में 14 से 21 सितम्बर, 1993 तक हिन्दी दिवस/हिन्दी सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर, माननीय केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह की ओर से संदेश, माननीय शिक्षा और संस्कृति उपमंत्री की ओर से अपील तथा शिक्षा सचिव श्री एस. वी. गिरी ओर से सरकारी कामकाज में हिन्दी का व्यापक प्रयोग करने के लिए निर्देश जारी किए गए। हिन्दी टाइपिंग, हिन्दी आशुलिपि तथा हिन्दी निबंध लेखन में प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को नकद पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पहली बार (सुलेख) पर एक विशेष प्रतियोगिता आयोजित की गई।

3.5.8 आलोच्य अवधि के दौरान, 59 ऐसे कार्यालयों को जिनमें 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त था, राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित कर दिया गया था।

3.5.9 इस प्रकार शिक्षा विभाग अपने विभाग तथा अपने कार्यालयों/संगठनों में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करने में लगातार सेवारत हैं, ताकि राजभाषा अधिनियम तथा नियमावलियों का अधिकाधिक अनुपालन को सके।

प्रकाशन

3.6.0 प्रकाशन एकक ने द्विभाषी सहित (अंग्रेजी तथा हिन्दी, दिसम्बर, 1993 तक) अंग्रेजी में चौदह प्रकाशन निकाले। एकक ने विदेशों में जाने वाले भारतीयों तथा भारत में अध्ययनरत विदेशी छात्रों को मूल शैक्षिक प्रमाण पत्रों के प्रमाणीकरण करने का कार्य जारी रखा।

बजट अनुमान

3.7.0 शिक्षा विभाग के वर्ष 1993-94 और 1994-95 के लिए बजट प्रावधान निम्न हैः—

करोड़ रुपये में

विवरण	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	प्रावधान
	1993-94	1993-94	1994-95	
मांग सं. 47				विभाग के सचिवालय ने वेतन एवं लेखा कार्यालय, आतिथ्य
शिक्षा विभाग	2159.31	2183.26	2365.61	एवं मनोरंजन, सामान्य शिक्षा, विभाग के अन्य राजस्व व्यय में केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (योजनागत) के तहत राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के लिए सहायता अनुदान के प्रावधानों तथा केन्द्रीय तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओ के लिए प्रावधान को भी शामिल किया है।

व्यावसायिक विकास और कर्मचारियों का प्रशिक्षण

3.8.1 विभाग में एक प्रशिक्षण सेल भी कार्य कर रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य विभाग में सेवारत अधिकारियों तथा कर्मचारियों के ज्ञान, अभिरुचियों तथा व्यावहारिक दक्षताओं मे सुधार लाना है।

3.8.2 वर्ष 1993-94 के दौरान लगभग 47 अधिकारियों को भारत में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों के लिए भेजा गया जबकि एक अधिकारी को प्रशिक्षण के वास्ते विदेश में भेजा गया। इसके अलावा कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित एक सप्ताह/तीन सप्ताह के अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण पर भेजा गया।

3.8.3 शिक्षा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता के लिए एक उचित कार्यनीति विकसित करने की दृष्टि से प्रो. विनय शील गौतम, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र के अध्यक्ष को विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम विषयवस्तु विकसित करने के वास्ते परामर्शदात्री कार्य भी सौंपा गया। इसकी रिपोर्ट 6.1.94 को प्राप्त हुई तथा इसका अध्ययन किया जा रहा है, तत्पश्चात् शिक्षा विभाग के अधिकारियों के कार्यकारी विकास के लिए कार्यनीतियां विकसित की जाएंगी।

3.8.4 राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सहयोग से विभाग में 19 अधिकारियों के एक बैच के लिए 5 दिवसीय शब्द संसाधन प्रशिक्षण आयोजित किया गया। राष्ट्रीय सूचना केन्द्र इसके बाद अगले बैचों के लिए भी यह प्रशिक्षण आयोजित करेगा।

प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष में योगदानः

3.9.1 माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह में मंत्रालय तथा इससे सम्बद्ध विभिन्न संगठनों तथा संस्थानों तथा संस्थानों के अधिकारियों तथा स्टाफ सदस्यों से महाराष्ट्र तथा देश के अन्य भागों में भूकम्प पीड़ितों को राहत देने तथा उनके पुनर्वास के लिए सरकार के प्रयासों में योगदान देने की अपील की है।

3.9.2 इस अपील की प्रतिक्रिया उत्साहपूर्ण रही तथा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के लिए 1.39 करोड़ रु. की राशि एकत्र की गई।

महिला समानता के लिए शिक्षा

4

महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा

4.1.1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा कार्रवाई योजना में यह वादा किया गया है कि संपूर्ण शैक्षिक प्रणाली महिलाओं की समानता के लिए तथा उन्हें सामर्थ्यवान बनाने के लिए कार्य करेगी। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा, 1986 तथा इसकी कार्रवाई योजना में महिलाओं की शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई है क्योंकि यह समानता के लिए एक कारक है। इसके अतिरिक्त इसका आर्थिक महत्व भी है। विकास का एक प्रमुख कारक शिक्षा है और इस तरह यह समाज के सामाजार्थिक विकास के लिए समाज के इस बड़े भाग से योगदान प्राप्त होने की आशा बंधाता है। कार्रवाई योजना, 1992 में पूर्ववर्ती कार्रवाई योजना के कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में अनेक विशिष्ट कार्यक्रमों की पहचान की गई हैं।

4.1.2. वर्ष के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्रवाई योजना को वस्तुतः कार्य रूप प्रदान किए जाने पर बहुत अधिक बल दिया गया तथा राज्य सरकारों के साथ आयोजित बैठकों की श्रृंखला में शिक्षा में लैंगिग मुद्दे की अलग से समीक्षा की गई। उसी समय राज्यों से इस बात पर जोर देकर कहा गया कि सभी शैक्षिक प्रक्रियाओं में लैंगिग मुद्दे पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए। राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई कि वे राज्य सचिवों के स्तर पर अनुश्रवण समितियों का गठन करें ताकि शिक्षा प्रणाली में इस पहलू को शामिल किया जाना तथा लागू किया जाना सुनिश्चित हो सके। औपचारिक और गैर-औपचारिक शिक्षा प्रणाली में लड़कियों के नामांकन तथा उन्हें कक्षा में बनाए रखने, ग्रामीण अध्यापिकाओं की भर्ती तथा पाठ्यचर्या से लैंगिग पक्षपात को हटाए जाने पर बल दिया। 1992-93 के दौरान कुल नामांकन के अनुपात में लड़कियों का नामांकन प्राथमिक स्तर पर 43%, मिडिल स्तर पर 39%, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर 34% डिग्री स्तर के नीचे के अन्य स्तरों पर 18% तथा उच्च शिक्षा के स्तर पर 33% हैं।

4.1.3. शिक्षा विभाग की मौजूदा योजनाओं में महिलाओं के लाभार्थ विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं। आपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना के संशोधित नीति-निर्धारणों में यह शर्त कि भविष्य में भर्ती किए जाने वाले शिक्षकों में से कम से कम 50% महिलाएं होनी चाहिए। आपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने मुख्यतः महिलाओं द्वारा भरे जाने के लिए 1987-88 से प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के 1,32,834 पदों के सृजन हेतु सहायता प्रदान की है। अद्यतन रिपोर्टों के अनुसार शिक्षकों के 102587 पद भरे गए हैं जिनमें से 48,52% अध्यापिकाएं हैं।

4.1.4. मंत्रालय ने गैर-औपचारिक शिक्षा की योजना के अंतर्गत 90% सहायता ऐसे केन्द्रों को दी

गई है जो केवल बालिकाओं के लिए हैं। 31.3.1993 को बालिकाओं के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों तथा सह शिक्षा वाले केन्द्रों के अनुपात को 25:75 से बढ़ाकर 40:60 करके इस योजना में हाल ही में संशोधित किया गया है ताकि बालिकाओं को शिक्षित करने हेतु और ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध हों।

4.1.5 लड़कियों को स्कूल में बनाए रखने की दर को बढ़ाने के लक्ष्य से माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं के भोजन और छात्रावास सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने की एक नई योजना शुरु की गई है। इस योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त स्कूलों के कक्षा IX से XII की इस प्रकार छात्रावासों में रह रही छात्राओं के भोजन, फर्नीचर, बर्तन, मनोरंजन संबंधी सामग्री आदि के लिए स्वयं सेवी एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे भोजन गृहों या मौजूदा बालिका छात्रावासों को सहायता प्रदान की जाती है। आठवीं योजना अवधि के दौरान 3580 लड़कियों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

4.1.6. यह सुनिश्चित करने के लिए सचेत प्रयास किए जाएगें कि प्रत्येक नवोदय विद्यालय के कुल छात्रों में से एक एक तिहाई लड़कियां हों।

4.1.7. संपूर्ण साक्षरता अभियानों में महिलाओं को सामर्थ्यवान बनाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। चूँकि देश में पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं की साक्षरता दर अत्यधिक कम है इसलिए संपूर्ण साक्षरता अभियानों के अंतर्गत महिला शिक्षार्थियों की संख्या पुरुष शिक्षार्थियों से अधिक होती है। संपूर्ण साक्षरता अभियानों में महिलाओं का नामांकन सामान्यतया हर जगह 60% से अधिक है। अब तक के वंचित वर्गो की सामर्थ्यवान होने के रूप में सामाजिक जागरूकता बहुत जरूरी है जिसका कुछ जिलों में निर्माण कार्य में लगे कामगारों को उचित मजदूरी दिए जाने के लिए आंदोलनों, कामगारों की साड़ियों की सीधी बिक्री, शराब की दुकानों का बंद होना तथा अभियान वाले सभी जिलों में बच्चों के नामांकन संबंधी मांग में एक जैसी वृद्धि से मिलता है। ऐसा मुख्यतः महिलाओं से साक्षर बनने से हो रहा है। प्रौढ़ शिक्षा तथा उत्तर साक्षरता शिक्षा केन्द्रों में महिलाओं के नामांकन पर विशेष ध्यान दिया गया।

4.1.8. सामान्य तथा तकनीकी दोनों ही प्रकार के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसरों में असाधारण वृद्धि हुई है। समाज, उद्योग और व्यवसाय की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप विश्वविद्यालय तथा कालेज स्तर पर महिला शिक्षा की दिशा मोड़ दी गई है तथा इसे फिर से उनके अनुकूल बनाया गया है। उच्च शिक्षा संस्थाओं में नामांकित महिलाओं की संख्या 1950-51 में 40,000 थी जो बढ़कर वर्ष 1992-93 में लगभग 15,90,000 हो गई है। इस प्रकार 42 वर्ष की अवधि में 40 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान प्रति सैकड़ा पुरुषों के अनुपात में नामांकित महिलाओं की संख्या जो 1950-51 में 14 थी बढ़कर वर्ष 1992-93 में 50 हो गई। इस प्रकार इसमें तीन गुना वृद्धि हुई है। कुल नामांकन में महिलाओं का नामांकन जो वर्ष 1981-82 में 27.7% था बढ़कर वर्ष 1992-93 में 33.1% हो गया।

4.1.9. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों को लैंगिक समानता, महिलाओं के स्वावलबंन, बालिका शिक्षा, जनसंख्या संबंधी पहलुओं, मानवाधिकार, सामाजिक शोषण आदि के क्षेत्र में शोध परियोजना शुरु करने, पाठ्यचर्या, प्रशिक्षण और विस्तार का विकास करने के लिए सामाजिक और शैक्षिक विकास के महत्वपूर्ण साधन के रूप में अध्ययन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के तथा महिला अध्ययन केन्द्र/सैल स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देता आ रहा है। आयोग ने सामाजिक विज्ञान तथा इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी

सहित विज्ञान और मानविकी में महिला उम्मीदवारों के लिए अंशकालिक अनुसंधान सहचरों के 40 स्थान भी सृजित किए हैं। नवम्बर, 1993 तक महिला अध्ययन के विषयों से संबंधित 21 अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता के लिए अनुमोदित किया गया। इसके अलावा, विभिन्न प्रस्तावों की जांच करने के उपरांत महिला अध्ययन संबंधी स्थाई समिति ने 22 विश्वविद्यालयों तथा 11 कालेज/ विश्वविद्यालय विभागों को वहां क्रमशः महिला अध्ययन केन्द्र तथा महिला अध्ययन प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए सहायता देने की सिफारिश की। श्रमिक विद्यापीठों का बहुसंयोजक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 1993 के दौरान चयनित सभी 10 श्रमिक विद्यापीठों में सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। प्रत्येक श्रमिक विद्यापीठ द्वारा एक हजार महिलाओं/बालिकाओं को साक्षर बनाया जाना था। श्रमिक विद्यापीठों ने अपने बेहतरीन कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं/बालिकाओं को भारी संख्या में आकर्षित करना जारी रखा है।

4.1.10. महिला सामाख्या (महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा) डच सहायता से अप्रैल, 1989 में शुरु की गई। यह परियोजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसरण में तैयार की गई। जिन समस्याओं के कारण महिलाएं शिक्षा के साधनों तक नहीं पहुंच पाती है उन पर इस परियोजना का मुख्य बल है। यह परियोजना महिलाओं की प्रतिष्ठा तथा आत्मविश्वास तथा उनके प्रति समाज के रवैये पर ध्यान देते हुए शुरु की जाएगी। महिला सामाख्या परियोजना में यह माना गया है कि महिला समानता के लिए शिक्षा एक निर्णायक हस्तक्षेप हो सकती है. कुल मिलाकर इसका लक्ष्य यह है कि ऐसी परिस्थितियां तैयार की जाएंगी जिससे महिलाएं अपनी स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकें, बिल्कुल ही अशक्तता की स्थिति से ऐसी स्थिति की तरफ बढ़ सकें जिसमें वे अपने जीवन को स्वयं तय कर सकें तथा अपने वातावरण को प्रभावित कर सकें तथा इसके साथ-साथ स्वयं के लिए तथा अपने परिवार के लिए एक शैक्षिक अवसर सृजित कर सकें जिससे विकास की प्रक्रिया की मदद पहुंचे। समानता प्राप्त करने के संघर्ष में शिक्षा की केन्द्रीयता महिला सामाख्या का एक प्रमुख ध्यान बिंदु है। महिला सामाख्या संघटक को उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा परियोजना तथा बिहार शिक्षा परियोजना में महिला शिक्षा की रणनीति का अंग बनाया जा रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और आन्ध्र प्रदेश नामक चार राज्यों में 14 जिलों में चलाया जा रहा है। महिला सामाख्या रणनीति की सफलता से प्रोत्साहित होकर इसे देश की कई अन्य बुनियादी शिक्षा परियोजनाओं में शामिल किया जा रहा है।

प्रारम्भिक शिक्षा

LIBRARY
D-8014
13-04-94

5

प्रारंभिक शिक्षा

प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण

5.1.1 प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण एक संवैधानिक आदेश है। संविधान के अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गयी है। प्रारंभिक शिक्षा के प्रसार में केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा किए गए संयुक्त प्रयासों तथा पर्याप्त निवेश के बावजूद, प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1994 में अब यह अनुबद्ध है कि यह लक्ष्य शताब्दी के अंत से पूर्व पूरा कर लिया जाना चाहिए।

5.1.2. वर्ष 1950-51 से प्रारंभिक शिक्षा के विस्तार की स्थिति की निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:-

	1950-51	1992-93
प्राथमिक स्कूलों की संख्या	2.20 लाख	5.72 लाख
मिडिल स्कूलों की संख्या	0.14 लाख	1.53 लाख
कक्षा 1 से 5 तक दाखिला	19.15 मिलियन	105.40 मिलियन
लड़के	13.77 मिलियन	60.5 मिलियन
लड़कियां	5.38 मिलियन	44.9 मिलियन
कक्षा 6 से 8 तक दाखिला	3.13 मिलियन	38.7 मिलियन
लड़के	2.50 मिलियन	23.7 मिलियन
लड़कियां	0.54 मिलियन	15.0 मिलियन
कक्षा 1 से 8 तक दाखिला	22.28 मिलियन	144.1 मिलियन
लड़के	16.36 मिलियन	84.2 मिलियन
लड़कियां	5.92 मिलियन	59.9 मिलियन

5.1.3. शिक्षा के प्रसार के इस स्तर के बावजूद प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के संवैधानिक आदेश को पूरा करने के लिए बहुत कुछ किया जाना है। पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वालों की दर महत्वपूर्ण है, स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई जारी रखने की दर काफी कम है, नुकसान अधिक है। (वर्ष 1988-89 में पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वालों की दर कक्षा 1 से 5 में 46.97 प्रतिशत है तथा कक्षा 1 से 8 में 62.29 प्रतिशत है। स्पष्ट तौर पर प्रारंभिक शिक्षा की प्राप्ति में काफी असंतुलन है। ये असंतुलन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, लड़के और लड़कियों, सम्पन्न तथा वंचित लोगों तथा अल्पसंख्यकों तथा अन्यों में है। 1 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार 6-14 आयु वर्ग में जिन्हें यह सेवाएं दी जानी हैं उनकी संख्या 153 मिलियन है जो कुल जनसंख्या का 18 प्रतिशत है। इनमें 51 प्रतिशत लड़के और 49 प्रतिशत लड़कियां हैं। जबकि पांचवां अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण यह दर्शाता है कि 94.06 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को एक किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर प्राथमिक स्कूलों/सैक्शनों की सेवा उपलब्ध थी और 85.39 प्रतिशत को मिडिल स्कूलों/ सैक्शनों की सुविधा तीन किलोमीटर की दूरी के भीतर उपलब्ध थी।

5.1.4. वर्तमान नीति और इसकी कार्रवाई योजना में स्पष्टतया लड़कियों तथा वंचित वर्गों पर ध्यान देने के साथ प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण को प्राथमिकता दी गयी है। संशोधित कार्रवाई योजना की प्रमुख बातें ये हैं:-

- प्रमुख बल दाखिले से दाखिले से साथ-2 अवरोधन तथा उपलब्धि पर स्थानांतरित किया गया है। कार्रवाई योजना में यह स्पष्ट तौर से उल्लिखित है:

" दाखिले की महत्ता बहुत कम रह जाती है यदि बच्चे एक वर्ष के पश्चात शिक्षा जारी नहीं रखते तथा उनमें से बहुत से कुछ ही दिन स्कूलों में दिखाई देते हैं"।

-शिक्षा नीति में यह स्वीकार किया गया है कि सभी बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, विशेषकर लड़कियां तथा कामकाजी बच्चे जो सामाजिक व आर्थिक पैरामीटरों के परिणास्वरूप स्कूल प्रणाली में भागीदारी से वंचित रह जाते हैं।

इसमें पर्याप्त लचीलेपन के साथ प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण को प्राप्त करने हेतु कार्यनीति के एक अभिन्न संघटक के रूप में एक विशाल और सुव्यवस्थित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम आरम्भ करने की आवश्यकता है ताकि अध्ययनकर्त्ता अपनी गति और अपनी सुविधा के समय के अनुसार अध्ययन कर सकें।

-संकलित लक्ष्य निर्धारण और विकेन्द्रीकृत प्रतिभागी आयोजना सहित स्थानीय क्षेत्र आयोजना पर बल दिया गया है। ध्यान शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों से हटा कर शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों पर हो गया है। उच्च वित्तीय परिव्ययों को बढाने हेतु आपूर्ति तथा मांग संबंधी उपायों, सामुदायिक सहभागिता जुटाने तथा गैर-सरकारी संगठनों को सूचीबद्ध करने की सिफारिश की गई है।

5.1.5. आठवीं योजना के लिए निम्नलिखित राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं:-

क. पहुंचः

(1) बालिकाओं और अनु० जातियों/ अनु० जनजातियों के व्यक्तियों सहित सभी बच्चों का सार्वभौम नामांकनः

(2) एक किलोमीटर की पैदल दूरी की परिधि में सभी बच्चों के लिए प्राथमिक स्कूल उपलब्ध कराना तथा पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों, ऐसे कार्यरत बच्चे तथा बालिकाएं जो स्कूलों में नहीं जा सकते, के लिए अनौपचारिक शिक्षा की सुविधा :

(3) अपर प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की सहभागिता को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त अवसरों हेतु पूर्व शर्त के रूप में प्राथमिक स्कूल से अपर प्राथमिक स्कूल के मौजूदा अनुपात 1:4 से 1:2 में सुधार,

ख. पढ़ाई जारी रखने के लिए रोके रखनाः-

(4) 1-5 तथा 1 से 8 कक्षाओं में पढाई छोड़ने वालों की मौजूदा दरों 45% और 60% से क्रमशः 20% और 40% की कमी।

(5) ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड को अपर प्राथमिक स्तर पर भी बढ़ा कर स्कूली सुविधाओं का सुधार,

ग. लक्ष्यः-

(6) प्राथमिक स्तर पर लगभग सभी बच्चों द्वारा शिक्षण के न्यूनतम स्तर प्राप्त करना तथा अपर प्राथमिक स्तर पर बड़े पैमाने पर इस संकल्पना को आरम्भ करना,

घ. अनुश्रवणः-

(7) प्राथमिक शिक्षा के कार्य में सहायता करने तथा उसके कार्यकरण का निरीक्षण करने के लिए महिलाओं और शिक्षको के उचित प्रतिनिधित्व वाली स्थानीय स्तर की समिति,

(8) अपर उल्लिखित लक्ष्यों की प्राप्ति पर निगरानी रखने हेतु प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए अनुश्रवण प्रणाली में सुधार।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड

5.2.1. आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना अवरोधन में सुधार लाए जाने के उद्देश्य से प्राथमिक स्कूलों में सुविधाओं में पर्याप्त सुधार करने के लिए वर्ष 1987-88 में आरम्भ की गई थी। इसके तीन परस्पर निर्भर तत्व हैं अर्थात् (1) लड़कों और लड़कियों के लिए अलग शौचघर सुविधाओं तथा एक बरामदा सहित सभी मौसमों के उपयुक्त कम से कम दो पर्याप्त बड़े कमरों की व्यवस्था, (2) प्रत्येक स्कूल में कम से कम दो शिक्षक हों, जिनमें से यथासम्भव एक महिला हो और (3) ब्लैक बोर्ड, नक्शों, चार्टों, खिलौनों और कार्यानुभव के लिए उपकरणों सहित आवश्यक पठन सामग्रियों का प्रबंध। स्कूल भवनों के निर्माण के लिए धन राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किया जाता है। तथापि यदि राज्य जवाहर रोजगार योजना का 12 प्रतिशत और गैर जवाहर रोजगार योजना 40 प्रतिशत अंश की व्यवस्था करते हैं तो जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय भाग के बराबर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्माण के लिए 48 प्रतिशत प्रदान किया जाता है। अन्य दो घटकों के लिए धन इस विभाग द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इस योजना में देश के सभी ब्लाक/पालिका क्षेत्रों में एक चरणबद्ध रूप में प्राथमिक स्कूलों को सम्मिलित करने की परिकल्पना की गई है।

5.2.2. वर्ष 1987-88 से 1992-93 की अवधि में यह योजना देश के 91.5 प्रतिशत ब्लाकों में कार्यान्वित की गई जिसमें 91 प्रतिशत प्राथमिक स्कूल शामिल हैं। इस विभाग द्वारा 853.95 करोड़ रुपये की सहायता मुक्त की गई। इसमें से, 154.91 करोड़ रुपये वर्ष 1992-93 में मुक्त किए गए। वर्ष 1993-94 के दौरान आपरेशन ब्लैक बोर्ड के लिए 179 करोड़ रुपये का प्रावधान है। वर्ष 1993-94

आपरेशन ब्लैक बोर्ड- उपलब्धियां

	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
खर्च की गई राशि (करोड़ रु० में)	110.61	135.73	126.98	150.09	175.63	154.63
शामिल किए गए ब्लाकों की संख्या	1703	1795	578	343	960	4 77
शामिल किए गए स्कूलों की संख्या (लाखों में)	1.13	1.40	0.52	0.39	0.68	0.55
शामिल किए गए प्राइमरी स्कूलों का प्रतिशत	21.00	26.40	9.90	7.35	12.74	11
मंजूर किए गए प्राइमरी शिक्षकों के पद	36397	36327	5274	14379	26840	11439

के दौरान शेष प्राथमिक स्कूलों को शामिल करने का प्रस्ताव हैं।

5.2.3. स्कूली सुविधाओं के सम्बंध में सरकार की संशोधित नीति और कार्रवाई योजना, 1992 को कार्यशील बनाने के उद्देश्य से आठवीं योजना के दौरान आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत निम्नलिखित तीन उप योजनाओं का प्रस्ताव है:-

(i) सातवीं योजना में निर्धारित शेष स्कूलों को शामिल करने के लिए चल रहे आपरेशन ब्लैक बोर्ड को जारी रखना।

(ii) जिन प्राथमिक स्कूलों में दाखिला संख्या 100 से अधिक हो जाती है वहां तीन शिक्षक और तीन कक्षा- कक्ष उपलब्ध करवाने के लिए आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का विस्तार करना।

(iii) अपर प्राथमिक स्कूलों में आपरेशन ब्लैकबोर्ड के कार्य क्षेत्र का विस्तार करना।

अध्ययन के न्यूनतम स्तरः-

5.3.1 स्कूलों में अध्ययन ग्राह्यता में सुधार करने की नीति में इस बात पर ध्यान दिया गया है कि कक्षाओं में क्या हो रहा है तथा समानता और गुणवत्ता के सिद्धांतों को लाना है तथा उस पर अमल करना हैं। इस नीति का लक्ष्य बेसिक शिक्षा से वास्तविक, सम्बद्ध तथा कार्यात्मक स्तरों पर प्राप्त होने वाले अध्ययन के परिणामों को निर्धारित करना है तथा अपनाए जाने वाले उपायों का निर्धारण करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्कूल स्तर को पूरा कर लेने वाले ये सभी बच्चे इन परिणामों को प्राप्त कर लें। ये परिणाम स्कूलों तथा समकक्ष अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम दोनों में अध्ययन के न्यूनतम स्तरों को सामान्यरूप से पारिभाषित करते हैं।

5.3.2 स्कूलों में अध्ययन के न्यूनतम स्तरों को लागू करने के लिए निम्नलिखित विभिन्न सोपान हैं:- (i) अध्ययन की उपलब्धि के वर्तमान स्तर का मूल्यांकन (ii) क्षेत्र तथा समय-सीमा के लिए अध्ययन के न्यूनतम स्तरों की एक परिभाषा जिसके अन्तर्गत इसे प्राप्त किया जा सकेगा। (iii) सक्षमता आधारित शिक्षण के लिए शिक्षण निधियों का अनुस्थापन (iv) छात्र शिक्षण का विस्तृत मूल्यांकन शुरु करना (v) पाठ्य-पुस्तकों की समीक्षा और यदि जरूरी हो तो उनमें संशोधन, (vi) अध्ययन के न्यूनतम स्तरों की अध्ययन दक्षता में सुधार करने के लिए निवेशों का प्रावधान और यदि जरुरी हो तो भौतिक सुविधाओं, शिक्षक प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन आदि का प्रावधान करना।

5.3.3. अध्ययन के न्यूनतम स्तरों की नीति का लक्ष्य इस प्रणाली के निष्पादन तथा सक्षमता विश्लेषण के लिए एक प्रक्रिया प्रदान करना है। प्रयास यह रहेगा कि सीधे वृहतर संसाधनों से अध्ययन की उपलब्धियों को मानिटर करना, जहां अध्ययन के स्तर निम्न है, तथा जरूरतमंद क्षेत्रों में विकास की गति में तेजी लाना ताकि विसंगतियों को कम किया जा सके तथा स्तरों को एक समान किया जा सके। परिणामस्वरूप इससे प्रणाली की गुणवत्ता तथा निष्पादन में सुधार होगा।

5.3.4 समिति की रिपोर्ट जिसमें शिक्षा के न्यूनतम स्तरों के विवरण को निर्धारित किया गया था, के प्रकाशन के तुरन्त बाद, मंत्रालय ने शिक्षा के न्यूनतम स्तर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए समूची संकल्पना का निरुपण करने तथा नीतियां तैयार करने के लिए दिल्ली, अहमदाबाद और अजमेर में तीन सेमिनार आयोजित किए। 15 एजेन्सियों की पहचान की गई तथा संस्वीकृत परियोजनाओं को शत-प्रतिशत केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इन परियोजनाओं में 2000 प्राथमिक स्कूल, 10,000 शिक्षक तथा लगभग 3.86 लाख छात्र शामिल हैं। 1991 से 1994 की अवधि के दौरान, इन परियोजनाओं को अब तक 121 लाख रुपये की राशि संस्वीकृत की गई है। इस कार्यक्रम

के कार्यान्वयन में परियोजनाओं तथा मंत्रालय को अपेक्षित मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए संसाधन व्यक्तियों के एक छोटे से दल का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को भी इस कार्यक्रम में शामिल करने का निर्णय किया गया है। आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जम्मू, केरल, पंजाब, राजस्थान तथा तमिलनाडू में राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के संकाय सदस्यों की अपेक्षित प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा उसे शिक्षकों को वितरित किया गया है। कक्षा के शिक्षण माहौल को समृद्ध बनाने के लिए भाषा, गणित तथा पर्यावरण अध्ययन इन तीनों विषयों में शिक्षकों के लिए हस्तपुस्तिकाएं, शिष्यों की कार्यपुस्तकें तथा मूल्यांकन सामग्री भी तैयार की गई।

सूक्ष्म आयोजना संचालन योजना

5.4.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 तथा संशोधित (1992) को शिक्षकों तथा अन्य क्षेत्र स्तरीय शैक्षिक कार्यकर्त्ताओं की व्यवस्था के रूप में परिकल्पित किया गया है। सूक्ष्म आयोजना की योजना के मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जहां तक संभव हो, प्रत्येक छात्र स्कूल पद्धति अथवा जहां जरुरी हो अंशकालिक अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से अच्छी कोटि की प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसरण में तैयार की गई कार्रवाई योजना में सूक्ष्म आयोजना को "परिवारवार तथा बालवार कार्रवाई योजना तैयार कररने की प्रक्रिया के रूप में बताया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक छात्र स्कूल अथवा गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्र में नियमित रूप से जाता है तथा उपयुक्त स्थान पर कम से कम आठ वर्ष की शिक्षा पूरी कर लेता है और अनिवार्य न्यूनतम स्तरों को भी पूरा कर लेता है।

5.4.2 तदनुसार, सूक्ष्म आयोजना की परियोजनाओं के प्रतिपादन के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं तथा उन्हें राज्य सरकारों को परिचालित किया गया है।

5.4.3 इस मंत्रालय ने तीन सूक्ष्म आयोजना परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जिनमें से एक परियोजना "उरमूल" ट्रस्ट द्वारा बीकानेर में तथा एक "विशाखा" द्वारा जयपुर जिले में तथा डॉ. पी. एन. रसिया द्वारा मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ ब्लाक की थी।

5.4.4 इस मंत्रालय को सूक्ष्म आयोजना के संचालन के लिए कुछ और प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। इन पांचों सूक्ष्म आयोजना परियोजनाओं में से एक-एक परियोजना कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में संस्वीकृत की गई है/ की जा रही है।

5.4.5 वर्ष 1992-93 के दौरान एक लाख रुपये से अधिक सहायता-अनुदान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों की सूची संलग्न है।

वर्ष 1992-93 की अवधि के दौरान गैर सरकारी संगठनों को संस्वीकृत सहायता अनुदान दर्शाने वाला विवरण।

संगठन का नाम	संस्वीकृत राशि	उद्देश्य
विशाखा 0-7, हस्पताल रोड़ जयपुर	2,50,000	जयपुर तहसील में सूक्ष्म आयोजना परियोजना के कार्यान्वयन के लिए

अनौपचारिक शिक्षा

पृष्ठभूमि

5.5.1 शैक्षिक विकास की दृष्टि से प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभ बनाना भारत का एक प्रमुख लक्ष्य है। भारतीय संविधान के नीति-निदेशक सिद्धान्त में 14 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी बच्चों को निः शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई

है। इस परिप्रेक्ष्य में 1964-66 के शिक्षा आयोग में अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से कामकाजी बच्चों, बालिकाओं तथा बिना स्कूल वाली बस्तियों के निवासियों को शिक्षा प्रदान करने में अनौपचारिक शिक्षा के महत्व को मान्यता दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में भी यही बात दोहराई गयी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में अनौपचारिक शिक्षा के वृहत तथा क्रमबद्ध कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वालों तथा औपचारिक स्कूल प्रणाली के दायरे से बाहर रहने वाले गैर स्कूली बच्चों की शिक्षा के लिए एक संगठित कार्यक्रम है। इस कायंक्रम में पूर्ण दिवसीय स्कूलों में भाग न ले सकने वाले विद्यार्थियों को उनकी सुविधानुसार निर्धारित स्थान तथा समय पर शिक्षा दी जाती है। करिकल्पना यह है कि शिक्षा के प्राविधान में यह व्यवस्था औपचारिक स्कूली शिक्षा के समतुल्य गुणात्मकता प्रदान कर सकें। अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा के एक विकल्प कार्यनीति के रूप में भी परिकल्पित की गई है तथा सर्वसुलभ प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य प्राप्त करने में यह एकपूरक भूमिका निभा सकती है

उद्देश्य

5.5.2 इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 6-14 आयु वर्ग के उन बच्चों को जो विभिन्न सामाजिक आर्थिक कठिनाइयों के कारण औपचारिक स्कूल प्रणाली से वंचित रह गए हैं उनके लिए औपचारिक स्कूली शिक्षा के समान शिक्षा का प्रावधान करना है।

लक्षित वर्ग

5.5.3 यह कार्यक्रम 6-14 आयु-वर्ग के बच्चों विशेषकर स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों, कामकाजी बच्चों, बिना स्कूल वाली बस्तियों के बच्चों तथा उन बालिकाओं के लिए जो घरेलू काम-काज के कारण पूर्ण दिवसीय स्कूलों में भाग नहीं ले पाते हैं, के लिए शिक्षा प्रदान करता है।

कार्यनीति

5.5.4 यह कार्यक्रम राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक एजेंन्सियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षुओं के छोटे-छोटे समूहों में उनकी सुविधानुसार किसी निर्धारित स्थान तथा समय पर शिक्षा दी जाती है। स्थानीय रूप से अंशकालिक अनुदेशकों की नियुक्ति की जाती है तथा इस प्रयोजनार्थ उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। स्थानीय परिवेश तथा शिक्षुओं की रुचि के अनुरूप पाठ्यक्रमों का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक शिक्षा धारा में अनौपचारिक शिक्षा शिक्षुओं का प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण तथा प्रमाणपत्र देने की व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह कार्यक्रम सामुदायिक, परिवर्तनशीलता तथा विकेन्द्रीकरण पर आधारित है।

महत्व

5.5.5 इस विभाग द्वारा अनौपचारिक शिक्षा की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना 1979-80 में शुरु की गई थी ताकि लक्षित आयु-वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था की जा सके।

5.5.6 शुरू-शुरू में यह कार्यक्रम शैक्षिक रूप से पिछड़े हुऐ नौ राज्यों-आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू, और काश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया था। इस योजना के कार्यक्षेत्र में शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए दसवें राज्य अर्थात अरुणाचल प्रदेश को 1987 में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त इस योजना में मलिन बस्तियों, पहाड़ी, मरुस्थलीय तथा जनजातीय क्षेत्रों तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े उपर्युक्त राज्यों के अलावा कामकाजी बच्चों की शिक्षा में कार्यरत परियोजनाओं को भी शमिल किया गया है। इस समय यह कार्यक्रम आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, कर्नाटक,

मध्य प्रदेश, मणिपुर मिजोरम, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ संघीय प्रशासन में चल रहा है। वर्ष 1992-93 के दौरान भारत सरकार ने राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत 13 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को लगभग 2.15 लाख अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाने के लिए 45.17 करोड़ रुपये तथा स्वैच्छिक क्षेत्र के अन्तर्गत स्वैच्छिक एजेंसियों को लगभग 23,000 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाने के वास्ते 10.19 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता राशि प्रदान की है। अनौपचरिक शिक्षा केन्द्रों को चलाने के लिए जिन स्वैच्छिक एजेंसियों को एक लाख या उससे अधिक अनुदान स्वीकृत किया गया है उनका विस्तृत विवरण अनुबंध I में दिया गया है

5.5.7 इस कार्यक्रम में प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में उल्लिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रायोगिक और नवीन पद्धतियों को प्रोन्नत करने हेतु प्रायोगिक और नवीन परियोजनाओं के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। वर्ष 1992-93 के दौरान 31 स्वैच्छिक एजेंसियों को 1,34,15,957 ऐसी परियोजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी। वर्ष 1993-94 में 31.12.93 तक के लिए 14 स्वैच्छिक एजेंसियों को 16 परियोजनाओं के लिए 35,12,563 रुपये की केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गई। चालू वर्ष के बाकी अवधि के दौरान 50 ऐच्छिक एजेंसियों को परियोजनाओं के लिए लगभग 1.65 करोड़ रुपये की और केन्द्रीय सहायता स्वीकृत किए जाने की आशा है। जिन स्वैच्छिक एजेंसियों को ऐसी परियोजनाओं के लिए एक लाख या उससे अधिक का अनुदान स्वीकृत किया गया है, उनकी एक विस्तृत सूची अनुबंध II **में उपलब्ध है।**

राज्य क्षेत्र

वर्ष 1993-94 के दौरान अनौपचारिक शिक्षा की उपलब्धियां, जिसमें 31.3.94 तक अनुमानित उपलब्धियां भी शामिल हैं।

1.	जारी अनुदान (15 **फरवरी**, 94 **तक)**	57. 97 **करोड़**
2.	15.2.94 से 31..3.94 तक जारी किए जाने वाले संभावित अनुदान	38.14 करोड़
3.	शुरु किए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र (लाख में) संचयी	2.15
4.	केवल बालिकाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या (लाख में) संचयी	0.79
5.	अनुमानित नामांकन (लाख में)	52.50
6.	सम्मिलित किए गए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या	14
6.ए.	वर्ष 1992-93 के दौरान जारी किए गए अनुदान	45.17 करोड़
7.	अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के बाह्य मूल्यांकन कार्य में संलग्न अनुसंधान संस्थानों की संख्या	7
8.	बाह्य मूल्यांकन के अंतर्गत सम्मिलित किए गए राज्यों की संख्या	8

स्वैच्छिक क्षेत्र

1.	जारी किए गए अनुदान (15 फरवरी 1994 तक)	8.72 करोड़
2.	मार्च 1994 तक जारी किए जाने की संभावना वाले संभावित अनुदान	14.00 करोड़

3.	शुरु किए गए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र (लाख में) संचयी	0.28
3.	क. बच्चों का अनुमानित नामाकंन	7.00 लाख
4.	शामिल किए गए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या	18
5.	वर्ष 1992-93 के दौरान जारी किए गए अनुदान	10.19 करोड़
6.	जिला संसाधन एककों की संख्या	22 केन्द्र

अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन

5.5.8 इस कार्यक्रम का अनुवीक्षण तिमाही प्रगति रिपोर्टों, संयुक्त मूल्यांकन दलों एवं केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के अधिकारियों द्वारा किए गए क्षेत्र के दौरों के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आठ राज्यों जैसे आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में योजना के मूल्यांकन के लिए सात बाहरी एजेंसियां लगाई गई है। अभी तक आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। इन रिपोर्टों के आधार पर कमियों की दूर करने एवं कार्यक्रम के और प्रभावी रूप से कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

योजना का पुनरीक्षण

5.5.9 योजना के पुनरीक्षण एवं आठवीं योजना में इसके जारी रहने के प्रस्ताव को 704.00 करोड़ रुपये परिव्यय के साथ जून, 1993 में अनुमोदित किया गया। वर्ष 1993-94 के लिए 110.16 करोड़ रुपये का बजट है। अनौपचारिक शिक्षा योजना की मुख्य बातों को रख लिया गया है, जो कि 1987 के पुनरीक्षण के दौरान निश्चित की गई थीं। योजना के कुछ पहलुओं में सुधार किया गया है और उन्हें सुदृढ़ बनाया गया है। संशोधित योजना में गहन परियोजना दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है और प्रबंधन के और अधिक वित्तीय एवं प्रशासनिक विकेन्द्रीयकरण का भी प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, संशोधित योजना और गहन प्रशिक्षण, अध्ययन-अध्यापन की उत्तम सामग्री के विकास, अनौपचारिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के सूत्रीकण आदि की भी परिकल्पना की गई है। लागत प्राचंलों को भी संशोधित किया गया है तथा प्रशिक्षकों के उत्साहवर्धन एवं बेहतर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षकों को नकद पुरस्कार देने की नई योजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। संशोधित लागत प्राचंलों के अनुसार 90 प्राथमिक एवं 10 उच्च प्राथमिक केन्द्रों सहित एक अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र की प्रथम वर्ष में कुल लागत 5.50 लाख से 12.10 लाख तक तथा बाद के वर्षों में 4.80 लाख से 11.85 लाख पहुंच गई है। लड़कियों की शिक्षा को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने के लिए अनौपचारिक बालिका शिक्षा केन्द्रों तथा सह-शिक्षा केन्द्रों का अनुपातः बढ़कर 25.75 से 40.60 हो गया है।

5.5.10 बढ़ी हुई प्रशासनिक लागत की भरपाई करने के लिए सह-शिक्षा केन्द्रों हेतु केन्द्रीय सहायता तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रशासनिक संसाधन सहायता भी 50% से बढ़ाकर 60% कर दी गई है। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता का संशोधित प्रतिशत इस प्रकार है:-

(क) अनौपचारिक शिक्षा के सह-शिक्षा केन्द्रों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रशासनिक संसाधन सहायता	60

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विशेषरूप से लड़कियों के लिए चलाए जा रहे अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	90%
(ग) स्वैच्छिक एजेंसियों की परियोजनाएं	100%
(घ) प्रयोगात्मक एवं नवीन परियोजनाएं	100%

5.5.11 अनौपचारिक शिक्षा की संशोधित योजना आठवीं योजना के दौरान कार्यक्रमों के विस्तार की अपेक्षा विद्यमान कार्यक्रमों के समेकन पर बल देती है। यद्यपि कार्यक्रम में सीमान्त विस्तार अपरिहार्य है संशोधित योजना दिनांक 1.10.1993 से लागू की गई। यद्यपि, शिक्षकों को नकद पुरस्कार 1994-95 से प्रदान किया जाएगा।

5.5.12 संशोधित योजना की मुख्य विशेषताएं

* क्षेत्र सर्वेक्षण एवं क्षेत्र संतृप्तिकरण।
* केन्द्र क्षमता एवं परियोजना के आकार में समयोजकता।
* प्रबंधन क्रियाओं का परियोजना स्तर पर विकेन्द्रीकरण।
* अनौपचारिक शिक्षा पाठ्यक्रमों का सत्रीकरण और अध्ययन - अध्यापन सामग्री की कोटि में सुधार।
* समवर्ती मूल्यांकन और नियमित अनुवीक्षण।
* अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र स्थापित करने और उनका पर्यवेक्षण करने, समुदाय में ही अनौपचारिक शिक्षा-शिक्षकों, जिनमें, महिला शिक्षकों को दी जानी चाहिए, का पता लगाने में सामुदायिक भागीदारी।
* अनौपचारिक शिक्षा की धारा के छात्रों का औपचारिक धारा में पार्श्वीय प्रवेश सुकर बनाना।
* मुक्त (ओपन) स्कूलों और अनौपचारिक पाठ्यक्रमों के बीच संपर्क।
* प्रशिक्षण घटक को सुदृढ़ करना और प्रशिक्षण ढांचे का निर्माण करना।
* वित्तीय सहायता के मानदंडों में सुधार तथा सह-शिक्षा केन्द्रों की सहायता बढ़ा कर 60% करना।
* लड़कियों पर विशेष ध्यान।
* अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों में स्वैच्छिक एजेंसियों की भूमिका पर अधिक ध्यान।
* पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से ग्रामीण स्तर तक एक विकेन्द्रीकृत प्रणाली के माध्यम से कार्यान्वयन करना।

5.5.13 अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की विशिष्टताएं दर्शाने वाला एक विवरण अनुबंध-11 में दिया गया है।

आठवीं योजना के प्रस्ताव

5.5.14 आठवीं योजना (1992-97) के दौरान, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या 3.5 लाख तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है बशर्ते कि पर्याप्त धन उपलब्ध हो।

5.5.15 अतः आशा की जाती है कि अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों में वे सभी छात्र शामिल किए जाएंगे जो या तो नामांकन होने के कारण या किसी कारणवश पढ़ाई बीच में छोड़ने के कारण औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं। लक्ष्य दल के बच्चों के परिवारों

के विशेष सामाजार्थिक कारणों को ध्यान में रखते हुए भारत में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को अन्य विकास संबंधी सूक्ष्म- आयोजना कार्यकलापों से साथ जोड़ने पर बल देते हैं, जिनमें अनौपचारिक शिक्षा परियोजनाओं के कार्यान्वयन, तथा स्वैच्छिक एजेंसियों तथा ग्रामीण स्तरीय नेताओं की सक्रिय सहभागिता में पर्याप्त लचीलापन दिया जाए।

शिक्षक-शिक्षा

5.6.1 शिक्षक- शिक्षा की पुनः संरचना और पुनर्गठन को एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना 1987-88 से कार्यान्वित की जा रही है तथा आठवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए 1993-94 के दौरान संशोधित की गई थी। इसके मुख्य उद्देश्य हैं- बुनियादी, माध्यामिक और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्रों में आरंभ की जा रही विभिन्न कार्य-नीतियों और कायक्रमों की सफलता के लिए मूल स्तर पर शैक्षणिक और संसाधन संबंधी सहायता प्रदान करना तथा सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण का संस्थानीकरण करना। संशोधित योजना के निम्नलिखित घटक हैं:-

* आठवीं योजना के अंत तक, मौजूदा प्राथमिक शिक्षक शिक्षा संस्थानों के उचित स्तरोन्नयन अथवा नए संस्थानों की स्थापना के माध्यम से 450 जिला संस्थानों का स्थापित करना ताकि उत्तम कोटि की पूर्व- सेवा और सेवा-कालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके, तथा प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा प्रणालियों को संसाधन सहायता प्रदान करने के साथ-साथ प्राथमिक स्कूल शिक्षकों और प्रौढ़ शिक्षा/अनौपचारिक शिक्षा कार्मियों को संसाधन सहायता प्रदान करना।
* लगभग 250 माध्यमिक शिक्षक-शिक्षा संस्थानों का शिक्षक शिक्षा कॉलेजों के रूप में स्तरोन्नयन करना और उनमें से लगभग 50 संस्थानों को उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थानों के रूप में परिवर्तित करना ताकि माध्यमिक स्कूल प्रणाली को प्रशिक्षण और स्रोत संबंधी सहायता प्रदान की जा सके और राज्य शै० अ० प्र० प० के कार्य पूरा किया जा सके
* राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों को सुदृढ़ करना,
* 1993-97 के दौरान स्कूली शिक्षकों के लिए विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम जिसमें प्रतिवर्ष 4.5 लाख शिक्षकों को शामिल किया जाएगा ताकि शिक्षकों के आपरेशन ब्लैक बोर्ड की सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके और शिक्षा के न्यूनतम स्तर, कार्यनीति के प्रति उन्मुख किया जा सके जिसमें भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया जाए।
* देश के 4 जिलों में प्रायोगिक आधार पर शिक्षक केन्द्र/ब्लॉक स्तर संसाधन केन्द्र स्थापित करना। 1987-88 से अब तक की अवधि के दौरान योजना की उपलब्धियां नीचे सारणी में दर्शाई गई हैं:-

क्रम संख्या	**नामावली**	**संचयी उपलब्धियां** 15.2.94 **तक**
1.	खर्च की गई राशि (करोड़ रुपये में)	325.87
2.	शिक्षक के जन-प्रबोधन के कार्यक्रम के अंतर्गत 1986-90 के दौरान अनुस्थापित किए गए शिक्षकों की संख्या लाख में	17.62
3.	संस्वीकृत किए गए जिला शिक्षक शिक्षा संस्थानों की संख्या	363

4. संस्वीकृत किए गए शिक्षक शिक्षा कालेजों की संख्या 53

5. संस्वीकृत किए गए उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या 22

6. शामिल किए गए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 28

5.6.2 योजना अब सभी राज्यों तथा दिल्ली, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा पाण्डिचेरी के संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 1992-93 के दौरान, 40 डी आई ई टी, 22 सी. टी. ई. तथा 10 आई ए एस ई को संस्वीकृति प्रदान की गई।

5.6.3 डी आई ई टी/सी टी ई के संकाय सदस्यों के व्यावससयिक विकास के लिए रा० शै० अ० प्र० परिषद्/नीपा द्वारा 18 कार्यक्रम चलाए गए। इन कार्यक्रमों में 435 प्रतियोगियों ने भाग लिया।

5.6.4 डी आई ई टी/सी. टी. ई./आई.ए. एस. ई. की स्थापना प्रारम्भ करने की एक लम्बी गतिविधि है। इसको ध्यान में रखकर आवश्यक भवनों को बनाने और पदों के सृजन तथा भरने में समय लगता है। फिर भी 260 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान 31 सी टी ई चालू हो गए हैं तथा इन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन शुरू कर दिया है।

5.6.5 राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को सुदृढ़ बनाने के लिए सहायता की पद्धति को अंतिम रूप दे दिया गया तथा राज्यों/सघशासित प्रदेशों से यह कहा गया है कि वे अपना-2 प्रस्ताव तैयार करें। इस संघटक के कार्यन्वयन के शीघ्र शुरू हो जाने की संभावना है।

5.6.6 प्राथमिक शिक्षकों के लिए विशेष प्रबोधन कार्यक्रम पहले से ही शुरू कर दिया गया है।

5.6.7 राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के क्षेत्रीय शिक्षा कालेज अपने-2 जिलों में शिक्षक केन्द्र/ब्लाक स्तरीय संसाधन केन्द्र स्थापित करने के लिए ब्यौरे तैयार करने का कार्य कर रहे हैं।

5.6.8 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.पी.ई.) में यह कहा गया हैं कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (एन. सी. टी. ई.) को शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को प्रत्यायित करने तथा पाठ्यचर्या व पद्धतियों के बारे में दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए आवश्यक संसाधन और क्षमता उपलब्ध कराई जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् को शिक्षक शिक्षा प्रणाली के मार्गदर्शन में सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् के गठन में अंतर्निहित समस्याओं को महसूस करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वियन के लिए 1986 में तैयार की गई कार्रवाई योजना में इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

5.6.9 सांविधिक राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् के मुख्य कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

क) शिक्षक शिक्षा के मानक निर्धारित करने तथा उन्हें बनाए रखने के लिए प्रविधि का निर्माण करना,

ख) घटिया कदाचारी संस्थाओं को हटाने के विचार से शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को विनियमित करना,

ग) शिक्षकों की सतत शिक्षा पर बल देना, और

घ) प्रशिक्षित शिक्षकों की मांग और आपूर्ति के बीच व्याप्त अंतराल को हटाना।

5.6.10 राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् विधेयक, 1993 लोकसभा द्वारा 14.5.93 तथा राज्य सभा द्वारा 9.12.93 को पारित कर दिया गया है। सांविधिक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को कार्यशील बनाने की कार्रवाई की जा रही है।

बाल भवन सोसायटी, भारतः

5.7.1 बाल भवन सोसायटी, भारत (बी. बी. एस. आई.) नई दिल्ली भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की पहल पर वर्ष 1955 में भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई थी। यह शिक्षा विभाग द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित एक स्वायत्त संगठन है। सोसायटी 5-16 वर्षो के आयुवर्ग के बच्चों के बीच सृजनात्मक कार्यकालापों को बढ़ावा देबे में योगदान देती रही है। बाल भवन में विशेष तौर पर समाज के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे तथा अन्य सृजनात्मक / प्रदर्शन कलाओं, पर्यावरण, खगोल - विज्ञान, छाया चित्रण, समेकित कार्यकलापों, शारीरिक कार्यकलापों से लेकर विज्ञान से संबधित कार्यकलापों तक के अपनी रुचि के कार्यकलापों में शामिल होने के लिए आते हैं। सोसायटी के 52 बाल भवन केन्द्र हैं जो दिल्ली भर में फैले हैं और यह एक श्रीनगर स्थित तथा दूसरा मंडी स्थित-- दो जवाहर बाल भवनों को निधियां भी प्रदान कर रही है। बाल भवन का राष्ट्रीय प्रशिक्षण संसाधन केन्द्र शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों सहित इच्छुक व्यक्तियों को प्रणाली- विज्ञान में प्रशिक्षण प्रदान करता है। देश में राज्य जिला बाल भवन, बाल भवन सोसाइटी, भारत से संबद्ध होते हैं जो उन्हें सामान्य दिशा- निर्देश, प्रशिक्षण, सुविधाएं तथा सूचनाएं प्रदान करती है। बाल भवन का उद्देश्य स्वतंत्र और प्रसन्नता के वातावरण में बच्चों का चहुमुखी विकास करना है।

5.7.2 23 मार्च से 25 अप्रैल, 93 तक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली के सहयोग से 1500 मीटर से भी अधिक लम्बी नक्काशी चित्रकारी "चित्रावली" की प्रदर्शनी आयोजित की गई। प्रौढ़ व्यावसायिकों की मदद से बच्चों के एक दल ने "डॉन पेंच" का मंचन किया। जून में पांच सप्ताह की लम्बी अवधि वाली पारम्परिक कला और शिल्प कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें प्रवीण शिल्पकार बाल भवन सोसायटी में आए और बच्चों को शिक्षण प्रदान किया। जून, 93 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के साथ कठपुतली कार्यशाला लगाई मई और एक प्रदर्शन किया गया।

5.7.3 1 से 5 जून, 93 तक पर्यावरण सप्ताह मनाया गया। पूरे सप्ताह भर कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण से संबधित विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन किया गया। पहली बार 10-11 सितम्बर, 93 तक बाल भवन में बालकों के लिए लिखने वाले लेखकों की दो दिवसीय राष्ट्रीय बैठक आयोजित की गई। बच्चों द्वारा बच्चों को और बच्चों के लिए बाल पत्रिका "अक्कड़ बक्कड़" का विमोचन किया गया।

5.7.4. 22 से 25 सितम्बर, 93 तक दमन में चतुर्थ पर्यावरण-विशेषज्ञों को सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्पूर्ण देश के बच्चे एकत्रित हुए और पर्यावरण के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। 1 अक्तूबर, 93 को बाल भवन सोसायटी, भारत में विश्व आवास दिवस मनाया गया जिसमें "महिला और आवासीय विकास" विषय के साथ तत्काल चित्रकारी कार्यकलाप का आयोजन किया गया। 2000 से अधिक बच्चों ने इस कार्यकलाप में भाग लिया और इसी विषय पर एक पुस्तिका भी प्रकाशित की गई।

5.7.5 बी. बी. एस. आई. राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का जिला समन्वयक है। जिला स्तरीय बैठकें प्रगति पर हैं और राष्ट्रीय बैठक दिसम्बर, 93 में होनी निर्धारित है। बाल दिवस 14 नवम्बर, 93 को मनाया गया जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल श्री पी. के. दवे मुख्य अतिथि थे। राष्ट्रीय बाल सभा और अखंडता कैम्प 19 से 24 नवम्बर, 93 को बाल भवन में आयोजित किया गया था जिसमें सभी राज्य बाल भवनों से आए बच्चों और लाभ वंचित वर्गों के बच्चों ने भाग लिया। सम्पूर्ण कार्यक्रम सूर्य पर्व के रूप में मनाया गया और प्रत्येक

दिवस को ऋतु का नाम दिया गया। श्री कर्ण सिंह ने उद्घाटन किया और श्रीमती सोनिया गांधी समापन कार्यक्रम में आईं। बच्चों ने ऋतु के अनुसार कार्यकलापों का प्रदर्शन किया और विशेष समय के शिल्पों का आयोजन किया गया। 19 नवम्बर को वृहद चित्रकारी कार्यकलाप का आयोजन किया गया जिसका विषय "मिट्टी और पानी का संरक्षण" था और जिसमें 2500 से अधिक बच्चों ने भाग लिया।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

5.8.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति और इसकी कार्रवाई योजना को ध्यान में रखते हुए, प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के शीर्षक से एक नई पहल की गई है। इस कार्यक्रम में प्राथमिक शिक्षा विकास पर व्यापक विचार-विमर्श किया जाता है और जिला विशिष्ट आयोजना तथा पृथक लक्ष्य- निर्धारण के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए कार्यनीति को संचालित करना चाहता है यह कार्यक्रम आयोजना तथा प्रबन्ध के लिए सहभागी प्रक्रियाओं पर अत्यधिक बल देता है, यह महिला पुरुषों पर विशेष ध्यान देता है और यह शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध में निवेशों के माध्यम से स्कूल की कारगरता में वृद्धि करना चाहता है। यह कार्यक्रम सभी स्तरों पर क्षमता तैयार करने पर बल देता है चाहे उनका स्तर राष्ट्रीय, राज्य अथवा स्थानीय हो और ऐसी कार्यनीतियां विकसित करना चाहता है जिनको दुहराया जा सकता है और जारी रखा जा सकता है।

5.8.2 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जिलों का चयन उस मानदंड के आधार पर किया जाता है जहां महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत (1991 की जनगणना) से कम है और जहां पूर्ण साक्षरता अभियान प्रारम्भिक शिक्षा की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने में सफल रहे हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 5 से 7 वर्ष तक अवधि से भी अधिक समय के लिए प्रति जिला 30 से 40 करोड़ रुपये तक की परिकल्पना की गई है। भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच हिस्से दारी का पै 85% केन्द्रीय सहायता और 15% राज्य का होगा। सभी 230 जिलों जिनकी महिला साक्षरता दर कम है, को शामिल करने के लिए ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को व्यापक बनाने का विचार है और वे जहां साक्षरता अभियान चरणबद्ध ढंग से सफल रहे।

5.8.3 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल अनुमानित परिव्यय 1950 करोड़ रुपये है जिनमें से 1720 करोड़ रुपये बाह्य संसाधनों से हैं। शेष 230 करोड़ रुपये घरेलू संसाधनों से आएंगे जिनमें से 5 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष परियोजना तैयार करने में खर्च किए जाएंगे तथा शेष उत्तर पूर्वी राज्यों में जि० प्र० शि० का० की परियोजना के लिए खर्च किए जाएंगे।

माध्यमिक शिक्षा

6

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण

6.1.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1992 के अनुसार, व्यावसायिक शिक्षा एक सुनियोजित कार्यक्रम फरवरी, 1988 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यक्षेत्र के प्रति छात्रों में एक स्वस्थ्य दृष्टिकोण विकसित करने, व्यक्तिगत रोजगार योग्यता बढ़ाने, कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर को कम करने और किसी विशेष रुचि अथवा उद्देश्य के बिना उच्च शिक्षा प्राप्त करने का इरादा रखने वालों के लिए विकल्प प्रदान करना है। संशोधित नीति में निर्धारित लक्ष्य 10 प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक छात्रों को 1995 तक और 25 प्रतिशत को 2000 ईशवी तक व्यावसायिक विषयों में ले जाने का है।

6.1.2 सतत आधार पर नीति के प्रतिपादन और कार्यान्वयन में विशेषज्ञ निवेश की व्यवस्था करने के उद्देश्य से, संयुक्त व्यावसायिक शिक्षा परिषद (राष्ट्रीय स्तर पर) और इसी प्रकार के संगठन की राज्य स्तरों पर स्थापित किए गए हैं। संयुक्त व्यावसायिक शिक्षा परिषद के कार्यों का निष्पादन करने हेतु सं०व्या०शि० परिषद की एक स्थायी समिति गठित की गई है। सामान्य प्रक्रिया में, स०व्या०शि० परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार और स्थायी समिति की बैठक बारम्बार होनी है। अभी तक सं०व्या०शि० परिषद की दो बैठकें और स्थायी समिति की चार बैठकें आयोजित की गई हैं।

6.1.3 केन्द्र, राज्य, जिला और स्कूल स्तरों पर प्रशासनिक संरचना स्थापित की गई है। तदनुसार, कार्यक्रम के कार्यान्वयन की देखभाल करने हेतु केन्द्रीय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा ब्यूरो चल रहा है। प्रमुख राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य स्तर पर पृथक ढांचा गठित किया है यद्यपि जिला स्तरीय ढांचे गठित करने हेतु प्रावधान किया गया है फिर भी सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने विभिन्न कारणों से ऐसे ढांचे नहीं बनाए हैं। तथापि, स्कूलों/संस्थाओं में अधिकांश मामलों में शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है।

6.1.4 रा० शै० अ० प्र० परिषद ने कहा प्रमुख क्षेत्रों में 82 क्षमता आधारित पाठ्यचर्याएँ विकसित की हैं जिन्हें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने विशिष्ट क्षेत्र में इन पाठ्यक्रमों की आवश्यकता और प्रासंगिकता के आधार पर संशोधन करके अपना सकते है। जैसाकि सिफारिश की गई है, कुल शिक्षा समय का 70 प्रतिशत समय, व्यावसायिक सिद्धांत और अभ्यास के लिए नियत किया गया हैं। शेष समय सामान्य आधार पाठ्यक्रमों के अध्ययन और भाषा पाठ्यक्रम को आबंटित किया जाता है। कार्य पर प्रशिक्षण पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य अंग है।

6.1.5 इस योजना ने पाँच से अधिक वर्ष पूरे कर लिए हैं और यह लक्षद्वीप को छोड़कर, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही हैं। सातवीं योजना के अन्त तक 2742 स्कूलों में 7,888 व्यावसायिक सैक्शन स्वीकृत किए गए थे जिनमें कक्षा 11 और 12 में छात्रों का नामाकन 3.91 लाख था। इसके अतिरिक्त वचनबद्ध देयता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1992-93 के अन्त तक

व्यावसायिक सेक्शन स्वीकृत किए गए थे। इस प्रकार वर्ष 1992-93 के अन्त तक व्यावसायिक धारा में 7.13 लाख छात्रों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं। तथापि वास्तविक नामांकन कम होने की संभावना है क्योंकि सृजित की गई सुविधाओं का इष्टतम उपयोग नहीं किया जा सकता। चालू वर्ष अर्थात 1993-94 के दौरान, कार्यक्रम में कोटिपरक सुधार पर मुख्य बल दिया जाता है, इस प्रकार कार्यक्रम के अधिक विस्तार को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा।

6.1.6 नीति में स्कूल के बीच में छोड़ जाने वालों, नव-साक्षरों आदि के लिए गैर औपचारिक, लचीले, और आवश्यकता आधारित व्यावसायिक-कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। अतः योजना में, स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्रारंभ किए गए व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में नवीन कार्यक्रमों के वित्त पोषण का प्रावधान है। अभी तक 14 स्वैच्छिक संगठनों को योजना के अन्तर्गत सहायता प्रदान की गई है।

6.1.7 योजना के अन्तर्गत अध्ययन की अवधि के दौरान तथा पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद दोनों स्थितियों में छात्रों के व्यावसायिक प्रशिक्षण पर पर्याप्त बल दिया गया है। जमा दो स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के उत्तीर्ण छात्रों को शामिल करने के लिए 1986 में प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 में संशोधन किया गया था। तदोपरान्त, प्रशिक्षुता नियमों में सितम्बर, 1987 में तथा बाद में अप्रैल, 1988 में संशोधन किया गया था। प्रशिक्षुता अधिनियम के अन्तर्गत अभी तक 60 व्यावसायिक विषय क्षेत्रों में शामिल किया गया है ताकि व्यावसायिक पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण छात्र प्रशिक्षुता योजना से लाभान्वित हो सकें।

6.1.8 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने भर्ती नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता के संबंध में मंत्रालयों से कहा है ताकि व्यावसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले छात्र सरकारी नौकरियों के पात्र हो सकें। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को इस दिशा में उपयुक्त रूप से सलाह दी गई है। शिक्षा विभाग ने विभिन्न विभागों तथा संगठनों की अपने-अपने अधीन उपलब्ध पदों के बारे में विभाग वाद स्थिति की पुनरीक्षा करने के लिए अन्तरमंत्रालीय समिति भी गठित की है। जिसके संबंध में व्यावसायिक प्रशिक्षण वाले व्यक्तियों को वरीयता दी जा सकती है। अभी तक इस समिति की दो बैठकें आयोजित की गई हैं जिसमें से एक बैठक 15.9.92 को तथा दूसरी बैठक 15.6.93 को आयोजित की गई।

6.1.9 +2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की कुल मिलाकर, स्वाभाविक रूप से सात्रिक होने की संभावना है। तथापि, इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए कि व्यावसायिक विकास तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के उत्तीर्ण छात्रों की वृत्तिका उन्नति के लिए इंकार नहीं किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन विषय-क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एक और समिति गठित की है जिसके लिए विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में व्यावसायोन्मुख डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम विकसित किए जा सकते हैं। समिति ने 24.9.93 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अवर-स्नातक स्तर पर 35 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का सुझाव दिया है।

6.1.10 शिक्षा विभाग ने व्यावसायिक छात्रों के लिए तैयार नियोजन को सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ताओं की आवश्यकताओं के लिए विशिष्ट विशेष व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आरंभ करने के प्रश्न को उठाया है। इस दिशा में प्रयास सामान्य बीमा निगम, जीवन बीमा निगम, रेल मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय हस्तशिल्प बोर्ड, विकासयोजनायुक्त आदि के साथ बहुत ही ज्यादा सफल रहे हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सामान्य बीमा निगम और जीवन बीमा निगम के सहयोग से समूचे देश के क्रमशः 18 और 20 स्कूलों में बीमा में दो वर्षीय रोजगारोन्मुख व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार किए हैं। रेल मंत्रालय ने 9 रेलवे जोनो के मुख्यालयों में स्थित 9 स्कूलों में रेलवे कमर्शियल स्टाफ के लिए विशेष व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिल्ली के 5 स्कूलों में चिकित्सा-प्रयोगशाला, तकनीशियन एक्स-रे, तकनीशियन नेत्र-तकनीशियन और सहायक परिचर्या-प्रसूति विद्या नामक स्वास्थ्य से संबंधित 44 पाठ्यक्रम आरंभ किए हैं। दिल्ली प्रशासन ने चालू वर्ष के दौरान अन्य स्कूलों में भी इन पाठ्यक्रमों को

आरंभ करने का प्रस्ताव दिया है। रा०रा०अनु०प्र०परि० ने स्वास्थ्य संबंधी 8 पाठ्यक्रम आरंभ किए हैं और चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन तथा बहु-प्रयोजन बुनियादी स्वास्थ्य कामगार (पुरुष) के लिए पाठ्यपुस्तकें तैयार की हैं जिनका उपयोग राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर सकते हैं।

6.1.11 प्राइवेट औद्योगिक उद्यम के परामर्श से उद्योग के साथ संपर्क स्थापित करते हुए निम्नलिखित क्षेत्रों का पता लगाया गया है :

व्यावसायिक छात्रों को प्रशिक्षण सुविधाओं का प्रावधान।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण।

पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद प्रशिक्षुता प्रशिक्षण का प्रावधान।

पाठ्य विवरण तथा अध्ययन सामग्री तैयार करने में सहायता।

इस मामले पर सी.एस.एस.सी.आई.बी.ई. द्वारा पत्राचार किया जा रहा है।

6.1.12 रा.शै.अनु.प्रशि.परि. के व्यावसायिक शिक्षा विभाग (अब पी. एस.एस.सी.आई.बी.ई. नाम दिया गया है) ने सात प्रमुख राज्यों में शीघ्र मूल्य निर्धारण अध्ययन आरंभ किए है। राज्य सरकारों द्वारा जिन मुद्दों पर कार्रवाई की जानी है, उनके बारे में उन्हें सूचित कर दिया गया है।

6.1.13 कार्यक्रम क्रियान्वयन के विभिन्न पहलुओं की आवश्यक सूचना प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा हेतु एवं संगणकीकृत प्रबन्ध सूचना पद्धति तैयार की गई है। राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) ने इस विभाग और राष्ट्रीय शै. अनु. प्र. परि. के सहयोग से दो दिशा निर्देशी रूप रेखायें तैयार की हैं। एक संघ प्रारूपों को भरने के लिए तथा दूसरी इस प्रयोजनार्थ तैयार किए गए कम्प्यूटर-साफ्टवेयर के जरिए निवेशन के लिए।

6.1.14 केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान जिसका नाम पं. सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान रखा गया था, की स्थापना रा. शै. अनु. प्र. परि. के समग्र तत्वावधान में 1 जुलाई, 1993 को भोपाल में की गई थी। संस्थान, व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास संगठन के शीर्ष स्तर के रूप में कार्य करेगा। स्तर संस्वीकृत करने तथा उनकी नियुक्ति, भूमि का विकास, भवन-निर्माण और अन्य संबंधित अन्य औपचारिकताओं पर कार्रवाई राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है।

6.1.15 जैसी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिकल्पना की गई हैं, निम्न माध्यमिक स्तर पर पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा की योजना, चालू वर्ष अर्थात 1993-94 से आरंभ कर दी गई है। इस योजना का उद्देश्य कक्षा 9 तथा 10 के छात्रों को साधारण विषय-कौशलों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, व्यावसायिक रुचियाँ विकसित करने के लिए, कार्य में सहभागिता के लिए छात्रों को तैयार करने हेतु व्यावसायिक वरीयता के स्वतः गवेषणा के लिए अनुमति प्रदान के हेतु तथा संस्कृति कार्य से संबंधित वांछित मूल्यों को मन में बैठाने का है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में लगभग 1000 स्कूलों में पूर्व-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है। इस योजना के लिए 19.62 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। वर्ष 1993-94 के लिए वार्षिक परिव्यय 2.32 करोड़ रुपये है।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी

6.2.1 यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना है, जिसमें केन्द्र योजना स्कीम के कुछ अंश शामिल हैं। केन्द्र द्वारा प्रायोजित फार्मेट में यह योजना प्राथमिक विद्यालयों में "रेडियो कम कैसेट प्लेयर" की पूरी लागत और उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों में रंगीन टी.वी. की 75% लागत के प्रावधान पर प्रस्ताव करती हैं। यह वितरण इसलिए किया गया है ताकि स्कूली बच्चे और शिक्षक गुणात्मक शिक्षा प्राप्त कर सकें। इन स्कूलों के लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करने के लिए उ.प्र., बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में छः स्वायत्त राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान भी इस योजना के अंतर्गत वित्त-पोषित किए गए हैं।

6.2.2 केन्द्र योजना क्षेत्र में यह योजना केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.ई.टी.) को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं जो कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान की एक संघटनात्मक इकाई है जिसे दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारण हेतु स्कूल क्षेत्र के कार्यक्रम तैयार करने के लिए निधि प्रदान की जाती है।

6.2.3 मौजूदा रूप से दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारण हेतु स्कूल क्षेत्र के सभी कार्यक्रम केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान और राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा तैयार किए जा रहे हैं और इनका वित्त-पोषण इस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। आकाशवाणी के लिए कार्यक्रमों को स्कूल क्षेत्र द्वारा तैयार किया जा रहा है।

6.2.4 योजना की प्रगति रिपोर्ट देते हुए यह उल्लेखनीय है कि अब तक 281616 रेडियो कम कैसेट प्लेयर और 40729 रंगीन टी.वी. सैटों का वितरण हो चुका है। केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानों और राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानों ने मिलकर स्कूल क्षेत्र के लिए 3921 टी.वी और 1100 श्रव्य कार्यक्रम तैयार किये हैं। केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान ने स्कूली बच्चों को भारतीय भाषाएँ सिखाने के लिए कैसेट भी तैयार किए हैं।

6.2.5 शिक्षा और संस्कृति संबंधी भारत-अमेरिका उप-आयोग के संरक्षण में मई 1993 में परस्पर क्रिया अध्ययन, क्लासरूम 2000 ई. के साथ दूरस्थ शिक्षा में एक नवीन और प्रयोगात्मक परियोजना आरंभ की गई थी। इसमें देश के विभिन्न भागों में स्थित स्कूलों को एक केन्द्रीय सुविधा प्रदान करने के माध्यम से "जीवन" का शिक्षण शामिल था। इन स्कूलों में शामिल बच्चे शिक्षक के साथ "जीवन" पर परस्पर क्रिया में और कम्प्यूटर कुंजी पटलों के माध्यम से बहु-चयन वस्तुनिष्ठ किस्म के प्रश्नों को हल कर सकने में सक्षम थे। इस परियोजना के मूल्यांकन ने इसकी सफलता दर्शाई है। इसे अधिक संख्या में स्कूलों में लागू करना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

6.2.6 आठवीं योजना अवधि के लिए 108 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। इस योजना को इसके मौजूदा स्वरूप में ही लागू करने का प्रस्ताव है। उन क्षेत्रों में इस योजना के प्रभाव का अध्ययन करने का भी प्रस्ताव है जहाँ इसे शिक्षा के गुणात्मक सुधार हेतु लागू किया गया था।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी : उपलब्धियाँ

	1987-88 से 1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	कुल
खर्च की गई राशि (रु. करोड़ में)	46.84	14.57	14.00	14.00	---	89.41
शामिल राज्यों की संख्या (संचित)	31	32	32	32	---	32
वितरित टी.वी. सैटों की संख्या	24897	6232	6000	3600	---	40729
वितरित किए गए रेडियो एवं कैसेट प्लेयर की संख्या	155222	72883	28453	25058	---	281616

सतत योजनाएँ

1. सी.आई.ई.टी. को निर्मुक्त राशि (रु. करोड़ में)	11.52	2.37	2.00	1.18	---	17.07
2. एस.आई.ई.टी. को निर्मुक्त राशि (रु. करोड़ में) 6 इनसैट राज्य: आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, और उत्तर प्रदेश	5.13	0.44 (योजनागत) 0.45 (योजनेतर)	2.34	3.73	1.23	12.87 (योजनागत) 0.45 (योजनेतर)
3. ई.टी. सैल को निर्मुक्त राशि (रु. करोड़ में)	1.02	---	---	---	---	1.02
4. टी.वी.एस.आर. सी.सी.पी.एस. के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को निर्मुक्त राशि	28.94	11.66	9.46	*9.07	---	59.13
5. आर.सी.सी.पी.एस. के लिए साफ्टवेयर का विकास (रु. करोड़ में)		0.10	0.19	0.02	---	0.31

* दरों में विभिन्नता

विज्ञान शिक्षा

6.3.1 जैसाकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में परिकल्पना की गई है, विज्ञान शिक्षा की कोटि में सुधार तथा वैज्ञानिक प्रकृति को प्रोन्नत करने के उद्देश्य से 1987-88 के अंतिम त्रैमासिकी के दौरान "स्कूलों में विज्ञान शिक्षा का सुधार" केन्द्रीय प्रायोजित योजना आरंभ की थी। योजना का लक्ष्य स्कूलों में प्रयोगशाला व पुस्तकालय सुविधाओं को सुदृढ़ करके, अध्यापक उत्प्रेरक व क्षमता में सुधार करके तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा विज्ञान शिक्षा के लिए अभियान चलाकर तथा विज्ञान व गणित अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देकर इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य सरकारों व गैर-सरकारी संगठनों के संसाधनों व ऐजेंसी का प्रयोग करना है। तदनुसार इस योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और स्वायत्त एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

6.3.2 जहाँ एक ओर स्वायत्त एजेंसियों को प्रयोगात्मक और नवीन कार्यक्रम चलाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है वहीं दूसरी ओर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सहायता उच्चतर प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान किट प्रदान करने, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाओं के उन्नयन और सशक्त बनाने, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को विज्ञान पुस्तकें तैयार करने और विज्ञान और गणित शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दी जाती है।

6.3.3 सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 1987-88 से 1992-93 की अवधि के दौरान इस

योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई है। 21 स्वायत्त एजेंसियाँ विभिन्न नवीन कार्यक्रम चलाने के लिए सहायता प्राप्त कर चुकी हैं। अध्यक्ष, शिक्षा विभाग, विज्ञान और गणित, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की संयोजकता में गठित मूल्यांकन समिति मौजूदा रूप से योजना को लागू करने का मूल्यांकन कर रही है।

6.3.4 वर्ष 1987-88 से 1993-94 के दौरान हुई उपलब्धियाँ निम्न प्रकार से सारणीबद्ध हैं :-

विज्ञान शिक्षा उपलब्धियाँ

	सातवीं योजना	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94*	कुल
व्यय की गई राशि (रुपये करोड़ में)	80.03	20.59	18.98	24.94	22.11	166.65
शामिल किए गए राज्यों/संघ शासित प्रशासनों की संख्या शामिल किए गए स्कूलों की संख्या :	30	24	12	14	15	32
1. उच्च प्राथमिक (विज्ञान किट)	42,398	5,791	7,880	11,678	5,000	72,747
2. माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक (पुस्तकालय सहायता)	16,382	3,843	3,671	5,179	2,350	31,425
3. माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक (प्रयोगशाला सहायता)	15,073	3,981	3,783	5,849	2,950	31,636
जिला संसाधन केन्द्र प्राप्त संस्थानों की संख्या*	115	57	26	---	---	198
संचित रूप से शामिल की गई स्वैच्छिक ऐजेंसियों की संख्या (नवाचार कार्यक्रमों के लिए)	13	7	14	7	8	25

* प्रत्याशित
** यह आठवीं योज़ना के दौरान सहायता के पात्र नहीं बन सके।

6.3.6 आठवीं योजना के दौरान योजना को 120 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। योजना को जारी रखने के लिए सक्षम प्राधिकारी का आवश्यक अनुमोदन लिया जा चुका है।

अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलम्पियाड

6.4.1 स्कूल स्तर पर गणित में प्रतिभा का पता लगाने और प्रोत्साहित करने के विचार से, अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलम्पियाड (आई. एम. ओ.) प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। भारत 1989 से इस ओलम्पियाड में भाग ले रहा

है। प्रत्येग भाग लेने वाले देश को एक दल भेजना अपेक्षित है जिसमें अधिक से अधिक 6 माध्यमिक स्कूल प्रतियोगी छात्र, एक दल नेता, एक उप-दल नेता शामिल होंगे।

6.4.2 मौजूदा वित्तीय पैटर्न के अनुसार, मेजबान देश उसके देश में ठहरने के दौरान भाग लेने वाले दलों का भोजन और आवास और यातायात खर्च अदा करता है जबकि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का खर्चा भाग लेने वाले देश द्वारा वहन किया जाता है। पिछले चार ओलम्पियाड में भारतीय दल को शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय उच्च गणित बोर्ड (एन.बी.एच.एम.) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का व्यय शिक्षा विभाग द्वारा वहन किया गया था और छात्रों के चयन, आंतरिक यात्रा, आकस्मिक खर्चे इत्यादि राष्ट्रीय उच्च गणित बोर्ड द्वारा वहन किए गए थे।

6.4.3 एक आठ सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जिसमें 6 प्रतियोगी छात्र, एक दल नेता और एक उप-दल नेता शामिल है, ने जुलाई, 1993 के दौरान इस्तनबुल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलम्पियड में भाग लिया। भारत ने 73 भाग लेने वाले देशों में से 15वां स्थान पाया भारतीय दल ने 4 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। जुलाई, 1994 में हांग-कांग में आयोजित होने वाले आई.एम.ओ. -1994 में भारत के भाग लेने से संबंधित प्रस्ताव वित्त मंत्रालय में विचाराधीन है। आई.एम.ओ. 1996 में भारत में आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलम्पियाड स्थल समिति को आवश्यक पुष्टि से अवगत करा दिया गया है।

स्कूल शिक्षा में पर्यावरण बोध को शामिल करना

6.5.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि पर्यावरण सुरक्षा एक ऐसा नैतिक मूल्य है जिसे शिक्षा के सभी स्तरों पर कुछ अन्य नैतिक मूल्यों के साथ पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग होना चाहिए। इसका मूल उद्देश्य प्रभावशाली व रचनात्मक स्तर पर आने वाली पीढ़ी के मस्तिष्क बुद्धि को प्रकृति की सीमाओं का शोषित करने वाली रुकावटों के बारे में जानकारी देना था तथा पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित बुनियादी पहलुओं के लिए उनके बीच जागरूकता व समादर उत्पन्न करना है।

6.5.2 इसके लिए 1988-89 के दौरान स्कूल शिक्षा के लिए पर्यावरण दिग्विन्यास की केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना आरंभ की गई थी। योजना शिक्षा विभाग द्वारा उन राज्यों/संघ शासित प्रशासनों व गैर-सरकारी कार्यालयों को सहायता देकर कार्यान्वित की जा रही है, जिनकी नवीनतम योजनाओं द्वारा पर्यावरण संबंधी शिक्षा देने में विशेषज्ञता व रूचि है। राज्यों/संघ शासित प्रशासनों को परियोजना आधार पर विभिन्न कार्यकलाप आरंभ करने के लिए योजना के अधीन सहायता प्रदान की जाती है।

6.5.3 राज्य/संघ शासित प्रदेश में एक "कृषि जलवायु विषयक क्षेत्र" परियोजना का क्षेत्र है। परियोजना क्रियाकलापों में, पर्यावरणिक अवधारणाओं को शामिल करने, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तरों पर "पर्यावरणिक अध्ययन की पाठ्य-पुस्तकों के पुनरीक्षण व विकास, उच्च प्राथमिक स्तर पर पर्यावरणिक शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति की समीक्षा, अध्ययन-अध्यापन सामग्री के विकास, उपयुक्त नवाचार कार्य अनुभव क्रियाकलापों के आयोजन आदि के उद्देश्य से प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर विभिन्न क्षेत्रों के पाठ्यचर्या की समीक्षा व विकास शामिल है।

6.5.4 स्थानीय पर्यावरणिक परिस्थितियों के साथ स्कूलों में शैक्षिक कार्यक्रमों के संघटन को प्रोन्नत करने पर लक्षित प्रयोगात्मक व नवाचार कार्यक्रम आयोजित करने के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता प्रदान की जाती है। योजना में प्राथमिक व उच्चतर प्राथमिक अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए निर्देशात्मक सामग्री के विकास हेतु क्षेत्रीय कार्यशालाएँ आयोजित करने व क्षेत्रीय भाषाओं में उसके अनुवाद के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद् को सहायता देने की परिकल्पना की गई है।

6.5.5 8वीं योजना के दौरान योजना को जारी रखने के लिए 10 करोड़ रु० का व्यय अनुमोदित किया गया है।

6.5.6 1987-88 से 1993-94 के दौरान उपलब्धियों का सारांश नीचे सारिणी में दिया गया है:-

स्कूल शिक्षा में पर्यावरण बोध को शामिल करना

	7वीं योजना	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94*	कुल
व्यय की गई राशि (रु० करोड़ में)	3.57	2.00	1.81	1.80	1.24	10.42
शामिल किए गए राज्यों/संघशासित प्रदेशों की संख्या	20	8	9	17	10	25
संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	32	6	9	1	5	53
सहायता प्राप्त स्वैच्छिक निकायों की संख्या	10	7	5	4	8	20

* अनुमानित

क्लास परियोजना

6.6.1 इलैक्ट्रोनिक्स विभाग ने मानव विकास मंत्रालय के सहयोग से, वर्ष 1984-85 में परिवर्णी शब्द, क्लास के साथ स्कूलों में संगणक साक्षरता व अध्ययन में पायलट परियोजना आरंभ की है। इस पायलट परियोजना के मुख्य लक्ष्यों में संगणक का डिमाईस्टीफिकेशन, संगणक प्रयोग से छात्रों को अवगत कराना तथा उन्हें अनुभव देना शामिल है।

6.6.2 अभी तक इस परियोजना के अंतर्गत 2598 स्कूल शामिल किए गए हैं। वर्ष 1986-87 तक स्कूलों को दो बी. बी. सी. माइक्रो प्रदान किए गए थे जो वर्ष 1987-88 से पांच तक बढ़ा दिए गए थे। अब तक इस परियोजना पर 44.30 करोड़ रुपयों का व्यय किया जा चुका है।

6.6.3 वर्तमान व्यवस्थाओं के अंतर्गत सी. एम. सी. लिमिटिड स्कूलों में हार्डवेयर के प्रापण, उसे स्थापित करने व उसके रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है, जबकि रा. शै. अ. प्र. परि. शैक्षणिक निवेशों के लिए उत्तरदायी है जिनमें पूरे देश में 61 संसाधन केन्द्रों इंजीनियरी कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के माध्यम से शिक्षक-प्रशिक्षण और अनुवीक्षण भी शामिल है। स्कूलों का चयन सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से किया जाता है।

6.6.4 मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई समीक्षा में देखा गया है कि इसके कार्यान्वयन में अनेक त्रुटियां हैं। इन त्रुटियों में से प्रमुख थीं :-

शामिल एजेंसियों की बहुलता।

स्कूल-समय के बाद शिक्षण।

शिक्षकों का अपर्याप्त प्रशिक्षण और अपर्याप्त शैक्षिक सामग्री।

कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं।

6.6.5 अतः एक संशोधित योजना तैयार की गई है तथा इसे आठवीं योजना के दौरान अपनाने का प्रस्ताव किया गया है ताकि उपर्युक्त कमियों को दूर किया जा सके।

6.6.6 संशोधित कार्य-नीति की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार है :-

एक अकेली एजेंसी (निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र) जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पूर्णकालिक शिक्षक और पठन-सामग्री प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगी, के माध्यम से एक एकीकृत निवेश सुपुर्दगी प्रणाली द्वारा

कार्यान्वयन करना। एजेंसियों का चयन उनके अनुभव, प्रमाणित ट्रैक रिकार्ड और पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं तथा विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाएगा। नए स्कूलों में बी. बी. सी. माइक्रों के स्थान पर 5 निजी कम्प्यूटर प्रदान किए जाएंगे।

स्कूल-समय के अंदर छात्रों को एक निर्धारित पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित करना जिसमें अतिरिक्त भाषाओं और बुनियादी प्रोग्रामिंग कौशल मूल्यांकन परीक्षा की जानकारी भी शामिल हो सकती है।

योजना के अंतर्गत प्रावधान है कि प्रशिक्षक चार शिक्षकों और एक स्टाफ सदस्य को प्रशिक्षित करेगा ताकि वे एजेंसी के साथ प्रारंभिक चार वर्ष की संविदात्मक अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व संभाल सकें।

परियोजना सैल चला रही राज्य सरकारों के साथ परियोजना कार्यान्वयन एकक द्वारा पूर्ण समन्वय संशोधित कार्य-नीति अभी भी ई. एफ. सी. और मंत्रिमंडल के अनुमोदन हेतु लंबित पड़ी है। इस समय यह परियोजना 1989-90 तक शामिल किए गए 2598 स्कूलों में कार्यान्वित की जा रही है।

6.6.7 आठवीं योजना में इस योजना के लिए परिव्यय 146 करोड़ रुपए है।

राष्ट्रीय जन-शिक्षा कार्यक्रम (स्कूल और अनौपचारिक शिक्षा)

6.7.1 स्कूल क्षेत्र मे परियोजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य था शैक्षिक नीतियों और उद्देश्यों से मूल्यांकन तक की सभी शैक्षिक प्रक्रियाओं, जिनमें पाठ्यक्रम निर्धारण, मुद्रित और अमुद्रित सामग्री का विकास तथा शिक्षक प्रशिक्षण जैसे आवश्यक रूप से जुड़े हुए सभी क्षेत्र शामिल होंगे, में जन-शिक्षा को प्रारंभ करना। इस परियोजना के प्रभावी-कार्यान्वयन के लिए राष्ट्र और राज्य दोनों स्तरों पर एक विशेष सांस्थानिक व्यवस्था सामने आई है। अब 29 राज्य/संघ शासित क्षेत्र इस परियोजना के दायरे में शामिल हैं।

6.7.2 इस परियोजना से शामिल होने के बाद राज्यों ने अपने कार्यकलाप आरंभ करने में कुछ समय लिया। तद्नन्तर, आठवीं योजना के दौरान ही समेकन प्रक्रिया ने एक आकार लेना आरंभ किया। तथापि, इस चक्र में भी परियोजना के नेटवर्क का और अधिक विस्तार करना जारी रहा ताकि उच्चतर माध्यमिक स्तर और अनौपचारिक शिक्षा क्षेत्र को भी शामिल किया जा सके। इस परियोजना के बहुआयामी कार्यकलापों के प्राथमिक, अपर प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर छात्रों, शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कार्यकर्ताओं की कवरेज बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्यों ने अनेक प्रकार की शैक्षणिक-सामग्री विकसित की है। वर्ष 1980 से भारत की 17 भाषाओं में 400 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं। इन सामग्रियों में पुस्तिकाएँ तथा मार्गदर्शी पुस्तिकाएँ, पाठ योजना तथा शिक्षण एकक, प्रशिक्षण पुस्तिकाएँ, पूरक पाठक इत्यादि शामिल हैं। राज्यों ने सात प्रकार की मुद्रित दृश्य सामग्री विकसित की है उदाहरणार्थ चार्ट, पोस्टर, कैलेंडर, चित्र-पुस्तकें, रंग-चित्र, एलबम, दीवार समाचार पत्र तथा फ्लैश कार्ड। उन्होंने इलैक्ट्रानिक मीडिया के लिए दृश्य-श्रव्य सामग्री भी विकसित की है।

6.7.3 जन-शिक्षा का प्रभावी एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए रा. शै. अ. प्र. प. ने "जन-शिक्षा का नयूनतम आवश्यक विषय-वस्तु" नामक एक पाठ्यचर्या दस्तावेज तैयार किया है और इसी पर आधारित जन-शिक्षा संबंधी पाठों का एक सार-संग्रह भी तैयार किया है।

6.7.4 1986 में शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रमों को पुन: आरंभ करने की प्रक्रिया और जिला शैक्षिक प्रोद्यौगिक संस्थानों और सी. टी. ई. जैसी नई उभरती हुई बुनियादी सुविधाओं के शुरू होने से परियोजना के कार्यकलाप राष्ट्र और राज्य दोनों स्तरों पर जन-शिक्षा को उनके पाठ्यक्रमों और कार्यकलापों से एकीकृत करने की दिशा में किए जा रहे हैं। राज्यों द्वारा किए जा रहे विशेष प्रयासों से जन-शिक्षा को पाठ्यक्रमों में एकीकृत करने में सहायता मिली है विशेषकर बुनियादी शिक्षक शिक्षा स्तर पर। परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यकलाप, राष्ट्र और राज्य दोनों स्तरों पर दो व्यापक कार्य पद्धतियाँ अपना कर

आयोजित किए गए हैं। (क) स्वतंत्र और (ख) एकीकृत केवल जन-शिक्षा के लिए स्वतंत्र प्रशिक्षण और प्रबोधक कार्यक्रम राष्ट्र और राज्य स्तर पर आयोजित किए गए हैं। परियोजना के दूसरे चक्र अर्थात् 1986-90 के दौरान एकीकृत प्रशिक्षण कार्य-पद्धति और अधिक नियमित रूप से अपनाई गई है। 11,73,426 प्रमुख व्यक्तियों, शिक्षक-प्रशिक्षकों तथा शिक्षकों (बुनियादी, माध्यमिक) को प्रशिक्षण दिया गया है।

6.7.5 सह-पाठ्यचर्या कार्यकलापों के अंतर्गत, ग्रामीण अभिग्रहण कार्यक्रम और जन-शिक्षा तथा प्रयोगशाला कार्यक्रमों जैसे नवीन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, ताकि सामान्य रुचि कायम रखी जा सके तथा विशेष रूप से छात्रों और शिक्षकों में प्रेरणा का एक ऊँचा स्तर बनाए रखा जा सके। हमारा अनुभव है कि छात्रों और शिक्षकों का और अधिक आवेष्टन सुनिश्चित करने और समुदाय सहभागिता को प्रोन्नत करने हेतु सह-पाठ्यचर्या कार्यकलापों में अत्यधिक क्षमता है।

6.7.6 राज्यों में अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में परियोजना के कार्यकलाप पाठ्यचर्या और सामग्री विकास तथा प्रशिक्षण तक सीमित रहे हैं। अधिकतर राज्यों में अध्ययन-अध्यापन सामग्री तैयार करने के लिए जन-शिक्षा सैल एन. एफ. ई. के प्रशासनिक विभागों के साथ सहयोग करते हैं। बेसलाइन सर्वेक्षण से पता चलता है कि मौजूदा एन. एफ. ई. सामग्री में जन-शिक्षा के कुछ तत्व शामिल हैं। तथापि, 14 राज्यों ने जन-शिक्षा (अनौपचारिक-शिक्षा) को एक अलग पाठ्यक्रम तथा अनेक प्रकार की अध्ययन-अध्यापन सामग्री विकसित की है।

6.7.7 तीसरे चक्र के दौरान, विभिन्न पाठ्यचर्या कार्यकलापों के माध्यम से लड़कियों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों पर विशेष ध्यान दिया गया है जिनमें समुदाय सहभागिता पर विशेष बल दिया गया है। जनसंख्या शिक्षा तत्वों को पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकों और अन्य शैक्षिक तथा प्रशिक्षण सामग्रियों में शामिल करने की प्रक्रिया जारी रहेगी। जागृति पैदा करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण श्रव्य-दृश्य सामग्री तथा सह-पाठ्यचर्या कार्यक्रमों को व्यापक रूप से आयोजित किया जाएगा।

6.7.8 पिछले वर्ष के दौरान, इस परियोजना के लिए 67.96 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। चालू वर्ष अर्थात् 1993-94 के दौरान, 98 लाख रुपये का बजट प्रावधान था जिसमें से 40 लाख रुपये की राशि पहले ही विमुक्त की गई है।

वित्तीय आवश्यकताएँ योजनागत (लाख रुपये में)

बजट अनुमान 1993-94	संशोधित अनुमान 1993-94	बजट अनुमान 1994-95 (प्रस्तावित)
98.00	98.00	102.00

विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा

6.8.1 वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध हो चुका है कि अल्प विकलांगों को यदि सामान्य स्कूलों में स्वस्थ बच्चों के साथ-साथ पढ़ाया जाए तो वे शैक्षिक तथा मानसिक रूप से और अधिक प्रगति कर सकते हैं। विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों/स्वैच्छिक संगठनों के लिए स्कूलों में आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता मंजूर की जाती है। व्यय के स्वीकृत मुद्दे हैं - पुस्तकें तथा लेखन-सामग्री का भत्ता, परिवहन भत्ता, वर्दी भत्ता, पढ़नेवालों का भत्ता, (निचले भाग की विकलांगता वाले विकलांगों के लिए), उपकरण भत्ता तथा छात्रावास शुल्क, जहां आवश्यक हो। इसके साथ-साथ योजना में शिक्षकों के वेतन व प्रोत्साहन, संसाधन कक्षों की स्थापना, विकलांग बच्चों का आकलन करना, शिक्षकों के प्रशिक्षण, स्कूलों में वास्तुकला अवरोधों को हटाने, विकलांग बच्चों के लिए विशेष निर्देशात्मक सामग्री के विकास तथा निर्माण आदि का भी प्रावधान है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से चुनिन्दा विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को विकलांग बच्चों के शिक्षण के लिए विशेष शिक्षा पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने के लिए भी सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद् द्वारा चार क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों में भी प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।

6.8.2 विकलांगों के लिए एकीकृत शिक्षा की एक यूनीसेफ सहायता प्राप्त परियोजना भी कार्यान्वित की जा रही है जिसमें सामान्य स्कूलों में विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए संदर्भ विशिष्ट नीतियाँ तैयार करने की परिकल्पना की गई है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान तथा तमिलनाडु के प्रत्येक राज्य में एक-एक ब्लॉक की परिकल्पना की गई है और इस परियोजना के अंतर्गत दिल्ली तथा बड़ौदा के नगर-निगमों को शामिल किया गया है।

6.8.3 इस योजना की समीक्षा की गई है और शिक्षकों तथा शैक्षिक प्रशासकों के प्रशिक्षण, संसाधन कक्षों के निर्माण, ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ करने आदि के लिए वित्तीय सीमाओं में वृद्धि की गई है। कार्रवाई योजना-1992 में सामान्य बच्चों के साथ विकलांगों को एकीकृत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है और इस उद्देश्य के लिए सामान्य बच्चों के सभी शैक्षिक तथा व्यावसायिक कार्यक्रमों में विकलांगों की विशेष आवश्यकताओं का प्रावधान होना चाहिए। इसमें अंतर मंत्रालयीय समेकन समिति को सुदृढ़ करने की सिफारिश की गई है। ताकि यह विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा विकलांगों के कल्याण के लिए कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा व निरीक्षण करने के लिए एक प्रभावी तंत्र बन सके। शैक्षिक प्रशासकों, शिक्षकों, बच्चों तथा बड़ी संख्या में लोगों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है और इस उद्देश्य के लिये कार्रवाई योजना में नियमित आधार पर शैक्षिक प्रशासकों के प्रशिक्षण, शिक्षकों के सेवाकालीन व सेवा पूर्व प्रशिक्षण और इस प्रयोजन के लिए जनसंचार माध्यमों के प्रयोग की सिफारिश की गई है।

8.8.4 इस समय 9,000 स्कूलों में फैले लगभग 35,000 बच्चे इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा रहे हैं। इससे भी बड़ी संख्या में बच्चे विशेष शिक्षकों और अन्य अध्ययन सामग्री के जरिए परोक्ष रूप से लाभ उठा रहे हैं। वर्ष 1993-94 के दौरान, 450 लाख रुपये के बजट प्रावधान में से वास्तव में विभिन्न राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों तथा स्वैच्छिक संगठनों को 402.86 लाख रुपये (15.02 1994 तक) की राशि मुक्त की गई।

युद्ध के दौरान मारे गए या अपंग हो गए सशस्त्र बलों के अधिकारियों तथा सैनिकों के बच्चों को शैक्षिक रियायतें

6.9.1 केन्द्र सरकार तथा अधिकतर राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों ने 1962 के भारत-चीन युद्ध तथा 1965 और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्धों के दौरान मारे गए या स्थाई रूप से अपंग हो गए सैनिकों के स्कूल जाने वाले बच्चों को ट्यूशन फीस भोजन तथा आवासी व्यय, वर्दी पर होने वाले खर्च, पाठ्य पुस्तकों, परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप

में शैक्षिक रियायतें प्रदान की जाती हैं। वर्ष 1988 के दौरान ये रियायतें श्रीलंका में कार्रवाई के दौरान मारे गए/अपंग हो गए आई.पी.के.एफ./सी.आर.पी.एफ अधिकारियों के बच्चों तथा सियाचिन क्षेत्र में मेघदूत कार्रवाई के दौरान मारे गए/अपंग हो गए सशस्त्र बलों के अधिकारियों के बच्चों को भी दी गई।

6.9.2 इस समय यह विभाग केवल ऐसे कर्मचारियों के उन्हीं बच्चों को ये रियायतें प्रदान कर रहा है जो सनावर व लवडेल में किसी लारेंस स्कूल में अध्ययन कर रहे हैं।

स्कूलों में योग शिक्षण योजना

6.10.1 शारीरिक शिक्षा में योग के स्थान को स्वीकार किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय शारीरिक स्वास्थ्य को प्रोन्नत करने में योग की संभावित उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए देश में शारीरिक शिक्षा के विकास के अपने समग्र कार्यक्रम के रूप में योग की प्रोन्नति संबंधी एक योजना कार्यान्वित करता रहा है। इस योजना के अंतर्गत बुनियादी अनुसंधान, शिक्षक प्रशिक्षण तथा चिकित्सा-विज्ञान को छोड़कर योग के अन्य पहलुओं में कार्यक्रमों पर होने वाले अनुरक्षण तथा विकासात्मक व्यय के लिए अखिल भारतीय स्वरूप की योग संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चिकित्सा-विज्ञान संबंधी पहलुओं की प्रोन्नति के लिए योग संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

6.10.2 कैवल्यधाम श्रीमान माध्व योग मन्दिर समिति, लोनावला (पुणे) को अनुसंधान तथा शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए इसके अनुरक्षण तथा विकासात्मक, दोनों प्रकार के व्यय के वास्ते इस योजना के अंतर्गत अभी भी सहायता दी जा रही है। 1993-94 के दौरान (15.02, 1994 तक) कैवल्यधाम श्रीमान माध्व योग मन्दिर समिति को योजनेत्तर के अंतर्गत 19.08 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है।

6.10.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के परिप्रेक्ष्य में, एक काफी बड़े पैमाने पर स्कूलों में योग शिक्षण देने का प्रस्ताव किया गया था। तदनुसार, 1989-90 में एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई थी जिसके अंतर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों/योग संस्थाओं को योग शिक्षक प्रशिक्षण और इस उद्देश्य के लिए बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। 8वीं योजना के दौरान यह योजना जारी है।

6.10.4 स्कूलों में योग की प्रोन्नति और योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के उपायों पर विचार करने के लिए फरवरी, 1992 में एक राष्ट्रीय स्तर का योग विशेषज्ञ सम्मेलन आयोजित किया गया था। निम्नलिखित से संबंधित सिफारिशें थीं।

योजना के कार्यान्वयन की पद्धतियाँ।

शिक्षकों का प्रशिक्षण।

योग पाठ्यक्रम।

योजना को फिर से तैयार करते समय इन सिफारिशों को ध्यान में रखा गया था। एक विशेषज्ञ दल द्वारा रा. शै. अ. प्र. प. द्वारा तैयार किए गए योग पाठ्यक्रम पर विचार किया गया था और उसने जो सुझाव दिए थे उनको उसमें शामिल किया गया है। जिस योग पाठ्यक्रम को अन्तिम रूप दिया गया था, वह प्रेस में है और उसे उपयुक्त रूप से अपनाने, अनुकूल बनाने के लिए सभी संबंधित लोगों में परिचालित किया जाएगा।

6.10.5 योग शिक्षकों की प्रशिक्षण व लागत के लिए सहायता में वृद्धि करने के वास्ते इस योजना में संशोधन किया गया है। शिक्षकों की यात्रा-लागत वहन करने का भी प्रस्ताव है क्योंकि राज्य इस व्यय को वहन करने में कठिनाई महसूस कर रहे थे और इसलिए वे शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए नहीं भेज सकते थे। यह आशा की जाती है कि अब यह योजना 8वीं योजना के दौरान शुरू होगी और जोर पकड़ेगी।

शिक्षा में संस्कृति तथा मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए सहायता प्रदान करने की योजना

6.11.1 भारत की आम सांस्कृतिक परम्परा के बारे में शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत एक कोर

क्षेत्र के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लेख किया गया है। शिक्षा में सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को बताते हुए नीति में औपचारिक शिक्षा प्रणाली तथा भारत की समृद्ध तथा विभिन्न सांस्कृतिक परम्पराओं के बीच एक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। नीति में, जहां तक संभव हो अधिक से अधिक तरीकों से शिक्षा की पाठ्यचर्या तथा प्रक्रिया को समृद्ध बनाने के लिए कहा गया हैं तथा सामाजिक और नैतिक मूल्यों को जागृत करने के लिए शिक्षा को एक सशक्त माध्यम बनाने की आवश्यकता को उजागर करते हुए नैतिक शिक्षा पर पर्याप्त बल दिया गया है।

6.11.2 इन सभी उद्देश्यों के साथ शिक्षा में संस्कृति/कला/मूल्यों को सुदृढ़ बनाने के लिए तथा नवीन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाली शैक्षिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करने के लिए एजेंसियो को सहायता के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना वर्ष 1987-88 से तैयार की गई थीं तथा मंत्रालय की विधिवत् रूप से गठित की गई सहायता अनुदान समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावों की जांच करके उन्हें शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना को वर्ष 1988-89 से कार्यान्वित किया गया था।

6.11.3 वर्ष 1990 में, पिछली योजना को और अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए इसकी समीक्षा करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, मंत्रालय में एक कार्यदल गठित किया गया तथा - शिक्षा में संस्कृति तथा मूल्यों को सुदृढ़ बनाने के लिए सहायता प्रदान करने की एक संशोधित योजना को तैयार किया गया।

6.11.4 संशोधित योजना के निम्नलिखित दो प्रमुख घटक हैं :-

1.स्कूल तथा अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली में संस्कृति तथा मूल्य शिक्षा निवेशों को सुदृढ़ बनाना।

2. कला, शिल्प, संगीत तथा नृत्य शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण को सुदृढ़ करना।

6.11.5 इस नई योजना को 1.10.92 को आयोजित मंत्रालय की स्थायी वित्त समिति की बैठक से अनुमोदित कर दिया गया था तथा नीचे दी गई वर्ष-वार राशि के अनुसार आठवीं योजना अवधि के लिए 4.75 करोड़ रुपये का परिव्यय भी अनुमोदित कर दिया गया था :-

(करोड़ रुपये में)

विषय	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
स्कूल तथा अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली में सांस्कृतिक तथा मूल्य शिक्षा के निवेशों को सुदृढ़ बनाना।	0.50	0.75	0.75	0.90	0.90
कला, शिल्प, संगीत तथा नृत्य शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाना	---	0.20	0.20	0.25	0.30
कुल :	0.50	0.95	0.95	1.15	1.20

वर्ष 1992-93 के दौरान, 15 स्वैच्छिक संगठनों को 0.50 करोड़ रुपये के अनुदान के स्थान पर 0.38 करोड़ रुपये का कुल अनुदान दिया गया था।

6.11.6 संशोधित मुद्रित योजना को मई, 1993 के दौरान राज्य/संघ शासित प्रशासनों के सभी शिक्षा विभागों को परिचालित कर दिया गया था। इस योजना को अगस्त,

1993 में श्रृव्य एवं दृश्य प्रसार निदेशालय के माध्यम से अंग्रेजी, हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्रों में भी विज्ञापित किया गया था। अब तक प्राप्त 8 परियोजना प्रस्तावों में से दिनांक 26.10.93 को सहायता अनुदान समिति की बैठक में 5 प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया था। सहायता अनुदान की अगली बैठक शीघ्र ही आयोजित की जाएगी। पूर्णत: वित्त स्वायत्त निकायों से भी परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। यह आशा की जाती है कि योजना के प्रथम घटक के अंतर्गत 75 लाख रुपये के बजट प्रावधान को 31.3.94 तक पूर्णत: उपयोग कर लिया जाएगा। दूसरे घटक के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए जा रहे हैं।

शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार

6.12.1 शिक्षकों के सम्मान को बढ़ाने तथा उत्कृष्ट योग्यता वाले शिक्षकों को सार्वजनिक मान्यता देने के उद्देश्य से शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने की योजना वर्ष 1958 में शुरू की गई थी। प्रारंभ में समान्य शिक्षा स्कूलों के ही शिक्षकों को शामिल किया गया था। वर्ष 1967 से संस्कृत पाठशालाओं को और टोल्स के शिक्षकों को भी शामिल करने के लिए इसका दायरा बढ़ा दिया गया। वर्ष 1976 से पारंपरिक ढंगों पर चल रहे मदरसों के फारसी/अरबी शिक्षकों को भी शामिल करने के लिए इसका दायरा और बढ़ा दिया गया। केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों में से प्रत्येक के लिए दो पुरस्कार आबंटित किये गये हैं।

6.12.2 किसी राज्य को आबंटित पुरस्कारों की संख्या शिक्षकों की संख्या पर निर्भर करती है। फिर भी प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के संवर्ग के लिए तथा माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के लिए कम से कम एक-एक पुरस्कार का अधिकारी है। वर्ष 1988 से पुरस्कारों की संख्या पिछले वर्षों की संख्या 186 से बढ़ाकर 300 कर दी गई हैं। इस प्रकार इस समय पुरस्कारों की कुल संख्या 296 हो गई है। इनमें से 272 पुरस्कार राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के लिए तथा चार पुरस्कार केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षकों के लिए और संस्कृत के पाठशालाओं के शिक्षकों के लिए 15 पुरस्कार तथा 5 पुरस्कार पारंपरिक ढंग पर चल रहे मदरसों के अरबी/फारसी शिक्षकों के लिए हैं। प्रत्येक शिक्षक पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, एक रजत पदक और 5,000/- रुपये की नकद राशि होती है।

6.12.3 वर्ष 1992 के दौरान 275 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया था। वर्ष 1993 के दौरान राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 51 अध्यापकों के नाम चुने जा चुके हैं। अरबी/फारसी तथा संस्कृत के शिक्षकों के नामों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना हैं।

स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम:

6.13.1 यह एक लघु योजना है जिसके अंतर्गत गैर-सरकारी सदस्यों के भारतीय शिष्टमंडल के विदेश जाने/वहां ठहरने तथा विदेशों के साथ भारत द्वारा किए गए सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अनुसरण में विदेशी शिष्टमंडल के भारत आने के संबंध में उनकी यात्रा/भारत में ठहरने के संबंध में होने वाले खर्च को वहन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तथापि, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा किए गए इस प्रकार के विनिमयीय दौरे के मामले में या सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अनुसरण में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के विशेषज्ञों के दौरे के कारण विदेशी विशेषज्ञों के हुए जवाबी दौरे के मामले में इन योजनाओं में से निधियां खर्च नही की जाती हैं।

6.13.2 सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम की योजना 1994-95 में चलती रहेगी।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय

6.14.1 नई दिल्ली स्थित अपने ढंग का यह पहला मुक्त विद्यालय परियोजना के रूप में 1979 में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा शुरू किया गया। मुक्त अध्ययन प्रणाली तथा दूरस्थ शिक्षा के जरिए समाज के लाभ वंचित वर्गों को स्कूली शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए मुक्त विद्यालय के कार्यकलापों में पर्याप्त विस्तार की उभरती हुई आवश्यकता को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने नवम्बर, 1989 में शिक्षा विभाग, मानव

संसाधन मंत्रालय की एक पंजीकृत स्वायत्त सोसायटी के रूप में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय को स्थापित करने का निर्णय लिया तथा इसके साथ मुक्त विद्यालय को मिला दिया। अक्टूबर, 1990 में भारत सरकार के एक संकल्प के जरिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय को डिग्री-पूर्व स्तर तक के पाठ्यक्रम के लिए विद्यालय में पंजीकृत छात्रों की परीक्षा लेने तथा उन्हें प्रमाणपत्र देने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय ग्रामीणों, शहरी गरीबों, महिलाओं, अ.जा/अ.ज.जा., कार्यरत प्रौढ़ों तथा स्कूल बीच में ही छोड़ जाने वालों के लिए शिक्षा की एक वैकल्पिक और पूरक व्यवस्था की पेशकश कर रहा है। यह शिक्षा को अभिप्रेरित शिक्षार्थियों के दहलीज पर ले जाता है तथा उन्हें अपनी सुविधानुसार समय और स्थान पर अपनी स्वयं की गति से अध्ययन करने की अनुमति प्रदान करता है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने सभी विश्वविद्यालयों को परिचालित दिनांक 25.7.91 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की उच्चतर माध्यमिक परीक्षा को उच्च अध्ययन के लिए संस्थाओं में दाखिले के प्रयोजनार्थ उच्चतर माध्यमिक/पूर्व-विश्वविद्यालय परीक्षा के समकक्ष माना है।

प्रत्यापित संस्थाएं :

6.14.2 "सभी को शिक्षित" बनाने के राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के प्रयास के अंतर्गत स्थापित संस्थाएं इसके पार्टनर के रूप में है जिन्हें "प्रत्यापित संस्था" के नाम से जाना जाता है। इस समय इस प्रकार की संस्थाओं की संख्या 341 है अर्थात् सामान्य शिक्षा के लिए 302 तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिए 39 है।

व्यावसायिक शिक्षा

6.14.3 वर्ष के दौरान व्यावसायिक शिक्षा को काफी प्रोत्साहन मिला तथा वर्ष के दौरान सत्रह व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए। 39 संस्थाओं की प्रत्यापित व्यावसायिक संस्था के रूप में पहचान की गई तथा छात्रों को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए इनमें से 7 को वित्तीय सहायता मिली। वर्ष 1994-95 के दौरान अनेक कृषि और तकनीकी पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है।

छात्रों की संख्या

6.14.4 बहुत ही कम समय में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा को शिक्षार्थियों की देहलीज पर ले जाने में सफल हुआ है तथा इस समय छात्रों की संचयी संख्या 9.5 लाख हो गई है। वर्ष 1993-94 के दौरान 60,000 छात्रों (माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक) का लक्ष्य रखा गया। सितम्बर, 1993 तक दाखिल छात्रों की कुल संख्या 63,000 है। जनवरी, 1994 में दाखिले के दूसरे दौर का प्रस्ताव है जिसके लिए 20,000 नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। पहली बार पूरे देश में फैली भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के जरिए छात्रों द्वारा शुल्क जमा कराने की पद्धति शुरू की गई है जो काफी संतोषजनक पाई गई है। जनता से मिल रहे उत्साहवर्धक प्रत्युत्तर को देखते हुए 1994-95 के लिए 1,00,000 छात्रों के दाखिले का लक्ष्य रखा गया है।

परीक्षाएँ

6.14.5 वर्ष 1993-94 के दौरान मई, 1993 में लगभग 56,000 छात्रों की परीक्षा ली गई तथा दिसम्बर, 1993 की परीक्षा में बैठने के लिए लगभग 32,000 छात्रों को पंजीकृत किया गया है। दो बाह्य परीक्षाओं के अलावा, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय ने जून, 1993 में कंप्यूटर द्वारा जांची जाने वाली मूल्यांकन परीक्षा का संचालन किया जिसमें 34513 छात्रों की परीक्षा ली गई तथा उम्मीद है कि दिसम्बर, 1993 में लगभग 70,000 छात्रों की परीक्षा ली जाएगी।

क्षेत्रीय भाषाओं का आरंभ किया जाना

6.14.6 फिलहाल छात्रों को अंग्रेजी और हिन्दी माध्यम में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 1993-94 के दौरान माध्यमिक पाठ्यक्रम की अध्ययन सामग्री को तीन भाषाओं अर्थात् तेलुगू, बंगला और मराठी में अनूदित करने का कार्य विभिन्न विशेषज्ञों को सौंपा गया। वर्ष 1993-94 में इस भाषाओं को आरंभ करने का प्रस्ताव है तथा इस प्रकार दाखिल छात्रों को इन भाषाओं में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी तथा संबंधित भाषा में उनकी परीक्षा भी ली जाएगी। 1994-95 में और क्षेत्रीय

भाषाएं जोड़ी जाएंगी।

जन-प्रचार माध्यमों की मदद

6.14.7 राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय वर्ष के दौरान वीडियो कैमरा और रिकार्डर तथा अन्य सहायक उपकरणों का अधिग्रहण करेगा तथा अनेक शैक्षिक विषयों पर वीडियो फिल्म निर्मित करने तथा छात्रों के लाभार्थ इन्हें प्रत्यापित संस्थाओं को उपलब्ध कराने की इसकी योजना है। 1993-94 में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के मीडिया एकक द्वारा 5 वीडियो फिल्म निर्मित की गई तथा अन्य संस्थाओं से 15 वीडियो फिल्में खरीदी गईं। ये फिल्में प्रत्यापित संस्थाओं को वितरित की जा रही हैं। 1994-95 में विभिन्न विषयों में इस प्रकार की 25 वीडियो फिल्में अधिग्रहीत या निर्मित करने की योजना है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय ने 1994-95 से छात्रों के लाभार्थ प्रत्यापित संस्थाओं को वितरित करने के लिए श्रव्य कैसेटों के विकास का एक कार्यक्रम आरंभ किया है।

प्रकाशन

6.14.8 राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय ने अपने प्रकाशन कार्यक्रम में संशोधन किया है। आकार और विषय-वस्तु दोनों ही दृष्टि से अध्ययन सामग्री को एक नया आयाम प्रदान किया गया है। वर्ष के दौरान पुस्तकें प्रकाशित की गईं तथा पूरे देश में इन्हें छात्रों को वितरित किया गया। 1993-94 में 500 शीर्षकों की 35 लाख पुस्तकें प्रकाशित की जा रही हैं।

'मुक्त अध्ययन' पत्रिका

6.14.9 राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय 'मुक्त अध्ययन' नामक एक नई पत्रिका का प्रकाशन आरंभ करेगा जिसे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के सभी छात्रों को तथा मांग किए जाने पर आम जनता को उपलब्ध कराया जाएगा। यह एक द्विमासिक पत्रिका होगी जिसमें मुक्त शिक्षा और जीवन को समृद्ध करने जैसे विषयों का विस्तृत क्षेत्र शामिल होगा। प्रारंभ में यह अंग्रेजी और हिंदी में प्रकाशित की जाएगी और फिर धीरे-धीरे तेलुगू, बंगला और मराठी में भी प्रकाशित की जाएगी।

अन्य परियोजनाएँ

6.14.10 वर्ष 1993-94 के दौरान "अधिगम कौशलों" पर एक नई परियोजना शुरू किए जाने की आशा है। "प्रश्न बैंक के विकास" पर एक अन्य परियोजना शुरू की गई है।

भूमि और भवन

6.14.11 राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय ने 1992-93 के दौरान नौएडा से दो एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया और चारदीवारी बनाने, भूमि का विकास करने तथा गार्ड कक्ष बनाने का ठेका एन. बी. सी. सी. को दिया जो पूरा होने पर है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के निर्माण के प्रथम चरण को 1994-95 में पूरा किए जाने की आशा है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.)

6.15.1 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) जो एक स्वायत्त संगठन हैं, सितम्बर, 1961 में स्कूली शिक्षा और शिक्षक शिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने के लिए स्थापित की गई थी। यह स्कूली शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में नीतियों और वृहत कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में सरकार के लिए शैक्षिक सलाहकार का कार्य करती हैं। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (एन.आई.ई.) और केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.ई.टी.) के विभागों, भोपाल स्थित पंडित सुन्दर लाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई.), अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर स्थित क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेजों (आर.सी.ई.) तथा संपूर्ण देश में, अधिकतर राज्य की राजधानियों में स्थित 17 क्षेत्रीय कार्यालयों सहित विभिन्न संघटकों के माध्यम से अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण विस्तार और शैक्षिक नवाचारों के प्रसार आदि से संबंधित कार्यक्रमों को शुरू करती है।

6.15.2 1993-94 के दौरान प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक

शिक्षा को समृद्ध करने, शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने, शैक्षिक अनुसंधान/नवाचारों को बढ़ावा देने तथा उनका प्रसार करने, प्रौद्योगिकी में शिक्षा का प्रयोग करने, विज्ञान के उपस्करों का उत्पादन करने तथा राज्यों में स्कूली शिक्षा के सुधार के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन करने से संबंधित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए निरंतर समेकित प्रयास किए गए।

6.15.3 1993-94 के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के मुख्य कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित पैराओं में दिया गया है :-

प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण

प्रारम्भिक शिशु देखरेख एवं शिक्षा (ई.सी.सी.ई.)

6.15.4 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने प्रारंभिक शिशु देख-रेख एवं शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) से संबंधित अपने कार्यकलापों को जारी रखा। प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं में खेल-खेल में शिक्षा के दृष्टिकोण के संदर्भ में भाषा, गणित और पर्यावरण संबंधी अध्ययनों में एक "कार्यकलाप पुस्तिका" तथा "प्रारंभिक शिशु शिक्षा" पर शिक्षकों की एक पुस्तिका तैयार की गई। आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम अधिकारियों और बाल विकास परियोजना अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा रेडियो (चीयर) कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के मनोरंजन के प्रयोग के लिए उन्हें प्रेरित करने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। "लोक-खिलौनों के माध्यम से विज्ञान का शिक्षण" नामक एक प्रकाशन को अंतिम रूप दिया गया। 'चीयर' परियोजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी के कार्यकर्त्ताओं के लिए फूल बगिया-खंड-III" और "किलकारी खंड-VII" नामक दो प्रकाशन निकाले गए।

प्रारंभिक शिक्षा :

6.15.5 प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा पर पाठ्यपुस्तकों की पांडुलिपियों को तैयार किया गया। कोर संघटकों के दृष्टिकोण से प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी और हिन्दी की पाठ्यपुस्तकों की विवेचना के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए गए और संबद्ध एजेंसियों को भेज दिए गए। प्रारंभिक स्कूल के विद्यार्थियों में सामंजस्य को सुधारने के लिए पहल करने के तौर पर कार्यक्रम के विकास हेतु परामर्शदाता समूह की बैठक आयोजित की गई। राष्ट्रीय अखंडता के लिए सामुदायिक गीत कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक गीतों पर आधारित तीन ऑडियो कार्यक्रम तैयार किए गए। XXVII वीं राष्ट्रीय बाल साहित्य पुरस्कार प्रतियोगिता के अंतर्गत एक संगोष्ठी-सह-पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

6.15.6 न्यूनतम अधिगम स्तर (एम.एल.एल.) कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा IV और V के लिए शिक्षकों हेतु दिशा निर्देश और बुनियादी शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने पर राष्ट्रीय अध्ययन की रिपोर्ट प्रकाशित की गई। यूनेस्को (ए.पी.ई.आई.डी.) की "बहुस्तरीय और बहु-ग्रेडीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षण स्तर में सुधार हेतु संयुक्त नवाचारी परियोजना" के अंतर्गत भाषा, गणित और पर्यावरणीय अध्ययन के क्षेत्रों में कक्षा I-V में शिक्षार्थियों की उपलब्धि हेतु उपलब्धि परीक्षा आयोजित की गई और आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। शिक्षकों की दक्षता में विकास के दृष्टिकोण से बच्चों, शिक्षकों और चयनित दो शिक्षकों वाले स्कूलों की शिक्षण स्थिति का अध्ययन कराया गया। अध्ययन के आधार पर बहुग्रेडीय शिक्षण स्थिति के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की एक योजना तैयार की गई।

6.15.7 अनुसूचित जातियों की शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए उन्हें अनुसूचित जातियों की शिक्षा की बाधाओं और समस्याओं से परिचित कराने के लिए एक प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया।

6.15.8 जनजातीय विद्यार्थियों के लिए सहायक पठन सामग्रियों को तैयार करने के कार्यक्रम के अंतर्गत "भील जनजातीय के जीवन और संस्कृति" पर एक सहायक पुस्तिका तैयार की गई।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.)

6.15.9 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की परियोजना

के लिए चयनित राज्यों को शैक्षिक परामर्श की सहायता प्रदान की। चयनित जिला में सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिला योजनाओं को तैयार करने में राज्यों को शैक्षिक परामर्श देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय कोर दल का वरिष्ठ संकाय एक सदस्य था। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् संकाय ने भी छ: राज्यों में परियोजना को तैयार करने के लिए आयोजना प्रक्रिया में तैयारी की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए विश्व बैंक के प्रारंभिक मिशन से संबंधित कार्यकलापों में भाग लिया। मध्यप्रदेश के 19 जिलों द्वारा तैयार जिला योजनाओं का पूर्व-अध्ययन कराया गया। इस पूर्व-अध्ययन मिशन से विश्व बैंक, यूरोपीय समुदाय, यूनिसेफ, यूनेस्को और ओ.डी.ए. के प्रतिनिधि भी जुड़े थे।

(i) पाठ्यपुस्तक तैयार करना, निर्मित करना और वितरित करना (ii) आधारभूत लाभग्राही मूल्यांकन (iii) शिक्षक प्रोत्साहन और शिक्षक प्रशिक्षण, (iv) लिंग संबंधी मुद्दे और जिला योजना तैयार करने के एक भाग के रूप में आदिवासी शिक्षा के संबंध में अध्ययन भी शुरू किया गया था, इन अध्ययनों की उपलब्धियों को जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जिला योजनाओं में शामिल किया जाएगा। इन अध्ययनों को दिसम्बर, 1993 तक पूरा किया जाना है।

गैर-औपचारिक शिक्षा

6.15.10 "गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए समृद्धि सामग्री के विकास" के इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय विशिष्ट सामग्री के संबंध में पुस्तिकाओं को अंतिम रूप देने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। आदिवासी जनसंख्या के संबंध में आंकड़े एकत्र करने हेतु उपकरण विकसित किए गए थे। भाषा और गणित में गैर औपचारिक शिक्षा शिक्षण सामग्री के विकास के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। गैर औपचारिक शिक्षा समन्वयकों की प्रक्रिया आधारित प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।

6.15.11 "विभिन्न राज्यों में गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की रूपरेखा का विकास" की इस परियोजना के अंतर्गत आंकड़े एकत्रित करने हेतु उपकरणों को अंतिम रूप देने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। भाषा तथा गणित में गैर औपचारिक शिक्षा में दो पुस्तकों की जांच करने का एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। "डिजाइन, सामग्री और रेलवे प्लेटफार्म स्कूल तथा गलियों की शिक्षा के लिए पेवमेंट. स्कूल की प्रणाली विज्ञान तथा कामकाजी बच्चों के अध्ययन के अंतर्गत अध्ययन, प्रक्रिया तथा उपकरण का डिजाइन विकसित करने के लिए एक योजना बैठक आयोजित की गई थी। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) के अंतर्गत आदिवासी अध्ययन के लिए योजना की रूपरेखा तैयार करने के वास्ते आयोजित की गई थी।

विकलांगों की समेकित शिक्षा

6.15.12 सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा पर अध्ययन मामले के लिए संग्रह आंकड़े पूरे कर लिए गए हैं जिसमें विशिष्ट आवश्यकताओं सहित बच्चे शामिल हैं। "विशेष शिक्षा में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अध्ययन एवं प्रलेखन पर निर्देशिका" विकसित की गई थी। "समेकित विशेष स्थापित स्कूलों में विज्ञान के शिक्षण का स्तर" पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी।

महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा

6.15.13 (i) प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर शिक्षकों के लिए हैंडबुक (ii) महिलाओं की शिक्षा एवं विकास की प्रणाली विज्ञान पर प्रशिक्षण पुस्तिका पर कार्य जारी रखा। नवीन आरंभिक परियोजना के अंतर्गत "लड़कियों तथा वंचित वर्गों की प्राथमिक शिक्षा की प्रोन्नति," मुख्य शैक्षिक कार्मिकों का एक अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ग्रामीण हरियाणा में लड़कियों द्वारा पढ़ाई बीच में छोड़ना तथा नामांकन न होने पर अध्ययन रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी।

शिक्षा की विषय-वस्तु और प्रक्रिया का पुन: प्रबोधन

6.15.14 "स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर सामाजिक विज्ञानों में पाठ्यचर्या का अध्ययन स्तर" के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या की वर्तमान स्थिति से संबद्ध उपलब्धियों की समीक्षा करने के लिए एक कार्यशाला

आयोजित की गई थी। शैक्षिक सामग्रियों को विकसित करने/अंतिम रूप देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं जिसमें प्राथमिक स्तर के लिए बाल भारती श्रृंखला, हिन्दी कोष, छात्रों का संस्कृत शब्द कोष, उच्च माध्यमिक स्तर के लिए समाज शास्त्र में पाठ्य-सामग्री की पुस्तक, शारीरिक शिक्षा और कम्प्यूटर विज्ञान में पाठ्यचर्या और पर्यावरणीय जीव-विज्ञान तथा गणित में शैक्षिक सामग्री शामिल है। "राष्ट्रीय एकता के आधार बिन्दु से पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन" के इस कार्यक्रम के अंतर्गत संचालन समिति ने तमिलनाडु, असम, राजस्थान की पाठ्यपुस्तकों के संबंध में मूल्यांकन रिपोर्ट पर विचार किया। समकालीन भारतीय इतिहास पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई थी।

6.15.15 "शिक्षक शिक्षण की बड़ी कक्षाओं की आवश्यकताओं तथा समस्याओं का तादात्म्य" पर अध्ययन किया गया था। शिक्षक शिक्षण रसायन विज्ञान और गणित की प्रशिक्षण आवश्यकताओं के तादात्म्य पर कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। माध्यमिक शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या का स्थिति अध्ययन तथा प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा स्तर पर कार्य अनुभव शुरू किए गए थे। "स्कूल शिक्षा में नए अनुभव और प्रथाएं" के संबंध में इस परियोजना के अंतर्गत स्कूल शिक्षकों द्वारा लिखित कागजात का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकनकर्ताओं की एक पैनल बैठक आयोजित की गयी थी। 58 कागजात राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए चुने गए थे।

6.15.16 प्राथमिक विज्ञान किट (पी.एस.के.), समेकित विज्ञान किट (आई.एस.के.) और कुछ अन्य किटों को तैयार करने और विकसित करने के संबंध में कार्य को जारी रखा। विज्ञान और गणित के शिक्षण को सुदृढ़ करने के लिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों पर किटों के उपयोग में जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थानों और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के संसाधित व्यक्तियों के प्रशिक्षण पर बल दिया गया था।

प्रतिभा खोज

6.15.17 राष्ट्रीय प्रतिभा खोज (एन.टी.एस.) परीक्षा के द्वितीय स्तर के आयोजन के बाद, विद्यार्थियों के चयन के लिए साक्षात्कार आयोजित किए गए थे। जवाहर नवोदय विद्यालयों में दाखिले के लिए चयन परीक्षाओं के परिणाम भी घोषित किए गए थे।

शिक्षक शिक्षा की उन्नतिशील कोटि

6.15.18 शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन में 32 वां डिप्लोमा पाठ्यक्रम अगस्त, 1993 में शुरू हुआ। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने (i) प्रारंभिक छात्रों को संशोधित करने में व्यवहार संबंधी मध्यस्थता के कार्यक्रम, (ii) मार्गदर्शन: सिद्धान्त और प्रयोग के शीर्षक से संसाधन पुस्तक, (iii) छात्रों की व्यक्तिगत- सामाजिक दक्षताओं के विकास के लिए परामर्श-दाताओं और शिक्षकों हेतु पैकेज, (iv) मार्गदर्शन में सूचना सेवा संबंधी संसाधन पुस्तक (v) भारतीय मानसिक माप हस्त पुस्तिका, (vi) विकास और जीवन-वृत्ति मार्गदर्शन के संबंध में बहु मीडिया पैकेज (vii) सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों के लिए पैकेज और (viii) प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए अध्ययन तथा विकास की पुस्तिका के संबंध में कार्य को जारी रखा। शहरी गन्दी बस्तियों में प्राथमिक स्कूल के बच्चों की अध्ययन समस्याओं के सर्वेक्षण को जारी रखा।

6.15.19 सेवा-पूर्व और सेवा-कालीन शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज स्कूल शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए व्यापक कार्यकलापों तथा शिक्षक प्रशिक्षकों, शिक्षक और शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के लिए अनुदेशात्मक सामग्री के विकास से संबद्ध अध्ययन में लगे रहे।

प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के लिए विशेष प्रबोधन कार्यक्रम (एस.ओ.पी.टी.)

6.15.20 वर्ष 1993-94 के दौरान 4.5 लाख प्राथमिक स्कूल शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए देश में एस. ओ.पी.टी. कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की कार्रवाई शुरू की गई थी ताकि भाषा, गणित और पर्यावरणीय अध्ययनों में अपनी शिक्षण दक्षता में सुधार कर सके। मुद्रण प्रणाली में प्रशिक्षण मोडूल्स, श्रव्य एवं दृश्य कार्यक्रम और अन्य सहायता सामग्री तैयार की गई है। एस. ओ. पी. टी. के

कार्यान्वयन में शामिल किए जाने वाले सभी राज्यों/संघ शासित प्रशासनों के प्रमुख अधिकारियों के लिए एक दो-दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

शिक्षा का व्यावसायीकरण

6.15.21 शिक्षा के व्यावसायीकरण के महत्व को समझते हुए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (एन.आई.ई.) के व्यावसायिक शिक्षा विभाग, रा. शै. अ. एवं प्र. परिषद् के पूर्व कालिक स्तर को ऊपर उठाकर भोपाल स्थित केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (सी.आई.टी.ई.) का गठन किया है। वाणिज्य आधारित व्यावसायिक पाठ्यचर्या का पुर्नगठन तथा संशोधन संबंधी कार्य को जारी रखा है। लेखा में शिक्षक निर्देशिका के विकास के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। राज्य कर्मचारियों, प्रधानाचार्यों, शिक्षा अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लिए एक प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ शिक्षा के व्यावसायीकरण से संबंधित मुद्दों तथा समस्याओं पर विचार-विमर्श के लिए एक फोरम की व्यवस्था की गई। उत्तर-पूर्वी राज्यों के प्रमुख व्यक्तियों के लिए एक अनुस्थापन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था ताकि अवधारणा, दर्शनशास्त्र तथा व्यावसायिक शिक्षा के अन्य पहलुओं से उन्हें परिचित किया जा सके।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी

6.15.22 "क्लासरूम 2000+ के तहत उच्चतर माध्यमिक स्तर पर दूरस्थ अध्ययन के लिए पारस्परिक प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन" के संबंध में शिक्षा पर इण्डो-यू एस उप-आयोग के अंतर्गत परियोजना शुरू की गई थीं और एक अंतरिम परियोजना रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। ई. टी.वी. सेवा के प्रसारण का अनुश्रवण करना जारी रखा। हिंदी में 70 ई. टी.वी. कार्यक्रमों की सूची तैयार की गई थी और इनसैट के जरिए प्रसारण के लिए दूरदर्शन को भेज दी गई। हिन्दी तथा गुजराती में 25 कार्यक्रम कैपसूल तैयार किए गए थे। गुजराती में 70 ई. टी.वी. कार्यक्रम प्रसारण के लिए दूरदर्शन को भेज दिए गए थे। 15.8.93 से दूरदर्शन के नए मुख्य चैनल पर रोजाना ई. टी.वी. कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। प्राथमिक स्कूल स्तर पर श्रव्य और दृश्य कार्यक्रमों के निर्माण के लिए गणित में विषयों का पता लगाने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। 18 नए ई. टी.वी. कार्यक्रम निर्मित किए गए थे। स्वास्थ्य संबंधी ई. टी.वी. कार्यक्रम विषय-सूची विश्लेषण के लिए शुरू किए गए थे और रिपोर्ट तैयार की गई थी। पर्यावरण पर आदिवासी कहानियों तथा लोकगीतों के संबंध में श्रृंखलाओं के अंतर्गत चार श्रव्य लिपियां विकसित की गई थीं। उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए रसायन विज्ञान में प्रदर्शन पाठों पर वीडियो फिल्मों के विकास के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई थी।

शैक्षिक अनुसंधान और नवाचारों को प्रोत्साहन

6.15.23 शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार समिति ने स्कूल शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान परियोजनाओं के प्रायोजन को जारी रखा। जनवरी, 1987 से दिसम्बर, 1992 तक 5 वर्षों की अवधि को शामिल करने वाली "पांचवें अखिल भारतीय शैक्षिक अनुसंधान एवं नवाचार सर्वेक्षण" परियोजना के अंतर्गत अनुसंधान नवाचार के सारांश की विषय सूची को सम्पादित किया गया। शैक्षिक अनुसंधान एवं नवाचार समिति उन विशेषताओं को प्रोत्साहन देने के लिए, जो राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यापक प्रसार हेतु वचनबद्ध हैं तथा मेरिट पर ध्यान देते हैं, इस प्रकार के नवाचारों के प्रभावों का अध्ययन करने की दृष्टि से स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त नवाचार पर सूचनायें भी एकत्रित कर रही हैं तथा विश्लेषण कर रही है।

क्षेत्र सेवायें तथा समन्वयन विस्तार

6.15.24 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों से सम्पर्क स्थापित करके 17 क्षेत्र अधिकारियों की नियुक्ति की गई तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के संघटकों से अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए अपेक्षित सहायता की पहचान के लिए कदम उठाये गये।

कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण

6.15.25 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के संघटकों के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के

अनुवीक्षण का काम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के निदेशक की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा आयोजित की जा रही आवधिक संवीक्षा बैठकों में किया जा रहा है। अनुवीक्षण कार्य का संयोजन आयोजन कार्यक्रम अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन प्रभाग (पी.पी.एम.ई.डी.) रा.शै.अ.प्र. परिषद् द्वारा किया जा रहा है। आयोजना कार्यक्रम अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन प्रभाग ने राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में स्कूल शिक्षा प्रणाली में रा.शै.अ.प्र. परिषद् के निवेशों की उपयोगिता से सम्बन्धित कुछ अध्ययनों का भी आयोजन प्रारम्भ किया हैं। यह प्रभाग राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् तथा राज्यों में शैक्षिक कार्यक्रमों के सूत्र-निर्धारण, उनके कार्यान्वयन, अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन के लिए संरचना कार्य को अंतिम रूप दे रहा है।

प्रकाशन और प्रसार

6.15.26 स्कूल शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य-पुस्तकों, अभ्यास पुस्तकों, शिक्षकों के लिए गाइडों, सप्लीमेंटरी रीडर्स, अनुसंधान विनिबन्धों इत्यादि के प्रकाशन के अतिरिक्त, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने इंडियन एजुकेशन रिव्यू (त्रैमासिक), प्राइमरी टीचर (त्रैमासिक), जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन (द्वि-मासिक), स्कूल साइंस (त्रैमासिक), प्राइमरी शिक्षक (हिन्दी में प्रकाशित त्रैमासिक) और भारतीय आधुनिक शिक्षा (हिन्दी में प्रकाशित त्रैमासिक) आदि हैं : पत्रिकाओं का प्रकाशन जारी रखा।

छठा अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण

6.15.27 निर्धारित तिथि 30 सितम्बर, 1993 तक इसी वित्तीय वर्ष के दौरान छठा अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया गया है। इस सर्वेक्षण के आयोजन का संयुक्त दायित्व रा.शै.अ.प्र. परिषद् एवं एन.आई.सी. पर होगा। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा वार्षिक अद्यतन के कार्य को सुकर बनाने के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर एक आंकड़ा आधार निर्मित करने के लिए कम्प्यूटर नेटवर्क के गहन उपयोग को अपनाया जायेगा। छठे अखिल भारतीय सर्वेक्षण में अपनाई गई नई कार्य पद्धति की एक दूसरी प्रमुख विशेषता जनगणना तकनीक और प्रतिचयन तकनीक का मिश्रण है। छठे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण पर कुल अनुमानित खर्च 666.60 लाख रुपये का आयेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय विभिन्न स्तरों पर आवश्यक अवसंरचना के सृजन और सर्वेक्षण पर होने वाले खर्च की पूर्ति के लिए 100 प्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता तथा प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध करायेगा। राष्ट्रीय स्तर पर उपकरणों के विकास, सूचना एकत्रित करने के लिए सर्वेक्षण अधिकारियों को प्रशिक्षण, आंकड़ों की संवीक्षा और पुनः मिलान दिशा-निर्देशों का विकास तथा योजना विश्लेषण तथा रिपोर्ट लेखन जैसे सर्वेक्षण के सभी शैक्षिक मामलों का दायित्व रा.शै.अ.प्र. परिषद् पर होगा। रा.शै.अ.प्र. परिषद् द्वारा दिनांक 30.11.94 तक संक्षिप्त रिपोर्ट तथा दिनांक 20.6.95 तक मुख्य रिपोर्ट के प्रकाशित किये जाने की संभावना है। वर्ष 1994-95 के दौरान भी यही कार्यक्रम और गतिविधियाँ जारी रहेंगी।

6.15.28 वर्ष 1992 के दौरान, 362.22 लाख रुपये की राशि योजना से तथा 1370.00 लाख रुपये की राशि गैर-योजना से प्रदान की गई। चालू वित्तीय वर्ष 1993-94 के दौरान, योजना के अंतर्गत 587 लाख रुपये तथा गैर-योजना के अंतर्गत 2200.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया हैं।

माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं के लिए आवासीय/छात्रावास की सुविधाएँ-स्वैच्छिक अभिकरणों के लिए वित्तीय सहायता की योजना।

6.15.29 ग्रामीण, जनजातीय तथा अन्य दूर-दराज के क्षेत्रों की, किशोर बालाओं के नामांकन में वृद्धि में धीमी गति के लिए परम्परागत सामाजिक निषेध मुख्य उत्तरदायी कारक है जो उन्हें पारिवारिक नियन्त्रण से बाहर जाने से रोकता है। ऐसे स्थानों में उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के दूर-दूर स्थित होने के कारण, लड़कियाँ विशेष रूप से इनसे वंचित रह जाती हैं क्योंकि अपने घर तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के बीच की दूर तय कर पाने में वे सक्षम नहीं हैं।

6.15.30 माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन में वृद्धि को तथा गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता के

प्रोत्साहन के लिए रा.शि.नी. के लक्ष्यों को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम योजना तैयार करने के लिए कार्यवाही योजना, 1992 के पैरा 8.4.1 में दी गई सिफारिशों को वास्तविक बनाने के क्रम में, गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाये जा रहे वर्तमान छात्रावासों को निम्नलिखित प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने के लक्ष्य से आठवीं योजना के दौरान ऊपर वर्णित योजना को प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है

(i) आवश्यक फर्नीचर, उपकरण तथा मनोरंजन सम्बन्धी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रति छात्रा 1500 के लिए एक मुश्त अनुदान के रूप में अनावर्ती सहायता।

(ii) भोजन के लिए आवर्ती सहायता, बावर्ची और बैरे की परिलब्धियाँ प्रति छात्रा 5000/-रु० प्रतिमाह।

6.15.31 कक्षा ix-xii की छात्राओं की संख्या के आधार पर अनुदान दिया जाएगा जो कि सहायता प्राप्त छात्रावासों में रहती हैं। आठवीं योजना अवधि के दौरान 3580 छात्राओं को योजना में शामिल करने के लिए 2 करोड़ रुपये के खर्च को उद्दिष्ट किया गया हैं।

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान

6.16.1 राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान (रा.शि.क.प.) की स्थापना पूर्व अक्षयनिधि अधिनियम, 1890 के अधीन 1962 में की गई थी। प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य स्कूल शिक्षकों (चालीस लाख से अधिक) के कल्याण के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके अकिंचन परिस्थितियों में उनके और उनके आश्रितों के कष्टों का निवारण करना है।

6.16.2 संगठन के कार्यों का प्रबंध मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक साधारण समिति के माध्यम से किया जाता है। जिसमें राज्यों में स्कूल शिक्षा के प्रभारी मंत्री उसके सदस्य हैं और प्रतिष्ठान की राज्य स्तर की समितियां क्रमशः राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और संघ राज्य क्षेत्रों के उप-राज्यपालों की अध्यक्षता में विद्यमान हैं।

6.16.3 सदस्य राज्यों से वार्षिक अंशदान और अध्यापक दिवस के अवसर पर प्राप्त दानों की 10% राशि प्रतिष्ठान की आय के घटक हैं। राज्य दानों की नब्बे प्रतिशत राशि को अपने पास रखते हैं। केन्द्रीय स्तर पर प्रतिष्ठान की निधियों का निवेश भारत हेतु पूर्त अक्षय निधियों के कोषाध्यक्ष (टी.सी.ई.) के जरिए पांच-वर्षीय आवधिक जमा में किया जाता हैं। इस प्रकार टी.सी.ई. के माध्यम में कुल 18.50 करोड़ रुपए की राशि का निवेश किया गया है।

6.16.4 वित्तीय सहायता केन्द्रीय तौर पर निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से प्रदान की जाती है :-

(क) शिक्षक सदनों का निर्माण,

(ख) शिक्षकों के शैक्षिक कार्यकलापों के लिए आर्थिक सहायता,

(ग) पुरस्कृत शिक्षकों को सवेतन अवकाश,

(घ) स्कूल शिक्षकों के बच्चों की व्यावसायिक शिक्षा के लिए सहायता,

(ङ) गंभीर दुर्घटनाओं के मामलों में अनुग्रहित राहत और

(च) गंभीर बीमारियों के लिए अध्यापकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

6.16.5 वर्ष के दौरान अर्थात् 1.4.93 से 31.12.93 तक, 27, 54, 737/-रुपये की राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की गई जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

क.सं.	योजना का नाम	वित्तीय सहायता की राशि
1.	शिक्षक सदन का निर्माण	14,00,000/-
2.	गंभीर बीमारियों से पीड़ित शिक्षकों/ आश्रितों के लिए चिकित्सा उपचार	25,500/-

3.	कैंसर अस्पताल (मध्य प्रदेश), भोपाल (जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल तथा अनुसंधान केन्द्र, भोपाल)	5,00,000/-
4.	शैक्षिक कार्यकलाप के लिए अध्यापकों को वित्तीय सहायता	5,000/-
5.	प्रो.डी.सी. शर्मा स्मारक पुरस्कार, 1991 (प्रति 2,500/-रु. की दर से 3 शिक्षकों के लिए)	7,500/-
6.	स्कूल शिक्षकों के बच्चों की व्यावसायिक शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।	7,92,503/-
7.	सुविख्यात शिक्षकों को सवेतन छुट्टी	24,234/-
	कुल जोड़	रुपये 27,54,737/-

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

6.17.1 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्य संबंधन, शैक्षिक जैसे बहुविधि कार्यकलाप करना है जो परीक्षा के अलावा उसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।

संबंधन

6.17.2 रिपोर्ट की अवधि के दौरान, बोर्ड ने अपनी वर्तमान श्रृंखला में और 342 नए स्कूल जोड़े हैं। तथापि, संबंधन कार्य कड़े विस्तृत निरीक्षण के अधीन किए जाते हैं जिन्हें बोर्ड नियमित अंतरालों पर करता है ताकि शिक्षा के स्तर और छात्रों तथा अध्यापकों को दी जाने वाली अवसंरचनात्मक सुविधाओं पर सख्त निगरानी रखी जा सके।

शैक्षिक कार्य

6.17.3 मुख्य बल इससे सम्बंधित स्कूलों में शिक्षा की कोटि से सुधार लाने की दिशा पर दिया जाता है।

पाठ्यचर्या नवीकरण

6.17.4 बोर्ड द्वारा तैयार की गई पाठ्यचर्या की मुख्य शक्ति देश के विभिन्न भागों और विदेशों में रहने वाले छात्रों की विभिन्न माँगों को पूरा करना इस के लचीलेपन मे है। इसके परिणामस्वरूप, पाठ्यक्रम को माध्यमिक स्तरों के लिए, शिक्षण कार्य मे रत अध्यापकों, विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम समितियों, को शामिल करके नियमित आधार पर अद्यतन बनाया जाता है। ये समितियाँ पाठ्यक्रम की निम्नलिखित दृष्टिकोणों से समीक्षात्मक छानबीन करती है :-

1. लोप करना : विषयगत तर्क तथा तात्विकता में विघ्न डाले बिना।

2. वर्तमान विषयवस्तु की गहराई का और अधिक विस्तार से इस प्रकार विश्लेषण करना कि पाठ्यक्रम की व्याख्या सभी सम्बन्धितों द्वारा उसी प्रकार की जाए।

3. विषय सामग्री के सामंजस्य तथा तर्क को बनाए रखने के उद्देश्य से यदि आवश्यक हो तो उसमें जोड़ना।

4. यदि आवश्यक हो तो विषय-वस्तु का पुनः विन्यास करना ताकि पाठ्यक्रम को अध्ययन प्रक्रिया के दौरान उसकी प्रस्तुति में और अधिक तर्क संगत बनाया जा सके।

6.17.5 व्यावहारिक रूप में पाठ्यचर्याओं को दो वर्ष पहले प्रकाशित किया जाता है जिससे शिक्षको और छात्रों

को अपने को इन परिवर्तनों के अनुकूल बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। इस अवधि के दौरान बोर्ड द्वारा निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गए :-

1. माध्यमिक स्कूल पाठ्यचर्या, 1995
खण्ड-I - मुख्य विषयों के लिए

2. माध्यमिक स्कूल पाठ्यचर्या, 1995
खण्ड-II - भाषाओं के लिए

3. सीनियर स्कूल पाठ्यचर्या, 1995
खण्ड-I - मुख्य विषयों के लिए

4. सीनियर स्कूल पाठ्यचर्या, 1995
खण्ड-II - भाषाओं के लिए

6.17.6 सीनियर स्कूल पाठ्यचर्या, 1995 के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक विज्ञान विषयों अर्थात् भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीवविज्ञान के व्यावहारिक पत्रों के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाओं का शामिल किया जाना है। प्रयोगों की विभिन्न कोटियों के प्रत्येक भाग के लिए व्यावहारिक प्रश्न पत्र बनाने, अंक देने सम्बन्धी योजना विकसित करने और सुझाए गए अंकों के विभाजन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन पर इसके अधीन समुचित विचार-विमर्श किया गया है।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम

6.17.7 चालू सत्र में, वाणिज्य तथा कृषि पर आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अकेले विषय को स्वत: पूर्ण पैकेजों में परिवर्तित किया गया ताकि इसे और अधिक कौशल उन्मुख बनाया जा सके। सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में स्व:रोजगार की मांगों को पूरा करने के लिए सामान्य बुनियादी पाठ्यक्रम को संशोधित किया गया तथा इसे अद्यतन बनाया गया। नए पाठ्यक्रम में अपेक्षित कौशल के अतिरिक्त पर्याप्त आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्यावरण शिक्षा तथा वाणिज्यिक गणित के घटक शामिल हैं। स्व: रोजगार की नई संभावनाओं की खोज करने के लिए यह आरंभ किया गया।

भविष्य विज्ञान

6.17.8 वर्ष 1992-93 के दौरान कार्य अनुभव के अन्तर्गत भविष्य विज्ञान अथवा भविष्य अध्ययन एक वैकल्पिक कार्यकलाप के रूप में आरंभ किया गया। बोर्ड ने भविष्य में और अधिक समझ को सरल बनाने के लिए "भविष्य विज्ञान कार्य अनुभव के अन्तर्गत एक वैकल्पिक कार्यकलाप" नामक विस्तृत पुस्तिका तैयार की है।

शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रबोधन कार्यक्रम

6.17.9 वर्ष के दौरान बोर्ड ने शिक्षकों के लिए विभिन्न प्रबोधन कार्यक्रम शुरू किए। "विज्ञान शिक्षा तथा सृजनात्मकता" पर एक गहन कार्यक्रम जून में आयोजित किया गया था। इसी प्रकार, बोर्ड ने शिक्षकों के लिए समाज विज्ञान तथा भविष्य विज्ञान पर अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए थे।

प्रश्न पत्रों का गहन विश्लेषण

6.17.10 बोर्ड ने प्रत्येक विषय के प्रश्न-पत्र बनाने के लिए "अभिकल्प" तैयार किए थे। ये अभिकल्प मूल्यांकन के वृहद पैरामीटरों अर्थात् व्यापक परीक्षण तथा उद्देश्य पर आधारित निर्धारण में समानता तथा वास्तविकता पर आधारित है।

के.मा.शि.बोर्ड. ई.एल.टी. परियोजना

6.17.11 बोर्ड द्वारा "अंग्रेजी में अन्योन्यक्रिया" श्रृंखला के अन्तर्गत कक्षा ix और x के लिए नई पाठ्यपुस्तक का परीक्षणात्मक तथा छात्रों का संस्करण प्रकाशित किया गया था। इसी श्रृंखला के अन्तर्गत कक्षा ix के लिए ऑडियो कैसेट भी तैयार किए गए। बोर्ड ने सारे देश में 42 पाठ्यक्रमों का भी आयोजन किया है, जिसमें भारत, दुबई और बहरीन में लगभग 1200 अंग्रेजी अध्यापकों को ई.एल.टी. परियोजना दल के सदस्यों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षकों को पाठ्यक्रम संबंध ी और परीक्षा सामग्रियों, संपर्क के माध्यम से अध्ययन और अध्यापन, कक्षा कार्य नीतियों, नए परीक्षा स्वरूपों और लक्ष्यों से अवगत करवाया गया। इन सभी पाठ्यक्रमों का अनुवीक्षण केन्द्रीय उच्चतर शिक्षा बोर्ड, ब्रिटिश काउंसिल एवं सेंट मार्क कालेज और सेन्ट जॉन फाउंडेशन

प्लेमाउथ के विशेषज्ञों द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त सी.आई.ई.एफ.एल., हैदराबाद के सहयोग से बोर्ड ने स्कूलों में नई पाठ्यचर्या के निर्वचन का अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन कार्यान्वित करना प्रारम्भ किया है। यह दो वर्षीय परियोजना है जिसमें शिक्षक अनुवीक्षकों एवं मूल्यांकन कर्ताओं को सम्मिलित किया जाएगा।

परीक्षा

विविध सैटों का प्रचलन

6.17.12 वर्ष 1993 में प्रश्न-पत्रों के विविध सेटों का दूसरी बार प्रयोग किया गया। इस वर्ष इनका प्रयोग सभी क्षेत्रों एवं विदेश स्थित केन्द्रों में एक समान किया गया था। सेटों में समस्तरता स्थापित करने के लिए इस वर्ष प्रश्न-पत्रों के केवल तीन सेटों का प्रयोग किया गया था, और सभी सेटों में लगभग 70% प्रश्न समान थे, यद्यपि अलग-अलग क्रम में थे। विविध सैटों की योजना व्यापक नकल से बचाव के अतिरिक्त कई क्षेत्रों में लाभदायक सिद्ध हुई है। विविध सेट योजना ने व्यापक नकल की बुराई के उन्मूलन तथा शिक्षण अध्ययन प्रक्रियाओं में सुधार में अपनी सफलता सिद्ध की है, जहां चुनिन्दा शिक्षण और अध्ययन की अपेक्षा अब संपूर्ण पाठ्यक्रम पर बल दिया जाता है और पास प्रतिशतता में वृद्धि हुई है।

सहज एवं निष्पक्ष परीक्षा

6.17.13 लगातार सुधार के कारण मार्च में ली गई बोर्ड की परीक्षाएं सहजता से हो गईं और व्यापक नकल की कोई भी घटना नहीं हुई। इसका श्रेय भी बोर्ड को जाता है कि पिछले दस वर्षों से कोई प्रश्न-पत्र लीक नहीं हुआ है।

परिणामों की समय पर घोषणा

6.17.14 परिणाम समय पर घोषित कर दिये गये थे और बोर्ड ने यथासंभव त्रुटि रहित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाये थे। किन्हीं भी छूटी हुई अथवा संभावित त्रुटियों को दूर करने के लिए समन्वयन, सारणीकरण, अंक तालिकाओं आदि की अतिरिक्त जाँच की गई थी। सुधार हालांकि, एक सतत प्रक्रिया है और बोर्ड के लिए लगातार मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य कर रही है। विद्यार्थियों की कठिनाईयों को कम करने के उद्देश्य से बोर्ड ने इस वर्ष से xii वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को विषय बदलने की अनुमति प्रदान करने का निश्चय किया है। यद्यपि, ये सुविधा केवल विज्ञान विषय से मानविकी या वाणिज्य में परिवर्तन तक सीमित है।

जन-संपर्को एवं जन शिकायत निवारण पर ध्यान केन्द्रित करना

6.17.15 अपनी जन शिकायत व्यवस्था में सुधार की दृष्टि से बोर्ड ने जन शिकायतों को दूर करने के लिए कड़े कदम उठाये हैं। क्षेत्रीय अधिकारियों को भी सभी जन-शिकायतों को शीघ्रता एवं तत्परता से निपटाने के आदेश दिये गये हैं।

नवोदय विद्यालय समिति

6.18.1 यह सर्व स्वीकार्य हैं कि विशिष्ट प्रतिभा वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा सुविधाएँ उपलब्ध करा के तेज गति से आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने चाहिये चाहे वे इसकी कीमत अदा करने की क्षमता न रखते हों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से यह परिकल्पना की गई थी कि इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक दिये हुए नमूने पर "पेस सेटिंग स्कूल" स्थापित किये जाएँ जिसमें नवीन पद्धतियों और प्रयोगों की गुंजाइश हो। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों को अच्छी आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1985-86 में देश के प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय स्थापित करने की योजना प्रारम्भ की थी जिसका प्रबंधन नवोदय विद्यालय समिति नामक एक स्वायत्त संगठन द्वारा किया जा रहा है। समिति के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है:-

समानता एवं सामाजिक न्याय के साथ उत्कृष्टता के उद्देश्यों को पूरा करना, देश के विभिन्न भागों के बच्चों को साथ रहने और सीखने का अवसर प्रदान करने के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, उनकी क्षमता का पूर्ण रूप से विकास करना और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय विकास के लिए प्रेरणादायक बनना।

6.18.2 नवोदय विद्यालयों छठी कक्षा के स्तर पर प्रवेश, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा पर आधारित होता है। परीक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होता है। परीक्षा अधिकांश रूप से अमौखिक प्रकृति की और किसी वर्ग विशेष की नहीं होती और इस प्रकार तैयार की जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चे बिना किसी हानि के इसमें भाग ले सकें। इस तरह प्रवेश दिये गये विद्यार्थियों को आठवीं कक्षा तक शिक्षा उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा सें दी जाती है, जिसके दौरान भाषा विषय एवं सह माध्यम के रूप में हिन्दी/अंग्रेजी का गहन प्रशिक्षण दिया जाता है। तत्पश्चात नवीं कक्षा सें हिन्दी/अंग्रेजी को समान माध्यम के रूप में चलाया जाता है।

6.18.3 इस समय प्रत्येक विद्यालय से 30% विद्यार्थियों का स्थानांतरण विभिन्न भाषायी क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में हुआ है। स्थानान्तरण मुख्यत: हिन्दी भाषी और अहिन्दी-भाषी जिलों के बीच में है। छात्रों सें माता-पिता ने स्वेच्छा से स्थानांतरण की योजना स्वीकार कर ली है। नवोदय विद्यालय त्रिभाषी सूत्र का अनुसरण करते हैं।

6.18.4 ये विद्यालय सह-शैक्षणिक हैं जिनमें शहरी क्षेत्रों के बच्चों को प्रवेश सामान्यत: 25% सीटों पर ही दिया जाता है। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रत्येक विद्यालय में कम सें कम एक तिहाई बच्चे लड़कियाँ हों। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सीटों का आरक्षण संबंधित जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जाता है बशर्ते किसी भी जिले में ऐसा आरक्षण राष्ट्रीय स्तर सें कम न हो।

6.18.5 ये विद्यालय +2 स्तर तक मानविकी, वाणिज्य, विज्ञान और व्यावसायिक शिक्षा की धाराओं में शिक्षा प्रदान करते हैं और के.मा.शि.बो. से संबद्ध हैं। इस समय देश के 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 339 संस्वीकृत विद्यालय कार्य कर रहे है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के राज्यों ने अभी नवोदय विद्यालय योजना के कार्यान्वयन की इच्छा व्यक्त नहीं की है। सरकार ने चालू योजना अवधि के दौरान प्रति वर्ष 50 विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। चालू वर्ष में छात्रों की संख्या लगभग 1,20,000 है। चूंकि विद्यालय आवासीय हैं और विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित हैं, अत: अच्छे शिक्षकों/प्रधानाचार्यों को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं :-

(i) नि:शुल्क आंशिक रूप से सुसज्जित आवास, जैसा कि उस स्थान पर उपलब्ध होगा।

(ii) नियमानुसार बाल शिक्षा भत्ता।

(iii) छात्रों के साथ रह रहे गृह स्वामियों और शिक्षकों के लिए नि:शुल्क भोजन एवं आवास सुविधाएँ।

(iv) सभी अध्यापकों को मुफ्त मध्याह्न भोजन।

(V) समिति के नियम अनुसार पत्नी/पति की नियुक्ति की सुविधा।

(vi) अध्यापकों के बच्चों को विद्यालयों में बिना परीक्षा के प्रवेश।

6.18.6 आवासीय स्कूलों में कार्य करने के लिए भिन्न-भिन्न पृष्ठ भूमियों से आने वाले अध्यापकों व प्रधानाध्यापकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से उन्हें पर्याप्त अभिविन्यास प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रत्येक अध्यापक व प्रधानाध्यापक 3 वर्षों में कम से कम एक बार प्रशिक्षण प्राप्त कर सके इस उद्देश्य के लिए नियमित रूप से सेवाकालीन पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त संगीत, योग, एस.यू.पी.डब्ल्यू व कला के अध्यापकों के लिए सेवाकालीन पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

6.18.7 दिल्ली में मुख्यालय के साथ समिति के पुणे, भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, शिलांग व लखनऊ में 7 क्षेत्रीय कार्यालय है। चालू वर्ष के दौरान समिति ने पटना में एक और क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का निर्णय किया है। इन क्षेत्रीय कार्यालयों में से प्रत्येक अपने क्षेत्राधिकार के अधीन विद्यालयों के शैक्षिक, वित्तीय व प्रशासनिक कार्यों का अनुवीक्षण करते हैं। कार्यकारी इंजीनियर की सहायता में क्षेत्रीय कार्यालय विद्यालयों सें निर्माण कार्यों का अनुवीक्षण भी करते हैं।

6.18.8 जहाँ अभी तक विद्यालयों के निर्माण कार्य का संबंध है, 236 विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए

प्रशासनिक अनुमोदन दिया जा चुका है। करीब 229 विद्यालयों में निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है। हालांकि कुछ भवन अभी अधूरे बने हैं, परंतु करीब 187 विद्यालय अपने भवनों में कार्य कर रहे है।

केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन

6.19.1 केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन की स्थापना 1961 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी जिसका उद्देश्य तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों के लिए शिक्षा संस्थाओं को चलाना, प्रबन्ध करना तथा उन्हें सहायता प्रदान करना है। तभी से इन स्कूलों ने तिब्बतियों को अपनी परम्परागत प्रणाली तथा संस्कृति को बनाए रखते हुए इस संप्रदाय को आधुनिक शिक्षा के सभी पहलुओं से अवगत कराया है। चालू वर्ष के दौरान प्रशासन पूरे भारत में 94 स्कूल चला रहा है जिनमें 13 सहायता अनुदान प्राप्त तथा 51 पूर्व प्राथमिक स्कूल हैं तथा इनमें लगभग 12,800 छात्र पढ़ रहे हैं। यह स्कूल केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बंधित है। ये स्कूल मुख्य रूप से उन स्थानो पर स्थित हैं जहाँ तिब्बती लोगों की पर्याप्त संख्या है और अधिकतर पर्वतीय क्षेत्रों में हैं। प्रशासन 5 आवासीय स्कूल भी चला रहा है। तिब्बती छात्रों को कक्षा I से XII तक नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। इन स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। तथापि, कक्षा I से आगे हिन्दी तथा तिब्बती एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। वर्ष 1993-94 के दौरान 2 स्कूलों में प्रयोग के आधार पर तिब्बती को शिक्षण के माध्यम के रूप में शुरू किया गया है। शिक्षा के एक समान स्तरों को सुनिश्चित करने केलिए कक्षा 5,8,9 तथा 11 के लिए अखिल भारतीय वार्षिक परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं। कक्षा I सें X तक सभी छात्रों के लिए तिब्बती संगीत तथा नृत्य एक अनिवार्य सह-पाठ्यचर्या है। स्कूलों के बच्चों को मध्यान्ह भोजन प्रदान किया जाता हैं।

16.19.2 व्यावसायिक पद्धति के अंतर्गत, टंकण तथा आशुलिपि, लेखा परीक्षा तथा लेखा और स्टोर कीपिंग को तिब्बती स्कूलों में एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है।

16.19.3 वर्ष 1993 सें कक्षा X तथा XII की बोर्ड की परीक्षाओं में छात्रों की पास प्रतिशतता क्रमश: 72.13% तथा 80.62% रही।

16.19.4 छात्रों को कम्प्यूटर की व्यापक जानकारी प्रदान करने तथा उनका उपयोग करने के उद्देश्य से प्रशासन ने 1985-86 से 7 स्कूलों में संगणक साक्षरता की एक प्रमुख परियोजना शुरू की थी। सरकार ने संगणक विज्ञान के सिद्धान्तों के अध्ययन के स्थान पर दक्षता पर अधिक बल दिया। परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन प्रत्येक वर्ष प्रतिष्ठान दिवस पर क्षेत्रीय बैठकें आयोजित करता है। इन बैठकों का आयोजन क्षेत्र के आधार पर विभिन्न तिब्बती स्कूलों में होता हैं। प्रत्येक क्षेत्र के स्कूलों के छात्र तिब्बती नृत्य, नाटक आदि सहित खेल-कूद तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों पर अपने कौशल प्रदर्शित करते हैं। ये क्रियाकलाप पहले क्षेत्रीय आधार पर किए जाते हैं तथा विजयी छात्रों को केन्द्रीय प्रतियोगिता के लिए चुना जाता हैं।

16.19.5 प्रशासन उत्तर स्कूल शिक्षा के लिए भी कुछ सुविधाएँ प्रदान करता है। विभिन्न तिब्बती स्कूलों से पास होने वाले मेघावी छात्रों को पन्द्रह छात्रवृत्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं। जो छात्र + 2 स्तर पर कम से कम 60% अंक प्राप्त करता है तथा जिसकी आयु 17-22 वर्ष के बीच होती है उसे कला, विज्ञान, इंजीनियरी आदि में आगे अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती हैं। वर्ष 1992-93 के दौरान, लगभग 1.6 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। बोर्ड की परीक्षा में कम-से-कम 55% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने के लिए 5 छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने की एक योजना हैं। वर्ष 1992-93 के दौरान भारत सरकार ने मैडिसन, इंजीनियरी, फार्मेसी आदि के क्षेत्र में विभिन्न तकनीकी संस्थाओं में अध्ययन के लिए मेघावी तिब्बती छात्रों के लिए 7 स्थान प्रदान किए हैं। रा.शै.अ.प्र. परिषद् ने अपने क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेजों में अध्ययन के लिए 8 स्थान प्रदान किए हैं।

16.19.6 स्थानीय तिब्बती समुदाय तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के बीच उचित संपर्क स्थापित करने के लिए प्रत्येक स्कूल में एक स्थानीय सलाहकार समिति गठित

की गई है। समिति दिन-प्रतिदिन की आने वाली समस्याओं के अलावा स्कूलों की प्रगति का अनुवीक्षण भी करती है।

16.19.7 शिक्षा के नवीनतम घटनाक्रमों तथा तकनीकों से अवगत कराने के लिए प्रशासन सतत् प्रयासरत है ताकि विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षणों के जरिए शिक्षकों तथा प्रिंसिपलों को जानकारी दी जा सके। केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन द्वारा सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है जो विकास तथा क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं तथा प्रशासन द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए उचित समय निर्धारित करने के लिए एक कैलेंडर तैयार किया गया है। प्रशासन ने विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संचालन को सरल बनाने के लिए मसूरी में एक स्वतंत्र प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया है। प्रशासन ने विभिन्न कर्मचारियों के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएँ शुरू की हैं। प्रशासन की शासी निकाय ने प्रिंसिपल/मुख्याध्यापक/पी.जी.टी./टी.जी.टी./पी.एस.टी. / अन्य जैसी विभिन्न श्रेणियो में उत्कृष्ट शिक्षकों को पुरस्कृत करने के लिए एक प्रोत्साहन योजना अनुमोदित की है। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले (शिक्षक) अपनी सेवा निवृत्ति के बाद की दो वर्ष की सेवा विस्तार के पात्र होंगे। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन इस प्रयोजनार्थ गठित चयन समिति की सिफारिश पर प्रशासन के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।

16.19.8 तिब्बती बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने तथा स्कूल स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की दृष्टि से प्रशासन 1992-93 के दौरान 51 स्कूल चला रहा था। 1992-93 के दौरान 60 स्कूल चलाने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि इन स्कूलों को तिब्बती समुदाय में काफी लोकप्रियता प्राप्त हुई है। ये स्कूल औपचारिक शिक्षा में तिब्बती बच्चों की रूचि बढ़ाने में बहुत ही कारगर साबित हुए हैं। पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन ने बच्चों के शिक्षण से संबंधित कार्यक्रम, शिक्षण सामग्री, खेल-सामग्री तथा उपकरण तैयार किये हैं तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के विशेषज्ञों के माध्यम से प्रशासन ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की है।

16.19.9 केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। राजभाषा के रूप में हिन्दी सीखने तथा उसका प्रयोग करने के लिए सभी कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाता है। चालू वर्ष के दौरान मुख्यालयों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वि.सं.)

6.20.1 विभिन्न रक्षा प्रतिष्ठानों में चल रहे तत्कालीन क्षेत्रीय (रेजिमेंटल) स्कूलों के अंगीकृत करते हुए 20 स्कूलों के साथ वर्ष 1963-64 में केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वि.सं.) ने एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य प्रारंभ किया था। तब से विद्यालयों की संख्या बढ़कर 795 हो गई है। इन विद्यालयों में दाखिलों की कुल संख्या लगभग 7,00,000 है। वर्ष 1993-94 में प्रधानाचार्यों सहित स्टॉफ की संस्वीकृत क्षमता लगभग 42,000 है।

6.20.2 केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने स्कूली शिक्षा में गति निर्धारक के रूप में अपना अस्तित्व बनाया। उनकी शुरूआत के साथ ही उन्हें कुछ अपरिहार्य कार्य सौंपे गए। शिक्षा में उच्च गुणवत्ता लाने के लिए भली-भाँति चुने गये शैक्षिक कर्मचारी तथा विषय और कार्य पद्धति से संबंधित क्षेत्रों में उनके आवधिक प्रबोधन प्रमुख कारक है। सावधानी पूर्वक तैयार की गई पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार पाठ्यक्रम पाठ्य-पुस्तकों और शिक्षकों के लिए दिशा-निर्देशों का समरूप विभाजन अद्यतन शिक्षण पद्धतियाँ, सुव्यवस्थित सह-पाठ्यचर्या कार्यकलाप, स्काउट एवं गाइड के विस्तार कार्य कलापों सहित खेलकूद रोमांचक कार्यकलाप कक्षा कार्य के पूरक के रूप में संगत पुस्तकालय सेवायें सामान्य ज्ञान परीक्षा, गणित ओलम्पियाड, विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं, राष्ट्रकुल निबंध प्रतियोगिताओं इत्यादि जैसी प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों के लिए संग्रह से लेकर खोज परक प्रकार के प्रदर्शनों से संबंधित परियोजनाएँ कम्प्यूटर सहित दृश्य

श्रृव्य सामग्री का उपयोग कुछ ऐसे प्रमुख कारक हैं जिनसे शैक्षिक उत्कृष्टता तथा विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास के कार्य करने में मदद मिली है।

6.20.3 केन्द्रीय विद्यालय संगठन शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता की बेहतरी के लिए दृढ़ प्रयास कर रहा है जिसका संकेत केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में विद्यार्थियों की उपलब्धियों में देखा जा सकता है। वर्ष 1993 की कक्षा X की परीक्षा सें विद्यार्थियों की उपलब्धि 87.74% तथा वर्ष 1993 की कक्षा XII में 82.12% थी।

6.20.4 सभी विद्यालयों में कक्षा VIII तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है तथा कक्षा IX से XII तक के ऐसे छात्रों से विभिन्न दरों से शिक्षण शुल्क लिए जाते हैं जो अपने अभिभावकों की आय पर ही आश्रित होते हैं। छात्राओं, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के बच्चों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियो तथा 1962, 1965 तथा 1971 के दौरान शहीद विकलांग हो गए सशस्त्र सैन्य बलों के अधिकारियों और जवानों के बच्चों को कक्षा XII तक शुल्क के भुगतान से मुक्त रखा जाता है।

6.20.5 प्रथम शिक्षार्थियों बच्चों के लिए सहायता दिशा-निर्देश तथा पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रतिभावान बच्चों के लिए एक त्वरित अधिगत कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम में किए जाने वाले कार्यकलाप हैं पर्यावरण का निरीक्षण, पत्रिका तैयार करना विभिन्न विषयों प्रश्न-पत्रों को तैयार करना प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम कहानियों, कविताओं का मंचन, इत्यादि। कार्यक्रम में आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों की पहचान करने, उनकी कमजोरी दूर करने तथा वैयक्तिक मार्गदर्शन तथा उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से अपनी कमियों को पूरा करने के लिए उन्हें सक्षम बनाने के कार्यों को शुरू किया गया है। शिक्षकों के अलावा विद्यार्थी भी विभिन्न विषयों को सीखने में इन बच्चों की सहायता करते हैं। सभी के दृष्टिकोणों का सम्मान करना, बोलने में विनम्रता, प्रतिबिम्बात्मक विचारों की प्रशंसा करना, कर्तव्य के प्रति समर्पण की भावना, काम की प्रतिष्ठा, टीम भावना, सभी के विषय में चिंतन करना इत्यादि जैसे राष्ट्रीय मूल्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी विद्यालयों में शिक्षा मूल्य से संबंधित कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। ये सभी राष्ट्रीय मूल्य विद्यालयों की प्रातःकालीन सभा में सामान्यतया प्रतिबिम्बित होते है। कम्प्यूटर साक्षरता पर एक परिचालक परियोजना विद्यार्थियों में कम्प्यूटर जागरूकता उत्पन्न करने की दृष्टि से अनेक विद्यालयों में चलाई जा रही है। जिसे वर्ष 1984-85 में प्रारंभ किया गया था।

6.20.6 केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर परियोजनाओं के रूप में राष्ट्रीय सत्यनिष्ठा तथा अंतर्राष्ट्रीय समझ के कार्य को आरंभ किया गया हैं। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों में सामाजिक विज्ञान में उनकी रूचि में वृद्धि करने तथा विविध राज्यों की समृद्ध संस्कृति के प्रति सराहना तथा समझदारी के भाव को विकसित करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष एक सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। इसके साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय ज्ञान की विकसित करने की दृष्टि से सम्मिलित स्कूल परियोजना के अंतर्गत प्रति वर्ष एक प्रर्दशनी आयोजित की जाती है। वर्ष 1993-94 के दौरान 10 से 13 जनवरी, 1994 तक इस प्रदर्शनी का आयोजन बंबई में किया जाना निर्धारित था। विज्ञान शिक्षा में उत्कृष्टता लाने के उद्देश्य से सभी विद्यालय स्थानीय रूप से एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं। इनमें सें सर्वोत्तम क्षेत्रों को भाग लेने के लिए क्षेत्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में भेजा जाता है और क्षेत्रीय प्रदर्शनी में से संभावित सर्वोत्तम प्रदर्शों को अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्याल संगठन विज्ञान प्रदर्शनी में भेजा जाता है। इस वर्ष के दौरान, केन्द्रीय विद्यालय संगठन विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन मद्रास में जुलाई, 1994 में किये जाने का प्रस्ताव हैं।

6.20.7 देश की लोकतांत्रिक संरचना को समझने तथा इसे सुदृढ़ बनाने और विद्यार्थियों के मस्तिष्क में अनुशासन की स्वस्थ प्रवृत्ति को समाजित करने के उद्देश्य से विद्यालयों में युवा संसद योजना को लोकप्रिय बनाया गया है। संसदीय प्रक्रिया और कार्यवाही की जानकारी की सहिष्णुता इस योजना के कुछ कार्यकलाप है। देश भर में विभिन्न स्तरों पर यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है।

6.20.8 विद्यार्थियों में कुशलता और प्रतिभा की पहचान करने के उद्देश्य से केन्द्रीय विद्यालय संगठन खेल-कूद के क्षेत्र में प्रबल और दीर्घकालिक प्रयास कर रहा है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए के. वि. सं. ने अनेक कार्यक्रमों को शुरू किया हैं। प्रत्येक वर्ष फुटबाल, कुश्ती, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हाकी, तैराकी और गोताखोरी, आदि के लिए प्रशिक्षण कैम्प लगाए जाते हैं। इन खेलों में लगभग 700 विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यालय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक खेलकूद के आयोजन के लिए वर्ष भर का कार्यक्रम तैयार और कार्यान्वित किया जाता है। 1993 के दौरान के. वि. सं. के सभी 18 क्षेत्रों ने इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। हैदराबाद क्षेत्र में बालकों के लिए तथा मद्रास क्षेत्र में बालिकाओं के लिए के. वि. सं. की राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें लगभग 8,000 विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। के. वि. सं. को भारतीय स्कूल खेलकूद संघ (एस.जी.एफ.आई.) का संवर्द्धन प्राप्त हैं। और इसने इसके द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिताओं में भाग लिया हैं। वर्तमान समय में एस.जी.एफ.आई. की प्रतियोगिताएं देश के विभिन्न भागों में चल रही हैं। के. वि. सं. के विद्यार्थियों ने अभी तक वालीबाल, तैराकी, कुश्ती, टेबल टेनिस, फुटबाल, कबड्डी, खो-खो, बास्केटबाल बैडमिंटन, क्रिकेट की प्रतियोगिताओं में भाग लिया है और 6 स्वर्ण तथा 2 रजत मेडल प्राप्त किए हैं।

6.20.9 के. वि. सं. प्रत्येक वर्ष वृहत पैमाने पर लंबी पैदल यात्राओं एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करता हैं। रिवाल सारलेक में माउंटेन ट्रैक, जिम कार्बेट ट्रैक, द्वारका से सोमनाथ मंदिर तक साइकिल सफारी जैसी विभिन्न कार्यक्रमों में लगभग 40 विद्यार्थी भाग लेते हैं।

6.20.10 वर्षों बाद के. वि. सं. के कार्यकलापों में स्काउट गाइड आंदोलन को गति मिली हैं। कार्यकलापों की आयोजना करने और उन्हें आयोजित करने के लिए लगभग 60,000 स्काउट और गाइड तथा 5,000 प्रशिक्षित स्काउट मास्टर और गाइट कैप्टन हैं। स्काउट और गाइड कार्यकलाप विद्यालयों में आयोजित किए जाते हैं और फिर क्षेत्रीय स्तर पर जो अंत में के. वि. सं. राज्य रैली के रूप में बदल जाते हैं जिसे प्रत्येक दूसरे वर्ष आयोजित किया जाता है इस वर्ष के दौरान राज्य रैली पालघाट (केरल) में आयोजित किये जाने का प्रस्ताव हैं।

6.20.11 नवीनतम विकासों, तकनीकों और अध्यापन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए के. वि सं. अपने शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के व्यावसायिक विकास के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। इससे उन्हें शिक्षण क्षेत्र में नवीनतम नवाचारों से भी अवगत कराया जाता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए के. वि. सं. अपने विभिन्न कर्मचारियों के लिए अनेक सेवाकालीन पाठ्यक्रमों, प्रबोधन पाठ्यक्रमों और प्रारंभिक पाठ्यक्रमों को सम्मेलन आयोजन करता हैं।

वर्ष 1993-94 के दौरान निम्नलिखित सेवाकालीन पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

	पाठ्यक्रमों की संख्या	शिक्षकों की संख्या
1. प्राथमिक शिक्षक	29	1750
2. विविध संवर्ग (संगीत, ड्राइंग, एस.यू.पी. डब्ल्यू, और शारीरिक शिक्षा शिक्षक)	07	450
3. प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत)	17	1200

4.	स्नातकोत्तर (शिक्षक अंग्रेजी, हिंदी, भौतिक, शास्त्र, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, .भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य)	13	800
5.	प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका	02	120
6.	निदेशकों और पी.आर.टी. के लिए संसाधन व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम	03	180
7.	निदेशकों और टी.जी.टी. के लिए संसाधन व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम	05	70

उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान

7

उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

उच्चतर शिक्षा पद्धति का विकास:

7.1.1 वर्ष 1993-94 के प्रारम्भ में विश्वविद्यलयों तथा कालेजों में छात्रों का कुल नामांकन 48.05 लाख था। यह पिछले वर्ष के नामांकन से 1.94 लाख अधिक था। विश्वविद्यालय विभागों में नामांकन 7.95 लाख था और सम्बद्ध कालेजो में 40.09 लाख था।

7.1.2 कला-संकाय में नामांकन कुल नामांकन का 40.4 प्रतिशत था। विज्ञान और वाणिज्य संकायों में नामांकन क्रमशः 19.6 और 21.9 प्रतिशत था। प्रथम डिग्री स्तर पर नामांकन 42.33 लाख (88.1) स्नातकोत्तर स्तर पर 4.56 लाख (9.5 प्रतिशत) अनुसन्धान स्तर पर 0.53 लाख (1.1 प्रतिशत) और डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्र स्तर पर 0.62 लाख (1.3%) था। वर्ष के दौरान शिक्षकों की संख्या में 2.78 लाख की वृद्धि हुई। इनमें से 0.63 लाख विश्वविद्यालय विभागों/विश्वविद्यालय कालेजो में थे तथा शेष सम्बद्ध कालेजों में थे। विश्वविद्यालयों में 62.716 शिक्षकों में से, 8029 प्रोफेसर, 16431 रीडर, 35,748 लेक्चरर और 2508 ट्यूटरों/प्रदर्शक (डिमांस्ट्रेटर) थे। सम्बद्ध कालेजों में, वरिष्ठ शिक्षकों की संख्या 29917, लेक्चररों की संख्या 175846 और ट्यूटरों/ प्रदर्शकों (डिमान्सट्रेटर) की संख्या 9471 थी।

7.1.3 नवम्बर, 1993 तक, देश में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या 1993 और सम-विश्वविद्यालयों की कुल संख्या 34 थी।

महिलाओं में उच्चतर शिक्षा

7.1.4 वर्ष 1993-94 के प्रारम्भ में महिला-छात्रों का नामांकन पिछले वर्ष के 15.12 लाख के मुकाबले में 15.90 लाख था। स्नातकोत्तर स्तर पर महिलाओं का कुल नामांकन 34.9 प्रतिशत था। महिला छात्रों का सबसे अधिक नामांकन केरल (53.3%) हुआ और उसके बाद पंजाब (48.5%) दिल्ली (46.6%) हरियाणा (42.5%) मेघालय/नागालैण्ड/मिजोरम (39.3%) तमिलनाडु (38.6%) और पश्चिम बंगाल/त्रिपुरा/सिक्किम (38.7%) हुआ। बिहार में महिलाओं का नामांकन सबसे कम (16.10%) हुआ।

आयोग के कार्यक्रम और कार्यकलाप-

7.1.5 वर्ष के दौरान जिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाया गया, वे इस प्रकार हैं स्वायत्त कालेज, पाठ्यक्रमों क पुनः संरचना, शिक्षकों के प्रबोधन के लिए शैक्षिक स्टाफ कालेज, लेक्चररों की नियुक्ति के लिए पात्रता-परीक्षा, अन्तर विश्वविद्यालय केन्द्र और संकाय, दूरस्थ शिक्षा, शिक्षा वृत्तिया/छात्रवृत्तियां विशेष सहायता वाले कार्यक्रम सी. ओ. एस. आई. एस. टी. प्रौढ़ शिक्षा और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों,

विकलांगों और महिलाओं के लिए शिक्षा, जन-संचार और शैक्षिक प्रौद्योगिकी जाल-तंत्र का विस्तार, विश्वविद्यालयों में साहसिक खेलकूद, संगणकों के प्रयोग में कालेज शिक्षकों का प्रशिक्षण, स्नातकोत्तर स्तर पर संगणक अनुप्रायोग, पर्यावरण शिक्षा, ऊर्जा शिक्षा आदि। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्कीमों की पुनरीक्षा की गई तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यालय को कम्प्यूटरीकृत करने का कार्य आरम्भ किया गया था। विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में आयोग द्वारा किए गए प्रयासों का संक्षिप्त लेखा-जोखा निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है:—

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

स्वायत्त कालेज:

7.2.1 आयोग ने स्वायत्त कालेजों की अपनी योजना के जरिए स्वायत्तता की संकल्पना का बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के अपने प्रयासों को जारी रखा। पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट के आधार पर आयोग आठवीं योजना अवधि में इस योजना के लिए अपनी सहायता को जारी रखने के लिए सहमत था। फिलहाल जिन कालेजों को स्वायत्तता का दर्जा प्रदान किया गया है, उनकी कुल संख्या 107 है।

पाठ्यक्रमों की पुनः संरचना

7.2.2 सामान्य शिक्षा में अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों की पुनः संरचना की योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों की पर्यावरण के तथा समाज की विकासात्मक आवश्यकताओं के अधिक अनुरूप बनाने और शिक्षा को कार्य क्षेत्र/व्यावहारिक अनुभव तथा उत्पादकता के साथ जोड़ने क दृष्टि से आरम्भ की गई थी। अनेक विश्वविद्यालयों तथा कालेजों ने इन पाठ्यक्रमों को आरम्भ कर दिया है। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के पुनः संरचना के कार्यक्रम को प्रेरक सशक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विज्ञान मानविकीय भाषाओं और सामाजिक विज्ञानों तथा साथ ही पुस्तकालय विज्ञान जैसे विभिन्न विषयों में पाठ्यचर्या विकास रिपोर्ट को तैयार करवाया है। तीन रिपोर्टें प्रचार हेतु विश्वविद्यालयों तथा शिक्षाविदों को भेज दी गई हैं। इन रिपोर्टों में विद्यमान पाठ्यचर्याओं को पुनरीक्षा को आधुनिक बनाने तथा नई अध्यापन और पठन-सामग्रियों का विकास करने और उन्हें तैयार करने की दृष्टि से शामिल किया गया है। आयोग ने डिग्री स्तर पर विभिन्न विषयों में व्यावसायिक शिक्षा का विकास करने के लिए एक कोर-समिति का भी गठन किया है। मूल उद्देश्य उन विषयों/टापिकों में ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को विकसित करना है, जिनमें नौकरी सामर्थ्यता (स्व अथवा मजदूरी) बहुत अधिक है। विभिन्न विषयों में उप-ग्रुपों ने अवस्थापना समबन्धी अपेक्षाओं के अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के ब्यौरे तैयार किए और आशा की जाती है कि यह कार्यक्रम शैक्षिक सत्र 1994-95 से आरम्भ कर दिया जाएगा। इस बीच आयोग ने उन 314 कालेजों को अपनी-अपनी सहायता प्रदान करना जारी रखा जो कालेज विज्ञान सुधार कार्यक्रम (सी. ओ. एस. आई. पी.) को लागू कर रहे हैं। इसी प्रकार, नवम्बर, 1993 तक कालेज मानविकी और सामाजिक विज्ञानों के सुधार कार्यक्रम (सी. ओ. एच. एस. एस. आई. पी.) के संबध में 784 कालेज सहायता प्राप्त कर रहे हैं। इन योजनाओं की वर्ष के दौरान पुनरीक्षा की गई थी और संशोधित मार्गदर्शी रूपरेखाएं तैयार कर ली गई हैं।

विश्वविद्यालयों को योजनागत अनुदान:

7.2.3 फिलहाल, 101 विश्वविद्यालय (कृषि विश्वविद्यालयों को छोड़कर) विश्व विद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं, जबकि प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए सामान्य विकास के परिव्यय की राशि योजना अवधि के प्रारम्भ में तय की जाती है। तथा उस विशेष विश्वविद्यालय के विकास के चरण के आधार पर निर्धारित की जाती है। योजनाओं के लिए अनुदान, इस प्रकार की योजनाओं की समीक्षा के बाद विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर अनुदान प्रादन किए जाते हैं। वर्ष 1993-94 के प्रारम्भ में, विश्वविद्यालयों को 11,349 लाख की राशि का अनुदान प्रदान किया गया था।

कालेजों का विकास

7.2.4 कालेजों को VIII वीं योजना के अनुदान विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर और कालेज प्रधानाचार्यों तथा राज्य प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 1993-94 के प्रारम्भ में, पात्र कालेजों को 4839.72 लाख रूपये की राशि के अनुदानों का भुगतान किया गया था।

कार्यक्षमता में सुधार

7.2.5 आयोग ने नवम्बर, 1993 तक 116 विश्वविद्यालयों को संगणक सम्बन्धी सुविधाओं के लिए स्वीकृति दी है। इसके अतिरिक्त, आयोग ने इस अवधि तक 1532 कालेजों में संगणक संबंधी सुविधाओं को स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की। 31.3.94 तक लगभग 100 कालेजों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए इन सुविधाओं का उपयोग करने के अतिरिक्त इनका उपयोग छात्र रिकार्डों तथा लेखों और प्रशासन तथा प्रबन्ध के अपेक्षित अन्य आँकड़ों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। संगणक के प्रयोग में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक योजना भी इन कालेजों में आरम्भ की गई है तथा जिसके लिए संगणकों की खरीद हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। जिन 27 विश्वविद्यालयों से ये कालेज सम्बद्ध हैं, उनको योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया और कालेज शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य सौंपा गया था। विश्वविद्यालयों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में एक अतिरिक्त पेपर के रूप में संगणक अनुप्रयोग की शिक्षा प्रदान करने के लिए भी सहायता प्रदान की गई थी।

शिक्षक भर्ती, प्रशिक्षण और कार्य-निष्पादक मूल्यांकनः—

7.2.6 वर्ष के दौरान, आयोग ने लैक्चररशिप के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए तथा मानवीकी और सामाजिक विज्ञानों में कनिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्ति प्रदान करने के लिए अर्हता परीक्षा का आयोजन किया। विज्ञान विषयों में इस प्रकार की परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की गई थी। नई भर्ती तथा सेवा कालीन कालेज और विश्वविद्यालय लेक्चररों के प्रबोधन के लिए शैक्षिक स्टाफ प्रबोधन योजना के अंतर्गत आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षिक स्टाफ कालेजों ने अभी तक 867 प्रबोधन कार्यक्रम संचालित किए हैं जिनमें 24684 शिक्षकों को शामिल किया गया। इसी भाँति सेवाकालीन शिक्षकों के लिए अब तक 1225 पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनमें 33748 शिक्षकों को शामिल किया गया।

विशेष सहायता कार्यक्रमः—

7.2.7 आयोग उच्च अध्ययन के 41 केन्द्रों और विज्ञान, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में विशेष सहायता के 112 विभागों तथा 16 उच्च अध्ययन केन्द्रों और नवम्बर, 1993 तक मानविकी और समाज विज्ञानों में विशेष सहायता के 101 विभागों को पूर्ववत सहायता प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त, विज्ञान में 44 विभागीय अनुसंधान सहायता परियोजनाएं और मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों में 15 परियोजनाएं नवम्बर, 1993 तक कार्यान्वयनाधीन थी। आयोग ने कुछेक विभागों की मान्यता भी समाप्त कर दी क्योंकि उनका कार्य निष्पादन, विशेषज्ञ — समिति द्वारा यथा मूल्यांकित अपेक्षित स्तर का नहीं पाया गया था तथा कुछ अन्य को स्तरोन्नत किया अन्यों को सहायता प्रदान करना जारी रखा।

सी. ओ. एस. आई. एस. टी. कार्यक्रम

7.2.8 विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा तथा अनुसंधान में आधार ढांचों को सुदृढ़ करने की योजना के अन्तर्गत नवम्बर, 1993 तक 115 विभागों को सहायता प्रदान की गई। सी. ओ. एस. आई. एस. टी. के अधीन सहायता प्राप्त विभागों को कार्यात्मक स्वयत्तता प्रदान की गई है। सी. ओ. एस. आई. एस. टी. सहायता के जरिए दी गई अवस्थापना संबंधी सुविधाओं से स्नाकोत्तर तथा शोध स्तर पर शिक्षण अनुदेशों में सुधार हुई है और शिक्षण, विशेषकर

पाठ्यक्रमो के प्रायोगिक भाग, की कोटि में वृद्धि हुआ है। और अधिक विभागों को शामिल करने के लिए विश्वविद्यालयों को योजनाओं के संशोधित दिशानिर्देश भी परिचालित किए गए हैं। 1992-93 के दौरान, योजना के अधीन 338.00 लाख रुप. के अनुदान प्रदान किए गए।

सुपर कन्डक्टीविटी कार्यक्रमः

7.2.9 सुपर कंडक्टीविटी पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्यक्रम 1987 में, इस उद्देश्य से शुरू किया गया था कि सुपर कन्डक्टीविटी के तीव्र गति से विकसित क्षेत्र में विश्वविद्यलयों मे शिक्षा और अनुसंधान विकसित किया जाए और क्रियाकलापों को बढ़ावा दिया जाए।

7.2.10 आयोग मूल और अनुप्रयुक्त क्षेत्रों में नवम्बर, 1993 तक 19 विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान कर रहा था।

7.2.11 ये संस्थाएं अपने-अपने विशिष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में उभरी हैं। कार्यक्रम ने, अनुसंधान और विकास तथा शैक्षिक कार्यकलापों के लिए संयुक्त दृष्टिकोणों की दृष्टि से विश्वविद्यालय पद्धति पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।

सामान्य सुविधाएं और सेवाएं

7.2.12 बंगलौर, बम्बई और बड़ौदा में कम्प्यूटर आधारित आधुनिक सूचना प्रलेखन केन्द्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं इन केन्द्रों के कारण शिक्षकों तथा छात्रों को सूचना उपलब्ध कराने की स्थिति में सुधार हुआ है तथा उन्हें अपने-अपने विषयों में अद्यतन प्रलेखन उपलब्ध कराने के साथ-साथ, ये केन्द्र उन्हें आवश्यक ग्रन्थ सूची संबंधी सहायता उपलब्ध कराते है। इसके अतिरिक्त, आयोग ने विश्वविद्यालय पद्धति के भीतर राष्ट्रीय शोध सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, विभिन्न क्षेत्रों में अन्तर विश्वविद्यालय केन्द्रों की स्थापना की है। वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालयों के विभिन्न संचार विभागों, शिक्षा माध्यम अनुसंधान केन्द्रों (ई. एम. आर. सी.) तथा दृश्य-श्रव्य अनुसंधान केन्द्रों के कार्यकलापों को समन्वित करने, सरल बनाने तथा सुदृढ़ बनाने के लिए, एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में एक अन्तर विश्वविद्यालय शैक्षिक सूचना संघ की स्थापना की गई थी। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला मानविकी और सामाजिक—विज्ञानों के लिए वि. अनु. आयोग की ओर से एक अन्तर - विश्वविद्यालय केन्द्र के रूप में भी कार्य कर रहा है। ये केन्द्र परमाणु विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली, खगोलशास्त्र और खगोल भौतिकी के क्षेत्र मे अंतर विश्वविद्यालय केन्द्र, पुणे, अन्तर विश्वविद्यालय - संघ, इन्दौर, क्रिस्टल विकास केन्द्र, अन्ना विश्वविद्यालय के अतिरिक्त है।

समाचार माध्यम और शैक्षिक प्रौद्योगिकीः

7.2.13 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा के लिए दिए गए समय का उपयोग करने तथा देशव्यापी क्लास रूम शीर्षक से उच्चतर शिक्षा में दूरदर्शन पर कार्यक्रमों को प्रसारित कराने की पहल की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की इनसैट परियोजना के लिए भावी योजना तैयार कर ली गई है जिसमें उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में इनसैट की समय संबंधी भावी जरूरतों के लिए निरूपण किया जाएगा। आयोग इस समय, पूना विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय, (अहमदाबाद), केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान, (हैदराबाद), जामिया-मिलिया इस्लामिया (नई दिल्ली), जोधपुर विश्वविद्यालय, मदुरै—कामराज विश्वविद्यालय तथा सेंट जेवियर कालेज, कलकत्ता स्थित 7 शैक्षिक माध्यम अनुसंधान केन्द्रों (ई. एम. आर. सी.) को सहायता प्रदान कर रहा है। रूड़की विश्वविद्यालय, उसमानिया विश्वविद्यालय, अन्ना विश्वविद्यालय, मद्रास, काश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर, मणिपुर विश्वविद्यालय इंफाल, पंजाबी विश्वविद्यालय और देवी विश्वविद्यालय (इन्दौर) और एच. एस. गौड़ विश्वविद्यालय स्थित 8 दृश्य - श्रव्य अनुसंधान केन्द्रों (ए. वी. आर. सी.) को कार्मिकों के प्रशिक्षण और साफ्टवेयर के उत्पादन के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। आठवीं योजना अवधि के दौरान, विभिन्न

राज्यों में 6 और समाचार - माध्यम केन्द्रों को स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है। 1993 तक विभिन्न समाचार-माध्यम केन्द्रों द्वारा 3355 कार्यक्रम तैयार किए गए थे। स्रोतवार, दूरदर्शन पर प्रसारित कार्यक्रमों का लगभग 85 प्रतिशत भारतीय था जबकि शेष विदेशी स्रोत थे। दूरस्थ अध्ययन को और अधिक प्रभावी बनाने तथा देश के उत्तम शिक्षकों को अर्ध शहरी तथा ग्रामीण छात्रों सहित सभी वर्गों के छात्रों की पहुँच में लाने के उद्देश्य से आयोग ने अवर स्नातक छात्रों के लिए गैर-प्रसारण वीडियो लेक्चर तैयार करने की एक योजना भी आरंभ की इसके लिए 15 विषयों को चुना गया था तथा 6 विषयों में वीडियो पाठ्यक्रम सामग्र तैयार है। पूर्व स्कूली छात्रों के लिए तेरह भागों वाली एक टी. वी. श्रृंखला भी तैयार कर ली गयी है और दूरदर्शन पर दिखाई गई है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य पूर्व स्कूली छात्रों को गानो, सर्जीवता, कठपुतली-कला, आदि के माध्यम से वर्णमाला संख्याओं, सवास्थ्य देखभाल, सफाई, खाना, विभिन्न ज्यामितीय रूपों और उसी प्रकार के अन्य क्षेत्रों के प्रति सुग्राही बनाना है।

प्रौढ़, सतत और विस्तार शिक्षा कार्यक्रम:

7.2.14 आयोग विश्वविद्यालयों को प्रौढ़ शिक्षा और विस्तार निरक्षरता उन्मूलन, सतत शिक्षा जनसंख्या शिक्षा और योजना मंचों के कार्यक्रमों की प्रोन्नति के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। नवम्बर, 1993 तक अनुमोदित कार्यक्रमों की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:—

(1) विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के जरिए प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या 18978

(2) जन-शिक्षम-निलायम 1836

(3) सतत शिक्षा कार्यक्रम1830

7.2.15 आयोग ने कार्यक्रम की समीक्षा की तथा संशोधित नियमावली तैयार की जिसके अनुसार विश्वविद्यालयों को विशिष्ट तथा सुगम्य क्षेत्र में निरक्षरता उन्मूलन के लिए समयबद्ध सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के रूप में साक्षरता कार्य को आरंभ करना है।

7.2.16 विश्वविद्यालयों द्वारा गठित जनसंख्या शिक्षा क्लबों के कार्यकरण के सतत सहायता के अलावा, विश्वविद्यालयों पर इस बात के लिए जोर दिया गया था कि वे समाज के निम्नतम स्तरों के बीच जनसंख्या शिक्षा के प्रसार के लिए प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों और जन शिक्षण निलयमों का प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त, यू. एन. एफ. पी. ए., यू. जी. सी. परियोजना के तहत विश्वविद्यालय/कालेजों द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों में चलाए जा रहे जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रमों की पाठ्यचर्या के विकास, जनसंख्या शिक्षा संसाधन केन्द्र (पी. ई. आर. सी.) के शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा समुदाय में विस्तार सेवा सम्बन्धी सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए, जनसंख्या शिक्षा संसाधन केन्द्रों और कार्यदलों की स्थापना की गई है। पाठ्यक्रमों की पुनः संरचना की योजना के तहत कुछ विश्वविद्यालयों ने अवर-स्नातक स्तर पर जनसंख्या शिक्षा को आधार पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया है। आयोग इस कार्यक्रम के मूल्यांकन का कार्य भारतीय शैक्षिक परामर्शदाता लि. (एड. सिल.) को सौंप दिया है। मूल्यांकन टीम ने टिप्पणी की है कि हालांकि परियोजना ने उच्च शिक्षा प्रणाली पर कुछ प्रभाव डाला है परन्तु अभी बहुत कुछ प्राप्त किया जाना बाकी है। टीम ने एक और अवधि के लिए परियोजना को जारी रखने की सिफारिश की है।

छात्रवृत्तियाँ तथा शिक्षा वृत्तियां

7.2.17 विश्वविद्यालयों तथा कालेजो में अनुसंधान के विकास के लिए, आयोग विभिन्न विषयों में कनिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्तिया प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान करता है। ये शिक्षावृत्तियां केवल उन्ही शोधकर्ताओं को प्रदान की जाती हैं, जिन्होंने यू. जी. सी., सी. एस. आई. आर., जी. ए. टी. ई. आदि जैसी संस्थाओ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की हो। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा भारतीय विज्ञान संस्थान,

बंगलौर द्वारा कुछ चुने हुए विषयों में ली जाने वाली अखिल भारतीय स्तर की परीक्षाओं को प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय परीक्षाओं के समकक्ष मान लिया गया है।

7.2.18 उत्कृष्ट योग्यता वाले शिक्षकों को, केवल अनुसंधान तथा लेखन कार्य में प्रवृत्त करने के लिए विशिष्ट अवधि हेतु राष्ट्रीय शिक्षा वृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इसी तरह, अनुसंधान वैज्ञानिकों की योजना के अंतर्गत लेक्चरर, रीडर तथा प्रोफेसरों के ग्रेड में 200 पद सृजित किए गए हैं ताकि अनुसंधान को अपनी जीवनवृत्ति के रूप में अपनाने के इच्छुक व्यक्तियों को इस प्रकार के अवसर प्राप्त हो सकें। इस योजना के तहत, चयन आयोग द्वारा सीधे ही किए जाते हैं। आयोग ने क, ख और ग सभी श्रेणियों के अनुसंधान वैज्ञानिकों के कार्य की पुनरीक्षा की। पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर, आयोग ने योजना को संशोधित रूप में जारी रखने का फैसला किया है।

7.2.19 विजीटिंग प्रोफेसरों/फैलों योजना के तहत वजिटिंग प्रोफेसरों/फैलों की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान की जाती हैं। वर्ष के दौरान, आयोग ने विश्वविद्यालयों में विजिटिंग-संकाय की योजना को जारी रखा है ताकि कश्मीर में अशांत परिस्थितियों की वजह से कश्मीर विश्वविद्यालय तथा इसके सम्बद्ध कालेजों के शिक्षकों को कश्मीर से बाहर शिक्षण/अनुसंधान कार्य प्रदान किए जा सकें।

7.2.20 अल्पसंख्यक समुदायों में कमजोर वर्गों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के वास्ते शिक्षण कक्षाएं- अल्पसंख्यक समुदायों में कमजोर वर्गों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के वास्ते शिक्षण कक्षाएं आयोजित करने के लिए आयोग ने अभिनिर्धारित केन्द्रों (विश्वविद्यायों और कालेजो) को सहायता प्रदान करना जारी रखा। कार्रवाई योजना (नई शिक्षा नीति, 1986) में जैसा उल्लिखित है कि मुस्लिम और नव-बौद्ध शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए अल्पसंख्यक हैं। इस स्कीम के तहत, चुनिन्दा विश्वविद्यालय/कालेज शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को तैयार करने के लिए उपयुक्त शिक्षण कक्षाएं लगाते हैं ताकि वे निम्नलिखित परीक्षाओं में प्रतियोगी हो सकें :—

क) केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के सार्वजनिक तथा निजी उपक्रमों, बैंकों आदि के तहत सेवाओं में भर्ती

ख) इंजीनियरी, चिकित्सा, कृषि, प्रबंध पाठ्यक्रमों, आदि में दाखिला और

ग) टंकण, आशुलिपि तथा सचिवालीय पाठ्यक्रमों, आदि में प्रवीणता प्राप्त करना।

नवम्बर, 1993 तक यह स्कीम 20 विश्वविद्यालयों तथा 33 कालेजों में चल रही थी।

7.2.21 आयोग ने वर्ष के दौरान स्कीम की समीक्षा करते समय यह टिप्पणी की कि प्राप्त परिणाम निवेशों के अनुरूप नहीं थे। अतः वर्ष के दौरान इस स्कीम में संशोधन किया गया। संशोधित स्कीम में अन्य पदों के वास्ते शिक्षण विद्यमान विश्वविद्यालयों द्वारा दिया जाता है परन्तु सिविल सेवा उम्मीदवारों का शिक्षण प्रतिष्ठित निजी शिक्षण संस्था के माध्यम से दिया जाएगा।

7.2.22 31 मार्च, 1994 तक प्रक्षेपणों ने एक विश्वविद्यालय में एक केन्द्र तथा कालेजों में 40 केन्द्र संस्वीकृत करते हैं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सुविधाएं:

7.2.23 विभिन्न विश्वविद्यालयों में शुरू की गई इस प्रकार की शिक्षावृत्तियों की कुल संख्या में से, अनु. जातियों और अनु. जनजातियों के लिए आरक्षित जूनियर नुसंधान शिक्षावृत्ति के अलावा आयोग। अनु. जातियों और अनु. जन जातियों के लिए प्रत्येक वर्ष 50 शिक्षावृत्तियां सीधे ही प्रदान कर रहा है। इसी प्रकार, आयोग ने अनु. जातियों और अनु. जनजातियों

के लिए 40 अनुसंधान ऐसोसिएटशिप आरक्षित कर दी हैं। एम. फिल./पी. एच. डी. करके अपनी योग्यताओं में सुधार करने के लिए सम्बद्ध कालेजों के अनु. जातियों/अनु. जनजातियों के शिक्षकों को अवसर प्रदान करने हेतु, आयोग ने प्रत्येक वर्ष 50 शिक्षक वृत्तियां (फैलोशिप) संस्थापित की हैं।

महिला अध्ययन

7.2.24 आयोग, विश्वविद्यालयों को महिला अध्ययन में अनुसंधान के लिए सुस्पष्ट परियोजना शुरू करने तथा अवर स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर पाठयचर्या के विकास एवं संगत विस्तार क्रियाकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है।

7.2.25 आयोग ने सामाजिक विज्ञानों तथा इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी सहित विज्ञान और मानविकी में महिला उम्मीदवारों के लिए, अंशकालिक अनुसंधान ऐसोसिएटशिप के 40 पदों का भी सृजन किया है। सहायता के लिए महिला-अध्ययन के विषयों से सम्बन्धित 21 अनुसंधान परियोजनाएं नवम्बर, 1993 तक अनुमोदित की गई थीं महिला अध्ययन स्थायी समिति ने, विभिन्न प्रस्तावों की जांच करने के बाद, 22 विश्वविद्यालयों और 11 कालेजों/विश्वविद्यालयों विभागों को क्रमशः महिला अध्ययन केन्द्र और कक्ष (सैल) स्थापित करने के लिए सहायता देने की भी सिफारिश की।

सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क संबंधी परियोजनाः

7.2.26 आयोग ने, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, कम्प्यूटर और संचार प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग से देश के पुस्तकालयों और सूचना केन्द्रों का आधुनिकीकरण। करने के लिए, एक परियोजना तैयार करने की पहल की है। इनफलिबनेट (सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क) के शीर्षक से यह परियोजना, विश्वविद्यालयों/सम-विश्वविद्यालयों राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सूचना केन्द्रों, अनुसंधान और विकास (आर. एण्ड डी.) संस्थानों और कालेजो के पुस्तकालयों और सूचना केन्द्रों को जोड़ने के लिए एक कम्प्यूटर-संचार नेटवर्क के रूप में होगी, ताकि वे अपने-अपने संसाधनों का ईष्टतम रूप से उपयोग कर सकें।

7.2.27 इनफ्लिबनेट अन्तर - विश्वविद्यालय एस्ट्रोनामी और एस्ट्रोफिजिक्स केन्द्र पुणे के माध्यम से बनाई गई परियोजना में कार्य कर रहा है और इसका कार्यालय गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद में स्थापित किया गया है। इनफ्लिबनेट परियोजना कार्यरत इनफ्लिबनेट का मुख्य उद्देश्य एक कारगर सूचना स्थानांतरण तंत्र विकसित करना है। इस योजना का लक्ष्य सूचना- समृद्ध से कम सूचना वाली संस्थाओं को सूचना के प्रवाह में सुधार लाना है, कम सूचना वाली संस्थाएं उनकी भौगोलिक स्थिति और/या संसाधनों के कारण है।

पर्यावरण शिक्षा

7.2.28 आयोग ने सामान्य पर्यावरणीय शिक्षा, पर्यावरण के इंजीनियरी और तकनीकी घटकों तथा समृद्धि और लोक जागरूकता कार्यक्रम के लिए पाठ्य सामग्री विकसित करने के लिए तीन दलों का गठन किया। यह परिकल्पना की गई है कि पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर 100-150 पृष्ठों की पुस्तक यथाशीघ्र तैयार की जाएगी और इसे विश्वविद्यालयों में परिचालित किया जाएगा।अवर स्नातक स्तर पर फाउन्डेशन पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य पाठ्यक्रम बनाने का प्रस्ताव है। ई. एम. आर. सी./ए. वी. आर. सी. ने पर्यावरण पर कार्यक्रम तैयार किए हैं तथा 100 से भी अधिक कड़ियां राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित की जा चुकी हैं। यह योजना भी है कि प्रतिदिन वि. वि. अनुदान आयोग के कार्यक्रमों से पूर्व पर्यावरणीय विषयों पर 2-3 मिनट के कैप्स्यूल प्रसारित किए जाएं। पर्यावरण के परिरक्षण पर लोक जागरूकता पैदा करने के लिए आयोग ने सात विश्वविद्यालयों में पर्यावरणीय मुद्दों पर सेमिनारें/कार्यशालाओं का अनुमोदन किया जिनमें से एक विश्वविद्यालय ने 1993 में कार्यशाला का आयोजन किया तथा आयोग पर्यावरण पर अनुसंधान परियोजनाओं की सहायता के लिए भी सहमत हैं। आयोग ने आई. यू. सी., नई दिल्ली के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर 10 से 15 कार्यशालाओ का

आयोजन करने के लिए भारतीय पर्यावरण विधिक कार्रवाई परिषद को प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी।

ऊर्जा शिक्षा

7.2.29 आयोग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ- दल ने ऊर्जा शिक्षा में स्नातक के पश्चात एक वर्षीय तथा स्नातकोत्तर के बाद दो वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या तैयार की। कुछ विश्वविद्यालय जिनके पास इस क्षेत्र में क्षमता है, इस कार्यक्रम को चलाने के लिए चुना गया। ऊर्जा प्रबंध में एम. टेक पाठ्यक्रम पहले ही देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर में चल रहा है तथा पूना, श्री वेंकटेश्वरा, मदुरै कामराज, जादवपुर और बनारस हिन्दू जैसे विश्वविद्यालयों की सहायता किए जाने के वास्ते विशेषज्ञ दल द्वारा सिफारिश की गई।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

7.3.1 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सितम्बर, 1985 में की गई थी। इसका उद्देश्य देश की शिक्षा पद्धति में मुक्त विश्वविद्यालय व दूरस्थ शिक्षा पद्धति को शुरू करना व बढ़ावा देना है तथा पद्धतियों में स्तरों का निर्धारण तथा समन्वय करना हैं। इस विश्वविद्यालय के प्रमुख लक्ष्यों में जनसंख्या के बड़े हिस्सों, विशेषकर असुविधा प्राप्त वर्गों की उच्चतर शिक्षा के व्यापक अवसर प्रदान करना, सतत शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करना और विशेष लक्षित वर्गों तथा महिलाओ, पिछड़े क्षेत्रों व पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उच्चतर शिक्षा प्रादन करने के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है।

7.3.2 इंदिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय शैक्षिक तरीकों व गति से संबंध में, लचीली व मुक्त विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षा, पाठ्यक्रमों के संयोजन, नामांकन के लिए अर्हता, प्रवेश-आयु, मूल्यांकन तरीकों, आदि की नवाचारी प्रणाली की व्यवस्था करता है।

7.3.3 विश्वविद्यालय ने समेकित बहु-माध्यम शैक्षिक कार्यनीति को अपनाया है जिसमें मुद्रित सामग्री, दृश्य-श्रव्य सहायक सामग्री, शिक्षकीय प्रणाली, संपर्क कक्षाएं तथा ग्रीष्म-कालीन स्कूल शामिल हैं। विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली मूल्यांकन पद्धति में सतत मूल्यांकन व अवधि के अंत में परीक्षा दोनों शामिल है।

7.3.4 शैक्षिक कार्यक्रम

वर्ष 1993-94 के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रमों की पेशकश की गईः—

प्रमाण-पत्र कार्यक्रम

1. ग्रामीण विकास में प्रमाण-पत्र (अंग्रेजी)
2. आहार एवं पोषाहार में प्रमाण-पत्र (अंग्रेजी, हिन्दी, असमी, गुजराती, कन्नड, मलयालम, मराठी, पंजाबी एवं तमिल)
3. प्राथमिक स्कूल शिक्षक के लिए मार्गदर्शन (अंग्रेजी)

डिप्लोमा कार्यक्रम

1. अंग्रेजी में सृजनात्मक लेखन (अंग्रेजी)
2. हिन्दी में सृजनात्मक लेखन (हिन्दी)
3. कार्यालय प्रबंध में कम्प्यूटर (अंग्रेजी)
4. दूरस्थ शिक्षा (अंग्रेजी)
5. उच्चतर शिक्षा (अंग्रेजी)
6. ग्रामीण विकास (अंग्रेजी एवं हिन्दी)
7. प्रबंध (अंग्रेजी)
8. प्रबंध में उन्नत डिप्लोमा (अंग्रेजी)
9. मानव संसाधन प्रबंध (अंग्रेजी)
10. विपणन प्रबंध (अंग्रेजी)
11. वित्तीय प्रबंध (अंग्रेजी)
12. प्रचालन प्रबंध (अंग्रेजी)

स्नातक डिग्री कार्यक्रमः—

1. अर्थशास्त्र, राजनैतिक शास्त्र, लोक प्रशासन, इतिहास, समाज-विज्ञान में स्नातक (अंग्रेजी एवं हिन्दी)
2. स्नातक (अंग्रेजी) स्नातक (हिन्दी)
3. वाणिज्य स्नातक (अंग्रेजी एवं हिन्दी)
4. विज्ञान स्नातक (अंग्रेजी एवं हिन्दी मे)
5. पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक डिग्री (अंग्रेजी)

निष्णात डिग्री

1. व्यवसाय प्रशासन में निष्णात डिग्री (अंग्रेजी)
2. दूरस्थ शिक्षा में निष्णात डिग्री (अंग्रेजी)

7.3.5 विश्वविद्यालय ने पाठ्यक्रम सामग्री की अभी तक 1566 पुस्तिकाएं प्रकाशित की है और 564 श्रव्य कार्यक्रम एवं 415 दृश्य कार्यक्रम तैयार किए हैं।

7.3.8 1993-94 के दौरान, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में विभिन्न अध्ययन कार्यक्रम के लिए पंजीकृत छात्रों की कुल संख्या 80,000 से अधिक होने की संभावना है। इसके साथ विश्वविद्यालय में छात्रों का कुल नामांकन 2.30 लाख होने की संभावना है।

अभी तक 5,370 छात्रों ने अपने अध्ययन कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरे किए।

कर्मचारी :—

7.3.7 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अब तक लगभग 200 शिक्षकों तथा करीबन 900 तकनीकी व्यावसायिक, प्रशासनिक और सहयोगी कर्मचारियों की भर्ती की है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय लगभग 608 समन्वयकों तथा सहायक समन्वयकों और 10,140 से अधिक शैक्षिक परामर्शदाताओं की अंशकालिक आधार पर सेवाओं का उपयोग कर रहा है।

छात्र सहयोग सेवाएंः—

7.3.8 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने एक व्यापक छात्र सहयोग सेवा नेटवर्क तैयार किया है, जिसमें देश के विभिन्न भागों में स्थित 16 क्षेत्रीय केन्द्र और 220 अध्ययन केन्द्र शामिल हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र में निम्नलिखित सेवाओं की व्यवस्था हैः

— सलाह, परामर्श और सूचना,

— पुस्तकालाय सुविधाएं

— श्रव्य दृश्य सुविधाएं,

— छात्रों की सभी शैक्षिक सामग्रियाँ प्राप्त करता है और उनके मूल्यांकन की व्यवस्था करता हैं।

दूरस्थ शिक्षा परिषदः

7.3.9 एक राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यो के निष्पादन के अतिरिक्त, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय देश भर में सुदूर शिक्षा में स्तरों के निर्धारण और समन्वय के उत्तरदायित्व से सम्पन्न एक शीर्षस्थ निकाय है। इस उत्तरदायित्व को पूरा करने हेतु, दूरस्थ शिक्षा परिशद की सिफरिशों पर वर्ष 1992-93 के दौरान तीन राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों अर्थात डा. बी. आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद (23.20 लाख) यशवन्त राव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय नासिक (21.60 लाख) और कोटा मुक्त विश्वविद्यालय कोटा (3.00 लाख) के विकास अनुदान प्रदान किए गए थे। इन सभी मुक्त विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया गया था कि वे सुदूर शिक्षा परिषद द्वारा विचार किए जाने के लिए अपने आठवीं योजना के प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें। बी. आर. ए. ओ. यू. और वई. सी. एम. ओ. यू. से प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जा चुका है और सुदूर शिक्षा परिषद् ने वर्ष 1993-94

के दौरान प्रत्येक को 25-30 लाख रुपये का अंतरिम अनुदान देने की सिफारिश की है। कोटा मुक्त विश्वविद्यालय से प्राप्त विस्तृत ब्यौरे विचाराधीन है।

7.3.10 परिषद के अन्य मुख्य कार्यकलाप निम्नलिखित हैंः—

I सभी मुक्त विश्वविद्यालयों के लिए एक सर्वसामान्य आंकड़ा आधार तैयार करना ताकि एक नेट वर्क स्थापित किया जा सके।

II एक सर्वसामान्य छात्र मूल्यांकन प्रणाली और क्रम निर्धारित पैटर्न स्थापित करना ताकि छात्र गतिशीलता को बढावा दिया जा सके और मुक्त विश्वविद्यालयों के बीच साख का स्थानांतरण किया जा सके।

III मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों की कोटि और वैधता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा राष्ट्रमंडल सहायता से एक परियोजना शुरू करना।

सुदूर शिक्षा का स्टाफ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान

7.3.11 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अगस्त 1993 में "सुदूर शिक्षा का स्टाफ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान" स्थापित किया है। यह संस्थान पाठ्यचर्या आयोजना तथा विकास, निर्देशात्मक डिजाइन तथा पाठ्यक्रम निर्माण, बहु-माध्यमी शिक्षण पैकेजों के प्रयोग, आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी, छात्र समर्थन सेवाओं के आयोजन इत्यादि क्षेत्रों में प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। शिक्षा राष्ट्रमंडल ने इसके विकास हेतु 1993-94 से तीन वर्ष की अवधि तक 50,000 कैनेडियन डॉलर के वार्षिक अनुदान की वित्तीय सहायता देने का वायदा किया है।

टैली-कानफ्रेन्सिंग

7.3.12 अक्तूबर, 1993 में विश्वविद्यालय ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सहयोग से एक 10 दिवसीय टेली-कानफ्रेन्सिंग प्रयोग आयोजित किया। इस प्रयोग का मुख्य उद्देश्य था पूरे देश में बड़ी संख्या में फैले हुए छात्रों तक विश्वविद्यालय के कार्यक्रम पहुंचाने के लिए उपग्रह-आधारित संप्रेषण की औचित्यता का अध्ययन करना। इस प्रयोग में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अतिरिक्त 10 क्षेत्रीय केन्द्रों ने भाग लिया। इस प्रयोग में एक तरफा वीडियो और दो-तरफा ऑडियो कानफ्रेन्सिंग को शामिल किया गया जिनमें छात्रों, जो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में पंजीकृत थे, शैक्षिक परामर्शदाताओं, जो कार्यक्रमों के दूसरे सैट में कार्यरत थे तथा क्षेत्रीय केन्द्रों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। प्रयोग सफल रहा। तथापि, इसके तकनीकी, प्रबंधकीय और आर्थिक निहितार्थों का एक विस्तृत मूल्यांकन अभी भी किया जा रहा है।

7.3.13 शिक्षा राष्ट्रमंडल द्वारा प्रदान की गई सहायता से विश्वविद्यालय ने एक ऑडियो कानफ्रेन्सिंग सुविधा स्थापित की है जिसने विश्वविद्यालय के मुख्यालय को इसके सभी क्षेत्रीय केन्द्रों और राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों के साथ जोड़ दिया है। यह सुविधा शुरू हो चुकी हैं।

उत्कृष्टता केन्द्र

7.3.14 शिक्षा राष्ट्रमंडल, जो इसके द्वारा नियुक्त की गई मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, ने इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय को मई, 1993 में सुदूर शिक्षा में उत्कृष्टता केन्द्र का दर्जा प्रदान किया है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

7.3.15 वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में किए गए मुख्य कार्यकलाप निम्नलिखित हैंः—

I) जापान सरकार आधुनिक शैक्षिक प्रचार सुविधाओं का विकास करने के लिए विश्वविद्यालय की सहायता करने के लिए सहमत हो गई है। इसकी सहायता-अनुदान योजना के अंतर्गत, जापान सरकार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के

परिसर में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित दो वीडियो स्टूडियो और दो श्रव्य (ऑडियो) स्टूडियो स्थापित करेगी। इन स्टूडियो के लिए इमारत भी उन्हीं के द्वारा निर्मित करवाई जाएगी। निर्माण-कार्य 1994 के आरंभ में शुरु किया जाएगा।

II) शिक्षा राष्ट्रमंडल ने विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में नामांकित बंगलादेश, मालद्वीप, मारीशस, तनजानिया, जिम्बाब्वे, गुयाना और ज़ाम्बिया के छात्रों के लिए 100 शिक्षावृत्तियों को राजीव गांधी शिक्षावृत्ति नामक योजना शुरू की है। यह योजना राजीव गांधी प्रतिष्ठान के सहयोग से कार्यान्वित की जाएगी।

III) शिक्षा राष्ट्रमंडल ने प्रबंधन और नेतृत्व में एक कार्यक्रम विकसित करने के लिए एक मुख्य परियोजना शुरु की है जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सहति नैरोबी, मैस्सी, विक्टोरिया और पपुआ न्यू गीनिया के विश्वविद्यालय शामिल हैं।

प्रसारण

7.3.16 दूरदर्शन द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों का 30 मिनट का प्रसारण, जो मई, 1991 में आरंभ किया गया था वर्ष 1993-94 के दौरान भी जारी रहा। दूरदर्शन अगस्त, 1993 से प्रतिदिन अपने इनरिचमेंट चैनल पर 7.30 पूर्वाह्न से 8.30 अपराह्न तक इन कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहा है।

दीक्षांत समारोह

7.3.17 विश्वविद्यालय ने मई, 1993 में अपना चौथा दीक्षांत समारोह आयोजित किया जिसमें 4444 छात्रों को डिप्लोमा और डिग्रियां प्रदान की गई। एक ख्याति प्राप्त इतिहासकार और शिक्षा राष्ट्रमंडल के शासी निकाय के अध्यक्ष, लैवैस के लॉर्ड ब्रिग्स मुख्य अतिथि थे और उन्होंने दीक्षांत समारोह भाषण दिया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, प्रो. जी. राम रेड्डी को डी. लिट्ट ऑनरिस कोज़ा की डिग्री भी प्रदान की।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

7.4.1 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (अ. मु. वि.) जिसकी स्थापना 1921 में की गई थी एक प्रमुख केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय अपने आवासीय स्वरूप के लिए विख्यात है. इस विश्वविद्यालय में कुल 17,200 छात्रों का नामांकन है जिसमें विश्वविद्यालय के स्कूलों में नामांकित छात्र भी शामिल है।

7.4.2 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 76 विभागों सहित 10 संकाय हैं। विश्वविद्यालय के चार महत्वपूर्ण कालेज हैं जिसमें जवाहर लाल नेहरू मैडिकल कालेज और जाकिर हुसैन इंजीनियरी कालेज शामिल हैं।

7.4.3 विश्वविद्यालय की संकाय संख्या 1209 है। गैर शिक्षण कर्मचारियों क संख्या 5159 है।

7.4.4 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित नए पाठ्यक्रम शुरू करने का अनुमोदन किया हैः

(क) पर्यावरण इंजीनियरी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

(ख) इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी विभाग में इलेक्ट्रोनिक्स सार्किट और सिस्टम डिजाइन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

7.4.5 परिषद् ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में निम्नलिखित विभाग स्थापित करने का भी अनुमोदन किया हैः—

(क) वास्तुशिल्प विभाग, और

(ख) संगणक इंजीनियरी विभाग

7.4.6 जैसा कि भारतीय चिकित्सा परिषद् के

दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित है विकिरण-चिकित्सा-विज्ञान विभाग को रेडियो-चिकित्सा नामक दो अलग-अलग विभागों में बाँट दिया गया है।

7.4.7 आठवीं योजना के दौरान विश्वविद्यालयो में कृषि शिक्षा का विकास और सुदृढ़ीकरण नामक योजना के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने 2.60 करोड़ रु. का आबंटन अनुमोदित किया है। विश्वविद्यालय ने स्नाकोत्तर स्तर के निम्नलखित दो पाठ्यक्रम आरंभ करके इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए हैः—

(1) पौधा संरक्षण, और

(2) कृषि अर्थशास्त्र और व्यापार प्रबंधन

7.4.8 वाणिज्य मंत्रालय ने विदेशी व्यापार के अध्ययन हेतु एक केन्द्र की स्थापना के लिए सहायता का अनुमोदन किया हैं। केन्द्र निम्नलिखित पाठ्यक्रम आयोजित करेगा :—

(क) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक स्नातकोत्तर स्तर पाठ्यक्रम, और

(ख) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

7.4.9 वर्ष के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा अनेक मुख्य निर्माण कार्यकलाप शुरू किए गए/ पूरे किए गए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के पुस्तकालय के विस्तार हेतु निर्माण करने के लिए 25.00 लाख रूपये अनुमोदित किए है।

7.4.10 मौलाना आजाद पुस्तकालय में विभिन्न भाषाओं की लगभग 14,600 पांडुलिपियों के लगभग 8,00,000 खंडों का संग्रह है।

7.4.11 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा अनेक राष्ट्रीय सम्मेलन/सेमिनार/संगोष्ठियां आयोजित की गई जिनमें देश के विभिन्न भागों के अध्येताओं/प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

7.4.12 चालू वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय का अनुमानित योजनेत्तर व्यय 6049.00 लाख रूपये है जबकि पिछले वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय 4664.08 लाख रूपये था।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

7.4.13 बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बी. एच. यू.) एक शिक्षण और आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में 1916 में स्थापित किया गया था। इसमें 3 संस्थान अर्थात इसके छत्र के नीचे चिकित्सा विज्ञान संस्थान आधुनिक चिकित्सा शास्त्र और आयुर्वेद संकाय जिसमें विशेष वार्ड के अलावा आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के लिए 750 बिस्तरों वाला और आयुर्वेद के लिए 125 बिस्तरों वाला अस्पताल; प्रौद्योगिकी संस्थान और कृषि विज्ञान संस्थान शामिल हैं. कुल मिलाकर इसमे 14 संकाय और 114 शैक्षिक विभाग हैं। विश्वविद्यालय एक संस्थापित महिला महाविद्यालय और 3 स्कूल स्तर के संस्थानों का भी अनुरक्षण करता है। इसने शहर के चार कॉलेजों को प्रवेश आदि की विशेष सुविधा दी हुई है। विश्वविद्यालय में लगभग 13000 छात्र दाखिल हैं। इसके शिक्षण और शिक्षणेत्तर स्टाफ की संख्या क्रमशः लगभग 1290 और 6902 है।

7.4.14 आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुसंधान कार्यकर्ताओं की टीम ने यह पता लगाया हैं कि एक नया हर्बल एल्कालाएड कैंसर प्रतिरोधी औषधि के तौर पर कार्य कर सकता है। अध्यक्ष, शल्य शालक्य विभाग की अध्यक्षता में इस टीम ने यह पाया कि अमोरा रोहित इका वृक्ष की छाल से निकाला गया. एल्केल्सिड प्रीयूरिएनिन छाती के कैंसर का एक प्रभावी उपचार है। इस औषधि का सी. एन. आर. एस. सी. एस. एन. संस्थान, फ्रांस में सफल परीक्षण हो चुका है।

7.4.15 श्री के. सी. पंत, अध्यक्ष, वित्त आयोग, भारत सरकार ने दिनांक 4-4-1993 को भारत छोड़ो आंदोलन, पूर्वी क्षेत्र पर व्याख्यान दिया। डा. के. सच्चिदानंद मूर्ति, अवैतनिक प्रोफेसर ने दिनांक

5-4-1993 और 6-4-1993 को दर्शन, धर्म और आध्यात्मिक साधना पर तथा प्रख्यात दार्शनिक और मनोविवद श्री किरीट जोशी ने दिनांक 14-4-1993 और 15-4-1993 को वेद और योग का भारतीय विज्ञान पर दो व्याख्यान महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज मैमोरियल लेक्चर सीरीज में दिए।

7.4.16 विश्वविद्यालय के अनेक संकाय सदस्यों और विद्यार्थियों ने एकेडमिक्स/अंतर्राष्ट्रीय निकायों की रत्न सदस्यता हासिल करके विशिष्टता पाई और अनेक पुरस्कार और इनाम प्राप्त किए। शिक्षक दिवस अर्थात 5 सितम्बर, 1993 के अवसर पर विश्वविद्यालय के सात अवकाशप्राप्त शिक्षकों का विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया.

7.4.17 विश्वविद्यालय रोज़गार सूचना और मार्गदर्शन ब्यूरो ने दिनांक 16-10-93 से 30-10-93 तक के भविष्य मार्गदर्शन पक्ष का आयोजन किया ताकि विद्यार्थियों, शिक्षित बेरोज़गारों, शिक्षकों और जनता के बीच व्यावसायिक मार्गदर्शन और भविष्य परामर्श सेवा का व्यापक प्रचार सभव हो।

7.4.18 3 वर्ष के कम्प्यूटर अनुप्रयोग कार्यक्रम मे निष्णात (एम. सी. ए.) पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कम्प्यूटर विज्ञान एव टेक्नॉलॉजी में जन-प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुमोदन किया है जिसमे 1 आचार्य, 1 उपाचार्य और 1 व्याख्याता के अतिरिक्त सकाय सदस्यो के अलावा अतिथि संकाय के लिए एक लाख रूपये के अनुदान का प्रावधान है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विकलांग बच्चों के शिक्षण के लिए शिक्षको को विशिष्ट शिक्षा में बी. एड. पाठ्यक्रम हेतु 5 वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय सहायता का अनुमोदन भी किया है।

7.4.19 विश्वविद्यालय ने उत्तर प्रदेश अंतर विश्वविद्यालय तैराकी (पुरुष) और अंतर विश्वविद्यालय खो-खो (महिला) चैम्पियनशिप जीती तथा उ. प्र. अंतर विश्वविद्यालय बास्केट बाल (पुरुष) उ. प्र. अंतर विश्वविद्यालय बास्केट बाल (महिला) टूर्नामिण्ट, उ. प्र. अंतर विश्वविद्यालय बैडमिण्टन (पुरुष) टूर्नामिण्ट और ईस्ट ज़ोन फुटबॉल (पुरुष) टूर्नामिण्ट में यह विश्वविद्यालय रनर-अप रहा।

7.4.20 वर्ष 1993-94 के लिए विश्वविद्यालय का अनुमानित अनुरक्षण व्यय वर्ष 1992-93 के दौरान 56.98 करोड़ रुपये के व्यय के मुकाबले 64.84 करोड़ रुपये रहा।

दिल्ली विश्वविद्यालय

7.4.21 एक शिक्षण और संबधन विश्वविद्यालय के रूप मे दिल्ली विश्वविद्यालय वर्ष 1992 में ससद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें, भूटान के शेरूबत्से कालेज सहित विश्वविद्यालय से संबद्ध 73 कालेज/सस्थान हैं। उत्तर और दक्षिण परिसरों में स्थि विश्वविद्यालय के 14 संकाय और 81 शैक्षिक विभाग हैं।

7.4.22 गैर-कालेज महिला शिक्षा बोर्ड, पत्राचार पाठ्यक्रम व सतत शिक्षा स्कूल, अशकालिक एव पत्राचार शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करते हैं। विश्वविद्यालय में बाहृय (निजी) छात्र भी नामाकित हैं।

7.4.23 वर्ष 1993-94 के दौरान, विश्वविद्यालय में छात्रों की कुल संख्या लगभग 1,94,500 थी। इसमें से विभिन्न कालेजों, संकायों व विश्वविद्यालय के विभागों में 115470 नियमित छात्र, गैर-कालेजीय महिला शिक्षा बोर्ड में 13,200 छात्र, पत्राचार पाठ्यक्रम व सतत शिक्षा स्कूल में 55,450 छात्र तथा बाहृय उम्मीदवार सेल (प्राइवेट छात्र) में 10,380 छात्र थे।

7.4.24 वर्ष 1993-94 के दौरान विश्वविद्यालय ने नजफगढ़ के समीप कैर गाँव में एक नया महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की, जो कि इस विश्वविद्यालय से संबद्ध होगा। विभिन्न संकायों में विभिन्न स्तरों पर 5 नए पाठ्यक्रम आरम्भ किए जाएंगे।

7.4.25 इस विश्वविद्यालय में संकाय सदस्यों की सख्या 748 है, जिसमें 271 आचार्य, 292 उपाचार्य, 169 व्याख्याता और 16 शोध सहयोगी हैं।

7.4.26 विश्वविद्यालय संकाय ने वर्ष के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कार और विशिष्ताएँ हासिल की जिसमें साहित्य कला परिषद का परिषद सम्मान, राजस्थान संस्कृत अकादमी का भारतीय मिश्र पुरस्कार, भारतीय सांस्कृतिक संघ कला पुरस्कार, दिल्ली मैडिकल एसोसिएशन का "स्क्राल ऑफ आनर", साहित्य अकादमी के सलाहकार बोर्ड की सदस्यता और न्यू यार्क एकेडमी ऑफ साइन्स की सदस्यता शामिल है।

7.4.27 वर्ष 1993-94 के लिए विश्वविद्यालय का अनुरक्षण व्यय वर्ष 1992-93 के दौरान 3205.56 लाख रूपये के व्यय की तुलना मे 3877.97 लाख रुपये रहा।

हैदराबाद विश्वविद्यालय

7.4.28 हैदराबाद विश्वविद्यालय की स्थापना, 1974 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। इसमें स्नाकोत्तर और अनुसधान अध्ययन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। वर्ष 1993-94 के दौरान, 837 छात्रों को देश के 11 भिन्न-भिन्न केन्द्रों पर आयोजित प्रवेश परीक्षा के परिणाम के आधार पर विश्वविद्यालय में दाखिला दिया गया। वर्ष 1993-94 मे छात्रों के नामांकन की संख्या 1985 थी, जिसमें 280 अ. जा., 42 अ. ज. जा. तथा 33 विकलाग उम्मीदवार शामिल हैं। महिला छात्रों की संख्या 830 थी, कुल छात्रों का लगभग 42% है।

7.4.29 आलोच्य वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के संकाय में 79 प्रोफेसर, 72 रीडर व 82 लेक्चरर थे। शिक्षणेत्तर स्टाफ क संख्या 1064 थी।

7.4.30 इस वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के संकाय ने विभिन्न गौरवशाली पुरस्कार और पदक प्राप्त किए जिनमें वैज्ञानिक शोध के लिए जी. डी. बिरला पुरस्कार, आई. एन. एस. ए. अध्येतावृत्ति तथा जीव विज्ञानीय रसायनज्ञ सोसायटी भारत का पी. बी. रामाराव स्मारक पुरस्कार प्राप्त किए।

7.4.31 विश्वविद्यालय के छात्रों को 53 योग्यता छात्रवृत्तियों और 179 योग्यता व साधन छात्रवृत्तियों, एम सी. ए. छात्रों को 29 छात्रवृत्तियो तथा एम. टेक. छात्रों को 19 छात्रवृत्तियों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की गई। वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान की गई जूनियर शोध शिक्षावृत्तियों की संख्या क्रमशः 78 और 195 थी। वर्ष के दौरान विस्वविद्यालय अनुदान आयोग, सी. एस. आई. आर., आई. सी. एम. आर., डी. एस. टी., आई. सी. ए. आर. आदि द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान परियोजनाओं की कुल संख्या 70 थी।

7.4.32 विश्वविद्यालय का पाँचवां दीक्षांत समारोह 22 अप्रैल 1993 को हुआ जिसको भारत के राष्ट्रपति जी ने सम्बोधित किया, विश्वविद्यालय द्वारा अभी तक आयोजित पाँच दीक्षांत समारोहों में 4869 छात्रों को विश्वविद्यालय की डिग्रियाँ प्रदान की गई जिसमे 257 पी. एच. डी. 1201 एम. फिल. व 237 एम. टेक. डिग्रियाँ शामिल हैं।

7.4.33 इस वर्ष के दौरान कार्यकारी परिषद की पाँच बैठकें और शैक्षिक परिषद की दो बैठकें आयोजित की गई। कोर्ट की वार्षिक बैठक नवम्बर 1993 में आयोजित की गई।

7.4.34 विश्वविद्यालय परिसर की भौतिक सुविधाएं सुदृढ़ करने के लिए वर्ष के दौरान कई विकासात्मक कार्यकलाप किए गए। 130.00 लाख रुपये की कुल लागत पर 300 शोध अध्येताओं के लिए एक छात्रावास भवन पूरा किया गया तथा उसका उद्‌घाटन किया गया। इसके अतिरिक्त अध्यापन व शोध के बढ़ते क्रियाकलापों हेतु और स्थान बनाने के लिए कई स्कूल भवनों का विस्तार किया जा रहा है।

7.4.35 वष4 1993-94 के दौरान विश्वविद्यालय का योजनेत्तर व्यय 1059.00 लाख रू. लगाया

गया है जो 1992-93 के दौरान 908.00 लाख रू. था।

उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय

7.4.36 उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। इसका क्षेत्राधिकार मेघालय, मिजोरम तथा नागालैण्ड - तीन राज्यों तक फैला हुआ है। विश्वविद्यालय का मुख्यालय शिलांग में है।

7.4.37 विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रमों में 44,700 छात्रों का नामाकन है और इसके लगभग 350 संकाय सदस्य और 2000 गैर शिक्षा कर्मचारी हैं।

7.4.38 विश्वविद्यालय ने 30 अप्रैल से 2 मई 1992 तक भारतीय जिओमारफोलोजिस्ट संस्थान के चौथे सम्मेलन सहित कई सम्मेलन/सेमिनार व कार्यशालाएं आयोजित कीं।

शिलांग परिसर

7.4.39 विश्वविद्यालय के परिसर विकास विभाग ने स्थायी परिसर के निर्माण तथा विकास के लिए अपने ठोस प्रयास किए। चरण-1 में 49 स्टाफ क्वार्टरों तथा 170 सीट वाले छात्रावास का निर्माण कार्य पूरा किया गया। चरण दो के अधीन 400 सीट वाले छात्रावास व 29 स्टाफ क्वार्टर का निर्माण भी पूरा किया जा चुका हैं, 6 स्टाफ क्वार्टरों व कुलपति के आवास का निर्माण 1,62,72,000/ - रू. की अनुमोदित अनुमानित लागत के साथ सम्पूर्ण शिलांग स्थायी परिसर का बाह्रय बिजली कार्य पूर्ण होने को है। बैठने के स्थान, तापन व बिजली कार्य आदि जैसे सहायक कार्य को छोड़कर सेमिनार हॉल, गैस्ट हाउस, लेक्चर हॉल परिसर, जीव विज्ञान स्कूल, शारीरिक विज्ञान, यू. एस. आई. सी. व आर. एस. आई. सी. भवन का निर्माण कार्य भी पूर्ण किया जा चुका है परिसर विकास विभाग ने 64,58,000/- रु. की अनुमानित लागत पर खेल परिसर का निर्माण कार्य आरंभ किया है।

मिजोरम परिसर

7.4.40 1,39,27,536/- रु. की अनुमानित लागत पर लौन्हरिल पर भवन परिसर के निर्माण की एक परियोजना को उत्तर पूर्वीय परिषद ने कानूनी रूप से अनुमोदित कर दिया है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयग के विचाराधीन हैं।

नागालैंड परिसर

7.4.41 उत्तर पूर्वीय परिषद ने भवन व सड़क निर्माण की परियोजना अनुमोदित कर दी है तथा इसके लिए 1,25,000/- रु. की राशि स्वीकृति की जा चुकी है।

पांडिचेरी विश्वविद्यालय

7.4.42 पाडिचेरी विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा अक्टूबर, 1985 में एक शिक्षण संबंधन विश्वविद्यालय के रूप में हुई थी। इस विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में संघशासित क्षेत्र पांडिचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं।

7.4.43 वर्तमान में विश्वविद्यालय के दो निदेशालय, छः स्कूल, पन्द्रह विभाग और सात केन्द्र हैं। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 19 संस्थाएं हैं, जिनमें से 12 पांडिचेरी दो कराइकाल मे, एक-एक माहे और यनम में तथा तीन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। विश्वविद्यालय दो प्रमाण-पत्र, तीन स्नातकोत्तर डिप्लोमा और 18 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, 16 एम. फिल. और 19 डॉक्टरल कार्यक्रम चलाता है।

7.4.44 विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या 826 है। विश्वविद्यालय के पास 26 प्रोफेसरों, 44 रीडरों और 59 प्राध्यापकों का संकाय है। यहां शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की संख्या 546 है।

7.4.45 वर्ष 1992-93 से एक नीवन आंकलन आधारित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया है जिसने पूरे देश से छात्रों को अपनी और आकर्षित किया है।

7.4.46 छात्रावास तथा वनस्पति उद्यान का निर्माण कार्य शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। पशु गृह सम्बन्धित पूरा हो गया है। विज्ञान तथा मानविकी ब्लाकों तथा स्वाफ क्वार्टरों का निर्माण कार्य के. लो. नि. विभाग को जनवरी, 1994 में दिया गया।

7.4.47 पाडिचेरी विश्वविद्यालय ने इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय पीरे एट मारिया क्यूरिया विश्वविद्यालय (पेरिस) तथा ला-रे-यूनियन (फ्रांस विश्वविद्यालय) के साथ पहले से ही किए गए तीन समझ-बूझ ज्ञापन के साथ-साथ इसने औटावा विश्वविद्यालय कनाडा तथा पेरिस एक्स नानटेरे विस्वविद्यालय फ्रांस के साथ समझ-बूझ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

7.4.48 अखिल भारतीय विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अखिल भारतीय कुलपति सम्मेलन की 67वीं वार्षिक बैठक 21-23 फरवरी, 1993 को आयोजित की गई थी। तमिलनाडु के राज्यपाल महामहिम श्री भीष्म नारायण सिंह ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रो. जी. राम. रेड्डी, अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डा. एम. एस. वालियथान, अध्यक्ष, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रो. के. वी. पवार, महामंत्री अखिल भारतीय विश्वविद्यालय अन्य विशिष्ट मेहमानों तथा 120 कुलपतियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इसका मुख्य विषय विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा को वित्तपोषित करना था।

7.4.49 चौथा दीक्षान्त समारोह 12.6.93 को आयोजित किया गया था। इस अवसर पर भारत के उप-राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया तथा 1825 छात्रों को डिग्रियां प्रदान कीं। वर्ष 1993-94 का दीक्षान्त समारोह जनवरी/फरवरी 1994 को आयोजित किया जाएगा।

7.4.50 वर्ष 1993 का रखरखाव व्यय 583.85 लाख रू. है जबकि वर्ष 1992-93 के दौरान यह खर्च 358.19 लाख रु. था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आठवीं योजना अवधि के लिए 10.16 करोड़ रु. की राशि अनुमोदित की है और अब तक 451.6 लाख रु. की राशि मुक्त कर दी गई है।

7.4.51 प्रदूषण के अपप्रेरण में नीति विवरण के कार्यान्वियन के संबंध में विश्वविद्यालय ने प्रदूषण नियंत्रण तथा बायोवेस्ट ऊर्जा का उच्च केन्द्र स्थापित किया। इस केन्द्र ने अधिक प्रदूषित क्षेत्रों में कई अध्ययन किए। चल रहे प्रयोगात्मक अध्ययन में विद्यमान पानी के स्तरों की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया तथा नए स्तरों की निर्धारण करने के लिए मानदण्ड तैयार करना जारी रहा। यह केन्द्र अब संगणक आदारित पर्यावरण प्रबन्ध के अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान बन गया है।

विश्व भारती

7.4.52 गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शिक्षा संस्था विश्व भारती, विश्व भारती अधिनियम, 1951 द्वारा एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित की गई थी।

7.4.53 31 मार्च, 1993 को इस विश्वविद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 5226 थी। शिक्षण और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 464 और 1607 थी।

7.4.54 विश्व भारती समावर्तव उत्सव 5 मई, 1993 को आयोजित किया गया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री पी. वी. नरसिंह राव और विश्वविद्यालय के आचार्य ने भाग लिया। आचार्य ने विश्व भारती देसिकोत्तमा का उच्चतम सम्मान एलेकस आरोनसन, पंडित भीमसेन जोशी, श्री कैफ आजमी, डा. राजा रमन्ना को दिया गया था श्री सुभाष मुखोपाध्याय प्रो. चिन्मामणि कार को वर्ष 1990 का गगन अबान पुरस्कार तथा रतिन्द्र पुरस्कार प्रो. सतीश धवन को प्रदान किया गया।

7.4.55 विश्व भारती ने वित्तीय वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए बड़े प्रयास किए। फ्रांस सरकार ने फ्रैंच के शिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। सांस्कृतिक

आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत चीनी भाषा के विजीटिंग प्रोफेसर ने चीनी भवन में भाग लिया तथा एक जापानी पूर्व छात्र जापान से पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा लाया ताकि जापानी अध्ययन केन्द्र के लिए निप्पन भवन की स्थापना की जा सके।

7.4.56 विश्व-भारती द्वारा शुरू किए शिक्षण के नाए क्षेत्रों में संगणक प्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा डिजाईन (वस्त्र शिल्प) में एम. फाईन/उत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम शामिल हैं।

7.4.57 विज्ञान संस्थान ने कुछ महामारियों के लिए पेड़-पौधों तथा शाकभक्षी के प्रतिरक्षण सहित अणु ऊर्जा, पर्यावनरणीय प्रदूषण में अनुसंधान किया।

7.4.58 ग्रामीण पुनर्गठन संस्थान ने जन साक्षरता अभियान को सफलतापूर्वक चलाया।

7.4.59 विश्वविद्यालय ने प्रदूषण को दूर करने के लिए कई विस्तृत परियोजनाएं चलाई।

7.4.60 विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय उच्च गणित बोर्ड की वित्तीय सहायता से संयुक्त रूप से "अस्पष्ट गणित तथा सूचना विज्ञान" मे एक राष्ट्रीय सेमिनार सहित कई प्रदर्शिनिया तथा सेमीनार आयोजित किए।

7.4.61 विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में 3,30,113 पुस्तकें तथा 4,082 पत्रिकाएं हैं। इसके अलावा, विश्वविद्यालय के 12 अनुभागीय पुस्तकालय में रखी गई कुल 2,62,354 पुस्तकें हैं।

7.4.62 विश्वविद्यालय का अनुमानित रख-रखाव व्यय वर्ष 1992-93 के दौरान 1320.00 लाख रु. के मुकाबले में वर्ष 1993-94 में 1405.00 लाख रु. है।

नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना

असम विश्वविद्यालय

7.5.1 सिल्चर, असम मे एक शिक्षण तथा सम्बद्धन विश्वविद्यालय की स्थान सम्बन्धी विधान मई, 1989 में तैयार किया गया था। विश्वविद्यालय के लिए स्थान निर्धारण के काम को राज्य सरकार के परामर्श से अन्तिम रूप दें दिया गया तथा राज्य सरकार से स्थान के बुनियादी विकास के लिए अनुरोध किया गया है। विश्वविद्यालय के विशेष कार्यअधिकारी/रजिस्ट्रार तथा कुलपति की नियुक्ति का कार्य प्रगति पर है।

तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर

7.5.2 तेजपुर विश्वविद्यालय विधेयक, 1993 को राज्य सभा ने 29.4.1993 तथा लोक सभा ने 15.5.1993 को पारित किया था। राष्ट्रपति ने 1.7.1993 क इस विद्येयक को स्वकृति प्रदान की थी। विश्वविद्यालय के लिए स्थल को स्वीकृति दी गई है तथा विश्वविद्यालयों के लिए विशेष कार्य अधिकारी /रजिस्ट्रार तथा कुलपति की नियुक्ति का कार्य चल रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एड सिल को यह सलाह दी है कि वह असम राज्य के दोनों प्रस्तावित विश्वविद्यालयों की एक अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक रूपरेखा का सुझाव देने के लिए एक अध्ययन आरम्भ करें।

नागालैण्ड विश्वविद्यालय

7.5.3 नागालैण्ड में एक शिक्षण तथा सम्बद्धन विश्वविद्यालय स्थापि करने संबधी विधान अक्टूबर, 1989 में तैयार किया गया था। स्थल चयन समिति की सिफारिशों को सरकार ने स्वीकृति दे दी है। विश्वविद्यालय के लिए विशेष कार्य अधिकारी की नियुक्ति को अधिसूचित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति शीघ्र ही की जाएगी।

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद

7.6.1 भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना 1969 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में देश में सामाजिक विज्ञान शोध को प्रोन्नत व समन्वित करने के लिए की गई थी।

7.6.2 वर्ष 1993-94 के दौरान, परिषद ने सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में शोध में लगे अखिल भारतीय स्वरूप के शोध संस्थानों को सहायता देना जारी रखा। शोध संस्थानों के लिए सहायता अनुदान

की योजना के अन्तर्गत बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महु तथा मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान संस्थान, उज्जैन नामक दो नए शोध संस्थानों को अनुदान प्रदान किए।

7.6.3 परिषद ने दिसम्बर, 1993 तक 25 नई शोध परियोजनाओं के लिए शोध अनुदान संस्वीकृत किया। पहले ही संस्वीकृत की गई 36 शोध परियोजनाओं के लिए शोध अनुदान संस्वीकृत किया। पहले की संस्वीकृति की गई 36 शोध परियोजनाओं की अन्तिम रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं। जनजातीय अध्ययन, सभी के लिए स्वास्थ्य तथा महिलाओं का अध्ययन, सभी के लिए स्वास्थ्य तथा महिलाओं का अध्ययन जैसे विषयों पर प्रायोजित शोध कार्यक्रम प्रगति पर है।

7.6.4 विभिन्न विषयों में शोध सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। परिषद् ने एक सीनियर अध्येतावृद्धि, 18 पी. एच. डी. अध्येताओं को आंशिक वित्तीय सहायता तथा 2 पी. एच डी. अध्येताओं को आकस्मिक अनुदान भी प्रदान किया।

7.6.5 प्रकाशन अनुदान की योजना के अन्तर्गत, वित्तीय सहायता के लिए 16 डाक्टरल शोध ग्रन्थ व 2 शोध रिपोर्ट अनुमोदित की गई थी। प्रकाशन अनुदान योजना के अन्तर्गत 23 पुस्तकें प्रकाशित की गई। विभिन्न विषयों में पत्रिकाओं के 10 अंक, शोध सारांश (त्रैमासिक) के चार अंक, भारतीय समाज-विज्ञान पत्रिका के चार अंक प्रकाशित किए गए।

7.6.6 वर्ष के दौरान, डाटा आरक्वईज को रखने के लिए 4 डाटा सेट प्राप्त हुए। डाटा प्रौसेसिंग में मार्गनिर्देशन परामर्श सेवाओं की योजना के अन्तर्गत 20 अध्येताओं को शोध मार्ग निर्देश प्राप्त हुए। सामाजिक विज्ञान आंकड़ा विश्लेषण में कम्प्यूटर विनियोजन विषय पर ए. एन. सिन्हा सामाजित विज्ञान संस्थान, पटना में दो सप्ताह का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सामाजिक वैज्ञानिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को अद्यतन बनाने का कार्य प्रगति पर है। इस रजिस्टर में संगणकीकृत आँकड़ा आधार के रूप में 4500 अध्येताओं के बारे में जानकारी दी गई है।

7.6.7 सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत, 11 भारतीय अध्येताओं ने फ्रांस चीन, कजाकिस्तान तथा तुर्की का दौरा किया तथा फ्रांस के एक अध्येता तथा चीन के दो अध्येताओं ने भारत का दौरा किया।

7.6.8 विदेशों मे सेमिनारों/सम्मेलनों में भाग लेने के लिए 10 अध्येताओं को आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान की गई। भारत-डच वैकल्पिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, दो भारतीय अध्येताओं ने हालैण्ड का दौरा किया तथा एक डच अध्येता ने भारत का दौरा किया।

7.6.9 परिषद् ने 10 सैमिनार/सम्मेलन आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की।

7.6.10 राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केन्द्र को पुस्तकें, शोधग्रन्थ व शोध रिपोर्टों सहित 2500 प्रकाशन प्राप्त हुए। पुस्तकालय को शुल्क, विनिमय व अनुदान आधार पर इस समय करीब 2500 पत्रिकाएं व 25 दैनिक समाचार पत्र प्राप्त हो रहे हैं।

7.6.11 राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केन्द्र की प्रमुख प्रलेखन परियोजना के अन्तर्गत "भारतीय सामाजिक विज्ञान पत्रिकाओं की अनुदर्शी सूची" विषय पर भारतीय राजनीति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र की पत्रिकाओं से सम्बद्ध सूचीबद्ध आँकड़ों के सम्पादन का कार्य प्रगति पर है। सामाजिक विज्ञान पत्रिकाओं के संयोजन सूचीपत्र तथा भूगोल, इतिहास तथा सम्बद्ध विषयों के भारतीय पत्रिकाओं को सूचीबद्ध करने संबंधी दो अन्य प्रलेखन कार्यक्रम प्रगति पर हैं।

ग्रामीण विश्वविद्यालय/संस्थान

7.6.12 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में बताया गया है कि "शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी के क्रांतिकारी विचारों के अनुसरण में ग्रामीण विश्वविद्यालय

की एक नई प्रणाली समन्वित तथा विकसित की जाएगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के आमूल चूल परिवर्तन के लिए सूक्ष्म-आयोजना की चुनौतियों का सामना किया जा सके। गांधवादी विचारधारा पर आधारित शिक्षा की संस्थाओं तथा कार्यक्रमों को सहायता दी जाएगी।"

7.6.13 इस नीति को 1992 में पुनसंशोधित किया तथा जिसमें यह बताया गया कि सामाजिक रूप से उपयोगी कार्य, समाज सेवा तथा शैक्षिक अध्ययन के बीच सहसम्बद्धता के सिद्धांत पर आधारित शैक्षिक कार्यक्रमों को आरम्भ करने वाले शैक्षिक संस्थानों एवं स्वैच्छिक एजेन्सियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

7.6.14 ग्रामीण विश्वविद्यालय/संस्थान योजना को सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि वित्त मंत्रालय के परामर्श से इसे आठवीं योजना के लिए आस्थगित किया गया था। तथापि संसद में प्रस्तुत कार्रवाई योजना में यह स्पष्ट रूप से बताया गया था कि केन्द्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद् को जल्दी ही स्थापित करना होगा।

7.6.15 आठवीं योजना के दौरान 6.35 करोड़ रु. का कुल व्यय दर्शाया गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान केन्द्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद् की स्थापना तथा सम्बद्ध कार्यकलाप आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्

7.6.16 भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् की निम्नलिखित उद्देश्यो के लिए स्थापना की गई है:—

— दर्शनशास्त्र में शिक्षण तथा अनुसंधान को प्रोन्नत करना,

— समय-समय पर दर्शनशास्त्र में अनुसंधान की प्रगति की समीक्षा करना और दर्शनशास्त्र में अनुसंधान कार्यकलापों को समन्वित करना; और

— अनुसंधान-दर्शनशास्त्र और सम्बद्ध विषयों में संलग्न संस्थाओं/संगठनों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

7.6.17 अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से, परिषद शिक्षा वृत्तियां प्रदान करती है। सेमिनार, सम्मेलन कार्यशालाएं तथा पुनरचर्या पाठ्यक्रम आयोजित करती है । सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, अध्येताओं को विदेशों में आयोजित सम्मेलनों/सेमिनारों में अपने कागजात प्रस्तुत करने के लिए यात्रा-अनुदान प्रदान करती है, और प्रकाशन और त्रैवार्षिक पत्रिका विविध दार्शनिक परम्पराओं, भारतीय तथा पश्चिमी, दोनों के बीच बातचीत के लिए एक मंच उपलब्ध कराती हैं और विश्व में कहीं के भी युवा दार्शनिकों में उभरते दार्शनिक चिन्तन की नवीन शैलियों के लिए स्थान उपलब्ध कराती है।

7.6.18 वर्ष 1993-94 के दौरान परिषद् ने 1 राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति, 2 वरिष्ठ शिक्षावृत्तिया 5 सामान्य शिक्षावृत्ति तथा शिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए शिक्षावृत्ति 9 कनिष्ठ शिक्षावृत्तियां तथा 1 आवासीय शिक्षावृत्ति, प्रदान कीं। इसके अलावा, वर्ष 1991-92 तता 1992-93 के दौरान जिन फैलों को शिक्षावृत्ति प्रदान की गई थी, उनकी शिक्षावृत्ति को वर्ष में कुछ समय तक या पूरे वर्ष तक जारी रखा गया।

7.6.19 आलोच्य वर्ष के दौरान, परिषद् ने निम्नवत् तीन क्षेत्रीय सेमिनारों का आयोजन किया जिसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों को सम्बद्ध वित्तीय सहायता प्रदान की गई:

(I) जैन विश्व भारती संस्थान, लडनून, ने 10 से 12 मई, 1993 तक "आध्यात्मिकता और विज्ञान" विषय पर क्षेत्रीय सेमिनार।

(II) 3-5 अगस्त, 1993 के दौरान मणिपुर विश्वविद्यालय में "कला का अर्थ तथा सप्रेक्षण" पर क्षेत्रीय सेमिनार।

(III) दिसम्बर, 1993 के दौरान गुवाहाट

विश्वविद्यालय में "स्वामी विवेकानंद का वेदान्त" विषय पर क्षेत्रीय सेमिनार आयोजित किया गया।

7.6.20 अप्रैल, 1993 के दौरान परिषद् ने केरल विश्वविद्यालय में "भारतीय संस्कृति की दार्शनिक बुनियाद नामक विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता तथा युवा विद्वानों की एक संगोष्ठी आयोजित की थी। इस संगोष्ठी में देश के कोने-कोने से 31 विद्वानों ने भाग लिया।

7.6.21 सेमिनार तथा सम्मेलन आयोजित करने की सहायता अनुदान योजना के अन्तर्गत परिषद् ने एच. एन. बहुगुणा विश्वविद्यालय, गढ़वाल, दर्शन ओर समाज कलकत्ता, रामकृष्णन मिशन विद्यापीठ, मद्रास, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा कालीकट विश्वविद्यालय केरल को वित्तीय सहायता प्रदान की। अगस्त, 1993 के दौरान परिषद ने भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के सहयोग से "दार्शनिक शास्त्रों (क्लासिक्स): का संस्कृत में अनुवाद" पर गोष्ठी की थी।

7.6.22 " न्यू स्कीम्स" कार्यक्रम के अन्तर्गत परिषद ने मई, 1993 में प्रोफेसर डी. पी. चट्टोपाध्याय द्वारा संपादित "प्रवेश, संभावना तथा आशावाद" पुस्तक पर एक पुस्तक समीक्षा बैठक आयोजित की थी। परिषद् ने भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् के दोनों अंकोंके अलावा, तीन पुस्तकें प्रकाशित की। चालू वित्त वर्ष के दौरान, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् का एक और अंक तथा 5 और प्रकाशनों के प्रकाशित होने की आशा है।

7.6.23 शैक्षिक संबंधों के कार्यक्रम के अन्तर्गत परिषद् ने अगस्त, 1993 के दौरान उन्नीसवें विश्वदर्शन कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक पांच सदस्यीय शिष्टमंडल को भेजा था। शिष्टमंडल ने पोलैम्ड, वारसा में हुए विश्व सार्वभौमवाद कांग्रेस में भाग लिया। परिषद् ने मानदण्डों के अनुसार 5 विद्वानों को उक्त कांग्रेस में उनके लेखों को प्रस्तुत करने के लिए यात्रा अनुदान तथा पंजीकरण फीस उपलब्ध कराकर वित्तीय सहायता भी प्रदान की।

7.6.24 "प्राचीन भारतीय दर्शन में भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् की श्रृंखला" तथा अनुवाद में भारतीय दार्शनिक क्लासिकी से संबंधित भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् की श्रृंखला" नामक परियोजना के अन्तर्गत, प्रोफसर आर. बालसुब्रमण्यन तथा प्रोफेसर भट्टाचार्य ने भारतीय दर्शन तथा गंगा का असीम ज्ञान सिद्धांत का विश्वकोष (विशिष्ट अद्वेत) का पहला खंड तैयार करने के लिए कार्य जारी रखे। उन्होंने अपने कार्य में उल्लेखनीय प्रगति भी की है।

7.6.25 चल रही अन्य परियोजनाओं के अलावा, परिषद् ने भारतीय विज्ञान, दर्शन तथा संस्कृति इतिहास से संबंधित एक प्रमुख परियोजना को वित्तीय तथा शैक्षिक सहायता देना जारी रखा। वर्ष 1993-94 के दौरान पांच प्रासंगिक लेख प्रकाशित किए गए तथा नौ और लेखों के शीघ्र प्रकाशित होने का प्रस्ताव है। चुनिन्दा विषयों तथा अलग-अलग खंड तैयार करने के लिए अपनाई गई स्थूल प्रणाली पर विस्तृत रूपरेखाओं वाला एक सिंहावलोकन खंड मार्च, 1994 तक प्रकाशित होने की संभावना है। इस संबंध मे परियोजना को वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर विचार करने के लिए अगस्त, 1993 में एक अन्तर मंत्रालय बैठक आयोजित की गई थी।

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्

7.6.26 भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् की स्थापना 1972 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। इसका उददेश्य इतिहास के तथ्यपरक अनुसंधान तथा लेखन के क्षेत्र में बढ़ावा देना, अनुसंधान परियोजनाओं को प्रायोजित करना तथा देश की राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक विरासत को आत्मसात करने की भावना को जगाना है।

7.6.27 परिषद सामाजिक आर्थिक निर्माण, कला, साहित्य मुद्राशास्त्र, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पुरालेख शास्त्र और पुरातत्व विज्ञान इतिहास सहित इतिहास के विभिन्न क्षेत्रों से अनुसंधान के लिए वित्तपोषण के माध्यम से अपने लक्ष्यों को पूरा कर रही है।

आलोच्य वर्ष के दौरान परिषद् ने 14 अनुसंधान परियोजनाएं, 78 अध्येतावृत्तियां तथा विद्वानों के लिए 39 अध्ययन एवं यात्रा अनुदान संस्वीकृत किए। परिषद् ने 39 अनुसंधान शोध प्रबंधों, मोनोग्राफों तथा पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की। परिषद् ने भारतीय इतिहास कांग्रेस, दक्षिण भारतीय इतिहास कांग्रेस, पंजा इतिहास कांग्रेस उड़ीसा इतिहास कांग्रेस, भारतीय मुद्राशास्त्र सोसाइटी आदि जैसे इतिहासविदों के 63 व्यावसायिक संगठनों को अनुदान स्वीकृत किया ताकि वे सम्मेलनों, सेमिनारों तथा संगोष्ठियों का आयोजन कर सकें। तीन प्रख्यात इतिहासविदों को राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति प्रदान की गई।

7.6.28 अपने प्रकाशन कार्यक्रम के अन्तर्गत, परिषद् ने भारतीय ऐतिहासिक पुनरावलोकन का 16वां तथा 17वां खण्ड प्रकाशित किया। परिषद् ने वाकियत ए मुस्ताकी, धाकिरातुल खवायनिन, भारतीय मुद्राशास्त्र तथा श्री रघुवीर पुस्तकालय, सीतामऊ में फारसी पाण्डुलिपियों तथा रिकार्डों की ग्रंथसूची समेत 7 अन्य पुस्तकें प्रकाशित कीं। परिषद् के प्रकाशन आर्थिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत 25 से अधिक लेख प्रकाशित किए गए।

7.6.29 आलोच्य वर्ष के दौरान भारतीय/दक्षिण एशियाई अभिलेखों मे सामाजिक तथा आर्थिक एवं प्रशासनिक शब्दावली से संबंधित परिषद् की प्रमुख परियोजना ने उल्लेखनीय प्रगति की। परिषद् द्वारा "ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का आर्थिक इतिहास" पर एक अन्य परियोजना शुरू की गई। स्वतंत्रता की ओर परियोजना से संबंधित दस्तावेजों के चारों खंड प्रधान संपादक को प्रस्तुत किए गए।7.6.30 परिषद् मे "भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन" पर अजमेर तथा कुरूक्षेत्र मे दो कार्यशालाएं आयोजित कीं। परिषद् ने "अकबर और उसके काल" पर जयपुर में तथा अकबर की 450वीं जयंती समारोह के रूप में वाराणसी में दो कार्यशालाएं आयोजित की।

7.6.81 इतिहास तथा संबद्ध विषयों की विभिन्न शाखाओं से 794 से अधिक शीर्षक पुस्तकालय तथा प्रलेखन केन्द्रों में संकलित किए गए। परिषद् ने विद्वानों को जरोक्स तथा माइक्रोप्रिंटर की सुविधाएं देना जारी रखा। परिषद् ने 1994 मे नई दिल्ली मे होने वाले विश्व पुरातत्व कांग्रेस-3 मे भारतीय पुरातत्वविदों तथा इतिहासकारों की व्यापक तथा अधिकाधिक सार्थक सहभागिता प्राप्त करने के लिए 100 भारतीय विद्वानों को पंजीकरण शुल्क की आर्थिक सहायता अनुमोदित की है।

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला

7.6.32 भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला की स्थापना अक्टूबर, 1965 में एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य मानविकी,सामाजिक विज्ञान तथा संबंधित क्षेत्रों में उच्च अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वरिष्ठ विद्वानों की सहायता करना है। संस्थान का मुख्य उद्देश्य नए-नए क्षेत्रों में अनुसंधान करना, नए-नए महत्वपूर्ण विचारों का सृजन तथा महत्वपूर्ण संकल्पनात्मक विकास के लिए प्रयास करना और सम सामयिक विषयों के प्रश्न पर अन्तर-विषयों को सापेक्ष महत्व प्रदान करना है।

7.6.33 संस्थान तीन महीने से तीन वर्ष की भिन्न-भिन्न अवधियों के लिए अध्येतावृत्तियां प्रदान करता है। वर्ष 1993-94 के दौरान, 30-35 अध्येताओं के लक्ष्य की तुलना में 42 अध्येताओं ने संस्थान स्थित विभिन्न विषयों में कार्य किया। संस्थान ने तीन सेमिनार आयोजित किए जिनमें देश के सभी भागों से विद्वानों तथा संस्थान के अध्येताओं ने भाग लिया।

7.6.34 संस्थान के शैक्षिक कार्यकला की प्रमुख विशेषता साप्ताहिक सेमिनारों का आयोजन करना है। वर्ष के दौरान अध्येताओं के लिए 22 साप्ताहिक सेमिनार आयोजित किए गए। दो प्रख्यात विद्वान विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में संस्थान आए। उन्होंने अपनी इच्छानुसार शोध प्रबंध पर व्याख्यान दिया। इस संस्थान में व्याख्यान देने के लिए ग्यारह विद्वान आए।

7.6.35 संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के लिए एक अन्तर-विश्वविद्यालय केन्द्र के रूप में भी कार्य करता है। आलोच्य वर्ष के दौरान, देश के कौने-कौने से विभिन्न कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के 43 शिक्षक "एसोसिएट" के रूप में संस्थान आए। "दर्शन में रूपक तथा साहित्य में सत्य" विषय पर शोध सेमिनार तथा (वर्तमान समाजवादी राज्य प्रणाली की विफलता तथा "भारत में संघवाद" पर अध्ययन सप्ताह भी आयोजित किए गए थे जिनमें प्रख्यात विद्वानों ने भाग लिया। आठ एसोसियेटों ने संस्थान के सेमिनारों में अपने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए।

7.6.36 वर्ष 1993-94 के दौरान 14 प्रकाशन निकाले गए और सात प्रकाशनों का कार्य अन्तिम स्तर पर है जिनके शीघ्र प्रकाशित होने की संभावना है।

7.6.37 संस्थान के पुस्तकालय में वर्तमान समय की 550 पत्र/पत्रिकाएं मंगाई जाती है तथा उसका पुस्तक के लगभग 2500 खंडों को प्राप्त करने का एक कार्यक्रम है। इस पुस्तकालय को दिल्ली पुस्तकालय नेटवर्क से जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

7.6.38 संस्थान ने "भारतीय सभ्यता में सामाजिक आर्थिक आंदोलन तथा सांस्कृतिक नेटवर्क" पर एक बहुविषयक टीम परियोजना तैयार की है "जिसने धार्मिक आंदोलन के सामाजिक आयाम" पर एक सेमिनार आयोजित किया तथा 1-3 नवंबर, 1993 को एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया। "समीक्षा बैठक" में 24 विद्वानों ने भाग लिया जिसमें 13 निबंधों के अतिरिक्त आठ विद्वानों द्वारा प्रस्तावित किए गए अध्ययनों को प्रस्तुत किया गया तथा उन पर विचार-विमर्श किया तथा। बैठक में जिन निबंधों पर विचार-विमर्श किया गया उनमें से कुछ को प्रासंगिक निबंधों के रूप में प्रकाशित करने के लिए विचार किया गया।

अन्य योजनाएं

डा. जाकिर हुसैन स्मारक कालेज न्यास

7.7.1 डा. जाकिर हुसैन स्मारक कालेज न्यास की स्थापना डा. जाकिर हुसैन कालेज जिसे पहले दिल्ली कालेज के नाम से जाना था के प्रबंध और रख रखाव के दायित्व को निभाने के लिए वर्ष 1973 में की गई थी। कालेज के रख रखाव का खर्च विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा न्यास 95:5 के अनुपात में वहन करते हैं। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समय-समय पर विकास योजनाओं को संस्वीकृति प्रदान करता है। ऐसी योजनाओं पर होने वाला खर्च इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तैयार को गई सहायता की गई सहायता पद्धति के अनुरूप बांटा जाता है। चूंकि न्यास के पास अपना खुद का संसाधन नहीं है। इसलिए उपर्युक्त खर्च की पूर्ति के लिए शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा अनुदान राशियां प्रदान की जाती है। न्यास के प्रशासनिक खर्च की पूर्ति के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन की स्थापना

7.7.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986, 1992 में यथा संशोधित में यह परिकल्पना की गई है कि चुने हुए क्षेत्रों में विशेषकर ऐसी सेवाओं में जिनमें विश्वविद्यालय की डिग्री की आवश्यक योग्यता के रूप में आवश्यकता नहीं है, डिग्रियों को रोजगार से अलग करने की शुरुआत की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात की भी परिकल्पना की गई है कि डिग्री को नौकरी से अलग करने के साथ साथ विशिष्ट नौकरियो के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता का निर्धारण करने हेतु, पूरे राष्ट्र में तुलनीय दक्षता के मानदंडों के उद्भव का मार्ग प्रशस्त करने हेतु तथा परीक्षण और मूल्यांकन में समग्र रूप में सुधार लाने हेतु स्वयंसेवी आधार पर परीक्षण आयोजित करते के लिए एक उपयुक्त तंत्र यथा राष्ट्रीय मूल्यांकन

संगठन स्थापित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए एक स्वायत्तशासी पजीकृत संस्था के रूप में राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन का गठन किया गया है। राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन निम्नलिखित कार्य करेगा।

(क) उम्मीदवारों की औपचारिक योग्यताओं का ध्यान किए बगैर विर्निदिष्ट नौकरियों के लिए उनक योग्यता को प्रमाणित करने के लिए वैज्ञानिक तथा तर्कसंगत ढंग से तैयार किए परीक्षणों का आयोजन

(ख) विर्निदिष्ट कार्यों या कार्य समूहों के निष्पादन के लिए आवश्यक ज्ञान, दक्षता, योग्यता, कुशलता, सक्षमता तथा अभिरूचि के परीक्षण के लिए पद्धतियों तथा तकनीकों का विकास करना,

(ग) उच्च अध्ययन के पाठ्यक्रमों में दाखिले, प्राध्यापक वर्ग की भर्ती, वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों की भर्ती आदि के प्रयोजनार्थ जो मौजूदा संस्थाए और एजेसियां स्वय प्रारंभिक छटनी या इसी प्रकार के अन्य परीक्षण के माध्यम से विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं आयोजित करती हैं यदि उनके द्वारा इस कार्य में सहायता मांगी जाए तो राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन स्वयं द्वारा निर्णित शर्तों पर उनकी सहायता कर सकता है।

(घ) परीक्षण विकास, परीक्षण अभिशासन, परीक्षण में अंक की गणना तथा निर्वचन, कम्प्यूटर प्रणाली तथा प्रकाशीय चिन्ह पाठक के अनुप्रयोग में राष्ट्रीय स्तर पर सुसज्जित संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करना इत्यादि।

अखिल भारतीय महत्व की उच्च अध्ययन की संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना

7.7.3 उच्चतर अध्ययन संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने क योजना योजना दर योजना के आधार पर जारी है। इस योजना के अंतर्गत यह मंत्रालय कुछ स्वयंसेवी संगठनों/शैक्षिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे संस्थानों को सहायता प्रदान की जाती हैं जो विश्वविद्यालय प्रणाली से अलग है और जो नयाचार प्रकृति के कार्यक्रम में लगे हुए हैं।

7.7.4 ऐसे संस्थानों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो ग्रामीण समुदाय के विशेष हितों तथा नयाचारी प्रकृति के कार्यक्रम चला रहे हैं। वर्ष के दौरान (1) श्री अरविन्दों अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पांडिचेरी, (11) श्री अरविंदों शैक्षिक शोध संस्थान औरविले, (111) लोक भारती, सनोसरा, और (1111) मित्रा निकेतन, वेल्लानाक, केरल को इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

7.7.5 चूंकि इन संस्थानों को योजनागत स्कीम के अंतर्गत सहायता प्रदान की जा रही है इसलिए योजना दर योजना सहायता जारी रखने का निर्णय प्रत्येक योजना अवधि के अंत में लेना पड़ता है। आठवीं योजना अवधि के दौरान इस संस्थानों को प्रदान की जाने वाली सहायता की प्रकृति तथा मात्रा क जांच तथा सिफारिश करने के उद्देश्य से संस्थानों का मौके पर पहुंच कर उनके कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने तथा आठवीं योजनावधि के दौरान भावी सहायता की प्रकृति तथा मात्रा की सिफारिश करने के लिए संस्थानों के दौरे हेतु मंत्रालय द्वारा सितंबर, 1990 में निरीक्षण समितियों का गठन किया गया। निरीक्षण समितियों की रिपोर्ट मंत्रालय को उपलब्ध कराई गई है।

7.7.6 उपर्युक्त चारों संस्थानों की निरीक्षण समितियों की सिफारिशों के आधार पर वित्तीय सहायता जारी की जाती है।

विश्वविद्यालयों और कालेजं के प्रशासको के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की योजना

7.7.7 राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी कार्रवाई योजना, 1992 में उच्च शिक्षा संस्थाओं की आंतरिक दक्षता में सुधार लाने का प्रावधान है। अतः विश्वविद्यालय तथा कालेजों के प्रशासकों को अपने

व्यावसायिक दक्षता में विकास के लिए अवसर प्रदान करना आवश्यक है।

7.7.8 शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों तथा कालेज के प्रशासकों के लिए मौजूदा ग्रामीण प्रशिक्षण सुविधाओं के स्तर की समीक्षा करने तथा प्रशिक्षण की जरूरतों का पता लगाने और विश्वविद्यालय/कालेज प्रशासकों के व्यावसायिक विकास की सुविधाओं को बढ़ाने के उपाय सुझाने के लिए प्रो. अमरीक सिंह की अध्यक्षता में एक नौ सदस्यीय समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

7.7.9 समिति की मुख्य सिफारिश यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर "राष्ट्रीय उच्च शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान" नामक एक नाभि (नोडल) प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाए। यह विश्वविद्यालयों में सामान्य प्रशिक्षण की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अंतर विश्वविद्यालयय केन्द्र के रूप में वि. अ. आ. के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी होगा। इसके प्रमुख लक्ष्य तथा कार्य होंगे: उच्च शिक्षा संबंधी प्रशिक्षण नीति तैयार करना, सुविधाएं प्रदान करना, अनुसंधान और प्रबंधन को बढ़ावा देना, शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का पता लगाना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूप रेखा तैयार करना तथा सूचना और सुविज्ञता के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना।

7.7.10 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक उप समिति का गठन किया है जो इस रिपोर्ट की जांच कर रही है।

भारतीय विश्वविद्यालय संघ

7.8.1 भारतीय विश्वविद्यालय संघ विश्वविद्यालयों का एक शर्षस्थ स्वैच्छिक शैक्षिक संगठन है जिसका प्रमुख उद्देश्य उच्च शिक्षा की ऐसी संस्थाओं के कार्य-कलापों को प्रोन्नत और समेकित करना हैं जो इसके सदस्य हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय विश्वविद्यालय संघ के कुछ प्रमुख कार्यकलापों में सूचना का प्रसार, अनुसंधान अध्ययन शुरू करना, साहित्य का प्रकाशन तथा प्रोन्नति, सांस्कृतिक खेल कूद तथा संबद्ध क्षेत्रों मे संस्थाओ के बीच सहयोग, कुलपतियों के सम्मेलन आयोजित करना और विश्वविद्यालय प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता शामिल है।

7.8.2 भारतीय विश्वविद्यालय संघ को सदस्य विश्वविद्यालयों द्वारा दिए गए वार्षिक चंदों और उच्च शिक्षा से संबंधित साहित्य की बिक्री तथा प्रकाशन से प्राप्त आय से पर्याप्त मात्रा में धनराशि प्राप्त होती है। यह संघ अनुसंधान सैल द्वारा संचालित अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए सरकार से योजनागत तथा योजनेत्तर अनुदान भी प्राप्त करता है। विश्वविद्यालय हस्त पुस्तिका, चिकित्सा इंजनियरी, कृषि, प्रबंध, दूरस्थ शिक्षा संबंधी हस्त पुस्तिका, डाक्टोरल शोध निबंध की ग्रंथ सूची नियमित समयान्तराल पर मुद्रित की जाती है। विश्वविद्यालय समाचार जो उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान की साप्ताहिक पत्रिका है में सामयिक रूचि तथा विशेषताओं के निबंध समेत विश्वविद्यालय की प्रमुख घटनाएं शामिल की जाती हैं इसके अलावा भारतीय विश्व विद्यालय संघ के पास उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 100 प्रकाशन हैं।

7.8.3 'उच्च शिक्षा की इकाई लागतः विश्वविद्यालयो की कार्य-कुशलता का अध्ययन नामक अनुसंधान परियोजना को पूरा कर लिया है। अनेक अनुसंधान अध्ययन प्रगति पर है, इनमें से कुछ महत्वपूर्ण नीचे दिए गए हैं:

— विश्वविद्यालय द्वारा संसाधनों का जुटाया जाना।

— उच्च शिक्षा में कार्य निष्पादन संकेतकों का विकास तथा उपयोग।

— विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित

पाठ्यचर्या विकास केंद्रों और विभिन्न समितियों द्वारा विकसित पाठ्यचर्या का उपयोग तथा प्रश्न बैंक का प्रभाव।

7.8.4 30 प्रश्न बैंक प्रकाशित किए गए हैं जिसमें कृषि विज्ञान और मृदा विज्ञान पर प्रश्न बैंक भी शामिल हैं जिसे 1992-93 के दौरान प्रकाशित किया गया। "भूगोल" पर एक प्रश्न बैंक इस अवधि के दौरान संशोधित तथा प्रकाशित किया गया। चालू वर्ष के दौरान बैंकिंग और एकाउंटेंसी पर नए प्रश्न बैंक को अंतिम रूप दिया गया तथा-रसायन -विज्ञान से संबंधित प्रश्न बैंक को संशोधित किया गया है।

7.8.5 खेल कूद के क्षेत्र में देश के विभिन्न केन्द्रों पर पुरुषों के लिए 27 खेलों तथा महिलाओं के लिए 22 खेलों मे अंतर विश्वविद्यालय टूनमिंट का आयोजन किया गया। ये देश के विभिन्न अंचलों में अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित किए गए थे। इसी प्रकार भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने विश्व विद्यालय के युवकों में मानवीय मूल्यों, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के विचार से विभिन्न अंचलों में विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए सांस्कृतिक कार्यकलापों का भी आयोजन किया।

राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरशिप योजना

7.8.6 राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोपेसरशिप योजना प्रतिष्ठित शिक्षाविदों तथा अध्येताओं को सम्मान देने के लिए 1949 में शुरू की गई थी। इस समय दो राष्ट्रीय प्रोफेसर हैं जो इस प्रकार हैं : डा. (श्रीमती) एम. एस. सुब्बालक्ष्मी (संगीत) और डा. के. एन. राज (अर्थशास्त्र)। राष्ट्रीय प्रोफेसर 8000 रु. की मासिक परिलब्धियां तथा 20000/- रु. प्रतिवर्ष आकस्मिक अनुदान लेने के पात्र होते हैं।

पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़

7.8.7 पंजाब राज्य के पुनर्गठन के साथ ही पंजाब विश्वविद्यालय को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के अंतर्गत एक अंतर्राज्यीय निगमित निकाय घोषित किया गया। विश्वविद्यालय का अनुरक्षण व्यय इस समय पंजाब सरकार और चंडीगढ़ के संघ क्षेत्र प्रशासन द्वारा 40:60 के अनुपात मे वहन किया जा रहा हैं। विश्वविद्यालय का विकासात्मक व्यय मुख्यतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार विशिष्ट कार्यक्रम के लिए आयोग द्वारा संस्वीकृत किए अनुदानों में से पूरा किया जाता है। तथापि, विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्वीकृति विकास अनुदानों की राशि के समतुल्य राशि उपलब्ध करना पड़त है और ऐसी अनेक परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों का वित्त पोषण करना पड़ता है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाओं के अंतर्गत नही आते। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार हर वर्ष विश्वविद्यालय को एक समुचित राशि ऋण के रूप में संस्वीकृत करती आ रही है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

7.8.8 वर्षों से विदेशों के शिक्षाविदों को भारत के प्रति रूचि बढ़ती जा रही है। अमरीकी भारतीय अध्ययन संस्थान, भारत मे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक प्रतिष्ठान, शास्त्री भारत-कनाडा संस्थान और भारत में बकले व्यावसायिक अध्ययन कार्यक्रम द्वारा प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं की बढ़ती हुए संख्या से यह प्रतिबिंबित होता है। वर्ष 1992-93 के दोरान अनुमोदित 303 अनुसंधान प्रस्तावों की तुलना में वर्ष 1992-93 के दौरान अनुमोदित 303 अनुसंधान प्रस्तावों की तुलना मे वर्ष 1993-94 के दौरान 318 अनुसंधान प्रस्ताव सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए। भारतीय विश्वविद्यालयों तथा विदेश विश्वविद्यालयों के बीच अनेक द्विपक्षीय समझौते सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों के सहयोग से आयोजित द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/संगोष्ठियों/ सेमिनारों/कार्यशालाओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। भारत के विश्वविद्यालयों मे विजिटिंग लेक्चरार/

प्रोफेसर के रूप में विदेशी अध्येताओं क नियुक्ति संबंधी अनुरोधों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है।

शास्त्री भारत-कनाडा संस्थान

7.8.9 1968 में स्थापित शास्त्री भारत कनाडा संस्थान अध्येताओं के आदान-प्रदान अनुसंधान कार्यकलाप के प्रोन्नपन द्विपक्षीय सम्मेलनों तथा विशेष परियोजनाओं के जरिए भारत और कनाडा के बीच आपसी सूझ-बूझ के विकास को बढ़ावा देता है। 1 अप्रैल, 1989 से 5 वर्ष के लिए नवीकृत नवंबर 1968 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसरण में सरकार ने 1993-94 के दौरान इस संस्थान को 72,00,000/- रुपये की सहायता अनुदान प्रदान की। वर्ष 1993-94 के दौरान संस्थान ने भारतीय अध्येताओं को अपने शैक्षिक अनुसंधान को पूरा करने तथा कनाडा के अपने समकक्षों के साथ बातचीत करने के लिए 40अध्येतावृत्ति प्रदान की। इसी तरह कनाडा के 16 अध्येताओं ने भारत की विरासत और विकास की प्रक्रिया से संबधित विभिन्न पहलुओं पर अपना अनुसंधान कार्य किया।

7.8.10 संस्थान ने भारत में कनाडियन अध्ययन के विकास के लिए अपने विजिटिंग लेक्चरार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न भारतीय संस्थाओं में व्याख्यान देने के लिए कनाडा के तीन अध्येताओं के दौरे की सहायता प्रदान की।

7.8.11 पांच निर्धारित क्षेत्रों में भारत और कनाडा के संस्थाओं के बीच संयुक्त सहयोगी अनुसंधान के लिए संस्थान का प्रस्ताव वित्त पोषण के लिए कनाडियन अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा अनुमोदित किया गया।

7.8.12 शास्त्री भारत कनाडा संस्थान ने कनाडा और भारत में समारोह के साथ अपनी स्थापना की पच्चीसवीं वर्षगांठ मनाई। जून, 1993 में ओटावा में आयोजित भारतीय संगीत समारोहम सहित सेमिनारों की एक श्रंखला का आयोजन किया गया। राजीव गांधी समकालीन अध्ययन संस्थान के साथ मिलकर संस्थान ने आर्थिक परिवर्तन और भारतीय विकास पर एक सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार का उद्‌घाटन मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह द्वारा किया गया।

भारत में संयुक्त राज्य शैक्षिक प्रतिष्ठानः

7.8.13 शैक्षिक संपर्कों के माध्यम से ज्ञान और व्यावसायिक प्रतिभाओं के और अधिक विनिमय के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के लोगों के बीच आपसी सूझबूझ को और अधिक बढ़ावा देने, फुलब्राइट शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम को अभिशासित करने के लिए भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका सरकार के बीच 1963 में नए समझौते के द्वारा यथा प्रतिस्थापित द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत फरवरी, 1950 में भारत में संयुक्त राज्य शैक्षिक प्रतिष्ठान की स्थापना की गई।

7.8.14 भारत में संयुक्त राज्य शैक्षिक प्रतिष्ठानका द्विराष्ट्रीय निदेशक मंडल हर वर्ष अध्ययन के क्षेत्रों को अनुमोदित करता है जिनके लिए अध्येतावृत्तिया प्रदानकी जाती है। प्रष्ठिान (क) सामाजिक विज्ञान मानविकी में शोध अनुदान (ख) पूर्व डाक्टोरल अनुदान (ग) पुस्तकाल विज्ञान में इंटर्नशिप (ड.) कला इतिहास से इंटर्नशिप प्रदान किया। 25 व्याख्यातओं, 35 अनुसंधानकर्ताओं तथा 36 छात्रों को समक्षाधीन वर्ष के दौरान 6 से लेकर 9 माह तक के लिए अनुदान प्रदान किया गया।

7.8.15 हुवर्ट एच. फैलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे नीति निर्माताओं, योजना निर्माताओं, प्रशासकों और प्रबंधकों जैसे सिद्धहस्त व्यावसायिकों को एक वर्ष तक अध्ययन और प्रशिक्षण के लिए पांच अध्येतावृत्तियां प्रदान की गई जो जन सेवा की ओर उन्मुख हों तथा अपने देश के विकास के प्रति समर्पित हों। किसी अमरीकी विश्वविद्यालय/संस्थान के शिक्षण/अनुसंधान कार्य के लिए भारतीय अध्येताओं की तीन से 6 माह के लिए स्कालर-इन-रजिडेंस प्रोग्राम और

अमेरिकन रीसर्च फैलोशिफ प्रोग्राम के अंतर्गत भी अनुदान प्रदान किए गए।

7.8.16 भारत में संयुक्त राज्य शैक्षिक प्रतिष्ठान पूर्वी पश्चिम केन्द्र के अनुदानों को भी अभिशासित करता है। वर्ष के दौरान विभिन्न विषयों पर कार्यशालाएं/ सेमिनार आयोजित किए जाते हैं जिसमें अनेक केन्द्रों के संस्थानों के भारतीय अध्येताओं को भी शामिल किया जाता है।

7.8.17 नियमित विनिमय कार्यक्रम के अलावा प्रतिष्ठान अनेक कार्यशालाओं/सेमिनारों का भी आयोजन करता हैं जिसमें विजिटिंग अमरकी प्रोफेसरों तथा विभिन्न क्षेत्रों के भारतीय कालेजों/ विश्वविद्यालय प्रख्यात भारतीय शिक्षकों को शामिल किया जाता है।

7.8.18 प्रतिष्ठान अमरीकी स्कूल/कालेज शिक्षकों के लिए अंशकालिक ग्रीष्म ग्रुप की अनेक परियोजनाओं को भी अभिशासित करता है। इन ग्रुपों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम की व्यवस्था उच्च शैक्षिक अध्ययन की भारतीय संस्था में की जाती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार इस प्रकार के सभी संवर्धनों को अनुमोदित करता है। तथा शैक्षिक कार्यक्रमों को लागत की भी प्रतिपूर्ति करता है।

अमरीकी भारतीय अध्ययन संस्थान

7.8.19 अमरीकी भारतीय अध्ययन संस्थान (ए. आई. आई. एस.) शिकागो विश्वविद्यालय विकंसिन विश्वविद्यालय मिन्नोसोटा विश्वविद्यालय पेसिलवानिया विश्वविद्यालय, सिरकूस विश्वविद्यालय, केलिफोर्निया विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय आदि जैसे लगभग 50 विश्वविद्यालयों का 32 वर्षीय पुराना संघ है। संस्थान 1960 में भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन में निम्नलिखित के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय अध्ययन, सभ्यता और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया (क) मानव विज्ञान से लेकर प्राणी विज्ञान के क्षेत्रों में अध्येतावृत्तियां प्रदान करना। (ख) जहां पर भारतीय भाषाएं बोली जाती हैं वहां पर अमरीकी छात्रों को भाषा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की पेशकश करके भारतीय भाषाओं को पढ़ाना ताकि छात्र भारतीय भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के साथ विचारों का आदान-प्रदान कर सके (ग) केन्द्र स्थापित करके, वाराणसी में कला और पुरातत्व केन्द्र तथा नई दिल्ली में पुरालेक और नृजात संगत शास्त्र अनुसंधान केन्द्र (घ) भारत में अनुसंधान कार्य के परिणामों को प्रकाशित करना (ड.) भारतीय अध्ययन के सभी क्षेत्रों में सेमिनारों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों का आयोजन करना।

7.8.20 1993-94 के दौरान संस्थान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्व विद्यालयों और अनुसंधान संगठनों के संकाय सदस्यों तथा पी.एच. डी. के छात्रों मानव विज्ञान से लेकर प्राणि विज्ञान के क्षेत्रों में उनकी राष्ट्रीयता का ध्यान दिए बगैर लगभग 150 अध्येतावृत्तियां प्रदान की।

7.8.21 आलोच्य अवधि के दौरान संस्थान ने हिंदी, तमिल, बंगला और तेलगू के लिए 20 भाषा अध्येतावृत्तियां प्रदान की।

7.8.22 वर्ष 1993-94 के दौरान संस्थान द्वारा निम्नलिखित प्रकाशन प्रकाशित किए गए:

(1) पाठ, लय और ताल

(2) भरत नाद्यम का संगीतः समकालीन खंड जान की हिग्गिन्स को समर्पित

(3) मर्था आश्टोन द्वारा कृष्णनाट्यम

(4) जार्ज पेशिल द्वारा हड़प्पा की सभ्यता

(5) जार्ज क्लिंगर द्वारा सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में भरतनाट्यम

(6) जॉन इर्डमन द्वारा भारत में कला को संरक्षण : पद्धतियां उद्देश्य और बाजार

(7) पी. के. मुखर्जी द्वारा भारत का पुष्पछत्रधर

(8) कैथरीन आशेर द्वारा भारत के दृश्य विगत का अवबोधन

(9) राजस्थान का विचारः कैटीन स्कीमर

7.8.23 अमरीकी भारतीय अध्ययन संस्थान के अध्येताओं द्वारा विगत तन दशकों में किए गए कार्य के परिणामस्वरूप 3000 से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं (क) नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली (ख) राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता (ग) अडयार पुस्तकालय, मद्रास (घ) दक्षिण कालेज, पूणे में भारतीय अध्येताओं द्वारा प्रयोग में लाए जाने के लिए इन पुस्तकों के चार सैट रखे गए हैं।

7.8.24 अमरीकी भारतीय अध्ययन संस्थान के कला और पुरातत्व केन्द्र में कला और पुरातत्व के क्षेत्र में अभिलेखीय सुविधा का विकास किया गया है। इसमें पूर्णतया अभिलेखित और सूची पत्र तैयार किए गए भारतीय स्मारकों के लगभग 125,000 चित्र रखे गए हैं। यहां पर एक पुस्तकालय भी स्थापित किया गया है जिसमें इस क्षेत्र की लगभग 30,000 पुस्तकें हैं। इस केन्द्र द्वारा किए गए कार्य के परिणामस्वरूप भारतीय मंदिर वास्तुशिल्प संबंधी विश्वकोश के आठ खंड प्रकाशित हो चुके हैं। अभिलेख और मानव विज्ञान संगीत शास्त्र केन्द्र ने भारत के रिकार्ड किए गए मानव विज्ञान संगीत का 6000 घंटे का एक अभिलेखागार विकसित किया हैं। यहां पर एक पुस्तकालय भी स्थापित किया गया है जिसमें लगभग 5000 पुस्तकें हैं। ये अभिलेखागार और पुस्तकालय अद्वितीय कोटि के हैं।

तकनीकी शिक्षा

8

तकनीकी शिक्षा

8.1.1 तकनीकी शिक्षा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने तथा लोगों के जीवन के स्वरूप को सुधारने वाले उत्पादों और सेवाओं के मूल्य संवर्द्धन की विशाल क्षमता के साथ मानव संसाधन विकास के प्रतिबिम्ब का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस क्षेत्र के महत्व को मान्यता प्रदान करते हुए, क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में तकनीकी शिक्षा के विकास पर बहुत बल दिया गया है।

8.1.2 पिछले चार दशकों के दौरान, देश में तकनीकी सुविधाओं का चमत्कारिक विकास हुआ है. किन्तु इसके बढ़ते हुए और कार्यक्षेत्र, संगठित तथा असंगठित और ग्रामीण क्षेत्र की आवश्कताओं के अनुरूप इसकी सुलभता और इसकी उत्पादकता के प्रति प्रासंगिकता में सुधार के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, अभी तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, इस शताब्दी के अंत तक सामाज-आर्थिक, औद्योगिकी तथा शिल्पवैज्ञानिक क्षेत्रों में बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, इस प्रणाली को बृहत्तर प्रासंगिकता और वास्तविकता के साथ अपनी भूमिका निभाने में समर्थ बनाए जाने की आवश्यकता है। इन तर्कों के आधार पर तकनीकी शिक्षा प्रणाली को आगे और परिमार्जित करने के लिए अनेक पहल की गई हैं। इनमें आधुनिकीकरण तथा अप्रचलन को दूर करना, संस्था-उद्योग के तालमेल को बढाना उद्योग और सेवा क्षेत्र में कार्य कर रहे तकनीकी कार्मिकों के ज्ञान और कौशल के उन्नयन के लिए सतत शिक्षा प्रदान करना तथा ग्रामीण क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का स्थानान्तरण सम्मिलित है।

8.1.3 आलोच्य अवधि के दौरान, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण विकास देखे गए। विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं के कार्यान्वयन में पर्याप्त प्रगति की गई। पालिटेकनिकों को अपनी क्षमता, गुणात्मकता तथा कार्य दक्षता में सुधार लाने योग्य बनाने के लिए, देश में तकनीशियन शिक्षा प्रणाली के उन्नयन की दिशा में विश्व बैंक की सहायता से एक बड़ी परियोजना प्रारम्भ की गई है। वैधानिक अधिकारों से सम्पन्न अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने उसे दिए गए लक्ष्यों को पूरा करने का कार्य जारी रखा।

8.1.4 वर्ष के दौरान, तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत कार्यक्रमों/योजनाओं तथा उनकी उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे प्रस्तुत किया गया है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

8.2.1 बम्बई, दिल्ली, खड़गपुर, कानपुर, और मद्रास में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और अवर स्नातक स्तर पर प्रयुक्त विज्ञानों और इंजीनियरी में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने और स्नातकोत्तर अध्ययनों और अनुसंधान हेतु पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रमुख केन्द्रों के रूप में की गई थी।

8.2.2 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में 4 वर्षीय अवर स्नातक कार्यक्रम संचालित करते हैं। वे भौतिकी, रसायन विज्ञान, तथा गणित तथा जैव- रसायनिक इंजीनियरी तथा जैव प्रौद्योगिकी में 5 वर्ष की अवधि के समेकित निष्णात- उपाधि पाठ्यक्रम विभिन्न विशिष्टताओं में 1/1.2 वर्ष का एम. टेक. पाठ्यक्रम और चुने हुए क्षेत्रों में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी प्रदान करते हैं. इसके अतिरिक्त ये संस्थाएं इंजीनियरी, विज्ञानों, मावविकियों तथा समाज-विज्ञानों की विभिन्न शाखाओं में पी- एच. डी कार्यक्रम प्रदान करते हैं, विशिष्टता के चुने हुए क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने और अनुसंधान के लिए उच्च केंद्र भी प्रत्येक संस्थान में स्थापित किए गए हैं.

8.2.3 अपने अस्तित्व के वर्षों के दौरान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने पैटेन्टों को विकसित करने और उद्योग द्वारा उनके उपयोग किए जाने में सफलता पाई हैं. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं और उनके संकाय सदस्यों द्वारा अपने हाथ में लिए गए परामर्शी कार्य के जरिए पर्याप्त मात्रा में राजस्व अर्जित किया है।

8.2.4 विश्व की सर्वोत्तम स्तर की तुलनीय तकनीकी जनशक्ति के विकास के लिए, ये संस्थान, शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान में अग्रणी है। अवर स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेई.ई.) के जरिए, उदीयमान छात्रों का चयन और प्रशिक्षण की उच्चतम कोटि (क्वालिटी) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रणाली के महत्व के स्वतः द्योतक ही है जो उत्कृष्टता के लक्ष्य से प्रतिबद्ध हैं।

8.2.5 आलोच्य अवधि के दौरान, इन संस्थानों ने, इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि से प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण करना जारी रखा।

8.2.6 10 महीने की अवधि का एक विशेष प्रारम्भिक पाठ्यक्रम, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने अनु. जातियों/ अनु. जनजातियां के छात्रों के दाखिले में सुधार लाने के लिए जारी रखा गया। ऐसी अनु० जनजातियों/ अनु० जनजातियों के छात्रों को, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जे०ई०ई) में अर्हता प्राप्त करने में असफल रहते हैं, परन्तु अंकों की एक न्यूनतम प्रतिशतता अर्जित करते हैं, इस प्रारम्भिक पाठ्यक्रम में दाखिले की पेशकश की जाती है. प्रारंभिक पाठ्यक्रम के समाप्त होने पर इन छात्रों की एक अर्हता परीक्षा ली जाती है, जिसके आधार पर, संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जे० ई० ई०) में पुनः बैठे बिना, उन्हें बी० टेक० कार्यक्रम में दाखिले की पेशकश की जाती हैं। इससे भा० प्रौ० संस्थानों में अनु० जातियों/ अनु० जातियों के छात्रों की दाखिला की स्थिति में सुधार हुआ है। छात्रों को निःशुल्क भोजन के अतिरिक्त, जेब खर्च, ऋणों और विवेकाधीन अनुदानों के जरिए अनु० जातियों/ अनु० जनजातियों के छात्रों को वित्तीय सहायता मिलना भी जारी रहा।

8.2.7 वर्ष 1993 के दौरान, पांचों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में छात्रों की संख्या निम्नलिखित थी:

भा० प्रौ० संस्थान

छात्रों की संख्या

	अवर स्नातक	**स्नातकोत्तर**	**अनुसंधान**
खड़कपुर	1702	685	205
मद्रास	1304	835	787
कानपुर	1252	575	360
दिल्ली	1172	1042	722
बम्बई	1545	690	704

8.2.8 असम समझौते के अनुसार, असम में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है जो भा० प्रौ० संस्थानों की श्रृंखला में छटा होगा। यह संस्थान, सहायता अनुदान के जरिए पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होगा। संस्थान की स्थापना के लिए अब उत्तर गुवाहाटी में 700 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है. माननीय प्रधान मंत्री ने 4.7.1992 को संस्थान की आधारशिला रखी। अक्तूबर-नवम्बर, 1992 तथा जनवरी 1993 के दौरान पुनः प्रचलित कन्क्रीट बिल्डिंग की भूकम्पीय डिजाइन पर तीन दिवसीय पाठ्यक्रम, कम्प्यूटर आधारित इन्सटूमेंटेशन पद्धतियों तथा प्रबंध के लिए कम्प्यूटर अपरिशिशिएशन का आयोजन किया गया।

भारतीय प्रबंध संस्थान

8.3.1 प्रबंध के क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण, शोध और परामर्श देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा अहमदाबाद, बंगलौर, कलकत्ता और लखनऊ में चार भारतीय प्रबंध संस्थान स्थापित किए गए थे। ये संस्थान इन क्षेत्रों में प्रमुख केंद्र हैं।

8.3.2 अहमदाबाद, बंगलूर और कलकत्ता के तीन संस्थानों ने विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अपने सामान्य क्षैक्षिक कार्यक्रमों अर्थात प्रबंध में स्नातकोत्तर कार्यक्रम (एम०बी०ए० के समकक्ष) फैलोशिप कार्यक्रम (पी-एच०डी० के समकक्ष) प्रबंध विकास कार्यक्रम, संगठन आधारित कार्यक्रम तथा शोध और परामर्श के कार्यक्रम उद्योगों के लिए जारी रखें।

8.3.3 लखनऊ स्थित चौथे भारतीय प्रबंध संस्थान ने, वर्ष 1985-86 के सत्र के कार्य करना आरम्भ किया था। यह अभी विकासशील अवस्था में है। यह संस्थान स्नातकोत्तर कार्यक्रम कार्यपालक विकास कार्यक्रम का संचालन कर रहा है और शोध तथा परामर्शी सेवाएं उद्योगों के लिए प्रदान कर रहा है।

8.3.4 रा० शि० नी० के अनुसरण में, इन संस्थानों ने अनुसंधानों केंद्रों की स्थापना की है जो कृषि, ग्रामीण विकास, लोक पद्धति प्रबंध, ऊर्जा, स्वास्थ्य शिक्षा, आवास, आदि जैसे गैर निगमित और अवर प्रबंन्ध क्षेत्रों की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। उद्योगोन्मुख प्रबंध तकनीकी के क्षेत्र ने साफ्टवेयर अनुप्रयोग के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन संस्थनों ने कम्प्यूटर-सहायता प्राप्त प्रबंध केंद्रों की भी स्थापना की है।

8.3.5 इन संस्थानों की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन तथा इनके दायरे का विस्तार करने की प्रक्रिया में इन संस्थानों को अधिक से अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपेक्षित उपाय करने के उद्देश्य से गठित पुनरीक्षा सतिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने रिपोर्ट की जांच की और समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी व प्रशिक्षण संस्थान (नीटी)

8.4.1 भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से वर्ष 1963 में स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी व प्रशिक्षण (नीटी) संस्थान की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य औद्योगिकी इंजीनियरी के क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्शी सेवाएं प्रदान करना हैं।

8.4.2 यह संस्थान औद्योगिक इंजीनियरी में स्नातकोत्तर कार्यक्रम (एम०टेक० के समकक्ष) अनुसंधान द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम औद्योगिकी इंजीनियरी में फैलोशिप कार्यक्रम, (पी-एच०डी० के समकक्ष) तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा कार्यक्रमों की पेशकश करता है।

यह औद्योगिक इंजीनियरी और प्रबंध तकनीकी के विभिन्न क्षेत्रों में एक से दो सप्ताह की अवधि के अल्पकालिक कार्यकारी विकास कार्यक्रमों का

संचालन भी करता रहा है। संस्थान, अनुप्रयुक्त अनुसंधान में लगा हुआ है तथा औद्योगिक, इंजीनियरी, कार्यसंचालन अनुसंधान, सूचना प्रणाली और कम्प्यूटर, विपणन, कार्मिक और अन्य संबद्ध उत्पादकता और प्रबंध के विभिन्न पक्षों पर परामर्श भी देता है।

8.4.3 आठवीं योजना अवधि के दौरान, संस्थान का प्रस्ताव उद्यमी कौशलों में अनुसंधान, कोयला, इस्पात, उर्वरक पैट्रोलियम चीनी आदि जैसे औद्योगिक क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान कार्यक्रम सेवा क्षेत्रों के लिए विभिन्न अनुप्रयोगों में प्रयोगकर्ताओं हेतु साफ्टवेयर विकास आरम्भ करने का है। इसके अलावा, नीटी, निगमित, छोटे पैमाने और गैर निगमित क्षेत्रों के लिए, केस अध्ययनों का विकास करने हेतु केस विकास सैल की स्थापना कर रहा है। औद्योगिक इंजीनियरी में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का विस्तार और विधिवत, प्रबंध फिल्मों, वीडियो और अन्य जन माध्यम पैकेजों संगणक साक्षरता कार्यक्रम तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं के योगदान पर अनुसंधान संबंधी परियोजना विचाराधीन है।

राष्ट्रीय धातु ढुलाई प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची

8.5.1 राष्ट्रीय धातु ढलाई प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची की स्थापना देश में धातु ढलाई प्रौद्योगिकी में एक शीर्षस्थ प्रशिक्षण और शैक्षिक संस्थान के रूप में तथा संबंधित उद्योगों को प्रशिक्षित जनशक्ति तथा अद्यतन जानकारी प्रदान करने हेतु यू०एन०डी० पी० यूनूस्कों के सहयोग से भारत सरकार द्वारा वर्ष 1966 में की गई थी। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्थान है।

8.5.2 यह संस्थान उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम, एम० टेक० पाठ्यक्रम, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और इकाई पर आधारित कार्यक्रम प्रदान करता है जो धातु और ढलाई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उद्योगों द्वारा अपेक्षित है। यह धातु प्रौद्योगिकी मार्गदर्शन करता है तथा प्रयुक्त अनुसंधान का संचालन करता है तथा कई संगठनों को औद्योगिक प्रौद्योगिकी परामर्श और परीक्षण सेवाएं प्रदान करता है।

8.5.3 इस संस्थान ने फरवरी, 1993 तक 642 उम्मीदवारों को धातु ढलाई प्रौद्योगिकी में 1.1/2 वर्ष की अवधि का उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान किया है। संस्थान ने अभी तक अल्पकालिक अवधि के 195 पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं। जिनमें देश के विभिन्न इंजीनियरों उद्योगों द्वारा प्रायोजित लगभग 2000 इंजीनियरों तथा पर्यवेक्षकों को विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया गया है। इकाई आधारित कार्यक्रम के अधीन, संस्थान ने विशिष्ट उद्योगों के लिए अभी तक 359 इंजीनियरों तथा शिल्पवैज्ञानिकों को भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया है।

8.5.4 पिछले 2-3 वर्षों में, संस्थान ने रिप्रोग्राफी, माइक्रो- फिश फिल्म रीडर तथा प्रिंटर सहित उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराके अपने पुस्तकालय को सुसज्जित किया है। रा० धा० ढ० प्रौ० संस्थान, रांची के प्रथम क्षेत्रीय केंद्र की राजकोट (गुजरात) में स्थापना का कार्य अंतिम चरण में हैं। संस्थान ने विनिर्माण इंजीनियरी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरम्भ किया है जो अ० भा० त० शि० परिषद द्वारा अनुमोदित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसरण में संस्थान ने अपने विकास हेतु आठवीं योजना अवधि के लिए एक कार्रवाई योजना तैयार की है। कार्रवाई योजना के प्रमुख लक्ष्य निम्न हैः-

* शैक्षिक क्रियाकलापों के समेकन हेतु प्रयत्न करना।
* सरकार द्वारा नामित अभिकरणों अ० भा० त० शि० परिषद आदि द्वारा शैक्षिक क्रियाकलापों की पुनरीक्षा करना।
* संस्थान के लिए सम-विश्वविद्यालय का दर्जा पाने हेतु प्रयत्न करना।

* कम्प्यूटर सुविधाओं में वृद्धि करना।
* मौजूदा प्रयोगशला सुविधाओं में वृद्धि करना।
* कोयम्बटूर में क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना।

योजना एवं वास्तुकला , नई दिल्ली

8.6.1 योजना एवं वास्तुकला विद्यालय की स्थापना जुलाई, 1955 में भारत सरकार द्वारा मानव आवासों तथा पर्यावरण से संबंधित शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में की गई थी। वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित एक स्वायत्त निकाय है। स्कूल को दिसम्बर, 1979 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था ताकि वह अवर स्नातक, स्नातकोत्तर और डाक्ट्रेट की उपाधियां प्रदान करने के लिए अपने शैक्षिक कार्यक्रमों के दायरे का और अधिक विस्तार करने में समर्थ हो। यह विद्यालय (क) वास्तुकला में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम (ख) इनमें स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम (1) आयोजना जिसमें शहरी तथा क्षेत्रीय आयोजना में विशेषज्ञता शामिल है (2) परिवहन आयोजना एवं आवास (3) वास्तुकला संरक्षण (4) भवन इंजीनियरी तथा प्रबंध (5) भू-दृश्य वास्तुकला और (6) पूर्व भू-दृश्य वास्तुकला तथा (ग) पी- एच० डी० कार्यक्रम संचालित करता है।

8.6.2 वर्ष 1993-94 में स्कूल में 741 छात्रों के कुल नामांकन में से वास्तुकला में स्नातक डिग्री पाठ्क्रम में 388, आयोजना में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम में 82, मास्टर डिग्री पाठ्यक्रमों में 252 और पी- एच० डी० कार्यक्रम में 19 छात्र दाखिल थे।

8.6.3 स्कूल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसरण में अपने विकास के लिए आठवीं योजना अवधि हेतु एक कार्यवाही योजना तैयार की है। विशिष्ट अनुसंधान कार्यक्रमों और विस्तार कार्य के जरिए अनुसंधान और विस्तार संबंधी क्रियाकलापों को तीव्र किया गया है। भारत- इटली सहयोग के अधीन "औद्योगिक अभिकल्पना" पर एक परियोजना को 1993-94 से 1995-96 के दौरान कार्यान्वयन हेतु मंजूरी दी गई है। स्कूल ने 1993-94 से औद्योगिक अभिकल्पना में मास्टर डिग्री का एक नया कार्यक्रम आरम्भ किया है। इस पाठ्यक्रम को अ०भा० त० शि० परिषद् ने मंजूरी दे दी है।

तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (त० शि० प्र० सं०)

8.7.1 पोलीटेक्निक शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देने तथा देश में पोलीटेक्निक शिक्षा के समूचे सुधार के लिए विभिन्न सेवाएं प्रारंभ करने के लिए सन् 1960 के मध्य में भोपाल, कलकत्ता, चंडीगढ़ और मद्रास में चार तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। ये संस्थान शिक्षकों को अल्पकालिक प्रशिक्षण देने तथा उन्हें पाठ्यचर्या विकास और संबंधित कार्यकलापों से परिचित कराने के अतिरिक्त पोलीटेक्निकों के डिप्लोमा और डिग्रीधारी शिक्षकों का 12 माह/18 माह की अवधि के दीर्घकालीन प्रशिक्षण के कार्यक्रमों की पेशकश करते हैं। भोपाल, चंडीगढ़ और मद्रास के संस्थान शिक्षक प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की शिक्षा देने के स्तर पर पहुंच गए हैं। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग के अधीन स्वायत्त संस्थान हैं तथा संबंधित सोसाइटियों के शासी बोर्डों के जरिए कार्य करते हैं। इन त० शि० प्र० संस्थानों ने तकनिशियन शिक्षा के विकास हेतु अपने आपको संसाधान संस्थानों के रूप में विकसित किया है। पिछले दो दशकों के दौरान, इन्होंने तकनीकी जनशक्ति, रूपरेखाओं, पाठ्यचर्या विकास, अनुदेशात्मक स्रोतों, छात्र मूल्याकंन, शैक्षिक अनुसंधान, प्रबंध विकास, उद्योगों के तालमेल, सामुदायिक बहुशिल्प प्रणाली के जरिए ग्रामीण विकास हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विस्तार सेवाओं और अति महत्वपूर्ण, शिक्षक विकास के क्षेत्रों में पथप्रदर्शक और

नवाचारी कार्य किए हैं। एक ही छत्र के तहत् तकनीशियन शिक्षा को भिन्न-भिन्न सेवाएं प्रदान करके ये अनूठे संस्थानों के रूप में विकसित हुए हैं।

8.7.2 त० शि० प्र० संस्थानों की मुख्य भूमिकाएं विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना के समर्थन से तकनीशियन शिक्षा के विकास से संबंधित हैं जिसमें गुणवत्ता और दक्षता सुधार संबंधी उप-संघटकों हेतु त० शि० प्र० संस्थानों से ठोस योगदान की परिकल्पना की गई है। सम्बद्ध क्षेत्र है:- जनशक्ति संबंधी रूपरेखाओं का विकास , पाठ्यचर्या और अनुदेशात्मक संसाधनों का विकास, दूरस्थ शिक्षा, छात्र मूल्यांकन शिक्षक विकास, समेकित संस्थागत विकास, औद्योगिक पुनर्संरचना के संदर्भ में मानव संसाधन विकास, अनुसंधान, विकास और नवाचार तथा संयोजनों तथा नेटवर्किंग का विकास। त० शि० प्र० संस्थानों के कार्यकरण तथा उनकी गतिविधियों की पुनरीक्षा मूल्यांकन समिति द्वारा की गई हैं ताकि पॉलिटेक्नीक शिक्षकों के प्रशिक्षण में उनकी सहभागिता को बढ़ाया जा सके। और तकनीकी शिक्षा के राज्य निदेशालयों एवं उद्योग के साथ उनके संबंधों को सुदृढ़ किया जा सके। समिति ने अपनी रिपोर्ट में त० शि० प्र० संस्थानों द्वारा तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या विकास अनुदेशात्मक सामग्री विकास अनुसंधान एवं विकास परामर्शी एवं विस्तार सेवाओं के क्षेत्र में किए गए अग्रगामी कार्यो की सराहना की हैं और उनके भावी विकास तथा सुदृढ़ता हेतु अनेक सिफारिशें की है। पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों पर एक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार किया गया है तथा उनकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

8.8.1 आर्थिक कार्य एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभागों द्वारा हस्ताक्षरित महत्वपूर्ण(अम्ब्रेला) करार के अन्तर्गत देश की प्रमुख तकनीकी संस्थाएं जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंध संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, रुड़की विश्वविद्यालय, अन्ना विश्वविद्यालय, मद्रास, भारतीय खान स्कूल, धनबाद, आयोजना एवं वास्तुकला स्कूल नई दिल्ली और राष्ट्रीय औद्योगिकी इंजीनियरी, प्रशिक्षण संस्थान बंबई, तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षक संस्थान, अनुसंधान एवं विकास पर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से परियोजनाएं चला रही है। उपस्करों, विशेषज्ञ सेवाओं और प्रशिक्षण के रूप में कनाड़ा फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नार्वे, स्वीड़न, स्विट्जरलैंड़, ब्रिटेन आदि विकसित देशों के द्विपक्षीय फंडों और यू० एन० डी० पी० यूनेस्कों जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इस प्रयोजन के लिए सहायता प्राप्त हो रही है। ये संस्थान यू० एस० इंडिया रूपी फंड से सहायता का उपयोग करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में संयुक्त शोध के लिए सयुंक्त राज्य अमरीका में अपने सहयोगियों के साथ भी सहयोग कर रहें हैं। इस प्रकार के सहयोग का उद्देश्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान एवं जनशक्ति का विकास करना है। इसके अतिरिक्त भारत और यूरोपीय आयोग के बीच करार के अंतर्गत प्रमुख भारतीय संस्थाएं और प्रबंध अध्ययनों संबंधी यूरोपीय संस्थाएं सहयोग कर रही हैं। इन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित प्रतिस्थानी बजट प्रावधान संबंधित प्रतिभागी संस्थाओं द्वारा किया गया है।

वर्ष 1993-94 के दौरान, डिजाइन, ऊर्जा, सूचना, प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में ब्रिटेन की सहायता से सामग्रियों में, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों तथा यू० के० में उनकी प्रतिपक्षी संस्थाओं के बीच सहयोग किए जाने का सिद्धांत रूप में निर्णय लिया गया है।

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज

8.9.1 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों की स्थापना की योजना के अन्तर्गत, केंद्रीय योजना में, विभिन्न विकास परियोजनाओं हेतु प्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति के लिए देश की बढ़ती हुई आवश्यकतों को पूरा करने के लिए

प्रमुख राज्यों में, प्रत्येक में, एक-एक करके, सत्रह कालेज स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक कालेज केंद्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार का एक संयुक्त एवं सहयोगी उद्यम है। जबकि सभी सत्रह कालेज इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान करते है, इनमें से, चौदह कालेजों में स्नातकोत्तर और डाक्टोरल कार्यक्रम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों में वर्तमान दाखिला क्षमता, अवर स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए 4970 और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 1440 के क्रम मे हैं।

8.9.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के क्रियान्वयन के संदर्भ में, कार्रवाई योजना के दस्तावेज, आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इनके विकास के लिए सभी कालेजों द्वारा तैयार कर लिए गए हैं। इनके दस्तावेजों में, संबंधित कालेजों के संपूर्ण लक्ष्य, उद्देश्य और विस्तृत कार्रवाई संबंधी मुद्दे निहित हैं। प्रत्येक कालेज के संबंध में 1993-94 की वार्षिक योजना को उनके कार्रवाई योजना में दस्तावेजों के अनुसार, अंतिम रूप दिया गया हैं।

8.9.3 वर्ष 1993-94 के दौरान, कार्रवाई योजना के अनुसार, निम्नलिखित पर विकास के लिए बल दिया गया है: शैक्षिक कार्यक्रमों का विस्तार और उनका विविधीकरण, प्रयोगशालाओं का आधुनिकीरण, छात्रों और कर्मचारियों की सुख-सुविधाओं में सुधार, छात्रावासों (लड़को और लड़कियों दोनों के लिए) का निर्माण, चुनिन्दा, कालेजों में संगणक केन्द्रों के लिए सुविधाओं का विस्तार।

8.9.4 आठवीं योजना अवधि के दौरान, 8 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों और ब्रिटिश विश्वविद्यालयो/संस्थाओं के बीच उभरते हुए क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढाने के लिए एक प्रस्ताव को कार्यान्वयन हेतु अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों तथा अनुसंधान कार्य का विकास

8.10.1 इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण प्रभावी अध्ययन और अनु० तथा वि० कार्य (आ० एण्ड डी० वर्क) के लिए अनिवार्य समझा गया है। केंद्र सरकार, स्नातकोत्तर शिक्षा और इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के विकास के लिए, केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत, 16 राज्य सरकारों तथा 24 गैर-सरकारी स्नातकोत्तर संस्थाओं को सीधे ही सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना ने, विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा के विकास को तथा सामान्य रूप में देश के आर्थिक विकास को संवर्धित करने में पर्याप्त योगदान दिया है। राष्ट्रीय विकास में इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए इस योजना को जारी रखना है। जहां जनशक्ति का अभाव है, वहां उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को संवर्धित किए जाने पर विशेष बल दिया जाएगा।

8.10.2 इलैक्ट्रानिक्स विभाग के सहयोग से कुछेक चुनिंदा केंद्रों में संगणक अनुप्रयोग में निष्णाण डिग्री पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया है। आठवीं योजना के दौरान,इस कार्यक्रम को व्यापक रूप से शामिल किया जाएगा।

कोटि सुधार कार्यक्रमः-

8.11.1 इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की कोटि और मानक में सुधार लाना है। इस उद्देश्य का एम० टेक० तथा पी- एच० डी० कार्यक्रमों अल्पकालिक पाठ्यक्रमों तथा उद्योग में अल्पकालिक सेवा-कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों और तकनीकी संस्थाओं के संकाय सदस्यों के लिए पाठ्यचर्या विकास कार्यक्रमों जैसे दीर्घकालीन कार्यक्रमों के जरिए प्राप्त किया जा रहा है। से दीर्घकालीन कार्यक्रम पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर रुड़की विश्वविद्यालय तथा डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए अन्य केन्द्रो मे स्थापित कोटि सुधार केन्द्रों के जरिए क्रियान्वित किए जाते है तथा अल्पकालिक पाठ्यक्रम पांच

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसायटी और तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानो के साथ-साथ रुड़की विश्वविद्यालय में भी आयोजित किए जाते हैं। उद्योग में अल्पकालिक सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम मंत्रालय से क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए क्रियान्वित किए जाते है।

8.11.2 1994-95 में पूर्व वर्षो, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों के अतिरिक्त 140 शिक्षकों को एम० टेक० के लिए तथा 85 शिक्षकों को पी- एच० डी० के लिए प्रशिक्षित किए जाने की लक्ष्य है। पाठ्चर्या विकास कार्यक्रमों को 7 केन्द्रों पर आयोजित किया जा रहा है। ग्रीष्म/शीत स्कूल कार्यक्रमों के तहत भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसायटी, नई दिल्ली के माध्यम से 2700 डिग्री और डिप्लोमा शिक्षकों को प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य है। जहां तक अल्पकालिक पाठ्यक्रमों का संबंध है, कोठि सुधार कार्य केंद्र बजट की सीमा के अंतर्गत ज्यादा से पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए स्वतंत्र है। उद्योग में प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, डिग्री/डिप्लोमा शिक्षकों को उपलब्ध बजट के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए प्रशिक्षित किया जाना है।

उपलब्धियांः-

* 1120 एम० टेक० और 1175 पी-एच० डी० तैयार किए जाए।
* 4260 अंशकलिक पाठ्यक्रमों के जरिए 85000 शिक्षक प्रशिक्षित किए जाए।
* उद्योग में 6400 शिक्षक प्रशिक्षित किए जाए।
* सी० डी० सी० द्वारा 270 पाठ्यपुस्तकें, 160 मोनोग्राफ और शिक्षक पुस्तिकाएं तैयार की गई और 200 कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए गए।

तकनीकी शिक्षा की सहायता हेतु विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाः

8.12.1 तकनीकी शिक्षा प्रणाली के पुनर्निर्मित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिया गया है, सरकार ने एक प्रमुख परियोजना शुरु की है जिसे विश्व बैंक की सहायता से दो मिले जुले चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा। ताकि राज्य सरकारें अपन-अपने पॉलिटेक्निकों की क्षमता, कोटि और क्षमता को स्तरोन्नत कर सकें। अनुमान है कि इस परियोजना की लागत 1650 करोड़ रु० होगी जिसमें 1990-1999 की अवधि के दौरान विश्व बैंक सहायता के विशेष आहरण अधिकारों के अंतर्गत 373.3 मिलियन भी शामिल है। इन दो परियोजनाओं में से 17 राज्य और 2 संघ शासित क्षेत्र शामिल हैं जिनमें 539 पॉलिटेक्निक हैं। यह मुख्य रूप से राज्य क्षेत्र परियोजना है और समस्त लागत भाग लेने वाली राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने राज्य योजनागत आवंटनों में से प्रदान की जाएगी। यह परियोजना, शिक्षा विभाग के समग्र मार्गदर्शन, सहायता और अनुश्रवण (मानीटरिंग) के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है जिसके लिए परियोजना में देश में चार तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ बनाने और एजुकेशनल कसंलटेंट इण्डिया लि० (एड० सिल०) में एक राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन एकक और मंत्रालय में एक राष्ट्रीय परियोजना निदेशालय की स्थापना सहित एक केंद्रीय घटक का प्रावधान किया गया है। परियोजना का पहला चरण, जिसमें बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 278 अनुमोदित पोलिटेक्निक शामिल हैं, 5 दिसम्बर 1990 से शुरु किया गया। गोवा राज्य चरण-I में जुलाई, 1993 में शामिल किया गया। परियोजना के दूसरे चरण में आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी के

261 पॉलिटेक्निक शामिल किए गए हैं। दूसरा चरण जनवरी 1992 से शुरु किया गया। शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के पालिटेक्निकों को इस परियोजना में निर्मित संपूर्ण और लचीलेपन के अंतर्गत विश्व बैंक सहायता हेतु प्रस्तावित किया गया है।

तकनीकी शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र

(क) प्रोद्योगिकी के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुविधाओं को सुदृढ़ करना, जहां शिथिलताएं हैं:

8.13.1 यह योजना छटी योजना के दौरान आरंभ की गई थी और सातवीं योजना के दौरान इसके कार्य क्षेत्र और आयामों में सुधार लाया गया जिसका उद्देश्य था उन प्रौद्योगिकी संस्थानों में जो प्रौद्योगिकी के कुछ उन निर्धारित क्षेत्रों में, जहां चिंताजनक दूरी बनी हुई है, अवरस्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम चला रहें हैं (I) प्रयोगशाला, उपकरण, स्थान संकाय और सहायक स्टाफ जैसी भौतिक सुविधाएं प्रदान करके (II)पाठ्यक्रमों में विविधता लाकर और (III) स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए आधार तैयार करके सुविधाओं को सुदृढ़ करना। प्रौद्यागिकी के जिन कमजोर क्षेत्रों का पता लग गया हैं वे हैं कम्प्यूटर विज्ञान प्रौद्योगकी, इलैक्ट्रानिक्स,, इंस्ट्रूमेंटैशन, धातु विज्ञान प्रौद्योगिकी, अनुरक्षण इंजीनियरी, उत्पाद विकास डिजाइन, बायो कनवर्ज, एग्रोनामिक्स, मुद्रण प्रौद्योगिकी, प्रबंध विज्ञान और उद्यमशीलता। वर्ष 1992-93 के दौरान 72 परियोजनाओं को 735.00 लाख रु० की सहायता दी गई।

(ख) उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का सृजन:

8.13.2 छटी पंचवर्षीय योजना के दौरान यह योजना प्रायोगिक आधार पर शुरु की गई थी जिसका उद्देश्य कुछ चुने हुए इंजीनियरी प्रौद्योगिकी संस्थाओं में प्रोद्योगिकी से उभरते हुए 14 क्षेत्रों में शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए मूलभूत सुविधाओं का सृजन करना था। सातवीं योजना अवधि के दौरान योजना के कार्यक्षेत्र और आयाम में पर्याप्त वृद्धि की गई थी इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

* उभरती हुई प्रौद्योगिकी के पहचाने गए क्षेत्रों में आधुनिक प्रयोगशालाओं के संदर्भ में मूल ढांचें का विकास करना।
* उच्च स्तरीय कार्य के लिए एक मजबूत आधार का विकास करना।
* प्रौद्योगिकी के सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों के लिए सुविधाएं और सहायता प्रदान करना ताकि उन्नत देशों के संदर्भ में प्रौद्योगिकी की दूरी को अन्ततः खत्म किया जा सके।
* मानवशक्ति का विकास।
* संकाय प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं।
* अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं और प्रयोक्ता एंजेसियों सहित अन्य संस्थानों के साथ संबंध विकसित करना। -
* सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा विकसित किए गए विशेषज्ञता के क्षेत्रों में सूचना को प्रसार।

8.13.3 इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए जिन क्षेत्रों का पता लगाया गया है वे हैः ऊर्जा विज्ञान परिवहन इंजीनियरी सूक्ष्म इलेक्ट्रानिक, रिमोट सेंसिंग, एटमोस्फेरिक विज्ञान, रिलायबिलिटी इंजीनियरी, पर्यावरणी इंजीनियरी, जल संसाधान प्रबंध आप्टिकल कम्यूनिकेशन और फाइवर आप्टिक्स लेजर प्रौद्योगिकी, इन्फार्मोटिक्स टेलिमोटिक्स, शिक्षा प्रौद्योगिकी सी० ए० डी० सी० ए० एम० निर्माण सूक्ष्म प्रोसेसर रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमता। 1992-93 के दौरान 1013.50 लाख रुपये की अनुदान राशि से 111 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई थी।

(ग) नए और अथवा उन्नत प्रौद्योगिकी कार्यक्रम और विशेषज्ञता के क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रमों की पेशकश करनाः

8.13.4 यह एक नई योजना है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन भाग के रूप में 1987-88 के दौरान संस्थापित की गई थी। यह योजना बदलते हुए प्रौद्योगिक परिवेश और विश्व भर में प्रौद्योगिकी विकास की गति को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। हाल के वर्षो में प्रौद्योगिकी के परम्परागत और उभरते हुए क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के ऐसे बहुत से नए क्षेत्र विकसित किए गए हैं जो हमारी राष्ट्रीय आवश्यकताओं से से जुडे हैं और जहां उपयुक्त विशेषज्ञता के साथ मानवशक्ति का विकास किए जाने की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी के छियालीस नए उन्नत क्षेत्रों का पता लगया गया है जहां इस योजना के अंतर्गत कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों को सहायता दी जायेगी। वर्ष 1992-93 का दौरान 69 परियोजनाओं की सहायतार्थ 750.00 लाख रु० की राशि मुक्त की गई है।

8.13.5 वर्ष 1993-94 के दौरान और बाद में आठवीं पंचवर्षीय योजना में उपर्युक्त (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित योजनाओं को एक योजना अर्थात तकनीकी शिक्षा को महत्वपूर्ण क्षेत्र में मिला दिया गया। वर्ष 1993-94 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 1500.00 लाख रुपये (योजनागत) बजट का प्रावधान है। "उभरती हुई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के सृजन" के लिए योजनोत्तर आवंटन 1993-94 से समाप्त कर दिया गया है। वर्ष 1993-94 के दौरान लगभग 200 परियोजनाओं को सहायता देने का प्रस्ताव किया गया है।

आधुनिकीकरण और अप्रचलनों का निराकरण

8.14.1 यह योजना छटी योजना अवधि के दौरान चुनिंदा इंजीनियरी कालेजों में आधुनिक उपकरण और मशीनरी प्रदान करने के उद्देश्य से आरम्भ की गई थी ताकि 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष केंद्रीय सहायता के आधार पर प्रौद्योगिकी उन्नति और पाठ्यचर्या संबधी परिवर्तनों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

8.14.2 सातवीं योजना अवधि के दौरान और विशेष रूप से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाये जाने के बाद से इस योजना के कार्य क्षेत्र और आयामों में विस्तार किया गया ताकि तकनीकी विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालयों के प्रौद्योगिकी संकाय पॉलिटेक्नीक सहित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों और अन्य इंजीनियरी कालेजों को सम्मिलित किया जा सके तथा मानव संसाधनों संबंधी पुरानी अप्रचलित चीजों को हटाया जा सके। इस योजना के उद्देश्यों को निम्नानुसार पुनः परिभाषित किया गया हैः-

* इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं में अप्रचलित मशीनों और उपकरणों का हटाना।
* प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या की आवश्यकताओं से संबंध नए उपकरणों को शामिल करके आधुनिकीकरण करना।
* छात्रों को आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाली कार्य का अनुभव प्रदान करना;
* नई प्रयोगशालाओं का निमार्ण- संगणकों का प्रावधान
* संकाय और सहायक स्टाफ का प्रशिक्षण
* वर्ष 1992-93 के दौरान 295 परियोजनाओं को सहायता के लिए 2653.50 लाख रु० राशि मुक्त की गई थी। प्रस्ताव है कि 300 परियोजनाओं को सहायता देने के लिए वर्ष 1993-94 के

दौरान 225 परियोजनाओं को सहायता देने का प्रस्ताव है जिसके लिए 1800.00 लाख रुपये का प्रावधान है।

राष्ट्रीय तकनीकी मानव शक्ति सूचना प्रणाली

8.15.1 *राष्ट्रीय तकनीकी मानव शक्ति सूचना* प्रणाली की स्थापना भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य विशेष स्तरों पर इंजीनियरी तथा तकनीकी मानव शक्ति की आपूर्ति एवं उपयोगिता के अनुवीक्षण को ध्यान में रखते हुए की गई है ताकि सुव्यवस्थित आधार पर तकनीकी शिक्षा की आयोजना एवं विकास किया जा सके। इस प्रणाली में प्रयुक्त मानव शक्ति अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली का एक प्रमुख केंद्र तथा भिन्न-भिन्न राज्यों में स्थित चार प्रशिक्षित व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्डो सहित 21 प्रमुख केंद्र शामिल है।

8.15.2 रा० त० जन० सू० प्र० कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम प्राथमिक आंकड़े विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों का स्नातकों एवं शैक्षिक संस्थानों और सामाजार्थिक क्षेत्र की उन संस्थाओं से इंजीनियरी तथा तकनीकी मानव शक्ति नियोजित करते हैं। जो नियोजित रूप से तथा वार्षिक आधार पर एकत्रित किए जा रहे है। 21 प्रमुख केंद्रो में सें 17 केंद्र जो अधिकांशतः देश के चुने हुए इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थाओं में स्थित है। विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के स्नातक का अनुवर्ती अध्ययन संचालित करने तथा शैक्षिक संस्थानों के सर्वेक्षण के लिए उत्तरदायी है जबकि जो प्रशिक्षुता व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्डो में स्थित केंद्र नियोजक संस्थाओं से आंकड़े एकत्र करने के लिए उत्तरदायी है।

स्नातकी से संबंधित आंकड़ा बैंक

8.15.3 वर्ष के दौरान 1985 के स्नातकों से आंकड़ा संग्रह कार्य का समापन सभी मौजूदा नोडल केन्द्रों द्वारा किया गया था यद्यपि दो नोडल केंद्रों ने स्नातकों के 1989 बैच से आंकड़ा संग्रह संबंधित कार्य अन्य नोडल केंद्रों में जारी रहा।

नोडल केंद्रों ने भी 1989 बैच के स्नातकों से आंकड़ा संग्रह का कार्य शुरु किया।

तकनीकी शिक्षा संस्थाओं से संबंधित आंकड़ा बैंक

8.15.4 1986-87,1987-88 तथा 1990-91 वर्षो के संदर्भ में शिक्षा संस्थाओं से आंकड़ा संग्रह सभी नोडल केंद्रो में चल रहा था। इस वर्ष के दौरान नौ नोडल केंद्रों में वर्ष 1986-87 के आंकड़ो का संग्रह कार्य पूरा कर लिया गया था।

गैर विश्वविद्यालय केंद्रो में प्रबंध शिक्षा का विकास

8.16.0 विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षित प्रबंधकीय जन - शक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार ने कुछ ऐसे गैर विश्वविद्यालय केंद्रों को सहायता प्रदान करने कार्यक्रम शुरु किया है जो अखिल भारतीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं तथा प्रबंध अध्ययन से दो वर्ष का पूर्ण कालिक तथा तीन वर्ष का अंशकालिक स्नातकोत्ततर डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं। अखिल भारतीय प्रबंध अध्ययन बोर्ड/अ० भ० त० शि० प० की सिफारिशों के आधार पर संस्थानों को व सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार कुछ संस्थाओं को प्रबंध कार्यक्रमों के समेकन विकास के लिए सहायता प्रदान कर रही है। आज की स्थिति में असम्मिलित, असंगठित व सेवा क्षेत्रों में कार्यक्रम प्रोन्नत करना आवश्यक हैं। आठवीं योजना के दौरान इन कार्यकलापों का सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

8.17.1 एक सलाहकार निकाय के रूप में अ० भा० त० शि० प० 1945 में स्थापित किया गया था जिसे 1987 के अ० भा० त० शि० प्र० अधिनियम संख्या 52 द्वारा संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। अधिनियम 28 मार्च 1988 से लागू हुआ। संवैधानिक

अ० भा० त० शि० प० के मुख्य कार्यों में, देश में तकनीकी शिक्षा की उपयुक्त योजना व समन्वित विकास पद्धति की योजनागत गुणात्मक वृद्धि व विनियम के संबंध में सभी स्तरों पर गुणात्मक सुधारा तथा मानदंड़ों व स्तरों का अनुरक्षण शामिल है।

8.17.2 अ० भा० त० शि० प० के पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति के पश्चात परिषद् व इसकी कार्यकारी समिति पुनर्गठित करने तथा नए अध्ययन बोर्ड और मद्रास कलकत्ता, बंबई, कानपुर में चार क्षेत्रीय समितियां और चंड़ीगढ़, भोपाल व बंगलौर में तीन नई क्षेत्रीय समितियां नियुक्त व चलाने के लिए कार्रवाई आरंभ की जा चुकी है। सभी क्षेत्रों में लंबित पड़े प्रस्तावों की बड़ी संख्या को शामिल करने के लिए पिछला बकाया पूरा करने के वास्ते क्षेत्रीय आधार पर कार्य दल नियुक्त किए गए हैं। अ०भ०त०शि०प० सचिवालय को 6 ब्यूरों में पुनर्गठित करने तथा सचिवालय में अतिरिक्त अधिकारी, स्टाफ की व्यवस्था करने व्यावसायिकतावाद प्रेरित करने के लिए कार्यालय के आधुनिकीकरण हेतु संगणकों व अन्य उपकरण का प्रावधान करके सुदृढ़ करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

8.17.3 नए पाठ्यक्रमों व कार्यक्रमों की अनुमोदन पद्धति को सरल बनाने के उद्देश्य से परिषद ने मार्ग निर्देश निर्धारित किये हैं, जिनका सभी संबंधित वर्गों द्वारा पालन किया जाएगा। राज्य सरकार ने इन दिशा-निर्देशों का अनुसरण करना आरंभ कर दिया है।

8.17.4 परिषद ने वास्तुकला परिषद (वास्तुकला अधिनियम के अधीन कार्य कर रही है) तथा भारतीय फार्मेसी परिषद (फार्मेसी अधिनियम के अधीन) से उनके अपने-अपने क्षेत्रों में पाठ्यक्रमों व संस्थानों के मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए एक समझौता किया है।

8.17.5 परिषद ने अधिनियम में शामिल विभिन्न क्षेत्रों में डिप्लोमा, डिग्री व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु मानदंड व स्तर रखे हैं।

8.17.6 परिषद ने अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त सभी कार्यों का कार्यान्वित करना आरंभ किया है।

सामुदायिक पॉलिटेक्निक

8.18.1 सामुदायिक पॉलिटेक्निक योजना को 1978-79 में 36 पॉलिटेक्निकों में प्रयोगात्मक आधार पर तकनीकी शिक्षा प्रणाली में निवेश से होने वाले लाभों में ग्रामीण समाज को उचित रूप से भागीदार बनाने के विचार से सीधी केंद्रीय सहायता योजना के अंतर्गत संस्थापित किया गया। सामुदायिक पॉलिटेक्निक योजना का उद्देश्य सामाजिक उदार और सूक्ष्म स्तर योजना तथा मूल स्तर पर जनता की भागीदारी द्वारा सामान्य व्यक्ति के जीवन की कोटि में सुधार करे पर्यावरणिक अपकर्ष के बिना सतत सामुदायिक विकास है। योजना में गरीबी दूर करने, रोजगार अवसर जुटाने तथा स्थानीय संस्कृति के जरिए महिलाओं के लिए कड़ी मज़दूरी को हटाने, आयु, लिंग या योग्यता के बिना कुशलता उन्मुख तकनीकी/व्यावसायिक व्यापारों में विशिष्ट अनौपचारिक आवश्यकता आधारित लघुकालिक प्रशिक्षण पर बल दिया गया है । प्रशिक्षण विशेष रूप से महिलाओं/अल्प संख्यको व समाज के कमजोर वर्गो सहित बेरोजगार/रोजगारधीन युवा/स्कूल/कालेज बीच में छोड़ कर जाने वाले छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप बनाया गया है। सामुदायिक पॉलिटेक्निक प्रौद्योगिकी स्थानांतरण, तकनीकी सहायता व समुदाय के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी जागरूपता जैसे कार्यकलाप भी शुरु करता है।

8.18.2 अपने संस्थागत ढांचे व नेटवर्क के द्वारा सामुदायिक पॉलिटेक्निक ग्राम पंचायतों जिला परिषदों प्राधिकृत स्वैच्छिक संगठनों आदि से सम्पर्क द्वारा समाज को मूल स्तर पर अपने साथ सम्मिलित कर लेते हैं तथा दूर दराज गांवों में अपने विस्तार केन्द्र स्थापित कर लेते हैं। ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र ग्रामीण आवश्यकताओं के लिए समुचित और संगत, सरल लागत-प्रभावी प्रौद्योगिकी के विकास, सशोधन, अभिग्रहण

अनुकूलन और समावेशन हेतु सामुदायिक पालिटेक्निकों के लिए शोध और विकास सहायक प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं। क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षक- प्रशिक्षण केंन्द्र, सामुदायिक पालिटेक्निकों/ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रो के लिए शैक्षिक, तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहायता एवं मार्ग दर्शन के लिए संसाधन संस्थान के रूप में काम करते हैं।

8.13.3 संबंधित स्थानीय समाज आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप करीब 100 तकनीकी व्यावसायिक व्यवसायों को रोजगारोन्मुख कुशलता विकास प्रशिक्षण देने के लिए रखा गया है। आयोजित किए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का प्रस्ताव नहीं किया गया है तथापि महिलाओं, अल्पसंख्यकों व पढ़ाई बीच में छोड़ कर जाने वालों को प्रोत्साहित किया गया। सम्पूर्ण देश में आजकल 232 सामुदायिक पॉलिटेक्निक (दिसम्बर, 1993 तक) कार्य कर रहे हैं। देश के सभी अल्पसंख्यक बहुल जिलों (संख्या में 41) की योजना के अधीन शामिल कर लिया गया है। सामुदायिक पालिटेक्निक निम्नलिखित कार्य करते हैं।

* सामाजार्थिक सर्वेक्षण
* जनशक्ति विकास और प्रशिक्षण
* प्रौद्योगिक स्थानान्तरण
* उद्यमशीलता विकास की ओर तकनीकी व सहायक सेवाएं
* सूचना-प्रसार

8.18.4 सामुदायिक पालिटेक्निक योजना में आर. व डी. सहायता हेतु ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रो की स्थापना करना शामिल है। तकनीकी के विकास नवीनीकरण व अनुकूलन के लिए ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रों के रूप में संस्थानों का चयन किया गया है जैसे कि सामुदायिक पालिटेक्निक के लिए आर. व डी. पद्धति। योजना के अधीन ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रों को अलग अनुदान दिए जा रहे हैं।

8.18.5 योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सामुदायिक पालिटेक्निक ने दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में विस्तार केन्द्रों की स्थापना की है ताकि इस प्रणाली द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं और सेवाएं गांवों के ठीक पास ही उपलब्ध कराई जा सकें। बायोगैस संयंत्र पवनचक्की धुंआँ रहित चूल्हा ग्रामीण शौचालय और सौर यंत्र खेती के उपकरण इत्यादि सहित प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और अनुमोदित मदों को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए सामुदायिक पालिटेक्निकों ने अच्छी भूमिका निभाई है। इन संस्थानों ने अनेक सरकारी गैर-सरकारी निकायों के साथ कारगर सहयोग किया है। इसमें से अधिकांश समुदायिक सहायता सेवाओं जैसे सामुदायिक बायोगैस संयंत्र, सामुदायिक अपशेष निकास प्रणाली और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं जैसे पानी, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता आदि कार्यक्रमों की योजना एवं उसके कार्यान्वियन में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं।

8.18.6 इस योजना के माध्यम से मुख्य रूप से गैर-औपचारिक अल्पकालिक प्रशिक्षण विभिन्न व्यवसायों में सक्षमता तथा आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रमों के माध्यम से अथवा रोजगार के आधार पर बहु- कौशलों से रोजगार तैयार किए जाते हैं। मार्च 1993 तक लगभग 2 लाख युवकों की इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित किया गया जिनमें से लगभग 60% ने स्व-मजदूरी रोजगार प्राप्त कर लिया।

8.18.7 इन योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराए गए रोजगारों को हम विस्तृत रूप से तीन श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं:-

(1) इस योजना में सीधे वेतन रोजगार

(2) प्रशिक्षित युवकों को स्वतः रोजगार

(3) ग्रामीण परियोजनाओं/उद्योगों तथा सेवाओं में वेतन रोजगार

8.18.8 वर्ष 1992-93 के दौरान स्कूल बीच में छोड़कर जाने वालों सहित लगभग 35,000 ग्रामीण युवाओं तथा महिलाओं को, विभिन्न तकनीकी/व्यावसायिक व्यवसायों में प्रशिक्षित किया गया है तथा उनमें से कई स्वरोज़गार में लग चुके हैं। योजना तथा इसके उद्देश्यों के कार्यान्वन की पूर्व समीक्षा की गई तथा संशोधित मानदंडो के साथ एक संशोधित योजना तैयार की गई। संशोधित मानदंड अनुमोदन हेतु विचाराधीन है तथा आशा की जाती है कि संशोधित योजना 1993-94 तक कार्यान्वित कर दी जायेगी। आठवीं योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जायेगा। (1) महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम (2) आय उत्पादक तकनीकी - आर्थिक कार्यकलापों के माध्यम से नव साक्षरों के लिए उत्तर साक्षरता सतत शिक्षा (3) क्षेत्र विशेष एवं संस्कृति विशेष जनजातीय क्षेत्र घटक कार्यक्रम (4) निम्नलिखित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का स्थानन्तरण (I) कम-लागत आवास (II) ग्रामीण जनता के लिए सुरक्षित पेयजल (III) ग्रामीण स्वच्छता (IV) गैर-परम्परागत और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत (V) कृषि खेती शिक्षण एवं कृषि सिंचाई और (VI) ग्रामीण यातायात।

8.18.9 सामुदायिक पॉलिटेक्निको के माध्यम से ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों की प्रोन्नति हेतु एक उचित कार्यनीति विकसित करने के लिए मंत्रालय ने चार क्षेत्रीय तथा एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करने के लिए मंत्रालय ने चार क्षेत्रीय तथा एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करने का निश्चय किया है। ये सभी पूर्णतः यूनिसेफ द्वारा प्रायोजित होंगी। इन कार्यशालाओं में ग्रामीण स्वच्छता से संबंधित उचित प्रशिक्षण आवश्यकताओं, लागत-प्रभावी शोध एवं विकास प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण एवं सामाजिक गतिशीलता पर विचार और इनका विकास किया जायेगा।

8.18.10 क्षेत्रीय कार्यशालाओं के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

(I) भारत में विकसित और कार्यान्वित की जा रही ग्रामीण स्वच्छता प्रौद्योगिकी कला की स्थिति का पुनरीक्षण;

प्रशिक्षुओं की संख्या

	31.10.90	31.10.91	30.09.92
कुल प्रशिक्षार्थी	22075	21320	20367
स्नातक प्रशिक्षार्थी	6879	6767	5882
डिप्लोमाधारी	15196	14553	13136
टेक्नीशियन प्रशिक्षु			
अनुसूचित जाति	908	1219	13136
अनुसूचित जनजाति	167	242	231
अल्पसंख्यक	1335	1084	1034
विक्लांग	33	58	42
महिलाएं	2089	2160	2027

(II) ग्रामीण स्वच्छता के लिए विभिन्न तकनीकी विकल्पों एवं डिजाईन विकल्पों के साथ ही विविध सामाजिक आर्थिक एवं सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण और देश में व्याप्त भू-आर्द्रता परिस्थितियों एवं कृषि संबंधी जलवायु का निर्धारण।

(III) उचित कम लागत ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में सामुदायिक पॉलिटेक्निको/ ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रों के योगदान का प्रलेखन।

(IV) तकनीकी रूप से ठीक एवं उपयुक्त, आर्थिक रूप से व्यवहार्य एवं सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य कम लागत वाली ग्रामीण स्वच्छता प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अनुसन्धान एवं विकास।

(V) कार्यान्वयन के लिए टेक्नालाजी के उपयुक्त नमूने तैयार करने हेतु सिफारिशें,

(VI) निम्न लागत वाली उपयुक्त ग्रामीण/स्वच्छता टेक्नॉलाजी के विकास और अंतरण से संबंधित कार्यान्वयन और सी. डी. आर. टी./सी. पी. की भूमिका।

(VII) ग्रामीण स्वच्छता में मानव संसाधन का विकास

(VIII) स्वच्छ स्वास्थ्य आदतों, निजी घरेलू और सामुदायिक स्वच्छ आदतों का विकास।

(IX) ग्रामीण स्वच्छता में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता और अभिप्रेरणा उत्पन्न करना।

(X) ग्रामीण स्वच्छता में महिलाओं की भूमिका में वृद्धि।

8.18.19 पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों के लिए क्रमशः कलकत्ता और त्रिसूर (केरल) में अप्रैल 1993 के दौरान पहली दो कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। पश्चिमी क्षेत्र की कार्यशाला का आयोजन पुणे (महाराष्ट्र) में दिनांक 01-02 दिसम्बर 1993 में किया गया था। उत्तरी क्षेत्र की कार्यशाला का आयोजन उदयपुर (राजस्थान) में जनवरी, 1994 में होगा और फरवरी-मार्च 1994 के दौरान राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन प्रस्तावित है।

प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम

8.19.1 इंजीनियरी कालेजों और पालिटेक्निकों से आने वाले इंजीनियरी स्नातकों एवं डिप्लोमाधारियों को औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त-पोषित स्वायत्त संगठनों के रूप में वर्ष 1969 में भारत सरकार द्वारा कानपुर, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में चार प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड गठित किए गए थे। इनका उद्देश्य व्यावहारिक प्रशिक्षण वृत्तिका योजना को कार्यान्वित करना था। वर्ष 1973 में प्रशिक्षु अधिनियम 1961 को संशोधित किया गया था ताकि इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में स्नातकों और डिप्लोमाधारियों के प्रशिक्षण को इसके अंतर्गत लाया जा सके। इस अधिनियम के प्रावधान के तहत औद्योगिक संस्थापन प्रति वर्ष प्रशिक्षुओं को लगाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होगी। केन्द्र सरकार दिए गए वजीफा की न्यूनतम राशि का 50%, उन प्रशिक्षण संस्थाओं को अदा करती है, जो प्रशिक्षुओं को कार्य पर लगाते हैं।

8.19.2 वर्ष 1986 में अधिनियम के क्षेत्र के तहत 10+2 व्यावसायिक धारा के छात्रों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षु अधिनियम में आगे संशोधन किया गया था। वर्ष के दौरान तकनीशियनों (व्यावसायिक) प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिए पहले से अधिसूचित बीस विषय क्षेत्रों के अलावा 40 और विषय क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं।

8.19.3 विगत तीन वर्षों के दौरान लगे प्रशिक्षुओं की संख्या नीचे तालिका में दर्शाई गई है:-

8.19.4 अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण और जीवन वृत्तिका मार्गदर्शन कार्यक्रम की

कोटि में सुधार करने के लिए अनेक निरीक्षण विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। बोर्ड पत्रिकाएं प्रकाशित कर रहा है जिसमें सूचना सामग्री शामिल हैं। इसमें से कुछ ने प्रशिक्षण नियमावली भी तैयार कर ली है।

एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंकाक

8.20.1 एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंकांक एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय स्नातक संस्था है जो इंजीनियरी विज्ञान और सम्बद्ध विषयों में उच्च शिक्षा प्रदान करता है। यह 20 से अधिक देशों से लगभग 600 छात्रों को दाखिल करता है और इसके अंतर्राष्ट्रीय संकाय सदस्य है। यह संस्थान भारत सहित विभिन्न देशों के सदस्यों के एक अंतर्राष्ट्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा अधिशासित है, जिसके सदस्य भारत सहित विभिन्न देशों से हैं।

8.20.2 भारत सरकार एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान के निम्नलिखित सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गई है:-

(1) इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के विशिष्ट क्षेत्रों में शिक्षकों के विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति के सम्पूर्ण व्यय का वहन।

(2) निम्नलिखित एक या अधिक उद्देश्यों के प्रयोग के लिए 3.00 लाख रु० के वार्षिक अनुदान का उपयोग:-

(क) भारत से उपस्करों की खरीद

(ख) पुस्तकों की खरीद तथा भारत में प्रकाशित शैक्षिक और तकनीकी पत्रिकाओं के अंशदान का भुगतान और

(ग) भारत में शिक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय। वर्ष 1993-94 के दौरान 3 भारतीय विशेषज्ञों को सितम्बर 1993 अवधि के लिए एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान बैंकाक को प्रतिनियुक्ति किया गया है और जनवरी 1994 की अवधि के लिए 3 और विशेषज्ञों को प्रतिनियुक्त किए जाने की संभावना है। संस्थान को 3 लाख रुपये की राशि 1993-94 के दौरान भारत में शैक्षिक कार्यकलापों के लिए और उपस्करों की खरीद के लिए अनुदान के रूप मे जारी की जा रही है। गैर निगमित तथा असंगठित क्षेत्रों के संस्थानों का सुदृढ़ीकरण व स्थापना:

8.21.1 हमारी तकनीकी और प्रबंधकीय शिक्षा पद्धति का अनुस्थापन अभी तक मुख्यतः संगठित निगमित क्षेत्र की ओर से ही उन्मुख रहा है। तथापि हमारे विकास प्रयासों का विशेष प्रभाव तभी सम्भव होगा यदि हम गैर निगमित और संगठित क्षेत्रों के निष्पादन में सुधार करते हैं, जो लगभग 90% कार्यदल को रोजगार प्रदान करता है।

8.21.2 इसके अनुसार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस उद्देश्य के लिए विद्यमान संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए योजना तैयार की गई थी। इन गैर-निगमित और असंगठित क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसमें देश भर में कुछ एक चुनिन्दा डिप्लोमा स्तर की संस्थाओं में उद्यमशीलता तथा प्रबंध विकास केन्द्रों और उद्यमशीलता विकास केन्द्रों की स्थापना का प्रावधान है।

8.21.3 चार पालिटेक्निकों को सीधे केन्द्रीय सहायता प्रदान करके योजना को पायलट परियोजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। 8वीं योजना के दौरान योजना के कार्यान्वयन के प्रभाव तथा योजना को जारी रखने की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए मई 1992 में मैसूर में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी और विस्तृत संशोधित योजना तैयार की गई है। संशोधित योजना में ग्रामीण व शहरी पर्यावरण में गैर सहयोगी व अव्यवस्थित क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक राज्य के कुछ चुने हुए पालिटेक्निकों में उद्यम व प्रबंध विकास के लिए और

अधिक नोडल केन्द्र स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। एक समन्वयक नोडल केन्द्र का पता लगाया जाएगा। (1) पाठ्यचर्या निवेश (2) औपचारिक व गैर-औपचारिक सतत शिक्षा (3) कुशलता विकास (4) कोटि आश्वासन (5) संकाय विकास प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण तथा (6) परामर्श व सहायता सेवाओं से इन नोडल केन्द्रों द्वारा छोटे व गैर-आयोजित क्षेत्रों के लिए उद्यम विकास को प्रोन्नत किया जाएगा। इन नोडल केन्द्रों द्वारा बड़े स्तार पर इंजीनीयरी में विज्ञान स्नातकों व डिप्लोमा धारकों के लिए गैर-सहयोगी व अव्यवस्थित क्षेत्रों के प्रबंध में उत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी व कुशलता में अविकसितता की दर का सामना करने के लिए ग्रामीण शिल्पियों हेतु कुशलता के पुनः प्रशिक्षण व प्रोन्नति के लिए सामूहिक उधमी विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उद्यमकर्ताओं के लिए बिक्री विकास, कोटि आश्वासन व कुल कोटि प्रबंध हेतु कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि व्यवस्थित क्षेत्रों को सहायक व पूरक सहायता प्रदान की जा सके। वर्ष 1993-94 के दौरान इस योजना के अंतर्गत और संस्थानों का चयन किए जाने का प्रस्ताव है।

उद्योग संस्थान पारस्परिक कार्रवाई

8.22.1 वर्ष 1988-89 के बीच आरम्भ की गई उद्योग संस्थान पारस्परिक कार्रवाई योजना में निम्नलिखित तीन अवयव हैं:-

(क) इंजीनियरिंग कालेजों और उद्योग के बीच पारस्परिक कार्रवाई।

(ख) पालिटेक्निक और उद्योग के बीच पारस्परिक कार्रवाई।

(ग) आई. आई. टी., दिल्ली में एक औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित करना।

8.22.2 चुने हुए इंजीनियरिंग कालेजों के मामले में इन कार्यक्रमों में उद्योग और संस्थान के बीच सह-परियोजना आरम्भ करने पर विचार किया गया है। इसमें डिग्री स्तर के संस्थानों और पॉलिटेक्निकों दोनों के लिए, दो संकाय प्रति संस्थान की दर से उद्योग के साथ संकाय के विनिमय का प्रावधान है।

8.22.3 इस प्रयोजन के लिए 25 इंजीनियरी कालेज और 15 पॉलिटेक्निकों का चुनाव किया गया।

8.22.4 आई. आई. टी., दिल्ली स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठान, उद्योगों और अन्य संगठनों द्वारा प्रायोजित वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी समस्याओं से निपटने के लिए संस्थान की अनुसंधान और परामर्श क्षमताओं के विपणन और आदि प्रारूप विकास तथा औद्योगिक पायलट प्लान्ट इत्यादि की अवस्थाओं के माध्यम से अनुसंधान परिणाम के वाणिज्यीकरण के लिए जिम्मेदार होगा। यह प्रतिष्ठान 'फाउन्डेशन फार इन्नोवेशन एण्ड टेक्नालॉजी ट्रांसफर (एफ.आई.टी.टी.) के नाम और शैली में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1861 के अंतर्गत एक संस्था के तौर पर पंजीकृत है। एफ.आई.टी.टी. ने 3.00 करोड़ रुपयों की सामूहिक निधि से अक्षय निधि स्थापित करने की योजना तैयार की है। औद्योगिक प्रतिष्ठान की स्थापना के लिए 7 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्मुक्त 1.22 करोड़ रुपये की अनुदान राशि सामूहिक निधि में जमा कर दी जाएगी। एफ.आई.टी.टी. का सम्पूर्ण व्यय सामूहिक निधि पर अर्जित वास्तविक राशियों/ब्याज, उद्योग, प्रायोजित परियोजनाओं के योगदान और टेक्नालॉजी अंतरण इत्यादि पर रायल्टी से किया जाएगा।

8.22.5 अतिरिक्त अवयव के तौर पर ई.डी.पी. योजना का इस योजना में विलयन करने का प्रस्ताव है।

8.23.1 इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यावसायिक के लिए सतत शिक्षा योजना का उद्देश्य इन व्यावसायिकों की कार्य क्षमता को बढ़ाना है ताकि हमारे उद्योगों में इंजीनियरी मानव शक्ति को आगे बढ़ाने में योगदान मिल सके। योजना दो पहलुओं में जुड़ी हुई है। पहला उन क्षेत्रों की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करना जिसमें सतत शिक्षा मापांक तैयार किया जाना आवश्यक है तथा दूसरा उनको पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों व चार टी०टी०आई० में स्थित हमारे विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया जाना है। आई० एस०टी० ई० मापांक तैयार करने, उसका परीक्षण करने के कार्यक्रम तथा शैक्षिक समन्वय व अनुवीक्षण के कार्यक्रम से भी जुड़ा हुआ है। यह योजना वित्तीय वर्ष 1987-88 के अंत में कार्यान्वित की गई थी।

8.23.2 योजना की प्रगति बहुत प्रोत्साहित करने वाली है। 30.1.93 तक 254 पाठ्यक्रम सामग्रियां तैयार की जा चुकी हैं। 50,000 भागीदारों को इस कार्यक्रम से लाभ हुआ। कार्यक्रम विशेषज्ञों की सिफारिशों पर इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 1990-91 में 8 अतिरिक्त केंद्रों (4 इंजीनियरी कालेज/विश्वविद्यालय व 4 पोलिटेक्निक) जोड़े गए थे। अतः 25 ऐसे केंद्र हैं जहां पर योजना कार्यान्वित की जा रही है।

8.23.3 आशा है कि आठवीं योजना के अंत तक योजना के परिणाम निम्नलिखित होंगे

1.	सतत शिक्षा कार्यक्रम द्वारा जाने वाले व्यावसायिक	40,000
2.	पाठ्यक्रम सामग्री उत्पादन	1,34
3.	दूरस्थ शिक्षा प्रणाली पाठ्यक्रम सामग्री	200
4.	वीडियो पैकेज	100

चुने हुए उच्च तकनीकी संस्थानों में शोध व विकासः

8.24.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के आवश्यक अवयव के रूप में शोध पर अधिक बल दिया गया है। वास्तव में यह मान लिया गया है कि शोध व विकास शिक्षा का अनिवार्य भाग है। आजकल अधिकतर शोध प्रयास व शोधमान शक्ति कुछ संस्थानों में संकेंद्रित है। उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों में शोध विकास संस्कृति को विकसित करना आवश्यक है। अधिकतर शैक्षिक संस्थानों में घटिया पुस्तकालय, अपर्याप्त सूचना पद्धति, परिकलन सुलेखन व अन्य सुविधाएं उनकी आम समस्याएं हैं। शोध व सुविधाएं अधिकतर पुरानी है। अध्यापन के अतिरिक्त बुनियादी सुविधाएं निर्मित करने के व बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई है। राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, रक्षा संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों आदि में रक्षा व विकास कार्यकलापों में विशेष रूप से बढ़ोत्तरी होने की आशा हैं। शिक्षा क्षेत्र में शोध व विकास कार्यकलापों की कमी उच्च कोटि के शोध व विकास कर्मचारियों के निर्माण पर उल्टा प्रभाव डालती है।

8.24.2 योजना 1987-88 के दौरान निम्नलिखित लक्ष्यों के साथ आरंभ की गई थी।

* उच्च अध्ययन/शोध के विद्यमान केंद्रों को सुदृढ़ करना व पुनः निर्मित करना।
* बुनियादी सुविधाओं का निर्माण व अद्यतन बनाना।
* इंजीनियरी प्रौद्योगिकी प्रबंध में शोध परियोजनाओं की सहायता व प्रयोजन।

8.24.3 योजना में तकनीकी व प्रबंध शिक्षा पद्धति व शैक्षिक संस्थान शामिल हैं, जो अवर स्नातकों व स्नातकोत्तर कार्यक्रम चला रहे हैं। 1992-93 के दौरान 241.00 लाख रु० की लागत पर 41 प्रस्तावों

को सहायता दी गई। 1993-94 के दौरान 225.00 लाख रु० की लागत पर 35 परियोजनाओं को सहायता देने का प्रस्ताव है।

शैक्षिक परामर्शक भारत लिमिटेड, नई दिल्ली

8.25.1 शैक्षिक परामर्शक भारत लिमिटेड इस मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसे 17 जून, 1981 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित किया गया था। बोर्ड के निदेशकों के मार्गदर्शन में इसका कार्य केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा संगठनों का प्रतिनिधित्व करना है। इसका एक अंश-कालिक पदेन अध्यक्ष है तथा एक पूर्ण कालिक प्रबंध निदेशक है।

8.25.2 वर्ष के दौरान, निगम ने मारीशस में मूलभूत शिक्षा परिसर के लिए संपूर्ण आयोजना की एक परियोजना शुरु की है। कम्पनी ने इथोपीया में मिंच वटर प्रौद्योगिकी संस्थान के मूल्यांकन रिपोर्ट की परियोजना को भी पूरा किया जिसे कि पिछले वर्ष दिया गया था। इसके अलावा, कम्पनी की यूनिको द्वारा भारत में तकनीकी शिक्षा में आठ लक्षित कालेजों की जांच करने की एक परियोजना प्रदान की गई और उसे वर्ष के दौरान ही पूरा किया गया था।

8.25.3 कम्पनी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान असम परियोजना तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पिछले वर्षों में प्रदान किया गया उच्च शिक्षा के लिए जन-शिक्षा कार्यक्रम के मूल्यांकन कार्य को पूरा किया। कम्पनी ने गोडफरे फिलिप इंडिया द्वारा जनसंख्या शिक्षा के मूल्यांकन उड़ीसा तथा ग्रामीण संस्थान की स्थापना के लिए पूर्व औचित्यता रिपोर्ट जैसी कुछ अन्य एजेन्सियों को भी पूरा किया।

8.25.4 कम्पनी को कुछ दूसरी परियोजनाएं, जैसे कि भारतीय स्कूल जैयेदाह के प्रधानाचार्य का चयन, भारतीय स्कूल दूतावास रियाद के दस शिक्षकों का चयन एलेमायन विश्वविद्यालय इथोपिया में पांच कृषि विशेषज्ञों का चयन, भी प्रदान की गई। इसने पुस्तकों तथा शैक्षिक सहायक सामग्री की कुछ आपूर्ति भी की जैसे कि नाम्बीया को स्कूल उपस्करों तथा कोपरबैल विश्वविद्यालय जाम्बिया को पुस्तकों की आपूर्ति, यह दोनों ही विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई थी।

वर्ष के दौरान विदेशों में चल रही परियोजनाएं मारीशस विश्वविद्यालय की मुख्य योजना का कार्यान्वयन थी। भारत में नाहर तथा रेवाड़ी (हरियाणा) में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना तथा इलैक्ट्रानिक डिजाइन तथा टेक्नालॉजी केंद्र गोरखपुर की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। शैक्षिक परिसर कलिंग विहार, उड़ीसा के लिए मास्टर योजना तथा एर्नाकुलम में व्यावसायिक पाठ्यचर्या विकास जैसी परामर्शी परियोजनाएं भी प्रगति पर हैं।

8.25.6 वर्ष 1992-93 के दौरान, एड, सिल ने विदेशों में तीन परामर्शी परियोजनाएं तथा भारत में चार परामर्शी परियोजनाएं पूरी की है। इसके साथ-साथ विदेशों में चार दूसरी परियोजनाएं तथा तीन आपूर्ति परियोजनाएं भी पूरी की हैं।

8.25.7 वर्ष के दौरान निगम ने 3.05 करोड़ रु० का लक्ष्य प्राप्त किया तथा कर के अलावा 0.59 करोड़ रु० का लाभ अर्जित किया कम्पनी ने वर्ष 1992-93 के दौरान 10% लाभांश प्रस्तावित किया है। आठवीं योजना अवधि के लिए योजना का अनुमोदित परिव्यय 0.10 करोड़ रु० है। वर्ष 1993-94 के लिए 0.02 करोड़ रु० का प्रावधान करने का प्रस्ताव है तथा वर्ष 1994-95 के लिए भी इतना ही प्रस्तावित किया गया है।

उपस्करों तथा उपभोज्य वस्तुओं के आयात के लिए पास बुक/योजना सीमा शुल्क छूट प्रमाण पत्रः

8.26.1 अनुसंधान के कार्यों के लिए वैज्ञानिक उपस्करों के तेजी से आयात तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए वर्ष 1988 से एक पास बुक योजना शुरु की गई है। इसके द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी उपस्कर, साज-सामान तथा उपभोज्य वस्तुओं के आयात शुल्क के बिना ही आयात करने की छूट मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत के आयात के लिए संस्था के प्रमुख की यह प्रमाणित करने का अधिकार होगा कि इसकी बहुत जरूरत है तथा 'इसका निर्माण भारत में नहीं होता' की शर्त भी पूरी होनी चाहिए, अनुमानित सी० आई० एफ० कीमत की अधिकतम सीमा एक वर्ष के लिए उपस्कर के लिए 3.5 करोड़ रु० तथा उपभोज्य वस्तुओं के लिए 1.5 करोड़ रु० इसमें कोई एक उपभोज्य वस्तु शामिल नहीं होगी जिसकी एक वर्ष में कुल सी० आई० एफ० की कीमत 10 लाख रु० से अधिक होती है जिसके लिए सी० डी० ई० प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। इस योजना में राष्ट्रीय महत्व के निजी रूप से वित्तपोषित अनुसंधान संस्थाएं तथा कालेज भी शामिल हैं। शिक्षा विभाग में तकनीकी शिक्षा ब्यूरो विश्वविद्यालय, कोलेजों तथा संस्थाओं को पास बुक जारी करने के लिए जिम्मेदार हैं। अक्टूबर, 1993 तक रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लगभग 290 पास बुकें तथा 250 सी० डी० ई० प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।

संत लोंगोवाल इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान

8.27.1 संत लोंगोवाल इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना पंजाब राज्य की विशेष तकनीकी-जनशक्ति की जरुरतों को पूरा करने के लिए की गई थी। संस्थान विभिन्न स्तरों पर विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करेगा ताकि राज्य की विशेष जरूरतों को एक समेकित तरीके से पूरा किया जा सके। इसकी शुरुआत करने के लिए वर्ष 1991-92 के दौरान, बुनियादी जरूरतों को पूरा किया गया तथा शैक्षिक सत्र को 5 प्रमाणपत्र तथा 3 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों से शुरू किया गया। राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति द्वारा संस्तुत किए गए सभी 12 प्रमाणपत्र तथा 10 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को शैक्षिक वर्ष 1992-93 से प्रारम्भ किया गया है। पुनर्गठित राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति ने योजना के विस्तार के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों की जांच की जा रहीं है।

8.28.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय के माध्यम से तकनीकी संस्थाओं को सहायता उच्चतर शिक्षा तथा अनुसंधान के विकास के लिए इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस समय योजना के अन्तर्गत पैंतीस ऐसे विश्वविद्यालय द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं को शामिल किया गया है। अवर स्नातक शिक्षा के लिए सुविधाएं प्रदान करने के अलावा ये संस्थान इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के विभिन्न विषयों में काफी संख्या में उत्तर स्नातक पाठ्यक्रमों को भी चलाते हैं। इनमें से कुछ संस्थान प्रौद्योगिकी में प्रगति के लिए उच्च स्तर पर मौलिक तथा प्रौद्योगिक अनुसंधान कार्य में भी लगेहैं तथा अपनी उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। विभिन्न अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए तथा शिक्षा, भवन, प्रयोगशाला, छात्रावास, स्टाफ क्वाटर जैसी विद्यमान सुविधाओं के समेकन के लिए इन विश्वविद्यालय से सहायता प्राप्त संस्थाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान किया है।

8.28.2 इन विश्वविद्यालय सहायता प्राप्त संस्थाओं में इन विभिन्न उत्तर स्नातक पाठ्यक्रमों में लगभग 1600 एम० ई०/ एम० टैक० छात्र पढ़ रहे हैं।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

8.29.1 अधिकांश सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों में विज्ञान शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र की सामग्री के आदान-प्रदान का प्रावधान है तथा इसके साथ-साथ रोजगार के उद्देश्य से भारत तथा दूसरे देशों में प्रदान की जाने वाली डिग्री और डिप्लोमा में सभ्यता लाने के लिए दोनों देशों की उच्च शिक्षा संस्थाओं के बीच शैक्षिक संबंध बनाने के लिए शिष्टमंडलों के पारस्परिक दौरे भी शामिल है। इस कार्य के लिए 1.00 लाख रु० का बजट प्रावधान किया जा रहा है।

कोलम्बो स्टाफ कालेज योजनाः मनीला

8.30.1 तकनीकी शिक्षा के लिए कोलम्बो स्टाफ कालेज योजना, मनीला का मुख्य लक्ष्य कोलम्बो योजना क्षेत्र में तकनीशियन शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना है जिसे सदस्य देशों में सेवारत प्रशिक्षण एवं स्टाफ विकास कार्यक्रम में सक्रिय भाग लेने वाले तकनीकी शिक्षकों, शिक्षाविदों, प्रशिक्षकों तथा तकनीकी शिक्षा पद्धति के स्टाफ की जरुरतों की पूरा करके प्राप्त किया जा सकता है। कालेज के मुख्य कार्य हैं:

1. व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम प्रदान करना।
2. तकनीकी शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन सम्मेलन आयोजित करना।
3. विशेष पाठ्यक्रमों को आरंभ करने में सहायता करना।
4. अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देना तथा उसका समन्वय करना।
5. प्रशिक्षण सुविधाओं में विकास सहायता करना।
6. तकनीकी शिक्षा के बारे में सूचना एकत्रित करना तथा उसका प्रसार करना।

8.30.2 उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तकनीकी शिक्षा के लिए कोलम्बों स्टाफ कालेज योजना, मनीला ने कालेज आधारित पाठ्यक्रम उपक्षेत्रीय कार्यशालाएं और स्वदेशी पाठ्यक्रम जैसे कई कार्यक्रम आरंभ किए हैं। भारत सरकार इन कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले रही है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थानः

8.31.1 उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान 1986 में इटा नगर (अरुणाचल प्रदेश) में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों के लिए विज्ञान धाराओं के साथ-साथ इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुशल जनशक्ति पैदा करने के लिए स्थापित किया गया था। जहां शिक्षा विभाग उ० पू० के० वि० प्रौ० संस्थान को आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन दे रहा है। वहीं इसे उत्तर पूर्वी परिषद् के माध्यम से वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। उ० पू० क्षे० वि० प्रौ० संस्थान की प्रौद्योगिकी तथा प्रायोगिक विज्ञान के क्षेत्र में दो वर्ष की अवधि वाले प्रमाण पत्र डिप्लोमा, डिग्री के लिए माड्यूलर कार्यक्रमों की श्रृंखला के लिए एक अकेले संस्थान के रूप में माना जाता है। संस्थान ने अगस्त, 1986 में अपना शैक्षिक कार्यक्रम प्रारम्भ किया जिसमें प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों को दाखिला दिया गया। डिप्लोमा तथा डिग्री पाठ्यक्रमों के दाखिले क्रमशः 1988 और 1990 में किए गए। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान को प्राविधानिक संबद्धता उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय द्वारा दी गई है। इस संस्थान को विश्वविद्यालय स्तर प्रदान करने संबंधी मामला विचाराधीन है। संस्थान के शैक्षिक एवं अन्य विकासात्मक मामलों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। इस समय इस संस्थान को अपेक्षित अनुदान गृह मंत्रालय द्वारा विमुक्त किया जा रहा है।

8.31.2 संस्थान अब 1993-94 से प्रमाणपत्र, डिप्लोमा तथा डिग्री स्तरों के निम्नलिखित पाठ्यक्रम प्रदान कर रहा है।

बेस (प्रमाण पत्र) **ट्रेड**

1. कृषि इंजीनियरी (क) ट्रेक्टर मैकेनिक
ख) फूड प्रौसेसिंग ट्रेड

2. निर्माण प्रौद्योगिकी (क) नक्शानवीस
(ख) सर्वेक्षक

3. अनुरक्षण इंजीनियरी (क) इलैक्ट्रिशियन
(इलैक्ट्रिकल एवं इलैक्ट्रानिक्स) (ख) इलैक्ट्रानिक तकनीशियन

4. अनुरक्षण इंजीनियरी (क) प्रोडक्शन
(मैकेनल) (ख) प्रशीतन एवं वातानुकूलन

डिप्लोमा पाठ्यक्रम

1. कृषि इंजीनियरी
2. सिविल इंजीनियरी
3. कम्प्यूटर विज्ञान
4. इलैक्ट्रिकल एवं इलैक्ट्रिकल संचार इंजीनियरी
5. विद्युत इंजीनियरी
6. यांत्रिक इंजीनियरी

डिग्री पाठ्यक्रम

1. कृषि इंजीनियरी
2. सिविल इंजीनियारी
3. कम्प्यूटर विज्ञान व इंजीनियरी
4. इलैक्ट्रानिक्स एवं संचार इंजीनियरी
5. इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी
6. यांत्रिक इंजीनियरी
7. वानिकी (4 वर्षीय डिप्लोमा)

आंध्र प्रदेश हैदराबाद का प्रशासनिक स्टाफ कालेज

8.32.1 यह कालेज भारत सरकार तथा उद्योग के संयुक्त संकाय के रूप में स्थापित किया गया था। इस कालेज की अपनी विशेषता न केवल उत्तर अनुभव प्रबंध विकास कार्यक्रमों में है अपितु उत्पादन, विपणन, वित्त, सामग्री प्रबंध तथा निवेश आयोजना जैसे कार्यात्मक क्षेत्रों में भी है।

8.32.2 यह कालेज भारत सरकार के सचिवों तथा शीर्षस्थ कार्याधिकारियों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करता है ताकि एक नई प्रशासनिक संस्कृति विकसित हो सके। इस कालेज ने सामान्य शोध परियोजनाओं तथा परामर्शी समनुदेशनों को भी पूरा किया है। सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (बी पी ई) द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक उद्यम के लिए एक उच्च प्रबंध कार्यक्रम को आरम्भ करना एक अन्य उल्लेखनीय प्रयास है।

8.32.3 मंत्रालय इस समय इस कालेज को किसी प्रकार का सहायता अनुदान प्रदान नहीं कर रहा है क्योंकि वह कालेज अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को वित्तपोषण करने में आत्मनिर्भर हो गया है।

तकनीकी शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों के वेतनमान का संशोधन-राज्य सरकारों को सहायता देना।

8.33.1 इंजीनियरी कालेजों तथा अन्य डिग्री स्तर के तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों, पुस्तकाध्यक्षों तथा शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों के वेतनमानों को 1.1.86 से संशोधित किया गया है। केन्द्र सरकार, उन राज्यों जिन्होंने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के संशोधित वेतनमान को अपनाया है, को 1.1.1986 से 1.3.1990 तक इस योजना के कार्यान्वयन में निहित अतिरिक्त व्यय के 80% भाग की वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।

इस संशोधन के कारण होने वाली अतिरिक्त व्यय के 80% भाग को पूरा करने के लिए मार्च, 1993 के अन्त तक विभिन्न राज्य सरकारों को 31.54 करोड़ रुपए की कुल राशि विमुक्त की गई।

क्षेत्रीय कार्यालयः

8.34.1 मंत्रालय ने क्षेत्रीय आधार पर बम्बई, कलकत्ता, कानपुर तथा मद्रास में चार अधीनस्थ कार्यालय स्थापित किए हैं।

8.34.2 ये चारों क्षेत्रीय कार्यालय, विभिन्न योजनाओं जिनमें क्षेत्र-विशेष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की योजनाएं भी शामिल हैं, के कार्यान्वयन तथा समन्वित कार्य-संचालन को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय एजेन्सिसों के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये क्षेत्रीय कार्यालय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की क्षेत्रीय समितियों के सचिवालय के रूप में कार्य करते हैं तथा ये कार्यालय तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाओं का सर्वेक्षण करने तथा विकास के लिए नई योजनाएं आरम्भ करने में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की सहायता भी करते हैं।

जम्मू में एक नए इंजीनियरी कालेज की स्थापना

8.35.1 नवम्बर, 1992 में माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री के जम्मू दौरे के दौरान, राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जम्मू में एक एक इंजीनियरी कालिज की स्थापना से संबंधित एक ठोस प्रस्ताव, भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। एकमुश्त अनुदान राशि प्रदान करने के लिए वर्ष 1993-94 में 2.00 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है।

8.35.2 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने 160 छात्रों की अन्तर्गहण क्षमता वाले कालेज की स्थापना के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार से प्राप्त प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। वर्ष 1993-94 के दौरान, अनुदान राशि विमुक्त की जाएगी।

भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर

8.36.1 भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, इंजीनियरी विज्ञान एवं संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए देश के मुख्य संस्थानों में से एक है। यह संस्थान वर्ष 1909 में स्थापित किया गया। इस संस्थान के वैज्ञानिकों के सतत शोध प्रयासों से इस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई है। सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने, नवाचारी अनुसंधान तथा विकास में विशिष्टता अर्जित करने में इस संस्थान का विशेष योगदान है। उच्च शैक्षिक अनुसंधान तथा वर्तमान में निर्धारित विषयों का स्तर विश्वस्तरीय है। तकनीकी जानकारी का प्रमुख पत्रिकाओं के माध्यम से आदान-प्रदान होता है। यह संस्थान, सतत शिक्षा कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण तथा उद्योगों को सहायता देने में योगदान देता है। एयरो-स्पेस, बायोमास, बायो-मेडिकल, रसायन, धातुकर्मीय तथा अन्य इंजीनियरी क्षेत्रों में उच्चस्तरीय विभागों के अलावा यह संस्थान एक सुपर कम्प्यूटर स्थापित कर रहा है। सुपर कम्प्यूटर परियोजना अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय मानकों पर आधारित है।

8.36.2 यह संस्थान राष्ट्रीय विज्ञान सेमिनार परिसर के लिए एवं सहायक स्टाफ के लिए सुविधाएं बढ़ा रहा है। इस संस्थान ने वर्ष 1958 में 'समविश्वविद्यालय' का स्तर प्राप्त किया है।

उच्च तकनीशियन पाठ्यक्रम

8.37.1 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने फरवरी, 1978 में आयोजित अपनी बैठक में सिफारिश की कि चुनिन्दा पालिटेक्निकों को वित्तीय सहायता दी जाए ताकि वे उच्च तकनीकी पाठ्यक्रम शुरू कर सके जिससे तकनीशियन उद्योग और ग्रामीण क्षेत्र की भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित क्षमता (योग्यता) प्राप्त कर सकें। इस सिफारिश के अनुसरण में वर्ष 1981-82 में छटी योजना में उच्च तकनीकी पाठ्यक्रम की एक योजना शुरू की गई। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, उपकरण इंजीनियरी, गढ़ाई प्रौद्योगिकी आधुनिक इलैक्ट्रानिक, वातानुकूलन और प्रशीतन, ऊर्जा के परिवर्तनीय साधन और ग्रामीण प्रौद्योगिकीय विकास एवं प्रबंध जैसे महत्वपूर्ण विषयों में उच्च तकनीकी पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए दस संस्थाओं को चुना गया।

8.37.2 उच्च तकनीशियन पाठ्यक्रम योजना पर पुनर्विचार करने के लिए 11 से 13 सितम्बर, 91 को एस० बी० एम० पालिटेक्निक बम्बई में एक कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित पर विचार किया गया।

(1) उच्च तकनीशियन पाठ्यक्रम योजना के तहत विभिन्न पालिटेक्निकों में प्रदान किए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करना।

(ii) नियोजकों/छात्रों तथा कार्यरत तकनीकी विदों/संस्था के कार्यक्रमों की उपयोगिता के आधार पर उद्योग/नियोजकों, संस्थाओं से प्रतिपुष्टि प्राप्त करना तथा

(iii) योजना के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाईयों का विश्लेषण करना तथा योजना को जारी रखने और उसके प्रभावी कार्यान्यवन के लिए आवश्यक सिफारिशें करना था। उनमें यह सिफारिश की गई थी कि विभिन्न संस्थाओं में उच्च तकनीकीविद् पाठ्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं, वे जारी रहेंगे तथा योजना के क्षेत्र तथा कार्यकलापों को भविष्य में विस्तार किया जाए और साथ ही उसके मानदंडों में संशोधन करके इसे अद्यतन बनाया जाय।

अन्य बातों के साथ-साथ आगे यह भी सिफारिश की गई कि इस योजना के तहत जो उच्च डिप्लामा पाठ्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं, उन्हें संबंधित क्षेत्र की इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में प्रथम डिग्री के समकक्ष मान्यता दी जाए।

8.37.3 आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्व बैंक से सहायता प्राप्त तकनीकी शिक्षा राज्य क्षेत्रीय परियोजना के अंतर्गत इस योजना के क्षेत्र तथा कार्यकलापों के विस्तार तथा संशोधित अद्यतन मानदंडों से योजना के कार्यान्वयन का भी प्रस्ताव किया गया।

प्रौद्योगिकी विकास मिशन

8.38.1 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने की दृष्टि से बंबई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर तथा मद्रास स्थित पांचों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलूर में प्रौद्योगिकी विकास मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस संबंध में जिन आठ सामान्य क्षेत्रों को अनुमोदित किया गया है, वे हैं - फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरी, इंटीग्रेटेड डिजाइन एंड कंपटीटिव मैनुफैक्चरिंग, फोटोनिक डिवाइसेज एंड टैक्नालाजी एनर्जी इफिसियेन्ट टैक्नालाजीज एंड डिवाइसेज, नेचुरल हेजार्डस मिटिगेशन, कम्यूनिकेशन नेटवर्किंग एंड इंटेलिजेण्ट आटोमेशन, न्यू मैटिरियल्स एंड जेनेटिक इंजीनियरी तथा वायोटेक्नालाजी/संबंधित संचालन समितियों द्वारा इन आठों के आठों क्षेत्रों की व्यापक समीक्षा की गई तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के निदेशकों से विशिष्ट लक्ष्यों तथा संकल्पों से युक्त समीक्षा रिपोर्ट, विस्तृत कार्य योजना तथा 1994-95 के बजट अनुमान प्राप्त हो चुके हैं। इन पर विचार किया जा रहा है।

प्रौढ़ शिक्षा

9

प्रौढ़ शिक्षा

राष्ट्रीय साक्षरता मिशनः

9.1.1 साक्षरता को अब मानव संसाधन विकास के एक अपरिहार्य घटक के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। यह ज्ञान और सूचना प्राप्ति तथा इसमें हिस्सेदारी करने का एक आवश्यक यंत्र है, वह व्यक्ति के विकास तथा राष्ट्र की प्रगति के लिए एक पूर्वापेक्षा है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एन.एल. एम.) जिसका लक्ष्य 1995 तक 15-35 आयुवर्ग के 80 मिलियन निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का है, देश में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अब तक किए गए प्रयासों में से सबसे अधिक संगठित प्रयास है। वर्ष के दौरान मिशन ने महत्वपूर्ण कीर्तिमान स्थापित में से सबसे अधिक संगठित प्रयास है। वर्ष के दौरान मिशन ने महत्वपूर्ण कीर्तिमान स्थापित किए हैं तथा सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों के माध्यम से किए जा रहे प्रयासों को अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है। इन सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों से धीरे-धीरे ही सही परन्तु मजबूती से सामाजिक तूफान उत्पन्न हो रहा है जिससे मनुष्य और अधिक ताकतवर हो रहा है तथा जिन कारणों से वंचित रह गए हैं उनके बारे में जागरुक हो रहे हैं तथा विकास की प्रक्रिया में भाग ले कर वे दशा में सुधार की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं।

9.1.2 वर्ष 1993 में अन्तर्राष्ट्रीय ज्यूरी ने यूनेस्को क्लबों और संघों के एशियाई प्रशान्त परिसंघ द्वारा प्रस्तुत यूनेस्कों क्लबों और संघों के भारतीय राष्ट्रीय परिसंघ को नोमा पुरस्कार से इन प्रयोजनों के लिए विभूषित किया। (1) दक्षिण भारत के दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले सर्वाधिक गरीब समूहों एक समूह, विशेषतः कोरगों चेतना पैदा करने के संबंध में साक्षरता शिक्षा गतिविधियों पर ध्यान सकेंद्रित करना, छः शिक्षण केंद्रो पर कक्षाएं आयोजित करना और कोरगा महिलाओं के लिए उनके घरों में पाठ उपलब्ध कराना, (2) शिक्षा और स्कूल में उपस्थिति की आवश्यकता की जागरुकता पैदा करने के लिए ग्रामीणों से नियमित सम्पर्क स्थापित करके कार्यकलापों के क्षेत्र को एक गांव से बढ़ाकर 20 से अधिक गांवों में उनका विस्तार करना, प्रौढ़ों को साक्षरता कक्षाओं में भाग लेने तथा अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करना, सर्वेक्षण करना, नव-साक्षरों के लिए शैक्षिक सामग्रियां वितरित करना और स्कूलों में जाने की प्रक्रिया को सरल बनाना। (3) कोरगा संस्कृति और रीति-रिवाजों के परिरक्षण पर बल देना, देशज भाषा में मासिक समाचार-पत्र प्रत्येक कोरगा कालोनी में वितरित करना, कोरगा संग्रहालय स्थापित करना। गैर-औपचारिक शिक्षा प्रयोजनों के लिए लोकवार्ता प्रतियोगिताएं आयोजित करना, मानव गरिमा और समानता के मूल्य उनके मन में बैठाना और कोरगों को उनके अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक बनाने में मदद करना, उनके रहन-सहन में सुधार करना, रोजगार हेतु पंजीकरण के लिए उनकी मदद करना तथा आय जुटाने के कार्यकलापों को आरम्भ करना।

9.1.3 जूरी ने भावनगर जिला साक्षरता समिति, भारत को (1) नियोजित, अनुश्रवित किए गए तथा भावनगर जिला में कुल साक्षरता अभियान पूरा करने, आध्यात्मिक संगठन तथा स्वैच्छिक एजेन्सियां संचालित कीं। वालिन्टियर शिक्षा प्रदान की, पुरुष तथा महिला दोनों, निरक्षरों का पता लगाने के लिए घर-घर सर्वेक्षण का कार्य पूरा करना (2) महिला साक्षरता के जरिए ओपचारिक पद्धति में बच्चों के नामांकन को बढ़ाने, जनसंख्या शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के कानूनी अधिकारों और पर्यावरण संबंधी मामलों पर नव-साक्षरों के लिए पठन सामग्री प्रकाशित करने तथा पुस्तालयों को वितरित करने, नव-साक्षरों के लिए एक हजार से अधिक लघु पुस्तकालय तथा सूचना केंद्र स्थापित किए, आदि के लिए सम्मान भी प्रदान किया।

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान

9.2.1 जनवरी, 1990 में अर्नाकुलम जिला (केरल) में संपूर्ण साक्षरता अभियान (टी.एल.सी.) के सफल कार्यान्वियन के कारण 15-35 आयुवर्ग के लक्षित निरक्षर वर्ग की निरक्षरता को दूर करने के लिए टी० एल० सी० को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एन० एल० एम०) को सबसे अधिक महत्वपूर्ण रणनिति के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। टी० एल० सी० की कुछ सकारात्मक विशेषताएं हैं, जैसे यह क्षेत्र विशिष्ट, समयबद्ध स्वेच्छा से प्रदान की जाने वाली, लागत प्रभावी तथा परिणाम उन्मुख है। टी० एल० सी० को जिला कलेक्टर के अधीन विशेष रूप से गठित जिला साक्षरता समितियों (जे० एस० एस०) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। जिला साक्षरता समिति, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोग होते हैं अपना सहभागिता वाला सहयोग सुनिश्चित करती है। जिला साक्षरता समिति की कार्य विशिष्ट उप समितियों के अलावा जिला से लेकर ग्राम पंचायतों तक सभी स्तरों पर लोकप्रिय समितियां भी गठित की जाती है जो समानता की संस्कृति से जीवन्त होती है।

9.2.2 उपयुक्त माहौल तैयार करने संबंधी कार्यक्रम के माध्यम से साक्षरता के लिए लोगों की सकारात्मक मांग उत्पन्न करने की संपूर्ण साक्षरता अभियान (टी०एल०सी) की पूर्वधारणा होती है। घर- घर साक्षरता सर्वेक्षण करके माहौल तैयार करने का प्रारम्भिक कदम शुरु किया जाता है जिसके दौरान संभावित शिक्षार्थियों तथा स्वयसेवकों को पता लगाया जाता है। संबंधित गति और अधिगम की विषय-वस्तु (आई० पी० सी० एल०) की शिक्षा शास्त्रीय तकनीकों के अनुसरण में राज्य संसाधन केंद्रों के माध्यम से उपयुक्त प्रवेशिकायें (3 भाग में) विकसित की जाती है। संसाधन व्यक्तियों, मास्टर प्रशिक्षकों तथा स्वयंसेवी अनुदेशकों कोश्ट प्रवेशिका- विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

9.2.3 दो कार्यकलाप अर्थात माहौल तैयार करने और अनुश्रवण तथा आतंरिक मूल्यांकन का काम अध्ययन/ अध्यापन कार्यकलाप के माध्यम से जारी रखा जाता है। जो 6 माह की अवधि के दौरान कुल 200 घंटे का होता है। छोड़कर चले गये निरक्षरों का पता लगाने तथा संपूर्ण साक्षरता अभियान के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों को समेकित करने के लिए तथा नवसाक्षरों में स्वाध्याय की क्षमता विकसित करने के लिए शिक्षण (पी० एल० सी०) के अंत में एक बाहरी प्रभाव/ संकलनात्मक मूल्यांकन किया जाता है।

9.2.4 2.1 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जिला साक्षरता समितियों का सीधे वित्तपोषण करके टी० एल० सी०/ पी० एल० सी० को कार्यान्वित किया जाता है। वित्तपोषण की व्यवस्था के अलावा, जिला कलेक्टर के साथ जिला साक्षरता समितियों का तादात्म्य स्थापित करके राज्य सरकारों की सक्रिय सहभागिता भी सुनिश्चित की जाती है। परम्परा से कलेक्टर कानून और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होते

हैं तथा पिछले कुछ वर्षों के दौरान इन्हें आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी०, जे० आर० वाई० इत्यादि जैसे कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। कलेक्टरों की परिवर्धित भूमिका ने संपूर्ण साक्षरता अभियान में उनके सक्रिय नेतृत्व को भी सुनिश्चित कर दिया है। कुल मिलाकर संपूर्ण साक्षरता अभियानों में समाज के सभी वर्गों विशेषकर महिलाओं, गरीब तबकों इत्यादि की उत्साहपूर्ण सहभागिता प्राप्त हुई है।

अब तक अनुमोदित टी० एल० सी०/ पी० एल० सी० की संख्या इस प्रकार है:

परियोजनाएं	परियोजनाओं की संख्या	शामिल किए गए जिलों की संख्या
टी० एल० सी	238	258
पी० एल० सी०	57	80

9.2.5 सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का केंद्र बिन्दु अब हिन्दी भाषी क्षेत्र की ओर है जहां अधिकांश निरक्षर जनसंख्या रह रही है जो इस क्षेत्र के वास्तविक विकास में बाधा है। यह महसूस किया जाता है/ आशा की जाती है कि शेष योजना अवधि में कुल साक्षरता अभियान का सतत निवेश, प्रौढ़ साक्षरता की समस्या में प्रमुख बाधा बन सकता है। अभी तक हिन्दी भाषी राज्यों में 80 जिलों को संपूर्ण साक्षरता अभियानों के लिए पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है। स्वीकृत की गई परियोजनाओं के ब्यौरे-संलग्नक 9 में दिए गए हैं।

माहौल तैयार करना- भारत ज्ञान-विज्ञान जत्था-II

9.3.1 किसी भी संपूर्ण साक्षरता अभियान की सफलता के लिए उपयुक्त माहौल सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह निवेश राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की समग्र रणनीति का आवश्यक संघटक है। 1990 के भारत ज्ञान विज्ञान जत्था (बी० जी० वी० जे०) के सकारात्मक अनुभव से मदद मिली। प्रथमतः यद्यपि वी० जी० बी० जे० को प्रमुख जातीय और सांप्रदायिक घटनाओं से सामना करना पड़ा है। फिर भी इससे लोगों के सामने साक्षरता को एक मुद्दे के रूप में रखा। गांवों में उत्पन्न साक्षरता संबंधी कार्यक्रमों की मांग के साथ-साथ हजारों राजनीतिज्ञों, प्रशासकों, शिक्षा शास्त्रियों तथा मीडिया से जुड़े व्यक्तियों की इसमें भागीदारी से साक्षरता राष्ट्र की राजनीतिक कार्यसूची में शामिल हो गई है। भारत ज्ञान-विज्ञान जत्था के कई विरोधी स्वयं सेवी संगठनों, जन विज्ञान आंदोलनों, व्यक्तियों तथा समूहों, मजदूर संघों तथा सेवा संघों, युवाओं और छात्रों तथा महिला आंदोलनों और प्रौढ़ शिक्षा प्रदान करने वाले व्यक्तियों को एकजुट किया है। जत्था के साथ इनकी नेटवर्किंग से पूरे देश में हजारों व्यक्तियों के लिए साक्षरता का यह कार्य व्यक्तिगत तथा सामान्य संगठनात्मक प्राथमिकता बन गई है।

9.3.2 भारत ज्ञान-विज्ञान जत्था का प्रभाव पूरे देश में एक समान नहीं रहा। इसका प्रभाव विशेषतः बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कम रहा। उड़ीसा और मध्य प्रदेश में इसका प्रभाव सीमित रहा। इसका प्रभाव आंदोलनों और राजनैतिक हलचलों से पैदा अशांति के कारण सीमित रहा जब अक्टूबर/ नवम्बर 1990 में जत्थे वहां गये थे।

9.3.3 विशेषतः इन राज्यों में इस अभियान के अनुकूल वातावरण बनाने हेतु एक अन्य प्रयास करने के उद्देश्य से एक भारत ज्ञान विज्ञान जत्था-2, दो अक्टूबर तथा 14 नवम्बर, 1992 के बीच चलाया गया।

9.3.4 भारत ज्ञान- विज्ञान जत्थों ने भी 8 मार्च और 9 अप्रैल, 1993 के बीच एक समता कला जत्था का आयोजन किया। इसमें महिलाओं की शिक्षा और समानता संबंधी विषयों को संबोधित किया गया है। इसका स्पष्ट उद्देश्य महिलाओं और महिला संगठनों को साक्षरता अभियान से लाना और बालिकाओं की शिक्षा संबंधी जरूरत पर प्रकाश डालना है। इसमें उल्लेखनीय बात यह रही है कि करीबन 120 युवतियों तथा युवकों

देश के विभिन्न भागों से महिलाओं के कलाजत्थे ले जाए गए और वे 8 अप्रैल, 1993 को झांसी में परस्पर मिले।

अरुण घोष समितिः

9.4.1 देश के विभिन्न भागों में 1990-91 से चलाए गए पूर्ण साक्षरता अभियानों का स्थिति-एवं प्रभाव मूल्यांकन करने के लिए योजना आयोग के पूर्व सदस्य प्रो० अरुण घोष की अध्यक्षता में अप्रैल, 1993 में एक विशेषज्ञ दल गठित किया गया था। इसके उद्देश्य जिनका अध्ययन के लिए प्रयोगिक रूप में निश्चिय किया गया है, निम्न प्रकार हैः

(क)

1. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के मानदण्डों के अनुसार, साक्षरता के निर्धारित स्तरों के संबंध में अध्ययन कर्ताओं/सहभागियों में साक्षरता अभियानों के परिणाम को मापना।
2. स्त्री-पुरुष, आयु- वर्गों और सामाजिक वर्गो अनुसूचित जातियां/ अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य के आधार पर साक्षर बनाए गए व्यक्तियों की अनुमानित संख्या का विश्लेषण करना।

(ख)

जन साक्षरता अभियानों के माध्यम से वातावरण तैयार करने, जनता की इसके प्रति प्रवृत्त करने संबंधी प्रक्रियाएं और प्रभावकारिता।

(ग) साक्षरता अभियानों में सरकारी निकायों और स्वैच्छिक समूहों की सहभागिता तथा भागेदारी

(घ) शिक्षण / पठन की अवधि के संबंध में विशेष बल के साथ अभियान के कार्यान्वयन की अवधि।

(ङ) अभियान की लागत प्रभावकारिता सहित जन साक्षरता अभियानों के लिए उपलब्ध और जुटाए गए साधन

(च) प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, परिवार कल्याण, जेण्डर संवेदनशीलता, महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय एकता आदि जैसे संबंधित समाजार्थिक कार्यक्रमों पर साक्षरता अभियानों और कमियों के मूल्यांकन का अध्ययन करने के वास्ते।

9.4.2 इस दल द्वारा एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट देने की आशा है।

उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा (पी. एल. एण्ड सी. ई.)

9.5.1 विशाल जनसमूहों को शामिल करके चलाये जाने वाले पूर्ण साक्षरता अभियानों से बड़ी संख्या में नवसाक्षर हुए हैं। ये नव- साक्षर एक ऐसे समूह का निर्माण करते हैं जिसमें साक्षरता और संख्या ज्ञान में विभिन्न स्तर की उपलब्धि वाले लोग हैं। उनकी उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाना है नहीं तो वे पुनः निरक्षरता की कोटि में चले जाएंगे।

9.5.2 मई 1988 में प्रारंभ किए जाने के बाद, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने जन शिक्षण निलयमों (जे० एस० एन० एस०) की स्थापना द्वारा उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा की संस्थागत करने के लिए प्रबंध किए थे। तब से 22,000 से अधिक जन शिक्षण निलयमों को मंजूरी दी जा चुकी है और वे केंद्र आधारित कार्यक्रमों की आवश्यकता के अनुकूल थे। केंद्र आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर जन अभियान दृष्टिकोण पर बल दिए जाने से अधिक गतिशील तंत्र की आवश्यकता महसूस की गई। इस पहलू की जांच करने के लिए गत वर्ष श्री सत्येन मित्रा की अध्यक्षता में उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा पर एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया। इस दल ने एक ऐसे कार्यक्रम की सिफारिश की थी जिसमें कौशलों के उपचार, सांतत्य और अनुप्रयोग की व्यवस्था हो। ये सिफारिशें उत्तर साक्षरता अभियान की कार्यनीति के महत्वपूर्ण तत्व हैं।

स्वैच्छिक एजेंसियां

9.6.1 प्रौढ़ शिक्षा में स्वैच्छिक एजेंसियों के सहायता संबंधी केंद्रीय स्कीम राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत वर्ष 1987-88 में प्रचलन में आई। आरंभ में स्वैच्छिक ऐजेंसियों को केंद्र आधारित पद्धति पर परियोजनाओं के कार्यान्वियन के लिए सहायता की गयी। तदन्तर, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की कार्यसारिणी समिति द्वारा गठित उप-दल द्वारा दी गयी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए स्कीम की पुनरीक्षा की गयी। संशोधित मार्ग दर्शी रूपरेखाएं सभी राज्यों/संघ राज्य प्रशासनों तथा सभी राज्य से खाद्यन केंद्रों को परिचालित की गयी थी।

9.6.2 संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, अब वित्तीय सहायता स्वयंसेवी आधारित पूर्ण साक्षरता अभियानों के कार्यान्वियन के लिए दी जाएगी। मे परियोजनाएं लागत प्रभावी, क्षेत्र विशिष्ट तथा परिणामोन्मुख होंगी। 15-35 आयु वर्ग में प्रौढ़ निरक्षर ही लक्ष्यबद्ध नौसिखिए हैं। केंद्र आधारित पद्धति पर अब कोई परियोजनाएं स्वीकृत नही की जाएंगी। इसमें पूर्णतः स्वयंसेवी तरीका अपनाया जाएगा तथा प्रशिक्षकों तथा स्वयंसेवियों को कोई अदायगी नहीं की जाएगी। सामान्य तौर पर समाज सेवा में तथा विशेष रूप से प्रौढ़ शिक्षा में अच्छे रिकार्ड वाली स्वैच्छिक ऐजेंसियों को वरीयता दी जाएगी।

9.6.3 सम्पूर्ण स्कीम जो अब तक राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वित की गयी है, उसका विकेन्द्रीकरण किया गया है। स्वैच्छिक ऐजेन्सियों का चयन करने, उनका निर्धारण करने, सहायक अनुदान देने, मानिटरिंग करने और मूल्यांकन आदि के उत्तरदायित्व राज्य संसाधन केंद्रों को सौंपा गया है। तथापि, केंद्र सरकार जहां आवश्यक होगा, स्वैच्छिक एजेसियों को विशेष रूप से अखिल भारतीय स्वरूप की स्वैच्छिक एजेसियों को परियोजनाएं संस्वीकृत करना जारी रखेगा। स्वैच्छिक एजेंसियों के प्रस्तावों पर सहायता अनुदान समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

9.6.4 वर्ष 1993-94 के दौरान संस्वीकृत 19 संपूर्ण साक्षरता अभियान परियोजना सहित 71 संपूर्ण साक्षरता अभियान परियोजनाएं 69 स्वैच्छिक एजेंसियों को 14.47 लाख लोगों को साक्षर बनाने के वास्ते स्वीकृत की जा चुकी है। 5 परियोजनाएं असम में, आन्ध्र प्रदेश में एक, बिहार में 5, मध्य प्रदेश में 3, उड़ीसा में 3, पंजाब में एक, राजस्थान में 9, तमिलनाडू में 12, उत्तर प्रदेश में 29, पश्चिम बंगाल में एक तथा नई दिल्ली में 2 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं की परियोजना अवधि एक से तीन वर्ष के बीच होगी।

9.6.5. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, 23 स्वैच्छिक एजेसियों को 30 जन शिक्षण निलयम परियोजनाओं को जारी रखने के लिए आवर्ती अनुदान संस्वीकृत किया गया है। संपूर्ण साक्षरता अभियान परियोजनाओं के नव-साक्षरों को उत्तर साक्षरता सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तर साक्षरता अभियान परियोजनाएं 13 स्वैच्छिक एजेंसियों को संस्वीकृत की गयी है। पिछले तीन वर्षो के दौरान एक स्वैच्छिक एजेंसी "सबला" का प्रकाशन कर रही है जो महिलाओं की समस्याओं पर ध्यान देती है। इस प्रकाशन को हिन्दी भाषी राज्यों में जन शिक्षण निलयमों में परिचालित किया जाता हैं। स्कूली छात्रों को साक्षरता कार्यो में सम्मिलित करने के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को पहले से संस्वीकृत केंद्रीय सैल ने कार्य करना जारी रखा। राज्य संसाधन केंद्रो ने पूरे देश में विस्तृत स्तर पर वातावरण बनाने संबधी कार्यकलापों का आयोजन किया और प्रसिद्ध लेखकों तथा जन संचार माध्यमों को शामिल करने के संबंध में कार्य शालाओं का आयोजन किया।

9.6.6. सभी राज्य संसाधन केंद्रो से यह अनुरोध किया गया कि वे एन० एल० एम० क्रियाकलापों में समाज के विभिन्न वर्गों की सहभागिता के लिए संगोष्ठी,

कार्यशालाओं आदि के आयोजन जैसे नवाचारी परियोजना प्रस्ताओं को लाएं। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को शैक्षिक प्रौद्योगिकी संसाधन सहायता करने के लिए सात संसाधन एकक कार्य कर रहे थे।

9.6.7. वर्ष की 1992-93 के दौरान 1 लाख और उससे अधिक अनुदान प्राप्त करने वाली स्वैच्छिक एजेंसियों की एक सूची संलग्न है।

शैक्षिक और तकीनकी संस्थान सहायता

9.7.1 देश भर में प्रौढ़ शिक्षा को शैक्षिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए इक्कीस राज्य संसाधन केंद्र कार्य करते रहे। उनमें से चौदह स्वैच्छिक क्षेत्र में तीन विश्वविद्यलयों में और चार राज्यों के प्रौढ़ शिक्षा विभागो में कार्य कर रहे हैं।

9.7.2. आई. पी. सी. एल. की तकनीक के आधार पर टी. एल. सी. और पी. एल. सी. के लिए मूल पठन/सामग्री तैयार करके राज्य संसाधन केन्द्रों ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में बहुमूल्य योगदान किया है। इन केन्द्रों ने प्रौढ़ शिक्षा के बहुसंख्यक कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया और मूल्यांकन ताकि नवाचारी परियोजनाएं प्रारंभ करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए। राज्य संसाधन केन्द्रों से अनुरोध किया गया कि वे लेखकों व जनसंचार माध्यमों से जुड़े व्यक्तियों की कार्यशालाओं के आयोजन द्वारा व्यापक स्तरर पर वातावरण के निर्माण का कार्य आंरभ करें।

9.7.3 अधिकाशं राज्य संसाधन केन्द्र योजना स्तर से अंतिम चरण तक प्रशिक्षण और विकास और उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा के लिए सामग्री की आपूर्ति के लिए पूर्ण साक्षरता अभियानों से सक्रिय रूप से संयुक्त रहे हैं। इसी प्रकार राज्य संसाधन केन्द्र स्वैच्छिक एजेंसियां, नेहरु युवक केन्द्रों, शैक्षिक संस्थाओं आदि द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को ऐसी सहायता देते हैं।

ग्रामीण कार्यसाधक साक्षरता परियोजनाएं

9.8.1 ग्रामीण कार्यसाधक साक्षरता परियोजना एक पुरानी स्कीम है जो 2 अक्तूबर,1978 को राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने के साथ ही शुरू हुई थी। यह एक केन्द्र आधारित कार्यक्रम रहा है। मूल्यांकन अध्ययनों के निष्कर्षो और सिफारिशों तथा आंतरिक मूल्यांकन के आधार परर स्कीम को पुनर्गठन किया गया तथा अनेक संरचनात्मक परिवर्तन लाए गए। पूर्ण साक्षरता अभियानों की सफलता को देखते हुए प्रायः सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आर.एफ. एल. पी. को बन्द कर दिया गया है। अब इन परियोजनाओं को केवल जम्मू और काश्मीर तथा पूर्वोतर राज्यों राजस्थान के सीमावर्ती जिलों तथा कठिन तराइयों, स्थलों, पहाड़ी क्षेत्रों तथा अलग-थलग क्षेत्रों में जारी रखने का प्रस्ताव है।

श्रमिक विद्यापीठ, (एस. वी. पी.)

9.9.1 वर्ष 1992-93 के दौरान सैंतीस श्रमिक विद्यापीठ देश के विभिन्न औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों में कार्य करते रहे। विद्यापीठ अनौपचारिक, प्रौढ़ और सतत शिक्षा देने के संस्थागत ढांचे और औद्योगिक श्रमिकों, उनके परिवार के सदस्यों, स्वरोजगार प्राप्त सदस्यों और अग्रदर्शी कार्यकर्ताओं आदि के बहुसंयोजक प्रशिक्षक कार्यक्रम को प्रतिबिम्बित करता है। इनमें से 1 श्रमिक विद्यापीठ दिल्ली में केन्द्र सरकार द्वारा 3 श्रमिक विद्यापीठ विश्वविद्यालयों द्वारा 25 स्वायत्त निकायों द्वारा और शेष 8 राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे हैं।

9.9.2 प्रत्येक श्रमिक विद्यापीठ के पास एक निदेश के नियंत्रण में व्यावसायिक स्टाफ का केन्द्र होता है, निदेशक की सहायता दो या तीन पूर्णकालिक कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक श्रमिक विद्यापीठ अंशकालिक आधार पर स्थानीय साधन संपन्न व्यक्तियों की भी सेवाएं लेता है ताकि विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम आयोजित किए जा सकें या

भी कार्यक्रम को आयोजित करने के पूर्व अथवा किसी भी पाठ्यक्रम को शुरू करने के पूर्व, श्रमिक विद्यापीठों द्वारा कार्यकलापों के संचालन के लिए सामाजिक आर्थिक रूपरेखा और कार्ययोजना अभिकल्पित की जाती है। ऐसी रूपरेखाओं से अनुयायी गण की जनशक्ति की जरूरतों एवं जुटाए जाने योग्य संसाधनों की समुचित समझ प्राप्त करने में मदद मिलती है। श्रमिक विद्यापीठ के कार्यक्रमों से शहरी, अर्द्ध-शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में रह रहे समाज के विभिन्न भागों जैसे निरक्षर, अर्द्ध-साक्षर, कुशल, अर्द्ध-कुशल एवं अकुशल व्यक्तियों को मदद मिली है, इस लाभान्वित श्रेणी में अन्यों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों/जन जातियों, विकलांग एवं शाररिक रूप से विकलांग, आपदावस्था में महिलाओं जैसे कमजोर वर्ग शामिल हैं।

9.9.3 महिलाओं और लड़कियों के लिए यूनीसेफ की मदद से साक्षरता से जुडे हुए व्यावसायिक कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए चुने गए 8 श्रमिक विद्यापीठों ने कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब सभी श्रमिक विद्यापीठों द्वारा बडे पैमाने पर प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम आरम्भ किए जा चुके हैं। 24 श्रमिक विद्यापीठों के लिए राष्ट्रीय खुला विद्यालय से प्रत्यायन प्राप्त कर लिया गया है, इस प्रकार इनके द्वारा जारी किए गये प्रमाण पत्र रोजगार बाजार में और आधिक स्वीकार्य हो चुके हैं।

9.9.4 श्रमिक विद्यापीठ, दिल्ली द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण (मलिन बस्ती स्कंद) के सहयोग से प्रारंभ की गयी "मलिन बस्ती शिक्षा एवं प्रशिक्षण परियोजना" (म०शि०प्र०) को जारी रखा गया है। टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान द्वारा यूनीसेफ की मदद से श्रमिक विद्यापीठों का "तत्पर मूल्यांकन" किया गया है।

प्रशासनिक ढांचे का सुदृढ़ीकरण

9.10.1 प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रशासनिक ढांचे का सृजन करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को 100 प्र०श० केन्द्रीय अनुदान(स्टाफ-दायित्व पर) प्रदान किया जाना है। केन्द्रीय अनुदान में संस्वीकृत स्टाफ की परिलब्धियों पर होने वाला संपूर्ण व्यय शामिल है, जबकि पी. ओ. एल., चिकित्सा/यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति जैसे मदों पर होने वाला व्यय राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को चार श्रेणियों अर्थात क, ख, ग, एवं घ में विभाजित किया गया है और राजय स्तरीय प्रशासनिक ढांचे के आकार को तदनुसार प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के आधार पर नियत किया गया है। जिला स्तरीय ढांचा, जिले में आरंभ किए गए प्रौढ़ शिक्षा कार्यकलापों के आकार एवं जटिलता के अनुरूप तय किया जाता है। जिलों में कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रम के आकार के अनुसार जिलों को "क" एवं "ख" श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

9.10.2 यह निर्णय लिया गया है कि यह योजना केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में जारी रहेगी। तथापि, पूर्ण साक्षरता अभियानों के सम्बन्ध में, राज्य निदेशालयों में स्टाफ कम करने के लिए मानदण्ड निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है और जिले द्वारा पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर लेने के दो वर्ष पश्चात् जिले स्तर पर उपलब्ध स्टाफ के लिए कोई केन्द्रीय सहायता नहीं प्रदान की जाएगी।

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय

9.11.1 शिक्षा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय (प्रौ०शि०नि०) ने प्रौढ़ शिक्षा एवं पूर्ण साक्षरता अभियान के क्षेत्र में राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करना जारी रखा। निदेशालय के पास निर्धारित व्यावसायिक एवं प्रशासनिक कार्यो के लिए 6 एकक हैं। वर्ष के दौरान निदेशालय की कार्य-योजना में शामिल किए गए मुख्य कार्यकलाप निम्न प्रकार थे:-

सामग्री की तैयारी एवं निगरानी

9.11.2 निदेशालय ने आई०पी०सी०एल० (इम्प्रूव्ड पेस एण्ड कंटेन्ट आफ लर्निंग) पुनरीक्षा समिति की 8 **बैठकें आयोजित की ताकि राज्य संसाधन केन्द्रों और पूर्ण साक्षरता अभियान के जिलों द्वारा विकसित की गयी सामग्री की समीक्षा की जा सके। समिति ने बुनियादी और उत्तर साक्षरता कार्यक्रमों के लिए सामग्रियां तैयार करने हेतु दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है।**

9.11.3 निम्नलिखित कार्य करने हेतु तीन राष्ट्रीय कार्यशालाएं चंड़ीगढ़, इन्दौर और लखनऊ में आयोजित की गई थीं:-

(क) उत्तर-साक्षरता के लिए दिशा निर्देशों की पुनरीक्षा।

(ख) नव- साक्षरों हेतु साम्प्रदायिक सद्भावना पर सामग्रियां तैयार करना।

(ग) क्रमशः अन्य पिछड़े वर्गो से सम्बद्ध नव-साक्षरों हेतु सामग्रियां तैयार करना।

9.11.4 राजस्थान, जम्मू व काश्मीर, दादरा व नगर हवेली के दुर्गम क्षेत्रों तथा सभी उत्तरी पूर्वी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को शमिल करके 3 से 5 नवम्बर, 1993 के दौरान एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य आर.पी.एल.पी. की संशोधित पद्धति के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करना तथा आई.पी.सी.एल. सामग्रियां तैयार करना था। प्रशिक्षण संशोधित आर.पी.एल.पी. के अनुसार परियोजना प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्रदान किया गया था। उत्तरी-पूर्वी राज्यों की भिन्न भिन्न भाषाओं में आई. पी. सी.एल. सामग्रियां तैयार करने हेतु एक आयोजना विकसित की गई थी।

9.11.5 नव-साक्षरों हेतु प्रोटो टाईप सामग्रियां विकसित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बैठक आयोजित की गई थी। राज्य संसाधन केन्द्रों के लिए क्रियाकलाप तैयार किए गये थे।

9.11.6 पूर्ण साक्षरता अभियानों/पी.एल.सी. के कार्य निष्पादन तथा क्रमशः उनकी वित्तीय एवं प्रशासनिक समस्याओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने हेतु सभी राज्य संसाधन केन्द्रों के निदेशकों की राष्ट्रीय स्तर की बैठक नीपा में आयोजित की गई थी। उनके द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण की कोटि तथा पठन-पाठन सामग्रियों व संचार माध्यम सहायता को सुदृढ़ करने हेतु बल दिया गया था। सभी राज्य संसाधन केन्द्र इस प्रयोजनार्थ लेखक एवं संचार माध्यम कार्यशाला का आयोजन करेंगे। सहभागी दृष्टिकोण से राज्य संसाधन केन्द्रों का मूल्यांकन भी आरम्भ किया जाएगा। उसके लिए अनुश्रवण विभिन्न राज्य संसाधन केन्द्रों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर किया गया।

प्रशिक्षण

9.11.7 देश में पूर्ण साक्षरता अभियानों संबंधी महत्वपूर्ण स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राज्य संसाधन केन्द्रों तथा पूर्ण साक्षरता अभियान वाले जिलों के प्रयोग हेतु एक कार्यशला में प्रशिक्षण डिजाईन भी विकसित किया गया था ताकि इससे प्रशिक्षण की विष्य-वस्तु, अवधि, आमंत्रित किए जाने वाले संसाधन व्यक्तियों के प्रकार, प्रशिक्षण ओयोजित करने हेतु कार्यनीति आदि के लिए दिशनिर्देश देने में मदद प्रदान की जा सके। ये दिशानिर्देश वितरण हेतु मुद्रणाधीन हैं।

9.11.8 प्रशिक्षण मापांक विकसित करने का कार्य प्रगति पर है। इस प्रयोजनार्थ दिल्ली में आयोजना बैठक का आयोजन किया गया था। इनको कार्यशालाओं में जांच के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।

9.11.9 प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं बोध गया, लखनऊ, मदुरई, भुवनेश्वर, अहमदाबाद और हैदराबाद में

आयोजित की गई थीं जिसमें शामिल 5 राज्यों के लगभग 400 प्रतिभागियों को शामिल किया गया था। प्रशिक्षण में शामिल संघटक आई.पी.सी.एल. सामग्रियो एम.आई.एस., मूल्यांकन, वातावरण निर्माण, कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण आदि के प्रयोग के लिए हैं।

9.11.10 जिला संसाधन एकक के कार्यकर्ताओं के लिए दो कार्यक्रम उत्तर और दक्षिण क्षेत्रों में आयोजित किए गए थे। स्वैच्छिक संगठनों के लिए दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

प्रबंध सूचना प्रणाली

9.11.11 प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय को देश में पूर्ण साक्षरता अभियान और उत्तर-साक्षरता कार्यक्रमों की मानिटरिंग का दायित्व सौंपा गया। पूर्ण रूप से भाग लेने वाले जिलों की संख्या लगभग 246 है। पूर्ण साक्षरता अभियान की संकलित कम्पयूटरीकृत, तैयार स्थिति रिर्पोटे हरेक मास में मिल रही हैं और प्रत्येक माह राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और जिलों को भी अनुवर्ती कार्रवाई हेतु वितरित की जा रही है। औसत स्तर का कार्य निष्पादन करने वाले जिलों का उनकी कमियां दर्शाते हुए तथा कार्य-निष्पादन के सुधार हेतु सुझावों के लिए समय-समय पर लिखा जा रहा है। धीमी प्रगति वाले जिलों के लिए अत्याधिक उच्च स्तर पर विभिन्न राज्य सरकारों को लिख कर सक्रिय बनाया जा रहा है ताकि जिला स्तीय पूर्ण साक्षरता अभियान/पी.एल.सी. तंत्र को प्रभावित किया जा सके।

9.11.12 निदेशालय ऐसे निम्न कार्य-निष्पादन वाले पूर्ण साक्षरता अभियान/पी.एल.सी. जिलों में अधिकारियों के दौरे नियमित रूप से आयोजित करता है जिनका साक्षरता उपलब्धि स्तर 20 प्रतिशत से कम है तथा निदेशालय में पुनरीक्षा करता है ताकि संबंधित जिलों को उपचारी उपायों से सम्बद्ध बिंदु प्रदान किए जा सकें। अतः पूर्ण साक्षरता अभियान/पी.एल.सी. से संबधित कार्य निष्पादन मूल्यांकन नियमित रूप से होता है।

9.11.13 पूर्ण साक्षरता अभियान वाले जिलों में बाहरी मूल्यांकन का अनुश्रवण समय-समय पर किया जाता है ताकि दल वहां जा सकें और नियमित रूप से बाहरी मूल्यांकन करे साक्षरता उपलब्धि स्तर का मूल्यांकन कर सकें। प्रत्येक जिले के आंतरिक मूल्यांकन के परिणामों के साथ तुलना की जाती है ताकि साक्षरता संबंधी मानदण्डों को प्राप्त करने में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के स्तरमानों को बनाए रखा जा सके।

मीडिया एवं संचार सहयोग

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के मीडिया अभियान के भाग के रूप में दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल के मुख्य स्लाटों पर स्थान (70 सेकेण्ड और 50 सेकेण्ड) आरक्षित किए गए थे। उच्च दर्शकों वाले कार्यक्रम जैसे देख भाई देख, श्रीकृष्ण, जुनून, फीचर फिल्मों के लिए मैट्रो चैनल में 2 महीनों के लिए अर्थात् फरवरी और मार्च,1994 के लिए स्थान रखा जाएगा। 8 विभिन्न विषयों अर्थात (1) सामूहिक विचार विमर्श आयोजित करना) 20 पढ़ने को मार्गदर्शन किस प्रकार करें? (3) सामाजिक विषयों की चर्चा किस प्रकार करें? (4) स्वास्थ्य विषयों की चर्चा किस प्रकार करें? (5) विकास योजनाओं और जिला आयोजना प्रक्रिया के बारे में नवसाक्षरों को कैसे अवगत कराएं? (6) अपने पर्यावरण, इतिहास और संस्कृति के बारे में कैसे जाने? (7) ग्राम शिक्षा समिति का गठन कैसे करें, में उत्तर साक्षरता फिल्में 7 भाषाओं (हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलगु, कन्नड़ और बंगाली) में बनाई जा चुकी है।

* अक्षर धारा के नाम से पूर्ण साक्षरता अभियान, लातूर और एक नगमा के नाम से पूर्ण साक्षरता अभियान वीडियो प्रलेखन तैयार किए गए।
* कान्ति कन्नड़ (3 भागों वाला) के नाम से तेलुगु में पठन की उन्नत गति तथा विषय वस्तु पर एक प्रशिक्षण फिल्म तैयार की गई।

* कान्ति कन्नड़ (3 भागों वाला) के नाम से तेलुगु में पठन की उन्नत गति तथा विषय वस्तु पर एक प्रशिक्षण फिल्म तैयार की गई।

* पूर्ण साक्षरता अभियान, लातूर पर एक वीडियो प्रलेखन अक्षर धारा के अतिरिक्त मराठी में 7 भागों वाली एक वीडियो फिल्म यात्रा बम्बई दूरदर्शन से प्रसारित की गई है।

* उड़िया में 10 भागों वाली एक प्रेरक फिल्म अमा कथा अमा कहानी, दूरदर्शन केन्द्र कटक से प्रसारित की गई है। यह फिल्म, क्षेत्र के बहुत से लोगों के अनुरोध पर पुनः दिखाई गई है।

* आई. एल.ओ. समारोह, 1993 के भाग के रूप में राष्ट्रीय नेटवर्क पर यू.सा.अ., भावनगर द्वारा एक वीडियो प्रलेखन एक और नगमा प्रसारित किया गया था।

* 8 सितम्बर ,1993 को अंतराष्ट्रीय साक्षरता दिवस समारोह के भाग के रूप में साक्षरता के महत्वों पर एम.के.रैना ग्रुप तथ्य नाटिका, ज्ञान का मंदिर और दादी डी पदुभजी द्वारा आयोजित किए गए एक पुतली नाच "लैण्ड आफ थम्स" विशेष रूप से आयोजित किए गए हैं। इन दोनों कार्यक्रमों को भारत के राष्ट्रपति और 2500 से अधिक आमंत्रित दर्शकों सहित गण्य-मान्य व्यक्तियों ने देखा।

* अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस समारोहों के भागों के रूप में प्रदर्शनियों आयोजित की गई थीं। कार्यक्रम में साक्षरता मिशन की सफलता और महिलाओं की सहभागिता को चित्रित करने के लिए जवाहर लाल नेहरू जन्मदिवस समारोहों और सभी के लिए शिक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए। देश के विभिन्न भागों से नुक्कड़ नाटकों का एक संकलन, संकलित मुद्रित और व्यापक रूप से परिचारित किया गया है।

* राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को सहायता देने के भाग के रूप में लोक कलाओं के क्षेत्र में और अधिक लेखकों को शामिल करने के प्रयास किए गए और विभिन्न राज्यों की अभिनय कलाओं से लोगों के दलों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम शुरू किए गए।

* नई दिल्ली में आयोजित सभी के लिए शिक्षा संबंधी प्रतिष्ठित शिखर सम्मेलन को विडियो फारमेट में बनाया गया है।

* एक जनजातीय लड़की, चुन्नी कोतल जीवन पर एक प्रेरणाप्रद वीडियो फिल्म तैयार की गई है। जोकि अपने समुदाय की प्रथम महिला स्नातक थी।

* वीडियो कार्यक्रमों की लगभग 100 प्रतियां तैयार की गई हैं और पू.सा.अ. के संग्रह को, राजय संसाधन केन्द्रों, श्रमिक विद्यापीठों और प्रौढ़ शिक्षा के राज्य निदेशालयों को वितरित किए गए।

* सभी के लिए शिक्षा शिखर सम्मेलन के भाग के रूप में फिल्मों के प्रसारण और रेडियो कार्यक्रमों को सुकर बनाया गया।

राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं

9.11.14 साक्षरता में कार्य निष्पादन को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु निदेशालय ने राष्ट्रीय स्तर पुरस्कार प्रतियोगिताएं आयोजित करना जारी रखा। फोटोग्राफों को विकसित करने निबंधो, आदि के लिए खुली प्रतियोगिताएं प्रोत्साहित की जा रही है। इसके लिए व्यावसायिकों और अत्यावसायी कलाकारों के लिए साम्प्रदायिक सदभाव के लिए साक्षरता के विषप पर और

जबाब के रूप में इस क्षेत्र में लगभग 700 प्रविष्टियां प्राप्त हुई। इसी प्रकार "साक्षता और विकास" के विषय पर राष्ट्रीय छाया चित्र प्रतियोगिता आयोजित की गई है। छात्र समुदाय के संबंध में विषय या बेहतर सामुदायिक जीवन के लिए. साक्षरता/लगभग 300 प्रविष्टियां प्राप्त हुई। राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता के संबंध में इसी प्रकार के विषय सुझाए गए थे और विभिन्न स्तरों की प्रतियोगिताओं के लिए 15,000 छात्रों और 800 शिक्षकों से उत्तर प्राप्त हुए। अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

प्रकाशन

9.11.15 निदेशालय "साक्षरता मिशन" नामक एक द्विभाषिक मासिक पत्रिका सहित विभिन्न प्रकार की सामग्री के प्रकाशन एवं प्रचार प्रसार का कार्य करता है। डी.टी.पी. की कंपोजिंग, कला कृति, मानचित्रो, चार्टो आदि की तैयारी, जिल्दसाजी व लैमिनेशन से सम्बन्धित कार्य के लिए निदेशालय द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती है।

9.11.16 भारत के माननीय राष्ट्रपति, डा० शंकर दयाल शर्मा द्वारा 8 सितम्बर,1993 को अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस समारोह के अवसर पर पांच प्रकाशनों का विमोचन किया गया। विमोचित प्रकाशनों के नाम नीचे दिए गए हैं:-

* कामराजार जिला, अरिवोलियाक्कम साक्षरता के लिए एक जन-आन्दो लन
* उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिला में सुन्दरगढ़, सम्पूर्ण साक्षरता अभियान।
* साक्षरता के लिए सांख्यिकी आंकड़ा आधार, खण्ड II
* पूर्ण साक्षररता अभियान समीक्षा रिपोर्ट खण्ड।
* नुक्कड़ पार

9.11.17 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को बढ़ावा देने के लिए पू०सा०अ० वाले जिलों के सम्बंध में प्रथम बार प्रलेखन का मुद्रण किया गया। और अधिक पू०सा०अ० वाले जिलों को शामिल करने हेतु इस प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा।

9.11.18 नई दिल्ली में विश्व के नौ जनसंख्या बहुल देशों के लिए आयोजित सभी के लिए शिक्षा शिखर सम्मेलन में प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय ने भाग लिया। मुद्रित तथा वितरित प्रकाशन इस प्रकार हैं:-

* सभी के लिए शिक्षा पुस्तिका
* सभी के लिए शिक्षा सचित्र फोल्डर
* चिकार की कहानी
* राष्ट्रीय साक्षरता मिशन सबका मिशन

9.11.19 विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की सहायता से विज्ञापन अभियान के जरिए मुद्रण माध्यम से साक्षता की प्रोन्नति की बढ़ावा देने का कार्य आरम्भ किया गया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन से संबधित सूचना पर एक लघु पुस्तिका राष्ट्रीय साक्षरता मिशन सभी के लिए शिक्षा प्रकाशित की गई थी। शिक्षा/साक्षरता के जरिए महिलाओं को अधिकार देना मुद्रित, की जा रही है।

9.11.20 हिंदी भाषी राज्यों के कार्यवाहकों/नौसिखियों की सहायता हेतु निम्नलिखित प्रकाशनों का हिंदी रूपान्तर मुद्रित किया जा रहा है:-

* आई. पी. सी. एल. पुस्तिका
* साक्षरता के लिए सांख्यिकीय डेटाबेस 1991 खण्ड।
* सम्पूर्ण साक्षता अभियान की मार्गदर्शी रूपरेखाएं
* कामराजार प्रलेखन

* सुंदरगढ़ प्रलेखन
* प्रौढ शिक्षा की शब्दावली -साक्षरता की दिशा में लम्बी यात्रा
* सभी के लिए साक्षरता

9.11.21 पुरस्कार विजेता फोटुओं, इश्तहारों और निबंधों के मुद्रण और प्रशिक्षण के प्रयोगार्थ पुस्तिकाओं की एक श्रृंखला मुद्रण शुरू किया जा रहा है।

जनसंख्या शिक्षा

9.12.1 यू. एन. एफ. पी. ए. द्वारा वित्तपोषित प्रौढ़ शिक्षा की जनसंख्या शिक्षा परियोजना, प्रौढ़ शिक्षा के अभिन्न अंग के रुप में 1987 के दौरान चालू की गई उसको तकनीकी समर्थन प्रौ०शि०नि० द्वारा 15 रा०सं० केन्द्रों के सहयोग से प्रदान किया गया। इस परियोजना का प्रथम चरण दिसम्बर 1993 में पूरा हुआ और इसके जनवरी,1994 से की संभावना है। समन्वय कार्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। जनसंख्या शिक्षा की धारणा व कार्यक्षेत्र को स्पष्ट करना, पाठ्यचर्या की तैयारी, अध्ययन-अध्यापन सामग्री का विकास, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, प्रौढ़ शिक्षा के चल रहे कार्यक्रमों में जनसंख्या शिक्षा के संघटक को संस्थागत करना इसके मुख्य उद्देश्य थे। इसमें अभी तक 15 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल किए गए।

9.12.2 शिलांग में 5 दिवसों की अवधि के लिए एक परियोजना प्रगति समीक्षा बैठक आयोजित की गई जिसमें जनसंख्या शिक्षा सेलों के कार्य निष्पादन की पुनरीक्षा की गई थी। शेष अवधि की कार्रवाई योजना दिसम्बर, 1993 के बाद विकसित की गई थी। एन०ई०एच०यू०, शिलांग का परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। माध्यम (मीडिया) सामग्रियों पर एक तालिका तैयार की जा रही है। जनसंख्या शिक्षा पर एक संसाधन पुस्तक मुद्रणाधीन है।

9.12.3 शिक्षण/ अध्ययन सामग्रियों में दिए गए जनसंख्या शिक्षा संदेशों पर बल दिया जा रहा है। ये हैं छोटे परिवार के प्रतिमान, उत्तरदायी अभिभावकत्व-विवाह के लिए उपयुक्त आयु, जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण, जनसंख्या शिक्षा और विकास, विश्वास और परम्पाएं, नशीले पदार्थों के वशीभूत हो जाना, एड्स, एस. टी. डी. महिलाओं के अधिकार इत्यादि। एस०आर०सी० प्रौढ़ नौसिखियों की आवश्यकता से मेल खाने स्लाइड शिक्षण चार्ट, श्रृव्य/दृश्य वाले कैसेट, इत्यादि जैसे साफ्टवेयर विकसित किए हैं।

9.12.4 पूर्ण साक्षरता अभियान वाले दो जिलों अर्थात भावनगर (गुजरात) और गंजम (उड़ीसा) ने पू.सा.अ. के साथ जनसंख्या शिक्षा के समकेन से संबंधित अन्वेषणात्मक अध्ययनों को आयोजित करने हेतु प्रयोत्मक परियोजना शुरु की है।

राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षा संस्थान

9.12.5 शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (रा०प्रौ०शि०स०) की स्थापना जनवरी,1991 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा संस्थान केन्द्र के रूप में कार्य करना तथा देश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए शैक्षिक तकनीकी तथा संसाधन सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान संकाय द्वारा अनुसंधान तथा प्रयोग के बीच दोहरा संबंध स्थापित करने के लिए विभिन्न कार्यकलापों के माध्यम से प्रयास करता हैं ताकि प्रौढ़ शिक्षा के ज्ञानाधार में सुधार हो सके। इस संबंध में कार्यक्रम सलाहकार समिति की एक बैठक सितम्बर, 1993 में बुलाई गई थी जिससे राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संकाय द्वारा प्रस्तावित अनुसंधान कार्यकलापों की समीक्षा की जा सके। वर्ष के दौरान इसने भी अपने कार्यकलाप जारी रखे और स्त्री-पुरुष समानता, कार्यक्रम मूल्यांकन, उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा तथा संचार और प्रौढ़ शिक्षा

के सम्बंध में विभिन्न परियोजनाएं शुरू कीं। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान का विचार संचार तथा प्रौढ़ शिक्षा के बारे में सार्क का एक सेमिनार आयोजित करने का है जिसके उद्देश्य निम्नलिखत होंगेः-

(क) विशेषतः प्रेरणा, प्रशिक्षण और शिक्षण के लिए प्रौढ़ शिक्षा में लोक, मुद्रण तथा इलेक्ट्रोनिक माध्यम के प्रयोग के संबंध में देशों के अनुभव की सहभागिता,

(ख) विशेषतः वंचित समूहों की स्टीरियो टाइपिंग और पोट्रियल के सम्बंध में संचार तथा संस्कृति

(ग) प्रशिक्षण तथा सामग्रियों के वितरण के नेटवर्किंग और सहायता के लिए विधि का सुझाव देना '

हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स० सा० अ० के अंतर्गत शामिल जिलों की सूची

राज्य /जिला	कवरेज (लाखो में)		आयु ग्रुप
बिहार (11 जिले)			
1. मधेपुरा (प्रथम चरण)	2.85		9-35
2. सहरसा	4.22		9-35
3. मधुबनी (प्रथम चरण)	2.70		9-40
4. सिवान	-	तदर्थ	-
5. भोजपुर	4.42		9-35
6. दुमका (प्रथम चरण)	-	तदर्थ	-
7. जमुई	-	तदर्थ	-
8. खगड़िया	2.60		9-35
9. मुंगेर	3.50		9-35
10. औरंगाबाद	3.30		9-35
11. धनबाद	5.00		15-35
दिल्ली (1 जिला)			
13. अम्बेडकर नगर	0.61		9-45
दिल्ली में 6-गंदी बस्तियां	1.05		15-35
चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र (1 जिला)			
13. चंडीगढ	0.52		6-35
हरियाणा (7 जिले)			
14. पानीपत	2.00		15-45
15. यमुना नगर	1.50		9-45
16. भिवानी	2.00		15-45
17. जींद	2.65		15-45
18. रोहतक	3.60		9-44
19. अम्बाला	1.52		15-45
20. सिरसा	2.00		15-45
मध्यप्रदेश (25 जिले)			
21. दुर्ग .	6.00		15-45
22. नरसिंहपुर	1.07		15-35
23. इन्दौर	3.55		15-35
24. रायपुर	5.85		15-45
25. बिलासपुर (प्रथम चरण)	7.33		15-45
26. रतलाम	3.00		15-45
27. बेतुल	0.50		15-45
28. रायगढ़	5.30		15-45
29. उज्जैन	0.50		15-45
30. छत्तरपुर	3.35		15-45
31. दातिया	1.25		15-35
32. राजनंदागांव	0.50		15-35
33. पटना	-	तदर्थ	-
34. भिंड	0.90		15-45
35. ग्वालियर	2.00		15-35
36. देवास	1.78		15-35
37. छिंदवाड़ा	-	तदर्थ	-
38. रीवा	-	तदर्थ	-

39. रायसीन	1.95	15-45
40. झाबुआ	0.46	9-45
41. पन्ना	1.32	15-45
42. शहजानपुर	1.85	15-35
43. सिंधी	- तदर्थ	-
44. खंडवा	2.36	15-35
45. विदिशा	1.25	15-35
राजस्थान (7 जिले)		
46. डुंगरपुर	4.00	9-40
47. भरतपुर	4.00	9-35
48. सीकर	3.75	9-40
49. अजमेर	राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई	
50. पाली	3.43	9-35
51. टोंक	3.00	15-40
52. बरन	3.00	15-35
उत्तर प्रदेश (28 जिले)		
53. फतेहपुर	5.00	6-45
54. मेरठ	- तदर्थ	
55. चमोली	1.50	9-45
56. देहरादून	1.45	15-35
57. अल्मोड़ा	2.20	15-35
58. आगरा	5.55	9-40
59. गाजियाबाद	1.01	15-40
60. मुरादाबाद	4.57	9-45
61. बिजनौर	4.22	15-35
62. बरेली	2.00	15-35
63. कानपुर देहात	1.43	10-45
64. फैजाबाद	- तदर्थ	-
65. मऊ	- तदर्थ	-
66. आजमगढ़	- तदर्थ	-
67. जौनपुर (चरण- 1)	- तदर्थ	-
68. फरुखाबाद	4.90	10-40
69. जालौन	- तदर्थ	-
70. बहराइच	5.15	15-35
71. ललितपुर	1.73	10-35
72. लखीमपुर	7.42	9-35
73. प्रतापगढ़	3.84	15-35
74. देवरिया	7.50	15-35
75. मिर्जापुर	1.40	15-35
76. सुलतानपुर	4.20	15-35
77. गाजीपुर	4.74	15-35
78. पिथोरागढ़	1.10	9-45
79. टिहरी गढ़वाल	1.13	9-35
80. उत्तर काशी	0.48	9-35

संघ शासित क्षेत्रों में शिक्षा

10

संघ शासित प्रदेशों में शिक्षा

अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह

10.1.1 संघ शासित प्रदेशों में विभिन्न स्तरों पर कार्यरत शैक्षिक संस्थाएं निम्नलिखित हैं:-

क्रम सं.	संस्थान 1992-93	सं.	सरकारी	सहायता प्राप्त	निजी
1.	पूर्व प्राइमरी	23	4	–	19
2.	प्राइमरी	190	183	–	7
3.	मिडिल	44	43	01	–
4.	सेकेंडरी	26	24	–	2
5.	सीनियर सेकेंडरी	41	40	01	-
6.	पॉलिटेकनिक	02	02		
7.	कालेज	03	03 (जिनमें से एक बी. एड. कालेज है)		

प्रोत्साहन योजनाएं

(1) कक्षा 8 तक सभी बच्चों को मध्यान्ह भोजन।

(2) बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाती हैं।

(3) बच्चों को निःशुल्क वर्दियां प्रदान की जाती हैं।

(4) छात्रों को सह्य दरों पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(5) उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति/मिस व्यय प्रदान किया गया।

प्रौढ़शिक्षा

10.1.2 प्रशासन द्वारा प्रौढ़ शिक्षा को अधिक प्राथमिकता दी गई है जिसका मुख्य लक्ष्य प्रेरित करने, पता लगाने तथा शिक्षुओं को एन० पी० एफ० एल० कार्यक्रमों में शामिल करना है। इस कार्यक्रम को द्वीप समूह के स्कूलों तथा कालेजों को लगभग 2000 स्वयंसेवक चला रहे हैं।

10.1.3 इसके अलावा, द्वीप समूह में उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा के लिए जन शिक्षण निलयम कार्य कर रहे हैं।

अनौपचारिक शिक्षा

10.1.4. 6-11 आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले तथा स्कूल छोड़ जाने वाले बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनौपचारिक शिक्षा केंद्र कार्य कर रहे हैं।

व्यावसायिक शिक्षा

10.1.5 व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र के 4 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में मत्स्य पालन, कार्यालय प्रबंध तथा सचिवालय कार्य, बागवानी तथा कृषि में पाठ्यक्रम भी पढ़ाए जाते हैं।

विज्ञान शिक्षा

	राशि लाख रुपये में	लाभ प्राप्तकर्त्ताओं की संख्या
1. छात्रओं के लिए उपस्थिति छात्रवृत्ति	3,65	2700
2. अ० जा०/ अ० ज० जा० के छात्रों को छात्रवृत्ति	6.25	200
3. अ० जा० के लिए प्रतिभाशाली छात्रवृत्ति	0.09	9
4. अ० जा० के विद्यार्थियों को विशेष शिक्षण	3.55	4000
5. अ० ज० के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें	7.11	16300
6. अ० ज० औ र अ० ज० को निःशु ल्क लेखन-सामग्री और यूनीफार्म	24.40	1630

10.1.6 विज्ञान शिक्षा के अंतर्गत, विभिन्न स्कूलों में सेमिनार, प्रदर्शनियां तथा कार्यशालएं नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद् के सहयोग से विज्ञान तथा गणित में गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

तकनीकी शिक्षा

10.1.7 वहां दो पॉलिटेकनिक है जो छात्रों को वैद्युत, मेकैनिकल, सिविल, इलैक्ट्रानिकी होटल प्रबंध के क्षेत्रों में छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहें हैं। पालिटेक्निको के साथ-साथ एक औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान भी तकनीकी शिक्षा की जरूरतों को पूरा कर रहा है।

उच्चतर शिक्षा

10.1.8 द्वीप समूह में उच्चतर शिक्षा संघ शासित प्रदेश के प्रत्येक जिले में स्थापित दो कालेजों द्वारा प्रदान की जा रही है।

10.1.9 उच्चतर शिक्षा इस द्वीप समूह के दो महाविद्यालयों में प्रदान की जा रही है और पोर्टब्लेयर स्थित महाविद्यालय में कुछ विषयों में शोध पर भी सुविधा उपलब्ध है।

चंडीगढ़

10.2.1 चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में 100% के दाखिले के लक्ष्य को बनाए रखने के लिए बच्चों के दाखिले को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। अतः चालू वर्ष के दौरान राजकीय स्कूलों के नामांकन में 6706 छात्राओं की वृद्धि हुई है। इस लक्ष्य की

प्रप्ति के लिए प्रत्येक निवास क्षेत्र के लिए कि.मी. की पैदल दूरी पर एक विद्यालय उपलब्ध करया गया है। दाखिले और उपस्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए गए हैं।

10.2.2 सरकारी स्कूलों के कक्षा I से V की कक्षाओं के विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन प्रदान करने के लिए वर्ष के दौरान 45 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

स्कूली शिक्षा

10.2.3 वर्ष 1993-94 के दौरान दो उच्च विद्यालयों, दो माध्यमिक विद्यालयों और दो प्राथमिक विद्यालयो को स्तरोन्नत कर दिया गया है, इसके अलावा दो प्राथमिक स्कूलों और छः नर्सरी स्कूलों को खोला जा रहा है।

10.2.4 चालू वर्ष के दौरान संघशासित क्षेत्र के स्कूलों के नामांकन में 6706 तक वृद्धि हुई है

व्यावसायिक शिक्षा

10.2.5 व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत वाणिज्य, गृह-विज्ञान, पराचिकित्सीय विज्ञान इत्यादि विषय में 22 व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहें हैं।

अनौपचारिक शिक्षा

10.2.6 अनौचारिक शिक्षा की शुरुआत अप्रैल 1978 में 100 केंद्रों के साथ की गई थी जिसमें अब केंद्रों की संख्या बढ़ाकर चंडीगढ़ मे 105 कर दी गई है और मौजूदा रूप से लगभग 4600 विद्यार्थी इस योजना में शामिल हैं जिनमें से अधिकतर अनुसूचित जाति समुदाय के हैं।

मध्याह्न भोजन योजना

10.2.7 वर्ष 1993-94 के दौरान शासकीय आम स्कूलों की कक्षा I से V के छात्राओं की मध्याह्न भोजन प्रदान करने के लिए 45 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा

10.2.8 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत कार्य-योजना में मौजूदा संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का प्रावधान है। 1150 विद्यार्थियों के लगातार बढ़ते हुए दाखिले से संबंधित आवश्यकताओं कोपूरा करने के लिए सरकारी महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय की शुरुआत की गई है और सरकारी कालेज चंडीगढ़ में वाणिज्य विषय में दाखिले की "सीटों" में वृद्धि की गई है।

खेल-कूद

10.2.9 जहां तक खेल-कूद के क्रिया कलापों का प्रश्न है, लगभग 470 विद्यार्थी विभिन्न खेल कूदों में हिस्सा ले रहेंहै जिनकी व्यवस्था "नैशनल स्कूल एण्ड गेम्स फेडरेशन आँफ इण्डिया" द्वारा की गई थी। संघ शासित क्षेत्र के एन० एस० एम० यूनिटों ने ग्रामीण क्षेत्रों और कालोनियों में प्रौढ़ साक्षरता से संबंधित 12 विशेष शिविरों की व्यवस्था की गई।

दादरा और नगर हवेली

10.3.1 दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों के कार्य कर रहे शैक्षिक संस्थान निम्नलिखित हैं:-

	सरकारी	सहायता प्राप्त	निजी
I. पूर्व-प्राथमिक	-	-	-
II. प्राथमिक	166	11	1
III. मिडिल	38	11	2
IV. माध्यमिक	5	3	-
V. उच्चतर माध्यमिक	-	-	-

10.3.2 चालू वर्ष के दौरान विभिन्न स्कूलों में लगभग 23500 विद्यार्थी पढ़ रहें हैं जिन्हें विभिन्न वर्गों में लगभग 790 शिक्षक शिक्षा प्रदान कर रहें है। इस

संघ राज्य क्षेत्र में आठवीं कक्षाा के ऊपर तकनीकी शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। इस प्रयोजन के लिए आई० टी० आई भी इस संघ राज्य क्षेत्र में कार्य कर रहा हैं।

प्रोत्साहन योजनाएं

10.3.3 शिक्षा के प्रवर्तन के लिए संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जा रहें हैं:-

क) उच्चतर माध्यमिक स्तर तक सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाता है।

ख) कक्षा VII तक सभी विद्याार्थियों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है।

ग) सभी अनुसूचित जाति/जनजाति विधाार्थियों और अल्प आय समूह में आने वाले विद्यार्थियों को निशुल्क लेखन-पुस्तिकांए पाठ्य पुस्तकें और शिक्षण में सहायक उपस्कर प्रदान किए जाते हैं।

घ) प्रति वर्ष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक विद्यार्थी को दो जोड़े यूनीफार्म प्रदान की जाती है।

ङ) प्रति वर्ष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक विद्याार्थी को कैनवस के जूते और मोजे प्रदान किए जाते हैं।

10.3.4 योग्यता एवं माध्य छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत योग्य विद्यार्थियों को पुरस्कार और छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है और उन अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को 5000 रु० प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जो वार्षिक परीक्षा में 50% (छात्राओं के मामले में) और 55% (छात्रों के मामले में) अंक प्राप्त करते हैं/ चालू वर्ष के दौरान 1,50,500 रुपये के व्यय लक्ष्य पर इस योजना के अंतर्गत 301 विद्यार्थी लाभ प्राप्त कर रहें हैं। उन अनुसूचित जाति/ जनजाति और अल्प आय समुदाय के विद्याार्थियों को उच्चतर शिक्षा के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, जिनकी आय 18000% रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है और चालू वर्ष में इस योजना कें अंतर्गत 18 अनुसूचित जाति, 226 अनुसूचित जाति और 413 अल्प समूह के विद्यार्थियों ने लाभ प्राप्त किया है। इस प्रयोजन के लिए व्यय की जाने वाली कुल राशि 6,63,000/ -रु० है।

10.3.5 इस संघ राज्य क्षेत्र में आयुर्विज्ञान, इंजीनियरी, इत्यादि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों केअध्ययन हेतु कोई संस्थान न होने के कारण यहां के विद्यार्थियों के लिए भारत में स्थित विभिन्न तकनीकी संस्थानों में कुछ सीटों" का आरक्षण किया गया है जिनमें दाखिला योग्यता के आधार पर दिया जाता है।

विज्ञान शिक्षा

10.3.6 इस संघ राज्य क्षेत्र में विज्ञान के शिक्षा के प्रवर्तन के लिए विज्ञान प्रदर्शनी और विचार-गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान विचार-गोष्ठियों में भाग लिया। विज्ञान शिक्षा में सुधार के लिए एक योजना तैयार की गई है जिसे निकट भविष्य में लागू कर दिया जाएगा।

दमन और द्दीव

10.4.1 दमन और दीव में प्राइमरी से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक कुल 85 स्कूल कार्य कर रहे हैं। वर्ष 1992 में एक राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल शुरु किया गया। सभी स्कूल पक्के भवनोंमें चल रहें हैं। तथा कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें एक शिक्षक हो। संघ राज्य क्षेत्र ने वर्ष के दौरान विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 11 व 12 में दो-दो प्रभाग जोड़े हैं

प्रोत्साहन योजनाएं

10.4.2 टी० एस० पी० सेल के अंतर्गत जनजातियों से संबधित योजना को लागू किया जा रहा

है उदाहरणार्थ आश्रम शाला का विकास, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और लेखन-सामाग्री, निःशुल्क यूनीफार्म, चल पुस्तकालय का रख-रखाव, ग्राम पुस्तकालय पहली से दसवीं कक्षा की छात्राओं को नकद प्रोत्साहन और अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों को सुधारात्मक शिक्षण कक्षाओं की योजना।

10.4.3 सरकार द्वारा स्वीकृत सहायता स्वरुप के अनुसार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति/वृत्तिका प्रदान की जा रही है।

प्रौढ़ शिक्षा

10.4.4 लगभग 60 प्रौढ़ केंद्र स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा कर रहें हैं। जन शिक्षण निलयम नव-साक्षरों को शैक्षिक पुस्तकें, पत्रिकाएं और समाचार पत्र प्रदान करते हैं।

उच्चतर शिक्षा

10.4.5 इस संघ राज्य क्षेत्र के एक सरकारी महाविद्यालय में साहित्य, विज्ञान और वाणिज्य संकाय उपलब्ध हैं।

देल्ली शिक्षा निदेशालय

10.5.1 शिक्षा निदेशालय शैक्षिक वर्ष 1993-94 के दौरान शिक्षा निदेशालय ने 11 मिडिल स्कूल खोले, 13 मिडिल स्कूलों को माध्यमिक स्तर तक तथा 15 माध्यमिक स्कूलों को सीनियर माध्यमिक स्कूल तक स्तरोन्न किया गया। इसके अतिरिक्त 7 सहशिक्षा स्कूल, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग स्कूलों के रूप में कार्य कर रहें हैं। निदेशालय ने 58 विद्यमान सैकेंडरी, सीनियर सैकेंडरी स्कूलों को कम्पोज़िट (मॉडल) स्कूलों विद्यमान कम्पोजिट (माडल) स्कूलों में परिवर्तित किया। इस समय दिल्ली प्रशासन केअंतर्गत कुल 1770 स्कूल चल रहें है।

प्रोत्साहन योजनाएं

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में छात्राओं को निःशुल्क यातायात सुविधा

10.5.2 इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छात्राओं को निःशुल्क यातायात की सुविधाएं प्रदान करके उन्हें आगे पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करना है। लगभग 4600 छात्राएं यह सुविधाएं प्राप्तकर रही हैं। चालू वर्ष के दौरान इस योजना में10 लाख रु० की राशि खर्च किए जाने की संभावना है।

(II) निशुल्क वर्दियां प्रदान करना

10.5.3 इस योजना के अंतर्गत उन बच्चों को, जिनके अभिभावकों की मासिक आय 500 रु० से कम है तथा जिन्होंने पिछले शैक्षिक सत्र में संतोषजनक निष्पादन सहित 75 प्रतिशत की उपस्थिति प्राप्त की है, उन्हें एक जोड़ा वर्दी प्रदान की जाती है। (इस योजना के अंतर्गत अक्तूबर 1993 के अंत तक 0.86 लाख रु० का व्यय किया जा चुका है।)

(III) पुस्तक बैंक

10.5.4 इस सतत योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से 12 के उन छात्रों को पुस्तक प्रदान की जाती है जिनके अभिभावको की मासिक आय 500% रु० प्रतिमाह से कम हो। अक्तूबर 1993 के अंत तक इस पर 0.85 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका है।

(IV) शिक्षण सुविधाएं

10.5.5 गंदी बस्तियों तथा आर्थिक रुप से पिछड़े वर्ग से संबधित छात्रों की विशेष शिक्षण योजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है। उन्हें विभिन्न व्यावसायिक अध्ययनों की प्रवेश परीक्षाएं उत्तीर्ण करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रयोजन के लिए 10.00 रुपये निर्धारित किए गए हैं।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों के छात्रों को विशेष प्रशिक्षण

10.5.6 इस योजना का मुख्य उद्देश्य 51 प्रतिशत से अधिक छात्रों वाले स्कूलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए सुधारात्मक प्रशिक्षण केंद्र खोलना है ताकि बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छे परिणामों को सुनिश्चित किया जा सके। चालू वर्ष के लिए 1,00,000/ रु० के परिव्यय का निर्धारण किया गया है।

(V) छात्रवृत्ति

क) अनुसूचित जाति /जनजाति के छात्रों के लिए योग्यता छात्रवृत्ति।

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को खुली योग्यता छात्रवृत्ति।

ग) सभी विद्यार्थियोंके लिए योग्यता छात्रवृत्ति।

(VI) प्रौढ़ शिक्षा

10.5.7 अगस्त, 1993 में प्रौढ़ साक्षरता, कार्यक्रम केअंतर्गत शिक्षा प्राप्त करने के लिए 482 केंद्रों में 14638 प्रौढ़ो ने दाखिला लिया। अब शिक्षा निदेशालय निरक्षरों का साक्षर बनाने के लिए पूर्ण साक्षरता अभियान चला रहा हैं। चालू वर्ष के दौरान 115,000 प्रौढ़ों की साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा निदेशालय को 55.00 लाख रुपये की राशि का अनुदान दिया है।

(VII) अनौपचारिक शिक्षा

10.5.8 इस योजना के अंतर्गत 6-14 आयु वर्ग के उन बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जा रही है जो किन्ही कारणों से स्कूल में दाखिला नहीं प्राप्त कर सके। मौजूदा रुप से 57 केंद्रों में 1702 बच्चे हैं और अक्तूबर, 1993 तक 0.27 लाख रुपये की राशि का व्यय किया जा चुका है

(VIII) पत्राचार विद्यालय

10.5.9 23,000 विद्यार्थियों को साहित्य, वाणिज्य और विज्ञान में सैकेंड्री एवं सीनियर सैकेंड्री स्तरों पर पत्राचार पाठ्यक्रमों द्वारा शिक्षा दी जा रही है।

(IX) व्यावसायिक शिक्षा

10.5.10 इस योजना का उद्देश्य 25% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा की ओर उन्मुख करना था। इस क्षेत्र में छात्रों को विशेषज्ञता हासिल कराने के लिए शिक्षा दी जा रही है। चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ 11.05 लाख रुपये पहले ही खर्च किए जा चुके है।

(X) राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्

10.5.11 इसे वर्ष 1986 में दिल्ली प्रशासन द्वारा एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। इसके अधीन 4 जिला शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान कार्य कर रहें हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान 60 लाख रु० का प्रावधान है।

(XI) उच्चतर शिक्षा

10.5.12 वर्ष 1993-94 के दौरान नज़फगढ़ के नजदीक एक महिला कालेज खोला गया है। इस समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित और वित्त पोषित 23 कालेज हैं। अक्तूबर, 1993 के अंत तक 41.75 लाख रुपये की राशि खर्च की गई हैं और भविष्य में इसमें वृद्धि की जाएगी।

(XII) स्कूल भवन का निर्माण

10.5.13 इस वर्ष के दौरान निर्माण केलिए 1900 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया हैं। छः भवनों का निर्माण किया गया है और तीन अन्य निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त अन्य स्कूलों में आधे पक्के भवनों की व्यवस्था की गई है।

(ग्घ) खेल और युवा कार्य

10.5.14 चालू वर्ष के दौरान खेलों की विभिन्न योजनाओं के लिए 210 लाख रुपयों का **आवंटन** किया गया

दिल्ली नगर निगम

10.5.15 दिल्ली नगर निगम, शिक्षा विभाग का उद्देश्य 5-11 वर्ष के आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को स्कूल प्रणाली की परिधि में लाना हैं। वित्त वर्ष 1993-94 के दौरान बढ़े हुए नामांकन के कारण दिल्ली नगर निगम द्वारा 17 नए स्कूल खोले गए हैं। इस समय 1738 प्राथमिक विद्यालय चलाए जा रहें हैं। इन स्कूलों में 7,66,417 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहें हैं। दिल्ली नगर निगम के नर्सरी स्कूलों में 3-5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का नामांकन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहें हैं। ऐसे बच्चों की संख्या 47,750 तक बढ़ गई है जबकि पिछलेवर्ष इनकी संख्या 47,000 थी।

नामांकन को प्रोत्साहित करने हेतु कल्याण योजनाएं

(क) दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं। इस प्रयोजनार्थ 235 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है।

(ख) आर्थिक रुप से पिछडे हुए वर्गो के बच्चों को निःशुल्क स्कूल वर्दी प्रदान की जाती है। चालू वर्ष में 3,70,000 बच्चे लाभान्वित हुए। इस प्रयोजन केलिए 2 लाख रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

(ग) दिल्ली नगर निगम के स्कूलों विशेषकर जो झुग्गी झोंपड़ी बस्तियें, पुनर्वास बस्तियों, गंदी बस्तियों में स्थित हैं, में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करने के लिए उन्हें मध्यान्ह भोजन प्रदान किया जाता है। चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत 3.25 लाख बच्चों को शामिल किया गया है और इस योजना के लिए कुल 619 लाख रुप्ये की राशि आवंटित की गई है।

(घ) दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के बच्चों के लिए 12 स्वास्थ्य केन्द्र चलाये जा रहे हैं। बीमारियों की रोकथाम के लिए डॉक्टर और नर्से स्कूल का दौरा करते हैं। 1993-94 के दौरान 1,15,643 छात्रों का उपचार किया गया। नेत्र जांच के पश्चात जरुरतमंद छात्रों को निशुल्क चश्मे भी प्रदान किए गए।

(ङ.) दिल्ली नगर निगम द्वारा आयोजित मुक्त परीक्षा के आधार पर उत्कृष्ट छात्रों को योग्यता के आधार पर छात्रवृतियां प्रदान की जाती है। चालू वर्ष के दौरान 12 लाख रुपए का परिव्यय रखा गया हैं जिसमें 5000 बच्चों के शामिल होने की संभावना है।

नई दिल्ली नगर पालिका समिति

10.5.16 नई दिल्ली नगर पालिका अपने निवासियों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपने क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित स्कूल चला रही हैं:

1. नर्सरी स्कूल -21
2. प्राथमिक स्कूल -50
3. मिडिल स्कूल -16
4. माध्यमिक स्कूल -10
5. उच्चतर माध्यमिक स्कूल -5

10.5.17 नई दिल्ली नगर पालिका नवयुग स्कूल शैक्षिक सोसाइटी भी 2 उच्चतर माध्यमिक और 3 मिडिल स्कूल चला रही है।

प्रोत्साहन योजनाएं

10.5.18 नई दिल्ली नगर पालिका निम्नलिखित प्रदान करती है:-

I) कक्षा I से VIII तक के 35,771 छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें,

II) नर्सरी से आठवीं कक्षा तक के 41,738 छात्रों को निःशुल्क वर्दी का कपड़ा,

III) 16,805 छात्रों को निःशुल्क ऊनी स्वेटर,

IV) 15,852 छात्रों को निःशुल्क अभ्यास पुस्तिकाएं,

V) 28,241 छात्रों को निःशुल्क जूते और जुराबें,

VI) लगभग 34,500 छात्रों को निःशुल्क मध्यान्ह भोजन और इस प्रयोजन के लिए 17 लाख रुपए निर्धारित किए गये हैं।

छात्रवृत्तियां

(I) कक्षा IV से VII तक के 25 छात्रों को, जिन्होंने वार्षिक परीक्षा में प्रथम तीन स्थान प्राप्त किए हैं और जिन्हें कम से कम कुल 60% अंक प्राप्त हुए है, योग्यता और साधन छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है।

II) चालू वर्ष के दौरान परीक्षा के आधार पर 400 रुपए प्रति बाल छात्र की दर से 600 रुपए प्रति बालिका छात्र की दर से 20 छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी।

विज्ञान एवं सेवा कालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम

10.5.19 इस योजना के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर विचारगोष्ठियों के माध्यम से 290 शिक्षकों की अनुस्थापित किया गया हैं। नर्सरी से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के सभी स्कूलों के लिए विज्ञान और कार्य अनुभव प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी जिससे लगभग 5000 छात्रों और शिक्षक लाभान्वित होंगे।

शैक्षिक व्यावसायिक मार्गदर्शन

10.5.20 इस योजना के अंतर्गत 3 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में टंकण, आशुलिपि, सौंदर्य स्वास्थ्य की देखभाल और केन्द्र जैसे व्यवसाय शुरु किए गए हैं। "संगणक साक्षरता कार्यक्रम" के अंतर्गत 4 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में संगणक शिक्षा की सुविधा है। प्रति वर्ष लगभग 900 छात्र इस कार्यक्रम द्वारा लाभान्वित होते हैं। इस कार्यक्रम पर 6 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी।

लक्षद्वीप

10.6.1 इस संघ शासित क्षेत्र के शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे संस्थानों की संख्या निम्नलिखित हैं:-

1.	नर्सरी स्कूल	-9
2.	जूनियर प्रारंभिक स्कूल	-19
3.	सीनियर प्रारंभिक स्कूल	-4
4.	उच्चतर स्कूल	-9
	(माध्यमिक स्कूल)	-4
5.	जूनियर कालेज	-2
	कुल	43

10.6.2 वर्ष के दौरान भारत सरकार ने दो उच्चतर माध्यमिक स्कूलों का सीनियर सेकेंडरी स्तर पर स्तरोन्नयन करने का अनुमोदन किया है। इसके अतिरिक्त एक नवोदय विद्यालय भी इस संघ शासित क्षेत्र में कार्य कर रहा है।

प्रोत्साहन योजनाएं

1. पाठ्य-पुस्तकें तथा लेखन सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाती है।

2. कक्षा 1 से 8 तक अ० ज० जाति के छात्रों को मध्यान्ह भोजन दिया जाता है।

3. कक्षा 5 से 8 तक अ० ज० जाति के छात्रों को योग्यता छात्रवृत्ति दी जाती है।

4. जूनियर कालेज में सभी अ० ज० जाति के छात्रों को छात्रावास की निःशुल्क सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

व्यावसायिक शिक्षा

10.6.3 व्यावसायिक शिक्षा की योजना 1988-89 में शुरु की गई थी। माध्यमिक स्तरों पर लड़कियों के लिए जूट शिल्प तथा लड़कों के लिए मत्स्य पालन की शिक्षा दी जाती है। एक भारतीय तकनीकी संस्थान कार्य कर रहा है जो सिलाई-कढ़ाई, बढ़ईगिरी और वाणिज्यक पद्धतियों में पाठ्यक्रम आयोजित करता है।

प्रौढ़ शिक्षा

10.6.4 प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत 15-60 आयु वर्ग के बीच शत प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने के लिए सघन प्रयास किए जा रहे हैं।

पांडिचेरी

10.7.1 पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के जिन संस्थानों में शिक्षा प्रदान की जा रही है उनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

क)	स्कूल शिक्षा		सरकारी	निजी
	राज्य	केन्द्रीय	कुल	
पूर्व प्राथमिक	41	-	41	131
प्राथमिक	265	-	265	77
मिडिल	81	-	81	38
उच्च स्कूल	55	2	57	26
उच्चतर माध्यमिक (एस.टी.पी.जूनियर कालेज,	32	4	36	6

10.7.2 वर्ष 1993-94 के दौरान एक मिडिल स्कूल का उच्च स्कूल के रूप में स्तरोन्नयन किया गया है और तीन उच्च स्कूलों का उच्च माध्मिक स्कूल के रूप में स्तरोन्नयन किया गया है।

शिक्षा की प्रोन्नति हेतु प्रोत्साहन

I) कक्षा I-VIII में पढ़ रहे बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, वर्दी प्रदान की जाती है बशर्ते की उनके माता-पिता की वार्षिक आय क्रमशः 6000/-रुपए से 12,000/- रुपए हो। वर्ष 1993-94 के दौरान इस योजना के अंतर्गत लगभग 1,03,007 गरीब छात्र लाभान्वित हुए हैं। कक्षा I से VIII तक के गरीब बच्चों को एक जोड़ी जूते निःशुल्क उपलब्ध कराने संबंधी कार्रवाई शुरु की जा चुकी हैं।

II) छात्रों की बेहतरी के लिए शिक्षा विभाग नीचे दी गई छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:-

* राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां
* राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्तियां
* मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां
* स्कूल शिक्षकों के बच्चों को छात्रवृत्तियां
* ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां
* योग्यता पुरस्कार

((ख) हायर/विश्वविद्यालय/व्यावसायिक शिक्षा

	सरकारी			
	राज्य	केन्द्रीय	कुल	निजी
कालिज (शैक्षिक)	7	-	7	2
मेडिकल कालेज	-	1	1	-
दन्त कालेज	1	-	1	-
इंजीनियरी कालेज (स्वायत्त)	1	-	1	-
विधि कालेज	1	-	1	-
कृषि कालेज	1	-	1	-
पालिटेक्निक	3	-	3	-
शिक्षक प्रशिक्षण कालेज	-	-	-	1
नर्सिंग स्कूल	1	-	1	-
शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए स्कूल	2	-	2	-
गूंगे /बहरों के लिए स्कूल	1	-	1	-
नेत्रहीनों के लिए स्कूल	1	-	1	
निरीक्षकों एवं सैनिकों के बच्चों के लिए घर	1	-	1	-
सेवा सदन	1	-	1	-

* अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्तियां
* उपस्थिति छात्रवृत्तियां
* विज्ञान योग्यता छात्रवृत्तियां
* राजनैतिक पीड़ितों के लिए छात्रवृत्तियां
* शिक्षा के माध्यमिक स्तर की छात्राओं को योग्यता पुरस्कार छात्रवृत्तियां प्रदान करना
* +2 के छात्रों को प्रोत्साहन पुरस्कार

10.7.3 वर्ष 1993-94 में छात्रवृत्तियों के लिए 48.46 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है। माध्यमिक स्तर पर 33,533 गरीब बच्चे लाभान्वित होंगे और शेष छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 2190 लाभग्रही होंगे। छात्रवृत्तियों की मुख्य विशेषता यह है कि ये योग्यता और प्रतिभा के आधार पर प्रदान की जाती है।

10.7.4 छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार स्नातक, स्नातकोत्तर, चिकित्सा, इंजीनियरी, कृषि एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों तक है। वर्ष 1993-94 के दौरान सभी छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए योजमेतर और योजनागत शीर्षकों के अंतर्गत क्रमशः 30.15 लाख रुपए और 23.15 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है।

प्रौढ़ शिक्षा/अनौपचारिक शिक्षा

10.7.5 चूंकि संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी को पूर्णतः साक्षर राज्य घोषित किया गया है अतः अब

नव-साक्षरों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर-साक्षरता अभियान शुरु किया गया है।

विज्ञान शिक्षा संस्थान

10.7.6 वर्ष 1988 से 1993 के दौरान 89 मिडिल स्कूलों, 64 हाई स्कूलों तथा 18 हायर सेकेंडरी स्कूलों में विज्ञान शिक्षण की कोटि में सुधार करने के लिए "स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार हेतु" एक योजना कार्यान्वित की गई थी।

राज्य शिक्षा संस्थान

10.7.7 "जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान" स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा चुके हैं और वह अगले शैक्षिक वर्ष में कार्य करना प्रारंभ कर देगा।

व्यावयासिक शिक्षा

10.7.8 तमिलनाडु और पांडिचेरी द्वारा चलाए जा रहे + 2 पाठ्यक्रम शैक्षिक और व्यावसायिक नामक धाराओं में चलाए जा रहे हैं। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तमिलनाडू सरकार ने निम्नलिखित मुख्य व्यावसायिक क्षेत्रों और संबद्ध विषयों का पता लगाया है:-

1. कृषि 2. गृह विज्ञान 3. वाणिज्य एवं व्यापार 4. इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी 5. स्वास्थ्य एवं 6. विविध

10.7.9 वर्ष 1993-94 में विभिन्न उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अलावा निम्नलिखित व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ किए गए हैं:

1. ऑटो मैकेनिक
2. पोशाक अभिकल्पना एवं निर्माण

तकनीकी शिक्षा

10.7.10 तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत, मोतीलाल नेहरु राजकीय पोलिटेक्निक, पांडिचेरी में संगणक अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरु किया गया है। इंजीनियरी कालेज, पांडिचेरी में संगणक अनुप्रयोग में एक स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरंभ किया गया है।

पुस्तक प्रोन्नति तथा कापीराइट

11

पुस्तक प्रोन्नति तथा कापीराइट

11.1.1 शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। देश भर में शिक्षा सुविधाओं के विस्तार के साथ ही, परिणाम तथा विषय की विविधता दोनों ही रूपों में, पुस्तकों की मांग भी बढ़ी है। शिक्षा विभाग के पुस्तक प्रोन्नति प्रभाग की ऐसी कई योजनाएं एवं कार्यक्रम हैं जिनका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ उचित मूल्यों पर अच्छे स्तर की पुस्तकों के प्रकाशन को बढ़ावा देना, देशी कृर्तत्वों को प्रोत्साहन देना, पुस्तक पढ़ने की आदत में संवर्धन करना तथा भारतीय पुस्तक उद्योग को सहयोग प्रदान करना हैं।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

11.2.1 राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत (रा.पु.न्या.) एक स्वायत्तशासी संगठन है, जिसका गठन 1957 में उचित मूल्यों पर अच्छी पठन सामग्री को तैयार करने व उसके प्रकाशन को प्रोत्साहन देने तथा लोगों में पुस्तकों के प्रति रूचि उत्पन्न करने के उद्देश्य से किया गया था।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के मुख्य कार्यकलाप हैं:

लेखकों, चित्रकारों तथा प्रकाशकों को सहायता प्रदान करना, तथा पुस्तकों का संवर्धन करना। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास सामान्य पाठकों के लिए उचित मूल्य पर असमी, बंगला, अंग्रेजी, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तेलगु, तमिल तथा उर्दू में विभिन्न विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित करता है। अब न्यास ने कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली तथा सिंधी में भी पुस्तकें प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत ने अब तक विभिन्न भाषाओं में 6000 से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित की हैं। न्यास उचित मूल्य पर डिप्लोमा, अवर-स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यपुस्तकों तथा संदर्भ ग्रंथों के प्रकाशन के लिए तथा बच्चों व नवसाक्षरों के लिए पुस्तकों के प्रकाशन के लिए लेखकों चित्रकारों तथा प्रकाशकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह

(क) पुस्तक मेलों, उत्सवों तथा प्रदर्शनियों का आयोजन करके,

(ख) गोष्ठियों, संगोष्ठियों तथा कार्यशालाएं आयोजित करके,

(ग) पुस्तक मेलों तथा प्रदर्शनियों की वित्तीय सहायता देकर

(घ) राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह को आयोजित करके तथा

(ङ) विद्यालयों में पाठक क्लबों की स्थापना को प्रोन्नति देकर देश भर में पुस्तकों तथा पुस्तक पढ़ने की आदत को बढ़ावा देता है। यह विभिन्न देशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भारत की सहभागिता का गठन करके देश के बाहर भी भारतीय पुस्तकों की प्रोन्नति करता है। इस वर्ष के दौरान किए गए कार्यकलापों का विस्तृत विवरण इस प्रकार से है।

(क) प्रकाशन

11.2.2 विभिन्न भाषाओं में प्रकाशन के कार्यक्रम को तैयार करते समय, यह सुनिश्चित कने का प्रयास किया जाता है कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत की विभिन्न श्रृंखलाओं के अन्तर्गत; प्रत्येक भाषा में सामान्य किन्तु विविध रूचित की पुस्तकें उपलब्ध हों।

11.2.3 इस वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत नई पुस्तकों तथा अनुवाद कार्य को प्रकाशित करने का प्रयास कर रहा है। 500 नई पुस्तकें/अनुवाद कार्य में प्रकाशित होने की अपेक्षा की जाती है जो कि पिछले वर्ष प्रकाशित/अनुवाद की संख्या से कहीं ज्यादा है। वर्ष 1993-94 में प्रकाशित होने वाली पुस्तकों की कुल संख्या जिसमें पुनमुद्रण भी सम्मिलित है, लगभग 750 हैं।

11.2.4 प्रकाशन की विभिन्न शैलियों में पुस्तकों पर अधिक ध्यान दिए जाने के बावजूद हमारे देश में उनकी महत्ता उपेक्षित ही रही है। इनमें लोकप्रिय विज्ञान/श्रृंखला की पुस्तकें तथा नवसाक्षरों व 18 आयु वर्ग के लिए पुस्तकें शामिल हैं।

(ख) प्रकाशन में सहायता

11.2.5 उचित मूल्यों पर स्वीकार्य स्तर की पुस्तकों के प्रकाशन को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास लेखकों, चित्रकारों तथा प्रकाशकों को निम्नलिखत योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पुस्तकों के रियायती प्रकाशन की योजनाः

11.2.6 इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय पुस्तक न्यास उच्च शिक्षा के लिए लगभग 800 पुस्तकों को पहले ही वित्तीय सहायता प्रदान कर चुका है। इनमें से एक बडी संख्या अंग्रेजी में है। इसलिए यह न्यास अन्य भाषाओं के लेखकों/प्रकाशकों की आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। भुवनेश्वर पुस्तक मेले के दौरान उड़िया के प्रकाशकों व लेखकों में इस योजना को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। तथापि इस योजना का लाभ संपूर्ण देश के विद्यार्थियों, लेखकों तथा प्रकाशकों को दिए जाने को सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक प्रयास किया जा रहा है।

11.2.7 इसी प्रकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक योजना है जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों को तैयार करने के लिए लेखकों को सहायता प्रदान की जाती है। तथापि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास दोनों ही प्रतिष्ठित लेखकों और विशेषज्ञों द्वारा विशेष रूप से भारतीय छात्रों के लिए ध्यानपूर्वक प्रलेखित एवं अच्छी तरह से लिखित पाठ्य पुस्तकों एवं संदर्भ पुस्तकों की उपलब्धता के सम्बन्ध में गंभीर रूप से चिंतित है। सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद दोनों संगठन इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यदि उन्हें और अधिक समन्वयात्मक ढांचे के अंतर्गत निष्पादित किया जाए तो उनकी योजनाएं अधिक प्रभावी होंगी। विस्तृत चर्चा के उपरांत इन राष्ट्रीय संगठनों ने अपनी-अपनी योजनाओं के समन्वयात्मक कार्यकरण के लिए अब एक नीति ढांचा तैयार किया है तथा आपसी सूझबूझ संबंधी एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

बच्चों तथा नव-साक्षरों के लिए पुस्तकों के निर्माण हेतु अन्वेषणात्मक योजनाएंः

11.2.8 राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने निजी प्रकाशकों और स्वैच्छिक अभिकरणों को बच्चों और नव-साक्षरों तथा स्कूल बीच में छोड़कर जाने वालों के लिए उच्च कोटि की पुस्तकों का निर्माण प्रारंभ करने के लिए वित्तीय सहायता देने की एक योजना प्रारंभ की है जिसमें न्यास लेखक और चित्रकार दोनों को सीधा भुगतान करता है। इसके अतिरिक्त चयनित पाण्डुलिपियों को तैयार करने का व्यय वहन करता है।

(ग) पुस्तक प्रोन्नतिः

11.2.9 राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (ट्रस्ट) की पुस्तक प्रोन्नति संबंधित कार्यकलापों में शामिल हैं-पुस्तक मेला, पुस्तक महोत्सव-कार्यशालाएं, पुस्तकों से संबंधित विषयों पर सेमिनारों और गोष्ठियों का आयोजन, राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह मनाना इत्यादि। वर्ष के दौरान ट्रस्ट ने दिनांक 14 नवम्बर से 20 नवम्बर, 1993 तक राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह, दिनांक 11 सितम्बार से 19 सितम्बर, 1993 तक वाराणसी में भाषा पुस्तक मेले और रांची में एक पुस्तक पर्व का आयोजन किया। दो बाल पुस्तक मेलों के अलावा इस वर्ष में 10 विचार गोष्ठियों/कार्यशालाओं और नागपुर में एक पुस्तक पर्व का आयोजन किए जाने की संभावना है। इस योजना के अंतर्गत यह ट्रस्ट इस वर्ष के दौरान 15 पुस्तक मेलों/पर्वो में भाग लेगा और तमिल, हिन्दी और असमी के चुने हुए प्रकाशकों की 64 प्रदर्शनियों का आयोजन करेगा।

11.2.10 विदेश में पुस्तक प्रोन्नति क्रियाकलाप के आयोजन हेतु इस ट्रस्ट ने दिनांक 15 अप्रैल से 18 अप्रैल, 1993 तक बोलोग्ना बाल पुस्तक मेले और 6 अक्तूबर से 11 अक्तूबर, 1993 तक फ्रांकपुर्त पुस्तक मेले में भाग लिया और बुडापेस्ट, ओटावा और मैडिसन में भारतीय प्रकाशनों का प्रदर्शन किया।

11.2.11 **विश्व पुस्तक मेलाः** "नेशनल बुक ट्रस्ट", भारत द्वारा दिनांक 5 से 13 फरवरी 1994 तक 11 वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में भारत और अन्य देशों से 900 भाग लेने वालों की संभावना है। चुने हुए अफ्रीकी प्रकाशनों के प्रदर्शन के माध्यम से इस महाद्वीप पर_ध्यान आकर्षित किया जाएगा और नए युग के लिए अफ्रीकी और भारतीय प्रकाशनों पर विचार गोष्ठी का गठन किया जाएगा।

पुस्तक प्रोन्नति संबंधी कार्यकलाप एवं स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायताः

11.3.0 पुस्तक प्रोन्नति संबंधी कार्यकलापों और स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता नामक योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, सेमिनार, कार्यशालाएं, सम्मेलन इत्यादि पर आयोजित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को तदर्थ आधार पर अनुदान प्रदान किये जाते हैं। यह योजना सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत लेखकों के शिष्टमंडल के आदान-प्रदान पर होने वाले खर्च के लिए भी धन देती है। वर्ष के दौरान भारतीय प्रकाशक संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय भारतीय प्रकाशक संगोष्ठी में भाग लेने वालों को यात्रा खर्च वहन करने के लिए भारतीय प्रकाशक संघ को 0.75 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है।

राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद्

11.4.0 देश में पुस्तक प्रकाशन की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा करने तथा प्रकाशन उद्योग और धंधे के विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सलाह देने तथा अच्छे स्तर की विशेष प्रयोजन की पुस्तकों की उपलब्धता को बढ़ावा देने इत्यादि के लिए 6-11-1990 से राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद् को फिर से गठित किया गया है। 5 नवम्बर, 1993 को परिषद् का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात इसे पुनर्गठित करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

पुस्तकों के लिए आयात और निर्यात नीति

11.5.0 वाणिजय मंत्रालय ने 5 वर्ष की अवधि के लिए नई आयात और निर्यात नीति की घोषण की है जो 1 अप्रैल, 1992 से लागू हुई है। नई नीति के अन्तर्गत शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों पर कोई भी संगठन/व्यक्ति बिना किसी प्रतिबंध के पुस्तकों का आयात करने के लिए स्वतंत्र है। अन्य पुस्तकों के आयात की अनुमति लाइसेन्स होने पर ही दी जाएगी।

आइ.एस.बी.एन. के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय एजेंसी

11.6.0 अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संस्था (आई. एस.बी.एन.) प्रणाली का उद्देश्य है- अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार क्षितिज पर देशीय प्रकाशनों के निर्यात को तीव्र करना तथा दिन- प्रतिदिन के व्यापार में दिन-प्रतिदिन के पुस्तकों की अदला-बदली को अधिकतम सीमा तक कम करना। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली है जिसके द्वारा प्रत्येक पुस्तक को भिन्न-भिन्न पहचान संख्या प्रदान की जाती है। पुस्तकों की अदला-बदली के अतिरिक्त यह प्रणाली पुस्तकालयों तथा संसूचना प्रणालियों और शोध छात्रों के लिए बहुत ही मददगार है। 1 जनवरी, 1985 से 31 दिसम्बर, 1993 के बीच लगभग 2325 बड़े और छोटे प्रकाशक और लेखक इस प्रणाली के सदस्य बने हैं तथा आज उनके हजारों प्रकाशनों पर आई. एस.बी.एन. संख्या होती है।

कापीराइट

11.7.1 कापीराइट मामले कापीराइट अधिनियम, 1957 के अनुसार अभिशासित किए जाते है। कापीराइट अधिनियम को 1983, 1984 और 1992 के कापीराइट (संशोधन) अधिनियम के द्वारा संसोधित किया गया है। कापीराइट की एक व्यापक समीक्षा की गई है और दूसरा विधेयक-कापीराइट (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1992 लोकसभा में 16 जुलाई, 1992 को प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक को अगस्त 1992 में एक संयुक्त चयन समिति को भेजा गया था। समिति की रिपोर्ट, अगस्त 1993 में संसद में प्रस्तुत की गई थी। इस समय, सरकार द्वारा इस रिपोर्ट, पर आगे की कार्रवाई हेतु विचार किया जा रहा है।

11.7.2 कापीराइट कार्यालय कापीराइट अधिनियम 1957 की धारा 9 के अनुसरण में जनवरी, 1958 में स्थापित किया गया था।

11.7.3 कापीराइट अधिनियम, 1957 के समय-समय पर यथा संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत कापीराइट कार्यालय निम्नलिखित प्रकार की कृतियों का पंजीकृत करता है। 1 अप्रैल से 31 दिसम्बर, 1993 तक 729 कृतियां पंजीकृत की गई हैं। वर्ग-वार विवरण निम्नलिखित है:

(क) साहित्यिक/नाटय 338

(ख) संगीतात्मक और अभिलेख 42

(ग) सिनेमेटोग्राफ फिल्म 3

(घ) कलात्मक 346

11.7.4 इसके अतिरिक्त कापीराइट कार्यालय कापीराइट अधिनियम 1957 की धारा 19 के अनुसरण में कृतियों में किए गए परिवर्तन को भी पंजीकृत करता है। कापीराइट रजिस्टर में प्रविष्ट 18 कृतियों के ब्यौरों में परिवर्तन किए गए है।

11.7.5 कापीराइड बोर्ड एक अर्ध-न्यायिक निकाय का गठन सितम्बर, 1958 के प्रारम्भ में किया गया था। कापीराइट बोर्ड का अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण भारत में फैला हुआ है। यह कापीराइट पंजीकरण के परिशोधन तथा निम्न लिखित के मामलों में कापीराइट के निर्धारण और लाइसेंसों की प्रदान करने से सम्बन्धित विवादों की सुनवाई करता है:

* सार्वजनिक होने से रोक ली गई कृतियों के मामले
* अप्रकाशित भारतीय कृतियों के मामले
* अनुवाद कार्य प्रस्तुत व प्रकाशित करने के लिए
* निश्चित उद्दश्यों के लिए कृतियों को प्रस्तुत और प्रकाशित करने के लिए

11.7.6 यह कापीराइट अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत इसके समक्ष गठित विविध मामलो की भी सुनवाई करता है। बोर्ड की बैठकें लेखकों, कलाकारों तथा बौद्धिक संपदा से स्वामियों को उनके आवास या व्यवसाय के स्थान के निकट ही न्यायिक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए देश के विभिन्न भागों में आयोजित की जाती है।

कापीराइट प्रवर्तन

11.8.1 कापीराइट प्रवर्तन सलाहकार परिषद जो देश में कापीराइट प्रवर्तन को सुदृढ़ करने और उसे सरल एवं कारगर बनाने के लिए तथा लोगों और प्रवर्तक प्राधिकारियों को शिक्षित करने के लिए 6.11.91 को स्थापित की गई थी, की चौथी बैठक 27 मार्च, 1993 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। चर्चाओं के दौरान सभी सहभागियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि पुलिस अकादमियों और पुलिस प्रशिक्षण स्कूलों में पुलिस कर्मिकों के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा और अधिक प्रशिक्षण/पुनश्यर्चा पाठ्यक्रम आयोजित किए जाने की अत्यावश्यकता है। यह निर्णय लिया गया कि गृह मंत्रालय से अनुरोध किया जाए कि वे इस मामले पर राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ चर्चा करें।

11.8.2 यह सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया कि एक उचित पाठ्यक्रम मापदंड तैयार किया जाए और प्रशिक्षण कार्यक्रम में निगमित किया जाए, प्रशिक्षण कार्यक्रम का पाठ्यक्रम कापीराइट लागू करने में होने वाली विशेष समस्याओं पर आधारित होना चाहिए।

11.8.3 आगे यह सुझाव दिया गया है कि पुलिस आयुक्तों और अपराध शाखाओं के प्रभारी अधिकारियों के लिए दिल्ली में एक सेमिनार आयोजित किया जाना चाहिए।

11.8.4 बैठक में लोगों में कापीराइट जागरूकता उत्पन्न करने का मुद्दा भी उठाया गया। अध्यक्ष ने सूचित किया है कि इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रचार के मामले में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में उच्च स्तर पर चर्चा की गई थी किन्तु दूरदर्शन निः शुल्क प्रचार देने के लिए सहमत नहीं हुआ। अतः उन्होंने सुझाव दिया कि इलैक्ट्रानिक मीडिया पर निर्भर होने की बजाय हमें मुद्रण मीडिया का प्रयोग करने के बारे में भी सोचना चाहिए। सुझाव मान लिया गया।

अंतर्राष्ट्रीय कापीराइट

11.9.1 भारत साहित्यिक एवं कलात्मक कार्यों के संरक्षण में बर्न सम्मेलन तथा सार्वभौमिक कापीराइट सम्मेलन नामक दो अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट सम्मेलनों का सदस्य है। विकासशील देशों को विदेशी स्रोत की पुस्तकों के पुनर्लेखन व अनुवाद के लिए अनिवार्य लाइसेंस जारी करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से यदि ये अधिकार कापीराइट के स्वामियों से मुक्त वार्ता द्वारा प्राप्त न किए जा सके, इन दोनों सम्मेलनों की 1971 में संशोधित किया गया। भारत इन सम्मेलनों के 1971 के पाठ्यों को मान चुका है।

11.9.2 भारत विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन, जिनेवा जो कि साहित्यिक एवं कलात्मक कार्यो के संरक्षण के बर्न सम्मेलन का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, शासी निकायों के विचार-विमर्श में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। इस वर्ष शिक्षा सचिव ने सितम्बर, 1993 में जेनेवा में आयोजित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के शासी निकायों की 24वीं श्रृंखला की बैठकों में भाग लिया।

राष्ट्रीय कापीराइट आदेश

11.10.0 भारतीय कापीराइट अधिनियम, 1957 (1957 का 14) की धारा 40 के अंतर्गत केन्द्र सरकार की विदेशी कृतियों पर कापीराइट को लागू करने

की शक्ति प्रदान की गई है। इसके अनुसरण में सरकार ने 21 जनवरी, 1958 के एस.आइ.ओ. 271 द्वारा इस आदेश का नाम "अंतर्राष्ट्रीय कापीराइट आदेश, 1958" रख दिया। तब से आदेश में अनेक परिवर्तन किए गए हैं और भारतीय कापीराइट अधिनियम, 1957 में कुछ संशोधन भी किए गए हैं। तदनुसार अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट आदेश, 1958 को संशोधित किया जाना था और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कापीराइट आदेश, 1991 बनाया गया और 30 सितम्बर, 1991 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इस आदेश को 13 अक्तूबर, 1992 के सरकारी राजपत्र अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया को अद्यतन बनाया गया।

कापीराइट में प्रशिक्षण सुविधाएं

11.11.0 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (वीपो) ने अपने सहयोग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकासशील देशों में काफीराइट से संबंधित अधिकारियों के लिए कापीराइट के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया था। शिक्षा विभाग के अवर-सचिव बी.एस. ढिल्लो ने 4-15 अक्तूबर, 1993 तक जेनेवा में आयोजित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के पहले सत्र में भाग लिया। शिक्षा विभाग के लाइसेंसिंग अधिकारी श्री बी.के. सक्सेना ने भी 6-8 अक्तूबर, 1993 तक जेनेवा में कापीराइट संबंधी अनुस्थापना सेमिनार में भाग लिया और इसके बाद 11-22 अक्तूबर, 1993 तक लंदन में एक व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया।

भाषाओं की प्रोन्नति

12

भाषाओं की प्रोन्नति

12.1.0 चूंकि भाषायें शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यम है इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्यवाही योजना में इसके विकास को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। अत: एक तरफ संस्कृत और उर्दू सहित हिन्दी तथा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल की मई अन्य भाषाओं तथा दूसरी तरफ अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं की प्रोन्नति तथा विकास पर समुचित ध्यान दिया जाता है। इस संवैधानिक दायित्व को पूरा करने में शिक्षा विभाग अपने भाषा संस्थानों स्वायत्त संगठनों तथा अधीनस्थ कार्यालयों की मदद करता है जो इस प्रकार है:-

केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा जो अपने पांच केन्द्रों सहित केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (के० एच० एस०) चलाता है, अपने सात विद्यापीठों सहित राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (आर०एस०एस०) नई दिल्ली, अपने क्षेत्रीय चार क्षेत्रीय केन्द्रों, एक विस्तार केन्द्र तथा दो उर्दू प्रशिक्षण और अनुसन्धान केन्द्र सहित केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सी० आई० आई० एल०) मैसूर, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सी० आई०एस०) नई दिल्ली, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (सी०एस०टी०टी०) मई दिल्ली, तथा उर्दू तरक्की ब्यूरो (बी०पी०बी०) गैर सरकारी एजेंसियों ने कई योजनाएं और कार्यक्रम तथा अन्य विकासात्मक क्रियाकलाप विकसित किए है। विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करने के लिए इन गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है। आलोच्य वर्ष के दौरान विभाग ने अपने चल रहे कार्यक्रमों और योजनाओं को जारी रखा है। भाषाओं के विकास और प्रोन्नति से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्यकलाप 1993-94 के दौरान शुरू किए गए:-

हिन्दी की प्रोन्नति और विकास

12.2.1 सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी के विकास के लिए हिन्दी की प्रोन्नति हेतु स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को वित्तीय सहायता की योजना जारी रही। हिन्दी के प्रचार-प्रसार और विकास में लगे स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इन वर्षो में इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता चाहने वाले संगठनों की संख्याउत्तरोत्तर बढती जा रही है और 1993-94 में लगभग 200 स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को वित्तीय सहायता दी गई। स्वैच्छिक संगठनों तथा व्यक्तियों दोनों को अनुवाद, प्रकाशनों तथा पुस्तकों की खरीद हेतु वित्तीय सहायता भी दी जा रही है ताकि हिन्दी की प्रोन्नति तथा प्रसार-प्रचार किया जा सके। यह एक चालू योजना है।

गैर-हिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति तथा उनका प्रशिक्षण

12.2.2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में हिन्दी की प्रोन्नति तथा इसके प्रचार-प्रसार के लिए गैर-हिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मदद करने की दृष्टि से केन्द्र सरकार ने द्वितीय योजना के दौरान (1) हिन्दी शिक्षकों की

नियुक्ति तथा (2) हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेज खोलना/इन्हें सुदृढ़ बनाना नामक योजनायें शुरू की थी। इन योजनाओं के अन्तर्गत गैर-हिन्दी भाषी राज्यों/ संघ प्रदेशों को शत-प्रतिशत आधार पर सहायता दी गई थी। ये योजनाएं दो भिन्न योजनाओं के रूप सातवीं पंचवर्षीय योजना तक लागू की गई. चूंकि इन योजनाओं के उद्देश्य समान है इसलिए 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन दोनों योजनाओं को मिलाकर एक योजना बना दी गई है जिसका नाम इस प्रकार है:-गैर-हिन्दी भाषी राज्यों/ संघ राज्य प्रदेशों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति तथा उनका प्रशिक्षण तथा इसी पैटर्न पर 1993-94 में केन्द्रीय सहायता जारी रही। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 100 हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति/ रखरखाव/प्रशिक्षण के लिए अनुमोदित पद्धति पर विभिन्न गैर-हिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य प्रदेशों को 2.5 करोड़ रुपये की राशि की केन्द्रीय सहायता 1993-94 के दौरान प्रदान की जा रही है।

विदेशों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार

12.2.3 भारत सरकार द्वारा विदेशों में हिन्दी की प्रोन्नति तथा प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान यह योजना शुरू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत विशिष्ट कार्यक्रम /कार्यकलाप इस प्रकार है:- 1. एक वर्ष की अवधि के लिए भारत में हिन्दी के अध्ययन के लिए लगभग 50 विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना (2) विदेश स्थित भारतीय मिशनों को हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए हिन्दी पुस्तकों तथा अन्य उपस्करों की आपूर्ति करना (3) सूरीनाम, गुयाना और त्रिनिडाड तथा टोबैगो में हिन्दी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति, (4) काठमांडू तथा श्रीलंका स्थित भारतीय दूतावासों में हिन्दी पुस्तकालयाध्यक्षों तथा अंशकालिक हिन्दी लेक्चररों की नियुक्ति। यह योजना आठवीं योजना के दौरान जारी है। विदेशी छात्रों को 1200/- प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्तियों और 400/-रु० प्रति वर्ष की दर से पुस्तक अनुदान प्रदान किया जाता है। आगरा स्थित केन्द्रीय हिन्दी संस्थान में विदेशी छात्रों को हिन्दी पढ़ाने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना

12.2.4 अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में स्वरूप, संरचना, स्थान, वित्तीय आवश्यकताएं और अन्य संबंधित मामलों के बारे में सरकार को सलाह देने हेतु डा० शिव मंगलसिंह सुमन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने 1.5.1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

12.3.1 अक्तूबर 1961 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के विकास, विश्वविद्यालयों में शिक्षा माध्यम में निर्विघ्न परिवर्तन लाने को सुकर बनाने के लिए सभी विषयों में विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकें ओर संदर्भ साहित्य के उत्पादन के लिए की गई थी।

शब्दावली

12.3.2 आयोग ने अब तक सभी प्रमुख विषयों अर्थात विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, इंजीनियरी, चिकित्सा, कृषि तथा विभागीय शब्दावली जैसे रक्षा, राजस्व, रेलवे डाक एवं तार, अंतरिक्ष विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान आदि में साढ़े पांच लाख शब्द विकसित किए हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान कम्प्यूटरीकृत आंकड़ा-आधार से 'मानविकी तथा सामाजिक व्यापक शब्दकोष विज्ञान' विषय पर पारिभाषिक शब्दों का एक संशोधित तथा बृहत संस्करण प्रकाशित किया तथा वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने राष्ट्रीय शब्दावली बैंक की स्थापना कर ली हैं। भाषा विज्ञान शब्दावली(अंग्रेजी-हिन्दी, हिंदी अंग्रेजी) तथा वाणिज्य शब्दावली (अंग्रेजी-हिन्दी) का प्रकाशन भी किया गया। चिकित्सा

विज्ञान की परिवर्धित शब्दावली का दूसरा बृहत संस्करण भी प्रकाशित किया गया। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक शब्दों की व्यापक शब्दावली के तीसरे संशोधित और परिवर्धित संस्करण (अंग्रेजी-हिन्दी) और इसका प्रतिस्थानी (हिन्दी-अंग्रेजी) संस्करण भी कम्प्यूटर आंकड़ा-आधार से प्रकाशित किया गया। दो शब्दावलियां, अर्थात समेकित रक्षा शब्दावली तथा बृहत पारिभाषिक शब्द संग्रह (विज्ञान) का मुद्रण हो रहा है। पशु चिकित्सा, संगणक विज्ञान, रासायनिक इंजीनियरी, चमड़ा प्रौद्योगिकी खनन, भू-वैज्ञानिक-सर्वेक्षण वैमानिकी इंजीनियरी से संबंधित शब्दों की शब्दावलियां प्रकाशन के विभिन्न स्तरों पर है। इसके अतिरिक्त विभिन्न सरकारी विभागों से प्राप्त हुई विभागीय पारिभाषिक शब्दावली के लगभग 17,000 शब्दों को अन्तिम रूप दिया गया।

पारिभाषिक शब्दकोष

12.3.3 वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने 46 पारिभाषिक शब्दकोश प्रकाशित किए हैं जिनमें हिन्दी में विकसित किए गए वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दों की हिन्दी में परिभाषाएं दी गई हैं। इन पारिभाषिक शब्दकोंशों में तरलों, यांत्रिकियों, शल्यकर्म, वैधुत इंजीनियरी, राजनीति शास्त्र पुरावनस्पति विज्ञान, यांत्रक-इंजीनियरी, सिविल-इंजीनियरी, प्रबंध विज्ञान आदि जैसे अनेक विशिष्ट विषयों तथा करीबन सभी मूल विज्ञानों, सामाजिक विज्ञानों, मानविकियों को शामिल किया गया है। पारिभाषिक शैल-विज्ञान शब्द कोश तथा पारिभाषिक पुरातत्व विज्ञान शब्दकोश नामक दो शब्दकोश मुद्रणाधीन हैं। अन्य पारिभाषिक शब्दकोश जो तैयारी के विभिन्न चरणों में है उनमें अन्तर्राष्ट्रीय विधि लोक-प्रशासन, प्लान-पैथोलॉजी-जेनेटिक्स, साइटोलॉजी, मेकेनिकल इंजीनियरी (खंड-II) इलैक्ट्रिक इंजीनियरी आदि के शब्दकोश शामिल हैं।

अखिल भारतीय शब्दावली

12.3.4 अध्येताओं, लेखकों, अनुवादकों तथा पत्रकारों में निःशुल्क वितरण हेतु अभी तक 18 अखिल भारतीय शब्द- संग्रह किए गए हैं। एक अखिल भारतीय शब्द-संग्रह मुद्रणाधीन है।

विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का प्रकाशनः

12.3.5 वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने हिन्दी ग्रंथ अकादमियों राज्य पाठ्यपुस्तक बोर्डों और विश्वविद्यालय सैलों के सहायोग से विश्वविद्यालय स्तर की 10,999 पुस्तकें हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित की। आयोग ने इंजीनियरी, चिकित्सा और कृषि के क्षेत्र में 375 पुस्तकें भी प्रकाशित की। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग एक त्रैमासिक पत्रिका 'विज्ञान-गरिमा-सिन्धु' भी प्रकाशित करता है।

शब्दावली प्रबोधन कार्यशालाः

12.3.6 आयोग द्वारा विकसित शब्दावलियों के उपयुक्त प्रयोग को बढ़ावा देने और उन्हें लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग मूल विज्ञानों के विविध विषयों में विश्वविद्यालय/कालेज शिक्षकों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करता है।

प्रति वर्ष इस प्रकार की 12-15 कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। अभी तक 2930 से अधिक विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय शिक्षक/ राजभाषा अधिकारियों ने शब्दावली प्रबोधन प्राप्त किया है।

शब्दावली का संगणकीकरण

12.3,7 व्यापक विषय समूह-वार और विषय-वार शब्दावलियों के समन्वयन, अद्यतीकरण और मुद्रण तथा कम्प्यूटर पर आधारित राष्ट्रीय शब्दावली बैंक स्थापित करने के लिए डेटा बेस तैयार करने हेतु वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने वर्ष 1989 में इस

परियोजना की शुरुआत की और वै० तक० शब्दा० आ० द्वारा तैयार किए गए साढ़े पांच हजार तकनीकी शब्द डेटा बेस में भरे गए जिनमें से लगभग 4 लाख शब्दों को पहले ही कुंजीकृत किया जा चुका है।

12.3.8 इस कम्प्यूटरीकृत डेटा बेस में इस अवधि के दौरान निम्नलिखित शब्दावलियों का लेजर मुद्रण हुआ: भाषाविज्ञान, साहित्य और सामाजिक विज्ञान, प्रशासन, विज्ञान, पशुचिकित्सा विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान।

केंद्रीय हिन्दी निदेशालय

12.4.1 यह निदेशालय 13 हिन्दी और 13 क्षेत्रीय भाषाओं पर आधारित द्विभाषी शब्दकोशों का संकलन कर रहा है। अब तक 13 शब्दकोश नामतः हिन्दी-असमी, हिन्दी-गुजराती, हिन्दी-कश्मीरी, हिन्दी-मराठी, हिन्दी-मलयालम, हिन्दी-उड़िया, हिन्दी-सिन्धी, हिन्दी तमिल, हिन्दी तेलुगू, हिन्दी उर्दू, उड़िया-हिन्दी, मलयालम हिन्दी और उर्दू हिन्दी प्रकाशित हो चुके हैं। निदेशालय ने 13 तीन भाषीय शब्दकोश तैयार किए हैं जबकि 12 हिन्दी भाषा पर आधारित और 12 क्षेत्रीय भाषाओं पर आधारित तीन-भाषीय शब्दकोषों का संकलन कार्य चल रहा है। निदेशालय ने 'भारतीय भाषा परिचय कोष' के संकलन के अलावा एक बहु-भाषीय शब्द कोष और 'तत्सम शब्द कोष' का संकलन कार्य भी किया है। सांस्कृतिक- विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत चेक -हिन्दी और जर्मन हिन्दी (खंड I एवं II) का प्रकाशन हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र भाषा शब्द कोष और 'तत्सम शब्द कोष" का संकलन कार्य भी किया है। सांस्कृतिक-विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत चेक-हिन्दी और जर्मन-हिन्दी (खंड I एवं II) का प्रकाशन हो चुका हैं। संयुकत राष्ट्र भाषा शब्दकोष कार्यक्रम के अंतगर्त हिन्दी-चीनी, हिन्दी-अरबी, हिन्दी-फ्रेन्च और हिन्दी-स्पेनिश शब्द कोषों का प्रकाशन हो चुका है। इसके अलावा चालू वर्ष के दौरान हिन्दी-कश्मीरी और हिन्दी असमी संवाद-विषयक मार्ग-दर्शिका भी प्रकाशित की गई। एक तीन-भाषीय और दो द्विभाषीय शब्द-कोषों का निर्माण कार्य भी प्रगति पर हैं। हिन्दी और निकटवर्ती देशों की भाषाओं के द्विभाषी शब्द-कोष तैयार करने के लिए एक परियोजना आरंभ की गई है। इस प्रकार के दस शब्द कोशों में से हिन्दी-फारसी, हिन्दी-सिंहाला और हिन्दी-इण्डोनीसियन शब्द कोषों का कार्य प्रगति पर है।

12.4.2 यह निदेशालय हिन्दी पत्रिकाएं जैसे "यूनेस्को दूत" (अंग्रेजी पत्रिका 'यूनेस्को कूरियर" का हिन्दी रूपांतरण), "भाषा" (त्रैमासिक पत्रिका जिसे जनवरी 93 से महीने में दो बार प्रकाशित किया जा रहा है) और "साहित्यमाला" का प्रकाशन कर रहा है। वर्ष के दौरान "हू इज हू आँफ हिन्दी राइटर्स" और भारतीय नाटक एवं रंगमंच " का प्रकाशन भी किया गया।

12.4.3 यह निदेशालय अंग्रेजी, तमिल, मलयालम और बंगला माध्यम से पत्राचार पाठ्यक्रम चलाकर हिन्दी शिक्षण योजना चला रहा है। अभी तक लगभग 2.98 लाख व्यक्ति इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं। चालू वर्ष के दौरान दाखिले की संख्या लगभग 14,674 है। इस प्रयोजन के लिए कुछ स्व-अध्यापन अभिलेख और कैसेट तैयार किए गए हैं। विद्यार्थियों की कठिनाइयां हटाने के लिए 17 निजी तौर पर संपर्क कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है।

12.4.4 इस निदेशालय ने गैर हिन्दी भाषी क्षेत्रों के हिन्दी भाषा और साहित्य के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के दो अध्ययन दौरों का आयोजन हिन्दी भाषी क्षेत्रों के विश्वविद्यालय में किया और गैर हिन्दी भाषी क्षेत्रों के बीस अनुसंधान विद्यार्थियो का अनुसंधान प्रयोजन हेतु हिन्दी भाषी विश्वविद्यालयों में यात्रा हेतु यात्रा-अनुदान प्रदान करने के लिए चयन किया। आलोच्य वर्ष के दौरान हिन्दी में लेखन हेतु गैर-हिन्दी लेखकों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए आठ नवीन-लेखक कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। इस वर्ष गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों के 16 हिन्दी लेखकों को पुरस्कार दिए गए।

भारतीय साहित्य की समानता की विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए कोचीन और बंबई में 2 राष्ट्रीय परिसंवादों का आयोजन भी किया गया। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा आठ विद्वानों (चार विद्वान गैर हिन्दी-भाषी क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की रुचि के विषयों में विद्यार्थियों की रुचि के विषयों पर व्याख्यान देने के लिए) का नामांकन किया गया है।

12.4.5 हिन्दी के प्रसार के लिए गैर हिन्दी राज्यों को अनेक निःशुल्क पुस्तकें भेजी गई हैं। निदेशालय का एक अन्य कार्य हिन्दी पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाना भी है। यह निदेशालय देश भर में फैली सरकार की विभिन्न इकाईयों में राजभाषा के तौर पर बोली जाने वाली भाषा का सर्वेक्षण भी कर रहा हैं। यह निदेशालय सिंधी भाषा का प्रसार भी कर रहा है। यह निदेशालय 'हिन्दी शिक्षा समिति" और 'शिक्षा पुरस्कार" के सचिवालय के तौर पर कार्य कर रहा है।

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (के० एच० एस०)

12.5.1 अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य के अनुसरण में केन्द्रीय संस्थान जिसका मुख्यालय आगरा में पांच केन्द्र दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, मैसूर, और शिलांग में स्थित है, हिन्दी अध्यापकों के लिए उनके राज्यों व संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों जैसे संबधी महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। ये केन्द्र जन-जातीय क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों के लिए विस्तार कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं। संस्थान ने अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षण के लिए पाठ्य-पुस्तकें और शिक्षण सामग्रियां तैयार की हैं।

12.5.2 संस्थान द्वारा 'विदेशों' में हिन्दी का प्रचार" स्कीम के अंतर्गत विदेशियों को हिन्दी पढ़ाने के लिए एक पूर्ण शैक्षिक पाठ्यक्रम चलाया जाता है। चालू वर्ष के दौरान भारत सरकार ने चार छात्रवृत्तियों की समयावधि आगे बढ़ाने सहित, विभिन्न विदेशी राष्ट्रों के 44 नए छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं। इस प्रकार शैक्षिक वर्ष 1993-94 में छात्रों की कुल संख्या 48 हो गई।

12.5.3 "हिन्दी सेवी सम्मान" नामक स्कीम के अंतर्गत दस जाने माने हिन्दी के विद्वानों को हिन्दी, हिन्दी पत्रकारिता, सृजनात्मक साहित्य, वैज्ञानिक और तकनीकी हिन्दी साहित्य आदि के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए।

आधुनिक भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति और विकास

12.6.1 त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन के लिए आधुनिक भारतीय भाषाओं में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सी.आई.आई.एल.) मैसूर अपने क्षेत्रीय भाषा केन्द्रों और उर्दू प्रशिक्षण अनुसंधान केन्द्रों पर विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के स्कूल शिक्षकों के लिए पूर्ण शैक्षिक वर्ष पाठ्यक्रम चला रहा है। चालू वर्ष के दौरान लगभग 258 शिक्षक नियमित कक्षाओं द्वारा भाषा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 486 प्रौढ़ शिक्षार्थी पत्राचार के माध्यम से तमिल, तेलुगू और बंगला में नामांकित किए गए हैं।

12.6.2 उत्तर प्रदेश सरकार के स्वैच्छिक क्षेत्र में भारतीय भाषाओं को पढ़ाने के लिए भाषा शिक्षण, पाठ्य सहायक सामग्री, भाषा-खेल, बंगला और उर्दू में कौशलकार कार्य, तमिल और तेलुगू में नर्सरी राइम, कन्नड़ में शिक्षण में जनमाध्यमों के प्रयोग पर मैनुअल तैयार किए गए। अंडमान और निकोबार द्वीपों की जनजाति "ओंज" का अध्ययन करने के पश्चात् इस भाषा को जनजातीय बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राथमिक और वीडियो कार्यक्रम तैयार किए गए।

12.6.3 संस्थान ने दक्षिण भारत की 4 भाषाओं में 100 आडियो कैसेट तैयार किए हैं ताकि सहायक पाठ्यपुस्तकों के रूप में स्कूलों में उन्हें प्रथम और द्वितीय

भाषा के रूप में पढ़ाया जा सके। संगणक अनुप्रयोग के क्षेत्र में साफ्टवेयर तैयार करने के लिए भारतीय भाषाओं के प्रयोग हेतु भाषा सहित उपयोगिता साफ्टवेयर का आई.बी.एम. पाठान्तर पूरा किया गया।

12.6.4 आधुनिक भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति और प्रचार के लिए स्वैच्छिक संगठनों और व्यक्तियों को प्रकाशन निकालने तथा पुस्तकों का क्रय पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसी प्रकार विभिन्न आधुनिक भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी की प्रोन्नति गतिविधियों में संलग्न स्वैच्छिक संगठनों को भी वित्तीय सहायता दी जाती हे।

12.6.5 हिन्दी भाषी राज्यों व संघ शासित प्रदेशों में आधुनिक भारतीय भाषा अध्यापकों के लिए एक योजना अनुमोदित की गई है तथा वर्ष 1993-94 से कार्यान्वियन हेतु राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों को वितरित कर दी गई है।

तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड

12.7.1 तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड, जो वर्ष 1969 में गठित किया गया था, एक शीर्ष परमर्शदात्री निकाय है जो भारत सरकार को उर्दू भाषा के प्रोन्नयन और विकास के लिए सलाह देता है। मानव संसाधन विकास मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं और संसद सदस्य, उर्दू के विद्वान तथा भाषा संस्थानों/संगठनों, राज्य सरकारों व अन्य सम्बद्ध सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि इसमें शामिल है।

12.7.2 उर्दू के प्रोन्नयन के लिए ब्यूरो बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर कार्य करता है तथा इन्हें कार्यान्वित करता है और इसके सचिवालय के रूप में कार्य करता है। वर्ष के दौरान ब्यूरो के मुख्य कार्यपालक निम्नलिखत होने की आशा है।

* लगभग 22 पुस्तकों को प्रकाशित किए जाने की सम्भावना है। दो विषयों में तकनीकी शब्दों की शब्दावली प्रकाशित होने वाली है।
* उर्दू विश्वकोष के चार खंड प्रेस को भेजने की योजन है।
* 'फ़िक-ए-तहकीक" नाम से अर्द्धवार्षिक अनुसंधान पत्रिका का चौथा व पांचवा अंक प्रकाशित किया जाएगा।
* सम्पूर्ण भारत में चालीस सुलेखन प्रशिक्षण केन्द्रों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। इनमें छः खासतौर पर महिलाओं के लिए है।
* संगठनों और व्यक्तियों को, उनसे भारी संख्या में पुस्तकें खरीदने के जरिए उर्दू में पुस्तकों के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता दी गई। भाषा प्रोन्नयन संबंधी कार्यकलापों के लिए मान्यताप्राप्त संस्थानों को भी वित्तीय सहायता दी गई।

12.7.3 उर्दू के प्रोन्नयन के लिए गुजरात समिति की सिफारिशों के कार्यान्वियन की जांच के लिए समितिः

12.7.4 उर्दू के प्रोन्नयन के लिए गुजरात समिति की सिफारिशों के कार्यान्वियन की जांच के लिए फरवरी, 1990 में सरकार ने सरदार अली जाफरी की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है। 18 सितंबर, 1990 को समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी। समिति की रिपोर्ट विचारधीन है।

उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना

12.7.5 भूतपूर्व सांसद श्री अजीज कुरैशी की अध्यक्षता में उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना पर गठित की गई समिति ने 12 जून, 1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट विचाराधीन है।

सिन्धी को बढ़ावा देना

12.7.6 सिन्धी भाषा को बढ़ावा देने तथा उसके विकास के लिए सरकार ने बडोदरा में सिन्धी विकास बोर्ड के कार्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया

है। स्टाफ की भर्ती तथा कार्यालय का स्थान प्राप्त करने के लिए कदम उठाएं जा रहे हैं।

12.7.7 वर्ष के दौरान सिन्धी के विकास कार्यक्रमों के लिए निधि प्रदान करने की योजना जारी थी।

अंग्रेजी भाषा शिक्षण में सुधार

12.8.1 देश में अंग्रेजी पठन/पाठन के स्तरों में बृहत् सुधार लाने के दृष्टिकोण से प्रत्येक राज्य में अंग्रेजी भाषा के लिए कम से कम एक जिला केन्द्र स्थापित करने के लिए सरकार केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान, (सी. ई. आई. एफ. एल.) हैदराबाद के माध्यम से सहायता दे रही है। अब तक 28 जिला केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। सरकार सी.आई.ई.एफ.एल. के माध्यम से विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय अंग्रेजी संस्थानों और अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थानों को भी सहायता दे रही है ताकि उन्हें सुदृढ़ बनाया जा सके। वर्तमान समय में दो क्षेत्रीय अंग्रेजी संस्थान और 9 अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान हैं।

विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का निर्माण

12.8.2 भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के निर्माण की योजना वर्ष 1968-69 में शुरू की गई थी। कुछ विश्वविद्यालयों को पुस्तकों के प्रकाशन के लिए सहायता प्रदान करने के साथ-साथ **भाग लेने वाले राज्यों को केंद्र सरकार** द्वारा 1.00 **करोड़** रु० तक की केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है सहभागी एजेंन्सियों से यह आशा की जाती है कि वह चल राशि का सृजन करके योजना को आत्म निर्भर बनाएं। इस योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखने के लिए अनुमोदित कर दिया गया है।

संस्कृत तथा अन्य प्राचीन भाषाओं का संवर्धन

12.9.1 संस्कृत तथा अन्य प्राचीन भाषाओं जैसे अरबी तथा फारसी के विकास तथा संवर्धन के लिए नाना प्रकार के कार्यक्रम तैयार करके कार्यान्वित किए गए। आलोच्य वर्ष के दौरान निम्नलिखित विकासात्मक कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए:-

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान

12.9.2 राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की स्थापना मानव विकास संसाधन मंत्रालय के अधीन 1970 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। देश में संस्कृत शिक्षा के प्रचार-प्रसार तथा विकास के लिए यह एक शीर्ष निकाय है। इन उद्देश्यों के अलावा संस्थान देश के विभिन्न भागों में स्थित केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठों के माध्यम से डाक्टरेट स्तर की संस्कृत शिक्षा प्रदान करता है तथा प्राचीन शिक्षण परम्पराओं और बौद्धिक काम-काज का परीक्षण करते हुए दुर्लभ पांडुलिपियों के परिरक्षण तथा प्रकाशन के लिए भी उपाय करता है।

12.9.3 अपने प्रारम्भिक चरण में ही संस्थान ने नौ केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठें स्थापित कीं। इनमें से दिल्ली तथा तिरुपति स्थित विद्यापीठों को सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया गया था और इस प्रकार ये दोनों विद्यापीठें स्वतंत्र रुप से कार्य कर रही हैं। शेष जम्मू, जयपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, पुरी, त्रिचुर तथा श्रंगेरी स्थित विद्यापीठें संस्थान द्वारा सीधे प्रकाशित हो रही है। श्रंगेरी स्थित विद्यापीठ का उद्‌घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 5 मार्च, 1992 को किया गया और श्री राजीव गांधी की मृत्यु के उपरांत उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण किया गया। निकट भविष्य में, भोपाल में एक नई विद्यापीठ खोलने की संभावना है जिस के लिए मध्य प्रदेश सरकार को भूमि आवंटित करनी है।

12.9.4 गुरुवायपुर, जम्मू, लखनऊ तथा जयपुर स्थित विद्यापीठों के परिसर निर्माणधीन हैं, जबकि संस्थान के भवन (मुख्यालय) निर्माण का कार्य शीर्घ शुरु किया जाएगा।

संस्कृत के प्रचार तथा प्रसार में कार्यरत स्वैच्छिक संस्कृत संस्थाओं को वित्तीय सहायता

12.9.5 इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों/ सस्थाओं को शिक्षकों के वेतन, छात्रों को छात्रवृत्ति, भवनों के निर्माण तथा मरम्मत फनीचर, लाईब्रेरी आदि के लिए आवर्ती तथा गैर-आवर्ती अनुदान प्रदान किया जाता है। उपरोक्त मदों के लिए मंत्रालय द्वारा 75% अनुदान दिया जाता है तथा परम्परागत वैदिक संस्थाओं के लिए 95% अनुदान दिया जाता है। आलोच्य वर्ष के दौरान, देश के लगभग सात सौ संस्कृत संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों/शोध संस्थाओं को वित्तीय सहायता की योजना

12.9.6 स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों द्वारा चलाए जा रहे कुछ उच्च अध्ययन तथा अनुसंधान की संस्थाओं को जो स्नातकोत्तर अध्ययन प्रदान कर रहें हैं, आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है और इन्हें आवर्ती व्यय का 95% तथा गैर आर्वी व्यय का 75% अनुदान प्रदान किया जाता हैं। अब तक चौदह स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालयों को तथा दो अनुसंधान संस्थाओं को इस योजना के अंतर्गत लाया गया है। इनमें से चार बिहार में, तीन-तीन उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा तथा महाराष्ट्र में दो-दो हिमाचल प्रदेश तथा केरल में एक-एक संस्थान है। आदर्श संस्कृत महाविद्यालय कांचीपुरम को सम-विश्वविद्यालय घोषित किया गया है।

राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान

12.9.7 जिन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की परिकल्पना की गई थी उन्हें पूरा करने के लिए इसने 1993-94 से अपना कार्यकलाप शुरु कर दिया है, मौखिक परंपरा का परिरक्षण एक प्रमुख कार्य है जिसे अब तक सम्पर्क, पत्राचार तथा कार्यशालाओं के माध्यम से कई क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय वैदिक सम्मेलनों की देख-रेख में वेद पाठशालाओं को बढ़ावा देने, वैदिक पंडितों को सहायता प्रदान करने, वैदिक पंडितों को अंलकृत करने, विभिन्न शाखाओं के वैदिक शलोकों को टेप करने तथा वैदिक पंडितों को प्रोत्साहित करने के रूप में आयोजित किया जा रहा है। प्रतिष्ठान का एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्य वैदिक ज्ञान की विषयवस्तु में विशेष तौर पर वैज्ञानिक ज्ञान की उन्नति के संदर्भ में अनुसंधान को बढ़ावा देना है। आलोच्य वर्ष के दौरान राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा निम्नलिखित कार्य कलाप शुरु किए गए हैं।

* दिनांक 11 जुलाई, 1993 से 19 जुलाई, 1993 तक संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित न्यूयार्क में अथर्ववेद पर आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए सचिव सहित दो प्रतिनिधियों को भेजा गया।
* कांचीपुरम में एक अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन आयेजित किया गया।
* जयपुर, कलकत्ता तथा बंबई में दिसंबर माह में क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं।
* मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा दिनांक 12 मई, 1993 को उज्जैन स्थित राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के मुख्यालय भवन का उद्घाटन किया गया और इस अवसर पर एक वैदिक सम्मेलन आयोजित किया गया।

श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (सम विश्वविद्यालय) नई दिल्ली

12.9.8 सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह विद्यापीठ, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का एक अंग भी। इसने 1 नवंबर, 1993 से एक सम- विश्वविद्यालय के रूप में प्रभावी स्तर में कार्य करना आरंभ किया। विद्यापीठ राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का एक घटक होने के नाते यह न केवल स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर

शिक्षा ही प्रदान करती है वरन स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, पी-एच० डी- डिग्रियों के प्रकाशनार्थ शोध छात्रों का मार्गदर्शन तथा सेमिनार, व्याख्यान मालाओं का भी आयोजन करती है।

12.9.9 वर्ष 1993-94 के शैक्षिक सत्र में प्राक् शास्त्री से विद्या वारिथि में पांच सौ उनतालिस (539) छात्रों का नामांकन किया गया। इस विद्यापीठ में चार संकाय हैं जिनमें 15 विभाग हैं. विद्यापीठ में एक छात्रावास है। इस छात्रावास में 97 छात्र रहते हैं। इस विद्यापीठ में एक पुस्तकालय है जिसमें 40,276 पुस्तकें हैं।

राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति (सम विश्वविद्यालय)

12.9.11 शास्त्रीय पंरपरा को परिरक्षित करने,शास्त्रों का निर्वचन करने, आज की समस्याओं के साथ उनकी प्रासंगिकता स्थापति करने तथा शिक्षकों को शास्त्रीय ज्ञान प्रदान करने और इन विषयों में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए 1987 में राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति को "सम विश्वविद्यालय" घोषित किया गया ताकि विद्यापीठ का अपना खुद का एक विशिष्ट चरित्र हो। सम विश्वविद्यालय के रूप में विद्यापीठ ने 1991 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया हैं।

12.9.12 इन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर विश्वविद्यालय में अवर स्नातक, स्नातक, स्नातकोत्तर तथा डाक्टोरेट स्तर पर अर्थात् प्राक्-शास्त्री, आयार्य, शिक्षा शास्त्री, शिक्षा आचार्य ओर विद्या-वारिधि में संस्कृत पढ़ाई जाती है। हाई स्कूलों और कालेजों के लिए संस्कृत में सक्षम शिक्षकों की प्रशिक्षित करने के लिए इस विद्यापीठ में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण दिया जाता है। आलोचनात्मक व्याख्याओं और अनुवादों के साथ संपादित संस्कृत की कृतियों के प्रकाशन कार्य भी चरणबद्ध तरीके से किया जाता हैं। ज्ञान के पारंपरिक संवर्धन के लिए आधुनिक और परंपरागत अध्येताओं के बीच बातचीत के अवसर भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

12.9.13 विद्यापीठ में 31 पूर्वकालिक तथा 4 अंशकालिक शिक्षक हैं जो शिक्षण और अनुसंधान का कार्य कर रहे हैं।

केंद्रीय संस्कृत सलाहकार बोर्ड/समितियां

12.9.14 केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड एक सलाहकार निकाय है जो देश में संस्कृत के प्रसार-प्रचार, प्रोन्नयन तथा विकास से संबंधित नीति के मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह देता है।

12.9.15 न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र की अध्ययक्षता में पुनर्गठित केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड की पहली बैठक 22.11.1993 को हुई। पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट पर चर्चा की गई तथा प्रत्येक सिफारिश के संबंध कुछ सुझाव दिए गए। यह भी निर्णय लिया गया कि एक वर्ष में कम से कम दो बार बोर्ड की बैठक होनी चाहिए।

राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों के माध्यम से संस्कृत के विकास की योजना।

12.9.16 यह केन्द्रीय योजनागत स्कीम है जिसे राज्य सरकारों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित पांच प्रमुख कार्यक्रमों के लिए शत-प्रतिशत आधार पर वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाता है।

क) अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे संस्कृत के प्रख्यात विद्वानों के लिए वित्तीय सहायता।

12.9.17 इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 1450 ऐसे प्रख्यात विद्वान जिनकी आय 4000/ रुपये प्रति वर्ष से कम है, अधिकतम 4000/रुपये प्रतिवर्ष तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहें हैं। वर्ष 1993-94

तक इस सूची में लगभग 50 और विद्वानों को शामिल किए जाने की संभावना।

ख) संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण।

12.9.18 संस्कृत शिक्षा की परंपरागत तथा आधुनिक प्रणालियों में संधि स्थापित करने के लिए परंपरागत संस्कृत पाठशालाओं में चुनिंदा आधुनिक विषयों को पढ़ाने हेतु शिक्षकों को नियुक्ति को सुकर बनाने के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है।

ग) उच्च और माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत पढ़ाने के लिए सुविधाए प्रदान करना

12.9.19 जिन राज्यों में राज्य सरकारें संस्कृत पढ़ाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं हैं वहां माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में नियुक्त होने वाले संस्कृत के शिक्षकों के वेतन पर आने वाले खर्च को वहन करने के लिए अनुदान दिया जाता है।

घ) उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत पढ़ रहे छात्रों को छात्रवृत्ति

12.9.20 माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत पढ़ने के लिए छात्रों को आकर्षित करने हेतु संस्कृत के छात्रों को योग्यता छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा IX सेXII के छात्रों को सामान्य छात्रवृत्ति कक्षा XI और XII के छात्रों को 25 /- प्रतिमाह की दर से तथा कक्षा XI और XII 35/- प्रतिमाह की दर से प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रतिवर्ष लगभग 3000 छात्र लाभान्वित होते है।

(ङ) संस्कृत की बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों की अपनी योजनाओं के लिए उन्हें अनुदान

12.9.21 संस्कृत के विकास और प्रचार-प्रसार के लिए अपने निजी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए इनकी रुपरेखा तैयार करने हेतु राज्य सरकारें स्वतंत्र हैं, जैसे शिक्षकों के वेतन को बढ़ाना, विद्वत सभाओं का आयोजन करके वैदिक विद्वानों को सम्मान देना, संस्कृत के शिक्षण के लिए सांध्यकालीन कक्षाएं चलाना, कालीदास समारोल का आयोजन करना इत्यादि। ऐसी संभावना है कि वर्ष 1993-94 में और अधिक राज्य सरकारें अनुदान के लिए इन कार्यक्रमों को शुरु करेगी।

वैदिक अध्ययन की मौखिक परंपरा/अखिल भारतीय वतृत्व कौशल प्रतियोगिता को बनाए रखना

(I) वैदिक अध्ययनों की मौखिक परंपरा को बनाए रखने के लिए विशेष प्रोत्साहन के रूप में 1978 में किए योजना शुरु की गई जिसके अंतर्गत प्रत्येक स्वाध्यायी से यह अपेक्षा होती है कि वह किसी भी वेद की किसी विविष्ट शाखा में 12 वर्ष से कम उम्र के दो छात्रों को प्रशिक्षित करेगा। इस प्रकार के 18 यूनिटों को वर्ष 1993-94 के दौरान सहायता प्राप्त होती रही है। इस योजना के अंतर्गत विद्वानों को 1250/रु० प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है तथा दो छात्रों को 175/ रु० प्रतिमाह वृत्तिका मिलती है।

(II) परंपरागत संस्कृत पाठशालाओं के छात्रों में संस्कृत अध्ययन की विभिन्न शाखाओं में वतृत्व की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अखिल भारतीय वतृत्व कौशल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। सभी राज्य सरकारोंसे एक शिक्षक सहित आठ छात्रों की टीम को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। पिछले वर्ष 19 जनवरी से 21 जनवरी, 1993 तक एम० एम० श्रीकृष्णानंद संस्कृत कालेज, 14 दर्प नारायण, ठाकुर स्ट्रीट (मध्य कलकत्ता), कलकत्ता --700007 , में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें 13 राज्यों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस वर्ष की प्रतियोगिता का संपूर्णानंद संस्कृत

विश्वविद्यालय, वाराणसी में 12,13 और 14 मार्च, 1994 को आयोजित किया जाना नियात है।

अरबी और फारसी के प्रचार-प्रसार और विकास करने में लगे स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

12.10.0 इस योजना के अंतर्गत अरबी और फारसी को प्रोन्नयन के लिए कार्यरत पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को-शिक्षकों को वेतन, छात्रवृत्ति, फर्नीचर, पुस्तकालय, पुस्तक आदि तथा अन्य ऐसे कार्यकल जिनसे अरबी और फारसी का विकास हो सके, के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अनुमोदित व्यय के 75% भाग तो वित्तीय सहायता उपलब्ध है। आलोच्य वर्ष के दौरान अरबी और फारसी के लगभग 200 स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है।

छात्रवृत्तियां

13

छात्रवृत्तियां

13.1.0 शिक्षा विभाग के राष्ट्रीय तथा विदेशी छात्रवृत्ति प्रभाग भारत तथा विदेश में विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थाओ में आगे अध्ययन/अनुसंधान के लिए भारतीय छात्रों अध्येताओं के लिए अभिहित अनेक छात्रवृत्तियों/शिक्षावित्तायों का संचालन करते हैं। इन छात्रवृत्तियों में भारत सरकार की छात्रवृत्तियों और विदेशों द्वारा प्रदान की गई शिक्षावृत्तियां-दोनों शामिल हैं। ऐसे की कुछ प्रमुख कार्यक्रम जिनकें अन्तर्गत वर्ष 1993-94 के दौरान छात्रवृत्तियां/शिक्षावृत्तियां प्रदान की गई थीं, इस प्रकार हैः-

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

13.2.0 इस योजना के अन्तर्गत, योग्यता एवं साधन के आधार पर उत्तर मैट्रिक अध्ययनों के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। छात्रवृत्तियों की दरें दिवस- अध्येताओं के लिए 60/- रुपये प्रतिमाह से 120/-रु० प्रति माह तथा अध्ययन के पाठ्यक्रमों पर निर्भर करते हुए, छात्रावासधारियों के लिए 100/-रुपये से 300/- रुपये प्रतिमाह तक भिन्न-भिन्न होती हैं। छात्रवृत्तियों की पात्रता के लिए आय सीमा 25,000/- रुपये प्रति वर्ष है।

राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना

13.3.0 इस योजना में पात्र छात्रों की योग्यता एवं साधन के आधार पर उत्तर मैट्रिक अध्ययनों के लिए अब तक ब्याज रहित ऋण प्रदान किया गया है। ऋण की राशि अध्ययन के पाठ्यक्रम पर निर्भर करते हुए 720/- रुपये से 1750/- रुपये प्रतिवर्ष तक भिन्न-भिन्न होती है। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जरिये योजना के कार्यान्वन की पुनरीक्षा के परिणास्वरुप योजना को अब पुनः तैयार किया जा रहा है ताकि ऋणों के संवितरण को तेज किया जा सके और सुव्यस्थित वसूली को भी सुकर बनाया जा सके। राष्ट्रीयकृत बैंको के जरिए ऋण प्रदान करने की सम्भावना की जांच की जा रही है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की योग्यता के प्रोन्नयन की योजना

13.4.1 यह योजना वर्ष 1987-88 में आरंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य अनु० जा०/अनु० ज० जा० के छात्रों की योग्यता को उन्हें अतिरिक्त प्रशिक्षण (कोंचिग) देते हुए, स्कूली विषयों में उनकी शैक्षिक कमियों को दूर करने तथा उन पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में जहां प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा पर आधारित है, में उनके दाखिले को सुकर बनाने की दृष्टि से स्तरोन्नत करना हैं। इस योजना में कोई आय-सीमा नहीं है। यह योजना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के जिरिए संचालित की जा रही है।

13.4.2 यह योजना 50 स्कूलों में 1000 छात्रों (670 अनु० जातियों तथा 330 अनु ज०.जातियों) के लिए प्रावधान करते हुए आरम्भ की गई थी। उपचारी शिक्षण (कोचिंग) कक्षा IX स्तर से आरम्भ होता है

और यह तब तक जारी रहता है जब तक छात्र कक्षा XII पूरी नहीं कर लेता है। इसके अतिरिक्त, विशेष शिक्षण (कोचिंग) कक्षा XI और XII में भी उपलब्ध कराया जाता है।

हिन्दी में उत्तर मैट्रिक अध्ययनों के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को छात्रवृत्तियां

13.5..0 यह योजना 1955-56 में आरंभ की गई थी। इसका उद्देश्य अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हिन्दी के अध्ययन को प्रोत्साहित करना तथा उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को जहां हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है, अध्यापन तथा अन्य पदों पर निगरानी रखने के लिए उपयुक्त कार्मिक उपलब्ध कराना है। वर्ष 1993-94 के दौरान विभिन्न अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2,500 छात्रवृत्तियां नियत की गई थी। छात्रवृत्तियों की दरें 50/- रुपये से 125/- रुपये प्रति माह तक भिन्न-भिन्न हैं जो अध्ययन के पाठ्यक्रम पर निर्भर करती है।

संस्कृत के अलावा अन्य प्राचीन भाषाओं अर्थात् अरबी फारसी आदि के अध्ययन में से लग्न परम्परागत संस्थाओं से उत्तीर्ण छात्रों को अनुसंधान छात्रवृत्तियां

13.6.0 वर्ष 1992-93 में, इस छात्रवृत्ति के लिए 20 अध्येताओं को चुना गया था। अध्येता अरबी और फारसी भाषाओं तथा साहित्य के कुछ सर्वाधिक सम्बद्ध क्षेत्रों में अपने-अपने अनुसंधान कार्य कुछ प्रसिद्ध संस्थाओं जैसे दारुल-उलूम, देवबंद (उ०प्र०) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (उ०प्र०), उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद (आ०प्र०), अरबी तथा फारसी अनुसंधान संस्थान, पटना (बिहार) आदि में कर रहें हैं। 1993-94 के दौरान, छात्रवृत्तियां प्रदान करने हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए यह योजना विज्ञापित की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभाशाली बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

13.7.1 यह योजना 1971-72 से चल रही है। इस योजना का लक्ष्य शैक्षिक अवसरों की वृहद समानता प्राप्त करना और ग्रामीण क्षेत्रों की सामार्थ्य प्रतिभाओं को अच्छे स्कूलों में उन्हें शिक्षा प्रदान करते हुए प्रोत्साहन देना है। यह योजना राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के जरिए क्रियान्वित की जा रही है। छात्रवृत्ति का वितरण प्रत्येक राज्य /संघ राज्य क्षेत्र में सामुदायिक विकास खंडों के आधार पर किया जाता है। छात्रवृत्तियां मिडिल स्कूल स्तर (कक्षा II/III) के अन्त में पुरस्कृत की जाती है और +2 स्तर सहित माध्यमिक स्तर तक जारी रहती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद/राज्य राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषदों की मदद से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा छात्रों का चयन किया जाता है। छात्रवृत्तियों की दर 30 रुपये से 100 रुपये प्रतिमाह के बीच होती है जैसे अध्ययन के पाठ्यक्रम पर आधारित होती है। इस योजना की समीक्षा मई, 1990 में की गयी थी और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से मूल्यांकन का कार्य नीपा को सौंपा गया है।

13.7.2 सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेशी सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियां

13.7.3 इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत, दाता देशों द्वारा संबंधित देश में उच्च अध्ययन के लिए भारतीय छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। विदेशी सरकारों और एजेंसियों द्वारा व्यावसायिक, जहाजरानी, लुगदी तथा कागज प्रौद्योगिकी, अणुजैविकी पुरातत्व विज्ञान, साहित्य, इतिहास, दर्शन, नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय रसायन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, सिलीसेट प्रौद्योगिकी, काष्ठ प्रौद्योगिकी वित्तीय प्रबंध, अर्थशात्र, सिरेमिक और ग्लास प्रौद्योगिकी, नौ-वास्तुकला, मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी, जल विज्ञान, कृषि बागवानी, वानिकी और पशु चिकित्सा

विज्ञान, समाज शास्त्र भूगर्भ इंजीनियरी, ऐतिहासिक स्मारकों के परिरक्षण और संरक्षण, राजनीति विज्ञान, शिक्षा, ललितकला, संगीत, नृत्य, जनसंख्या अध्ययन, औषधि तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी के अन्य क्षेत्रों में पी.एच.डी. तथा पोस्ट डाक्टरल अनुसंधान के लिए स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराई जाती हैं। छात्रवृत्ति प्रभाग द्वारा अक्तूबर, 1993 तक इन छात्रवृत्तियों को वास्तविक उपयोग इस प्रकार से हैं:

1.	चीन	15
2.	जापान	14
3.	आस्ट्रिया	1
4.	नार्वे	6
5.	जर्मनी	11
6.	आयरलैड	3
7.	प्रां स	1
8.	कोरिया (दक्षिणी)	1
9.	रोमनिया	1
10.	पोलेण्ड	1
	कुल	54

यू० के० कनाडा आदि की सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली राष्ट्रमंडलीय छात्रवृत्तियां/शिक्षावृत्तियां

13.8.0 इन छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के "अंतर्गत यू० के०,कनाडा, हांगकांग, नाइजीरिया, ट्रिनीडाड, टोबेगो तथा अन्य राष्ट्रमंडल देशों में उच्च अध्ययन/अनुसंधान/प्रशिक्षण के लिए भारतीय नागरिकों को छात्रवृत्तियां/शिक्षावृत्तियां दी जाती है। ये छात्रवृत्तियां प्रतिष्ठित है और देश तथा लाभग्राहियों के शैक्षिक और व्यावसायिक विकास के लिए काफी लाभदायक हैं। ये छात्रवृत्तियां कैंसर अनुसंधान, कार्डिओलांजी, स्त्रीरोग विज्ञान, न्यूरो सर्जरी, संगणक अध्ययन, इलैक्ट्रोनिकी, पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरी, समुद्री इंजीनियरी, पेपर- प्रौद्योगिकी, सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी, संचार, इंजीनियरी, जैव-प्रौद्योगिकी, जैव-रासायनिक इंजीनियरी, वाद्य-संगीत शास्त्र (इंस्ट्रूमेंटेशन) विश्वसनीयता इंजीनियरी, प्राकृतिक विज्ञान, कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र, मानिविकी और सामाजिक विज्ञान,पुरातत्व, इतिहास, म्युजिओलांजी, ललित कला, शिक्षण विधि, जनसंचार, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रशासन आदि में अध्ययन के लिए उपलब्ध कराई जाती है। प्रत्येक वर्ष भारतीय राष्ट्रकों को लगभग 100 पुरस्कार उपलब्ध कराये जाते हैं छात्रवृत्तियों की संख्या राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ की पेशकश पर निर्भर करती है। अक्तूबर,1993 तक इन कार्यक्रमों के अंतर्गत 45 अध्येताओं को विदेश भेजा गया है।

नेहरू शताब्दी (ब्रिटिश) शिक्षावृत्तियां/पुरस्कार

13.9.0 इस स्कीम के अंतर्गत भारतीय छात्रों को विकास अर्थशास्त्र, अंग्रेजी भाषा साहित्य, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ग्रामीण क्षेत्रों मं ऊर्जा सरंक्षण तथा लघु व्यवसाय विकास के क्षेत्र में उच्च उध्ययन/अनुसंधान के लिए यू० के० भेजा जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगभग 15 शिक्षावृत्तियों की पेशकश की जाती है। 31 अक्तूबर, 1992 तक 13 अध्येताओं का विदेश भेजा गया।

ब्रिटिश तकनीकी सहयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम

13.10.0 इस कार्यक्रम के अंतर्गत, शैक्षिक विकास और शैक्षिक परियोजना प्रबंध स्कूल परीक्षा आदि जैसी गतिविधियों में संलग्न कर्मिकों को 3-9 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। अक्तूबर, 1993 तक 2 उम्मीदवारों को विदेश भेजा गया है।

ब्रिटिश परिषद विजिटरशिप कार्यक्रम

13.11.0 इस कार्यक्रम के अंतर्गत अक्तूबर,1993 तक 148 वैज्ञानिक,. शिक्षाविद और चिकित्सा विशेषज्ञ अपने विशेषज्ञता के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकासों के पारस्परिक मूल्यांकन द्वारा लाभान्वित हुए।

ब्रिटिश उद्योग परिसंघ विदेश (ओवरसीज) छात्रवृत्ति स्कीम

13.12.0 इस स्कीम के अंतर्गत ब्रिटिश उद्योग परिसंघ लंदन सिविल इंजीनियरी और इलेक्ट्रोनिक्स/मेकैनिकल इंजीनियरी के विषय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए भारतीय राष्ट्रिकों को छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। सिविल/इलेक्ट्रिकल और मेकैनिकल इंजीनियरी विशेषकर यू०के० फर्मों के साथ सहयोग के लिए अनुबंधित फर्मों में कार्यरत भारतीय राष्ट्र इन छात्रवृत्तियों के योग्य हैं। इस योजना के अंतर्गत अक्तूबर, 93 तक दो उम्मीदवारों को विदेश भेजा गया।

जान क्राफोर्ड छात्रवृत्ति स्कीम

13.13.0 आस्ट्रेलिया मानविकी और सामाजिक विज्ञानों के विषय क्षेत्रों में स्नातकोत्तर अध्ययनों/उच्चतर अध्ययनों/अनुसंधान के बाद डाक्टोरल डिग्री के लिए भारतीय राष्ट्रिकों को योग्यता के आधार पर 24 छात्रवृत्तियों की पेशकश की है। 26 उम्मीद्वारों से स्वीकृति प्राप्त हुई है और आशा है कि वे फरवरी, 1994 में आस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाएंगे।

20 सूत्रीय कार्यक्रम और विकलांग वर्ग के लिए शिक्षा को सुलभ बनाना

14

20-सूत्री कार्यक्रम और विकलांगों को शिक्षा सुलभ कराना

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा

14.1.1 शिक्षा विभाग ने अपने सभी कार्यक्रमों में उनुसूचित जातियों और अनुसूचित अनजातियों की शिक्षा प बल देना जारी रखा जिसमें असमनाताओं को दूर करना और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, शैक्षिक अवसरों को समान करना शामिल है।

14.1.2. आपरेशन ब्लैकबोर्ड, गैर-औपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा आदि की योजनाओं के अन्तर्गत, राज्यों को उन ब्लाकों के चयन को उच्च प्राथमिकता देने की सलाह दी गई थी जहां पर अनुसूचित जातियां ओर अनुसूचित जनजातियां अधिक संख्या में हैं।

14.1.3 1987-88 में आरंभ की गई अनुसूचित जतियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की योग्यता को स्तरोन्नत करने की योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जरिए क्रियान्वित की जाती रही। इस योजना के अन्तर्गत, कक्षा-IX और XII में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उपचारी प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उन्हें तैयार करने हेतु कक्षा-IX और XII में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है

14.1.4 भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित शैक्षिक संस्थाओं में लेक्चरार के स्तर तक शिक्षकों की नियुक्तियों और दाखिलों में सीटों के आरक्षण (अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत), प्रवेश परीक्षाओं में अर्हक अंको में रियायत, कनिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्तियों का प्रावधान, वरिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्तियां, अनुसंधान सहयोज्यता (एसोशिएटशिप्स) और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए शिक्षक-शिक्षावृत्तियां जैसी अनय सुविधाएं जारी रहीं।

14.1.5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एक ऐसी योजना संचालित करता है जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उन छात्रों को, जो बहुत ही थोड़े अंको से अन्तर से संयुक्त प्रवेश परीक्षा में असफल हो जाते हैं, और प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उन्हें संगत पाठ्यक्रमों में दाखिला दिया जाता है।

अल्पसंख्यकों की शिक्षा

14.2.1 संशोधित कार्रवाई योजना 1992 के अनुसरण में, दो नई केन्द्रीय योजनाएं अर्थात् (1) शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र

गहन कार्यक्रम की योजना और (2) मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता की योजना तैयार की गई।

शैक्षिक रूप से से पिछड़े हुए अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम की योजना

14.2.2 योजना का मूल उद्देश्य शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए अल्पसंख्यकों की सघनता वाले उन क्षेत्रों में मूल शैक्षिक अवस्थापना और सुविधाएं प्रदान करना है जहां प्रारम्भिक और माध्यमिक स्कूलों के लिए पर्याप्त उपलब्ध नहीं हैं। इस कार्यक्रम के प्रबन्ध हेतु ब्लाक/तहसील पर बल दिया जाता है। प्रत्येक ब्लाक क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट अभिज्ञेय परियोजना तैयार की जानी है।

14.2.3 इस योजना के अन्तर्गत, निम्नलिखित के लिए शत-प्रतिशत सहायता दी जाती है:- (1) नए प्राथमिक और अपर-प्राथमिक स्कूलों, गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना जहां इनकी आवश्यकता महसूस की जाती है और जो स्कूल मानचित्रण किए जाने के आधार पर स्थापित किए जाने में व्यवहार्य हों। (2) प्राथमिक तथा अपर प्राथमिक स्कूलों में शैक्षिक अवस्थापना और भौतिक सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना और, (3) जहां शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए अल्पसंख्यकों को विज्ञान, वाणिज्य, मानविकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं, वहां लड़कियों के लिए बहुविषयक आवासीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोलना।

14.2.4 यह योजना 11 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में क्रियान्वयन के लिए जून, 1993 के प्रथम सप्ताह में चलाई गई हैं तथा इसमें कार्रवाई योजना, 1986 में शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों को सघनता वाले ब्लाकों का निर्धारण किए जाने तक पता लगाए गए 41 अल्पसंख्यक सघनता वाले जिलों को शामिल किया गया हैं।

14.2.5 आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस योजना के लिए 16.27 करोड़ रु० की राशि प्रस्तावित की गई है। वर्ष 1993-94 के दौरान इस योजना के लिए बजट प्रावधान 2.20 करोड़ रु० है।

मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता की योजना

14.2.6 मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता की योजना मदरसों तथा मक्तवों की पाठ्यचर्या में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिन्दी और अंग्रेजी आरंभ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की दृष्टि से तैयार की गई है। यह योजना इन पारम्परिक संस्थाओं के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को आरंभ करने में सहायक होगी। आरम्भ किए जाने वाले नए विषयों के अध्यापन के योग्य शिक्षकों की नियुक्ति के लिए इस प्रकार की संस्थाओं को मंत्रालय द्वारा शत-प्रतिशत सहायता दी जाएगी। यह योजना राज्य सरकारों के जरिए लागू की जा रही है।

अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए अनुवीक्षण समिति

14.2.7 अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए एक केन्द्रीय अनुवीक्षण समिति भी गठित की जा रही हैं जो कार्रवाई योजना, 1992 के अध्याय- 3 प्रस्तावित कार्यक्रमों का अनुवीक्षण करेगी

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग कक्षाओं की योजना

14.2.8 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को तैयार करने के लिए 1984 में एक कोचिंग योजना आरम्भ की ताकि वे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा

(I) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अन्तर्गत सेवाओं में भर्ती के लिए, और

(II) टंकण, आशुलिपि, संगणक तथा सचिवालयीय पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त, इंजीनियरी, चिकित्सा, कृषि और प्रबन्ध पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए।

14.2.9 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस समय 21 विश्वविद्यालयों तथा 32 कालेजों में इस योजना को क्रियान्वित कर रहा हैं। इसके अतिरिक्त, दो क्षेत्रीय स्रेत केन्द्र जो कालीकट और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्थित हैं, अध्यापन तथा अध्ययन सामग्रियों को तैयार करने के उद्देश्य से तथा प्रशिक्षण (कोचिंग) केन्द्रों के पदाधिकारियों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम चलाने के लिए भी, स्थापित किए गए थे। अभी तक मार्च, 1993 तक 41002 छात्र प्रशिक्षण कक्षाओं की सुविधा से लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 1992-93 के दौरान, लगभग 2650 छात्र उत्तीर्ण हुए।

14.2.10 इस योजना को मार्च, 1993 में पुनः संसोधित किया गया था। संसोधित योजना के अन्तर्गत, प्रशिक्षण(कोचिंग) कक्षाओं जिनका विवरण नीचे दर्शाया गया है, के समन्वय तथा आयोजन में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्रों का पता लगाया है:-

(I) जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय : नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब तथा मध्य प्रदेश।

(II) बम्बई विश्वविद्यालय : महाराष्ट्र और गुजरात।

(III) मद्रास विश्वविद्यालय : तमिलनाडू, केरल, उड़ीसा।

(IV) उस्मानिया विश्वविद्यालय : आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक।

(V) कलकत्ता विश्वविद्यालय : पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्वी राज्य।

अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सामुदायिक पालिटेक्निक

14.2.11 15 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के एक भाग के रूप में, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में दस पालिटेक्निकों को वर्ष 1984-85 के दौरान, स्तरोन्नत करने के लिए चुना गया था। वित्तीय वर्ष 1990-91 के अन्त तक, सभी 41 अल्पसंख्यक बहुल जिलों को सामुदायिक पालिटेक्निकों अथवा उनके विस्तार केन्द्रों द्वारा शामिल किया गया है।

अल्पसंख्यक प्रबन्धित स्कूलों में प्रधानाचार्यो/प्रबन्धकों/शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमः

14.2.12 रा० शै०अनु०प्रशि०परि० अल्पसंख्यक प्रबन्धित स्कूलों के प्रधानाचार्यो/शिक्षकों के लिए सेमिनार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता चला आ रहा है। इस कार्यक्रम में, प्रधानाचार्यो तथा प्रबन्धकों के लिए तैयार सेमिनार एवं कार्यशाला, और अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, शिक्षा का व्यावसायीकरण तथा शैक्षिक मूल्यांकन विषय क्षेत्रों में अल्पसंख्यक प्रबन्धित संस्थाओं के शिक्षकों के लिए कार्यक्रम शामिल हैं। इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम रा०शै०अनु०प्रशि०परि० के क्षेत्रीय स्रोत केन्द्रों के द्वारा भी आयोजित किए जा रहे हैं। अब तक लगभग 450 प्रधानाचार्यो तथा 950 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

अल्पसंख्यक प्रबन्धित संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश

14.2.13 शिक्षा विभाग ने अल्पसंख्यक प्रबंधित संस्थाओं के रूप में शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए नीति विषयक मानदण्ड तथा सिद्धान्त तैयार किए हैं और ये राज्य सरकारों को परिचालित कर दिए गए हैं ताकि वे इस मामले में विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार कर सकें।

आयोजना, प्रबंध और अनुश्रवण

15

आयोजना, प्रबन्ध और अनुश्रवण

शिक्षा का विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध

15.1.0 पंचायती राज और शहरी निकायों के संबंध में 73वें तथा 74वें संवैधानिक संशोधनों के परिणाम स्वरूप शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध पर केब समिति शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध के लिए विस्तृत पैरामीटर तैयार करने के लिए गठित की गई थी। समिति ने 18 सितम्बर, 1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। समिति की सिफारिशें यह दर्शाती हैं कि संविधान संशोधनों के अनुसरण में जिला, तालुक/मंडल और ग्रामीण स्तर पर शैक्षिक ढांचा किस प्रकार का गठित किया जाना चाहिए। 15 अक्टूबर, 1993 को आयोजित अपनी बैठक में के.शि.स.बो. ने संवैधानिक संशोधनों की भावना के साथ-साथ अपनी विशिष्ट स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा उचित अनुकूलन तथा प्रभावी कार्यान्वयन के लिए रिपोर्ट का समर्थन किया तथा सिफारिश की।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (के.शि.स.बो.)

15.2.1 केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (के.शि.स.बो.) की 49वीं बैठक 15 अक्टूबर, 1993 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। के.शि.स.बो. ने विभिन्न राज्यों की कार्रवाई योजना तैयार करने में हुई प्रगति को नोट किया और यह संकल्प व्यक्त किया कि सभी राज्य सरकारों और संघशासित प्रशासनों को 31 दिसम्बर, 1993 तक व्यापक कार्रवाई योजना तैयार की जानी चाहिए जिसमें कार्रवाई योजना 1992 की रूपरेखाओं के आधार पर तथा अपनी स्थिति संबंधी आदेशों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तर तथा पहलू शामिल हैं। राज्य कार्रवाई योजना तैयार करने की प्रक्रिया पूरी तरह सहयोगात्मक होनी चाहिए। इस कार्रवाई योजना में पर्याप्त शिक्षा शास्त्रीय, शैक्षिक और प्रबन्धकीय निवेश को शामिल किया जाना चाहिए।

15.2.2 केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने शिक्षा का विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध, विधान परिषदों में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व और ज्ञानम समिति रिपोर्ट के संबंध में केब समितियों की रिपोर्ट पर भी विचार किया। इसने शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध तथा विधान परिषदों में शिक्षकों के प्रतिनिधित्व का समर्थन किया और महसूस किया कि ज्ञानम समिति की रिपोर्ट पर अधिक विचार-विमर्श करना अपेक्षित था। के.शि.स.बो. ने यशपाल समिति की रिपोर्ट पर भी विचार किया और यह निर्णय किया कि प्रासंगिक मुद्दों पर शैक्षिक विशेषज्ञों, शिक्षकों में अधिक व्यापक विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। बैठक में स्कूल पाठ्यपुस्तक मूल्यांकन संबंधी राष्ट्रीय संचालन समिति का स्तर संवैधानिक राष्ट्रीय आयोग का करने के प्रस्ताव का भी समर्थन किया।

मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन

15.2.3 नौ सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों की सभी के लिए शिक्षा समिति और साक्षरता पर राष्ट्रीय विकास परिषद् (एन.डी.सी.) समिति की रिपोर्टों तथा शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (के.शि.स.बो.) समिति की कार्रवाइयों पर विचार करने के लिए 15 फरवरी, 1994 को प्रधानमंत्री द्वारा मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन विशेष रूप से बुलाया गया था। राज्य योजनाओं में संसाधनों को गतिशील बनाने तथा

प्राथमिक तथा प्रौढ़ शिक्षा को उच्च प्राथमिकता प्रदान करने में केन्द्र सरकार के प्रयासों को पूरा करने का निर्णय किया।

राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान

15.3.1 राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में राष्ट्रीय शीर्षस्थ संस्था के रूप में भारत सरकार द्वारा गठित एक स्वायत्तशासी निकाय है। संस्थान के कार्यकलापों का मुख्य क्षेत्र जिसमें शैक्षिक आयोजकों और प्रशासकों का प्रशिक्षण, अनुसंधान नवाचारों तथा परामर्शी सेवाओं का प्रसार, शामिल है। आलोच्य अवधि के दौरान शैक्षिक आयोजकों तथा प्रशासकों का प्रशिक्षण, शोध, नवाचारों तथा परामर्शी सेवाओं के संबंध में कार्यकलापों को जारी रखा।

प्रशिक्षण कार्यकलाप

15.3.2 राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) नए शैक्षिक विकासों के संबंध में उनकी जागरूकता को बढ़ाने, शैक्षिक प्रबन्ध की आधुनिक तकनीकियों से उन्हें परिचित करने और शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन के लिए उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के विचार से शैक्षिक कार्यकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रति वर्ष अनेक सेमिनार, कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है।

15.3.3 वर्ष 1993-94 के दौरान, संस्थान ने 30 कार्यक्रम (दिसम्बर,1993 तक) आयोजित किए, अन्य 16 कार्यक्रम तिमाही जनवरी-मार्च, 1994 में आयोजित किए जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रशिक्षण एवं अनुस्थापन कार्यक्रम वर्ष के दौरान आयोजित किए गए वे इस प्रकार हैं :-

- एस. सी. ई. आर. टी. तथा एस. आई. ई. आदि के जिला स्तरीय शैक्षिक प्रशासक तथा संकाय सदस्यों के लिए शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन (डी ई पी ए) में चौदहवां डिप्लोमा (1 नवम्बर, 1993 से 31 जनवरी, 1994 तक)
- क्षेत्र स्तरीय शैक्षिक अधिकारियों की कारगरता को सुधारने के लिए प्रशिक्षण के महत्व को समझते हुए, संस्थान शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन डिप्लोमा के मार्गदर्शन में विशेष रूप से तैयार किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। यह पाठ्यक्रम विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा नेट (एस एस एन) सहायता के अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा अब तैयार किए जा रहे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से सम्बद्ध अधिकारियों के लिए तथा शिक्षा की आयोजना तथा प्रबन्ध से सम्बद्ध अधिकारियों के लिए है।
- पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत शिक्षा के प्रबन्ध पर राष्ट्रीय सेमीनार (यूनीसेफ द्वारा प्रायोजित) (3-4 मई, 1993)
- शैक्षिक कालेजों में गुणवत्ता के आश्वासन और कवरेज पर कार्यशाला का आयोजन (6-7 जुलाई, 1993)
- शैक्षिक स्टाफ कालेजों की आयोजना एवं प्रशासन ए एस सी के निदेशकों की बैठक (23-24 अगस्त, 1993)
- बुनियादी शिक्षा के लिए शैक्षिक सुधार कार्यक्रमों की आयोजना तथा प्रबन्ध (20-22 सितम्बर,1993)
  राज्य और जिला स्तरों पर प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण के लिए आयोजना 26 अक्टूबर-5 नवम्बर, 1993)
- शैक्षिक आयोजना तथा प्रबंध के लिए कम्प्यूटर अनुप्रयोग (22 नवम्बर- 3 दिसम्बर, 1993)
- विकासशील देशों के शिक्षा विभागों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन में दसवां अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम 1 फरवरी, 1994 से आयोजित किया जाएगा।

अनुसंधान कार्यकलाप

15.3.4 संस्थान के मुख्य कार्यकलापों में से एक शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य शुरू करना, सहायता प्रदान करना, बढ़ावा देना तथा समन्वित करना है। वर्ष के दौरान पाँच अनुसंधान

अध्ययन/परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं जबकि आठ अनुसंधान अध्ययन/परियोजनाएं प्रगति पर हैं इनमें से पाँच में अध्ययन शुरू कर दिया गया है और चार नीपा की सहायता योजना के अंतर्गत हैं।

पूर्ण किए गए अध्ययन (5)

1. शैक्षिक संस्थाओं की स्वायतता का प्रबन्ध : स्वायत्त कॉलेजों का अध्ययन।
2. स्कूलों में शैक्षिक प्रौद्योगिकी का एक मूल्यांकन अध्ययन (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित)
3. प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण के अनुश्रवण के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण पर अध्ययन (भा.सं.वि.मं., शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित)
4. शैक्षिक सांख्यिकी में नमूना सर्वेक्षण तकनीकियों का प्रयोग (यूनेस्को द्वारा प्रायोजित)
5. स्कूल प्रिंसिपलों की प्रशिक्षण जरूरतों का पता लगाना (नीपा की सहायता योजना के अंतर्गत)

प्रकाशन

15.3.5 निम्नलिखित प्रकाशन चालू वर्ष में निकाले गए और व्यापक रूप से प्रसारित किए गए :-

- शैक्षिक विकास में क्षेत्रीय असमानताएं (निर्धारित मूल्य) एस. सी. नूना द्वारा सम्पादित
- सभी के लिए शिक्षा-रेखाचित्र प्रस्तुती (संशोधित संस्करण)
- सभी के लिए शिक्षा हेतु आंतरिक तथा बाह्य संसाधनों को गतिशील बनाना - विषयवस्तु संबंधी कागजात।
- शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन पत्रिका, खण्ड-V सं. 2 अप्रैल, 1992, खण्ड-VI सं. 3, जुलाई, 1992 और खण्ड सं. 4 अक्टूबर, 1992

परामर्शीय एवं व्यावसायिक सहायता

15.3.6 संस्थान के संकाय सदस्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ-साथ राष्ट्रीय राज्य और संस्थागत स्तरीय निकायों को परामर्शीय एवं व्यावसायिक सहायता प्रदान करते हैं। जिन एजेंसियों को परामर्शीय एवं व्यावसायिक सहायता दी जाती है, उनमें देश के भीतर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्य शिक्षा विभाग, राज्य उच्च शिक्षा परिषद् एस.सी.ई.आर.टी. और अन्य संस्थाएँ शामिल हैं। यूनेस्को, युनीसेफ विश्व बैंक और एस.आई.डी.ए. जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों को भी परामर्शीय सहायता प्रदान की जाती है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

15.3.7 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) 1993 में शुरू किया गया है। यह जिला स्तरीय आयोजना की कार्यनीति को संचालित करने का प्रयत्न करता है। संस्थान संकाय चुनिंदा राज्यों में बाह्य सहायता के लिए प्रस्तुत की जाने वाली परियोजनाओं के अनुमानित खर्च तथा जिला योजनाओं को तैयार करने में व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के जरिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में गहराई से शामिल है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शामिल किए जिलों को आठ राज्यों से लिया गया है।

केब समिति

15.3.8 संस्थान केब की विभिन्न समितियों को निरन्तर व्यावसायिक सहायता प्रदान कर रही है। वर्ष के दौरान शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध के संबंध में समिति की सहायता करने के लिए संस्थान द्वारा एक कोर ग्रुप गठित किया गया था। संस्थान के संकाय ने संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1992 के कार्यन्वयन के लिए राज्य स्तरीय कार्रवाई योजना तैयार करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा बुलाई गई क्षत्रीय बैठकों में भी भाग लिया।

सभी के लिए शिक्षा

15.3.9 इसके अलावा संस्थान ने नौ सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों की सभी के लिए शिक्षा समिति के संगठन में शैक्षिक सहायता प्रदान की है। शिक्षा के लिए संसाधनों को गतिशील बनाने संबंधी कागजात का अंशदान करने के अलावा, पेनल परिचर्चा के लिए संस्थान ने इस अवसर पर "सभी के लिए शिक्षा - रेखा-चित्र

प्रस्तुतीकरण" को प्रकाशित किया।

शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए अध्ययनों/सेमिनारों, मूल्यांकन आदि के लिए सहायता की योजना।

15.4.1 शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए अध्ययनों, सेमिनारों, मूल्यांकन आदि की योजना का उद्देश्य शिक्षा नीति से संबंधित मुद्दों, इसके प्रबंधन, कार्यान्वयन और संबंधित मुद्दों पर सेमिनारों, कार्यशालाओं, प्रभाव और मूल्यांकन अध्ययनों आदि के संचालन के लिए उपयुक्त संस्थानों और संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

15.4.2 वर्ष 1993-94 के दौरान एक कार्यशाला, आठ बैठकों, दो सम्मेलनों, पांच अध्ययनों, सत्रह सेमिनारों के आयोजन और दो पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

वार्षिक योजना

15.5.0 शिक्षा विभाग की वार्षिक योजना (1994-95) के प्रस्तावों को योजना आयोग के दिशा-निर्देश संबंधी कागजात में दी गई प्राथमिकताओं तथा लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। शिक्षा विभाग के प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया था, जिसकी बैठकें 10 दिसम्बर, 1993 को सदस्य सचिव, योजना आयोग द्वारा तथा 14 जनवरी, 1994 को मा.सं.वि. मंत्री तथा उपाध्यक्ष योजना आयोग के बीच में आयोजित की गई थी।

शैक्षिक सांख्यिकी

15.6.1 शैक्षिक आंकड़ों के संकलन और मुद्रण में लगने वाले समय को घटाने के दृष्टिकोण से कार्रवाई योजना, 1992 को कार्यान्वित करने के लिए वर्ष के दौरान आयोजित क्षेत्रीय कार्यशालाओं में शैक्षिक आंकड़ों को समय पर संग्रहित करने पर बल दिया गया। राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश की सरकारों से अपनी-अपनी कार्रवाई योजनाओं में इस मद को शामिल करने का अनुरोध किया गया था।

15.6.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दूसरा महत्वपूर्ण कार्यकलाप अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा स्तर वर्गीकरण (आई.एस.सी.ई.डी.) की समीक्षा करने के लिए कार्यशाला का आयोजन था। कार्यशाला 13-15 अक्तूबर, 1993 को नई दिल्ली में यूनेस्को के तत्वावधान में नीपा आयोजित की गयी थी और कार्यशाला में सामने आए वर्तमान वर्गीकरण को संशोधित करने के लिए सुझावों/सिफारिशों को अगली कार्रवाई के लिए यूनेस्को के पास भेज दिया गया है।

15.6.3 वर्ष के दौरान लम्बित पड़े प्रकाशन कार्य को निपटाने के लिए विभाग में जी-तोड़ प्रयास किए गए। एक विशेष अभियान चलाया गया और इस अभियान के अन्तर्गत 1987-88 से 1989-90 के लिए तब से 17 प्रकाशन निकाले गए हैं।

15.6.4 शैक्षिक आंकड़ों के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए शैक्षिक आंकड़ों के संगणीकरण की योजना को और सुदृढ़ किया गया और 8 लाख रुपये की राशि संगणीकीकृत आंकड़ों को राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के मुख्यालयों में संसाधित करने के लिए एन.आई.सी. को प्रदान की गई। राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को संगणीकीकृत एस.1, एस. 2, एस.3 प्रपत्रों को पर्याप्त संख्या में मुद्रित करने के लिए कहा गया है। अपेक्षित होने पर प्रपत्रों के मुद्रण की लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी। "शैक्षिक आंकड़ों के लिए कोर सूचना कार्यढांचा" का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों का दल गठित किए जाने का प्रस्ताव है।

15.6.5 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारत में शिक्षा श्रेणी के अन्तर्गत निम्नलिखित का प्रकाशन किया गया था, प्रकाशन के लिए तैयार है :-

1. चयनित शैक्षिक आंकड़े 1991-92
2. भारत में शिक्षा खण्ड-I (एस.) 1987-88
3. भारत में शिक्षा खण्ड-I (एस.) 1988-89
4. भारत में शिक्षा खण्ड-I (सी.) 1987-88
5. भारत में शिक्षा खण्ड-I (सी.) 1988-89
6. भारत में शिक्षा खण्ड-I (सी.) 1989-90
7. भारत में शिक्षा खण्ड-II (सी.) 1985-86
8. भारत में शिक्षा खण्ड-II (सी.) 1987-88
9. भारत में शिक्षा खण्ड-II (एस.) 1987-88
10. भारत में शिक्षा खण्ड-II (एस.) 1988-89

11. भारत में शिक्षा खण्ड-II (एस.) 1984-85

12. भारत में शिक्षा खण्ड-I (एस.) 1989-90

13. विदेश जाने वाले भारतीय विद्यार्थी/प्रशिक्षणार्थी 1987-88

14. विदेश जाने वाले भारतीय विद्यार्थी/प्रशिक्षणार्थी 1990-91

15. स्कूली शिक्षा पर चयनित सूचना 1990-91

16. स्कूली शिक्षा पर चयनित सूचना 1992-93

17. चयनित शिक्षा आंकड़े 1992-93

संगणीकीकृत प्रबन्धन सूचना पद्धति

(सी. एम. आई. एस.)

15.7.1 संगणीकीकृत प्रबन्धन सूचना पद्धति (सी.एम. आई.एस.) का मुख्य उद्देश्य शिक्षा विभाग के लिए प्रबन्धन सूचना पद्धति के कार्यान्वयन के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करना और अनुरक्षित करना है। वर्तमान समय में इस इकाई के पास लाईन, डॉट-मेट्रीक्स और लेजर प्रिन्टर के साथ 3 पी.सी /ए.टी. 387 और 3 पी.सी./ए. टी./286 हैं। इस इकाई में एन.आई.सी. के सुपर पी.सी. कॉस्मोस 486 पद्धति के दो टर्मिलनों को भी स्थापित किया गया है। संगणकीकरण के लिए लगभग तीस परियोजनाओं का चयन किया गया और उन्हें सफलतापूर्वक पूरा किया गया। ये आयोजना, मानीटरिंग और सांख्यिकीय प्रभाग, प्रशासन, पुस्तक प्रोन्नयन, छात्रवृत्ति आदि से है। इनमें से अधिकतर परियोजनाएं सतत चलने वाली प्रकृति की हैं और इन्हें मासिक त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संसाधित किया जाता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए संगणकीकरण हेतु कुछ नए क्षेत्रों का भी पता लगाया गया है। वर्तमान पदों को स्तरोन्नत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

15.7.2 इस वर्ष के दौरान विभाग की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक योजना प्रस्ताव, केब समिति की रिपोर्ट, सभी के लिए शिक्षा शिखर सम्मेलन के लिए प्रलेखन कार्य जैसे विभिन्न रिपोर्टों से संबंधित कार्य भी शुरू किए गए हैं।

15.7.3 इस एकक द्वारा कम्प्यूटरीकरण के लिए आरंभ की गई परियोजनाओं की सूची निम्नवत् है :-

प्रशासन -

- आन्तरिक समायोजन के उद्देश्य से नाम, पद, प्रभाग, अनुभाग, कार्यग्रहण तिथि आदि जैसे चुनिन्दा क्षेत्रों में शिक्षा-विभाग के समूह "ख" व समूह "ग" के अधिकारियों से संबंधित डाटावेस का सृजन।
- शिक्षा विभाग में कर्मचारी वृन्द की स्थिति पर निगरानी रखने के लिए तैयार किए गए डाटावेस व साफ्टवेयर।
- शिक्षा विभाग के अधीन कार्य करने वाले उन स्वायत्त संगठनों/अधीनस्थ कार्यालयों का विवरण जिनमें संगठन के अध्यक्षों के पद रिक्त पड़े हैं तथा उन्हें भरने के लिए कार्रवाई की गई है।
- रिक्तियों तथा उप-सचिव/निदेशक के ग्रेड में चयनित अधिकारियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण।
- शिक्षा-विभाग के अधिकारियों (उप-सचिव तथा उससे ऊपर) के अधिकारियों की राज्यवार/कैडरवार सूची।
- शिक्षा विभाग की वेतन बिल प्रणाली।
- शिक्षा विभाग के अधिकारियों की वसूली सूची।
- शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए डाटावेस का सृजन।
- सेवा एवं आपूर्ति के समेकित व्यय का अनुवीक्षण।
- टेलीफोन डायरेक्टरी।

सांख्यिकी

- "एजूकेशन इन इण्डिया" खण्ड -I (एस.)
- "एजूकेशन इन इण्डिया" खण्ड -II (एस.)
- "एजूकेशन इन इण्डिया" खण्ड -I (सी.)

- "एजूकेशन इन इण्डिया" खण्ड -II (सी.)
- "एजूकेशन इन इण्डिया" खण्ड -III
- चुनिन्दा शैक्षिक सांख्यिकी
- चुनिन्दा स्कूल सूचना
- शैक्षिक सांख्यिकी-एक झलक
- विदेशों में जाने वाले भारतीय छात्र
- विदेशों में जाने वाले भारतीय प्रशिक्षणार्थी
- "ए हैंडबुक ऑफ एज्यूकेशनल एण्ड एलाइड स्टेटिक्स 1991" नामक प्रकाशन के लिए विकसित डाटाबेस और उत्पादित सारिणियों।
- शिक्षा मंत्रियों/मुख्य सचिवों/शिक्षा सचिवों/ डी.पी.आई. आदि का डाटाबेस।

आयोजना

वर्ष 1993-94 के लिए वार्षिक योजना प्रस्ताव

पुस्तक प्रोन्नति

राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय एकांश के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांकन (आई एस बी एन) प्रणाली का सृजन।

अ.जा./अ.ज.जा. एकक

भारत में शिक्षा खंड IV (एस.)

भारत में शिक्षा खंड IV (सी.)

विविध कार्य

15.7.4 विशेष छूट (मा.सं.वि. मंत्री, मंत्री, परामर्शदात्रा समिति के सदस्य, सांसद आदि) के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर के.वि.सं. के दाखिला का कम्प्यूटरीकरण।

यह एकक अन्य प्रभागों को हार्डवेयर और साफ्टवेयर के रखरखाव के लिए सहायता उपलब्ध करता है। संगणक जागरूकता पैदा करने तथा कम्प्यूटर के संचालन तथा साफ्टवेयर के अनुप्रयोग में बुनियादी विशेषज्ञता उत्पन्न करने के लिए इस एकक ने विभाग के विभिन्न प्रभागों के अवर श्रेणी लिपिकों/उच्च श्रेणी लिपिकों तथा आशुलिपिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया।

शिक्षा विभाग के लिए राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा विकसित संगणक आधारित प्रबंध सूचना प्रणाली।

15.8.1 राष्ट्रीय सूचना केन्द्र ने शिक्षा विभाग में एक संगणक केन्द्र स्थापित किया है तथा इसने जे.सी.एम. कासमास 80486 प्रणाली को स्थापित किया है और 25 टर्मिनलों का एक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (लेन) स्थापित किया है। संगणक आधारित प्रबंध सूचना प्रणाली विकसित करने के लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र के अधिकारियों की एक टीम शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ निकट के समन्वय से काम कर रही है। वर्ष 1993-94 के उल्लेखनीय कार्यकलाप निम्नलिखित हैं :-

- एस 1, एस 2 और एस 3 प्रारूप के आधार पर शैक्षिक सांख्यिकी के संगणकीकरण की योजनागत स्कीम के लिए सॉफ्टवेयर को विकसित करने का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा राष्ट्रीय सूचना केंद्र के सभी राज्य केंद्रों को सॉफ्टवेयर वितरित कर दिया गया है।
- केन्द्रीय विद्यालय संगठन के संबंध में संगणकीकरण के विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाने वाली तथा सूचना प्रणालियों के संगणकीकरण और संगणक केंद्र स्थापित करने पर आने वाली लागत का अनुमान उपलब्ध कराने वाली संभाव्यता अध्ययन रिपोर्ट तैयार कर ली गई है।
- एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जिसमें राज्यवार और जिलावार पुरुष, महिला और सामूहिक साक्षरता दरें तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों की आसानी से पहचान करने के लिए पुरुष, महिला तथा सामूहिक साक्षरता दरों के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर जिले का रैंक दिया गया है।
- एक डाटा प्रविष्टि एजेंसी को काम में लगाकर डाटा प्रविष्टि के बकाया पड़े काम को निपटा

दिया गया है तथा इस एजेंसी द्वारा चार वर्ष के शैक्षिक सांख्यिकीय आंकड़े, दो वर्ष के बजटीय व्यय आंकड़े तथा एक वर्ष के व्यावसायिक शिक्षा आंकड़े प्रविष्ट किए गए हैं।

- शिक्षा संबंधी बजटीय व्यय आंकड़े की अभिपुष्टि की गई तथा उन्हें संसाधित किया गया और 1989-92 एवं 1990-93 की अवधि के प्रकाशनों को निकाला गया।
- उच्च शिक्षा के संबंध में शैक्षिक सांख्यिकी आंकड़े की अभिपुष्टि की गई है तथा उन्हें संसाधित किया गया है और 1988-89 और 1989-90 के वर्षों के प्रकाशनों को निकाला गया है।
- अ.जा. / और अ.ज.जा. के संबंध में स्कूली शिक्षा पर आधारित शैक्षिक सांख्यिकी आंकड़े को अभिपुष्ट तथा संसाधित करके 1987-88 और 1988-89 के वर्षों के प्रकाशनों को निकाला गया है।
- पांच वर्ष अर्थात् 1988-89 से 1992-93 के लिए चुनिंदा शैक्षिक सांख्यिकी आंकड़े पर आधारित एक पूछताछ प्रणाली का विकास किया गया है जो कुछ चयनित वर्ष/वर्षों, राज्य/राज्यों तथा प्राँचल/प्राँचलों के युग्म के संबंध में सूचना प्रदान करती है।
- तीन वर्ष अर्थात 1987-88 से 1989-90 के लिए वृहद शैक्षिक सांख्यिकी आंकड़ों पर आधारित एक पूछताछ प्रणाली का विकास किया गया है जिसके द्वारा तीन वर्ष के लिए अनेक प्राँचलों पर प्रत्येक राज्य के संबंध में शैक्षिक सांख्यिकी संबंधी अनेक प्रकार की सूचना बटन दबाते ही प्राप्त की जा सकती है।
- 10 वर्ष के लिए शिक्षा पर बजटीय व्यय आंकड़ा पर आधारित एक सभा श्रपण मॉडल विकसित किया गया है तथा 1996 से 2000 के वर्षों के लिए शिक्षा पर राज्यवार और क्षेत्रवार बजटीय व्यय का अनुमान लगा लिया गया है।
- शिक्षक शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का अध्ययन किया गया है तथा त्रैमासिक और वार्षिक आधार पर आंकड़े के संग्रह के लिए प्रोफार्मा का स्वरूप तैयार कर लिया गया है।
- छठे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के आंकड़े का संगणकीकरण शुरू किया गया है। आंकड़ा संग्रह करने के लिए प्रोफार्मा का स्वरूप तैयार कर लिया गया है। आंकड़ा संरचना तथा आंकड़ा प्रविष्टि स्क्रीन विकसित कर ली गई है। विभिन्न प्रकार के प्रोफार्मों का सुव्यवस्थित नमूना चुनने के लिए तथा आंकड़ा प्रविष्टि के नमूना जांच के प्रयोजनार्थ चयनित सभी प्रोफार्मों का विवेकपूर्ण ढंग से मुद्रण प्राप्त करने के लिए साफ्टवेयर का विकास किया गया है।
- संपूर्ण साक्षरता अभियान के लिए विकसित साफ्टवेयर को प्रयोक्ता संगठन की आवश्यकताओं के अनुरूप सही ढंग से संशोधित किया गया है तथा मासिक प्रगति रिपोर्ट के रूप में संपूर्ण साक्षरता अभियान वाले जिलों से प्राप्त सांख्यिकी आंकड़े पर आधारित अनेक रिपोर्टें तैयार की गई हैं।
- स्कूली शिक्षा के व्यावसायीकरण पर आधारित आंकड़ा को अभिपुष्ट तथा संसाधित करने के लिए साफ्टवेयर का विकास किया गया है। आंकड़े प्रविष्ट, अभिपुष्ट किए जा चुके हैं तथा रिपोर्टें तैयार की जा चुकी है।
- गैर-औपचारिक शिक्षा के संबंध में स्वयंसेवी एजेंसियों के लिए सहायता अनुदान को कंप्यूटरीकृत किया गया है तथा अनियमितता संबंधी पत्रों, कार्यसूची, बैठक के कार्यवृत्त, संस्वीकृति पत्रों आदि को तैयार किया गया है। आंकड़ा आधार सृजित करने तथा अनेक रिपोर्टें तैयार करने के लिए साफ्टवेयर का विकास किया गया है।
- विशेषज्ञ सूचना प्रणाली तथा नियुक्ति सूचना प्रणाली विकसित की जा चुकी है तथा इन्हें मंत्री

महोदय के कार्यालय में चालू किया गया है तथा अनेक रिपोर्टें तैयार की गई हैं।

- शिक्षा पर राज्यवार और क्षेत्रवार योजनागत तथा योजनेत्तर व्यय (राजस्व लेखा) का ब्यौरा देने वाला 42 वर्ष का 1951-52 से 1992-93 का शिक्षा आधारित आंकड़ा पर बजटीय व्यय संबंधी वृहद आंकड़ा आधार और राज्यवार पूंजी लेखा, कुल राज्य बजट और राज्य घरेलू उत्पाद तैयार किया गया।

- केन्द्रीय विद्यालय संगठन के संबंध में कंप्यूटर आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली का विकास शुरू किया गया है।

- डास तथा संबद्ध साफ्टवेयर और यूनिक्स तथा संबद्ध साफ्टवेयर के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया तथा कंप्यूटर के प्रयोग शब्द संसाधन कस्टम अभिकल्पित पैकेज के संचालन और यूनिकमेल के प्रयोग के बारे में अनेक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

- विभिन्न अध्ययनों के संबंध में समय-समय पर प्रस्तुती चार्ट और आरेख तैयार किए गए।

- प्रौढ़ शिक्षा ब्यूरो की सस्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता-अनुदान

- साप्ताहिक रिपोर्टें तैयार करने के लिए संसदीय आश्वासन।

- डिसक्रीपेंसी लेटर, कापीराइट रजिस्टर और इंडेक्स कार्ड तैयार करने के लिए कापीराइट कार्यालय।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

16

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

16.1.1 संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) की स्थापना काल से ही भारत इसके आदर्शों और लक्ष्यों को आग बढ़ाने में अग्रणी रहा है। यूनेस्को से सहयोग के लिए वर्ष 1949 में भारतीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष परामर्शी, कार्यकारी, संपर्क, सूचना तथा समन्वय निकाय के रूप में की गई है। भारतीय राष्ट्रीय आयोग एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्र के राष्ट्रीय आयोगों के सहयोग से यूनेस्को के कार्य में सक्रिय योगदान कर रहा है। विशेष रूप से इसके कार्यक्रमों के निर्धारण तथा निष्पादन में यह अहम भूमिका अदा कर रहा है।

16.1.2 वर्ष के दौरान, भारत ने यूनेस्को तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यकलापों की अनेकों कार्यशालाओं संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों में भाग लेकर, यूनेस्को के अधिकारिक क्षेत्र के अंतर्गत भारत में होने वाले राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अन्त:क्षेत्रीय कार्यकलापों के संगठन में सहायता करके उल्लेखनीय योगदान किया। भारत ने यूनेस्को सहयोग कार्यक्रम तथा यूनेस्को प्रशासन कूपन योजना के अंतर्गत भारतीय संस्थाओं में यूनेस्को के अध्येताओं को नियुक्त करके तथा परियोजनाओं के निर्धारण में उल्लेखनीय योगदान किया। भारत में यूनेस्को से संबंधित सार्वजनिक सूचना कार्यकलापों को यूनेस्को कूरियर के हिंदी तथा तमिल संस्करणों के प्रकाशन के रूप में चालू रखना जारी रखा।

जनसंख्या बहुल विकासशील देशों में 'सभी के लिए शिक्षा' को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को-यूनिसेफ की पहल

16.1.3 शिक्षा विभाग द्वारा 16 दिसंबर, 1993 को नई दिल्ली में नौ जनसंख्या बहुल देशों का 'सभी के लिए शिक्षा' नामक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, भारत के प्रधान मंत्री, चीन के उप-प्रधान मंत्री, छह अन्य देशों-बांग्ला देश, ब्राजील, मिश्र, मैक्सिको, नाइजीरिया तथा पाकिस्तान के शिक्षा मंत्रियों ने या सरकार के विशेष शासनाध्यक्ष प्रतिनिधियों के रूप में भाग लिया। इन देशों में विश्व की आधे से अधिक जनसंख्या निवास करती है तथा विश्व के 70 प्रतिशत निरक्षर भी इन्हीं देशों में पाए जाते हैं। इस शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र की तीनों एजेंसियों-यूनेस्को, यूनिसेफ तथा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रशासन निधि के अध्यक्ष सह-प्रायोजक के रूप में उपस्थित थे।

16.1.4 दिनांक 13-15 दिसंबर, 1993 को मंत्रिस्तरीय पूर्व शिखर सम्मेलन की परिचर्चा कराकर, शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किय गया था। इस श्रृंखला में तीन दिन तक चर्चाएं चलती रहीं। जिसमें विशिष्ट शिक्षा शास्त्रियों तथा मंत्रियों ने प्रत्येक देश तथा विश्व समुदाय में सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने के बारे में महत्वपूर्ण मुद्दों तथा इस कार्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यापक रूप से अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। चर्चा के दौरान, 'सभी के लिए शिक्षा' के वास्ते जन समुदाय को संघटित करने, जन सहभागिता तथा विकेन्द्रीकरण 'सभी के लिए शिक्षा' के वास्ते विदेशी तथा आन्तरिक वित्तीय संसाधन जुटाने, बालिका तथा महिला शिक्षा, महिलाओं को शक्तियाँ प्रदान करने तथा जनसंख्या से संबंधित मुद्दों और शिक्षा एवं समाज नामक महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला गया। पूर्व शिखर सम्मेलन की

बैठकों की महत्वपूर्ण तथा ठोस उपलब्धि यह रही जिसमें यह निर्णय लिया गया कि सभी नौ देशों को दूरस्थ शिक्षा पर संयुक्त प्रयास करना चाहिए क्योंकि औपचारिक स्कूली पद्धति सभी लोगों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती है।

16.1.5 पूर्व शिखर सम्मेलन तथा शिखर सम्मेलन में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया वे काफी उपयोगी थे तथा इससे सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य पर विश्व का ध्यान केन्द्रित करने और इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु नीतिगत मुद्दों को शामिल करने में सहायता मिलेगी। सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सम्मिलित प्रयास तथा अनुभवों के आदान-प्रदान से एक नई प्रेरणा शक्ति प्राप्त होगी।

16.1.6 नौ जनसंख्या बहुल देशों ने दिल्ली के घोषणा-पत्र को स्वीकार किया तथा निर्धारित कार्य योजना को कार्यान्वित करने और सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की यथा संभव पहचान करने का संकल्प किया।

16.1.7 श्री अर्जुन सिंह, मानव संसाधन विकास मंत्री ने 2-4 जून, 1993 को पेरिस में संपन्न हुई नौ जनसंख्या बहुल देशों के 'सभी के लिए शिक्षा-9' के शिखर सम्मेलन के कार्यकारी सत्र तथा विचार-विमर्श बैठक में भाग लिया। श्री वाई.एन.चतुर्वेदी, अपर सचिव, शिक्षा विभाग शिष्ट मंडल के दूसरे सदस्य थे।

16.1.8 श्री एस.वी.गिरि, शिक्षा सचिव, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 11-12 सितंबर, 1993 को नई दिल्ली में नौ जनसंख्या बहुल देशों के शिखर सम्मेलन की एक व्यवस्था बैठक हुई। इस शिखर सम्मेलन में नौ देशों अर्थात बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, पाकिस्तान तथा मेजबान भारत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनके अलावा प्रायोजन संस्थाओं-यूनेस्को, यूनिसेफ तथा यू.एन.एफ.पी.ए. के प्रतिनिधि भी इस बैठक में उपस्थित थे।

विकास हेतु, शैक्षिक नव-परिवर्तन के लिए एशिया प्रशांत कार्यक्रम (अपीड)

16.1.9 यूनेस्को के क्षेत्रीय "विकास हेतु शैक्षिक परिवर्तन के लिए एशिया प्रशांत कार्यक्रम" (अपीड) के प्रोत्साहक के रूप में भारत ने अपीड के कार्यक्रमों और इसके कार्यकलापों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। अपीड के एक प्रमुख और महत्वपूर्ण सहयोगी केन्द्र के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् राष्ट्रीय विकास समूह के सचिवालय के रूप में कार्य करती है। यह क्षेत्रीय स्तर पर अपीड के कार्यकलापों तथा नवाचारी अनुभवों के जरिये सूचना देकर इसके कार्यों को आसान बनाती है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए राष्ट्रीय विकास समूह (एन.डी.जी.) के सामान्य निकाय की एक बैठक 26 मई, 1993 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली में हुई।

25 अक्तूबर से 16 नवंबर, 1993 तक पेरिस में संपन्न यूनेस्को महा-सम्मेलन का 27 वां अधिवेशन

16.1.10 पेरिस में आयोजित यूनेस्को के 27 वें महा-सम्मेलन में 11 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कुमारी सैल्जा, शिक्षा और संस्कृति उपमंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किया। कार्यसूची की अन्य मदों के अलावा, 1994-1995 के कार्यक्रम के दो वर्षों के लिए निर्धारण तथा यूनेस्को के बजट पर विचार-विमर्श किया गया और अनुमोदन किया गया।

16.1.11 सम्मेलन के दौरान भारत को सम्मेलन का एक उपाध्यक्ष चुना गया। भारत को यूनेस्को की तथा यूनेस्को के अन्य अन्तर्शासी निकायों अर्थात (1) अन्तर्राष्ट्रीय सूचना कार्यक्रम का आई.जी.सी. (2) दूर संचार का आई.जी.सी. (3) सामाजिक परिवर्तन प्रबंध का आई.जी.सी. के कार्यकारी परिषद् का सदस्य चुना गया।

16.1.12 भारतीय शिष्ट मंडल द्वारा प्रस्ताव प्रारूप प्रस्तुत किए गए जो कि सम्मेलन में स्वीकार किए गए अथवा उन्हें नोट किया गया। इस क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा के विकास के लिए भारत ने निधियों के आवंटन में गहरी रूचि ली। भारत की पहल पर, सम्मेलन ने उन विशाल देशों को जिनमें निरक्षरता दर काफी है विशेष प्राथमिकता देने का अनुमोदन किया भारतीय शिष्ट मंडल ने सभी आयोगों तथा प्रारूपण दलों में अहम भूमिका अदा की।

सभी के लिए शिक्षा का एशिया प्रशांत कार्यक्रम (अपील)

16.1.13 यूनेस्को का एक दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्रीय कार्यक्रम सभी के लिए शिक्षा का एशिया प्रशांत कार्यक्रम (अपील) है। उस कार्यक्रम में भारत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यूनेस्को द्वारा यह कार्यक्रम 1987 में दिल्ली से प्रारंभ किया गया था। सभी के लिए शिक्षा का एशिया प्रशांत कार्यक्रम तथा सभी के लिए शिक्षा के अंतर्गत तत्संबंधी कार्यकलापों का समन्वय करने के लिए भारत द्वारा एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समन्वय समिति गठित की गई थी। इस समिति की आठवीं बैठक 19 नवंबर, 1993 को शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। श्री एस वी.गिरि, शिक्षा सचिव ने नौ जनसंख्या बहुल देशों के शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की बैठक जो 12-16 दिसंबर को नई दिल्ली में संपन्न हुई, के बारे में आयोजन समिति को सूचित किया। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियों एवं कार्यनीतियों तथा प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में शुरू किए गए कार्यक्रमों पर भी बैठक में ध्यान दिया गया। समिति ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को नोट किया जिससे निरक्षरता की समस्या के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई है।

8-12 फरवरी, 1993 को नई दिल्ली में आयोजित की गई दक्षिण और केन्द्रीय एशिया के यूनेस्को के लिए राष्ट्रीय आयोगों की उपक्षेत्रीय बैठक।

16.1.14 यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने 8-12 फरवरी, 1993 तक नई दिल्ली में दक्षिण और मध्य एशिया के राष्ट्रीय आयोगों की एक उप-क्षेत्रीय बैठक आयोजित की गई। अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, चीन, ईरान, क्रिजस्तान, मालदीव, मंगोलिया, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैण्ड के राष्ट्रीय आयोगों ने इस बैठक में भाग लिया था। महानिदेशक, यूनेस्को और दिल्ली के यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक के प्रतिनिधियों ने भी नई दिल्ली में यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय के विशेषज्ञों के साथ इस बैठक में भाग लिया। भारत में कार्य कर रहे सक्रिय यूनेस्को क्लबों के आठ प्रतिनिधियों ने भी इस बैठक में भाग लिया। इस बैठक में यूनेस्को के सक्षम क्षेत्रों में अनेक परियोजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया जो कि उप-क्षेत्रीय देशों द्वारा शुरू की जा सकती है।

21-24 जून, 1993 तक कुआलालम्पुर, मलेशिया में शिक्षा मंत्रियों और वे एशिया तथा प्रशान्त में आर्थिक योजना के लिए उत्तरदायी हैं, का VI वां क्षेत्रीय सम्मेलन (एम.आई.एन.ई.डी.ए.पी.-VI)

16.1.15 कुमारी सैलजा, शिक्षा एवं संस्कृति उप मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ने 21-24 जून, 1993 तक कुआलालाम्पुर, मलेशिया में आयोजित शिक्षा मंत्रियों तथा वे एशिया तथा प्रशान्त में आर्थिक योजना के लिए उत्तरदायी है, (एम.आई.एन.ई.डी.ए.पी.-VI) के छठे क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लिया। चर्चित मदों में शिक्षा में क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने तथा 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में शिक्षा के संबंध में बदलती हुई मांगें, सभी के लिए शिक्षा, 1985 में पिछली बैठक से एशिया तथा प्रशान्त में शैक्षिक विकास का पुनर्वालोकन था। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष बल देते हुए कुआलालम्पुर घोषणा का मसौदा तैयार करने में अत्यधिक योगदान दिया। उपमंत्री को आयोग का अध्यक्ष तथा ब्यूरो का सदस्य चुना गया था। सम्मेलन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण निकाय ने रिपोर्ट तथा सिफारिशों के मसौदा को अंतिम रूप दे दिया। सम्मेलन में भी यह निर्णय किया गया कि यूनेस्को को निरक्षरता की ऊँची दरों वाले नौ सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए।

यूनेस्को के निकाय के सदस्य के रूप में डा. कर्ण सिंह की नियुक्ति

16.1.16 डा. कर्ण सिंह, पूर्व केन्द्रीय मंत्री और इस समय ओरोविले प्रतिष्ठान के शासी निकाय के अध्यक्ष हैं, को 21वीं शताब्दी के लिए 15 सदस्यीय यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। डा. कर्ण सिंह ने 2-4 मार्च, 1993 को पेरिस में आयोजित आयोग की प्रथम बैठक मे भाग लिया।

यूनेस्को का कार्यकारी बोर्ड

16.1.17 श्री एन. कृष्णन सदस्य, यूनेस्को का कार्यकारी

निकाय ने क्रमश: 10-28 मई, 1993 और 11-22 अक्टूबर, 1993 में पेरिस में आयोजित यूनेस्को के शासी निकाय के 141वें तथा 142वें सत्रों में भाग लिया।

यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के संबंध में भारत के प्रतिनिधि के रूप में श्री आर.एन. मिर्धा, संसद सदस्य का नामांकन।

16.1.18 यूनेस्को के शासी बोर्ड के सदस्यों में से एक के रूप में भारत के चुनाव के परिणामस्वरूप, श्री आर. एन. मिर्धा, संसद सदस्य को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के संबंध में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया है।

यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड का 143 वां सत्र

16.1.19 यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड का 143 वां सत्र 17-18 नवम्बर, 1993 को आयोजित किया गया था। इस सत्र के दौरान भारत के कार्यकारी बोर्ड के उपाध्यक्षों में से एक नियुक्त किया गया।

यूनेस्को के बजट में अंशदान

16.1.20 यूनेस्को का प्रत्येक सदस्य राज्य हर दो वर्ष के लिए यूनेस्को के नियमित बजट में अंशदान देता है। वर्ष 1992-93 के अंशदान के अनुमोदित अनुपात के अनुसार अंशदान में भारत का हिस्सा यूनेस्को के कुल बजट का 0.36% निर्धारित किया गया था। तदनुसार भारत ने वर्ष 1992 के लिए 3,49,22,000/-रुपये - (54,22,000/-रुपये की एक राशि वर्ष 1991-92 के दौरान जारी की गई थी और वर्ष 1992-93 के दौरान 2.95 करोड़ रुपये जारी किए गए) और वर्ष 1993 के लिए 3,55,21,000/-रु० (वर्ष 1992-93 के दौरान 75,000/-रुपये की एक राशि और 1993-94 के दौरान 2,80,21,000/-रुपये की राशि जारी की गई) का योगदान दिया।

(आर.ओ.एस.टी.एस.सी.ए.) नई दिल्ली में यूनेस्को का क्षेत्रीय कार्यालय के आवास के किराए के रूप में भारत द्वारा किया गया अंशदान।

16.1.21 दक्षिण एवं मध्य एशिया के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का क्षेत्रीय कार्यालय (आर.ओ.एस.टी.एस.सी.ए.), यूनेस्को इस समय वसन्त विहार के निजी भवन में कार्य कर रहा है। जब से यह क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हुआ है अर्थात वर्ष 1950 से ही भारत यूनेस्को के साथ समझौता के अनुसार इस आवास के किराए का भुगतान कर रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान, पेरिस

16.1.22 भारत ने वर्ष 1992-93 और वर्ष 1993 और 1994 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान, पेरिस को 6,00,000/-रु० की राशि (20,000 अमेरिकी डालर के बराबर) का योगदान स्वैच्छिक रूप से दिया है।

1992 यूनेस्को शान्ति शिक्षा पुरस्कार

16.1.23 मदर टेरेसा को दिसम्बर, 1993 के माह में कलकत्ता में मि. फेडरिको मयोर, महानिदेशक, यूनेस्को द्वारा 1992 यूनेस्को शान्ति शिक्षा पुरस्कार प्रदान किया गया था।

कलिंग पुरस्कार

16.1.24 वर्ष 1992 का कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए डा. जोरगे फ्लोरस वल्डेज (मैक्सिको) और डा. पीटर ओकेबूकोला (नाइजीरिया) को प्रदान किया गया। पुरस्कार समारोह 8 फरवरी, 1993 को "भारत अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र" में आयोजित किया गया था जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्री (भारत सरकार) तथा शिक्षा सचिव (शिक्षा विभाग) ने भी भाग लिया।

जन अमोस कोमेनियम मेडल

16.1.25 नौ अत्यधिक जनसंख्या वाले देशों के 'सभी के लिए शिक्षा' शिखर सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली में दिसम्बर, 1993 में डा. चित्रा नायक, सदस्य (शिक्षा) योजना आयोग को जन अमोस कोमेनियस मेडल 1993 प्रदान किया गया था।

डा० ओनोरिस कौसा यूनेस्को के महानिदेशक को दिया गया।

16.1.26 मि. फेडरिका मयोर, महानिदेशक, यूनेस्को,

को श्री अर्जुन सिंह, मानव संसाधन विकास मंत्री (भारत सरकार) की उपस्थिति में दिसम्बर, 1993 में कलकत्ता स्थित विश्वभारती विश्वविद्यालय में 'डा. होनोरिस कौसप' प्रदान किया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार, 1993

16.1.27 दक्षिण भारत के खास तौर पर कोरागस के विशेष ग्रुपों में साक्षरता के प्रति जागरूकता में वृद्धि करने के लिए यूनेस्को द्वारा वार्षिक रूप से खर्च दिये जाने वाले अत्यधिक प्रतिष्ठा वाले नोमा नामक तीन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार वर्ष 1993 के लिए यूनेस्को क्लबों तथा संघों के भारतीय राष्ट्रीय/फेडरेशन (आई.एन.एफ.यू.सी.ए.) बंगलौर को पुरस्कार प्रदान किये गये।

16.1.28 प्रत्येक साक्षरता पुरस्कार में दो प्रशस्ति-पत्र भी शामिल होते हैं। नोमा पुरस्कार के साथ संलग्न किए हुए प्रशस्ति-पत्र गुजरात के भावनगर जिले में पूर्ण साक्षरता अभियानों की योजना बनाने उसका अनुश्रवण करने तथा उसे कार्यरूप प्रदान करने के लिए भावनगर जिला साक्षरता समिति को प्रदान किए गए। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार डा. फेडरिको मयोर, महानिदेशक, यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर नई दिल्ली में 8 सितंबर, 1993 को प्रदान किए गए थे।

सभी के लिए शिक्षा संबंधी चीन राष्ट्रीय सम्मेलन

16.1.29 सुश्री सैलजा, शिक्षा एवं संस्कृति उपमंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 1-4 मार्च, 1993 तक बीजिंग में आयोजित सभी के लिए शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन, चीन में भाग लिया जो चीनी जन गणराज्य के राज्य शिक्षा आयोग द्वारा आयोजित किया गया था। सभी के लिए शिक्षा संबंधी चीनी राष्ट्रीय सम्मेलन ने बुनियादी शिक्षा तथा साक्षरता विकसित करने में अनुभवों का संक्षिप्त विवरण तैयार करने तथा आदान-प्रदान करने का एक अच्छा अवसर प्रदान किया है।

सभी के लिए शिक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार फोरम की द्वितीय बैठक

16.1.30 मार्च, 1990 में जोमतिएन में सभी के लिए शिक्षा संबंधी विश्व सम्मेलन में सन् 2000 तक विश्व में सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करने की ऐतिहासिक घोषणा तथा कार्रवाई योजना को स्वीकार किया गया था। जोमतिएन सम्मेलन के प्रायोजक - यू.एन.डी.पी., यूनेस्को, यूनिसेफ और विश्व बैंक ने सन् 2000 तक सबके लिए शिक्षा के विश्व लक्ष्यों की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करने हेतु सभी के लिए शिक्षा संबंधी एक अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदात्री फोरम स्थापित किया हैं। सभी के लिए शिक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार फोरम की द्वितीय बैठक 8-10 सितम्बर, 1993 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी जिसकी मेजबानी भारत सरकार द्वारा की गई थी।

16.1.31 बैठक की मुख्य विषय-वस्तु चार मुख्य शीर्षकों में विस्तार से नीचे दी गई थी। सभी के लिए शिक्षा की गुणवत्ता जिसका संबंध विकसित तथा विकासशील देशों से समान रूप से संबंध है।

1. प्रारंभिक शैशव
2. स्कूली सुधार
3. गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों को सुधारना
4. गुणवत्ता के आधार पर शिक्षा के लिए निधि प्रदान करना।

16.1.32 इस फोरम में कुल 80 आमंत्रित प्रिंसिपलों ने भाग लिया जिसमें नीति निर्माता, विकास व्यवसायी, प्रशिक्षक और सभी के लिए शिक्षा में विभिन्न सहभागियों अर्थात विकासशील देश, अन्तर-सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, व्यापार समुदाय, मीडिया के प्रतिनिधियों सहित अन्य व्यवसायी भी शामिल हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने अनेक वरिष्ठ अधिकारीगण, राज्य सरकारों और स्वायत्त संगठनों ने पर्यवेक्षक के रूप में इस फोरम में भाग लिया।

एशिया और प्रशान्त क्षेत्र में शिक्षा में क्षेत्रीय सहयोग के संबंध में सलाहकार समिति की बैठक का VII वां सेमिनार।

16.1.33 डा. आर.वी. वैद्यनाथ अय्यर, संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 14-

17 जून, 1993 तक कुआलालम्पुर, मलेशिया में एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्र में शिक्षा में क्षेत्रीय सहयोग के संबंध में आयोजित सलाहकार समिति की बैठक के VII वें सत्र में भाग लिया।

यूनेस्को के राष्ट्रीय आयोगों की क्षेत्रीय परामर्श संबंधी बैठक

16.1.34 श्री एस आर. तायल, निदेशक, शिक्षा विभाग ने 28 जून से 2 जुलाई, 1993 तक बीजिंग, चीनीजन गणराज्य में आयोजित एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्र में यूनेस्को के लिए राष्ट्रीय आयोगों की क्षेत्रीय परामर्शदात्री बैठक में भाग लिया।

एशिया और प्रशांत क्षेत्र में यूनेस्को के लिए राष्ट्रीय आयोगों के नए अधिकारियों हेतु सूचना सेमिनार।

16.1.35 शिक्षा विभाग में अवर सचिव सुश्री सुजाया कृष्णन ने 15 से 19 फरवरी, 1993 के बीच थाइलैण्ड, बैंकाक में आयोजित की गई एशिया और प्रशांत क्षेत्र में यूनेस्को के लिए राष्ट्रीय आयोगों के नए अधिकारियों हेतु सूचना सेमिनार में भाग लिया।

यूनेस्को द्वारा प्रायोजित अन्य सम्मेलनों/बैठकों/कार्य शालाओं/कार्यदलों में भारत द्वारा भाग लिया जाना:

16.1.36 यूनेस्को या इसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित कार्यशालाओं/प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/सेमिनारों/कार्यदल की बैठकों आदि में भारतीय विशेषज्ञों ने शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया :

- 26 अप्रैल से 1 मई, 1993 के बीच सियोल, कोरिया में आयोजित कार्यसाधक साक्षरता स्तर पर शोध अभिकल्पना संबंधी उप-क्षेत्रीय कार्यशाला।
- 3 से 14 अगस्त, 1992 के बीच ताशकंद, उजबेकिस्तान गणराज्य में आयोजित शिक्षा, रोजगार और मानव संसाधन विकास पर उप-क्षेत्रीय कार्यशाला।
- 13 से 23 अगस्त, 1993 के बीच चियांगमै, थाईलैंड में आयोजित सतत शिक्षा के कर्मिकों के प्रशिक्षण के लिए क्षेत्रीय कार्यशाला।
- 13 से 18 सितम्बर, 1993 के बीच बीजिंग, चीन गणराज्य में आयोजित तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा पर अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी।
- 28 सितम्बर से 6 अक्टूबर, 1993 के बीच टोकियो, जापान में आयोजित शैक्षिक प्रौद्योगिकी 1993: माध्यमिक स्तर के निचले और ऊपरी स्तर पर प्रयोग के लिए शिक्षकों और छात्रों हेतु नई सूचना प्रौद्योगिकी का विसरण।

16.1.37 उपर्युक्त बैठकों के अलावा, भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने यूनेस्को द्वारा बुलाई गई या इसके सौजन्य से बुलाई गई लगभग 15 राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों, कार्यशालाओं, सेमिनारों, सम्मेलनों आदि में भाग लेने के लिए विशेषज्ञों को मनोनीत किया। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोग ने यूनेस्को के अध्येताओं के भारत की विभिन्न संस्थाओं के शैक्षिक दौरों के लिए उनके स्थापन में भी मदद की। आयोग ने यूनेस्को, पेरिस द्वारा अधिसूचित विभिन्न पदों के लिए आठ भारतीय राष्ट्रिकों की उम्मीदवरी की सिफारिश की।

यूनेस्को का सहभागिता कार्यक्रम:

16.1.38 सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत यूनेस्को, यूनेस्को के कार्यक्रमों और कार्यकलापों को प्रोन्नत करने में लगे सदस्य राष्ट्रों की विभिन्न संस्थाओं तथा संगठनों को ऐसी नवाचारी परियोजना शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिनसे यूनेस्को के लक्ष्यों को लागू करने में राष्ट्रीय, उपक्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर मदद मिलेगी। दो साल 1994-1995 के लिए यूनेस्को के सचिवालय को अनुमोदनार्थ 24 परियोजनाएं भेजी गई हैं जिनके लिए यूनेस्को से 5,39,000 अमेरिकी डालर की मांग की गई है।

अंतर्राष्ट्रीय सूझ-बूझ, यूनेस्को क्लबों और संबद्ध स्कूलों के लिए शिक्षा

16.1.39 मुख्यत: शैक्षिक संस्थाओं में गठित यूनेस्को

क्लब स्वयंसेवी निकाय हैं जो इस संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को बढ़ावा देने के काम में लगे हैं। संबद्ध स्कूल ऐसी शैक्षिक संस्थाएं हैं जो अंतरराष्ट्रीय सूझ-बूझ, सहयोग और शांति के लिए शिक्षा से संबंधित कार्यकलापों को शुरू करने के लिए संबद्ध स्कूलों की परियोजना में भाग लेने हेतु यूनेस्को के सचिवालय से सीधे जुड़े हैं। यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश पर इस परियोजना के अंतर्गत भारत के 37 स्कूल तथा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान यूनेस्को की इस सूची में शामिल किए गए हैं।

16.1.40 यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग यूनेस्को क्लबों तथा संबद्ध स्कूलों के लिए राष्ट्रीय समन्वय एजेंसी हैं। भारतीय राष्ट्रीय आयोग के साथ पंजीकृत यूनेस्को क्लबों की संख्या लगभग 285 हैं। यूनेस्को के उद्देश्यों और लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए कार्यकलापों को शुरू करने के लिए यूनेस्को क्लबों और संबद्ध स्कूलों की सामग्री तथा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जैसे अंतरराष्ट्रीय दिवसों और वर्षों के समारोहों का आयोजन, अंतरराष्ट्रीय सूझबूझ, सहयोग और शांति को बढ़ावा देने के लिए बैठकों, वाद-विवादों, प्रतियोगिताओं का आयोजन।

एशिया और प्रशांत क्षेत्र में फोटो प्रतियोगिता

16.1.41 यूनेस्को के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग यूनेस्को के लिए एशियाई सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा आयोजित फोटो प्रतियोगिता में, वार्षिक समारोह में यूनेस्को के लिए एशियाई सांस्कृतिक केंद्र, जापान को अपना सहयोग प्रदान कर रहा हैं।

यूनेस्को कूपन कार्यक्रम :

16.1.42 शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संप्रेषण के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों और संस्थाओं को विदेशों से विदेशी विनिमय और आयात पर नियंत्रण संबंधी औपचारिकताओं से होकर गुजरे बगैर शैक्षिक प्रकाशनों, वैज्ञानिक उपकरणों, शैक्षिक फिल्मों आदि से संबंधित अपनी जायज आवश्यकताओं को आयात करने के लिए इस आयोग ने उन्हें मदद पहुँचाने के लिए तैयार की गई अंतरराष्ट्रीय कूपन की योजना को संचालित करना जारी रखा। वर्ष के दौरान यूनेस्को कूपनों की बिक्री की कुल संख्या 10,500/-यू.एस. डालर की है।

यूनेस्को कूरियर के भारतीय भाषा संस्करणों का प्रकाशन :

16.1.43 कूरियर यूनेस्को द्वारा प्रकाशित एक शैक्षिक और सांस्कृतिक पत्रिका है। भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने यूनेस्को की आर्थिक सहायता से इसके हिन्दी और तमिल के संस्करणों के प्रकाशन को सहायता देना जारी रखा। ये भाषा संस्करण शैक्षिक संस्थाओं, पुस्तकालयों, यूनेस्को क्लबों, संबद्ध स्कूलों तथा आम जनता में व्यापक पैमाने पर परिचालित होते हैं।

स्वयंसेवी निकायों, यूनेस्को क्लबों तथा संबद्ध स्कूलों को वित्तीय सहायता की योजना :

16.1.44 आयोग यूनेस्को के लक्ष्यों और आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए लक्षित कार्यकलापों को शुरू करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों, यूनेस्को क्लबों और संबद्ध स्कूलों को वित्तीय सहायता देने की योजना को संचालित कर रहा है। वर्ष के दौरान अब तक विभिन्न निकायों को 28,000/-रु० का सहायता-अनुदान संस्वीकृत किया गया है।

विदेशी शैक्षिक संबंध (ई.ए.आर.)

16.2.1 विदेशी शैक्षिक संबंध एकक 60 से अधिक ऐसे देशों के साथ भारत के विदेशी शैक्षिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत मामलों के संबंध में कार्य करता है जिनके साथ भारत के द्विपक्षीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम और अन्य सहयोगी कार्यक्रम किए गए हैं। इसने अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय और सहयोगी कार्यक्रम के शैक्षिक घटक का अनुश्रवण करना जारी रखा।

16.2.2. मॉरीशस के शिक्षा और विज्ञान मंत्री के आमंत्रण पर मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी ने 7 से 10 जून, 1993 के बीच मारीशस का दौरा किया।

16.2.3 मॉरीशस में अपने प्रवास के दौरान, मानव

संसाधन विकास मंत्री ने मॉरीशस में मानव संसाधन विकास के लिए भारत के सहयोग को और अधिक बढ़ावा देने पर विस्तृत चर्चा की। मानव संसाधन विकास मंत्री ने अन्य प्रसिद्ध हस्तियों के अतिरिक्त राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और शिक्षा एवं विज्ञान मंत्री के साथ लाभदायक मुलाकातें कीं। मानव संसाधन विकास मंत्री ने मॉरीशस में महात्मा गांधी संस्था को भारत सरकार की ओर से सहायता दिलाने का आश्वासन दिया जिसकी स्थापना सन् 1973 में भारत के सहयोग से की गई थी। महात्मा गांधी संस्था में भारतीय अध्ययन, भारतीय भाषाओं के विकास, भारतीय संगीत एवम् नृत्य तथा भारतीय अध्ययन के लिए जवाहर लाल नेहरू सभापति के गठन पर भारतीय सहायता केन्द्रित होगी। मॉरीशस में राजीव गांधी विज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिए भी भारतीय सहायता का आश्वासन दिया गया।

16.2.4 जुलाई, 1993 में, मॉरीशस गणतन्त्र के माननीय शिक्षा एवं विज्ञान मंत्री श्री ए. परशुरमन ने भारत का दौरा किया। मानव संसाधन विकास मंत्री के साथ अपनी चर्चा के दौरान, शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर पुनर्विचार किया गया।

16.2.5 यमन के उप-शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में एक यमन के शिष्टमण्डल ने 21-24 अक्टूबर, 1993 को भारत का निजी दौरा किया। शिष्ट-मण्डल के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नीपा तथा शिक्षा के क्षेत्र में अन्य विशेषज्ञों के साथ लाभप्रद बैठकें आयोजित की गईं।

ईरानी शिष्ट-मण्डल

16.2.6 नवम्बर, 1992 में हुई भारतीय-ईरानी संयुक्त समिति के छठे सत्र के स्वीकृत कार्यवृत्त के अनुपालन में, एक पांच सदस्यीय ईरानी शिष्ट मण्डल ने उपयुक्त भारतीय संस्थानों में तकनीकी, वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 110 ईरानी नागरिकों को स्थान दिलाने के सम्बन्ध में रूपात्मकताएँ तैयार करने के उद्देश्य से 1 अक्टूबर, 1993 से सात दिन की अवधि के लिए भारत का दौरा किया गया। भारतीय शिष्ट-मण्डल का नेतृत्व शिक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव ने किया।

शिक्षा पर सार्क तकनीकी समिति

16.2.7 सार्क सदस्य देशों के विदेश सचिवों की स्थायी समिति के 16वें सत्र में खेल, कला तथा संस्कृति को शिक्षा पर तकनीकी समिति के विलय करने की सिफारिश की गई। मंत्री परिषद् के 11वें सत्र में इस सिफारिश को अनुमोदित कर दिया गया। यह परिवर्तन 1 जनवरी, 1993 से लागू किया गया। उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में, शिक्षा और संस्कृति पर सार्क तकनीकी समिति की पहली बैठक कोलम्बो में 14-16 अक्टूबर, 1993 को आयोजित की गई। शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव श्री एस. बनर्जी इस बैठक में भारतीय शिष्ट-मण्डल के एक सदस्य थे।

16.2.8 सार्क के तत्वावधान में, श्रीलंका में 1-3 जुलाई, 1993 से "बालिका और महिला शिक्षा" विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के महिला अध्ययन विभाग की प्रोफेसर एवं हैड डा. ऊषा नायर और महिला समाख्या सोसायटी, बंगलौर की राज्य कार्यक्रम निदेशक कु. उमा कुलकर्णी ने इस कार्यशाला में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

16.2.9 बंगलादेश सरकार ने सार्क कार्यकलाप कैलेण्डर के एक भाग के रूप में 1-3 नवंबर, 1993 से शिक्षक प्रशिक्षण पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। शिक्षा विभाग के निदेशक (टी.ई.) श्री यू.के. सिन्हा तथा रा.शै.अ.प्र. परिषद् के डा. अजित सिंह ने इस कार्यशाला में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

16.2.10 नेपाल सरकार ने 9 से 10 नवम्बर, 1993 को काठमाण्डु में "उच्च-शिक्षा" पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव श्री के.जे.एस. चतरथ ने उक्त कार्यशाला में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

यूनिसेफ के साथ सहयोग :

16.3.1 भारत सरकार यूनिसेफ के सहयोग से सभी बच्चों तथा महिलाओं के लिए बुनियादी शिक्षा में विस्तार, महिलाओं के लिए सामाजिक और आर्थिक अवसरों में

सुधार तथा विभिन्न समुदायों और स्त्री-पुरुष के बीच व्याप्त शैक्षिक असमानताओं को दूर करने का कार्य कर रही है।

16.3.2 शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर "सभी के लिए शिक्षा" की प्रोन्नति और आयोजना, तथा राष्ट्रीय कार्रवाई योजना के प्रमुख तत्वों के समर्थन में प्रदर्शन परियोजनाएं विकसित करने के क्षेत्रों में यूनिसेफ के साथ सहयोग स्थापित किया है जिसमें भारत सरकार के जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न अध्ययन आयोजित करने के लिए सहायता सहित जिला स्तरीय कार्यकलापों पर बल दिया गया है। यूनिसेफ की वित्तीय और तकनीकी सहायता से न्यूनतम अधिगम स्तर शुरू करने, चुनिंदा जिलों में प्रबंध सूचना प्रणाली शुरू करने, प्रारंभिक शिक्षा, संपूर्ण साक्षरता अभियानों का मूल्यांकन व प्रलेखन, साक्षरता और उत्तर-साक्षरता सामग्री के विकास, नवाचारी जन प्रचार कार्यकलापों आदि जैसी परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

16.3.3 वर्ष 1993-94 के दौरान यूनिसेफ ने अनेक राज्यों में जिला विशिष्ट परियोजनाएं विकसित करना तथा उन्हें लागू करने के लिए अपनी सहायता जारी रखी। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश में जहां पांच जिलों में शिक्षकों को सामर्थ्यवान बनाने की परियोजना चल रही है। इस परियोजना का लक्ष्य है सतत् सेवा-कालीन प्रशिक्षण को संस्थागत बनाना। इस परियोजना के अंतर्गत शिक्षक सहायता और संसाधन केन्द्र समूह स्तर पर स्थापित किए जा रहे हैं।

16.3.4 यूनिसेफ बिहार में बिहार शिक्षा परियोजना नामक एक व्यापक बुनियादी शिक्षा परियोजना को भी सहायता प्रदान कर रहा है यह एक बुनियादी परियोजना है जिसका लक्ष्य शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक सुधार लाना है। 1991-92 में रांची, पश्चिम चंपरान और रोहतास नामक तीन जिलों को चुना गया है। 1992-93 में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी सिंहभूम और छपरा नामक चार जिलों में इस परियोजना का विस्तार किया जाएगा।

16.3.5 आंध्र प्रदेश में यूनिसेफ की सहायता बालिकाओं की शिक्षा पर केन्द्रित है तथा महबूब नगर और अनन्तपुर जिलों में प्रदर्शन कार्यकलाप शुरू किए गए है। बंबई में बंबई नगरपालिका निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही एक परियोजना में वंचित शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने, पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वालों की ऊंची दर को घटाने तथा अध्ययन उपलब्धि में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे और नासिक जिलों में ऐसी ही शहरी शिक्षा परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जा रही है।

16.3.6 विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा परियोजना (पी.आई.ई.डी.) तथा क्षेत्र गहन शिक्षा परियोजना (ए.आई.ई.पी.) नामक दो नवाचारी परियोजनाओं को भी सहायता प्रदान की जा रही है। पी.आई.ई.डी., जिसका समनवय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा किया जा रहा है, के अंतर्गत विकलांग बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा के अंतर्गत समेकित करने के लिए उपयुक्त कार्य नीतियाँ विकसित करने तथा केन्द्र सरकार की प्राथमिक स्तर पर विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ए.आई.ई.पी. सूक्ष्म आयोजना की अवधारणा को कार्यरूप प्रदान करने की दिशा में एक प्रयास है तथा पांच राज्यों और एक संघ शासित प्रदेश के चुनिंदा जिलों में इसे आरंभ किया जा रहा है। इसका समन्वय संबंधित राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों/एस.आई.ई. द्वारा किया जा रहा है।

16.3.7 यूनिसेफ ने विकासशील देशों में तकनीक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 1993 में सितंबर के अंत में तथा अक्टूबर के आरंभ में केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के चीन और फिलीपीन्स के महत्वपूर्ण अध्ययन दौरे को सहायता प्रदास की।

16.3.8 1993 में भारत सरकार द्वारा सितंबर, 1993 में "सभी के लिए शिक्षा मंच" पर परामर्श और दिसंबर, 1993 में नौ सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों का "शिक्षा शिखर सम्मेलन" नामक बुनियादी शिक्षा से संबंधित दो प्रमुख विश्व स्तरीय घटनाओं का आयोजन किया गया। अन्य साझीदारों के साथ-साथ यूनिसेफ ने भी इन घटनाओं

के आयोजन में पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता, सुप्रचालन और तकनीकी सहायता प्रदान की। इस शताब्दी के अंत तक "सभी के लिए शिक्षा" के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में ग्लोबल मार्च में ये दो घटनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जन प्रचार से जुड़े प्रमुख कार्यकलापों तथा प्रासंगिक प्रलेखन के विकास/निर्माण को यूनिसेफ द्वारा इन दो घटनाओं के समर्थन में सहायता प्रदान की गई।

बिहार शिक्षा परियोजना

16.3.9 बिहार शिक्षा परियोजना, एक बुनियादी शिक्षा परियोजना हैं जिसका उद्देश्य शैक्षिक प्रणाली और उसके जरिए, बिहार राज्य की सम्पूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक, परिस्थिति में गुणात्मक सुधार लाना हैं।

16.3.10 बिहार शिक्षा परियोजना में, बुनियादी शिक्षा के सभी घटक शामिल हैं और इसमें, 1991-92 से 1995-96 की 5 वर्ष की अवधि में, 20 जिलों में फैले 150 ब्लाकों को, चरणबद्ध ढंग से शामिल करने की परिकल्पना की गई है। 5 वर्ष की अवधि (1991-92 से 1995-96 तक) के लिए, परियोजना का अनुमानित परिव्यय 360 करोड़ रुपये हैं जिसमें से दाता एजेंसी अर्थात यूनीसेफ, 180 करोड़ रु०, भारत सरकार 120 करोड़ रु० और बिहार सरकार 60 करोड़ रु०, यूनीसेफ, भारत सरकार और बिहार सरकार के बीच स्वीकृत क्रमश: 3:2:1 वित्तपोषण पैटर्न के अनुसार योगदान देंगे। समाज के अभी तक वंचित वर्गों जैसे अनु.जा./अनु.ज.जा. और महिलाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। बिहार शिक्षा परियोजना, एक विकासशील परियोजना है जिसमें ज्यादातर कार्यक्रम क्रियाकलापों के लिए, ब्लाक के इकाई के रूप में होंगे। सहभागीदारी वाली आयोजना और कार्यन्वयन इस परियोजना की महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं। शैक्षिक सेवाओं के लिए माँग उत्पन्न करना, क्षमता निर्माण और सहभागी प्रबंध ढांचा, इस परियोजना के कार्यान्वयन के अन्य महत्वपूर्ण तत्व हैं।

16.3.11 एक राज्य स्तरीय निकाय के रूप में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् (बि.शि.प.प.) को, बिहार शिक्षा परियोजना की आयोजना और कार्यान्वयन के लिए पंजीकृत किया गया हैं। परिषद् के दो अंग हैं -सामान्य परिषद् जिसमें मुख्यमंत्री, अध्यक्ष हैं और कार्यकारी समिति जिसमें शिक्षा सचिव, बिहार सरकार, अध्यक्ष हैं। भारत सरकार, बिहार सरकार, यूनीसेफ, शिक्षकों और गैर-सरकारी संगठनों का, इन निकायों में प्रतिनिधित्व है। इसकी शाखाएं, जिला स्तर पर हैं जिनमें कार्यकारी समिति, भारत सरकार और बिहार सरकार, यूनीसेफ/शिक्षकों और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से परियोजना संबंधी आयोजना कार्य देखती हैं। परियोजना कार्यकलापों के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए, कार्य-बल (टास्कफोर्स) गठित किए गए हैं। गाँव स्तर पर, गाँव शिक्षा समिति निर्णायक इकाई के रूप में परिकल्पित की गई है जो समुदाय के सहयोग तथा सहभागिता को प्राप्त करने में बुनियादी शिक्षा पद्धति की मदद करेगी और शैक्षिक-निवेशों का निरीक्षण करेगी। इस परियोजना को लक्ष्य (मिशन) विधि में क्रियान्वित किया जा रहा है।

16.3.12 वर्ष 1991-92 में रांची, पश्चिम चम्पारन और रोहतास के तीन जिलों में इस परियोजना को आरंभ किया गया था। वर्ष 1992-93 में इस परियोजना का विस्तार, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी सिंहभूम तथा छपरा के चार और जिलों में किया गया था। 1993-94 में और जिलों को शामिल करने के बजाए सात जिलों के वर्तमान कार्यक्रम को समेकित करने का निर्णय लिया गया।

16.3.13 1993-94 के दौरान बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् और इसकी कार्यकारी समिति की नियमित बैठकें हुईं। सभी सात राज्यों में जिला स्तरीय प्रबंधन ढांचों ने सरलता से अपने कार्यों को किया, जिला कार्यकारी समितियों और जिला टास्क फोर्स की भी नियमित बैठकें हुईं।

16.3.14 परियोजना के कार्यान्वयन की गति, जो अब तक धीमी थी, 1993-94 के दौरान काफी तेज हुई।

16.3.15 1993-94 के दौरान किए गए कार्यक्रमों में ग्राम शिक्षा समितियों (बी.ई.सी.) को गठित करना और उनके कार्यक्रम को शुरू करना तथा ग्राम शिक्षा समितियों के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना, अनुसूचित

जाति/अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण करना, रोहतास और पश्चिम चम्पारन जिलों में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करना, प्राथमिक स्कूली शिक्षकों के लिए 10 दिनों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन करना, गुरू गोष्ठ बैठकों का आयोजन करना, और गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना और क्षेत्रों में महिला समाख्या कार्यक्रमों का विस्तार करना, आई.सी.डी.सी., पी.एच.ई.डी., स्वास्थ्य एवं कल्याण की योजनाओं का शैक्षिक निवेशों सहित अभिसरण करना, नई पत्रिका "प्रत्युष" का प्रकाशन करना, कठपुतली प्रदर्शन का आयोजन और नियमित कार्यक्रमों का प्रसारण करना, दखिला अभियान में समुदाय को शामिल करना, जिसके फलस्वरूप दाखिलों में विशेष रूप से बालिकाओं के दाखिलों में वृद्धि हुई। प्रत्येक तिमाही में जिला संसाधन इकाईयों की बैठकों का आयोजन करना, चयनित स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए प्रबोधन कार्यशाला का आयोजन करना, चित्रकारी पोस्टरों और पैनलों का प्रदर्शन, नुक्कड़ नाटक, विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा वृक्षारोपण, कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने तथा सुधार संबंधी उपायों का सुझाव देने के लिए केन्द्रीय शिक्षा सचिव द्वारा समीक्षा बैठकें आदि शामिल हैं।

16.3.16 इस परियोजना हेतु 1993-94 के लिए 20 करोड़ रु० का बजट प्रावधान है।

बहुपक्षीय/द्विपक्षीय परियोजनाएं

उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा परियोजना

16.4.1 उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा तैयार सभी के लिए शिक्षा परियोजना को अगस्त, 1992 के दौरान विश्व बैंक के पास मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत किया गया था। यह परियोजना सात वर्षों की 1728.79 करोड़ रुपये की परिव्यय वाली एक राज्य क्षेत्र परियोजना होगी। अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था 163.10 मिलियन अमेरिकन डालर का ऋण प्रदान करेगी और राज्य सरकार का हिस्सा कुल परियोजना लागत का लगभग 13% होगा। बैंक के साथ अंतिम बातचीत 10-14 मई 1993 को हुई थी। तत्पश्चात बैंक के बोर्ड ने इस परियोजना को अनुमोदित कर दिया और विकास ऋण समझौते पर 17.7.1993 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण घटक यू.ई.ई. के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्षमता तैयार करना तथा समुदाय को संघटित करना है। इस परियोजना को संचालित करने में गैर सरकारी संगठनों की मुख्य भूमिका होगी और यह परियोजना प्रबंध तथा कार्यान्वयन ढांचों के सभी स्तरों पर पुन: प्रस्तुत की जाएगी। इस परियोजना में ग्राम स्तरों पर परियोजना कार्यकलापों को कार्यान्वित करने तथा निरीक्षण करने के संदर्भ में ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा निभाई जाने वाली एक सक्रिय भूमिका की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना में योजना, प्रबंध, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक समेकित प्रौद्योगिकी शैक्षिक सहायता प्रणाली का भी प्रस्ताव किया गया है।

महिला समाख्या

16.4.2 स्वतंत्र भारत से ही शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को शैक्षिक अवसर प्रदान करना राष्ट्रीय प्रयास का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करना राष्ट्रीय प्रयास का एक महत्वपूर्ण भाग रहा है। यद्यपि इन प्रयासों से महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए हैं अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों तथा असुविधा प्राप्त समुदायों में अब भी बनी हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने शिक्षा को एक ऐसे अभिकर्त्ता के रूप में दर्शाया है जो महिलाओं की स्थिति में मौलिक परिवर्तन ला सकता है विगत के संचित मिथ्या वर्णनों को निष्प्रभावित करने के लिए उद्धरण देना, यह महिलाओं के पक्ष में ठीक रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली महिलाओं को अधिकार दिलाने......महिलाओं में निरक्षरता को दूर करने और शिक्षा प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने तथा रोकने में एक सरात्मक मध्यस्थतावादी भूमिका निभाएगी। विशेष सहायता सेवाओं की व्यवस्था, लक्ष्यों का निर्धारण और प्रभावी अनुश्रवण के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा को अभिलाषी प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसरण में शिक्षा के माध्यम से महिला समाख्या अथवा महिला समानता नामक एक कार्यक्रम तैयार किया गया था।

16.4.3 महिला समाख्या एक डच सहायता प्राप्त परियोजना है जिसका शाब्दिक अर्थ शिक्षा के माध्यम से महिलाओं की समानता है, यह महिलाओं की अधिकार प्राप्त परियोजना है जिसका उद्देश्य केवल सेवाएं प्रदान करना ही नहीं बल्कि महिलाओं के बोध में स्वयं परिवर्तन लाना है और महिलाओं की परंपरागत भूमिकाओं के संबंध में समाज में उनकी जो स्थिति है उसका बोध करना। सूचित विकल्प तैयार करने और परिस्थितियाँ सृजित करने में सूचना तथा ज्ञान का पता लगाने में महिलाओं के लिए एक वातावरण सृजित करने का प्रयास करती है जिनमें महिलाएं अपनी गति तथा लय से सीख सकती हैं। समानता प्राप्त करने के संघर्ष में शिक्षा की केंद्रीय रूप से महिला समाख्या पर बहुत अधिक बल दिया गया है।

16.4.4 मुख्य मुद्दा जिसके लिए कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं ग्राम स्तर पर महिला संघ अथवा महिला समूह है, जो बाल देख-रेख स्वास्थ्य, ईंधन, चारा, पीने का पानी शिक्षा उनकी प्रतिष्ठा संबंधी समस्याएं समाज तथा परिवार में उनकी भूमिका और महिला के रूप में स्वयं की छवि संबंधी समस्या है जैसी अपनी दिनचर्या संबंधी समस्याओं पर विचार करने हेतु, महिलाओं के लिए फोरम आसानी से गठित करते हैं। इन ग्रामीण महिलाओं के दल ने शिक्षा और सामूहिक कार्यवाही के लिए अपनी स्वयं की कार्य सूची तैयार की हैं। वे नवाचार कार्यवाही तथा प्रतिक्रिया के लिए ब्लाक तथा जिला ढांचों पर दबाव डाल कर अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करती हैं।

16.4.5 प्रत्येक ग्राम से कम से कम दो महिलाएं, महिला समुदाय के साथ तथा उत्प्रेरक विचार-विमर्श तथा कार्यवाही में सहायता करने के लिए सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती हैं। इस प्रक्रिया को सहयोगिनी या सुविधाजनक बनाने वाली के द्वारा मदद प्रदान की जाती है जो लगभग 10 संघों की कार्यवाहियों को सुविधाजनक तथा समन्वित करने के लिए कार्यक्रम द्वारा प्रशिक्षित की गई एक स्थानीय महिला होती है। इनके कार्य इन समुदायों को जब आवश्यक हो तब सूचना समर्थन तथा दिशा-निर्देश उपलब्ध कराके इन समुदायों की आवश्यकताओं के अनुरूप होते हैं तथा ग्रामीण स्तर की कार्यवाहियों तथा कार्यक्रम की जिला कार्यान्वयन कार्यवाही के मध्य की एक कड़ी के रूप में ये कार्य करते हैं। जिला स्तर पर कार्यक्रम के लिए तथा महिला विकास के क्षेत्र में अनुभव से महिलाओं को शामिल करने का सारा दायित्व जिला इकाई के कंधों पर है। यह शिक्षा शिशु देख-रेख स्वास्थ्य इत्यादि जैसे विशिष्ट निवेशों के लिए भी संसाधन सहायता उपलब्ध कराता है।

16.4.6 राज्य स्तर पर एक स्वायत्त शासी पंजीकृत संस्था का गठन किया जाना है। एक अधिकार प्राप्त निकाय के रूप में यह संस्था कार्यक्रम के प्रबंध और वित्तीय पहलुओं पर सभी निर्णय लेती है। एक राज्य परियोजना निदेशक राज्य स्तर पर परियोजना का पर्यवेक्षण करता हैं। राज्य कार्यालय कार्यक्रम के संचालन के लिए सुविधाजनक वातावरण, परियोजना के कार्य क्षेत्रों के लिए आवश्यक संसाधन सहायता उपलब्ध कराता है तथा कार्यक्रम के अंतर जिला संबद्धन के लिए प्रबंध करता है ताकि महिला आंदोलन के लिए एक व्यापक नेटवर्क तैयार किया जा सके। राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम का संयोजन परियोजना निदेशक द्वारा किया जाता है। इस स्तर पर गठित प्रसिद्ध महिलाओं के एक राष्ट्रीय संसाधन दल द्वारा कार्यक्रम के लिए दिशा-निर्देश दिए जाते हैं।

16.4.7 वर्तमान में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश के चारों राज्यों के 14 जिलों में कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। महिला समाख्या ने गुजरात और कर्नाटक के जिलों में संपूर्ण साक्षरता अभियान में तथा उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा जैसे शिक्षा के वैकल्पिक अवसरों को उपलब्ध कराने की उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। कार्यक्रम ने स्थानीय स्तरों पर नवाचारी तथा संबद्ध अधिगम और शिक्षण सामग्री विकसित की है। उपरोक्त के अतिरिक्त, इसने महिलाओं में उनके विश्वास, आत्म प्रतिष्ठा तथा सामुदायिक कार्यवाही के लिए क्षमताओं के प्रोत्साहन द्वारा बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शिशु देख-रेख सुविधाओं की मात्रा के लिए उत्तेजना उत्पन्न की है।

शिक्षा कर्मी परियोजना (एस.के.पी.)

16.4.8 शिक्षा कर्मी परियोजना वर्ष 1987 से राजस्थान में स्वीडेन अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी (एस.आई.डी.ए.) की सहायता से कार्यान्वित की जा रही हैं। परियोजना का लक्ष्य राजस्थान के चुने हुए दूरदराज के और आर्थिक रूप से पिछड़े गांवों में प्राथमिक शिक्षा को पुन: सुदृढ़ करना और उसका विस्तार करना है। परियोजना में शिक्षकों की अनुपस्थिति को प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ी बाधा समझी गई है। तदनुसार इसमें एकल शिक्षक स्कूलों में प्राथमिक स्कूल शिक्षक को स्थानीय निवासी और शिक्षित कार्यकर्त्ताओं के दल से बदलने की परिकल्पना की गई है जिन्हें शिक्षा कर्मी कहा गया है।

16.4.9 परियोजना के चरण-I में 1987-94 को शामिल किया गया है। जुलाई, 1994 से जून, 1999 की अवधि को शामिल करने के लिए चरण-II के परियोजना दस्तावेज विचाराधीन हैं। परियोजना को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही हैं। परियोजना परिव्यय के लिए 90% निधियां केन्द्रीय सरकार के योजनागत बजट से प्रदान की जाती हैं जिनकी प्रतिपूर्ति बाद में एस.आई.डी.ए. द्वारा कर दी जाती है। राजस्थान सरकार परियोजना का 10% व्यय वहन करती है।

16.4.10 सभी स्तरों पर परियोजना का सेवाकालीन प्रशिक्षण अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि शिक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करने के प्रभारी अधिकारियों की प्रतिक्रिया समझ और मनोवृत्ति पर यह काफी हद तक निर्भर होता हैं। शिक्षा कर्मी उन दिनों का शिक्षण प्रशिक्षण लेते हैं, इसके बाद बसन्त/शरद् अवकाश के दौरान 10 दिनों का प्रशिक्षण लेते हैं। ग्रीष्म अवकाश में 30 दिनों का प्रशिक्षण लेते हैं और इसके बाद प्रत्येक महीने दो दिनों की मासिक समीक्षा और आयोजना बैठक होती है।

16.4.11 परियोजना के कार्यानवयन, ढांचे और तंत्र इस प्रकार तैयार किए गए हैं कि राज्य सरकार और गैर सरकारी संगठन साझेदारी में कार्य करते हैं। गैर सरकारी संगठन शिक्षा कर्मी प्रशिक्षको के लिए प्रशिक्षण तैयार करने, आयोजित करने तथा चलाने और शिक्षा कर्मियों के प्रशिक्षण की देख-रेख के लिए परियोजना निदेशक के साथ-साथ कार्य करते हैं। गैर सरकारी संगठन परियोजना के पर्यवेक्षण और शिक्षा कर्मियों की सहायता के लिए भी जिम्मेदार हैं। परियोजना इस पूर्व धारणा पर तैयार की गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लाभवंचित वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा सेवाओं में समुदाय की सहायता अनिवार्य है। परियोजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीचे के स्तर पर पंचायत समिति, शिक्षा कर्मी सहयोगी, गैर-सरकारी संगठनों के विषय विशेषज्ञ, शिक्षा कर्मी और ग्राम समुदाय निरन्तर आपस में आदान-प्रदान करते रहते हैं।

16.4.12 शिक्षा कर्मी परियोजना नवीन शैक्षिक हस्तक्षेप है जिसका लक्ष्य कम दाखिले और बच्चों विशेषकर बालिकाओं द्वारा स्कूल बीच में छोड़ देने की उच्च दर की वृहत समस्या का समाधान करना है। शि.क.प. नवाचारी कार्यकलाप के तौर पर प्रहर पाठशाला, आंगन पाठशाला, महिला शिक्षा कर्मी प्रशिक्षण केन्द्र चलाती हैं। परियोजना के स्थानीय रूप से प्रासंगिक पाठ्यचर्या जो बच्चे के माहौल और बच्चों विशेषकर बालिकाओं के दाखिले, चयन और सहभागिता में वृद्धि होने की स्थिति में कक्षाओं में इसकी उपयोगिता के दृष्टिकोण से प्रासंगिक हो, को विकसित करने की एक पद्धति है।

16.4.13 सितम्बर, 1993 तक शिक्षा कर्मी परियोजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण राजस्थान में 64 ब्लाक इकाईयों में लगभग 740 स्कूलों की स्थापना की गई। 1650 शिक्षा कर्मी सेवा में लगे हुए हैं जिनमें से 124 महिलाएं हैं। 6-11 वर्षों के बच्चों का कुल दाखिला 90,000 से अधिक है जिनमें से लगभग 20,000 गैर बच्चे अनौपचारिक कक्षाओं (प्रहर पाठशालाओं) में शामिल हो रहे हैं। अन्य 36 ब्लॉक इकाईयों को 31.3.94 तक शामिल कर लिए जाने का प्रस्ताव है। मार्च, 1994 तक 2842 शिक्षा कर्मियों द्वारा 1100 स्कूलों की देखरेख किए जाने की आशा हैं।

16.4.14 बजट प्राक्कलन 1993-94 में 500.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान बना हुआ है।

लोक जुम्बिश

16.4.15 स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण (एस.आई.डी.ए.) की सहायता से "लोक जुम्बिश" सभी के लिए शिक्षा का जन आंदोलन : राजस्थान" नामक एक नवीन शैक्षिक परियोजना राजस्थान में शुरू की गई है। इस परियोजना का मूल उद्देश्य वर्ष 2000 तक जनशक्ति को जुटाकर तथा उनकी सहभागिता से सभी के लिए शिक्षा सुलभ कराना है। इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य औपचारिक तथा गैर औपचारिक शिक्षा पद्धति कार्यात्मक साक्षरता, महिला शिक्षा के विकास पर बल, उत्तर-साक्षरता और सतत शिक्षा के जरिए प्रारंभिक शिक्षा को संतोषजनक स्तर तक प्राप्त करना है। तत्कालीन लक्ष्यों में प्रबंधन पद्धति की स्थापना, जनशक्ति जुटाने के लिए कार्यकलापों की शुरूआत प्रशिक्षण की पद्धति और तकनीकी संसाधनों का सृजन, सहायता संरचना और अध्ययन प्रक्रिया एवं पद्धति में गुणात्मक सुधार लाने के लिए प्रयास करना शामिल है।

16.4.16 इस कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक स्वतंत्र और स्वायत्त संगठन के रूप में लोक जुंबिश परिषद् पंजीकृत की गई है। परिषद् की कार्यकारी समिति और महापरिषद् में अन्यों के अतिरिक्त मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राजस्थान सरकार, जिलों तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। लोक जुम्बिश ने विकेन्द्रीकृत रूप से निर्णय लेने के लिए शैक्षिक प्रक्रिया में सभी मुख्य कार्यकर्त्ताओं को शामिल करते हुए ब्लॉक स्तरीय प्रबन्धन समितियां स्थापित की हैं।

16.4.17 समीक्षा एवं आयोजना बैठकों को संस्थाकृत किया गया है (प्रत्येक दो महीने में बैठक होती है)। इसी प्रकार कार्यकारी समिति की नियमित बैठकें होती हैं। सक्षम एवं प्रतिबद्ध कर्मचारियों को उनका स्थान प्रदान किया गया है और संतोष जनक कार्य प्रक्रियाओं का सृजन किया गया हैं। परियोजना के लिए प्रशासकीय, कार्मिक और वित्तीय नियमों को निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार प्रत्येक ब्लॉक के अधीन पूर्ण कर्मचारियों की नियुक्ति के साथ-साथ प्रत्येक ब्लॉक में 1-2 कर्मचारियों के साथ शुरूआत की गई है, इसे जून, 1993 तक 4-5 तक बढ़ाया जाएगा। एक नवीन उपाय के तौर पर प्रत्येक ब्लॉक को सघन और समीपस्थ ग्राम समूहों में विभाजित किया गया और संघटन कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक समूह को किसी गैर सरकारी संगठन या अन्य उपयुक्त एजेन्सी को सौंपा गया। सभी अधिकारियों को अनिवार्य प्रशिक्षण एवं प्रबोधन दिया गया। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि एक संतोषजनक प्रबन्धन प्रणाली स्थापित की गई है।

16.4.18 लोक जुम्बिश की एक उपलब्धि शिक्षक संघ के साथ संतोषजनक संबंधों की स्थापना है। कुल मिलाकर शिक्षकों का यह मानना है कि लोक जुम्बिश एक ऐसा कार्यक्रम है जो उनके दर्जे को पुन: स्थापित करेगा और शिक्षा प्रणाली में इच्छित परिवर्तन लाएगा। शिक्षक प्रशिक्षण पद्धति को अनिवार्य बनाने के लिए उनका रुख भी सकारात्मक है। इस पद्धति में द्विमासिक कार्यशालाओं के साथ-साथ 10 दिनों का प्रारंभिक प्रशिक्षण अपेक्षित होता है, जिसके बाद प्रत्येक वर्ष तीन सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रवीण प्रशिक्षकों तथा संसाधन व्यक्तियों के चयन और प्रशिक्षण के लिए तथा अच्छे संसाधन संस्थानों को शुरू करने के लिए एक विस्तृत पद्धति विकसित की गई है।

16.4.19 लोक जुम्बिश में गैर औपचारिक शिक्षा को उचित प्राथमिकता दी गई है। कार्यकारी समिति द्वारा एक व्यवहार्य वित्तीय पद्धति को अनुमोदित किया गया है और प्रबन्धन तथा प्रशिक्षण पद्धति के सृजन के लिए आधारभूत कार्य किया गया है।

16.4.20 भवन विकास संघटक ने काफी प्रगति की है। अच्छे परामर्शदाता वास्तुकारों को नियुक्त किया गया है। वर्तमान स्कूल भवनों का सर्वेक्षण किया गया और संस्थान-क्रम में बड़ी संख्या में रूपरेखाएं तैयार की गईं। निर्माण के नियम तैयार किए गए हैं और पुस्तिकाएं तैयार की गई हैं। महिला राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण और भवन निर्माण समिति के माध्यम से ग्राम समुदाय को शामिल करने के लिए नवीन कार्य किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय सहभागिता के साथ एक सफल सेमिनार आयोजित किया

गया।

16.4.21 दो वर्षों की अवधि अर्थात् 1992-93 और 1993-94 के लिए अनेक जिलों में फैले 25 ब्लॉकों को शामिल करने के लिए परियोजना के प्रथम चरण को भारत सरकार का अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। इस चरण के लिए 18.00 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है जिसे एस.आई.डी.ए., भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा 3:2:1 के अनुदान में वहन किया जाएगा। एस.आई.डी.ए. ने 1992-93 और 1993-94 की अवधि के दौरान 21 मिलियन स्वीडिश क्रोनर तक की राशि प्रदान करने के लिए सहमत है। 1992-93 के दौरान लोक जुम्बिश को एस.ओ.डी.ए. और भारत सरकार के अंशदानों के रूप में 4 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। भारत सरकार, राजस्थान सरकार और एस.आई.डी.ए. संयुक्त मूल्यांकन समिति ने अक्टूबर, 1993 में परियोजना का दौरा किया और परियोजना में किए गए पहलों की सराहना करते हुए इसे जारी रखने और इसका आगे विस्तार करने की सिफारिश की है।

औरोविले

16.5.1 केन्द्र सरकार ने दिनांक 29 जनवरी, 1991 को औरोविले न्यास अधिनियम (1988) के अन्तर्गत औरोविले न्यास की स्थापना की अधिसूचना जारी की। इस न्यास में एक शासकीय बोर्ड, स्थानिक सभा तथा औराविले अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् है। न्यास के नौ सदस्यीय प्रशासनिक बोर्ड का गठन डा. करण सिंह की अध्यक्षता में किया गया है। वर्ष के दौरान बोर्ड की दो बैठकें औरोविले में 26 फरवरी, 1993 तथा 13 अगस्त, 1993 को आयोजित की गईं। औरोविले अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड की पहली बैठक भी औरोविले न्यास की स्थापना की 25 वीं वर्षगांठ के साथ-साथ आयोजित की गई।

16.5.2 सभी सम्पत्तियां जो केन्द्र सरकार के अधिकार में हैं, वे औरोविले न्यास को 1 अप्रैल, 1992 तक तथा 1 सितम्बर, 1992 से दो चरणों में स्थानांतरित तथा सौंप दी गई है।

16.5.3 सातवीं पंचवर्षीय योजना में औरोविले के विकास के लिए 35.35 लाख रुपये के खर्च की एक योजना शामिल की गई है तथा यह 65 लाख रुपये के खर्च के साथ आठवी पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी रहेगी। इस योजना में तीन महत्वपूर्ण चिन्ता के विषय प्रतिबिम्बित हैं

1. प्रारंभिक बाल्यावस्था से ही सतत शिक्षा प्रारंभ करने के लिए आवश्यकता
2. ज्ञान और संस्कृति के संश्लेषण की आवश्यकता, और
3. औरोविले तथा इसके निकटवर्ती गांवों के चहुंमुखी विकास के लिए मजबूत आधार प्रदान करने की आवश्यकता।

वित्तीय आबंटन

महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय आबंटन

(रुपये लाखों में)

क्रम संख्या	विषय	योजनागत/योजनेत्तर	बजट अनुमान 1993-94	बजट अनुमान 1994-95 मूल	बजट अनुमान 1994-95 संशोधित
1		2	3 4	5	6
प्रारम्भिक शिक्षा					
1.	आप्रेशन ब्लेक बोर्ड	योजनागत	17900.00	17900.00	21500.00
2.	(i) अनौपचारिक शिक्षा	योजनागत	1950.00	1400.00	2500.00
	(ii) अनौपचारिक शिक्षा	योजनागत	8917.00	9621.00	10632.00
	(iii) एस. आई. डी. ए. से वित्तीय सहयोग प्राप्त राजस्थान में शिक्षा कम परियोजना	योजनागत	500.00	500.00	500.00
	(iv) बिहार शिक्षा परियोजना	योजनागत	2000.00	2000.00	2000.00
	(v) एन. सी. टी. ई.	योजनागत	100.00	10.00	200.00
	(vi) लोक जुम्बिश	योजनागत	933.00	933.00	933.00
	(vii) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त उ. प्र. परियोजना	योजनागत	10.00	10.00	10.00
	(viii) बाल भवन	योजनागत	100.00	100.00	125.00
		योजनेत्तर	66.00	86.00	86.00
	(ix) महिला सामख्या	योजनागत	890.00	890.00	890.00
	(x) दक्षिणी उड़ीसा परियोजना	योजनागत	10.00	10.00	10.00
3.	शिक्षक शिक्षा	योजनागत	6910.00	6910.00	9000.00
4.	डी. पी. ई. पी. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम	योजनागत	4000.00	4000.00	4000.00

	सहायता योजना				
8.	युद्ध के दौरान मारे गए या विकलांग हुए अधिकारियो और सैनिकों को शैक्षणिक छूट	योजनेत्तर	1.00	1.00	1.00
9.	स्कूली शिक्षा के क्षेत्रों में सांस्कृतिक आदान प्रदान का कार्यक्रम	योजनेत्तर	1.00	1.00	1.00
10.	शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार	योजनेत्तर	27.00	27.00	42.00
11.	विज्ञान शिक्षा	योजनागत	2168.00	2146.00	2270.00
12.	पर्यावरण शिक्षा	योजनागत	180.00	180.00	195.00
13.	+2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा	योजनागत	8500.00	8500.00	8846.00
14.	विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा	योजनागत	450.00	450.00	470.00
15.	योग	योजनागत	60.00	60.00	60.00
		योजनेत्तर	30.00	30.00	30.00
16.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन	योजनागत	18546.00	18546.00	18546.00
17.	केन्द्रीय तिब्बत स्कूल प्रशासन	योजनागत	514.00	565.00	565.00
18.	नवोदय विद्यालय	योजनागत	13171.00	13200.00	15263.00
		योजनागत	4927.00	4927.00	4927.00

1	2	3	4	5	6
माध्यमिक शिक्षा					
1. राष्ट्रीय खुला विद्यालय	योजनागत		290.00	290.00	306.00
	योजनेत्तर		34.00	34.00	34.00
2. रा. शै. अ. प्र. परिषद को अनुदान					
	योजनागत		587.00	545.00	812.00
	योजनेत्तर		2200.00	1544.00	1407.00
3. राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना	योजनागत		98.00	98.00	102.00
4. माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं के लिए भोजन व्यवस्था/छात्रावास संबंधी सुविधाएं सुदृढ़ करने की योजना हेतु स्वैच्छिक एजेन्सियों को अनुदान	योजनागत		36.00	36.00	55.00
5. क्लास	योजनागत		2607	2607.00	2700.00
6. शैक्षणिक प्रौद्योगिकी	योजनागत		2343.00	2343.00	2318.00
7. शिक्षा में संस्कृति मूल्यों को शक्ति प्रदान करने के लिए			95.00	95.00	100.00

1	2	3	4	5	6
शिक्षा और अनुसंधान					
1.	**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग**	योजनागत	14050.00	14150.00	18650.00
		योजनेत्तर	28882.00	33695.00	32300.00
2.	भारतीय उच्च शिक्षा	योजनागत	35.00	35.00	35.00
	संस्थान, शिमला	योजनेत्तर	125.39	135.00	138.00
3.	भारतीय दार्शनिक अनुसंधान	योजनागत	40.00	40.00	40.00
	संस्थान परिषद	योजनेत्तर	68.00	68.00	68.00
4.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान	योजनागत	35.00	35.00	35.00
	परिषद	योजनेत्तर	139.00	139.00	139.00
5.	अखिल भारतीय उच्च	योजनागत	38.00	38.00	38.00
	अध्ययन संस्थान	योजनेत्तर	21.00	21.00	21.00
6.	भारतीय सामाजिक विज्ञान	योजनागत	250.00	350.00	250.00
	अनुसंधान परिषद	योजनेत्तर	437.00	488.00	488.00
7.	शास्त्री भारत कनाडा संस्थान	योजनागत	70.00	72.00	75.00
		योजनेत्तर			
8.	विश्वविद्यालयों और कालेजों	योजनागत	3400.00	2950.00	2700.00
	के शिक्षकों के वेतनमान में संशोधन	योजनेत्तर			
9.	राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर	योजनागत	5.00	4.00	5.00
		योजनेत्तर			
10.	पंजाब विश्वविद्यालय को ऋण	योजनागत	50.00	50.00	50.00
		योजनेत्तर			
11.	डा. जाकिर हुसैन मैमोरियल ट्रस्ट	योजनागत	25.00	24.00	25.00
		योजनेत्तर	10.00	10.00	12.00
12.	भारतीय विश्वविद्यालय संघ	योजनागत	12.00	12.00	12.00
		योजनेत्तर	12.50	13.00	13.00
13.	इन्दिरा गांधी खुला	योजनागत	1400.00	1400.00	2700.00
	विश्व-विद्यालय	योजनेत्तर	790.00	790.00	790.00
14.	राष्ट्रीय-उच्च शिक्षा परिषद	योजनागत	5.00	1.00	5.00
		योजनेत्तर			
15.	राष्ट्रमंडल अध्ययन	योजनागत	25.00	75.00	25.00
		योजनेत्तर			
16.	ग्रामीण संस्थान	योजनागत	100.00	5.00	100.00
		योजनेत्तर			

1	2	3	4	5	6
अन्तराष्ट्रीय सहयोग					
1.	आरोविले प्रबन्ध	योजनागत योजनत्तर	20.00 16.00	20.00 18.00	20.00 20.00
2.	बाह्य शैक्षिक संबंधों को सुदृढ करना	योजनागत	3.00	3.00	5.00
3.	कुरियर के हिन्दी और तमिल संस्करणों के प्रकाशन का खर्च	योजनागत योजनेत्तर	20.00	20.00	20.00
4.	अन्य मदें आई.एन.सी. के कार्यक्रम के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान	योजनेत्तर	0.25	0.35	0.35
5.	अन्य मदें-यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहयोग आयोग	योजनेत्तर	0.60	0.60	0.60
6.	अन्य मदें आतिथ्य तथा मनोरंजन	योजनेत्तर	0.05	0.05	0.05
7.	यूनेस्को को योगदान	योजनेत्तर	489.10	390.00	400.00
8.	विदेशी शिष्ट मण्डल की भारत यात्रा	योजनेत्तर	5.00	5.00	5.00
9.	देश से बाहर प्रतिनियुक्ति तथा शिष्ट मण्डल की योजना	योजनेत्तर	8.00	10.00	8.00
10.	भारतीय राष्ट्रीय आयोग के कार्यकलापों को सुदृढ करना	योजनागत	59.00	279.00	11.00
पुस्तक प्रोन्नति ओर कापीराइट					
1.	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास	योजनागत योजनेत्तर	189.00 270.00	189.00 213.00	189.00 270.00
2.	राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद	योजनागत	2.00	1.00	2.00
3.	पुस्तक प्रौन्नत कार्यकलाम और सवैच्छिक संगठन	योजनागत	·5.00	5.00	5.00
4.	राष्ट्रीय लेखक सोसाइटी का गठन करना	योजनागत	2.00	-	2.00

1	2	3	4	5	6
5.	अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट यूनियन डब्ल्यु.आई.पी. ओ. को भारत का सहयोग	योजनेत्तर	37.50	37.50	37.00
6.	अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट यूनियन (सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम)	योजनेत्तर	2.50	2.50	3.00
छात्रवृत्तियां					
1.	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना	योजनागत	100.00	100.00	90.00
2.	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना	योजनेत्तर	285.00	285.00	285.00
3.	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना मूल्य ह्रास आदि	योजनेत्तर	14.00	10.00	10.00
4.	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वसूलियों के संबंध में राज्य साकारों का 50 प्रतिशत भाग	योजनेत्तर	22.00	10.00	10.00
5.	अ०जा०/अ०ज०जा० के छात्रों की योगयता को स्तरोन्यन की योजना	योजनागत	55.00	55.00	55.00
6.	संस्कृत के अतिरिक्त अरबी, पारसी इत्यादि जैसी प्राचीन भाषाओं के अध्ययन में परम्परागत संस्थाओं के निर्माण में अनुसंधान छात्रवृत्तियां	योजनागत	1.25	1.25	1.25
7.	ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर तक छात्रवृत्तियां	योजनागत	60.00	60.00	60.00
8.	अनमोदित आवासीय माध्यमिक स्कूलों में छात्रवृत्तियां	योजनेत्तर	205.00	205.00	175.00
9.	हिन्दी में उत्तर मैट्रिक अध्ययनों के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को छात्रवृत्ति की सहायता अनुदान योजना	योजनेत्तर	34.10	34.10	34.10
10.	भारत और विदेश में विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययनों के लिए जवाहर लाल नेहरु फैलोशिप योजना	योजनागत	50.00	50.00	10.00

1	2	3	4	5	6
11.	विदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्तियों के लिए विदेश जाने वाले भारतीय अध्येता	योजनेत्तर	25.00	25.00	25.00
12.	विदेश में/अध्ययन करने हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां	योजनेत्तर	175.00	175.00	175.00
भाषाओं की स्तरोन्नति					
हिन्दी					
1.	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय	योजनागत योजनेत्तर	66.00 137.50	63.00 147.00	72.00 156.00
2.	विज्ञान एवं तकनीकी प्रौद्योगिकी के लिए आयोग	योजनागत योजनेत्तर	20.00 57.00	23.00 57.00	60.00 57.00
3.	केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा	योजनागत योजनेत्तर	52.00 183.00	52.00 200.00	67.00 188.00
4.	हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति और उनका प्रशिक्षण	योजनागत योजनेत्तर	250.00	570.00	250.00
5.	हिन्दी में प्रकाशन सहित, गैर हिन्दी संगठनों दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सथा एवं अन्य एन. जी. सी. की सहायता	योजनागत योजनेत्तर	180.00 102.50	180.00 102.00	180.00 102.00
6.	विदेश में हिन्दी का प्रचार	योजनागत योजनेत्तर	25.00 11.00	25.00 11.00	50.00 11.00
7.	हिन्दी विश्वविद्यालय	योजनागत योजनेत्तर	30.00	30.00	1.00
8.	उर्दू विश्वविद्यालय	योजनेत्तर	1.00	1.00	1.00
आधुनिक भारतीय भाषाएं					
9.	जनजातीय भाषाओं के विकास सहित केन्द्रीय भाषाओं के संस्थान और उनकी क्षेत्रीय भाषा केन्द्र	योजनागत योजनेत्तर	88.00 231.00	88.00 240.00	90.00 249.00
10.	गुजरात समिति सहित तरक्की ए-उर्दू बोर्ड	योजनागत योजनेत्तर	75.00 45.00	59.00 45.00	85.00 45.00

1	2	3	4	5	6
11.	यू. एल. बी. सहित गैर सरकारी संगठनों सिंधी उर्दू और हिन्दी के अतिरिक्त, को वित्तीय सहायता	योजनागत योजनेत्तर	27.00 10.00	27.00 10.00	27.00 10.00
12.	सिंधी में पुस्तकों के उत्पादन के लिए वित्तपोषण सिंधी विकास बोर्ड सहित सिंधी हेतु गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता	योजनागत योजनेत्तर	24.00	8.00	60.00
13.	आधुनिक भारतीय भाषा शिक्षक	योजनागत योजनेत्तर	60.00	20.00	60.00
14.	उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति	योजनागत योजनेत्तर	80.00	5.00	80.00
अंग्रेजी					
14.	अंग्रेजी भाषा के शिक्षण हेतु वित्तीय सहायता	योजनागत योजनेत्तर	75.00	75.00	75.00
संस्कृत:					
1.	स्वैच्छिक संस्कृत संगठन, आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों/ शोध संस्थान को अनुदान	योजनागत योजनेत्तर	80.00 95.00	118.00 125.00	शून्य शून्य
2.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	योजनागत योजनेत्तर	10.00 98.00	15.00 98.00	20.00 110.00
3.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति को अनुदान	योजनागत योजनेत्तर	10.00 72.00	7.00 72.00	15.00 72.00
4.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली को अनुदान	योजनागत योजनेत्तर	151.00 315.00	151.00 315.00	290.00 450.00
5.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संस्कृत शिक्षा का विकास	योजनागत योजनेत्तर	56.00	56.00	56.00
6.	राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान को अनुदान	योजनागत	45.00	45.00	65.00
7.	श्रेण्य भाषा (अरबी एवं फारसी हेतु अनुदान/छात्रवृत्तियां	योजनागत	15.00	15.00	15.00
8.	मौखिक वेद पाठ सम्बंधी परम्परा का संरक्षण	योजनागत	7.00	7.00	

1	2	3	4	5	6
प्रौढ़ शिक्षा					
1.	ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाएं	योजनागत	600.00	600.00	600.00
2.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन,	योजनागत	50.00	-	-
3.	उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा	योजनागत	1350.00	810.00	1800.00
4.	प्रशासनिक ढाँचे का सुदृढ़ीकरण	योजनागत	1000.00	100.00	1400.00
5.	कार्यात्मक साक्षरता का जन कार्यक्रम	योजनागत	250.00	145.00	75.00
6.	प्रौद्यौगिकी प्रदर्शन	योजनागत	47.00	35.00	30.00
7.	स्वैच्छिक एजेंसियां	योजनागत योजनेत्तर	1500.00 17.00	1300.00 17.00	1000.00 20.00
8.	श्रमिक विद्यापीठ	योजनागत योजनेत्तर	175.00 105.00	175.00 105.00	200.00 110.00
9.	प्रौढ़ शिक्षा	योजनागत योजनेत्तर	570.00 127.00	545.00 112.00	600.00 114.00
10.	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण	योजनागत योजनेत्तर	50.00	37.00	75.00
11.	सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम	योजनागत	5.00	6.00	25.00
12.	पूर्ण साक्षरता अभियान	योजनागत	12000.00	12000.00	15475.00
13.	राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान	योजनागत	200.00	100.00	120.00
तकनीकी शिक्षा					
I	*निर्देश एवं प्रशासन*				
1.	राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली घ. 7 (2)	योजनागत योजनेत्तर	100.00 52.00	100.00 - 52.00	शून्य शून्य
2.	अ. भा. त. शु. परि., उसकी समितियों/बोर्डों का पुन: संगठन पुन: संरचता और सुदृढ़ीकरण	योजनागत योजनेत्तर	260.00	260.00	5865.00 1816.00

1	2	3	4	5	6
II.	**प्रशिक्षण**				
3.	क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज घ 6 (2)	योजनागत योजनेत्तर	4400.00 2252.00	4400.00 2852.00	4100.00 2350.00
4.	प्रशिक्षु प्रशिक्षण घ. 2 (5) और घ. 2 (6)	योजनागत योजनेत्तर	700.00 858.00	608.00 840.00	700.00 858.00
5.	केन्द्रीय संस्थान				
	तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान घ. 2 (1)	योजनागत योजनेत्तर	500.00 512.00	500.00 512.00	शून्य शून्य
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी इंजीनियरी संस्थान डी. 2(2)		योजनागत योजनेत्तर	130.00 331.00	130.00 331.00	शून्य शून्य
राष्ट्रीय धातु ढलाई प्रौद्योगिकी संस्थान घ. 2 (3)		योजनागत योजनेत्तर	100.00 152.00	50.00 131.00	शून्य शून्य
आयोजना एवं वास्तुकला स्कूल घ. 2 (4)		योजनागत योजनेत्तर	230.00 197.00	153.00 197.00	शून्य शून्य
6.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	योजनागत योजनेत्तर	1500.00 11306.00	1710.00 11306.00	1800.00 11800.00
III.	**अनुसंधान**				
7.	भारतीय प्रबंध संस्थान घ. 6 (4) (1) से घ. 6 (1)(5)	योजनागत योजनेत्तर	600.00 958.00	896.00 958.00	645.00 958.00
8.	स्नातकोत्तर पाठ्याक्रमों का विकास	योजनागत योजनेत्तर	100.00 413.00	100.0 413.00	शून्य शून्य
9.	गैर- विश्वविद्यालय केन्द्रों में प्रबंध शिक्षा का विकास घ. 6(3)	योजनागत योजनेत्तर	15.00 10.00	15.00 5.00	शून्य शून्य
10.	अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा केन्द्र घ. 3(2)	योजनागत योजनेत्तर	10.00		15.00
11.	चुनिन्दा उच्च तकनीकी संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास घ 3 (4)	योजनागत योजनेत्तर	225.00	225.00	शून्य
12.	सामुदायिक पालिदेक्निक डी. 5 (1)	योजनागत योजनेत्तर	600.00 190.00	600.00 190.00	1065.00 190.00

1	2	3	4	5	6
13.	आधुनिकीकरण और अप्रचलानों को दूर करना डी. 6 (5) (3)	योजनागत योजनेत्तर	1800.00	1800.00	शून्य
14.	तकनीकी शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र	योजनागत	1500.00	1660.00	शून्य
15.	संस्थान-उद्योग अन्योन्य क्रिया डी. 6 (6)	योजनागत	80.00	80.00	शून्य
16.	सतत शिक्षा डी. 6 (7)	योजनागत योजनेत्तर	100.00	80.00	शून्य
II.	**अन्य योजनाएं**				
17.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, असम डी. 6 (1) (6) और एफ 3 (15) (1)	योजनाागत योजनेत्तर	888.00	200.00	1388.00
18.	संत लोगोवाल इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान डी. 7 (6)	योजनागत योजनेत्तर	675.00	675.00	शून्य
19.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनाएं के जरिए तकनीकी संस्थाओं की सहायता डी. 04 (1)	योजनागत योजनेत्तर	1800.00	1800.00	2270.00
20.	भारत शैक्षिक परामर्शदाता लि. एवं० ए० ए० 1(1)	योजनागत	2.00	2.00	2.00
21.	आई. आई. एस. सी. बंगलौर डी. 4 (2)	योजनागत योजनेत्तर	2350.00 2145.00	2380.00 2378.00	850.00 2544.00
22.	तकनीसन शिक्षा को विश्व बैंक परियोजना सहायता डी. 5 (3) (1)	योजनागत योजनेत्तर	75.00	105.0	200.00
23	क्षेत्रीय कार्यालय डी. 1 (1) डी. 1 (3)	योजनागत योजनेत्तर	55.00	54.50	60.00
24.	कोटि प्रचार कार्यक्रम डी. 02 (7)	योजनागत	290.00	290.00	शून्य
25.	विदेश जाने वाले भारतीय वैज्ञानिकों को आंशिक वित्तीय सहायता (आं० वि० स0 डी. 3 (3)	योजनागत	2.00	-	-
26.	भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसाइटी (भा० त० शि० सी० डी. 7 (3)	योजनत्तर	1.00	1.00	शून्य

1	2	3	4	5	6
27.	ए. आई. टी., बैंकाक डी. 7 (4)	योजनेत्तर	12.00	14.00	14.00
28.	सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रतिनिधि मंडल डी. 7 (5)	योजनेत्तर	1.00	0.50	1.00
29.	तकनीकी संस्थाओं के शिक्षकों के वेतनमान का संशोधन/राज्य/संस्थाओं के कालेजों को सहायता एफ. 1 (8) (1)	योजनेत्तर	500.00	200.00	100.00
30.	संचार तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान डी. 7 (9)	योजनागत योजनेत्तर	10.00	-	-
31.	उद्यमशीलता तथा प्रबंध विकास डी. 7(10)	योजनागत	50.00	50.00	शून्य
32.	प्रौद्योगिकी विकास मिशन एफ. 3 (14) (1)	योजनागत योजनेत्तर	800.00	600.00	3300.00
33.	आई. आई. एम. केरल (नई योजना)	योजनागत योजनेत्तर		-	100.00
34.	जम्मू में इंजीनियरी कालेज की स्थापना डी. 6 (8)	योजनागत योजनेत्तर	200.00	200.00	-
	कुल योग	योजनागत	19800.00	19379.00	23100.00
		योजनेत्तर	20237.00	20725.00	20691.00

इस उप-शीर्ष के अन्तर्गत सभी स्कीमें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को स्थानांतरित की जानी है।

केन्द्रीय प्रायोजित रा. शि. नि. योजनाओं को लागू करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता सम्बन्धी परिशिष्ट

परिशिष्ट 1

ऑपिरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के लिये राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता

(रू० लाखों में)

क्रम सं०	राज्य संघ/ शासित क्षेत्र	मुक्त की गयी राशि 1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94 (अनुमानित)
1.	आन्ध्र प्रदेश	1590.77	1209.29	2095.00	3637.75	463.14	1604.87
2.	अरूणाचल प्रदेश	71.81	46.76	82.16	0.00	106.57	3.55
3.	असम	0.00	692.41	0.00	420.48	1628.46	387.00
4.	बिहार	2151.64	1407.66	1684.02	0.00	4167.11	2158.00
5.	गोवा	23.62	37.32	47.47	0.00	39.67	4.00
6.	गुजरात	0.00	727.44	503.10	619.70	512.41	250.00
7.	हरियाणा	117.33	111.39		292.17	0.00	16.00
8.	हिमाचल प्रदेश	280.94	458.09	297.03	456.10	264.73	248.38
9.	जम्मु और कश्मीर	347.04	0.00		1103.06	0.00	
10.	कर्नाटक	853.09	537.08	717.54	1876.67	360.00	1444.56
11.	केरल	223.44	0.00	156.12	82.90	0.00	400.00
12.	मध्य प्रदेश	1981.26	0.00	1344.78	846.91	1688.61	524.00
13.	महाराष्ट्र	0.00	788.33	612.22	2795.46	1721.70	3308.25
14.	मणिपुर	98.78	0.00	47.88	57.30	0.00	34.30
15.	मेघालय	0.00	0.00	100.49	90.04	0.00	.399.53
16.	मिजोरम	22.88	8.74	8.87	66 80	13.42	17.00
17.	नागालैण्ड	24.67	42.98	5.85	0.00	7.84	
18.	उड़ीसा	1105.45	864.25	1818.32	1147.90	2496.68	1320.12
19.	पंजाब	384.25	115.69	219.29	541.67	0.00	72.00
20.	राजस्थान	1123.68	1568.63	3456.83	2202.14	510.81	1400.85
21.	सिक्किम	9.06	0.00	15.36	9.57	0.00	20.00
22.	तमिलनाडु	856.92	1213.02	510.24	449.96	0.00	910.72

क्रम सं०	राज्य संघ/ शासित क्षेत्र	1988-89	1989-90	मुक्त की गयी राशि 1990-91	1991-92	1992-93	1993-94 (अनुमानित)
23.	त्रिपुरा	0.000	49.59	7.70	64.41	4.23	56.57
24.	उत्तर प्रदेश	1893.44	2757.26	860.94	650.00	1244.50	320.00
25.	पश्चिम बंगाल	384.34	0.00	349.46	140.02	254.00	2987.30
26.	अ. व नि. द्वीप समूह	0.00	8.27		3.82	0.00	-
27.	चण्डीगढ़	0.00	1.17		0.00	0.00	-
28.	दादर व नागर हवेली	0.00	0.00	4.14	8.17	3.66	13.00
29.	दमन व द्वीप	1.19	0.00		0.00	0.00	-
30.	दिल्ली	0.00	32.39	53.59	0.00	0.00	-
31.	लक्षद्वीप	0.00	0.00		0.00	0.00	-
32.	पांडिचेरी	27.20	20.32	10.72	0.00	3.90	-
	कुल	13572.80	12698.08	15009.12	17563.00	15491.44	17900.00

परिशिष्ट 2

गैर-औपचारिक शिक्षा योजना हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता

(रू० लाखों में)

क्रम सं०	राज्य संघ/ शासित क्षेत्र	मुक्त की गयी राशि 1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94 (अनुमानित)
1.	आन्ध्र प्रदेश	498.00	650.55	581.78	573.97	631.97	1533.40
2.	असम	203.23	264.96	159.40	192.09	350.10	488.48
3.	बिहार	466.25	88.02	667.72	191.99	540.29	2250.71
4.	हरियाणा				-	-	-
5.	जम्मू और कश्मीर	64.68			55.39	53.34	27.64
6.	कर्नाटक	57.03			-	-	-
7.	मध्य प्रदेश	605.24	628.32	781.95	695.86	613.33	1714.88
8.	मिजोरम	2.07	2.22	2.06	3.16	2.96	8.58
9.	उड़ीसा	341.33	259.86	109.84	241.56	334.41	384.90
10.	राजस्थान	164.69	165.89	236.61	361.36	366.47	409.05
11.	तमिलनाडु	6.39			5.86	1.17	-
12.	उत्तर प्रदेश	544.31	485.30	925.47	1616.36	1535.30	2540.62
13.	पश्चिम बंगाल	100.00	41.49		-	-	-
14.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह				-	-	-
15.	चंडीगढ़	1.42	0.86	2.82	2.26	1.29	4.78
16.	दादरा और नगर हवेली				-	-	-
17.	मणिपुर	10.27		24.59	62.40	43.78	65.59
18.	गुजरात		40.74		-	42.89	8.57
	कुल	3064.91	2628.21	3492.24	4002.26	4517.30	9437.20

परिशिष्ट 3

शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता

(रू० लाखों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जारी की गयी राशि					
		1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94 (अनुमानित)
1.	आन्ध्र प्रदेश	276.85	416.39	106.00	585.25	591.92	260.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	3.00	-	-	0.00	0.00	
3.	असम	264.90	182.45	35.00	98.95	319.41	316.55
4.	बिहार	-	-		298.36	675.02	508.27
5.	गोवा	0.00	28.30	2.00	5.50	12.86	0.00
6.	गुजरात	183.23	0.00		94.73	554.83	36.00
7.	हरियाणा	178.40	10.00	52.82	78.23	398.00	26.00
8.	हिमाचल प्रदेश	129.30	0.00		-	118.80	0.00
9.	जम्मू और काश्मीर	156.15	174.70		261.07	72.58	0.00
10.	कर्नाटक				300.00	353.10	0.00
11.	केरल	100.40	280.00	94.81	53.40	434.84	63.45
12.	मध्य प्रदेश	490.60	439.20	386.28	226.55	964.73	300.00
13.	महाराष्ट्र	380.80	0.00		-	0.00	0.00
14.	मणिपुर	33.70	0.00	1.00	110.30	12.11	7.64
15.	मेघालय				77.60	0.00	208.10
16.	मिजोरम	3.00	0.00	31.85	23.50	17.72	0.00
17.	नागालैण्ड	32.00	0.00	28.00	-	10.30	27.94
8.	उड़ीसा	211.95	198.77	33.00	140.67	482.68	0.00
19.	पंजाब	86.00	152.30	108.40	-	272.60	141.00
20.	राजस्थान	349.85	547.04	438.15	427.96	1052.92	454.59
21.	सिक्किम	35.50	0.00		36.88	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	342.50	798.52	105.00	519.00	487.24	355.00

क्रम सं०	राज्य संघ/ शासित क्षेत्र	मुक्त की गयी राशि 1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94 (अनुमानित)
23.	त्रिपुरा	0.00	26.60		-	20.00	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	363.87	250.63	363.59	830.00	1328.32	1058.54
25.	पश्चिम बंगाल	15.00	0.00	147.69		0.00	195.00
26.	दिल्ली	14.90	63.97	40.05	91.81	38.90	0.00
27.	पांडिचेरी	-	-	-	30.00	74.25	105.31
28.	अ. और नि. द्वीप समूह	-	-	-	-	0.00	0.00
	कुल	3651.90	3568.87	1973.64	4289.76	8293.13	4063.39

नोटः इसमें डी आई ई. टीत्र के मूल्यांकन और एस सीई-आरती को सुदृढ़ बननो के लिए विभिन्न अभिरिणों को दिया धन शामिल नहीं हैं।

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1988-89	1989-90
1.	आन्ध्र प्रदेश	730.32	177.06
2.	अरूणाचल प्रदेश		
3.	असम	82.61	
4.	बिहार		7.41
5.	गोवा	28.47	64.59
6.	गुजरात	236.64	1173.31
7.	हरियाणा	353.03	129.87
8.	हिमाचल प्रदेश	1.86	98.06
9.	जम्मू और कश्मीर		
10.	कर्नाटक	244.70	49.21
11.	केरल	226.42	223.44
12.	मध्य प्रदेश	745.00	1121.48
13.	महाराष्ट्र	469.66	509.38
14.	मणिपुर	11.68	
15.	मेघालय		
16.	मिजोरम	7.12	
17.	नागालैण्ड		
18.	उड़ीसा	600.00	83.72
19.	पंजाब		50.25
20.	राजस्थान	159.22	72.35
21.	सिक्किम		

यावसायिकरण की योजना के लिये सहायता

(रू० लाखों में)

जारी की गयी राशि			
1990-91	1991-92	1992-93	1993-94 (अनुमानित)
886.85	1010.24	1584.915	640.58
	6.36	-	-
42.62	140.28	100.246	291.54
558.61	0.75	-	-
80.63	49.65	92.562	56.93
778.031	879.75	1070.737	781.73
184.83	155.00	131.44	288.185
177.475	56.86	59.417	-
16.50	15.80	-	-
156.80	325.00	727.470	959.38
353.23	346.90	410.778	352.40
1221.42	3.00	-	-
267.21	1230.25	2195.333	1740.1414
44.00	7.180	7.40	
20.75		-	-
16.68		24.883	21.92
14.84		-	-
510.40		1.22	650.00
371.71	222.25	320.62	185.37
561.543	323.56	340.395	354.21
5.325	0.044	5.32	-

क्रम सं०	राज्य संघ/ शासित क्षेत्र	मुक्त की गयी राशि 1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94 (अनुमानित)
22.	तमिलनाडु	225.00	358.11	279.558	727.900	-	300.00
23.	त्रिपुरा					-	4.125
24.	उत्तर प्रदेश	800.00	203.69	707.25	99.15	581.39	91.32
25.	पश्चिम बंगाल					-	-
26.	अ. व नि. द्वीप समूह		3.24	3.238		-	-
27.	चण्डीगढ़	42.70	42.70	12.34	20.77	8.65	22.768
28.	दादर व नागर हवेली						2.79
29	दमन व द्वीप						3.09
30	दिल्ली		4.18	42.86	0.30	46.38	67.25
31	लक्षद्वीप					-	-
32	पांडिचेरी			16.63		-	17.44
	कुल	4964.43	4372.05	7287.33	5657.42	7714.189	6778.568

परिशिष्ट 5

विज्ञान शिक्षा योजना के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम

(रू० लाखों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मुक्त की गयी राशि					
		1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94 (अनुमानित)
1.	आन्ध्र प्रदेश	107.15	400.37	132.25	93.96	-	-
2.	अरूणाचल प्रदेश	3.72			-	-	-
3.	असम	295.32	90.25	141.66	146.27	-	-
4.	बिहार	365.44	11.24		194.51	-	-
5.	गोवा		36.03	56.76	-	-	-
6.	गुजरात		142.31		-	-	-
7.	हरियाणा	279.66			-	121.71	-
8.	हिमाचल प्रदेश	216.13		139.84	58.28	179.32	-
9.	जम्मू और कश्मीर		97.95	167.10	-	233.55	-
10	कर्नाटक	95.69	45.75	167.88	-	556.56	-
11	केरल		199.43	152.72	-	-	-
12	मध्य प्रदेश	300.00	244.56	7.28	-	-	-
13	महाराष्ट्र			5.42	61.94	682.99	-
14	मणिपुर	108.00		87.05	-	-	-
15	मेघालय			35.20	-	0.80	-
16	मिजोरम		87.76	84.42	31.76	-	-
17	नागालैण्ड		8.40		-	-	-
18	उड़ीसा		268.82		-	174.63	-
19	पंजाब		1.37	349.97	179.18	430.23	-
20	राजस्थान			139.84	511.21	-	213.03
21	सिक्किम		12.41	20.14	-	-	-
22	तमिलनाडु	194.41	251.13	93.37	539.02	-	-

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मुक्त की गयी राशि					
		1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94 (अनुमानित)
23	त्रिपुरा	27.45		0.74	-	-	-
24	उत्तर प्रदेश	300.00	98.10	13.45	-	-	-
25	पश्चिम बंगाल	514.37		147.18	-	-	-
26	अ. व नि. द्वीप समूह		21.52	5.84	-	2.59	-
27	चण्डीगढ़			20.18	0.11	0.64	0.27
28	दादर व नागर हवेली			5.22	-	-	-
29	दमन व द्वीप	73.42	102.59	55.60	-	61.95	74.43
30	दिल्ली		4.56		5.04	5.04	
31	लक्षद्वीप		1.28		4.06	-	-
32	पांडिचेरी	20.82	7.03	4.32	1.70	1.00	-
	कुल	2901.58	2132.86	2033.43	1822.98	2455.07	287.73

नोट : विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के सामने दिखाए गए आँकड़े प्राधिकृत व्यय के हैं, वास्तविक व्यय के नहीं।

परिशिष्ट 6

शैक्षिक प्रौद्योगिकी योजना के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सहायता

(रू० लाखों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मुक्त की गयी राशि 1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94 (अनुमानित)
1.	आन्ध्र प्रदेश	278.11	113.00	227.90	37.74	97.07	-
2	अरूणाचल प्रदेश	1.72	1.14			4.18	-
3.	असम	20.92	42.20	73.53		127.24	-
4.	बिहार	23.54	8.33		6.49	65.18	1.99
5.	गोवा	3.31	1.76	5.29			-
6.	गुजरात		173.65	96.19		232.48	-
7.	हरियाणा	7.04	39.90	50.00			-
8.	हिमाचल प्रदेश	10.72	45.80				-
9.	जम्मू और कश्मीर	9.00	17.82	102.99		13.09	-
10	कर्नाटक	60.38	66.37	15.81		43.61	-
11	केरल	13.46	27.87		12.17		-
12	मध्य प्रदेश	193.80	30.46	29.16		16.27	-
13	महाराष्ट्र	72.00	92.00	126.20		50.55	-
13	मणिपुर	1.82	1.21	10.08	16.19		
15	मेघालय	0.90	4.23	5.00	5.08	14.50	-
15	मिजोरम	6.03	9313		0.11		-
17	नागालैण्ड	7.72					-
18	उड़ीसा	78.03	128.80	258.25		380.88	-
19	पंजाब	19.84	48.23	60.00		167.48	-
20	राजस्थान	113.62	91.92		12.02		-
21	सिक्किम	2.82	1.88	3.50			.98

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मुक्त की गयी राशि					
		1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94 (अनुमानित)
22	तमिलनाडु	30.00	70.00	100.00			-
23	त्रिपुरा	0.26	0.17	0.06		0.41	-
24	उत्तर प्रदेश	112.26	20.84		54.30		-
25	पश्चिम बंगाल	19.46	12.97				-
26	अ. व नि. द्वीप समूह	0.48	0.32	0.50		0.76	-
27	चण्डीगढ़	1.37	0.48	1.11			-
28	दादर व नागर हवेली	36.11					-
29	दमन व द्वीप	0.18	0.12				-
30	दिल्ली		0.22		0.36	0.31	0.28
31	लक्षद्वीप	0.03	0.13				-
32	पांडिचेरी	1.84	1.23		118.68	5.71	-
	कुल	1119.05	1060.90	1165.57	78.14	1400.01	8.96

इसमें समबंधित राज्यों के एस. आई. ई. टी. के लिए संस्वीकृत राशि शमिल है।

परिशिष्ट 7

पर्यावरण शिक्षा योजना के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सहायता

(रू० लाखों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेशों का नाम	मुक्त की गयी राशि					
		1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94 (अनुमानित)
1.	आन्ध्र प्रदेश	22.37		20.16	26.64	5.00	-
2.	अरूणाचल प्रदेश	4.81				1.00	-
3.	असम	4.20			12.85	10.89	-
4.	बिहार	20.17				1.00	-
5.	गोवा			8.45		1.35	3.00
6.	गुजरात		4.82			1.00	-
7.	हरियाणा		0.66			3.00	24.00
8.	हिमाचल प्रदेश	9.15				-	5.00
9.	कर्नाटक	8.04	24.11	58.90	8.91	-	0.50
10	केरल		2.07			2.00	2.00
11	मध्य प्रदेश	9.60	28.80			7.50	-
12	महाराष्ट्र		9.73		6.10	4.00	5.00
13.	मिजोरम	1.82	1.97		2.80	2.50	-
14	उड़ीसा	18.47			25.31	7.00	5.00
15	राजस्थान	37.52		16.56		37.56	-
16	तमिलनाडु	17.73	16.55	33.86	26.29	4.00	-
17	त्रिपुरा	3.04		9.12		2.00	1.88
18	उत्तर प्रदेश		13.85				5.00
19	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2.48			3.63	9.00	8.00

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेशों का नाम	मुक्त की गयी राशि					
		1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94 (अनुमानित)
20	दिल्ली		7.73	9.71	12.44	-	
21	पांडिचेरी	0.94		2.16		1.00	-
	कुल	160.34	110.29	158.92	124.97	99.80	59.38

नोट : लेखा प्रक्रिया के अनुसार विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र इस विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट सीमाओं के तहत व्यय करने के लिए और उसे इस विभाग के ससंगत लेखा शीर्ष में सीधे बुक करने के लिए प्राधिकृत है। अतः ऐसे संघ राज्य क्षेत्रों के सामने दर्शाएं गए आकड़े प्राधिकृत व्यय है और उसके द्वारा उपर्चित तथा बुक किए वास्तविक व्यय के नहीं।

परिशिष्ट 8

विकलांग बच्चों की एकीकृत शिक्षा के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता

(रू० लाखों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	जारी की गयी राशि					
		1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94 (अनुमानित)
1.	आन्ध्र प्रदेश	14.71		12.80		-	7.01
2.	बिहार	1.70	2.62	7.67		36.95	
3.	गुजरात		8.57	5.87	34.50	67.21	
4.	हरियाणा		20.55	19.77		16.80	
5.	हिमाचल प्रदेश	8.24	5.63	7.40	7.21	9.56	
6.	जम्मू एवं कश्मीर			19.98	16.69	-	
7.	कर्नाटक	28.78	10.86		45.28	39.08 (v.o)	4.19
8.	केरल	55.00	60.00	100.47	77.54	-	111.58
9.	मध्य प्रदेश	0.63	1.16	17.40	2.17	30.90 2.49	2.95 (v.o)
10	मणिपुर			3.97	3.98	5.00	22.40
11	महाराष्ट्र	19.42	14.27			-	75.53
12	मिजोरम	10.00	16.79	24.79	31.72	45.36	1.92
13	नागालैण्ड	10.76	10.74	9.36	10.79	12.61	5.74
14	उड़ीसा	13.99	15.03	23.87	22.46	35.20	68.92
15	पंजाब	4.58			12.00	-	
16	राजस्थान		33.23	33.44	71.14	28.33	85.92
17	तमिलनाडु			5.76	9.90	28.41 0.62	-
18	त्रिपुरा					-	2.01
19	उत्तर प्रदेश		11.95	16.97			

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मुक्त की गयी राशि					
		1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94 (अनुमानित)
20	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	14.28	15.65	13.90	16.08	20.65	9.84
21	दिल्ली	11.77	12.17	18.92	16.14	0.03	-
22	गोवा।		0.09	0.45		-	-
23	दमन एवं द्वीप			0.49	0.53	0.29	0.42
	कुल	193.86	239.31	343.28	378.13	376.97	397.86

चार्ट

1951 से मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं की वृद्धि
स्कूल स्तर

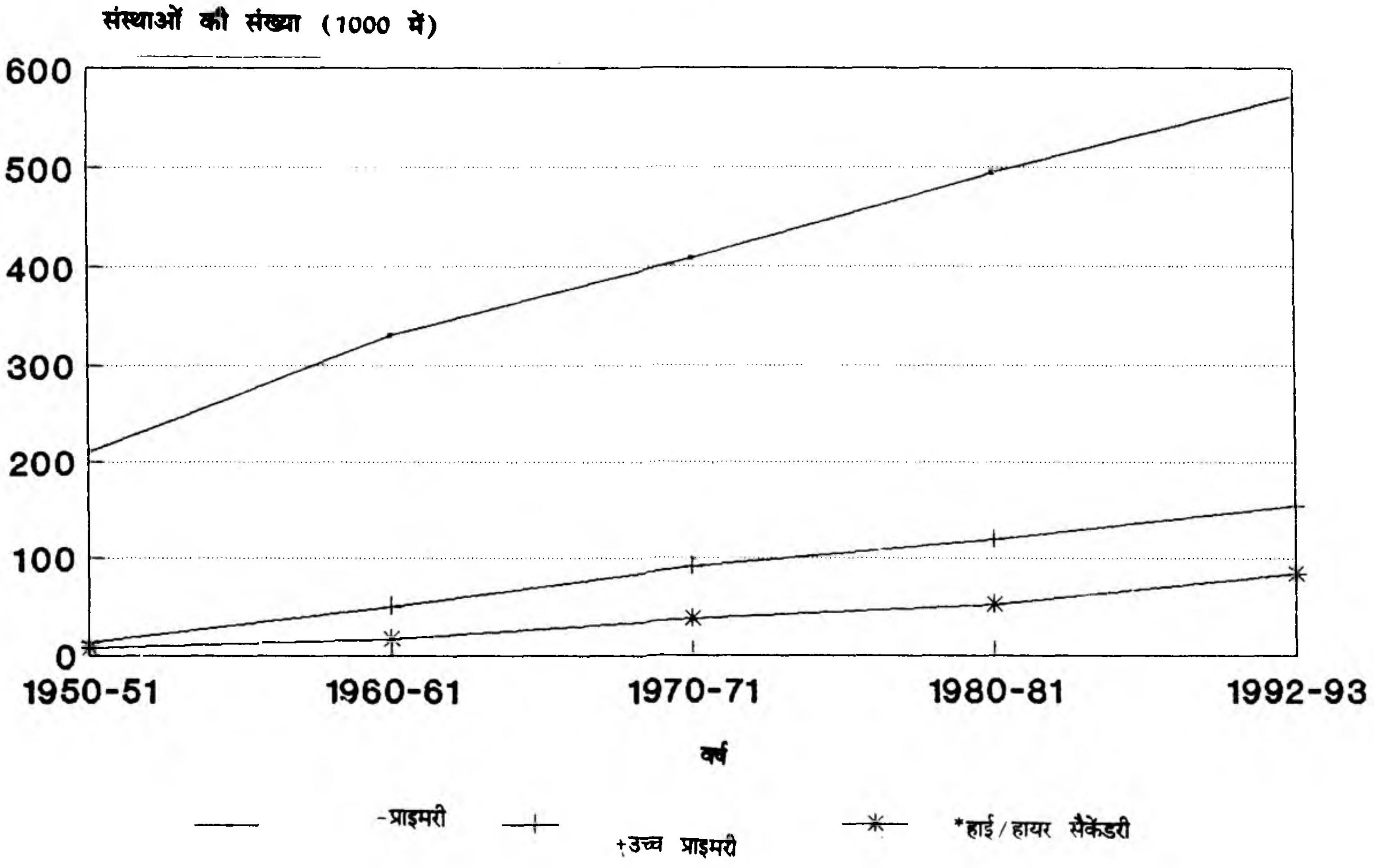

1951 से मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं की वृद्धि

कालेज स्तर

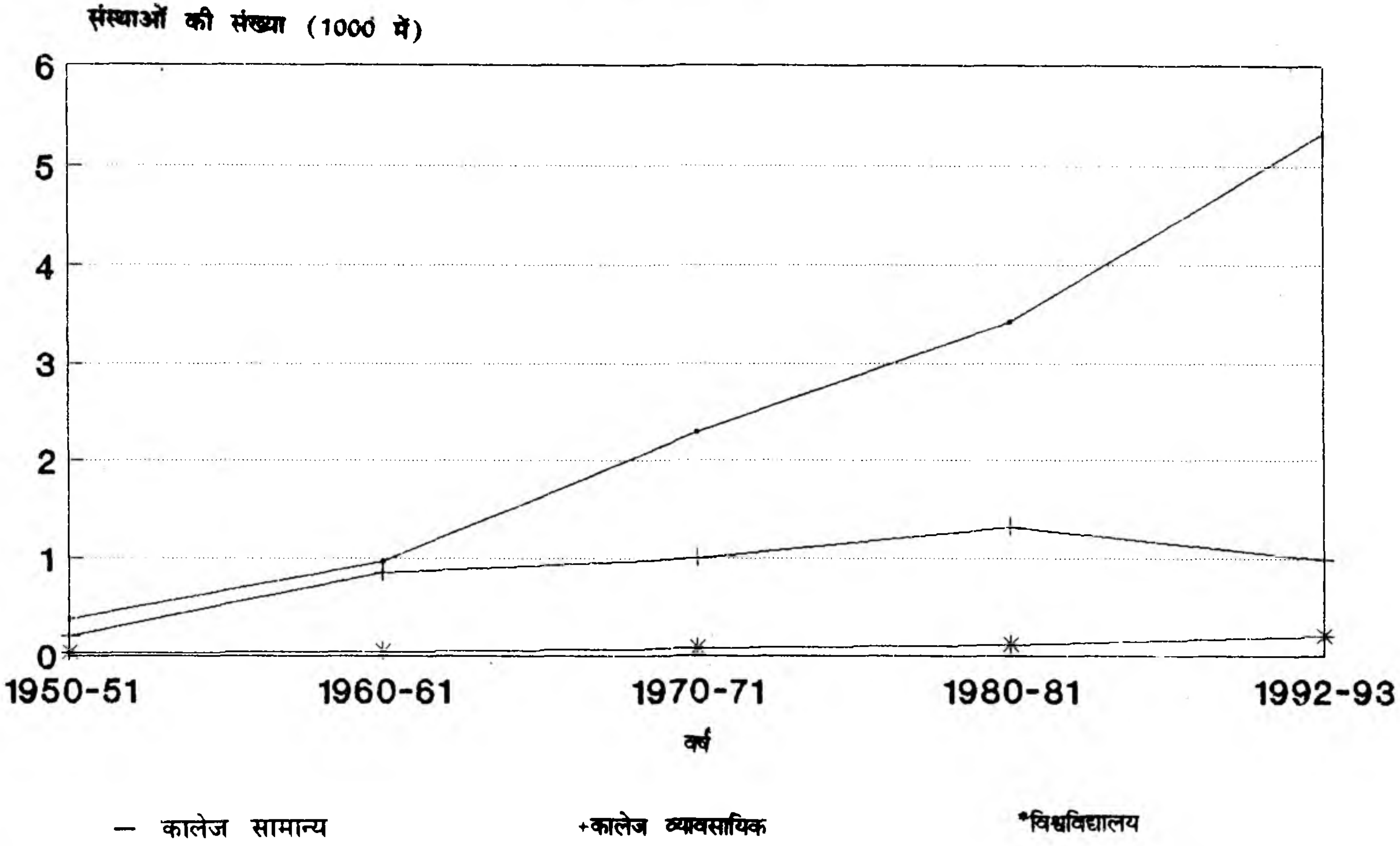

प्राइमरी कक्षाओं (I-V) में नामांकन

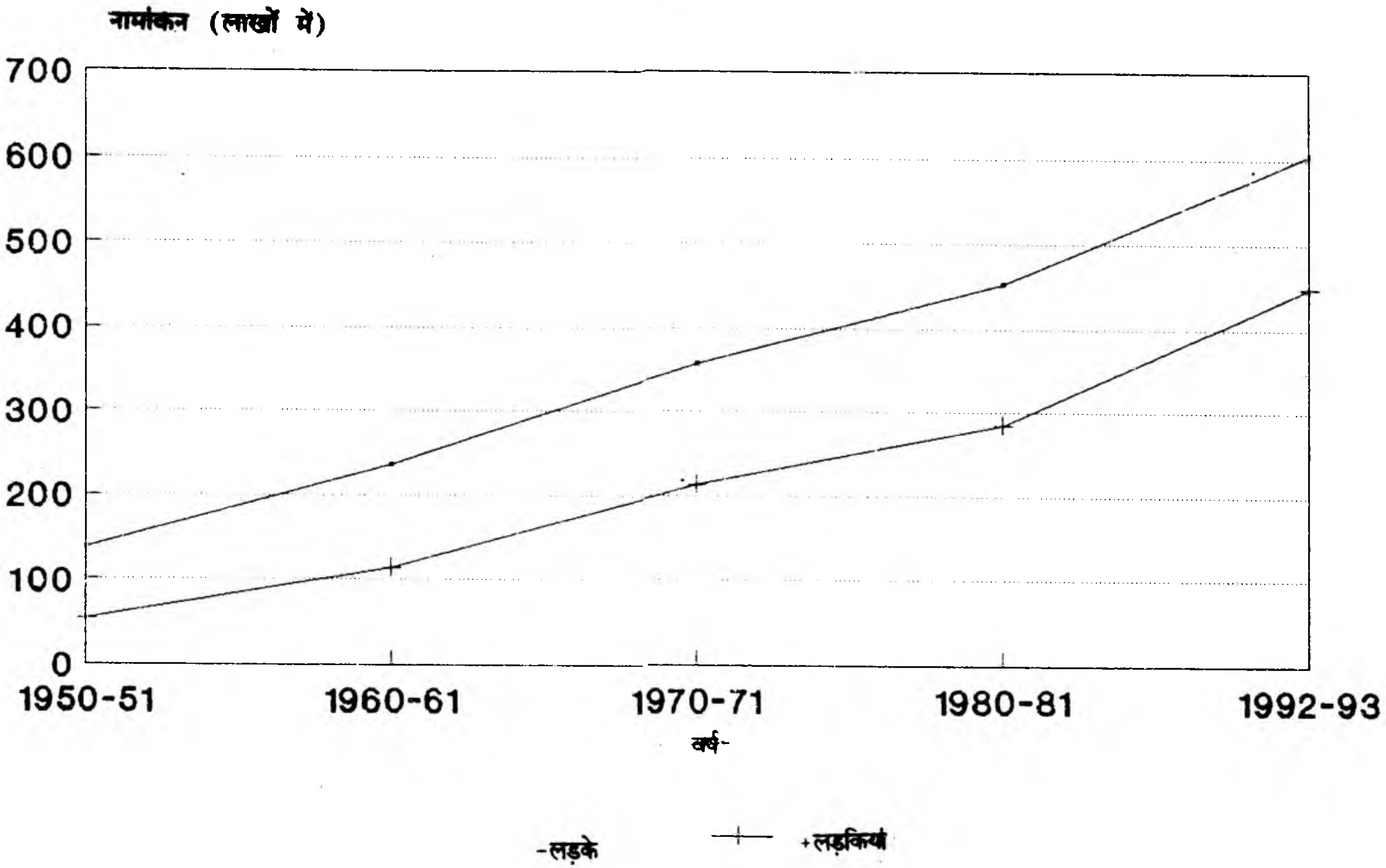

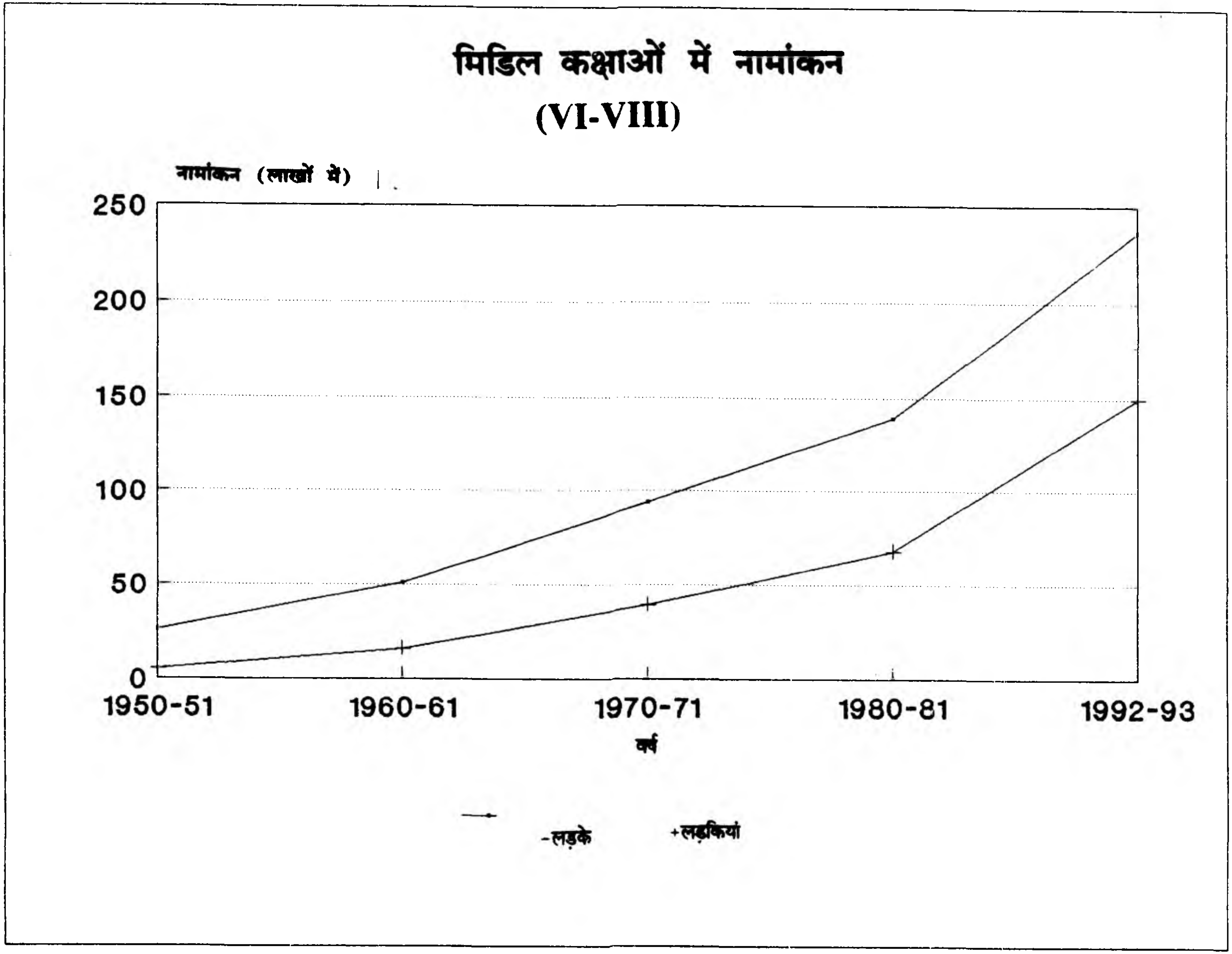
मिडिल कक्षाओं में नामांकन
(VI-VIII)
नामांकन (लाखों में)
250
200
150
100
50
0
1950-51
1960-61
1970-71
1980-81
1992-93
वर्ष
-लड़के
+लड़कियां

IX से XII तक की कक्षाओं में नामांकन

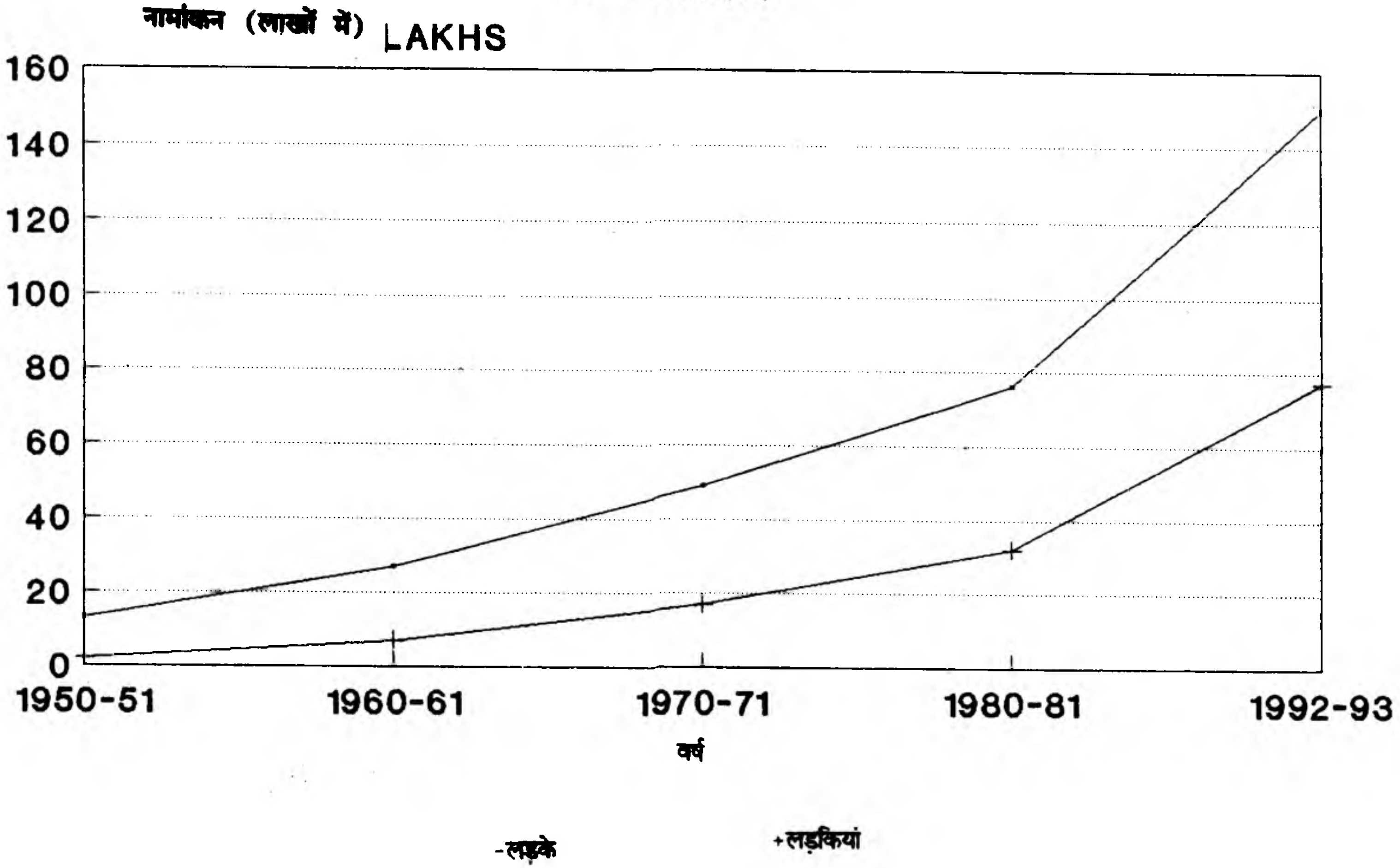

शिक्षकों का संवितरण
प्राइमरी स्कूल

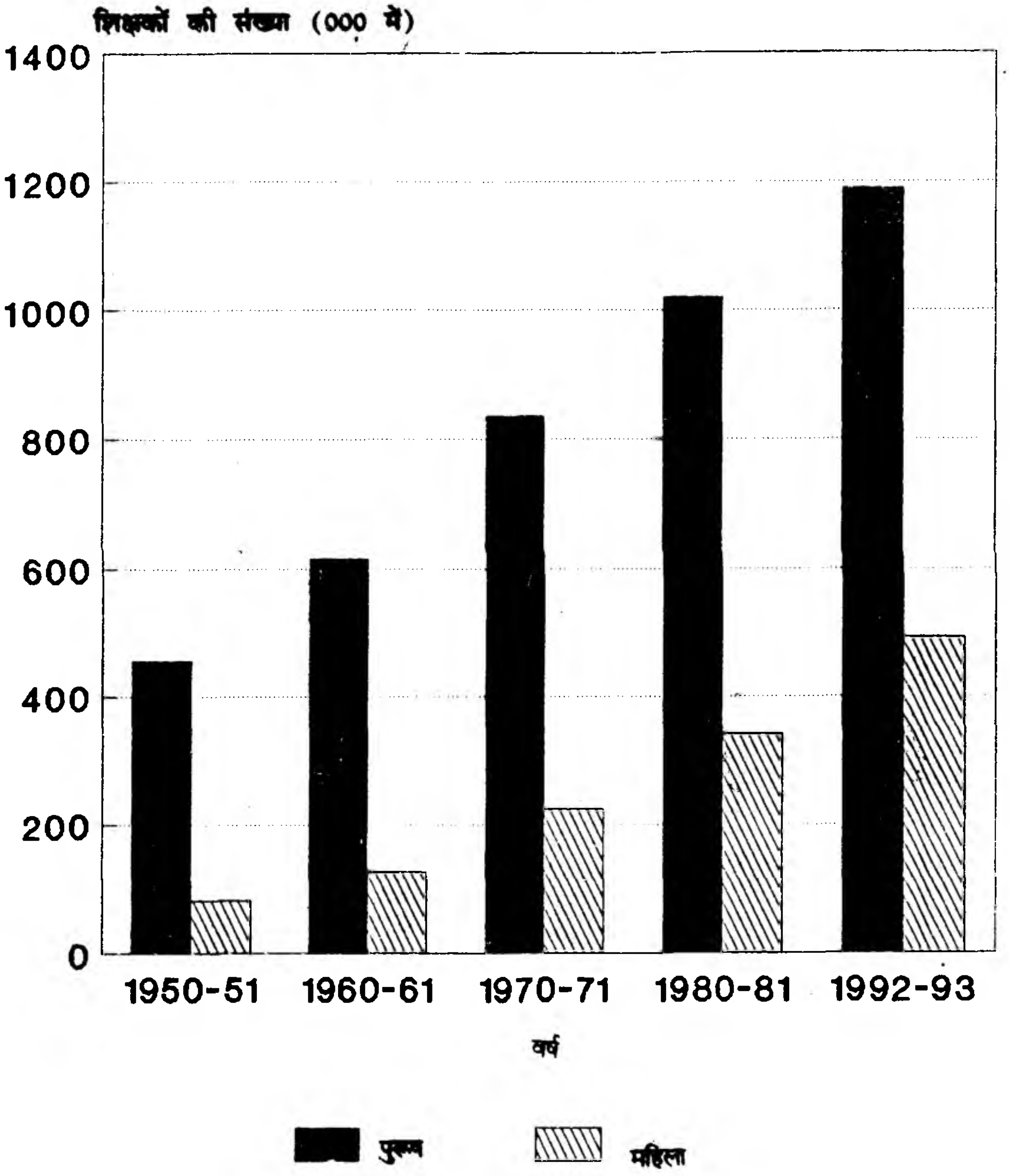

CMIS

शिक्षकों का संवितरण
मिडिल स्कूल

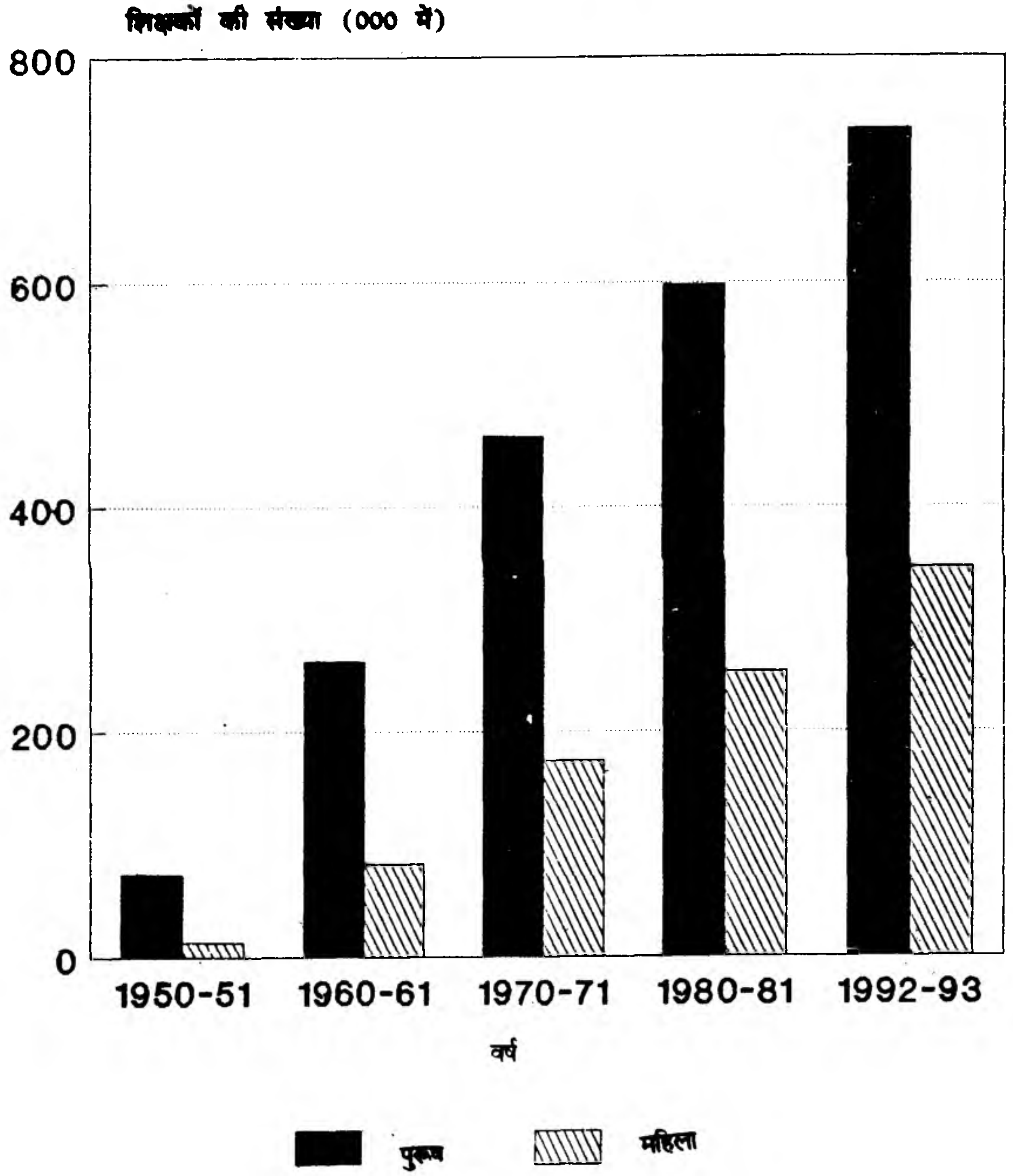

शिक्षकों का संवितरण
हाई/हायर सेकेंडरी स्कूल

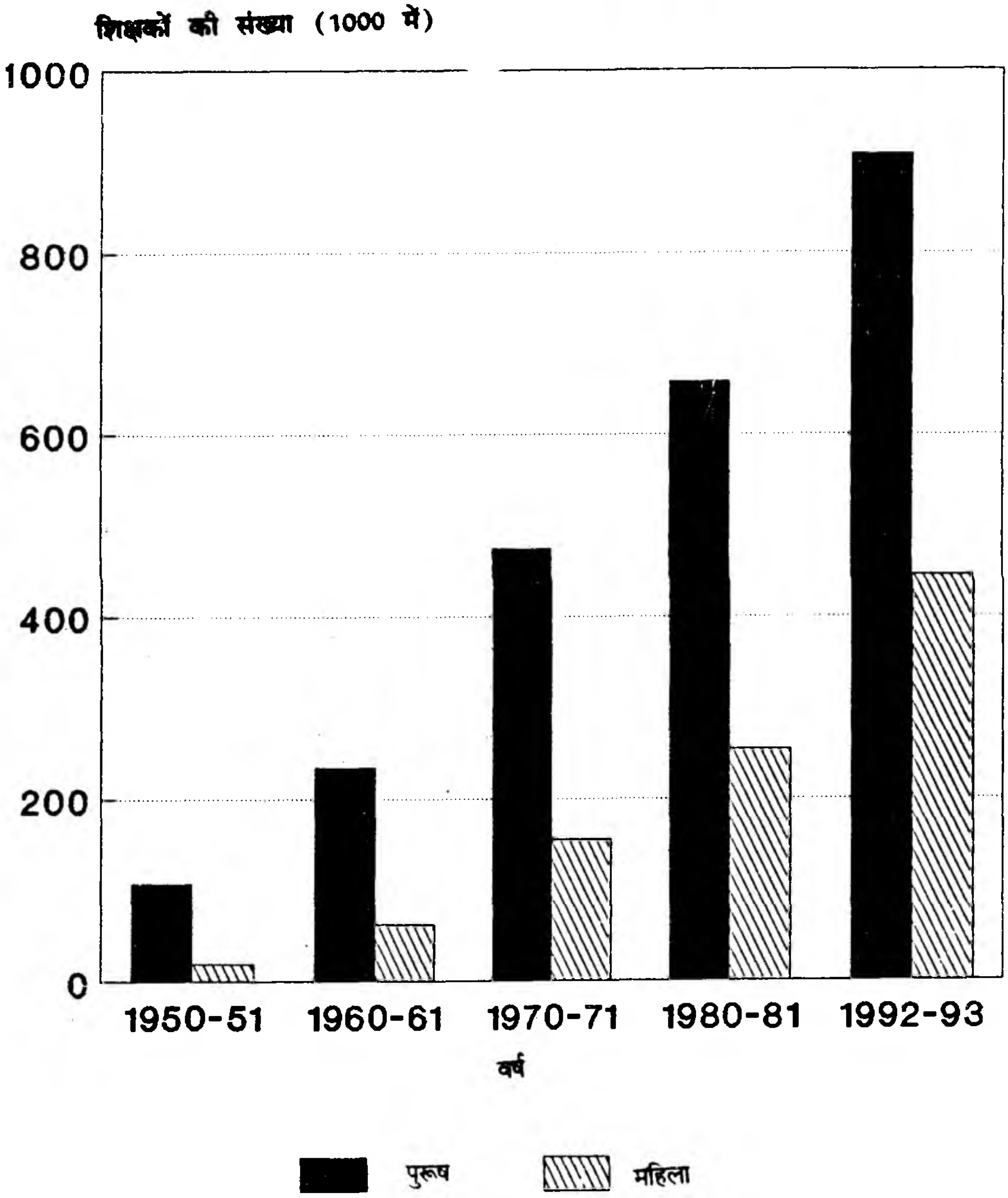

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा पर क्षेत्रवार योजनागत परिव्यय (केन्द्र)

(करोड़ रुपयों में)

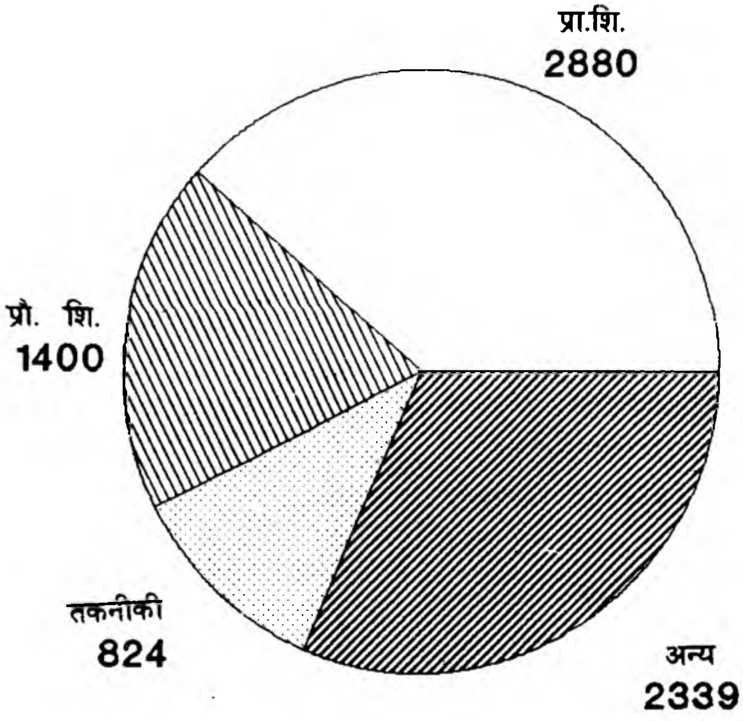

कुल योजनागत परिव्यय — 7443

CMIS

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा पर क्षेत्रवार योजनागत परिव्यय (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)

(करोड़ रुपयों में)

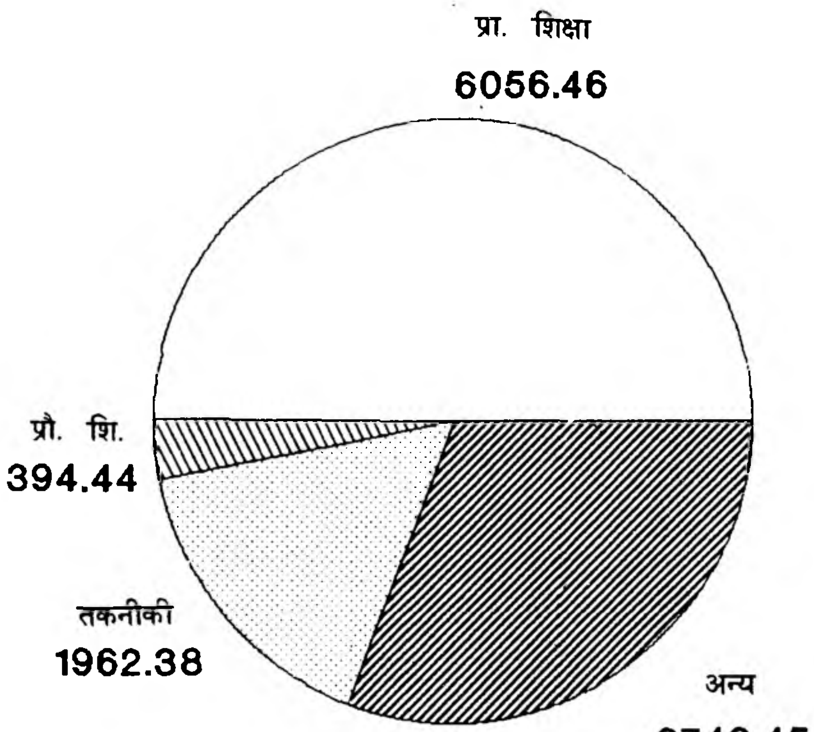

कुल योजनागत परिव्यय – 12156.73

CMIS

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा पर क्षेत्रवार योजनागत परिव्यय (केन्द्र+राज्य/संघ शासित क्षेत्र)

(करोड़ रुपयों में)

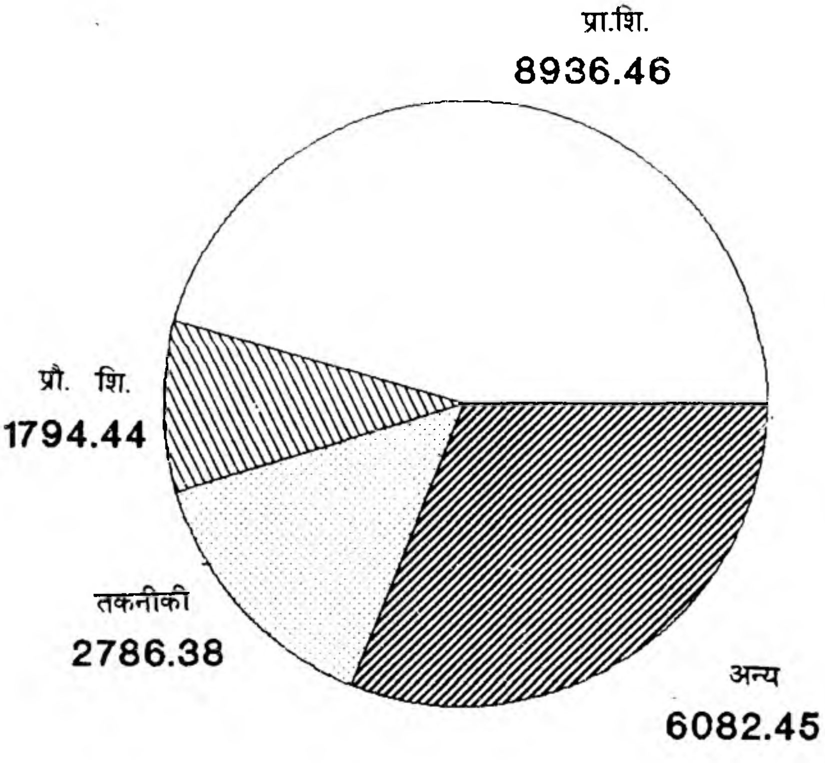

कुल योजनागत परिव्यय – 19599.73

CMIS

क्षेत्रवार योजनागत परिव्यय — 1993-94

(केन्द्र)

(करोड़ रुपयों में)

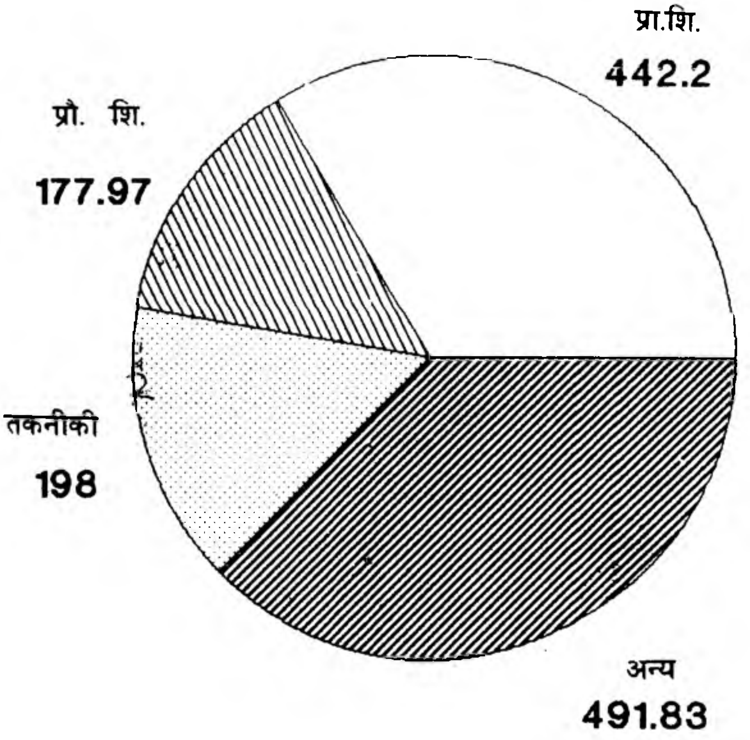

कुल योजनागत परिव्यय — 1310.00

CMIS

वर्ष 1993-94 और 1994-95 के लिए शिक्षा पर क्षेत्रवार व्यय
(केन्द्र)

% वितरण

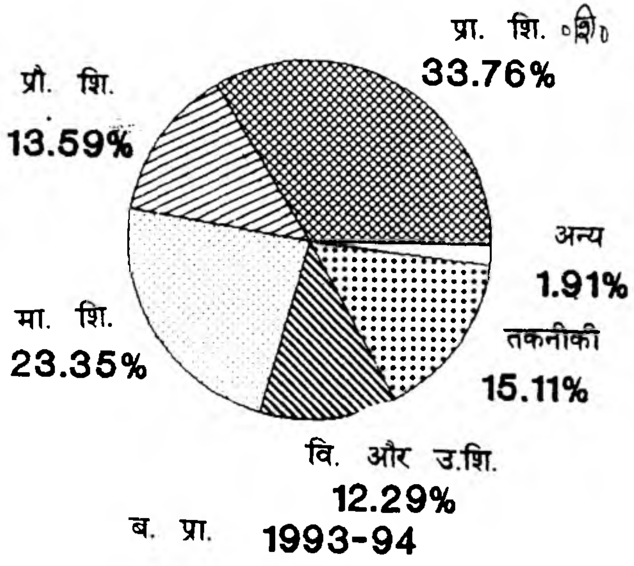

(1310 करोड़ रुपए)

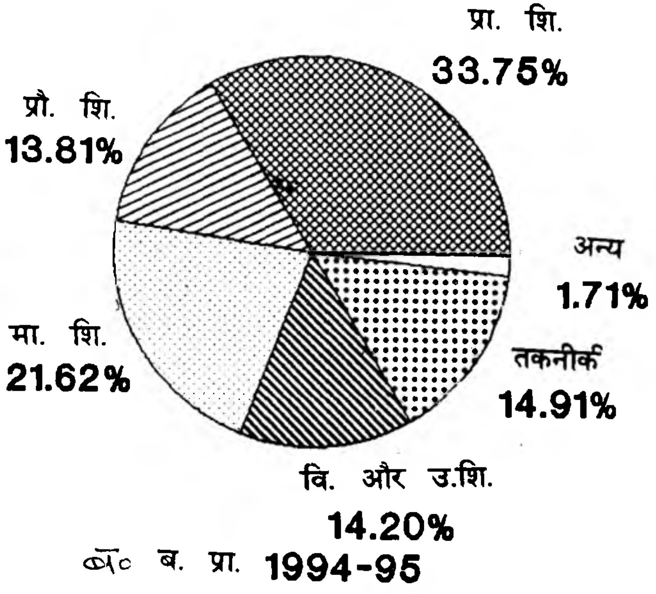

1549.46 करोड़ रुपए)

CMIS

वर्ष 1993-94 और 1994-95 में शिक्षा के लिए केन्द्रीय योजनागत आबंटन

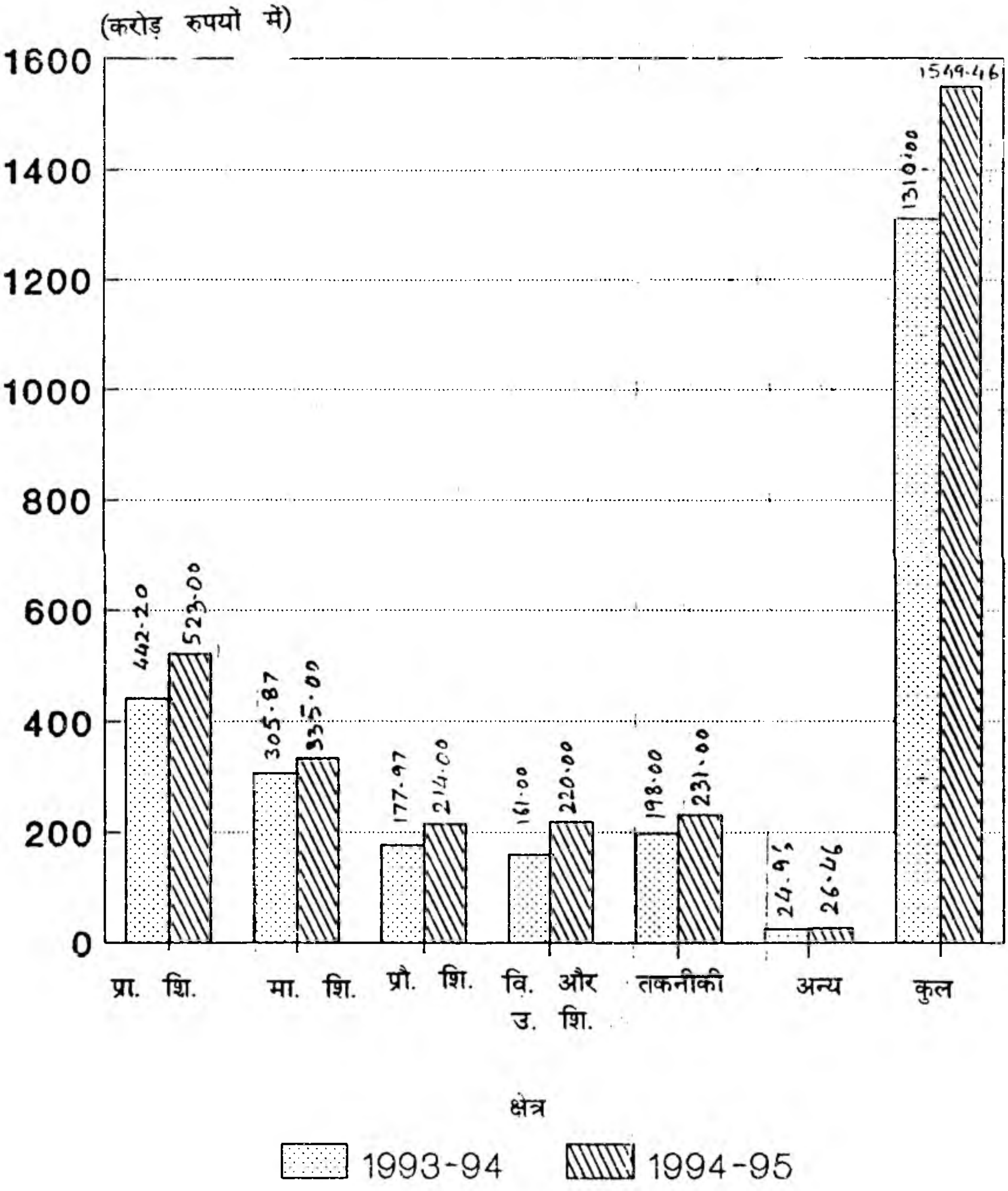

1993-94 की तुलना में 1994-95 में केन्द्रीय योजनागत आबंटन की बढ़ी हुई दर

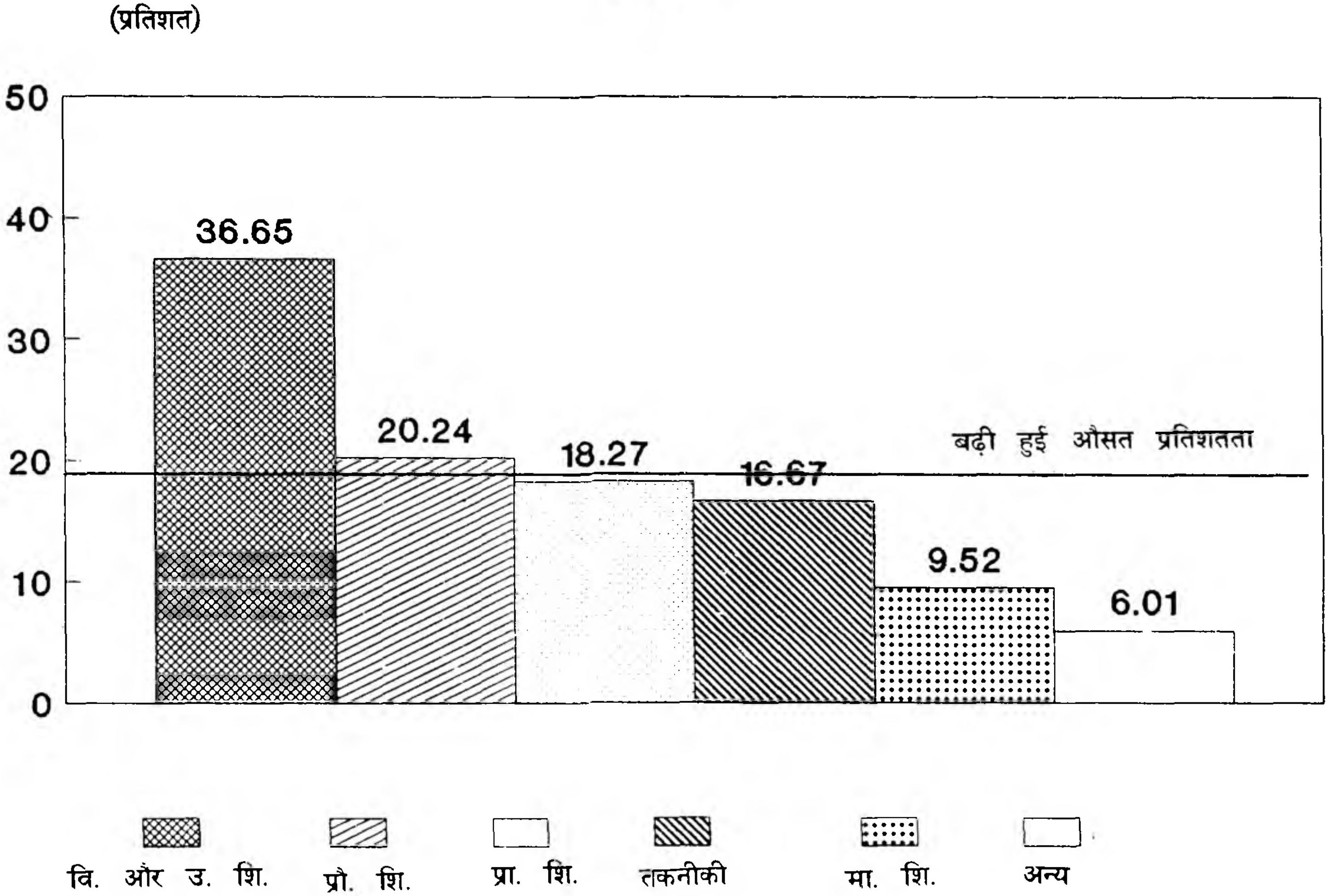

1993-94 के लिए क्षेत्रवार योजनागत परिव्यय
(राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)
(करोड़ रुपयों में)

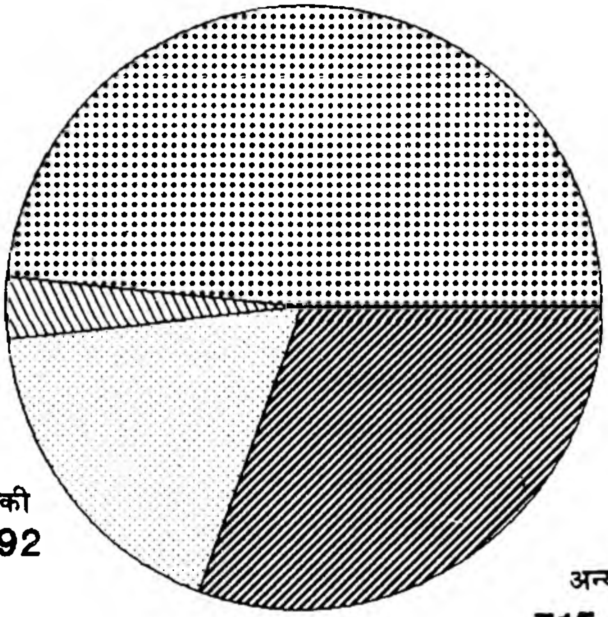

कुल योजनागत परिव्यय — 2340.28

CMIS

1993-94 के लिए क्षेत्रवार योजनागत परिव्यय
(केन्द्र + राज्य/संघशासित क्षेत्र)
(करोड़ रुपयों में)

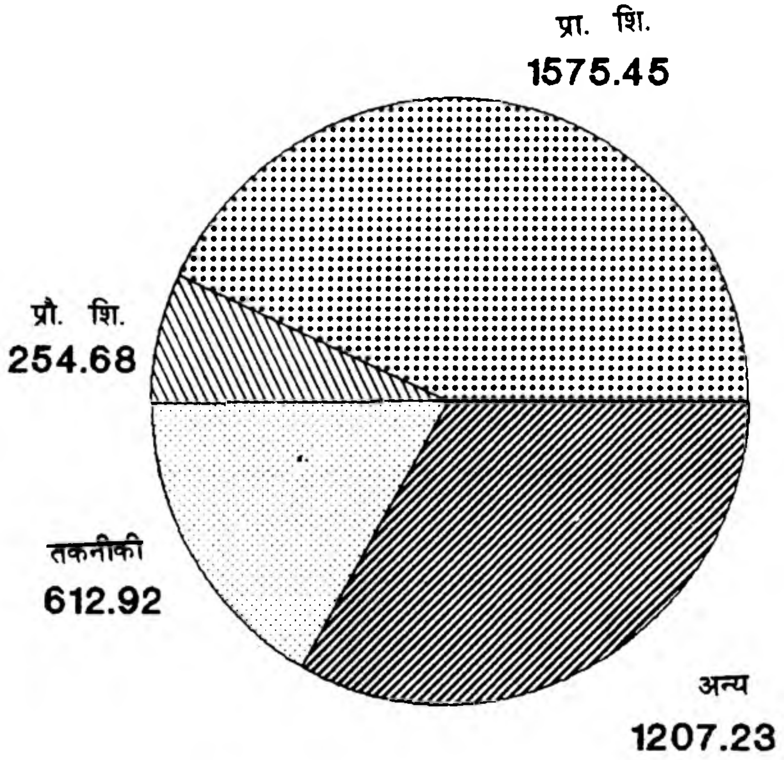

कुल योजनागत परिव्यय — 3650.28

प्रमुख योजनाओं का योजनागत परिव्यय 1993-94

(केन्द्र)

(करोड़ रुपयों में)

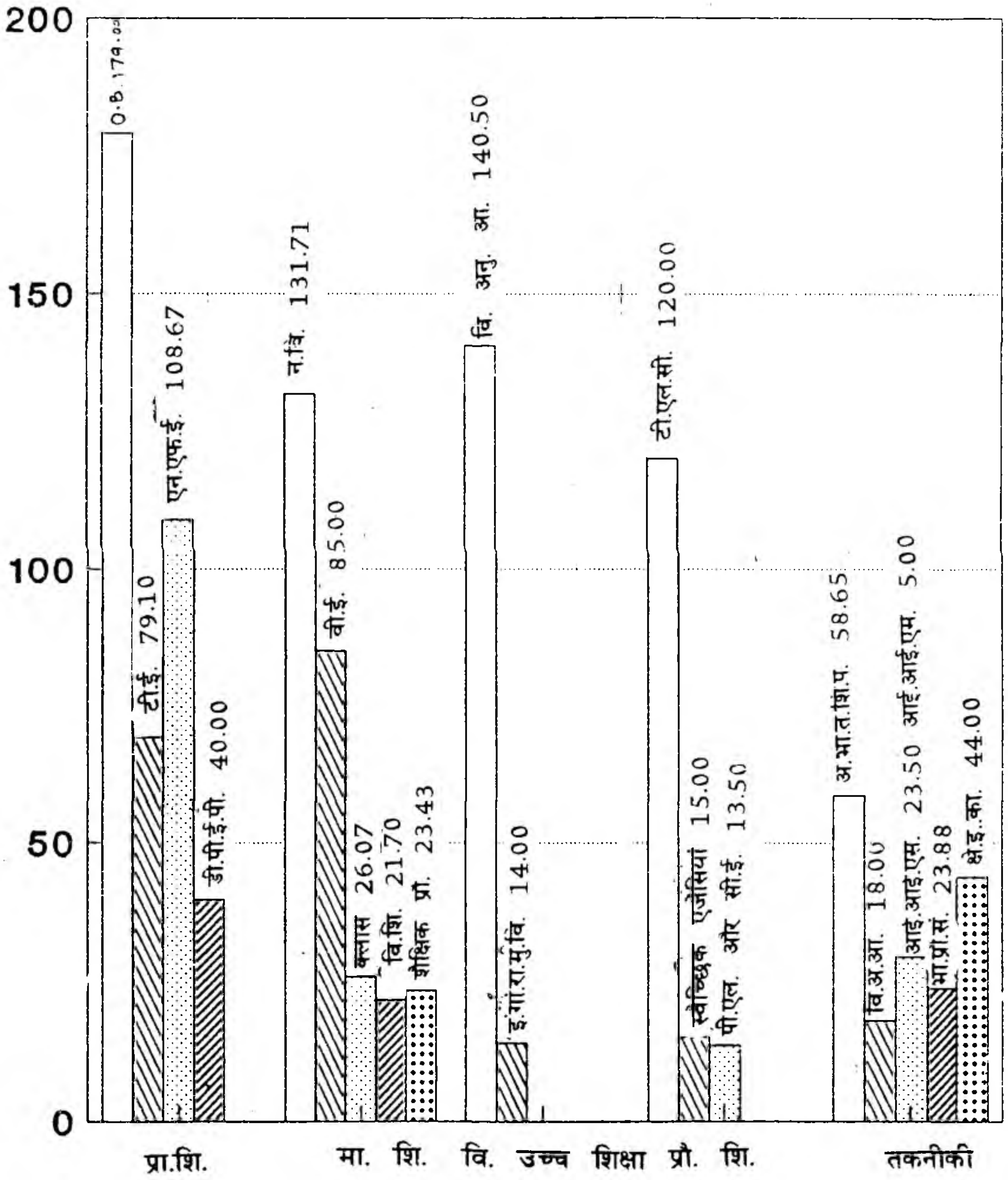

शैक्षिक सांख्यिकी विवरण

1.4.92 से 31.3.93 तक की अवधि के दौरान गैर-सरकारी संस्थाओं/संगठनों/व्यक्तिओं को संस्वीकृत सहायता-अनुदान, जहाँ कुल मुक्त किया गया अनुदान (आवर्ती) ... 1.00.000 अथवा कुल मुक्त किया गया अनुदान (अनावर्ती) ... 1.00.000 हो, को दर्शाने वाला विवरण

मंत्रालय- मानव संसाधन विकास मंत्रालय

विभाग - शिक्षा विभाग

क्रम संख्या	संस्था/संगठन का नाम		आवर्ती	अनावर्ती	अनुदान का प्रयोजन
1.	2.		3.	4.	5.
	प्रौढ शिक्षा				
1.	सेवा मन्दिर, हिन्दुपुर,		1,94,250	0	जे.एस.एन.
	जिला-अनन्तपुर,	कुल	1,94,250	0	
	आन्ध्र प्रदेश- 515212				
2.	ग्राम स्वराज परिषद गांव तथा डाकखाना रंगिया, जिला-कामरूप		0	5,00,00	टी.एल.सी.
	असम	कुल	0	5,00,000	
3.	शान्ति साधना आश्रम डाकखाना बेलटोला "शान्तिवन" वशिष्ठ,		0	2,00,000	टी.एल.सी.
	गुवाहटी-28 असम-781028	कुल	0	2,00,000	
4.	महिला शिशु कल्याण संस्थान एवं हस्तशिल्प कला प्रशिक्षण केन्द्र गांव: मणिछप्पर, डाकखाना: हथुओ		0	5,85,000	टी.एल.सी.
	जिला- गोपालगंज बिहार-84143	कुल	0	5,85,000	
5.	नवभारत जागृति केन्द्र		63,000	21,000	जे०एस० एन०
	गांव: बहेरा, डकखाना वृन्दावन, जिला-हजारीबाग,		0	2,00,000	टी.एल.सी.
	बिहार- 825406	कुल	63,000	2,21,000	

1.	2.		3.	4.	5.
6.	जेवियर समाज सेवा संस्थान पुरूलिया रोड, पो० बा० नं०-7 जिला-रांची-834001 बिहार	कुल	1,98,000 1,98,000	0 0	डी.आर.यू.
7.	बनवासी सेवा केन्द्र स्थान/डाकखाना अधौरा, जिला रोहतास बिहार-821116	कुल	1,71,559 1,71,559	0 0	जे.एस.एन.
8.	आल्टरनेटिव फार इण्डिया डेवलपमंट, प्लाट नं.1, वी.जी.एन.नगर, इयापंथंगल, कुट्टूपाक्कम डाकखाना मद्रास-600056, तमिलनाडु	कुल	0 0	1,05,000 1,05,000	जे.एस.एन.
9.	गुजरात स्टेट क्राइम प्रीवंशन ट्रस्ट, आर्शीवाद, 9/बी, केशव नगर, सोसाइटी, निकट सुभाष पुल, अहमदाबाद- 380027	कुल	0 0	4,24,000 4,24,000	डी. आर. यू.
10.	अंजुमन-तालीम-ए- इदारा कोर्ट रोड, लाल बाजार भड़ौच- 392001	कुल	0 0	1,82,809 1,82,809	ए.ई.सी
11.	आदर्श केलवाणी मण्डल समाधि आला, मुलानी, तालुक पालिताना, जिला- भावनगर-364250	कुल	0 0	1,12,953 1,12,953	ए.ई.सी.
12.	आनन्द तालुका युवक मण्डल एसोसिएशन, लक्ष्मी निवास 25, अजन्ता सोसाइटी, आनन्द-388001 जिला खेडा	कुल	0 0 0	2,04,906 35,000 2,39,906	ए.ई.सी. जे.एस.एन.
13.	श्रीमति बी०के० बालजोशी शिक्षा न्यास, दूसरा तल, रिलीफ काम्पलेक्स, वेपारी जीन, कालोल (एन०जी) जिला-मेहसाना (282721)	कुल	0 0	2,76,750 2,76,750	डी.आर.यू.

18.	महात्मा गांधी सेवा आश्रम जौरा, जिला- मोरेना		0	4,96,057	टी.एल.सी.
	मध्य प्रदेश- 476221	कुल	0	4,96,057	
19.	दिशा ट्रस्ट,	कुल	0	217,645	ए.आर
	पो० बा० नं० 130 प्लाट नं० 20 सुन्दरनगर, रायपुर				
	म०प्र०- 492001	कुल	0	2,17,645	
20.	श्री मालवा महिला		0	3,15,000	जे.एस.एन.
	विकास समिति,		0	10,50,000	टी.एल.सी.
	गोबीयपुरा, जिला रायसेन ब्रांच-सिरोज				
	म०प्र०	कुल	0	13,65,000	

1.	2.		3.	4.	5.
14.	आनन्द निकेतन आश्रम,		0	2,97,841	ए.ई.सी.
	रंगापुर (कावन्त)				
	छोटे उदयपुर				
	जिला-बडोदरा-391740	कुल	0	2,97,841	
15.	जनता कल्याण समिति,		0	1,11,123	ए.ई.सी.
	बस स्टेण्ड के सामने		0	97,428	जे.एस.एन.
	रेवाडी,				
	जिला महेन्द्रगढ़				
	हरियाणा	कुल	0	2,08,551	
16.	सोसाइटी फार सोशल		0	1,76,000	डी.आर.यू.
	अपलिफट थ्रूरूरल				
	एक्शन (सूत्र)				
	डाकखाना जगजीत नगर				
	वाया - जुब्बेर				
	जिला- सोलन- 173225				
	हिमाचल प्रदेश	कुल	0	1,76,000	
17.	भारतीय ग्रामीण महिला संघ		1,12,775	0	जे.एस.एन.
	146, प्रीकान्को कालोनी,				
	अन्नपूर्णा रोड,				
	इन्दौर-452009				
	मध्य प्रदेश	कुल	1,12,775	0	

1.	2.		3.	4.	5.
21.	सोसाइटी फार एक्शन		0	1,59,379	ए.ई.सी.
	इन क्रिएटिव एजूकेशन				
	एण्ड डेवलपमंट (सेकरेड)				
	मार्फत प्रबन्ध प्रशिक्षण				
	और अनुसंधान संस्थान,				
	49 सामर्थ नगर,				
	औरंगाबाद- 431001				
	महाराष्ट्र	कुल	0	1,59,379	
22.	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ		0	6,96,000	डी.आर.यू.
	एजूकेशन, 128/2,		0	50,000	टी.आर.जी.
	जे.पी. नायक रोड,		0	50,000	टी.आर.जी.
	कोथरूड,				
	पुणे- 411029	कुल	0	7,46,000	
23.	कमेटी आफ रिर्सोस		0	2,06,677	डी.आर.यू.
	आर्गेनाइजेशन्स फार मास				
	प्रोग्राम ऑफ फंक्शनल				
	लिट्रेसी,, मार्फत डा० माधव				
	चव्हाण रसायन प्रौद्योगिकी				
	विभाग, बम्बई विश्वविद्यालय				
	मातुंगा, बम्बई'400019	कुल	0	2,06,677	
24.	अजमेर प्रौढ़ शिक्षण समिति		2,52,000	0	जे.एस.सन.
	शास्त्री नगर विस्तार,				
	विद्युत मार्ग,				
	अजमेर-305006				
	राजस्थान	कुल	2,52,000	0	
25.	जयपुर पेंशनर्स हितकारी		0	7,01,225	टी.एल.सी.
	सहकारी समिति लि०				
	डी. 264, दुर्गामार्ग				
	बाणीपार्क				
	जयपुर-302016	कुल	0	7,01,225	
26.	राधा बाल मन्दिर		5,250	0	जे.एस.एन.
	विद्यालय समिति,		0	1,32,900	
	बस स्टैण्ड, पीपड़-सहर				
	जोधपुर				
	राजस्थान-342601	कुल	5,250	1,32,900	

1.	2.		3.	4.	5.
27.	सेवा मन्दिर		0	12,48,000	एल.टी.सी.
	उदयपुर-313001				
	राजस्थान	कुल	0	12,48,000	
28.	दुरायस्वामी जेनेरस		59,500	0	जे.एस.एन.
	योशल एजूकेशन सासेसिएशन		0	3,00,000	टी.एल.सी.
	विलवारायनाल्लूर, पक्कम पोस्ट				
	मधुराटंकम तालुक				
	जिला चंगेलपट्टू				
	तमिलनाडु-60330	कुल	59,500	3,00,000	
29.	अनदि वेलालार संगम		17,250	0	जे.एस.एन.
	1-2. सन्नति स्ट्रीट,		0	4,25,100	टी. एल.सी.
	तिरूवेनायकायल,				
	तिरूचिरापल्ली-620005				
	तमिलनाडु	कुल	17,250	4,25,100	
30.	खाजमलाई लेडीज एसोसिएशन		0	1,485	ए.ई.सी.
	स्थान/डाकखाना खाजाभलाई		1,53,500	o	जे.एस.एन.
	जिला तिरूचिरापल्ली		o	1,96,950	टी.एल.सी.
	तमिलनाडु -620023	कुल	1,53,500	1,98,435	
31.	सोसाइटी फार एजूकेशन		0	1,29,840	टी.एल.सी.
	विलेज एक्शन एण्ड				
	इम्प्रूवमेंट, नं.६				
	III स्ट्रीट, अन्ना नगर,				
	पंट्टाथालाई				
	तिरूचिरापल्ली जिला				
	तमिलनाडु - 639112	कुल	0	1,29840	
32.	पंजाब एसोसिएशन,		2,02,500	0	जे.एस.एन.
	लाजपत राय भवन,		0	1,18,750	टीएल.सी.
	पो.बा.नं. 416				
	170,171,172, पीटर्स रोड				
	रोयापीट्टाह,				
	मद्रास -600014	कुल	2,02,500	1,18,750	
33.	यंग वीमेन क्रिश्चियन		5,250	0	जे.एस.एन.
	एसोसिएशन,		0	2,86,400	टी.एल.सी.
	पूनमल्ली हाई रोड,				
	मद्रास-600084				
	तमिलनाडु	कुल	5,250	2,86,400	

1.	2.		3.	4.	5.
34.	वीमेन्स वालंटरी सर्विस आफॅ तमिलनाडु, 19, ईस्ट स्पर टैंक रोड, छेपैट, मद्रास -600031		2,17,000	0	जे.एस.एन.
	तमिलनाडु	कुल	2,17,000	0	
35.	तमिलनाडु बोर्ड आफ कंटीन्यूइंग एजूकेशन, मार्फत स्टेट रिर्सोस सेंन्टर, नं. 4-11 स्ट्रीट, वेंकटेश्वर नगर, अडयार,		0 0	18,593 4,84,800	ए.ई.सी. टी.एल.सी.
	मद्रास - 600020	कुल	0	5,03,393	
36.	जयप्रकाश यूथ रिसर्च सेंटर फर्स्ट क्रास स्ट्रीट, कस्टम्स कालोनी, बसन्त नगर		0	1,05,000	जे.एस.एन.
	मद्रास -600090	कुल	0	1,05,000	
37.	रूरल लिटिगेशन एण्ड एंटाइटलमेंट केन्द्र, 21 ईस्ट कैनाल रोड, देहरादून -248001		0	4,93,597	टी.एल.सी.
	उत्तर प्रदेश	कुल	0	4,93,597	
38.	मानव सेवा संस्थान, अथारहा, डाकखाना गौनारिया, कैपटेनगंज जिला-देवरिया		0	3,27,000	टी.एल.सी.
	उत्तर प्रदेश -274301	कुल	0	3,27,000	
39.	रतन ग्रामोद्योग सेवा संस्थान गांव और डाकखाना बीकापुर, जिला- फैजाबाद		0	5,27,917	टी.एल.सी.
	उ० प्र० -224205	कुल	0	5,27,917	
40.	विवेकानन्द संस्थान, अकबरपुर, फैजाबाद		0	15,05,081	टी.एल.सी.
	उ०प्र० - 224122	कुल	0	15,05,081	

1.	2.		3.	4.	5.
41.	अशोक संस्थान,		0	5,59,500	टी.एल.सी.
	कुंडेसर,				
	गाजीपुर- जिला				
	उ०प्र० -233234	कुल	0	5,59,500	
42.	श्री संस्कृत शिक्षा प्रसार		0	2,02,250	टी.एल.सी.
	समिति, पटेल नगर				
	उरई, जिला जालौन				
	उ०प्र० -285123	कुल	0	2,02,250	
43.	न्यू पब्लिक स्कूल समिति		0	21,000	जे.एस.एन
	504/63, टैगोर मार्ग,		0	2,59,200	टी.एल.सी.
	निकट बड़ी माता मन्दिर				
	डालीगंज,				
	लखनऊ	कुल	0	2,85,450	
44.	लोक कल्याण आश्रम		0	1,12,130	ए.ई.सी.
	आर्यापुर खेडा				
	जिला-मैनपुरी				
	उ०प्र० 205001	कुल	0	1,12,130	
45.	श्री महिला उद्योग		10,500	0	जे.एस.एन
	समाज उत्थान समिति,		0	4,73,650	टी.एल.सी.
	किशोरपुरा, वृन्दाबन,				
	जिला-मथुरा				
	उ०प्र० 281121	कुल	10,500	4,73,750	
46.	आर्दश सेवा समिति,		69.951	0	जे.एस.एन.
	326/1, साकेत कालोनी		0	2,45,538	टी.एल.सी.
	गली नं. 6, मुजफ्फरनगर, उ०प्र०				
	पिन-251001	कुल	69,951	2,45,538	
47.	यू.पी. राणा बेनी माधव		2,10,000	53,000	जे.एस.एन.
	जन कल्याण समिति,		0	3,52,900	टी.एल.सी.
	गुलाब रोड,				
	रायबरेली, उ० प्र०	कुल	2,10,000	4,05,900	
48.	सर्व भारत श्री रविदास		52,500	0	जे.एस.एन.
	प्रचार प्रतिष्ठान		0	4,23,750	टी.एल.सी.
	393, सेक्टर-38				
	चण्डीगढ - 160036	कुल	52,500	4,23,750	

1.	2.		3.	4.	5.
49.	आल इंडिया तालीम घर, 563, सेक्टर-29, नौएडा, उत्तर प्रदेश।		0	1,31,774	ए.ई.सी.
		कुल	0	1,31,774	
50.	डा०ए०वी. बालिगा मेमोरियल ट्रस्ट, लिंक हाउस, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002		1,62,750 0	0 1,91,000	जे.एस.एन. टी.एल.सी.
		कुल	1,62,750	1,91,000	
51.	कथा - सी०-11/27, तिलक लेन, नई दिन्ली-110001		0	7,00,000	बी.पी.
		कुल	0	7,00,000	
52.	राज्य संसाधन केन्द्र भारतीय ग्रमीण महिला संघ स्कीम संख्या 71, सैक्टर-डी० (चन्दन नगर पुलिस) थाने के पीछे, इन्दौर शहर-45200		15,83,2602/-	4,50,000/-	राज्य संसाधन केन्द्र तथा साक्षरता किट के मुद्रण। के लिए किटें। अनुरक्षण अनुदान
53.	राज्य संसाधन केन्द्र राजस्थान प्रौढ़ शिक्षा संघ 7-,. झालाना डुंगरी संस्थानिक क्षेत्र जयपुर		49,00,000/-		वही-
54.	राज्य संसाधन केन्द्र जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया नगर, नई दिल्ली, 110025		13,00,000/-	3,92,573/-	वही-
55.	राज्य संसाधन केन्द्र, साक्षरता हाउस आन्ध्र महिला सभा, एम एस कालिज परिसर, युनिवर्सिटी रोड़ हैदराबाद-500007		24,17,027/-		-वही-
56.	राज्य ससाधन केन्द्र दीपायतन, बुद्ध कालोनी पटना -800001		47,00,000/-		-वही-
57.	राज्य संसाधन केन्द्र साक्षरता हाउस, पी०ओ०, आलमबाग लखनऊ-226005		26,00,00/-	5,00,000/-	-वही-

1.	2.	3.	4.	5.
58.	राज्य संसाधन केन्द्र गुजरात विद्यापीठ आश्रम रोड़, अहमदाबाद-380014	6,00,000/-		राज्य संसाधन केन्द्रों के के लिए अनुरक्षण अनुदान
59.	राज्य संसाधन केन्द्र मार्फत बंगाल सोशल सर्विस लीग, 1/6, राजा दीनेन्द्र स्ट्रीट कलकत्ता-700009	10,21,728/-		-वही-
60.	राज्य संसाधन केन्द्र तमिलनाडु सतत शिक्षा बोर्ड नं० बैस्ट फर्स्ट स्ट्टीट वेंकटरत्नम नगर, अदयार मद्रास -600020	9,55,705/.		-वही-
61.	राज्य संसाधन केन्द्र जनशिक्षा भवन, यूनिट-5 भुवनेश्वर-751001	5,00,00/-		राज्य संसाधन केन्द्रों के लिए अनुरक्षण अनुदान
62.	राज्य संसाधन केन्द्र केरल गैर-औपचारिक शिक्षा संघ (कनफैड) भगीरथ निवास टी० सी० XXIV/1691 थाईकौड पी० ओ० तिरूअनंतपुरम -695014	8,90,000/-		-वही-
63.	राज्य संसाधन केन्द्र कर्नाटक राज्य प्रौढ शिक्षा परिषद, 501, चित्राभानुरोड ए. और बी ब्लॉक, कुवेम्पुनगर मैसुर- 570023	14,34,346/-		-वही-
64.	राज्य संसाधन केन्द्र बम्बई विश्वविद्यालय	3,23,314/-		-वही-

1.	2.	3.	4.	5.
65.	राज्य संसाधन केन्द्र गैर औपचारिक शिक्षा हेतु मार्फत भारतीय शिक्षा संस्थान, 28/2 जे०पी० नायक रोड, कोथरड, पुणे-· 411029	9,24,616/-		-वही-
66.	राज्य संसाधन केन्द्र महाराष्ट्र राज्य प्रौढ शिक्षा संस्थान, औरंगाबाद, महाराष्ट्र	3,00,000/-		-वही-
67.	राज्य संसाधन केन्द्र पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय बिजनि परिसर, लैटुमखरन, शिलांग- 793003	5,00,000/.		साक्षरता किटों को तैयार करना
68.	प्रौढ़ तथा सतत शिक्षा क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ	6,00,000/-		-वही-
69.	राज्य संसाधन केन्द्र कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरूक्षेत्र, हरियाणा	4,70,477		-वही-

स्वैच्छिक संगठनों का अनुदान

(रूपयों में)

क्र० सं०	एजेंसी/संगठन का नाम तथा पता।	संगठन के कार्यकलापों का सार	1992-93 में सहायता अनुदान की राशि।	प्रयोजन जिसके लिए अनुदान का उपयोग किया गया	कैफियत
	स्कूल शिक्षा				
स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार					
1.	विक्रम ए० साराभाई सामुदायिक विज्ञान केन्द्र, अहमदाबाद	विज्ञान और गणित शिक्षा के क्षेत्र में उत्प्रेरक भूमिका निभा रही प्रयोगामी संस्था। विज्ञान तथा गणित के अध्ययन तथा अध्यापन में सहायक सामग्रियों तथा प्रदेशों के रूप में नवाचारविचारों तथा तकनीकों को विकसित करना।	21,10,000/-	विज्ञान और गणित शिक्षा के क्षेत्र में कार्यकलापों को प्रोन्नत करने के लिए।	
2.	जगदीश बोस राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा अन्वेषण, कल्कत्ता	छात्रवृत्ति, पुरस्करों, गहन-अनुवर्तन मार्ग दर्शन तथा वृत्तिका परामर्श आदि के जरिए विज्ञान तथा गणित के प्रतिभावान छात्रों को पता लगाने तथा उन्हें प्रशिक्षित करने में निहित।	10,11,502/-	पश्चिम बंगाल तथा ७ उत्तरी पूर्वी राज्यों के उत्तर-जिलों में, विज्ञान में रचनात्मक उत्कर्ष अन्वेषण तथा संवर्धन नामक परियोजना का क्रियान्वयन। चार केन्द्रों की स्थापना।	
	राजघाट शिक्षा केन्द्र, कृष्णामूर्ति फाउन्डेशन इंडिया, राजघाट कोर्ट वाराणसी	श्री जे० कृष्णामूर्ति की शिक्षाओं को ध्यान में रखतें हुए शिक्षा संस्कृति तथा मानवता वादी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना अनुसंधान करना। प्राकृतिक और प्रयुक्त विज्ञानों, इत्यादि में	2,99,737/-	विज्ञान और गणित शिक्षण के लिए कम लागत वाली शिक्षक सहायक सामग्रियों के निकास के लिए संसाधन केन्द्र का सृजन	
	विज्ञान शिक्षा तथा संचार केन्द्र, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।	पाठ्यचर्या विकास के क्षेत्र में विश्वविद्यालय और स्कूलों के बीच तालमेल को बढ़ावा देना।	2,10,000/-	प्रारंभिक गणित पाठ्यचर्या विकास कार्यक्रम	

क्र.० सं०	एजेंसी/संगठन का नाम तथा पता	संगठन के कार्यकलापों का सार	1992-93 में सहायता अनुदान की राशि	प्रयोजन जिसके लिए अनुदान का उपयोग किया गया	कैफियत
5.	कर्नाटक राज्य विज्ञान परिषद बंगलौर	टैलीस्कोप कार्यशालाओं विज्ञान उत्सवों विज्ञान लेखक-कार्यशालाओं राज्य स्तरीय विज्ञान सम्मेलनों विज्ञान को लोकप्रिय बनाने पर्यावरण शिवरों और स्लाइडों, विज्ञान फिल्मों,विज्ञान किटों आदि सबंधी कार्यशालाओं के आयोजन में निहित। विज्ञान-पत्र पत्रिकाओं आदि का प्रकाशन।	138,000/-	शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशालाओं तथा बाल विज्ञान का आयोजन	
स्कूल शिक्षा के लिए पर्यावारणीय प्रवोधन					
1.	उत्तर खण्ड सेवा निधि, अल्मोड़ा (उत्तर प्रदेश)	उत्तर प्रदेश के कुमाऊँ और गढ़वाल क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा में स्कूल शिक्षा के पर्यावरणीय प्रबोधन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रमुख एजेंसी रूप में कार्य करना।	64,48,974/-	मुख्य एजेंसी के रूप में इसके कार्यकलापों को जारी रखना, अध्ययन सामग्री एकत्र करना और अल्मोड़ा में एक संसाधन केन्द्र स्थापित कराना।	
2.	सी.पी.आर. पर्यावरण शिक्षा केन्द्र मद्रास.	जनता विशेषकर गैर सरकारी संगठनों, महिलाओं युवाओं तथा बच्चों में प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के प्रसार संरक्षण के प्रयोजन सहित पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी के सभी पहलुओं पर जागरूकता तथा रूचि पैदा करने के सबंध में विविध कार्य-कलापों का आयोजन।	8,62,758/-	पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में संगठन द्वारा प्रकाशित अंग्रजी के प्रकाशनों के मराठी संस्करणें का प्रकाशन तथा महाराष्ट्र तथा गोवा के माध्यमिक स्कूलों में तत्समबन्धी वितरण	
3.	विश्व व्यापी प्रकृति निधि, भारत, महाराष्ट्र और गोआ, राज्य कार्यालय, बम्बई.	27. वर्षों से अधिक समय से प्रकृति सरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत। वन्य जीवन के विकास प्राकृतिक वासों बंजर भूमि विकास और सेमिनारों, कार्यशालाओं शिवरों प्रकाशनों तथा फिल्मों आदि के माध्यम	5,28,895/-		

क्र.० सं०	एजेंसी/संगठन का नाम तथा पता	संगठन के कार्यकलापों का सार	1992-93 में सहायता अनुदान की राशि	प्रयोजन जिसके लिए अनुदान का उपयोग किया गया	कैफियत
		के सार्वजनिक ज्ञान का प्रचार जैसे संरक्षण संबंधी कार्यकलापों की व्यापक सीमा में सक्रिय रूप से संलग्न है।			
4.	एम० वेंकटरंगैया प्रतिष्ठान सिकन्दराबाद, आन्ध्र प्रदेश।	बंधुआ मजदरों के बच्चों के पुनर्वास, शिक्षा और प्रेरणा में प्रमुख रूप से संलग्न गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना और रंगा रेड्डी जिले में अनुवर्ती कार्यक्रम।	1,00,003/-	रंगा रेड्डी जिले में 15 गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों तथा 4 कल्याण छात्रा-वासों के बच्चों को पर्यावरणीय प्रबोधन	

शिक्षा में संस्कृति और मूल्यों के लिए योजना :

1.	गंर्धव महाविद्यालय नई दिल्ली	भारतीस संगीत में प्रशिक्षण	0.66	1500 कैसे तथा गीतों के संग्रह की 1500 पुस्तकें तैयार करना	
2.	भारतीय अंतराष्ट्रीय ग्राम सांस्कृतिक केन्द्र, नई दिल्ली.	भारत की प्राचीन परम्पराओं में विभिन्न कलाओं पर व्याखानें, और कार्यशालाओं कार्यशालाओं का आयोजन।	3.00 लाख रूपये	अभिनय एवं कार्यशाला व्याख्यान का आयोजन।	
3.	नन्दीकर, कलकत्ता	थिएटर के महत्व को समझना और सांस्कृतिक बोध पैदा करना।	3.78	परियोजना शुरू करने कलकत्ता के उपनगरों में सहायता प्राप्त स्कलों के शिक्षकों तथा छात्रों के लिए शिक्षा थिएटर	
4.	रामकृष्ण नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा संस्थान, मैसूर	स्कूल शिक्षकों और छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार के नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम प्रदान करना।	5.00	नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा पर शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्क्रम आयोजित करने के लिए।	

क्र० सं०	एजेंसी/संगठन का नाम तथा पता	संगठन के कार्यकलापों का सार	1992-93 में सहायता अनुदान की राशि	प्रयोजन जिसके लिए अनुदान का उपयोग किया गया	कैफियत
5.	संस्कार शिक्षा समिति, भोपाल.	विभिन्न शैक्षिक और पर्यावरणात्मक कार्यक्रम आरम्भ करना।	2.67	मध्य प्रदेश में दोराहा और टीमकगढ में मूल्य शिक्षा की परियोजना के आयोजन के लिए।	
5.	अलारिप्पु, नई दिल्ली.	महिला सामख्या के तत्वावधान में महिला राजगार और सारक्षरता के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया।	1.25	परियोजना कार्यकलाप शुरू करने के लिए झरोखा नायक एक न्यूज लेटर का प्रकाशन।	
7.	पोयेटरी सोसाइटी (भारत) नई दिल्ली	भारतीय कविता का प्रसार	1.13	उड़ीसा के युवा जनजातीय कवियों के लिए एक सृजनात्मक कविता कार्यशाला का आयोजन	
8.	स्पिक मेके, दिल्ली.	शैक्षिक संस्थाओं में भारतीय शास्त्रीय परम्परा की प्रोन्नति के लिए स्कूलों एवं कालेज में व्याख्यान प्रदर्शन आयोजित करना।	5.00	शैक्षिक संस्थाओं में शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य और योग कार्यशालाओं का व्याख्यान प्रदर्शन आयोजित करना।	
9.	वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान.	लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए आवासीय शैक्षिक कम्पलेक्सस, यह एकसम्बद्ध विश्वविद्यालय है	1.36	इसके रख-रखाव व्यय के एक भाग को पूरा करने के लिए।	
10.	बंगाल ललितकला महाविद्यालय नार्थ 24- परगना, (पश्चिम बंगाल)	तथा अभिनय कला और समाज कल्याण शिक्षा तथा संस्कृति का संस्थान	1.70	रचनात्मक कार्यशाला और ग्रीष्मकालीन स्कूल कार्यक्रम का आयोजन	
11.	नीनासाम हेग्गाडु सागरा कर्नाटक	बच्चों के लिए थियेटर कार्यशालाओं का आयोजन। इन्होंने एक प्रेक्षागृह एक नाट्य संस्थान न, एक फिल्म सोसायटी आदि बनाई हैं।	1.60	स्थानीय हाईस्कूल में बच्चों के लिए शिक्षा में थियेटर पर 45 दिन की अवधि के लिए	
12.	बाल प्रीत मिलनी (काकला) चण्डीगढ़	पंजाब में चलती फिरती प्रदर्शनियों सेमिनारों, कार्यशालाओं का आयोजन	5.00	काफला तथा कार्निवाल का आयोजन	

क्र.० सं०	एजेंसी/संगठन का नाम तथा पता	संगठन के कार्यकलापों का सार	1992-93 में सहायता अनुदान की राशि	प्रयोजन जिसके लिए अनुदान का उपयोग किया गया	कैफियत
13.	भारतीय विद्याभवन, बम्बई.	भारत विद्या प्राप्त भारतीय भाषाओं में तथा विदेशी भाषाओं में अनुसंधान करना	8.60	प्रिंसीपलों/हैडमास्टरों के लिए मूल्य शिक्षा पर अनुस्थापर पाठ्यक्रम का आयोजन।	
14.	सी.पी. रामास्वामी अय्यर फाउडेंशन, मद्रास.	कला, साहित्य, दर्शनशास्त्र तथा विज्ञान सहित भारतीय संस्कृति का प्रसार	2.79	स्कूलों में परम्परागत चित्रकला, तथा पेंटिग लोकखिलौने, कठपुतली बनाना, थियेटर लोक संगीत, नृत्य आदि जैसे लोक कला मंचों का पुर्नद्वार।	
15.	शिक्षा तथा स्वैच्छिक कार्य केन्द्र, चण्डीगढ़।	इलैक्ट्रोनिकी जन संचार माध्यमों, फिल्मों स्ट्रीट थियटरों आदि के जरिए लोगों के लिए शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय मूल्यो को प्रदान करना।	1.99	इस क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों और शिक्षकों के बच्चों के साथ सामुदायिक थियेटर कार्यशाला का आयोजन।	

1	2	3	4	5	6
भाषाओं की प्रोन्नति					
1.	हिन्दी प्रचार सभा हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	हिन्दी शिक्षण केन्द्रों हिन्दी महाविद्यालयों हिन्दी प्रचार केन्द्रों आदि का संचालन	3,69,550/-	शिक्षण केन्द्र महाविद्यालय प्रचारक सम्मेलन तथा हिन्दी डायरी का प्रकाशन।	
2.	नगर हिन्दी वर्ग संचालक अध्यापक संघ, हैदराबाद	हिन्दी शिक्षण कक्षाओं हिन्दी पुस्ताकालय/वाचनालय हिन्दी टंकण आशुलिपि कक्षाएं तथा अन्य प्रचार कार्यक्रमों का संचालन	1,31,880/-	हिन्दी शिक्षण, हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि कक्षाएं हिन्दी पुस्तकालय/वाचनालय स्टाफ को वेतन, किराया पुस्तकों/पत्रिकाओं आदि का क्रम।	
3.	असम राज्य, राष्ट्र भाषा समिति, जोरहार	हिन्दी की प्रौन्नति	5,81,250/-	हिन्दी टंकण केन्द्र	
4.	गुजरात विद्या पीठ, अहमदाबाद	हिन्दी की प्रौन्नति	1,51,425/-	हिन्दी शिक्षण कक्षाएं हिन्दी पुस्तकालय, हिन्दी टंकण केन्द्र।	
5.	गोमांतक राष्ट्र भाषा विद्यापीठ मडगांव, गोवा	हिन्दी की प्रौन्नति	1,19,475/-	हिन्दी शिक्षण केन्द्र हिन्दी पुस्तकालय आदि।	
6.	कर्नाटक हिन्दी प्रचार समिति जया नगर, बंगलौर	शिक्षण केन्द्र, पुस्तकालय आदि का संचालन	6,49,800	हिन्दी शिक्षण केन्द्र, हिन्दी पुस्तकालय आदि।	
7.	कर्नाटक महिला हिन्दी सेवा समिति, बंगलौर	हिन्दी शिक्षण कक्षायें, पुस्तकालय वाद विवाद आदि	9,05,025	वाचनालय एवं पुस्तकालय, हिंदी टंकण, कक्षायें, शिक्षण प्रशिक्षण कालिज, हिन्दी महाविद्यालय आदि	
8.	मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद, शंकरपुरम बंगलौर	हिन्दी शिक्षण केन्द्र टंकण एवं आशुलिपि कक्षायें आदि	11,98,988	हिन्दी शिक्षण कक्षायें, हिन्दी पुस्तकालय, हिन्दी टंकण आशुलिपि कक्षायें	
9.	हिन्दी प्रचार संघ मुधोल, कर्नाटक	हिन्दी शिक्षण कक्षाओं का संचालन	1,01,530	हिन्दी शिक्षण केन्द्र हिन्दी पुस्ताकलय हिन्दी महाविद्यालय आदि	

1	2	3	4	5	6
10.	केरल हिंदी प्रचार सभा, त्रिवेन्द्रम	केन्द्रीय महा-विद्यालय टंकण एवं आशुलिपि कक्षायें, पुरस्कार आदि	11,11,425	हिन्दी पुस्तकालय, केन्द्रीय महाविद्यालय, हिन्दी प्रचारक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, पुरस्कार आदि	
11.	हिन्दी सभा, बम्बई, बम्बई	हिन्दी की प्रोन्नति	1,94,850	हिन्दी शिक्षण केन्द्र, पुस्तकालय पत्रिकायें आदि।	
12.	राष्ट्रभाषा प्रचार वर्धा	पाठ्यपुस्तकों, सांस्कृतिक कार्यक्रम हिन्दी प्रचारकों के लिए सेमिनार आदि का आयोजन	2,49,895	हिन्दी महाविद्यालय, हिन्दी शिक्षण केन्द्र, हिन्दी टंकण एवं आशुलिपिक कक्षायें।	
13.	बम्बई हिन्दी विद्यापीठ, बम्बई	शिक्षण केन्द्र पुस्तकालय वाचनालय, प्रचारक केन्द्र सेमिनार, नाटक आदि	7,85,125	हिन्दी प्रशिक्षण केन्द्र, आदि	
14.	महाराष्ट्र राष्ट्र सभा 388, नारायण पथा, पूना	हिन्दी की प्रोन्नति	1,99,500	केन्द्रीय ग्रंथालय आदि	
15.	मणिपुर हिन्दी परिषद इम्फाल	-वही-	2,84,625	हिन्दी कक्षाएं	
16.	मणिपुर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, इम्फाल	-वही-	1,35,000	हिन्दी कक्षाएं	
17.	उत्काल प्रान्तीय राष्ट्र भाषा प्रचार सभा कटक	हिन्दी शिक्षण केन्द्रों, हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि केन्द्रों का संचालन	1,92,300	हिन्दी शिक्षण कक्षाएं, हिन्दी पुस्तकालय प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि	
18.	उड़ीसा राष्ट्र भाषा परिषद जगन्नाथपुरी	-वही-	2,31,525	हिन्दी कक्षाओं तथा हिन्दी का प्रचार	
19.	भाषा संसद (अनुवाद पत्रिका) कलकत्ता	-वही-	1,26,300	अनुवाद पत्रिका के प्रकायन के लिए	

1	2	3	4	5	6
20.	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा (मद्रास हैदराबाद, तिरूचिरापल्ली धरवाड़ ओर एर्नाकुलम में अपनी शाखाओं	निशुल्क हिन्दी कक्षाएं महाविद्यालय, टंकण पी. जी. बी. एड., कम्प्यूटर कक्षाएं एवं आशुलिपि कक्षयें पुरस्कार आदि	96,95,935	हिन्दी पुस्तकालय, केन्द्रीय विद्यालय हिन्दी प्रचारक अनुस्थापन पाठ्यक्रम आदि	
21.	महाराष्ट्र हिन्दी प्रचार भवन, शाहगंज, और गाजियबाद		1,03,950	हिन्दी कक्षाएं और हिन्दी कक्षाओं का आयोजन	
22.	वर्णमाला भाषा विकास केन्द्र, भुवनेश्वर		1,50,000	हिन्दी कार्यक्रमों के लिए तदर्थ तदर्थ अनुदान	
23.	केन्द्रीय सचिालय हिन्दी परिषद, नई दिल्ली	विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित करना, हिन्दी संगठनों में हिन्दी के विकास के लिए सेमिनारों, संगोष्ठियों आदि का ओयोजन	5,00,000	हिन्दी की विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन, हिन्दी पत्रिकाओं और पुस्तकों आदि का प्रकाशन के लिए खर्च वहन करना।	
24.	अखिल भारतीय हिन्दी संस्थान संघ, नई	हिन्दी प्रचार प्रसार कार्यक्रम	6,70,00	स्थापना व्यय ओर हिन्दी प्रचार प्रचार प्रसार कार्यक्रमों को जारी रखना।	
25.	भारतीय अनुवाद परिषद दिल्ली	हिन्दी की प्रोन्नति	1,35,000	हिन्दी की प्रोन्नति	
26.	मणिपुर हिन्दी प्रचार सभा, अकामपट	हिन्दी की प्रोन्नति	1,56,600	हिन्दी कक्षाओं का संचालन	
27.	हिन्दी विद्यापीठ (केरल)	हिन्दी की प्रौन्नति	1,50,075	हिन्दी कक्षएं, हिन्दी टंकण, आशुलिपिक कक्षाएं और पुस्तकालय इत्यादि का संचालन	
28.	नागारिक लिपि परिषद नई दिल्ली	हिन्दी की प्रौन्नति	2,00,00	प्रतियोगताएं और सेमिनार इत्यादि का आयोजन	
29.	हिन्दी प्रचार प्रसार संस्थान, जयपुर	हिन्दी की प्रोन्नति	1,00,300	हिन्दी की प्रोन्नति हेतु विभिन्न विभिन्न कार्यक्रमों का शुरू करना	
30.	हिन्दी सहित्य सम्मेलन प्रभाग	हिन्दी की प्रौन्नति	21,26,000	हिन्दी के प्रचार-प्रसार के विभिन्न कार्यक्रम शुरू करने के लिए	

1	2	3	4	5	6
संस्कृत					
1	प्रधानाचार्य श्री रंगलक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय वृन्दावन, मथुरा	शिक्षण	6,71,957	वेतन/छात्रवृत्यिां/व्यय/पुसतकें, फर्नीचर वार्षिक समाराह, किताबों का मुद्रण तथा मरम्मत	
·2	प्रधानाचार्य जगदीश नारायण ब्रहमचारी आश्रम संस्कृत महाविद्यालय लगमा, वाया लाहना रोड रामभेदपुर, जिला दरभंगा, बिहार	शिक्षण	8,83,214	वेतन/छात्रवृत्तियां/आकस्मिक व्यय /फर्नीचर/ग्रंथालय की पुस्तकें/भवन की मरम्मत	
3	प्रधानाचार्य भगवान दास संस्कृत महाविद्यालय, डाकखाना कागडी हरिद्वार (उत्तर प्रदेश)	-वही-	6,69,077	वेतन/छात्रवृत्तियां/आकस्मिक व्यय /फर्नीचर/यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता/पुस्तकें/भवन मरम्त, तथा पुस्तकों का मुद्रण।	
4	प्रधानाचार्य दीवाम कृष्ण किशार सनातन धर्म आदर्श संस्कृत कालिज,	-वही-	4,49,669	वेतन/छात्रवृत्तियां/भविष्य निधि/ आकस्मिक व्यय/फर्नीचर/पुस्तकें तथा टंकण मशीन की खरीद	
5	श्री एकरसानन्द संस्कृत महाविद्यालय, मेनपुरी (उ. प्रदेश)	-वही-	5,00,000	छात्रवृत्तियां/आकस्मिक व्यय फर्नीचर /पुस्तकें/भवन की मरम्मत	
6	मद्रास संस्कृत कालिक एवं एम. एस. वी. पाठशाला, 84, रोयापीठ हाई रोड, माइलापुर, मद्रास	-वही-	9,05,082	वेतन/छात्रवृत्तियां/फर्नीचर/ आकस्मिक व्यय/भवन की मरम्मत/	
7	मुम्बादेवी संस्कृत महाविद्यालय मार्फत भरतीय विद्याभवन, के. एम. मुशी मार्ग बम्बई	-वही-	6,32,127	वेतन/छात्रवुत्तियां/ आकस्मिक व्यय /यात्रा भत्ता दवं दैनिक भत्ता	
8	हरियाणा सस्कृत विद्यापीठ, डाकखाना भगोला, जिला फरीदाबाद, हरियाणा	-वही-	5,73,698	-वही-	
9	कुप्पुस्वामी शास्त्री अनुसंधान सेस्थान, बी 84, रोयापीठ रोड माइलापुर, मद्रास	अनुसंधान	6,16,648	आकस्मिक व्यय/छात्रवृत्तियां/वेतन/ फर्नीचर/प्रकाशन भवन की मरम्मत विज्ञापन।	

1	2	3	4	5	6
10.	कालीकट आदर्श संस्कृत विद्यापीठ वालसूरी, जिला कालीकट, केरल	शिक्षण	10,56,262	वेतक/आकस्मिक व्यय/ यात्रा एवं दैनिक भत्ता/छात्रवृत्तियां/पुस्तके एवं फर्नीचर	
11.	वैदिक समशोधन मण्डल, तिलक विद्यापीठ, नगर, पूना-9	अनुसंधान	5,67,957	वेतन/आकस्मिक व्यय/ग्रंथालय पुस्तकें	
12.	श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती न्याय शास्त्र संस्कृत महाविद्यालय नं. 3ए ईस्ट माडा स्ट्रीट, छोटा कांचीपुरम	शिक्षण	5,53,332	-वही-	
13.	लक्ष्मी देवी शराफ आदर्श संस्कृत महाविद्यालय काली रेखा, गांव, डाकखाना देवगढ, (बिहार)	-वही-	4,87,052	-वही-	
14.	राजकुमारी गणेश शर्मा, आदर्श संस्कृत पाठशाला, कोलहांता पटोरी, बिहार	-वही-	11,42,756	-वही-	
15	हिमाचल आदर्श संस्कृत महाविद्यालय जंगला (रोहरू) हिमाचल प्रदेश।	-वही-	9,64,500	-वही-	
16	स्वामी प्राणकुशचार्य, संस्कृत महाविद्यालय, हुलासगंज, गया	-वही-	6,15,973	-वही-	
17.	प्रजाना पाठशाला मंडल वाई, जिला सतारा महारष्ट्र	-वही-	4,26,450	अुनरक्षण अनुदान	
18.	राजा वेद काव्य पाठशाला डी. 76/III कास स्ट्रीट, श्री नगर कालोनी, कुम्बाकोनम	-वही-	2,16,600	वेतन छात्रवृत्तियां	
19.	भारतीय चतुर्धन वेदभवन न्यास, बाली कालोनी, 63-ए/3, संतले रोड, इलाहाबाद	-वही-	1,59,600	-वही-	
20.	मुख्याधीश थातई, कन्या गुरूकुल महाविद्यालय हाथरस, जिला अलीगढ (उत्तर प्रदेश)	-वही-	1,33,200	-वही-	

1	2	3	4	5	6
21.	कल्पतरू अनुसंधान अकादमी पोस्ट बाक्स संख्या 1857, बंगलौर	अगमा, आल्या, अराधना पर परियोजना खर्च के लिए	2,41,800	-वही-	
22.	मंत्री, कन्या गुरूकुल, नरेला दिल्ली	-वही-	1,17,000	-वही-	
23.	प्रधानाचार्य गुरूकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर,	शिक्षण	1,05,000	वेतन/छात्रवृत्तियां/ भवनों के लिए/ संस्कृत पुस्तकें/फर्नीचर	

नई शिक्षा नीति का कार्यान्वयन

1.	भारतीय इतिहास कांग्रेस इतिहास विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय	ऐतिहासिक पहलओं पर कार्यान्वयन और तालमेल	2.00	कांग्रेस का 53वां सत्र आयोजन करने के करने के वास्ते

उच्चतर शिक्षा

1.	भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली	12.15 लाख
2.	डा. जाकिर हुसैन मेमोरियल कालेज ट्रस्ट, दिल्ली	11.15 लाख
3.	श्री अरविन्द अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान संस्थान, ओरोविले	29.22 लाख
4.	श्री अरविन्द अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पाण्डिचेरी	19.48 लाख
5.	मित्रा निकेतन, वैल्लानद केरल	4.00 लाख
6.	लोक भारती, संसोरा गुजरात	4.300 लाख

1	2	3	4	5	6

महिला समाख्या परियोजना

1.	समता ग्राम सेवा संस्थान ईस्ट लोहानीपुर पटना - 8000 003		-		
2.	सेवा स्वागत केन्द्र विक्टोरिया गार्डन के सामने अहमदाबाद - 380 001		82,758.00		
3.	सिद्ध पोस्ट बाक्स 19 मसूरी - 248179 उत्तर प्रदेश		3,15,241.00		
4.	सूत्र जगजीत नगर वाया जुब्बर - 173 225 जिला सोलन हिमाचल प्रदेश		3,64,647.00		
5.	बनवासी सेवा आश्रम गोविन्दपुर (वाया तुर्रा) सोनभद्रा उत्तर प्रदेश		39,880.00		
6.	अध्ययन विकास संस्थान डी-124, मगंल मार्ग बापू नगर जयपुर - 302 015				
7.	पूर्वांचल ग्रामीण विकास संस्थान गाँ मलाडी पोस्ट आफिस - बाराछत्तर जिला - गाजीपुर उत्तर प्रदेश - 233 226		1,02,770.00		
8.	समुदय 80, पास्ट रूसेरा जिला समस्तीपुर बिहार		1,00,500.00		
9.	वेंकटरगईया फाउडेशन वेस्ट माराडपल्ली सिकन्दराबाद		1,99,330.00		

1	2	3	4	5	6
10.	विशाखा ओ-7, हास्पिटल रोड जचपूर-302 001		2,38,650.00		
11.	एकया सं. 377, 42 वीं क्रास आठवाँ ब्लाक, जयनगर बंगलौर - 560 082		-		
12.	जनविकास 3/बी, अकित उयुप्लेक्स आन्न्द वटिका, एल. कालोनी के सामने एस. एम. रोड, अम्गावाडी अहमदाबाद - 380015		-		
13.	वाराणसी कला प्रतिष्ठान डी-13/26, बाँस फाटक वाराणसी		-		
14.	जगोरी, बी-5 सहकारी आवास समिति साउथ एक्स - पार्ट-। नई दिल्ली - 110049		38,524.00		
15.	महिला सेवा ट्रस्ट बहमदाबाद		-		
16.	सहल 1 तजास अपार्टमेन्टस ओल्ड पाद्रा रोड बड़ोद		- -		

क्रम सं.	एजेंसी/संस्थान का नाम और पता	संगठन के संक्षिप्त कार्यकलाप	1992-93 में सहायता अनुदानकी राशि	उद्देश्य जिनके लिये अनुदान की राशि खर्च की गई।	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.

अनौपचारिक शिक्षा

आंध्र प्रदेश

1.	सेवा मंदिर हिन्दुपुर - सेवा मंदिर अन्नतपुर आंध्र प्रदेश - 515 212	शैक्षिक/सामाजिक/ ग्रामीण/सामुदायिक समेकित विकास	242104		
2.	प्रजा प्रगति ट्रस्ट 13-42, एल. बी. नगर जिला चित्तौड आंध्रप्रदेश	-वही-	114893	25	
3.	ग्राम विकास संस्था कोठा इंदलु पुंगानुर जिला चित्तौड़	-वही-	149542	25	
4.	विकास कार्यो के लिए जन संस्था डोर सं. 4-95 रामनगर कालोनी जिला चित्तौड - 517 002	-वही-	119040	100	
5.	श्री वेंकटेश्वर महिला मंडली प्लाट नं. 6 जर्नलिस्ट कालोनी मेडिकल कालेज के सामने तिरूपति जिला - चित्तौड़	-वही-	98217	25	
6.	भारथा सेवा समिति शुगर फैक्टरी कर्मचारी फैक्टरी 75 डोडीपल्ली जिला चित्तौड़	-वही-	445800	100	
7.	ग्रामीण शिक्षा समिति पुंगानूर - 517 247 जिला चित्तोड	-वही-	444940	100	

1	2	3	4	5	6
8.	ग्रामीण पुर्ननिर्माण शिक्षा हेतु सामूहिक आदेश 14-65/5 पैलेस रोड कुप्पन - 517 425 जिला चित्तौड़	-वही-	252025	50	
9.	आंध्र प्रदेश ग्रामीण पुर्ननिर्माण मिशन 1-69 क्रास रोड पाईलर - 517214 जिला चित्तौड़	-वही-	442736	100	
10.	ग्राम सेवा समिति ग्रास गाँव अनिगानर विजालापुरम पोस्ट कुप्पम-517 425 जिला चित्तौड़	-वही-	222900	100	
11.	पेनटरामपैले महिला कल्याण सहकारी समिति पैन्टरामपैले पो. आफिस जिला चित्तौड	-वही-	132790	50	
12	रायालासीमा सेवा समिति 9 ओल्ड हुजूर आफिस बिल्डिंग जिरूपति-517 501 जिला चित्तौड	-वही-	1349640	300	
13.	-वही-	-वही-	1802395	300	
14.	-वही-	-वही-	2294404	500	
15.	समेकित विकास हेतु सामाजिक क्रिया सं.-11 एस. वी. यू. कैम्पसस आर. ई. बिल्डिंग के पास तिरूपति-517 502 जिला चित्तौड़	-वही-	444005	100	
16.	ग्रामीण पुर्न निर्माण संगठन वीडाकाकनी गुंटूर-522 504	-वही-	443408	100	

1	2	3	4	5	6
17.	राष्ट्रीय शैक्षिक अल्पसंख्यक समिति 14-1-12 कोठापेर. गुटूंर	-वही-	132790	50	
18.	प्राच्य भाषा विद्यापीठ राजेन्द्र नगर, छठी लाईन, गुडीवादा-521301 जिला कृष्णा	-वही-	228149	50	
19.	श्री हनुमनधरैरया शैक्षिक एवं चैरिटेवल समिति पेंडेकांती पब्लिक स्कूल कोठापैटा (पोस्ट) बंगानापल्ली मडां जिला कुरनूल - 518186	-वही-	255900	100	
20.	श्री परमेयवरी शैक्षिक समिति करीवेना रोड आत्माकुर जिला कुरनूल	-वही-	132790	50	
21.	नालगोंडा सामाजिक सेवा समिति सामाजिक सेवा केन्द्र दुप्पलपल्ली रोड नालगोंडा-508 001	-वही-	255900	100	
२२ण	जागृति जराकुरू गाँव जिला नैलरेर	-वही-	236700	100	
23.	श्रीनिवास महिला मंडली दरसी अग्राक्षम, मरटूर मंडल जिला प्रकासम	-वही-	225625	50	
24.	विवेक ऐजुकेशनल फाएंडेशन पैमुर-523 018 जिला प्रकासम	-वही-	132790	50	
25	श्री माधव विद्यापीठम लायरपेटा ओंगोले-523 002 जिला प्रकासम	-वही-	132790	50	

1	2	3	4	5	6
26.	एम. वेंकटरंगैया फाउंडेशन 10-2-26 मरेडपल्ली वेस्ट सिकन्दराबाद आंध्र प्रदेश - 500 873	-वही-	203653	0	
27.	भगवतुला चैरिटेबल ट्रस्ट येल्लामनचिली-531 055 जिला विशाखापट्नम	-वही-	211066	100	
28.	सामाजिक विकास हेतु हाउस नं. 10-2-317/44/1 विजयनगर कालोनी हैदराबाद - 500 873	-वही-	103362	25	
29.	हैदराबाद जिला महिला मंडलला समाख्या 8-3-896/I नागार्जुन नगर हैदराबाद-500 457	-वही-	239779	50	
30.	स्नेयुधा 1-1-16/10 सी., जवाहर नगर हैदराबाद - 500 020	-वही-	118961	25	
31.	-वही-	-वही-	306674	75	
असम					
32.	देशबंधु क्लब पोस्ट आफिस बेहारा बाजार जिला कछार असम-788 817	-वही-	132790	50	
33.	गौरीपुर विवेकानन्द क्लब बरूआपट्टी रोड पो. आफिस गोरीपुर जिला धुबरी असम-783 331	-वही-	180400	25	

1	2	3	4	5	6
34	मोरीगाँव महिला महफिल सिविल हास्पिटल रोड पो. आफिस मोरीगाँव जिला मोरीगाँव असम-782 105	-वही-	120040	50	
35.	असम चाह मजदूर बहुउद्वेशीय सामाजिक शिक्षा संघ रंगाजन टी. ई. पोस्ट आफिस-रंगाजन टीटाबार जिला-जोरहाट असम-785 630	-वही-	117696	50	
36.	जमुनामुख अमटोला अहमीदया मदरसा समिति पे. आफिस जमुनामुख जिला नवगाँव असम	-वही-	128740	50	
37.	सदाऊ असोम ग्राम्या पुथी बहराल साथा एल. एन. बी. रोड हैबरगाँ पोस्ट आफिस हैबर गाँव जिला - रवगाँव	-वही-	120206	25	
38.	शांति साधना आश्रम पो. आफिस गेलटोला "शान्तिवन" वशिष्ठा गुवाहाटी-781028 असम	-वही-	352000	0	

1	2	3	4	5	6
बिहार					
39.	ग्रामीण शिक्षा एवं विकास संस्था के. आर. हाईस्कूल, पो. आफिस बेलिया जिला: प. बंगाल बिहार - 845438	-वही-	101924	0	
40.	दरभंगा जिला खादी बेटा रोड पो. अफिस लहरियासराय दरभंगा, बिहार	-वही-	414668	60	
41.	संथाल परगना ग्रामोद्योग समिति, वैद्यनाथ देवघर, बिहार-814112.	-वही-	137073	30	
42.	संथाल परमना अन्तयोदया आश्रम, पुरानदहा, बी. देवघर-814112	-वही-	138500	50	
43.	झरिया महिला विकास केन्द्र, आँगनवाड़ी भवन नई दुनिया, पो. आफिस-झरिया-828111	-वही-	124241	25	
44.	समन्वय आश्रम, बोधगया, बिहार	-वही-	229959	0	
45.	नव भारत जागृति केन्द्र, बहेरा, वृन्दावन, चौपारन, जिला-हजारीबाग, बिहार-825406	-वही-	364000	0	
46.	नव भारत जागृति केन्द्र, गांव बहेरा, पो. आफिस-वृंदावन, द्वारा चोपारन-825406. बिहार	-वही-	219957	60	
47.	घघोरदिहा प्रखंड स्वराज्य विकास संघ, गांव एवं पोस्ट आफिस जगतपुर द्वारा घघोरदिहा, जिला-मधुबनी-847402, बिहार	-वही-	466861	100	

1	2	3	4	5	6
48.	जन शिक्षण केन्द्र गांव एवं पो. आफिस चाके, जिला-मुंगेर-811303, बिहार	-वही-	206323	30	
49.	आत्म रोजगारी महिला समिति केन्द्र, पो. आफिस- खादीग्राम, जिला-जामुई-811313 बिहार	-वही-	193782	100	
50.	महिला शिशु कल्याण प्रतिष्ठान, गांव एवं पोस्ट आफिस-आकानगर, सराय नालंदा, बिहार	-वही-	120300	25	
51.	समग्र ग्राम स्वराज्य संघ, इस्लामपुर, नालंदा, बिहार	-वही-	138200	30	
52.	विनोबा आरोग्य एवं लोक शिक्षण केन्द्र, गांव एवं पोस्ट आफिस-जय कृष्णा नगर (बदय), पो. आ. बदय, द्वारा इस्लामपुर- 801303, जिला-नालंदा, बिहार	-वही-	412270	60	
53.	बिहार दलित विकास समिति, पश्चिम मलाही (बर), पो. आ. -बर, जिला-पटना- 803213 बिहार	-वही-	240300	100	
54.	ग्राम स्वराज्य समिति, बख्तियार पुर, गांव एवं पो.आ. -सलीमपुर द्वारा खुसरूपुर, पटना बिहार	-वही-	216080	50	
55.	अदिध्यि, 2/30 स्टेट बैंक कालोनी-II, बेले रोड, पटना-800014.	-वही-	878006	200	
56.	सर्वोदय आश्रम, पो. ओफिस- रानीपात्रा, जिला-पुरलिया- 854337	-वही-	445800	100	

1	2	3	4	5	6
57.	वनवासी सेवा केन्द्र, पो. आफिस-अधौरा, जिला रोहतास, बिहार	-वही-	367009	10	
58.	गांधी सेवा आश्रम, जलालपुर बाजार, सारण-841412 बिहार	-वही-	215000	60	
59.	सेंट जेवियर्स उच्च स्कूल, पोस्ट बाक्स 10, चाईबासा-833201, जिला पश्चिमी सिंहभूम, बिहार	-वही-	348247	100	
दिल्ली					
60.	विकास एवं प्रशिक्षण लोक संस्थान, बी-3/3 सफदरजंग इन्कलेव, नई दिल्ली-5110029	-वही-	146736	200	
61.	नेहरू बाल समिति, ई-63, साउथ एक्सटेंशन भाग-I, नई दिल्ली-110049	-वही-	234554	50	
62.	पी. एच. डी. ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान, पी. एच. डी. हाउस, पावर हाउस, एशियाई खेल ग्राम के सामने, नई दिल्ली-110016.	-वही-	390065	100	
गुजरात					
63.	लोक सेवा मंडल (सर्वेन्टस ऑफ द पीपल सोसाइटी) द्वारा सी. एच. भगत कामकाजी महिला होस्टल, एन. आर. दलाल अपार्टमेंट्स, नया विकास गुरू मार्ग, पालड़ी, अहमदाबाद-380007.	-वही-	812114	200	

1	2	3	4	5	6
64.	गुजरात राज्य अपराध निरोधक न्यास, "आशीर्वाद" 9/3 केशव नगर सोसाइटी, सुभाष पुल के पास, अहमदाबाद-380027 गुजरात	-वही-	182789	100	
65.	श्रम कल्याण न्यास, गांधी मजूर सेवालय भाद्रा, पोस्ट बाक्स 110, अहमदाबाद-380017, गुजरात	-वही-	222900	100	
66.	अमर भारती, मोती पावती, ताल्लुक देहगाम, जिला-अहमदाबाइ-382308. गुजरात	-वही-	382050	100	
67.	अंजुमन-ए-तालीमी इदारा पूर्त न्यास, कोर्ट रोड, सरकारी खजाने के सामने, भारूच-392001. गुजरात	-वही-	462169	100	
68.	भावनगर महिला संघ, वघवा वाशिंग घाट के पास. भावनगर-364001 गुजरात	-वही-	445800	100	
69.	लोक भारती ग्राम विद्यापीठ, सनोसरा-364230, जिला भावनगर, गुजरात	-वही-	347052	100	
70.	गायत्री शिक्षण समाज, वनथली (सोरठ), द्वारा ए/44, जनकपुरी सोसाइटी, धनधूसर मार्ग, जूनागढ- 362001	-वही-	232050	30	
71.	सरस्वतम, पोस्ट बाक्स संख्या 7, मांडवी-कच्छ-370465 गुजरात	-वही-	222900	100	
72.	घसरा ताल्लुक युवक मंडल संघ, डाकोर, ताल्लुक घसरा, जिला खेडा-388225 गुजरात	-वही-	103590	25	

1	2	3	4	5	6
73.	श्रीमती बी. के. बालजोशी शिक्षा न्यास, 20 रतीश सोसाइटी कालोल-382721 जिला महसाना, गुजरात	-वही-	257480	50	
74.	मानव सेवा मंडल न्यास, "शांडिलय" 5-ए अनुपम सोसाइटी, अमीन मार्ग, नूतननगर के पास, राजकोट-360001.	-वही-	435679	100	
75.	आनंद निकेतन, आनंद निकेतन आश्रम पोस्ट आफिस रंगपुर (कावंत), जिला बड़ौदा-391140 गुजरात	-वही-	133903	100	
हरियाणा					
76.	लकी शिक्षा सोसाइटी, महम, रोहतक हरियाणा	-वही-	435679	100	
77.	शिक्षा समिति डी. ए. वी. प्रशिक्षण कॉलेज, शिव नगर, खरखोडा, सोनीपत	-वही-	239282	100	
78.	विद्या महासभा कन्या गुरूकुल महाविद्यालय, खरखोडा, सोनीपत, हरियाणा-124402	-वही-	959659	200	
79.	जनता कल्याण समिति, बस स्टैंड के सामने, रिवाड़ी, हरियाणा	-वही-	444935	100	
हिमाचल प्रदेश					
80.	ग्रामीण मानव अधिकार केन्द्र, शालाना, जिला सिरमौर, राजगढ़, हिमाचल प्रदेश-173101	-वही-	237000	0	
81.	पर्वतीय क्षेत्रों के ग्रामीण विकास हेतु सामाजिक कार्रवाई सोसाइटी, कफोता, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश-173029	-वही-	239282	50	

1	2	3	4	5	6
82.	जरूरतमंद लोगो के लिए जन कार्रवाई, अंधेरी, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश-173023	-वही-	209252	100	
83.	ग्रामीण मानव अधिकार केन्द्र, शालाना राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश-	-वही-	397800	100	
84.	ग्रामीण कार्रवाई द्वारा सामाजिक उत्थान सोसाइटी, जगजीत नगर द्वारा जब्बर, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश-173225	-वही-	118474	100	
जम्मू तथा कश्मीर					
85.	अखिल भारतीय शहरी तथा ग्रामीण विकास केन्द्र 5, भाई वीर सिह मार्ग गोल मार्किट नई दिल्ली-110001	-वही-	112275	-	
कर्नाटक					
86.	जीवन धारा विद्यापीठ 112, पुलिस स्टेशन मांडी रोड के पीछे, बंगलौर-560023	-वही-	204025	75	
87.	स्वतोत्थान परिषद, बंगलौर गवी पुरम, रोड केम्पगोवडा नगर बंगलौर-560019	-वही-	317622	50.	
88.	कर्नाटक कल्याण चिक्बल्लापुर पो. बाक्स न. 28 चिक्बल्लापुर-562101	-वही-	403468	100	

1	2	3	4	5	6
मध्य प्रदेश					
89.	मध्य प्रदेश बाल कल्याण परिषद होटल न. 5, भेल टाउनशिप पिपलानी भोपाल-462021 मध्य प्रदेश	-वही-	393396	100	
90.	कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मृति न्यास कस्तूरबा ग्राम इंदौर-452020 मध्य प्रदेश	-वही-	240300	100	
91.	तरूण संस्कार 1784, इन्दिरा मर्किट रांझी, जबल पुर म. प्र.	-वही-	119310	25	
92.	शिक्षा प्रसार समिति धर्मगढ पोर्सा, मुरैना जनपद म. प्र.	-वही-	120300	25	
93.	बाल एवं महिला कल्याण समिति जेल रोड, मुरैना, म. प्र.	-वही-	120300	25	
94.	जनता शिक्षा परिषद देवरी कलां सतना जनपद मध्य प्रदेश	-वही-	120300	25	
95.	माटेसरी शिक्षा समिति खाछ रोड, उज्जैन, म. प्र.	-वही-	110513	50	
मणिपुर					
96.	वंगार्जिग तेन्था कृषक विकास संघ पो. बैग न. 6 इम्फाल	-वही-	360100	50 अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए अनुदान	

1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र					
97.	राजऋषि श्री छत्रपति शाहू शिक्षण प्रसारक मंडल बुर्दगांव रोड, अहमदनगर महराष्ट्र-414001	-वही-	239341	50	
98.	-वही-	-वही-	119177	25	
99.	पार्थ विद्या प्रसारक मंडल पाथर्डी अहमद नगर महाराष्ट्र	-वही-	239341	50	
100.	संत कबीर शिक्षण प्रसारक मंडल कैलाश निवास घाटी औरंगाबाद-431001		239341 445800	50 100	
101.	प्रबंध प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान 49, समर्थ नगर, पो. ओ. बाक्स नं. 87, औरंगाबाद-431001		117846	50	
102.	ग्रामीण अपंग पुनर्वास संस्था माडयल काडगांव रोड गांधी गंलाज-416502	-वही-	239793	50	
103.	श्री बालासाहिब माने शिक्षण प्रसारक मंडल अम्बप तालूक हाटा नंगाले जनपद-कोल्हापुर	-वही-	204019	50	
104.	समाज कल्याण मंडल लाल गंज नायक तालाब नागपुर-2	-वही-	118727	50	
105.	सती माता शिक्षण संस्था नागपुर प्रधान कार्यालय II, व्यंकटेश नगर खामला रोड नागपुर-25	-वही-	118746	50	

1	2	3	4	5	6
106.	जवाहर लाल नेहरू शिक्षण प्रसारक मंडल उम्र तालुक, मखेड जनपद-नान्देड	-वही-	360211	75	
107.	समाज उन्नति शिक्षण संस्था कालाम्बरे तालुक, कन्धार जनपद नांदेड	-वही-	120282	25	
108.	ईश्वर सिंह जीवन जाग्रति मंडल सांहमगढ़ तालुक जिन्तूर जनपद-परभानी	-वही-	120300	25	
109.	भारतीय शिक्षा संस्थान जे. पी. नायक रोड कोथरूड पुणे-411030	-वही-	462157	0	
110.	सेवधाम ट्रस्ट मार्फत मनोज क्लीनिक 1148, सदाशिव पीठ पुणे-41030	-वही-	120300	50	

1	2	3	4	5	6
111.	साहित्य सेवा मंडल वीटा - सांगली - 415311	-वही-	120300	25	
112.	आदिवासी सहज शिक्षण परिवार पोस्ट मास्वन तालुक पलधर जनपद - थाणे 401-404	-वही-	118912	25	
113.	चेतना विकास पो० ओ० गोपुरी जनपद - वर्धा महाराष्ट्र - 442114	-वही-	191990	0	
114.	अहिल्या देवी होल्कर स्मारक संस्था तालुक पुसाड़ जनपद यवतमाल	-वही-	120040	50	
115.	यंग इडियन्स कार्यालय भवन न० 10 डी. एन. नगर अंधेरी (पश्चिम) बम्बई - 400058	-वही-	111903	25	
उडीसा					
116.	मंडल पोखरी युवक संघ एट/ पी. ओ. मंदारी जनपद - बालासोर उड़ीसा- 756125	-वही-	210080	50	
117.	नेताजी युवक संघ बाली पोखरी ग्रा० पो० परमानन्दपुरम वाया अखुवापाड़ा जनपद- बालासोर उड़ीसा- 756122	-वही-	105539	50	
118.	गांधी सेवाश्रम ग्रा० पो० जलेस्वर जनपद- बालासोर उड़ीसा- 756032	-वही-	349840	100	

1	2	3	4	5	6
119.	लोक शक्ति ग्रा० पो० श्री कान्तपुर जनपद- बालासोर उड़ीसा- 756001	-वही-	154326		100
120.	राधानाथ पाठघर ग्रा० पो० सोरो जनपद - बालासोर उड़ीसा-756045	-वही-	120040	50	
121.	पल्ली मंगल युवक संघ ग्रा० डा० नयापल्ली पो० देवली जनपद- पुरी उड़ीसा-752064	-वही-	251152	50	
122.	भागवत पाठघर ग्रा. पो. सालेपाली वाया-जड सिंघा जनपद - बालंगीर उड़ीसा - 767067	-वही-	249793	50	
123.	ग्राम मंगल पाठघर वाया जड़ सिंघा जनपद - बोलंगीर उड़ीसा - 767067	-वही-	240091	100	
124.	रामजी युवक संघ ग्रा०/पो० सदियापाली वाया चन्दन घाटी जनपद-बोलंगीर उड़ीसा - 767065	-वही-	474069	100	
125.	श्री श्री शरदेश्वरी पाठघर ग्राम० खर्दा पो० तुसरा जनपद-बोलंगीर उड़ीसा 767030	-वही-	128628	50	
126	बापू जी पाठघर गाव व डाकघर सूखा जनपद-बोलंगीर उड़ीसा-767064	-वही-	257263	50	

1	2	3	4	5	6
127.	पालिश्री गांव व डाकघर घासीपुर वाया-बांकी जनपद-कटक, उड़ीसा 754008	-वही-	239896	50	
128.	आंचलिक बल्देव जीव स्वैच्छिक एजेन्सी गांव व डाकघर- अलकुंड नौगाँव, वाया प्रिति जनपद-कटक उडीसा-755013	-वही-	120070	25	
129.	लोक नायक क्लब गांव व डाकघर पातापुर वाया बांकी जनपद-कटक, उड़ीसा	-वही-	238595	100	
130.	कटक जिला हरिजन आदिवासी सेवा संस्कार योजना छत्ता गांव (हाफीमेलक) डाक-फकीराबाद वाया- ठाकुर पटना जनपद-कटक, उड़ीसा 754250	-वही-	240073	50	
131	ग्रामीण विकास समिति गांव व डाक के० बी० दंडुआ वाया-मह काल पाड़ा जनपद-कटक उड़ीसा-754224	-वही-	239909	100	
132.	नव ज्योति गांव व डाक-गेरूदगन वाया-कोटसाही जनपद- कटक उडीसा-754141	-वही-	217039	50	
133.	लुथेरॉ महिला समिति उगांव व डाक पाटली पंक वाया कुजंग जनपद-कटक, उडीसा-75414	-वही-	256736	50	

1	2	3	4	5	6
134.	अल्प आय उत्थान केन्द्र मूथ दांड (डाकघर के निकट) चौउ कुमार जनपद-कटक, उड़ीसा 754222	-वही-	125904	50	
135.	अंत्योदय सेवा केन्द्र गांव रामचन्द्र पुर डाकघर-पुराना वसंत वाया-नालीबार जनपद-कटक उडीसा-754104	-वही-	223386	50	
136.	कटक जिला महिला विकास समिति गांव-आंध्रपुर डाक-कल्याणीनगर जनपद कटक उड़ीसा-753013	-वही-	115046	25	
139.	अन्तर्राष्ट्रीय आश्लीलता नियंत्रण आन्दोलन बिदानासी सोवानियां नगर डाकघर तथा जिला कटक उड़ीसा-753008	-वही-	257431	50	
138.	-वही	-वही-	-127403	45	
139.	जाजपुर हरिजन सेवा समिति गांव व डाक-अहियास जनपद-कटक उड़ीसा 755036	-वही-	301470	25	
140.	उत्कल नवजीवन मंडल गांव व डाकघर अंगुल जनपद-देनकानल उड़ीसा-759122	-वही-	432123	10	
141.	ग्रामीण पुनर्निर्माण युवक संघ गांव व डाक बोइन्दा जनपद उडीसा-759127	-वही-	241063	50	

1	2	3	4	5	6
142.	न्यासाद्री गांव व डाक शांतापुर वाया-गोंदिया वाया -देनकानल उडीसा-759016	-वही-	119977	25	
143.	जातीय युवक संघ गाव ओलेन्दा, डाक कुलमा जनपद-देनकानल उड़ीसा-759117	-वही	119120	25	
144.	लोक सहभगी कार्य अनुसंधान संस्थान गांव व डाक महिमागाड़ी जनपद-देनकालन उड़ीसा-759014	-वही-	440818	100	
145.	सामाजिक सेवा सदन गांव बंझी कुसुम डाकघर-महिसापत जनपद देनकालन उड़ीसा-759001	-वही-	154115	100	
146.	प्रगति पाठघर जनपद गंजाम उड़ीसा-761119	-वही-	127902	50	
147.	बनदेवी सेवासदन ग्राम/डाकघर कबि सूर्यानगर जनपद. गंजाम उड़ीसा-761004	-वही-	221793	50	
148.	जयन्ती पाठघर डाकघर नवपाड़ा जनपद गंजाम उड़ीसा-761011	-वही-	442230'	100	
149.	अन्त्योदय चेतना केन्द्र पोस्ट-हडगढ़ जनपद कयोंझार उड़ीसा-758023	-वही-	372785	50	

1	2	3	4	5	6
150.	हौना कुष्ट अनुसंधान ट्रस्ट पोस्ट बेग- I, मुनिगुड़ा जनपद कोरापुट उड़ीसा-765020	-वही-	444652	100	
151.	स्वास्थ्य शिक्षा तथा विकास समिति पोलीटक्निक रोड़, रायगढ जनपद-कोरापुट उड़ीसा-765001	-वही-	443687	100	
152.	इंडियस रूरल रिंकस्ट्रकशन एण्ड डिसेस्टर रिझाप्रोंस सर्विस ग्राम/डाकघर कोलनारा वाया रामगढ उड़ीसा-765012	-वही-	437240	100	
153.	जागरण ग्रा./डाक गुडारी जनपद कोरापुट उड़ीसा-765026	-वही-	240300	100	
154.	सर्वोदय समिति डाकघर. गांधी नगर जनपद कोरापुट उड़ीसा-764020	-वही-	103761	50	
155.	अग्रगामी ग्राम/डाकघर काशी पुर जनपद कोरापुट उड़ीसा-765013	-वही-	222900	100	
156.	जागृत श्रमिक संगठन ग्राम/डाकघर खरियार जनपद कालाहांडी उड़ीसा-766107	-वही-	213214	50	
157.	विश्वास, स्वामी विवेकान्नद सामाजिक कार्य तथा सम्बद्ध सेवा संस्थान कालीनीवास खरियार जनपद-कालाहांडी उड़ीसा-766104	-वही-	103605	0	
158.	वीणापरणि युवक संघ ग्राम वट्पोंडुगोंडी डाकघर-खैरी जशीपुर जनपद मयुरगभंज उड़ीसा-757091	-वही-	239215	50	

1	2	3	4	5	6
159.	विशाल युवक कलब विशाल डाकघर-संबीसोल वाया-कम्टीपाड़ा जनपद-मयूरभज उड़ीसा-757040	-वही-	159074		
160.	अंत्योदय चेतना मंडल गांव-रंगामटिया डाकघर-पाटागोडिया वाया राशगोविन्दपुर जनपद मयूरभंज उड़ीसा-757016	-वही-	273285	100	
161.	टेगौर ग्रामीण विकास समिति 101, बापूजी नगर भुवनेश्वर-751009 उड़ीसा	-वही-	426919	100	
162.	ग्रामीण शिक्षा तथा परिवर्तन के लिए कार्य जगमारा डाकघर खंडीगिरी भुवनेश्वर उड़ीसा-751009	-वही-	116588	100	
163.	टैगोर ग्रामीण विकास समिति 101 बापूजी नगर भुवनेश्वर-751009	-वही-	334562	100	
164.	सामुदायिक कल्याण तथा उत्थान समिति एम. आई. जी. I I, 38/I हाउसिंग बोर्ड कालोनी चन्द्रशेखरपुर भुवनेश्वर उड़ीसा-751016	-वही-	106766	50	
165.	गोपीनाथ युवा संघ अली सीसासन डाकघर दारदा वाया-बालीपटना जनपद-पुरी उड़ीसा-752102	-वही-	235346	50	
166.	उत्कलमणि सेवा संघ डाकघर बदसिराईपुर जनपद पुरी उड़ीसा-752031	-वही-	257480	50	

1	2	3	4	5	6
167.	भवानीशंकर क्लब ग्राम गनपुर डाकघर सिमौर वाया बद्यमारी जनपद-पुरी उड़ीसा-752061	-वही-	447592	100	
168.	रूचिका स्कूल 14, फारेस्ट पार्क भुवनेश्वर उड़ीसा-751009	-वही-	120300	25	
169.	नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान ग्राम/डाकघर-दया बिहार (कानास) जनपद पुरी उड़ीसा-752017	-वही-	472850	100	
170.	युवा ज्योति क्लब गांव कुमनडोल डाकघर नैरी जनपद पुरी उड़ीसा-752029	-वही-	119683	25	
171.	युवक तथा सामाजिक विकास केन्द्र 65, सत्य नगर भुवनेश्वर उड़ीसा-751007	-वही-	431760	100	
172.	गनिया उन्नयन कमेटी जनपद पुरी उड़ीसा-752085	-वही-	255870	50	
173.	विकास 298, शहीद नगर भुवनेश्वर उड़ीसा-751007	-वही-	100876	50	
174.	विद्युत क्लब हल्दीपाड़ा लोकपाल डाकघर हल्दीपाड़ा वाया बाजपुर जनपद पुरी उड़ीसा-752060	-वही-	979024	100	
175.	भैरबी क्लब ग्राम कुरूमपाड़ा डाकघर हाडापाड़ा वाया नारंगगढ़ जनपद पुरी, उड़ीसा-752018	-वही-	239497	50	

1	2	3	4	5	6
176.	नारी शक्ति समाज ग्राम कुजीमहल डाकघर-चन्दका जनपद-पुरी, उड़ीसा-752015	-वही-	209802	50	
177.	दहीखाई युवक संघ ग्राम डाकघार लोध चुहा जनपद-पुरी, उड़ीसा-752026	-वही-	350789	50	
178.	युवक तथा समन्वित विकास केन्द्र पो. बा. नं. 30 मोची साही स्क्वायर जनपद-पुरी उड़ीसा-752001	-वही-	304233	50	
179.	आचार्य हरिहर शिशु भवन उड़ीसा	-वही-	421910	100	
180.	बाल्मीकेश्वर युवक संघ ग्राम/डाकघर-भालीपाडा वाया-नारंगढ़ जनपद-पुरी उड़ीसा-752018	-वही-	119637	50	
181.	टैगोर ग्रामीण विकास समिति 101, बापूजी नगर भुवनेश्वर उड़ीसा-751009	-वही-	327955	100	
182.	युवक तथा सामाजिक विकास केन्द्र 65, सत्य नगर भुवनेश्वर उड़ीसा-751007	-वही-	460589	100	
183.	आंचलिक कुजेश्वरी सांस्कृतिक संसद ग्राम सवांचल पो० कनास जिला-पुरी उड़ीसा-752017	-वही-	223736	50	
184.	धाकोठा युवक संघ ग्रा०/पो० धाकोठा। जिला-क्योंझर उड़ीसा-758049	-वही-	419816	100	

1	2	3	4	5	6
185.	राष्ट्रीय समाज कार्य तथा सामाजिक विज्ञान संस्थान सूर्य नगार भुवनेश्वर उड़ीसा-७५१००३	-वही-	217451	100	
186.	युवा तथा समाज विकास केन्द्र 65, सत्यनगर भुवनेश्वर उड़ीसा-751057	-वही-	280432	0	
187.	वनवासी सेवा समिति ग्राम/पो० बल्लीगुडा जिला फुलबनी उड़ीसा-762103	-वही-	240080	50	
188.	सुभद्रा महताब सेवा समिति ग्राम/पो० जी. उदयगिरी, जिला फूलबनी उड़ीसा-762100	-वही-	वही	100	
189.	धुमूसर महिला संगठन ग्राम/पोस्ट जी. उदयगिरी जिला फूलबनी उड़ीसा-762100	-वही-	239129	100	
190.	वाग्देवी क्लब ग्राम मुकुंडपुर पो० जतहापंक वाया बौध जिला-फूलबनी उड़ीसा-762030	वही-	207786	50	
191.	मानव संसाधन तथा मरिस्थिति की विकास सोसाइटी, ग्राम/पो. कुंडी महल वाया-बधिया वहला जिला-फूलबनी उड़ीसा-762030	-वही-	441201	100	
192.	समन्वित ग्राम उन्नयन समिति ग्राम/पोस्ट जी उदयगिरि जिला फूलबनी उड़ीसा	-वही-	243037	50	

1	2	3	4	5	6
193.	विवेकानंद पल्ली अग्रगामी सेवा प्रतिष्ठान ग्राम फेल्हीपामी मो० गोछारा वाया कुचिंदा जिला संवलपुर उड़ीसा-768222	-वही-	458767	100	
194.	श्री सत्य साई सेवा समिति ग्र०/पो० देव भुवनपुर वाय काली शंकर जिला सुंदर गढ	-वही-	239916	50	
195.	ओल्ड राउरकेला शिक्षा सोसाइटी ग्रा० बाली जोड़ी पो० राउर केला जिला सुंदर गढ उड़ीसा-769016	-वही-	467678	100	
196.	धर्मानन्द युवक संघ ग्राम सिव्यी पानी पो. धाअड़ीही जिला सुन्दरगढ उड़ीसा-770022	-वही-	237122	50	

1	2	3	4	5	6
	राजस्थान				
197.	अजमेर प्रौढ़ शिक्षा संघ, शास्त्री नगर एक्सटेंशन, विद्युत मार्ग, अजमेर, राजस्थान -305006	-वही-	194235	0	
198.	अजमेर प्रौढ़ शिक्षा संघ ई. पी. आई. शास्त्री नगर एक्सटेंशन विद्युत मार्ग, अजमेर-305006	-वही-	354693	100	
199.	भीलवाड़ा जिला प्रौढ़ शिक्षा संघ, 6/199 सिन्धु नगर, भीलवाड़ा-311001	-वही-	444673	100	
200.	बीकानेर प्रौढ़ शिक्षा संघ, सरस्वती पार्क, पो. बा. नं.-28, बीकानेर-334001	-वही-	120040	50	
201.	गांधी विद्या मंदिर, सरदार शहर, जिला चुरू	-वही-	425475	100	
202.	भोरूका दान न्यास, भोरू ग्राम, जिला चुरू	-वही-	427242	100	
203.	लोक शिक्षण संस्थान, पी-87, गंगोरी बाजार, जयपुर	-वही-	1045437	50	
204.	जोधपुर प्रौढ़ शिक्षा संघ, गांधी भवन, रेजीडेंसी रोड़, जोधपुर	-वही-	164081	100	
205.	ग्रामीण विकास विज्ञान समिति पो० आ० जेलु गगाड़ी, वाया तीनवाड़ी जिला जोधपुर	-वही-	397095	100	
206.	जिला प्रौढ़ शिक्षा संघ कोटा, प्रौढ़ शिक्षा भवन, 13, झलावर रोड़, कोटा, राजस्थान-324005	-वही-	148245	0	
207.	जिला प्रौढ शिक्षा संघ 13, झलावर रोढ़, कोटा,	-वही-	222900	100	

1	2	3	4	5	6
208.	राजस्थान विद्यापीठ, लोक शिक्षा प्रतिष्ठान, प्रताप नगर, उदयपुर-313001	-वही-	103700	50	
209.	राजस्थान महिला विद्यालय ज्ञान मार्ग, गुलाब बाग के निकट, उदयपुर-313001	-वही-	124264	100	
	तमिलानाडु				
210.	जी आर डी न्यास कलईकधीर विल्डिंग, अवनाशी रोड़ कोयम्बटूर	-वही-	476775	100	
211.	मीनाक्षी इल्लम पोयूनाला कालवी संगम, नंदीकोविलप ट्टी, मेलूर, पो. औ.-625106 जिला मदुरै	-वही-	120300	25	
212.	टैगोर शिक्षा संस्था विंदीवनम, जिला दक्षिण आकोट, दक्षिण अकोट-604001	-वही-	220884	100	
213.	क्रिस्तानी शैक्षिक विकास संस्था 12,नपालय क्षेत्र, विल्लुपुरम-605602, दक्षिण अर्कोट जिला	-वही-	180059	25	
214.	मधर नाला धेन्डु, निरूवनम, तिरूवेन्दिपुरम, मैनरोड़, पधिरीकुप्पम कुड्डल्लोर-607401 दक्षिण अर्कोट जिला	-वही-	222900	90	
215.	कांगेशन आफ दी सिस्टर्स आफ दी क्रास आफ चावनोद, पो०बा० नं. 395, ओल्ड गुडस शेड रोड़, टेप्पाकुलम तिरूचिरापल्ली-620002.	-वही-	359255	50	
216.	शिक्ष एवं विकास लीग, 7 फर्स्ट स्ट्रीट रायर धोप्पू, श्री रामपुरम, श्री रंगम, तिरूचिरापल्ली-620006	-वही-	220561	50	
217.	अननाड वेलालर संगम, 1 और 2 सन्नाधी स्ट्रीट, तिरूवेनाइकोयल-620005- त्रिची जिला।	-वही-	222900	100	

1	2	3	4	5	6
218.	डा० ऐनी वेसेन्ट महालीर मन्दरम, 64, मंगाम्मल गार्डन, न्यू वाशरमनपेट, मद्रास-600081.	-वही-	133050	25	
219.	भारतीय महिला संघ, 43, ग्रीनवेज रोड़, मद्रास-600028	-वही-	118185	50	
220.	वूमैन वालेन्टरी सर्विस आफ तमिलनाडु 19 मेयर वी आर रामनाधन रोड, वेटपेट, मद्रास-600031. उत्तर प्रदेश	-वही-	408610	90	
221.	लोक विकास संस्थान, 115 दरभंगा कालोनी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।	-वही-	245399	100	
222.	महिला उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र 262/4, सालिकगल रोड़, मुठ्ठीगंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	-वही-	120127	25	
223.	समाज उत्थान एवं अनुसंधान संस्थान, 186, बी, रानी मंडी, इलाहाबाद।	-वही-	120300	25	
224.	अखिल भारतीय शिशु देखरेख तथा शैक्षिक विकास संस्थान, आजमगढ़।	-वही-	222183	100	
225.	भारतीय साक्षरता बोर्ड, साक्षता भवन, आलमबाग, लखऊ।	-वही-	1644581	400	
226.	मयाना ग्राम उद्योग सेवा संस्था मुरारी नगर, जी० टी० रोड़, खुर्जा, उत्तर प्रदेश।	-वही-	219135	100	
227.	बाल कल्याण केन्द्र, पिण्डरा, जिला देवरिया,।	-वही-	445409	100	

1	2	3	4	5	6
228.	जन कल्याण शिक्षा समिति, ग्राम एवं पो० आ. भधाहिन, खुर्द, (लाला) जिला देवरिया।	-वही-	429866	100	
229.	सामाज कलयाण शिक्षा संस्थान, ग्राम करवानाही, पो० आ० नाकातोहन, मिश्रा, जिला देवरिया।	-वही-	172819	25	
230.	जन कल्याण शिक्षा समिति, वी. पी. ओ. भशाहिन, खुर्द, (लाला) फाजिलनगर, जिला देवरिया।	-वही-	255900	100	
231.	स्वामी आतमदेव गोपालानंद शिक्षा संस्थान, ऊगरपुर, डा० पिपेरगांव, जिला फरूखाबाद।	-वही-	115300	25	
232.	मध्यम सत्यकाम शिक्षा केन्द्र, विजयनगर कालोनी, गोरखनाथ रोड, गोरखपुर।	-वही-	239401	50	
233.	मध्यम सत्यकाम शिक्षा केन्द्र विजयनगर कालोनी, गोरखनाथ रोड, गोरखपुर।	-वही-	255900	100	
234.	शहीद स्मारक सोसाइटी, ई-1698, राजाजीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।	-वही-	444418	100	
235.	इरशाद अकादमी 606 जैदी नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश	-वही-	119648	25	
236.	सर्वदलीय मानव विकास केन्द्र, विबहजोई, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।	-वही-	396590	100	
237.	राना बेनी माधव जन कल्याण समिति, गुलाव रोड, राय बरेली, उत्तर प्रदेश।	-वही-	397236	100	
238.	अमेठी महिला स्वैचालिक सेवा समिति, अमेठी, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश।	-वही-	162450	25	

1	2	3	4	5	6
239.	बनवासी सेवा आश्रम गोविन्दपुरम, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश-231221	-वही-	307206	0	
240.	जनजाति विकास समिति, रेलवे स्टेशन रोड, रोबर्टगंज, मिर्जापुर।	-वही-	240080	5(	
241.	बनवासी सेवा आश्रम, गोविन्दपुर, वाया तुर्रा, सोनभद्र।	-वही-	1629955	400	
242.	सर्वोदय शिक्षा सदन समिति, रेलवे स्टेशन रोड, शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद।	-वही-	239922	50	
	पश्चिम बंगाल,				
243.	मझेरदंगा कृष्णनरदाना आदिवासी डेजीमेगी, त्रिलागोन्टा, गांव मझरदंगा, डा० खलाग्राम, जिला बनकुरा।	-वही-	142390	50	
244.	विश्व भारती जिला संसाधन इकाई, डा० श्रीनिकेतन, बीरभूम, पश्चिम बंगाल-731236	-वही-	268124	0	
245.	ग्राम कल्याण संस्था डा० पंचरूल, हावडा,	-वही-	239045	50	
246.	श्री रामकृष्ण सत्य आनन्द आश्रम, ग्राम जिरकपुर, डा० बसीरहट, रेलवे स्टेशन, जिला 24 परगना।	-वही-	1689289	300	
247.	ग्रामीण विकास टैगोर सोसाइटी, 14, खुदीराम बोस रोड, कलकत्ता।	-वही-	208941	50	
248.	कलकत्ता शहरी सेवा संघ, 16, सुद्दर स्ट्रीट, कलकत्ता।	-वही-	229221	100	
249.	कलकत्ता शहरी सेवा संघ 16, सुद्दर स्ट्रीट, कलकत्ता,	- ।	225970	100	

1	2	3	4	5	6
250.	समतात संस्था, 172 रास बिहारी एवेन्यू, फ्लैट नं०-302, कल्कत्ता-700029,	-वही-	205442	50	
251.	ग्रामीण विकास टैगोर सोसाइटी, 14, खुदीराम बोस रोड, कलकत्ता।	-वही-	226814	100	

वर्ष 92-93 के दौरान प्रयोगात्मक तथा नवाचारी कार्यक्रमों के लिए योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष स्वैच्छिक एजेंसियों को जारी किए गए एक लाख रु० और उससे ऊपर की राशि के अनुदानों के व्यौरे का विवरण।

क्रम सं०	पता सहित एजेंसी संगठन का नाम	संगठन के संक्षिप्त कार्य कलाप	अनुदान सहायता राशि 1992-93 (रु०)	अनुदानों का उद्देश्य जिसके लिए प्रयोग में लाया गया	कैफियत
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	भागवातुल्ला धमार्थ न्यास येलामन चिल्ली	शैक्षिक	17,35,043	प्रयोगात्मक नवाचारी कार्यक्रम के लिए	
2.	श्रमिक विद्यापीठ हैदराबाद	-वही-	3,50,325	-वही-	
3.	डेकन विकास सोसाइटी	-वही-	1,31,620	-वही-	
4.	अंतोदया लोक करयाकर्म (आलोक) बिहार	-वही-	9,02,700	-वही-	
5.	समन्वय आश्रम बोध गया बिहार	-वही-	7,11,000	-वही-	
6.	लेडी इरविन कालेज, दिल्ली	-वही-	6,08,715	-वही-	
7.	सामाजिक विश्लेषण एवं जन संचार संस्थान. ओखला, नई दिल्ली	-वही-	5,94,295	-वही-	
8.	अवेही, बम्बई	-वही-	1,50,354	-वही-	
9.	भारतीय शैक्षिक संस्थान पुणे	-वही-	17,32,202	-वही-	
10.	समुदाय स्वास्थ्य अनुसंधान प्रतिष्ठान बम्बई	-वही-	1,23,949	-वही-	
11.	राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे	-वही-	2,39,875	-वही-	
12.	एकलव्य, भोपाल	-वही-	14,10,600	-वही-	
13.	दिशा न्यास, रायपुर	-वही-	1,43,845	-वही-	
14.	स्वायम झबुआ जिला अलीराज पुर मध्य प्रदेश	-वही-	2,87,000	-वही-	
15.	एम पी. भारत ज्ञान विज्ञान, भोपाल	-वही-	2,18,000	-वही-	
16.	अग्रगामी, काशीपुर उड़ीसा	-वही-	6,61,877	-वही-	
17.	कमजोर वर्ग कल्याण सोसाइटी	-वही-	2,43,600	-वही-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
18.	दिगान्तर शिक्षा एवम् खेल कूद समिति	-वही-	5,77,964	-वही-	
19.	बोध शिक्षा समिति, जयपुर	-वही-	8,18,572	-वही-	
20.	कृष्णा मूर्ति प्रतिष्ठान, भारत मद्रास	-वही-	4,93,053	-वही-	
21.	जनकल्याण आश्रम शाहजंहा पुर, उ० प्र०	-वही-	2,03,800	-वही-	
22.	मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता	-वही-	2,84,305	-वही-	
23.	मशी हीरा राष्ट्रीय बेसिक संस्था पुरूलिया, पश्चिम बंगाल	-वही-	2,83,194	-वही-	
24.	मानव कल्याण प्रतिमान, सम्बलपुर	-वही-	1,00,000	-वही-	

विवरण संख्या 1

क्षेत्र, जिलों की संख्या और खंडो की संख्या और जनसंख्या का घनत्व-1991

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	क्षेत्र (वर्ग कि० मी०)	जिलों की संख्या	बसे हुए गांवो की संख्या	घनत्व (जनसंख्या)/ प्रतिवर्ग कि० मी० 1981	1991
	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	275045	23	26613	195	242
अरूणाचल प्रदेश	83743	11	3257	8	10
असम	78438	23	21995	230	286
बिहार	173877	42	65566	402	497
गोवा	3702	2	398	272	316
गुजरात	196024	19	18569	174	211
हरियाण	44212	16	6759	292	372
हिमाचल प्रदेश	55673	12	16997	77	93
जम्मू और कश्मार	222236	14	6503	59	76
कर्नाटक	191791	20	27024	194	235
केरल	38863	14	1268	655	749
मध्य प्रदेश	443446	45	33065	118	149
महाराष्ट्र	307713	31	43020	204	257
मणिपुर	22327	8	2182	64	82
मेघालय	22429	5	4874	60	79
मिज़ोरम	21081	3	701	23	33
नागालैण्ड	16579	7	1112	47	73
उड़ीसा	155707	13	46989	169	203
पंजाब	50362	12	12188	333	403
राजस्थान	342239	27	34968	100	129
सिक्किम	7096	4	440 (a)	45	57
तमिलनाडु	130058	22	16448	372	429
त्रिपुरा	10486	3	860	196	263
उत्तर प्रदेश	294411	63	112057	377	473
पश्चिम बंगाल	88752	17	38454	615	767
अ. व नि. द्वीप समूह	8249	2	491	23	34
चण्डीगढ़	114	1	26	3961	5632
दादर व नागर हवेली	491	1	71	211	282
दमन व द्वीप	112	2	26	705	907
दिल्ली	1483	1	258	4194	6352
लक्ष्यद्वीप	32	1	10	1258	1616
पांण्डिचेरी	492	4	291	1229	1642
भारत	3287263	468	543480	216	274

पाकिस्तान तथा चीन द्वारा गैर कानूनी तौर पर अधिकृत क्षेत्र शामिल है।

(a) मंडलों की संख्या

विवरण संख्या 2

साक्षरतादर-भारत: 1951-1991

वर्ष	व्यक्ति	पुरूष	महिलाएं
1951	18.33	27.16	8.86
1961	28.31	40.40	15.34
1971	34.45	45.95	21.97
1981	43.67	56.50	29.85
1991	52.19	64.20	39.19

टिप्पणी:

1. वर्ष 1951, 1961 तथा 1971 की साक्षरता अनुपात पाचँ वर्ष औरइससे अधिक उम्र वाली जनसंख्या से संबंधित है। वर्ष 1981 और 1991 का यह अनुपात सात वर्ष और इससे अधिक उम्र वाली जनसंख्या से संबंधित है।
2. वर्ष 1981 के अनुपात में असम शामिल नहीं है क्योंकि वहां 1981 की जनगणना नहीं हो पायी थी वर्ष 1991 की जनगणना में जम्मू और कश्मीर को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वहां अभी 1991 की जनगणना पूरी नहीं हो पाई है।

विवरण सं. 3

सात वर्ष और इससे अधिक की आयु की जनसंख्या में साक्षरों और निरक्षरों का पुरूष महिला तथा क्षेत्रवार विभाजन 1981-1991

वर्ष/क्षेत्र	साक्षर			निरक्षर		
	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं
1981*						
	234.15	157.08	77.07	302.06	120.96	181.10
सभी क्षेत्र	(43.6)	(56.5)	(29.8)	(56.4)	(43.5)	(70.2)
	146.60	103.51	43.09	259.59	104.80	154.79
ग्रामीण क्षेत्र	(36.1)	(49.7)	(21.8)	(63.9)	(50.3)	(78.2)
	87.55	53.57	33.98	42.47	16.16	26.31
शहरी क्षेत्र	(67.3)	(76.8)	(56.4)	(32.7)	(23.2)	(43.6)
1991**						
	349.76	223.70	126.06	320.41	124.77	195.64
सभी क्षेत्र	(52.2)	(64.2)	(39.2)	(47.8)	(35.8)	(60.8)
	218.32	146.38	71.94	271.81	106.69	165.12
ग्रामीण क्षेत्र	(44.5)	(57.8)	(30.3)	(55.5)	(42.2)	(69.7)
	131.44	77.32	54.12	48.60	18.08	30.52
शहरी क्षेत्र	(73.1)	(81.0)	(63.9)	(26.9)	(19.0)	(36.1)

* इससें असम शामिल नहीं है जहां 1981 की जनगणना नहीं हुई थी।

** इसमें जम्मू-कश्मीर शामिल नहीं है, जहां 1991 की जनगणना नहीं हुई थी। 1991 की सक्षरता दरें और अशिक्षित की संख्या 7 वर्ष और उससे अधिक आयु की अनुमनित जनसंख्या पर आधारित है।

नोट: कोष्ठक में दिए जाए आँकड़े सम्बंधित जनसंख्या का प्रतिशत दर्शोत है।

स्रोत: भारत की जनगणना, 1991-1991 का पेपर 2 (पृ. 51)

विवरण-4

सात वर्ष और इससे ऊपर की आयु वर्ग की अनुमानित जनसंख्या में साक्षरों की प्रतिशतता 1981 और 1991

राज्य संघ/ शासित क्षेत्र	1981 साक्षरतादर			1991 साक्षरतादर		
	व्यक्ति	पुरूष	महिलाएं	व्यक्ति	पुरूष	महिलाए
	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	35.66	46.83	24.16	44.09	55.13	32.72
अरूणाचल प्रदेश	25.55	35.12	14.02	41.59	51.45	29.6
असम	0.00	0.00	0.00	52.89	61.87	43.03
बिहार	32.05	46.60	16.52	38.48	52.49	22.89
गोवा	65.71	76.01	55.17	75.51	83.64	67.09
गुजरात	52.21	65.14	38.46	61.29	73.13	48.64
हरियाणा	43.88	58.51	26.93	55.85	69.10	40.47
हिमाचल प्रदेश	51.18	64.27	37.72	63.86	75.36	52.17
जम्मू और कश्मीर	32.68	44.18	19.55	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	46.21	58.73	33.17	56.04	67.26	44.34
केरल	81.56	87.73	75.65	89.81	93.62	86.13
मध्य प्रदेश	34.23	48.42	19.00	44.20	58.42	28.85
महाराष्ट्र	55.83	69.65	41.01	64.87	76.56	52.32
मणिपुर	49.66	64.15	34.67	59.89	71.63	47.60
मेघालय	42.05	46.65	37.17	49.10	53.12	44.85
मिजोरम	74.26	79.36	68.61	82.27	85.61	78.60
नागालैण्ड	50.28	58.58	40.39	61.65	67.62	54.75
उड़ीसा	40.97	56.45	25.14	49.09	63.09	34.68
पंजाब	48.17	55.56	39.70	58.51	65.66	50.41
राजस्थान	30.11	44.77	14.00	38.55	54.99	20.44
सिक्किम	41.59	53.00	27.38	56.94	65.74	46.69
तमिलनाडु	54.39	68.05	40.43	62.66	73.75	51.33
त्रिपुरा	50.11	61.49	38.01	60.44	70.58	49.65
उत्तर प्रदेश	33.35	47.45	17.19	41.60	55.73	25.31
पश्चिम बंगाल	48.65	59.93	36.07	57.70	67.81	46.56
अ.व नि. द्वीप समूह	63.19	70.29	53.19	73.02	78.99	65.46
चण्डीगढ़	74.81	78.89	69.31	77.81	82.04	72.34
दादर व नागर हवेली	32.70	44.64	20.37	40.71	53.56	26.98
दमन व द्वीप	59.91	74.47	46.50	71.20	82.66	59.40
दिल्ली	71.94	79.28	62.60	75.29	82.01	66.99
लक्षद्वीप	68.42	81.24	55.32	81.78	90.18	72.89
पांडिचेरी	65.14	77.09	53.03	74.74	83.68	65.63
भारत	43.67	56.50	29.85	52.19	64.20	39.19

* असम में वर्ष 1981 और जम्मू और कश्मार में 1991 में जनगणना नहीं हुई।

स्रोत: भारत की जनगणना, जनसंख्या का अन्तिम योग (1992 का पेपर -2)

विवरण -5

व्यक्तियों, पुरूषों महिलाओं के बीच साक्षरता दर सम्बन्धी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का अवरोही क्रम: 1991

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	साक्षरतादर	राज्य/ संघराज्य क्षेत्र	पुरूष साक्षरता दर	राज्य/ संघराज्य क्षेत्र	महिला साक्षरता दर
केरल	89.81	केरल	93.62	केरल	86.13
मिजोरम	82.27	लक्षद्वीप	90.18	मिजोरम	78.60
लक्षद्वीप	81.78	मिजोरम	85.61	लक्षद्वीप	72.89
चण्डीगढ	77.81	पांडीचरी	83.68	चण्डीगढ़	72.34
गोवा	75.51	गोवा	83.64	गोवा	67.09
दिल्ली	75.29	दमन और द्वीप	82.66	दिल्ली	66.99
पांडिचेरी	74.74	चण्डीगढ	82.04	पांडिचेरी	65.63
अ० और नि० द्वीप समूह	73.02	दिल्ली	82.01	अ० और नि० द्वीप समूह	65.46
दमन और द्वीप	71.20	अण्डमान और नि०	78.99	दमन और द्वीप	59.40
महाराष्ट्र	64.87	महाराष्ट्र	76.56	नागालैण्ड	54.75
हिमाचल प्रदेश	63.86	हिमाचल प्रदेश	75.36	महाराष्ट्र	52.32
तमिलनाडु	62.66	तमिलनाडु	73.75	हिमाचल	52.17
नागालैण्ड	61.65	गुजरात	73.13	तमिलनाडु	51.33
गुजरात	61.29	मणिपुर	71.63	पंजाब	50.41
त्रिपुरा	60.44	त्रिपुरा	70.58	त्रिपुरा	49.65
मणिपुर	59.89	हरियाणा	69.10	गुजरात	8.64
पंजाब	58.51	पश्चिम बंगाल	67.81	मणिपुर	47.60
पश्चिम बंगाल	57.70	नागालैण्ड	67.62	सिक्किम	46.69
सिक्किम	56.94	कर्नाटक	67.26	पश्चिम बंगाल	46.56
कर्नाटक	56.04	सिक्किम	65.74	मेघालय	44.85
हरियाणा	55.85	पंजाब	65.66	कर्नाटक	44.34
असम	52.89	भारत	64.20	असम	43.03
भारत	52.19	उड़ीसा	63.09	हरियाणा	40.47
मेघालय	49.10	असम	61.87	भारत	39.19
उड़ीसा	49.09	मध्यप्रदेश	58.42	उड़ीसा	34.68
मध्यप्रदेश	44.20	उत्तर प्रदेश	55.73	आन्ध्र प्रदेश	32.72
आन्ध्र प्रदेश	44.09	आन्ध्र प्रदेश	55.13	अरुणाचल प्रदेश	29.69
उत्तर प्रदेश	41.60	राजस्थान	54.99	मध्य प्रदेश	28.85
अरुणावल प्रदेश	41.59	दादर और न० हवेली	53.56	दादर और ना. वि.	26.98
दादर और ना. वि.	40.71	मेघालय	53.12	उत्तर प्रदेश	25.31
राजस्थान	38.55	बिहार	52.49	बिहार	22.89
बिहार	38.48	अरुणाचल प्रदेश	51.45	राजस्थान	20.44

विवरण संख्या 6
साक्षरतादर -1991

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सामान्य व्यक्ति	सामान्य पुरूष	सामान्य महिलाएं	अनुसूचित जातिया व्यक्ति	अनुसूचित जातिया पुरूष	अनुसूचित जातिया महिलाएं	अनुसूचित जनजातियां व्यक्ति	अनुसूचित जनजातियां पुरूष	अनुसूचित जनजातियां महिलाएं
1.	आन्ध्र प्रदेश	44.09	55.13	32.72	31.59	41.88	20.92	17.16	25.25	8.68
2.	अरूणाचल प्रदेश	41.59	51.45	29.69	57.27	66.25	41.42	34.45	44.00	24.94
3.	असम	52.89	61.87	43.03	53.94	63.88	42.99	49.16	58.93	38.98
4.	बिहार	38.48	52.49	22.89	19.49	30.64	7.07	26.78	38.40	14.75
5.	गोवा	75.51	83.64	67.09	58.73	69.55	47.51	42.91	54.43	29.01
6.	गुजरात	61.29	73.13	48.64	61.07	75.47	45.54	36.45	48.25	24.20
7.	हरियाणा	55.85	69.10	40.47	39.22	52.06	24.15	-	-	-
8.	हिमाचल प्रदेश	63.86	75.36	52.17	53.20	64.98	41.02	47.09	62.74	31.18
9.	जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	कर्नाटक	56.04	67.26	44.34	38.06	49.69	25.95	36.01	47.95	23.57
11	केरल	89.81	93.62	86.13	79.66	85.22	74.31	57.22	63.38	51.07
12.	मध्य प्रदेश	44.20	58.42	28.85	35.08	50.51	18.11	21.54	32.16	10.73
13.	महाराष्ट्र	64.87	76.56	52.32	56.46	70.45	41.59	36.79	49.09	24.03
14.	मणिपुर	59.89	71.63	47.60	56.44	65.28	47.41	53.63	62.39	44.48
15.	मेघालय	49.10	53.12	44.85	44.27	54.56	31.19	46.71	49.78	43.63
16.	मिजोरम	82.27	85.61	78.60	77.92	77.54	81.25	82.71	86.66	78.70
17.	नागालैण्ड	61.65	67.62	54.75	-	-	-	60.59	66.27	54.51
18.	उड़ीसा	49.09	63.09	34.68	36.78	52.42	20.74	22.31	34.44	10.21
19.	पंजाब	58.51	65.66	50.41	41.09	49.82	31.03	-	-	-
20.	राजस्थान	38.55	54.99	20.44	26.29	42.38	8.31	19.44	33.29	4.42
21.	सिक्किम	56.94	65.74	46.69	51.03	58.69	42.77	59.01	66.80	50.37
22	तमिलनाडु	62.66	73.75	51.33	46.74	58.36	34.89	27.89	35.25	20.23
23	त्रिपुरा	60.44	70.58	49.65	56.66	67.25	45.45	40.37	52.88	27.34
24	उत्तर प्रदेश	41.60	55.73	25.31	26.85	40.80	10.69	35.70	49.95	19.86
25.	पश्चिम बंगाल	57.70	67.81	46.56	42.21	54.55	28.87	27.28	40.07	14.98
26.	अ.व नि. द्वीप समूह	73.02	78.99	65.46	-	-	-	56.62	64.16	48.74

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सामान्य			अनुसूचित जातिया			अनुसूचित जनजातियां		
		व्यक्ति	पुरूष	महिलाएं	व्यक्ति	पुरूष	महिलाएं	व्यक्ति	पुरूष	महिलाएं
	चण्डीगढ़									
27.	दादर व नागर हवेली	77.81	82.04	72.34	55.44	64.74	43.54	-	-	-
28	दमन व द्वीव	40.71	53.56	29.98	77.64	88.03	66.61	28.21	40.75	15.94
29.	दिल्ली	71.20	82.66	59.40	79.18	91.85	67.62	52.91	63.58	41.49
30	लक्षद्वीप	75.29	82.01	66.99	57.60	68.77	43.82	-	-	-
31.	पांडिचेरी	81.78	90.18	72.89	-	-	-	80.58	89.50	71.72
32.		74.74	83.68	65.63	56.26	66.10	46.28	-	-	-
	भारत	52.19	64.20	39.19	37.41	49.91	23.76	29.60	40.65	18.19

स्रोत:. भारत की जनगणना 1991 जनसंख्या का योग (1992 का पेपर 2)
जम्मू और कश्मीर में जनगणना नहीं हुई थी।

विवरण सं० 7

अ० जा० की साक्षरता दर का अवरोही क्रम -1991 जनगणना

	राज्य/संघराज्य क्षेत्र	अनुसूचित जातियों की साक्षरता दरें
1	केरल	79.66
2	दमन और द्वीव	79.18
3	मिजोरम	77.92
4	दादर और नागर हवेली	77.64
5	गुजरात	61.07
6	गोवा	58.73
7	दिल्ली	57.60
8	अरुणाचल प्रदेश	57.27
9	त्रिपुरा	56.66
10	महाराष्ट्र	56.46
11	मणिपुर	56.44
12	पांडिचेरी	56.26
13	चंडीगढ़	55.44
14	असम	53.94
15	हिमाचल प्रदेश	53.20
16	सिक्किम	51.03
17	तमिलनाडु	46.74
18	मेघालय	44.27
19	पश्चिम बंगाल	42.21
20	पंजाब	41.09
21	हरियाणा	39.22
22	कर्नाटक	38.06
23	उड़ीसा	36.78
24	मध्यप्रदेश	35.08
25	आन्ध्र प्रदेश	31.59
26	उत्तर प्रदेश	26.85
27	राजस्थान	26.29
28	बिहार	19.49
29	जम्मू और कश्मीर (a)	-
30	नागालैण्ड*	-
31	अण्डमान और नि०*	-
32	लक्षद्वीप	-
	भारत	37.41

* अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नहीं है।

(a) जम्मू और कश्मीर में जनगणना नहीं हई है।

विवरण संख्या 8

1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर का अवरोही दर

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जन जातियों की साक्षरता दर
1.	मिजोरम	82.71
2.	लक्षद्वीप	80.58
3.	नागालैण्ड	60.5 9
4.	सिक्किम	59.01
5.	केरल	57.22
6.	अ० और नि० द्वीव समूह	56.62
7.	मणिपुर	53.63
8.	दमन और द्वीप	52.91
9.	असम	49.16
10.	हिमाचल प्रदेश	47.09
11.	मेघालय	46.71
12.	गोवा	42.91
13.	त्रिपुरा	40.37
14.	महाराष्ट्र	36.79
15.	गुजरात	36.45
16.	कर्नाटक	36.01
17.	उत्तर प्रदेश	35.70
18.	अरुणाचल प्रदेश	34.45
19.	दादर और नागर हवेली	28.21
20.	तमिलनाडु	27.89
21.	पश्चिम बंगाल	27.28
22.	विहार	26.78
23.	उड़ीसा	22.31
24.	मध्य प्रदेश	21.54
25.	राजस्थान	19.44
26.	आन्ध्र प्रदेश	17.16
27.	हरियाणा*	-
28.	पंजाब*	-
29.	चण्डीगढ़*	-
30.	दिल्ली*	-
31.	पाण्डिचेरी*	-
32.	जम्मू और कश्मीर (a)	-
	भारत	29.60

* अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या नहीं है।

(a) जम्मू और कश्मीर में जनगणना नहीं की जा सकी।

विवरण सं० 9

वर्ष 1951 के मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था की वृद्धि

वर्ष	प्राथमिक	अपर प्राथमिक	हाई/हायर सेके० स्कूल इंटर मी० प्रि०-डिग्री कालेज	सामान्य शिक्षा जूनियर कालेज	व्यावसायिक शिक्षा कालेज	विश्वविद्यालय
1950-51	209671	13596	7416	370	208	27
1960-61	330399	49663	17329	967	852	45
1970-71	408378	90621	37051	2285	992	82
1980-81	494503	118555	51624	3421	1317	110
1990-91 (अ)	558392	146636	78619	4862	886*	184**
1991-92 (अ)	565786	152077	81747	5058	950*	196**
1992-93 (अ)	572541	153921	84086	5334	989*	207**

* चिकित्सा, इंजीनियरी और शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के आंकड़े शामिल हैं।

** समविश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय महत्त्व की संस्थाएं शामिल हैं।

(अ) अस्थायी

विवरण सं० 10

वर्ष 1951 से स्कूल स्तर पर स्तरों/कक्षाओं में लिंगवार दाखिला

(लाखों में)

	प्राइमरी			अपर प्राइमरी			हाई/हायर सैकेण्डरी		
वर्ष	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़किया	योग	लड़के	लड़कियां	योग
1950-51	138	54	192	26	5	31	13	2	15
1960-61	236	114	350	51	16	67	27	7	34
1970-71	357	213	570	94	39	133	49	17	66
1980-81	453	285	738	139	68	207	76	32	108
1990-91(अ)	581	410	991	209	124	333	140	69	209
1991-92(अ)	592	424	1016	214	130	344	142	70	212
1992-93(अ)	605	449	1054	237	150	387	150	77	227

अ०–अस्थायी

विवरण संख्या 11
स्कूल के प्रकार के अनुसार वर्ष 1951 शिक्षकों का वितरण

वर्ष	प्राइमरी			अपर प्राइमरी			हाई/हायर सैकेण्डरी		
	पुरूष	महिलाएं	योग	पुरूष	महिलाएं	योग	पुरूष	महिलाएं	योग
1950-51	456	82	538	73	13	86	107	20	127
1960-61	615	127	742	262	83	345	234	62	296
1970-71	835	225	1060	463	175	638	474	155	629
1980-81	1021	342	1363	598	253	851	658	254	912
1990-91(अ)	1167	470	1637	706	353	1059	857	416	1273
1991-92(अ)	1194	499	1693	718	354	1072	880	430	1310
1992-93(अ)	1189	493	1682	736	346	1082	908	445	1353

अ–अस्थायी

विवरण संख्या 13

विभिन्न स्तरों पर दाखिला - 1992-93 (30 सितम्बर 1992 की यथा स्थिति)

क्रम सं०	राज्य संघ/ शासित क्षेत	प्राथमिक लड़के	प्राथमिक लड़कियां	प्राथमिक कुल	मिडिल लड़के	मिडिल लड़कियां	मिडिल कुल	माध्य/उ० माध्य लड़के	माध्य/उ० माध्य लड़कियां	माध्य/उ० माध्य कुल	उच्चतर शिक्षा लड़के	उच्चतर शिक्षा लड़ककियां	उच्चतर शिक्षा कुल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	4423061	3424118	7847179	1417321	870373	2287694	947735	486371	1434106	187915	77757	265672
2.	अरूणाचल प्रदेश	71876	52217	124093	18201	11968	30169	12429	6356	18785	2422	683	3105
3.	असम	1926407	1697356	3623763	664236	491000	1155236	382988	260923	643911	80267	34343	114610
4.	बिहार	5878054	3016653	8894707	1579040	656866	2235906	1257866	275142	1533008	401154	94041	495195
5.	गोवा	70084	64069	134153	42548	36393	78941	33386	29262	62648	6914	7388	14302
6.	गुजरात	3406339	2576579	5982918	1224325	770906	1995231	755000	492000	1247000	228550	163900	392450
7.	हरियाणा	979327	814987	1794314	464169	298409	762578	383476	194764	578240	63690	34195	97885
8.	हिमाचल प्रदेश	370760	326430	697190	215000	168000	383000	133430	80980	214410	15317	6994	22311
9.	जम्मू और कश्मीर	473673	315581	789254	207338	120188	327526	113019	55713	168732	24802	14805	39607
10.	कर्नाटक	3247979	2860581	6108560	1094617	789124	1883741	894084	502945	1397029	213977	96605	310582
11.	केरल	1549805	1469380	3019185	976737	929962	1906699	555443	583228	1138671	51854	56036	107890

1	2	3	4	5
12. मध्य प्रदेश	4810030	3336092	8146122	2049000
13. महाराष्ट्र	5815331	5095836	10911167	2337651
14. मणिपुर	144910	123550	268460	43190
15. मेघालय	90889	83708	174597	28096
16. मिजोरम	59839	54422	114261	19880
17. नागालैण्ड	82016	73159	155175	31123
18. उड़ीसा	2225000	1555000	3780000	800000
19. पंजाब	1109245	957851	2067096	537649
20. राजस्थान	3598000	1699000	5297000	1307000
21. सिक्किम	39580	34917	74497	9713
22. तमिलनाडु	4267866	3667979	7935845	1928832
23. त्रिपुरा	219741	179690	399431	80992
24. उत्तर प्रदेश	9668446	6075954	15744400	3786751
25. पश्चिम बंगाल	5302000	4815000	10117000	2481000
26. अ.व नि. द्वीप समूह	22836	20927	43763	9935
27. चण्डीगढ	28678	25289	53967	15624

6	7	8	9	10	11	12	13
1154000	3203000	700175	261530	961705	176466	72827	249293
1698845	4036496	1802134	1045379	2847513	462349	229254	691603
37070	80260	41430	29930	71360	12642	8319	20961
25256	53352	19934	16900	36834	4454	2993	7447
17967	37847	10334	10185	20519	1014	463	1477
29527	60650	15137	11735	26872	2209	1110	3319
450000	1250000	682440	327815	1010255	69974	25773	95747
415832	953481	404767	289079	693846	49429	58509	107938
439000	1746000	776000	185000	961000	43826	22334	66160
8802	18515	5474	4213	9687	0	0	0
1480432	3409264	1075067	724823	1799890	170077	120659	290736
60003	140995	44119	29963	74082	7305	3916	11221
1653499	5440250	2556639	822960	3379599	368821	118205	487026
2122000	4603000	1139000	760000	1899000	196157	134837	330994
8449	18384	6705	5524	12229	1064	901	1965
13621	29245	20315	18000	38315	7099	6865	13964

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28.	दादर व नागर हवेली	10240	6694	16934	2934	1754	4688	1877	1103	2980	0	0	0
29.	दमन व द्वीप	6761	6002	12763	3687	3056	6743	2766	2009	4775	356	190	546
30.	दिल्ली	495135	432575	927710	283174	223542	506716	216982	168194	385176	79342	58068	137410
31.	लक्षद्वीप	4763	4010	8773	2129	1544	3673	1083	745	1828	0	0	0
32.	पांडिचेरी	55649	50290	105939	31375	27926	59301	19507	16636	36143	3267	2677	5944
	भारत	60454320	44915896	105370216	23693267	15015314	38708581	15010741	7699407	22710148	2932713	1454647	4387360

*इंजीनियरी (बी०ई०/बी० टक बी. आर्क), चिकित्सा (एम.बी.बी.एस) और ।शक्षक प्रशिक्षण के अलावा पी. एच. डी/ एम. फिल तथा सभी व्यावयायिक पाठ्यक्रमों में दाखिले के अलावा।
स्रोत:चुनिन्दा शैक्षिक आंकडें। 1992-93, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

विवरण संख्या 15

विभिन्न स्तरों पर नामांकन (अनुसूचित जाति) 1992-93

क्रम	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्राथमिक			मिडिल			माध्य/उ० माध्य			उच्चतर शिक्षा		
क्रम		बालक	बालिकाएं	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	880519	678971	1559490	245112	137595	382707	144446	60035	204481	23256	7439	30695
2.	अरूणाचल प्रदेश	67	32	99	2	1	3	6	2	8	0	0	0
3.	असम	250000	200000	450000	85000	70000	155000	40479	25988	66467	6242	2471	8713
4.	बिहार	807120	340469	1147589	166135	48938	215073	64163	11338	75501	0	0	0
5.	गोवा	1854	1606	3460	714	500	1214	405	257	662	67	32	99
6.	गुजरात	332957	254872	587829	117150	67569	184719	74005	37768	111773	19890	8880	28770
7.	हरियाणा	223580	180682	404262	80564	44677	125241	51941	17023	68964	5784	743	6527
8.	हिमाचल प्रदेश	96900	81900	178800	42370	28900	71270	22520	11480	34000	1288	324	1612
9.	जम्मू और कश्मीर	40985	29430	70415	17979	12883	30862	8101	3510	11611	830	345	1175
10.	कर्नाटक	588321	467749	1056070	164815	104365	269180	127871	55067	182938	22240	6932	29172
11.	केरल	177685	167320	345005	109057	102881	211938	59329	64442	12371	4603	4492	9095
12.	मध्य प्रदेश	700661	475886	1176547	298860	83692	382552	103905	26512	130417	16418	2949	19367

1		2	3	4	5	6
13.	महाराष्ट्र	884005	740006	1624011	329399	215465
14.	मणिपुर	2179	2194	4373	664	611
15.	मेघालय	1243	1004	2247	563	381
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0
17.	नागालैण्ड	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	440000	280000	720000	115000	70000
19.	पंजाब	406662	324489	731151	123299	81174
20.	राजस्थान	556000	210000	766000	184000	37000
21.	सिक्किम	2339	2068	4407	430	391
22.	तमिलनाडु	862307	714119	1576426	357036	261421
23.	त्रिपुरा	39580	33295	72875	13073	9227
24.	उत्तर प्रदेश	1693661	718171	2411832	574098	151874
25.	पश्चिम बंगाल	1189000	1021000	2210000	397000	362000
26.	अ.व नि. द्वीप समूह	0	0	0	0	0
27.	चण्डीगढ़	7911	6471	14382	2963	2456
28.	दादर व नागर हवेली	195	174	369	97	72

7	8	9	10	11	12	13
544864	249860	122720	372580	51542	17904	69446
1275	705	600	1305	270	214	484
944	673	352	1025	179	144	323
0	18	18	36	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
185000	61619	21278	82897	4777	1011	5788
204473	65506	37718	103224	6880	4780	11660
221000	126000	11000	137000	5066	299	5365
821	227	172	399	0	0	0
618457	181966	98714	280680	26546	13137	39683
22300	6680	3874	10554	780	303	1083
725972	381355	66348	447703	53580	4091	57671
759000	120254	50844	171098	17364	7753	25117
0	0	0	0	0	0	0
5419	1865	1609	3474	470	164	634
169	107	71	178	0	0	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29.	दमन व द्वीप	254	267	521	143	135	278	157	115	272	15	4	19
30.	दिल्ली	119960	91090	211050	46346	33034	79380	32932	14408	47340	5286	3012	8298
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	10801	11112	21913	6302	5796	12098	3198	2277	5475	491	248	739
	भारत	10316746	7034377	17351123	3478171	1933038	5411209	1930293	745540	2675833	273864	87671	361535

* इसमें इजीनियरर बी०ई०/बी०अन्त०) चिकित्सा (एम० बी० बी० एस०) और शिक्षक प्रशिक्षण (बी०एस०/बी०टी०) को छोड़कर पी.एच०डी०/एम०फिल० और सभी व्यावसायिक पाठ्क्रमों में किया गया दाखिला शामिल नहीं हैं।

नोट चुनिन्दा शैक्षिक आंकड़े, 1992-93

विवरण संख्या 17

विभिन्न स्तरों पर नामांकन (अनुसूचित जनजातियां) 1992-93

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्राथमिक बालक	प्राथमिक बालिकां	प्राथमिक योग	मिडिल बालक	मिडिल बालिका	मिडिल योग	माध्य/उ० माध्य बालक	माध्य/उ० माध्य बालिका	माध्य/उ० माध्य योग	उच्चतर शिक्षा बालक	उच्चतर शिक्षा बालिका	उच्चतर शिक्षा योग
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	347167	223940	571107	70335	30954	101289	34361	12845	47206	3286	835	4121
2.	अरूणाचल प्रदेश	50544	36181	86725	11435	6927	18362	8037	3464	11501	1091	232	1323
3.	असम	320000	260000	580000	90000	70000	160000	58600	39770	98370	6900	2624	9524
4.	बिहार	478031	303674	781705	100775	51836	152611	42700	17818	60518	0	0	0
5.	गोवा	85	67	152	19	8	27	17	7	24	13	1	14
6.	गुजरात	515754	366006	881760	131390	73015	204405	74422	42670	117092	17890	10725	28615
7.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	16600	12800	29400	7600	4100	11700	1330	550	1880	446	120	566
9.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	कर्नाटक	182510	141430	323940	46317	28791	75108	26428	12817	39245	5682	1629	7311
11.	केरल	21185	19519	40704	8624	8261	16885	3849	3815	7664	178	77	255
12.	मध्य प्रदेश	875031	518729	1393760	234112	74845	308957	89957	19422	109379	11626	2126	13752

	1	2	3	4	5	6
13.	महाराष्ट्र	565056	432449	997505	150732	86184
14.	मणिपुर	51230	42590	93820	9802	7786
15.	मेघालय	78613	73320	151933	20792	19194
16.	मिजोरम	59698	54212	113910	19792	17836
17.	नागालैण्ड	66736	59545	126281	25983	24653
18.	उड़ीसा	540000	255000	795000	114000	48000
19.	पंजाब	0	0	0	0	0
20.	राजस्थान	410000	139000	549000	128000	16000
21.	सिक्किम	8442	7446	15888	2093	1897
22.	तमिलनाडु	41727	31702	73429	14139	9408
23.	त्रिपुरा	76083	55509	131592	24448	12251
24.	उत्तर प्रदेश	19084	10647	29731	6152	2206
25.	पश्चिम बंगाल	292000	277000	569000	114000	95000
26.	अ.व नि. द्वीप समूह	1849	1659	3508	844	694
27.	चण्डीगढ़	6	3	9	1	0
28.	दादर व नागर हवेली	8523	5208	13731	2113	1079

7	8	9	10	11	12	13
236916	212206	96359	308565	10209	3226	13435
17588	7248	5329	12577	1574	892	2466
39986	14666	13071	27737	2691	1969	4660
37628	10217	10131	20348	1014	463	1477
50636	13042	9989	23031	1859	956	2815
162000	35206	19735	54941	3678	812	4490
0	0	0	0	9	1	10
144000	82000	6000	88000	3675	111	3786
3990	1220	939	2159	0	0	0
23547	7156	4340	11496	500	303	803
36699	9414	4460	13874	308	122	430
8358	3548	1378	4926	1253	505	1758
209000	20092	10560	30652	775	284	1059
1538	538	515	1053	36	21	57
1	86	33	119	87	17	104
3192	1113	534	1647	0	0	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29.	दमन व द्वीप	955	792	1747	475	356	831	231	127	358	84	23	107
30.	दिल्ली	369	320	689	256	150	406	251	175	426	421	252	673
31.	लक्षद्वीप	4665	3912	8577	2064	1472	3536	1006	687	1693	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	भारत	5031943	3332660	8364603	1336293	692903	2029196	758941	337540	1096481	75285	28326	103611

*इसमें इंजीनियरी (बी० ई०/बी० टैक/बी० आन्त० (औषधी विज्ञान (एम० बी० बी० एस०) और शिक्षक प्रशिक्षण (बी० एस०/बी० टी०) को छोड़कर पी० एच० डी०/एम० फिल और सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दिया गया दाखिला शामिल नहीं हैं।

स्रोत: चुनिन्दा शिक्षा आंकड़े 1992-93

विवरण संख्या-20

अनुसूचित जाति में कक्षा छोड़ने वालों की दर - 1988-89 (अस्थायी)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्राइमरी I से V			मिडिल I से VIII			माध्यमिक I से X		
		लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	58.48	63.72	60.72	77.33	85.69	80.95	83.85	88.57	85.90
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	असम	64.00	66.43	65.07	57.73	54.78	56.49	62.44	66.43	64.13
4.	बिहार	67.69	73.50	69.33	83.37	89.79	85.04	87.88	94.20	89.50
5.	गोवा	39.27	32.06	36.02	55.52	65.68	60.28	79.26	85.57	81.30
6.	गुजरात	24.95	45.55	34.13	50.40	70.34	59.11	66.50	79.78	72.21
7.	हरियाणा	33.90	43.18	38.00	59.19	75.36	65.71	64.64	80.72	69.81
8.	हिमाचल प्रदेश	36.29	36.50	36.39	32.27	41.88	36.44	67.02	76.81	71.12
9.	जम्मू और कश्मीर	39.27	30.39	35.84	50.07	52.73	51.08	77.86	82.32	79.52
10.	कर्नाटक	51.05	59.59	54.90	62.11	73.77	67.08	73.63	84.60	78.45
11.	केरल	-	1.78	0.50	19.04	15.60	17.37	54.47	47.76	51.20
12.	मध्य प्रदेश	36.31	52.37	42.41	62.34	79.40	67.78	75.11	86.91	78.48
13.	महाराष्ट्र	38.54	51.58	44.60	52.90	69.77	60.54	67.91	81.16	73.82

मिडिल I से VIII			माध्यमिक I से X		
लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
84.89	86.07	85.48	82.14	82.69	82.42
27.86	51.85	39.64	34.62	66.39	50.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
72.30	80.25	75.35	78.16	86.34	81.33
63.36	70.56	66.52	78.88	85.96	82.12
69.53	83.53	72.18	80.82	92.39	82.96
84.96	83.67	84.37	91.62	93.60	92.51
51.04	53.14	51.97	74.75	82.69	78.31
75.87	81.84'	78.60	86.88	90.20	88.39
57.92	69.52	60.87	66.97	84.97	71.57
76.68	82.46	78.94	89.28	91.30	90.01
-	-	-	-	-	-
-	-	-	27.17	14.23	21.03
-	-	-	-	-	-

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्राइमरी I से V लड़के	लड़कियां	कुल
14.	मणिपुर	79.86	82.21	81.03
15.	मेघालय	33.13	41.88	37.46
16.	मिजोरम	-	-	-
17.	नागालैण्ड	-	-	-
18.	उड़ीसा #	50.53	54.54	52.10
19.	पंजाब	36.32	41.59	38.79
20.	राजस्थान	60.42	74.37	63.89
21.	सिक्किम	70.00	67.85	69.04
22.	तमिलनाडु	22.56	22.68	25.92
23.	त्रिपुरा	58.21	63.09	60.47
24.	उत्तर प्रदेश	32.89	51.69	38.86
25.	पश्चिम बंगाल #	53.94	66.52	59.45
26.	अ.व नि. द्वीप समूह	-	-	-
27.	चण्डीगढ़	-	-	-
28.	दादर व नागर हवेली	-	-	-

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्राइमरी I से V			मिडिल I से VIII			माध्यमिक I से X		
		लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
29.	दमन व द्वीव	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	दिल्ली	33.74	35.74	34.47	47.68	58.61	52.79	54.06	74.25	63.71
31.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	पांडिचेरी	-	-	-	-	11.96	5.45	69.92	75.32	72.42
	भारत	47.23	55.01	50.32	65.06	74.08	68.47	77.34	85.11	80.21

* गोवा के तहत शामिल है।
# आंकड़े 1988-89 से संबंधित हैं।

विवरण संख्या-21

अनुसूचित जनजातियों पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वालों की दर - 1988-89 (अस्थायी)

क्रम स०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	प्राइमरी I से V			मिडिल I से VIII			माध्यमिक I से X		
		लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश #	63.70	68.97	65.66	84.21	90.14	86.42	88.83	92.77	90.34
2.	अरूणाचल प्रदेश	63.47	59.43	61.98	78.52	77.90	78.30	81.97	88.10	84.06
3.	असम #	71.90	70.71	71.40	66.06	68.17	66.95	56.15	77.21	68.18
4.	बिहार	70.78	70.93	70.83	85.67	87.57	86.33	90.89	92.72	91.51
5.	गोवा	28.99	19.80	24.72	63.50	71.88	67.36	73.58	87.32	79.57
6.	गुजरात	54.03	66.62	59.48	76.17	82.62	78.88	85.34	89.14	86.90
7.	हरियाणा	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	हिमाचल प्रदेश	30.59	34.53	32.23	36.58	45.89	40.03	67.93	70.41	68.79
9.	जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	कर्नाटक	47.97	50.69	49.13	56.82	66.68	61.09	72.90	77.23	74.46
11.	केरल	18.88	15.88	17.44	36.28	35.30	35.68	70.14	65.86	68.12
12.	मध्य प्रदेश	48.38	60.36	52.82	75.57	84.14	78.61	83.74	91.81	86.14

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	प्राइमरी I से V			मिडिल I से VIII			माध्यमिक I से X		
		लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
13.	महाराष्ट्र	56.99	66.52	61.07	73.14	82.44	76.98	81.56	89.50	84.74
14.	मणिपुर	77.54	78.43	71.95	84.76	85.79	85.23	85.44	87.24	86.26
15.	मेघालय	40.07	55.34	47.24	72.78	72.98	72.87	91.47	93.14	92.28
16.	मिजोरम	49.56	49.20	49.39	61.99	59.78	60.92	52.47	52.63	52.55
17.	नागालैण्ड	34.75	43.54	39.00	70.71	64.85	68.15	75.97	73.87	75.10
18.	उड़ीसा	75.41	77.74	76.19	83.99	85.72	84.59	87.34	92.66	89.23
19.	पंजाब	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	राजस्थान	69.76	83.15	73.08	74.74	90.17	77.65	84.93	94.30	86.45
21.	सिक्किम	62.87	50.46	57.73	71.26	65.41	68.70	85.52	86.81	86.07
22.	तमिलनाडु	38.35	49.10	43.29	57.65	66.11	61.31	57.52	60.30	58.60
23.	त्रिपुरा	71.97	76.53	73.91	85.55	88.19	86.64	90.47	93.24	91.56
24.	उत्तर प्रदेश	17.22	59.64	34.17	47.73	74.11	55.59	33.49	78.84	43.31
25.	पश्चिम बंगाल #	63.76	67.55	65.03	83.27	87.03	84.39	92.35	92.74	92.47
26.	अ.व नि. द्वीप समूह	5.73	19.77	12.36	49.44	47.88	48.73	55.23	62.58	58.57

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	प्राइमरी I से V			मिडिल I से VIII			माध्यमिक I से X		
		लड़के	लडकियां	कुल	लड़के	लडकियां	कुल	लड़के	लडकियां	कुल
27.	चण्डीगढ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	दादर व नागर हवेली	37.97	64.90	50.34	68.29	77.04	71.75	84.32	89.28	86.45
29.	दमन व द्वीव *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	लक्षद्वीप	-	6.56	0.00	41.03	50.62	45.53	75.15	81.85	78.34
32.	पांडिचेरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	भारत	64.51	70.17	66.66	79.39	84.87	81.40	86.73	90.99	88.25

* गोवा के तहत शामिल है।
# आंकड़े 1988-89 से संबंधित हैं।

विवरण संख्या-22

शिक्षकों की संख्या 1992-93

क्रम राज्य	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्राइमरी स्कूल			मिडिल स्कूल			उच्चतर माध्यमिक स्कूल		
		पुरूष	महिलाएं	योग	पुरूष	महिलाएं	योग	पुरूष	महिलाएं	योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	79525	34935	114460	27789	14408	42197	59811	29362	89173
2.	अरूणाचल प्रदेश	1974	467	2441	1409	379	1788	1961	498	2459
3.	असम	58232	17055	75287	31992	6554	38546	33990	9326	43316
4.	बिहार	92880	22439	115319	97208	2708	99916	40993	7010	48003
5.	गोवा	1067	1864	2931	335	492	827	3229	3999	7228
6.	गुजरात	20177	13701	33878	78605	61633	140238	46861	15739	62600
7.	हरियाणा	10392	8239	18631	6809	4805	11614	27165	19270	46435
8.	हिमाचल प्रदेश	13190	7545	20735	4210	1213	5423	9804	4087	13891
9.	जम्मू और कश्मीर	10193	6847	17040	11694	6585	18279	15122	6704	21826
10.	कर्नाटक	34901	14876	49777	56779	36043	92822	42393	13327	55720
11.	केरल	16325	31468	47793	18446	32973	514719	34496	58950	93443
12.	मध्य प्रदेश	140537	43416	183953	61466	21593	83059	43918	14771	58689

		प्राइमरी स्कूल		
क्रम राज्य	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पुरूष	महिलाएं	योग
13.	महाराष्ट्र	76037	48613	124650
14.	मणिपुर	8440	2580	11020
15.	मेघालय	4248	2492	6740
16.	मिजोरम	2039	1802	3841
17.	नागालैण्ड	4673	1770	6443
18.	उड़ीसा	78675	26265	104940
19.	पंजाब	21933	26041	47974
20.	राजस्थान	60145	22001	82146
21.	सिक्किम	1798	667	2465
22.	तमिलनाडु	71538	49674	121212
23.	त्रिपुरा	8536	2167	10703
24.	उत्तर प्रदेश	217252	48909	266161
25.	पश्चिम बंगाल	144112	40636	184748
26.	अ.व नि. द्वीप समूह	472	297	769

मिडिल स्कूल			उच्चतर माध्यमिक स्कूल		
पुरूष	महिलाएं	योग	पुरूष	महिलाएं	योग
95980	56370	152350	156407	67123	223530
4980	1750	6730	5280	2570	7850
1910	1128	3038	1552	1505	3057
2621	641	3262	2979	609	3588
2861	790	3651	2582	1227	3809
33415	5616	39031	37128	9925	47053
5549	4855	10404	27390	22429	49819
54101	20101	74202	52463	15838	68301
1079	506	1585	1218	929	2147
34100	31795	65895	68640	48457	117097
3709	948	4657	7833	3082	10915
76858	19071	95929	82234	17172	99406
18092	7139	25231	78326	41691	120017
375	374	749	1309	1005	2314

		प्राइमरी स्कूल			मिडिल स्कूल			उच्चतर माध्यमिक स्कूल		
क्रम राज्य	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पुरूष	महिलाएं	योग	पुरूष	महिलाएं	योग	पुरूष	महिलाएं	योग
27.	चण्डीगढ	40	714	754	48	509	557	635	2566	3201
28.	दादर व नागर हवेली	110	67	177	189	253	442	117	57	174
29.	दमन व द्वीव	121	167	288	68	45	113	237	102	339
30	दिल्ली	8349	14287	22636	2690	3770	6460	18370	24920	43290
31.	लक्षद्वीप	151	67	218	79	46	125	283	71	354
32.	पांडिचेरी	942	898	1840	916	890	1806	1924	1330	3254
	भारत	1189004	492966	1681970	736362	345983	1082345	906647	445651	1352298

स्रोतः चुनिन्दा शैक्षिक आंकड़ें -1992-93

विवरण संख्या 12
शैक्षिक संस्थाएं (1992-93)

क्रम सं०	राज्य/सं० शासित क्षेत्र का नाम	प्राइमरी	मिडिल	हा० स्कूल/ हा० सैक०/ इण्टरमिडिएट/ प्रि०-डिग्री/ जूनियर कालेज	सामान्य कालेज	व्यावसयिक शिक्षा (a)	विश्वविद्यालय *
1	आन्ध्र प्रदेश	50201	6330	7331	403	86	17
2	अरूणाचल प्रदेश	1171	274	139	4	0	1
3	असम	28876	5703	3467	217	15	3
4	बिहार	53292	13495	4191	557	31	18
5	गोवा	1033	109	387	18	4	1
6	गुजरात	14448	17781	5475	271	58	10
7	हरियाणा	4915	1401	2584	120	21	4
8	हिमाचल प्रदेश	7548	1061	1154	45	4	3
9	जम्मू और कश्मीर	9438	2669	1234	32	7	3
10	कर्नाटक	23600	16647	5624	511	136	12
11	केरल	6779	2931	2602	115	22	6
12	मध्य प्रदेश	68949	15145	4558	448	39	15
13	महाराष्ट्र	41759	19651	11343	719	294	21
14	मणिपुर	3180	681	496	31	4	1
15	मेघालय	4170	705	316	23	1	1
16	मिजोरम	1066	553	273	12	1	0
17	नागालैण्ड	1305	357	194	16	1	0
18	उड़ीसा	41204	11716	5337	380	20	5
19	पंजाब	12464	1436	2780	172	29	4
20	राजस्थान	32133	4695	4201	167	44	10
21	सिक्किम	527	122	81	1	0	0
22	तमिलनाडु	30098	5608	5368	233	71	17
23	त्रिपुरा	2065	432	479	14	2	1
24	उत्तर प्रदेश	78804	15463	6142	436	24	28
25	पश्चिम बंगाल	50827	4179	6804	302	62	12
26	अ.व नि. द्वीप समूह	188	46	70	2	1	0
27	चण्डीगढ़	56	32	81	12	2	2
28	दादर व नागर हवेली	125	42	12	0	0	0
29	दमन व द्वीप	49	16	20	1	0	0
30	दिल्ली	1911	519	1212	65	6	11
31	लक्षद्वीप	19	4	11	0	0	0
32	पांडिचेरी	341	118	120	7	4	1
	भारत	572541	153921	84086	5334	989	207

* सम विश्वविद्यालय और संस्थान शामिल हैं।
इंजीनियरी प्रौद्योगिकी, चिकत्सा विज्ञान तथा शिक्षक प्रशिक्षण के कालेज ही शामिल है।
स्रोत: चुनिन्दा शैक्षिक आंकड़े 1992-1993

विवरण संख्या 14

सामान्य शिक्षा के लिए स्कूलों की कक्षा I-V और VI-VIII में दाखिल अनुपात

राज्य संघ शासित क्षेत्र	कक्षा I-V- (6-11 आयु)			कक्षा VI-VIII (11-14 वर्ष)		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	121.5	96.6	109.2	68.6	43.0	55.9
अरूणाचल प्रदेश	129.9	93.4	111.5	59.4	39.8	49.7
असम	115.5	107.3	111.5	69.3	54.3	62.1
बिहार	105.8	56.2	81.4	51.9	22.0	37.1
गोवा	105.2	95.9	100.5	107.4	91.4	99.4
गुजरात	145.0	114.0	129.8	87.9	57.5	73.0
हरियाणा	92.5	81.1	87.0	73.2	51.8	63.0
हिमाचल प्रदेश	125.5	110.5	118.0	123.9	97.6	110.8
जम्मू और कश्मीर	104.1	72.6	88.7	80.1	49.2	65.1
कर्नाटक	119.4	110.4	115.0	69.6	52.0	61.0
केरल	98.4	96.5	97.5	106.0	104.1	105.0
मध्य प्रदेश	117.7	87.7	103.2	89.1	53.5	71.9
महाराष्ट्र	142.9	129.4	136.3	92.1	70.8	81.8
मणिपुर	115.1	105.6	110.5	64.5	57.1	60.9
मेघालय	78.4	72.1	75.2	42.8	37.5	40.1
मिजोरम	137.8	133.0	135.5	75.3	70.7	73.0
नागालैण्ड	109.9	101.3	105.7	69.7	68.8	69.3
उड़ीसा	120.7	89.2	105.4	75.7	44.1	60.2
पंजाब	103.4	96.6	100.1	79.7	67.8	74.0
राजस्थान	115.2	57.5	87.1	77.5	27.6	53.3
सिक्किम	124.0	111.9	118.0	55.1	53.0	54.1
तमिलनाडु	143.4	129.2	136.5	110.9	88.8	100.1
त्रिपुरा	143.3	119.7	131.7	94.5	73.4	84.2
उत्तर प्रदेश	103.7	72.0	88.6	73.4	35.7	55.6
पश्चिम बंगाल	137.9	130.2	134.1	114.0	99.6	106.9
अ.व नि. द्वीप समूह	101.0	86.1	93.3	82.7	72.8	77.9
चण्ड़ीगढ़	60.5	58.9	59.7	56.6	57.4	57.0
दादर व नागर हवेली	116.3	83.6	100.8	57.5	37.3	47.8
दमन व द्वीप	@	@	@	@	@	@
दिल्ली	84.0	85.5	84.7	80.5	76.2	78.5
लक्षद्वीप	158.7	133.6	146.2	133.0	102.9	118.4
पांडिचेरी	148.0	136.2	142.2	137.6	124.6	131.2
भारत	118.1	92.7	105.7	80.5	53.8	67.5

(a) गोवा शामिल है।

विवरण संख्या 16

सामान्य शिक्षा के लिए स्कूलों की कक्षा I-V और VI-VIII में दाखिल अनुपात

राज्य संघ शासित क्षेत्र	कक्षा I-V- (6-11 आयु)			कक्षा VI-VIII (11-14 वर्ष)		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	162.74	128.92	146.05	79.85	45.76	62.98
अरूणाचल प्रदेश	29.55	13.96	21.71	1.59	0.81	1.21
असम	245.87	207.30	227.09	145.54	127.10	136.59
बिहार	100.15	43.72	72.42	37.65	11.31	24.61
गोवा	127.11	109.78	118.43	82.33	57.36	69.82
गुजरात	197.99	157.63	178.20	117.51	70.40	94.40
हरियाणा	110.82	94.32	102.79	66.63	40.70	54.29
हिमाचल प्रदेश	133.28	112.61	122.95	99.25	68.21	83.79
जम्मू और कश्मीर	108.44	81.55	95.30	83.60	63.48	73.83
कर्नाटक	143.55	119.80	131.97	69.63	45.72	57.89
केरल	112.66	109.74	111.22	118.12	114.98	116.58
मध्य प्रदेश	121.63	88.78	105.80	92.26	27.57	60.96
महाराष्ट्र	304.41	263.29	284.18	181.93	125.93	154.72
मणिपुर	137.47	148.83	142.94	78.77	74.72	76.78
मेघालय	282.23	227.57	254.88	225.85	148.98	186.92
मिजोरम	-	-	-	-	-	-
नागालैण्ड	-	-	-	-	-	-
उड़ीसा	162.93	109.57	136.99	74.26	46.81	60.78
पंजाब	141.14	121.87	131.88	68.08	49.33	59.15
राजस्थान	102.37	40.85	72.46	62.70	13.38	38.78
सिक्किम	126.42	114.28	120.42	42.12	40.61	41.39
तमिलनाडु	157.95	137.11	147.78	111.87	85.48	98.95
त्रिपुरा	170.53	146.61	158.70	100.76	74.60	87.99
उत्तर प्रदेश	85.85	40.27	64.21	52.63	15.51	35.07
पश्चिम बंगाल	140.65	125.59	133.27	83.01	77.31	80.19
अ.व नि. द्वीप समूह	-	-	-	-	-	-
चण्डीगढ़	119.13	107.67	113.68	76.63	73.97	75.40
दादर व नागर हवेली	89.71	88.06	88.92	77.00	62.02	69.82
दमन व द्वीप	-	-	-	-	-	-
दिल्ली	112.95	99.92	106.93	73.15	62.50	68.31
लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-
पांडिचेरी	179.54	188.21	183.83	172.75	161.72	167.28
भारत	127.99	92.18	110.58	75.07	44.04	59.97

विवरण संख्या 18

अनुसूचित जनजातियों के छात्रों का दाखिला अनुपात 1992-93

राज्य संघ शासित क्षेत्र	कक्षा I-V- (6-11 आयु) लड़के	लड़कियां	कुल	कक्षा VI-VIII (11-14 वर्ष) लड़के	लड़कियां	कुल
	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	160.89	106.62	134.12	57.46	25.81	41.80
अरूणाचल प्रदेश।	130.87	92.68	111.67	53.51	33.06	43.39
असम	149.98	128.43	139.49	73.44	60.57	67.19
बिहार	103.57	68.09	86.13	39.88	20.92	30.49
गोवा।	13.58	10.67	12.12	5.10	2.14	3.62
गुजरात	154.21	113.81	134.41	66.27	38.25	52.52
हरियाणा।	-	-	-	-	-	-
हिमाचल प्रदेश।	122.20	94.20	108.20	95.28	51.79	73.62
जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	-	-
कर्नाटक	136.68	111.18	124.24	60.06	38.71	49.58
केरल	130.67	124.53	127.66	90.87	89.81	90.35
मध्य प्रदेश	93.25	59.40	76.93	44.37	15.13	30.22
महाराष्ट्र	151.18	119.54	135.62	64.68	39.14	52.27
मणिपुर	149.66	133.78	142.01	53.85	44.09	49.04
मेघालय	84.16	78.36	81.26	39.33	35.39	37.33
मिजोरम	147.07	141.72	144.47	80.16	75.08	77.67
नागालैण्ड	106.50	98.18	102.41	69.35	68.41	68.89
उड़ीसा	130.69	65.22	98.86	48.12	20.98	34.78
पंजाब	-	-	-	-	-	-
राजस्थान	107.58	38.53	74.00	62.16	8.25	36.01
सिक्किम	114.07	102.87	108.53	51.26	49.26	50.29
तमिलनाडु	131.08	104.39	118.05	75.97	52.75	64.61
त्रिपुरा	174.69	130.26	152.72	100.41	52.78	77.17
उत्तर प्रदेश	97.47	60.16	79.75	56.83	22.70	40.69
पश्चिम बंगाल	134.92	133.08	134.02	93.10	79.25	86.25
अ.व नि. द्वीप समूह	67.39	56.24	61.61	57.94	49.28	53.68
चण्डीगढ़	-	-	-	-	-	-
दादर व नागर हवेली	123.55	83.05	104.26	52.85	29.29	41.55
दमन व द्वीप	-	-	-	-	-	-
दिल्ली	-	-	-	-	-	-
लक्षद्वीप	173.74	145.70	159.72	144.13	109.65	127.45
पांडिचेरी	-	-	-	-	-	-
भारत	126.71	88.64	108.19	58.54	32.04	45.64

ववरण संख्या 19 (i)
कक्षा I-V में पढ़ाई छोड़ कर जाने वालों का दर 1989-90

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लड़के	लड़कियां	कुल योग
1	आन्ध्र प्रदेश	53.35	59.85	56.18
2	अरूणाचल प्रदेश	61.61	60.60	61.20
3	असम	52.29	60.05	55.66
4	बिहार	63.72	69.12	65.54
5	गोवा	(-) 2.08	5.29	1.43
6	गुजरात	37.98	46.42	41.73
7	हरियाणा	26.91	29.88	28.17
8	हिमाचल प्रदेश	29.11	31.12	30.05
9	जम्मू और कश्मीर	51.97	40.34	47.30
10	कर्नाटक	41.97	49.93	45.67
11	केरल	(-)4.79	(-)3.27	(-)4.21
12	मध्य प्रदेश	34.82	41.61	37.58
13	महाराष्ट्र	32.69	41.83	36.96
14	मणिपुर	69.11	70.67	69.84
15	मेघालय	27.24	28.12	27.66
16	मिजोरम	49.33	48.95	49.15
17	नागालैण्ड	20.16	34.42	27.91
18	उड़ीसा	51.60	51.31	51.48
19	पंजाब	31.17	31.82	31.47
20	राजस्थान	75.24	80.42	76.80
21	सिक्किम	61.12	52.68	57.57
22	तमिलनाडु	18.78	23.64	21.04
23	त्रिपुरा	58.92	59.78	59.30
24	उत्तर प्रदेश	29.57	42.65	34.25
25	पश्चिम बंगाल	63.31	68.76	65.74
26	अ.व नि. द्वीप समूह	12.37	18.63	15.31
27	चण्डीगढ़	(-)14.04	(-)9.03	(-)6.94
28	दादर व नागर हवेली	35.45	54.06	43.69
29	दमन व द्वीप	*	*	*
30	दिल्ली	18.90	26.34	22.47
31	लक्षद्वीप	0.12	12.80	6.25
32	पांडिचेरी	(-)4.25	(-)4.88	(-)4.55
	भारत	46.50	50.35	48.08

* आंकड़े, गावों में शामिल हैं।

विवरण संख्या 19 (ii)

कक्षा I-VIII में पढ़ाई छोड़ कर जाने वालों का दर 1989-90

राज्य संघ राज्य क्षेत्र		लड़के	लड़कियां	कुल योग
1	आन्ध्र प्रदेश	69.30	78.28	73.10
2	अरूणाचल प्रदेश	76.49	76.08	76.34
3	असम	74.15	77.75	75.72
4	बिहार	77.60	83.61	79.51
5	गोवा	25.48	30.32	27.78
6	गुजरात	55.69	65.78	60.03
7	हरियाणा	42.80	51.98	46.45
8	हिमाचल प्रदेश	16.29	28.63	21.88
9	जम्मू और कश्मीर	48.03	72.77	57.31
10	कर्नाटक	57.43	72.47	64.70
11	केरल	8.67	9.10	8.88
12	मध्य प्रदेश	59.50	80.16	67.17
13	महाराष्ट्र	49.53	63.82	56.11
14	मणिपुर	76.53	79.33	77.83
15	मेघालय	83.21	82.18	82.71
16	मिजोरम	62.34	60.40	61.40
17	नागालैण्ड	55.82	48.12	52.37
18	उड़ीसा	62.33	75.24	67.72
19	पंजाब	44.15	51.66	47.58
20	राजस्थान	78.52	84.70	80.21
21	सिक्किम	74.21	72.26	73.35
22	तमिलनाडु	40.87	50.65	45.42
23	त्रिपुरा	74.15	75.93	74.94
24	उत्तर प्रदेश	52.84	65.03	56.75
25	पश्चिम बंगाल	75.72	78.79	77.04
26	अ.व नि. द्वीप समूह	31.54	36.51	33.87
27	चण्डीगढ	6.80	(-)0.55	3.52
28	दादर व नागर हवेली	60.00	65.78	62.33
29	दमन व द्वीप	*	*	*
30	दिल्ली	(-)5.72	18.19	5.89
31	लक्षद्वीप	45.97	60.79	52.99
32	पांडिचेरी	(-)13.35	5.42	(-)4.65
	भारत	61.00	68.75	64.09

विवरण संख्या 19 (iii)

कक्षा I-X में पढ़ाई छोड़ कर जाने वालों का दर 1989-90

	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	लड़के	लड़कियां	कुल योग
1	आन्ध्र प्रदेश	75.53	83.77	79.02
2	अरूणाचल प्रदेश	80.49	81.82	80.94
3	असम	79.08	82.51	80.56
4	बिहार	82.27	89.01	84.37
5	गोवा	52.05	56.96	54.34
6	गुजरात	69.93	75.59	72.35
7	हरियाणा	45.55	58.57	50.34
8	हिमाचल प्रदेश	55.15	65.70	59.83
9	जम्मू और कश्मीर	65.70	77.09	70.13
10	कर्नाटक	67.98	78.57	72.83
11	केरल	40.19	34.88	37.59
12	मध्य प्रदेश	86.16	83.38	85.19
13	महाराष्ट्र	64.86	77.15	70.45
14	मणिपुर	74.18	77.64	75.80
15	मेघालय	73.93	72.08	73.08
16	मिजोरम	52.61	52.60	52.60
17	नागालैण्ड	75.77	73.97	75.02
18	उड़ीसा	70.79	80.49	74.84
19	पंजाब	62.62	70.63	66.36
20	राजस्थान	84.80	89.32	85.96
21	सिक्किम	85.02	87.96	86.37
22	तमिलनाडु	66.10	73.85	69.64
23	त्रिपुरा	82.96	84.49	83.63
24	उत्तर प्रदेश	57.94	77.56	64.22
25	पश्चिम बंगाल	83.85	85.58	84.58
26	अ.व नि. द्वीप समूह	48.33	56.41	52.16
27	चण्डीगढ़	13.50	8.80	11.37
28	दादर व नागर हवेली	75.41	79.48	77.18
29	दमन व द्वीप	*	*	*
30	दिल्ली	20.60	33.17	26.72
31	लक्षद्वीप	71.24	76.51	73.73
32	पांडिचेरी	48.76	54.63	51.48
	भारत	71.98	78.28	74.46

* आंकड़े गोवा में शामिल है।

विवरण संख्या 23

वर्ष 1992-93 के लिए शिक्षा विभागों का बजट कुल राज्य बजट में शिक्षा बजट की प्रतिशता क्रमवार

(लाखों रुपयों में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शिक्षा विभाग का बजट			राज्य के कुल बजट में शिक्षा बजट की
		योजनागत	योजनेत्तर	कुल योग	प्रतिशता
1.	दिल्ली	63.11	271.49	334.60	29.46
2.	पश्चिम बंगाल	142.36	1641.66	1784.02	27.52
3.	केरल	32.27	931.90	964.17	26.20
4.	असम	203.75	442.05	645.80	24.69
5.	राजस्थान	171.93	851.63	1023.56	21.47
6.	बिहार	120.16	1251.73	1371.89	21.21
7.	चण्डीगढ़	3.75	42.85	46.60	20.89
8.	कर्नाटक	231.90	948.65	1180.55	20.79
9.	त्रिपुरा	27.58	108.50	136.08	20.69
10.	मणिपुर	14.17	65.40	79.57	20.47
11.	तमिलनाडु	65.07	1407.13	1472.20	20.29
12.	आन्ध्र प्रदेश	137.00	1257.98	1394.98	19.56
13.	गोवा	13.01	59.95	72.96	19.42
14.	उड़ीसा	142.09	488.45	630.54	19.41
15.	गुजरात	38.91	981.92	1020.83	19.11
16.	हिमाचल प्रदेश	49.74	178.13	227.87	19.06
17.	उत्तर प्रदेश	178.88	1884.04	2062.92	18.09
18.	पंजाब	101.30	560.44	661.74	17.78
19.	मध्य प्रदेश	178.32	913.71	1092.03	17.77
20.	मेघालय	20.90	56.27	77.17	17.69
21.	महाराष्ट्र	51.95	1900.52	1952.47	17.69
22.	सिक्किम	9.81	19.47	29.28	17.43
23.	हरियाणा	62.59	343.76	406.35	15.89
24.	पांण्डिचेरी	8.22	31.94	40.16	15.61
25.	दमन व द्वीप	0.76	3.32	4.08	15.57
26.	मिजोरम	9.22	39.65	48.87	14.93
27.	अ.व नि. द्वीप समूह	4.25	19.07	23.32	12.71
28.	जम्मू कश्मीर	23.95	114.15	138.10	11.33
29.	अरुणाचल प्रदेश	15.68	28.39	44.07	11.22
30	दादर और नागर हवेली	0.77	3.27	4.04	11.09
31	नागालैण्ड	8.14	43.74	51.88	11.06
32	लक्षद्वीप	0.72	4.82	5.54	11.02
	सभी राज्य/संध राज्य क्षेत्र	2132.26	16895.98	19028.24	20.00
	केन्दीय क्षेत्र	950.78	771.04	1721.82	1.90
	जोड़ (केन्द्र तथा राज्य)	3083.04	17667.02	20750.06	11.20

विवरण संख्या 24

आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1992-97) के लिए स्वीकृत परिव्यय

क्रम संख्या	राज्य संघ शासित क्षेत्र	प्रारम्भिक शिक्षा	प्रौढ शिक्षा	सामान्य शिक्षा	तकनीकी शिक्षा	कुल योग (कालम 5+ कालम 6)
1.	आन्ध्र प्रदेश	176.13	17.12	222.95	56.50	279.45
2.	अरूणाचल प्रदेश	113.92	2.79	151.90	0.00	151.90
3.	असम	568.35	18.36	874.38	45.33	919.71
4.	बिहार	588.83	60.34	726.95	185.22	912.17
5.	गोवा	27.30	1.11	65.00	13.00	78.00
6.	गुजरात	149.82	22.47	227.00	90.00	317.00
7.	हरियाणा	202.44	6.40	407.04	106.30	513.34
8.	हिमाचल प्रदेश	98.90	1.77	230.00	42.00	272.00
9.	जम्मू और कश्मीर	157.65	7.16	315.30	19.00	334.30
10.	कर्नाटक	409.50	18.70	905.55	50.00	955.55
11.	केरल	22.21	0.77	82.25	94.00	176.25
12.	मध्य प्रदेश	432.68	19.84	618.12	85.38	703.50
13.	महाराष्ट्र	350.00	22.00	730.07	225.18	955.25
14.	मणिपुर	40.80	2.05	68.00	5.50	73.50
15.	मेघालय	64.33	3.37	90.60	1.37	91.97
16.	मिजोरम	23.02	1.25	41.85	3.50	45.35
17.	नागालैण्ड	18.47	0.72	42.95	4.50	47.45
18.	उड़ीसा	242.66	44.91	527.52	82.86	610.38
19.	पंजाब	47.15	10.80	216.78	196.00	412.78
20.	राजस्थान	567.75	30.50	860.23	100.18	960.41
21.	सिक्किम	36.40	0.68	55.00	2.80	57.80
22.	तमिलनाडु	252.47	40.00	440.00	37.14	477.14
23.	त्रिपुरा	69.60	2.34	120.00	1.50	121.50
24.	उत्तर प्रदेश	663.53	24.26	1087.75	257.40	1345.15
25.	पश्चिम बंगाल	350.00	26.72	500.00	100.00	600.00
26.	अ.व नि. द्वीप समूह	20.74	0.34	42.22	13.20	55.42
27.	चण्डीगढ़	10.62	0.53	35.0	9.24	44.24
28.	दादर व नागर हवेली	7.00	0.06	10.78	2.00	12.78
29.	दमन व द्वीप	2.67	0.15	5.04	3.50	8.54
30.	दिल्ली	321.80	6.37	450.00	110.00	560.00
31.	लक्ष्द्वीप	1.68	0.16	7.02	0.00	7.02
32.	पांडिचरा	18.04	0.40	37.10	19.78	56.88
	सभी राज्य क्षेत्र	6056.46	394.44	10194.35	1962.38	12156.73
	केन्द्र	288.00	1400.00	6619.00	824.00	7443.00
	जोड़ (केन्द्र व राज्य)	8936.46	1794.44	16813.35	2786.38	19599.73

स्रोत: वार्षिक योजना 1992-93 (शिक्षा क्षेत्र) का विश्लेषण, योजना आयोग

विवरण संख्या 25

आठवीं योजना अवधि के दौरान शिक्षा पर हुए कुल परिव्यय में क्षेत्रवार अनुमोदित परिव्यय को प्रतिशतता

क्रम संख्या	राज्य संघ/ शासित क्षेत्र	प्रारम्भिक शिक्षा	प्रौढ शिक्षा	सामान्य शिक्षा	तकनीकी शिक्षा	कुल योग (कालम 5+ कालम 6)
		3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	63.03	6.13	79.78	20.22	100.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	75.00	1.84	100.00	0.00	100.00
3.	असम	61.80	2.00	95.07	4.93	100.00
4.	बिहार	64.55	6.61	79.69	20.31	100.00
5.	गोवा	35.00	1.42	83.33	16.67	100.00
6.	गुजरात	47.26	7.09	71.61	28.39	100.00
7.	हरियाणा	39.44	1.25	79.29	20.71	100.00
8.	हिमाचल प्रदेश	36.36	0.65	84.56	15.44	100.00
9.	जम्मू और कश्मीर	47.16	2.14	94.32	5.68	100.00
10.	कर्नाटक	42.85	1 96	94.77	5.23	100.00
11.	केरल	12.60	0.44	46.67	53.33	100.00
12.	मध्य प्रदेश	61.50	2.82	87.86	12.14	100 00
13.	महाराष्ट्र	36.64	2.30	76.43	23.57	100.00
14.	मणिपुर	55.51	2.79	92.52	7.48	100.00
15.	मेघालय	69.95	3.66	98.51	1.49	100.00
16.	मिजोरम	50.76	2.76	92.28	7.72	100.00
17.	नागालैण्ड	38.93	1.52	90.52	9.48	100.00
18.	उड़ीसा	39.76	7.36	86.42	13.58	100.00
19.	पंजाब	11.42	2.62	52.52	47.48	100.00
20.	राजस्थान	59.12	3.18	89.57	10.43	100.00
21.	सिक्किम	62.98	1.18	95.16	4.84	100.00
22.	तमिलनाडु	52.91	8.38	92.22	7.78	100.00
23.	त्रिपुरा	57.28	1.93	98.77	1.23	100.00
24.	उत्तर प्रदेश	49.33	1.80	80.86	19.14	100.00
25.	पश्चिम बंगाल	58.33	4.45	83.33	16.67	100.00
26.	अ.व नि. द्वीप समूह	37.42	0.61	76.18	23.82	100.00
27.	चण्डीगढ	24.01	1.20	79.11	20.89	100.00
28.	दादर व नागर हवेली	54.77	0.47	84.35	15.65	100.00
29.	दमन व द्वीप	31.26	1.76	59.02	40.98	100.00
30.	दिल्ली	57.46	1.14	80.36	19.64	100.00
31.	लक्षद्वीप	23.93	2.28	100.00	0.00	100.00
32.	पांडिचेरी	31.72	0.70	65.23	34.77	100.00
	सभी राज्य क्षेत्र	49.82	3.24	83.86	16.14	100.00
	केन्द्र	38.69	18.81	88.93	11.07	100.00
	जोड (केन्द्र व राज्य)	45.59	9.16	85.78	14.22	100.00

विवरण संख्या 26

1993-94 के लिए क्षेत्रवार अनुमोदित योजनागत परिव्यय

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	राज्य संघ/ शासित क्षेत्र	प्रारम्भिक शिक्षा	प्रौढ़ शिक्षा	सामान्य शिक्षा	तकनीकी शिक्षा	जोड़ शिक्षा (कालम 5+ कालम 6)
		3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	26.70	5.24	40.64	9.30	49.94
2.	अरूणाचल प्रदेश	28.45	0.75	39.65	0.00	39.65
3.	असम	110.39	3.31	191.71	10.01	201.72
4.	बिहार	92.99	10.00	118.99	32.87	151.86
5.	गोवा	1.86	0.50	13.62	5.37	18.99
6.	गुजरात	22.73	4.18	30.19	25.00	55.19
7.	हरियाणा	30.6C	1.60	60.72	37.39	98.11
8.	हिमाचल प्रदेश	24.03	0.60	56.00	11.07	67.07
9.	जम्मू और कश्मीर	32.15	0.10	70.31	4.54	74.85
10.	कर्नाटक	148 50	8.69	223.09	1500	238.09
11.	केरल	4.20	0.00	21.80	21.03	42.83
12.	मध्य प्रदेश	109.02	6.00	178.00	27.00	205.00
13.	महाराष्ट्र	41.52	0.32	80.45	30.90	111.35
14.	मणिपुर	5 85	2.25	15.35	1.00	16.35
15.	मेघालय	19.50	1.00	25.75	0.56	26.31
16.	मिजोरम	3.00	0.25	10.57	0.75	11.32
17.	नागालैण्ड	3.00	0.00	10.08	1.24	11.32
18.	उड़ीसा	26.68	6.30	60.51	13.87	74.38
19.	पंजाब	9.92	2.00	50.91	34.24	85.18
20.	राजस्थान	68.50	3.00	134.00	16.46	150.46
21.	सिक्किम	6.60	0.12	11.00	0.50	11.50
22.	तमिलनाडु	38.24	7.38	58.85	15.00	73.85
23.	त्रिपुरा	15.50	0.80	26.07	0.27	26.34
24.	उत्तर प्रदेश	159.15	3.85	204.20	62.02	266.22
25.	पश्चिम बंगाल	33.25	7.30	73.83	12.06	85.89
26.	अ.व नि. द्वीप समूह	4.88	0.06	10.21	2.21	12.42
27.	चण्डीगढ़	1.60	0.01	6.50	2.33	8.83
28.	दादर व नागर हवेली	1.20	0.10	2.10	0.60	2.70
29.	दमन व द्वीप	1.00	0.06	1.20	0.90	2.10
30.	दिल्ली	57.94	0.90	86.00	18.50	104.50
31.	लक्षद्वीप	0.36	0.03	1.46	0.00	1.46
32.	पांडिचेरी	3.94	0.01	11.60	2.90	14.50
	सभी राज्य क्षेत्र	1133.25	76.71	19.25.36	414.92	2340.28
	केन्द्र	442.20	177.97	1112.00	198.00	1310.00
	जोड़ (केन्द्र व राज्य)	1575.45	254.68	3037.36	612.92	3650.28

स्रोत: योजना आयोग

विवरण संख्या 27
क्षेत्रवार अनुमोदित परिव्यय की प्रतिशतता (1993-1994)

क्रम संख्या	राज्य संघ/ शासित क्षेत्र	प्रारम्भिक शिक्षा	प्रौढ शिक्षा	सामान्य शिक्षा	तकनीकी शिक्षा	कुल योग (कालम 5+ कालम 6)
		3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	53.46	10.49	81.38	18.62	100.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	71.75	1.89	100.00	0.00	100.00
3.	असम	54.72	1.64	95.04	4.96	100.00
4.	बिहार	61.23	6.59	78.36	21.64	100.00
5.	गोवा	9.79	2.63	71.72	28.28	100.00
6.	गुजरात	41.18	7.57	54.70	45.30	100.00
7.	हरियाणा	31.19	1.63	61.89	38.11	100.00
8.	हिमाचल प्रदेश	35.83	0.89	83.49	161.51	100.00
9.	जम्मू और कश्मीर	42.95	0.13	93.93	6.07	100.00
10.	कर्नाटक	62.37	3.65	93.70	6.30	100.00
11.	केरल	9.81	0.00	50.90	49.10	100.00
12.	मध्य प्रदेश	53.18	2.93	86.83	13.17	100.00
13.	महाराष्ट्र	37.29	0.29	72.25	27.75	100.00
14.	मणिपुर	35.78	13.76	93.88	6.12	100.00
15.	मेघालय	74.12	3.80	97.87	2.13	100.00
16..	मिजोरम	26.50	2.21	93.37	6.63	100.00
17.	नागालैण्ड	26.50	0.00	89.05	10.95	100.00
18.	उड़ीसा	35.87	8.47	81.35	18.65	100.00
19.	पंजाब	11.65	2.35	59.77	40.23	100.00
20.	राजस्थान	45.53	1.99	89.06	10.94	100.00
21.	सिक्किम	57.39	1.04	95.65	4.35	100.00
22.	तमिलनाडु	51.78	9.99	79.69	20.31	100.00
23.	त्रिपुरा	58.85	3.04	98.97	1.03	100.00
24.	उत्तर प्रदेश	59.78	1.45	76.70	23.30	100.00
25.	पश्चिम बंगाल	38.71	8.50	85.96	14.04	100.00
26.	अ.व नि. द्वीप समूह	39.29	0.48	82.21	17.79	100.00
27.	चण्डीगढ़	18.12	0.11	73.61	26.39	100.00
28.	दादर व नागर हवेली	44.44	3.70	77.78	22.22	100.00
29.	दमन व द्वीप	47.62	2.86	57.14	42.86	100.00
30.	दिल्ली	55.44	0.86	82.30	17.70	100.00
31.	लक्षद्वीप	24:66	2.05	100.00	0.00	100.00
32.	पांडिचेरी	27.17	0.07	80.00	20.00	100.00
	सभी राज्य क्षेत्र	48.42	3.28	82.27	17.73	100.00
	केन्द्र	33.76	13.59	84.89	15.11	100.00
	जोड़ (केन्द्र व राज्य)	43.16	6.98	83.21	16.79	100.00

विवरण संख्या 28

शिक्षा पर बजट व्यय और राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों के निवल घरेलू उत्पाद के बीच संबंध

राज्य संघ/ शासित क्षेत्र	वर्ष	चालू कीमतों पर निवल घरेलू उत्पाद का अनुमान (करोड़ा रुपये में)	निवल घरेलू उत्पाद में शिक्षा पर बजट की (सं) प्रतिशतता
	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	1991-92	36271.10	3.2
अरूणाचल प्रदेश	1990-91	420.80	8.8
असम	1990.91	8492.30	5.2
बिहार	1990-91	21788.60	5.5
गोवा	1990-91	954.60	6.9
गुजरात	1990-91	24664.90	3.6
हरियाणा	1991-91	14437.10	2.6
हिमाचल प्रदेश	1990-92	2440.70	7.5
जम्मू और कश्मीर	1989-91	2565.60	5.6
कर्नाटक	1990-90	21328.40	3.7
केरल	1992-93	15206.60	6.3
मध्य प्रदेश	1991-92	27354.90	3.7
महाराष्ट्र	1991-92	62097.70	3.3
मणिपुर	1991-92	760.50	10.1
मेघालय	1990-91	729.00	7.7
मिजोरम			
नागालैण्ड			
उड़ीसा	1991-92	12913.20	4.4
पंजाब	1990-91	17101.00	2.9
राजस्थान	1990-91	17577.70	4.5
सिक्किम	1989-90	187.40	11.6
तमिलनाडु	1990-91	24840.50	5.1
त्रिपुरा	1989-90	835.10	11.0
उत्तर प्रदेश	1991-92	56380.60	3.6
पश्चिम बंगाल	1990-91	31618.10	4.3
अ.व नि. द्वीप समूह	1990-91	150.30	12.0
चण्डीगढ			
दादर व नागर हवेली			
दमन व द्वीप			
दिल्ली	1989-90	8602.30	2.9
लक्षद्वीप			
पांडिचेरी	1990-91	540.60	6.3
सभी राज्य क्षेत्र	1991-92	480079.00	4.0

बकाया लेखा-परीक्षा पैराओं का विवरण

31 मार्च, 1988, 1989, 1990, 1991 और 1992 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों में बकाया लेखा परीक्षा पैराओं की अद्यतन स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

23.2.1994 **की स्थिति**

क्रम सं०	पैरा सं	संक्षिप्त विषय/संगठनों का नाम	संबंधित प्रभाग	कैफियत
31 मार्च, 1989 को समाप्त वर्ष				
1.	39	इलैक्ट्रोनिक उपस्करों की खरीद पर हुआ नुकसान राजकीय कला महाविद्यालय, चंडीगढ़	यू. टी.	
31 मार्च, 1989 को समाप्त वर्ष				
1	7	भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर	तकनीकी	ए. टी. एन.लेखा परीक्षा को भेजे गये।
2	9	भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली	यूनिवर्सिटी	ए. टी. एन. लेखा परीक्षा को भेजे गये।
3	15	आर. एल. ए. कालेज के दूसरे चरण के निर्माण (वि० अ० आ०)	यूनिवर्सिटी	
31 **मार्च,** 1990 **को समाप्त वर्ष**				
1	3.1	अनुदानों/विनियोग में हुई बचतें	तकनीकी/यू. टी.	
2	2	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली	यूनिवर्सिटी	
3	3	स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन रा० शै० अ० प्र० परिषद	इं. टी.	ए. टी. एन. लेखा परीक्षा को भेजे गये
4	7	भारतीय सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	यूनिवर्सिटी	ए. टी. एन. लेखा परीक्षा को भेजे गये
5	8	हैदराबाद विश्वविद्यालय	यूनिवर्सिटी	
6	9	गोदाम एवं कार्यालय ब्लाकों का निर्माण-इं. गां. रा. मु. वि.	यूनिवर्सिटी	
7'	11	अनियमित भुगतान-दिल्ली विश्वविद्यालय	यूनिवर्सिटी	
8	14	निरर्थक व्यय-क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, सिल्चर	तकनीकी	
9	15	लेवी सीमेंट के उपलब्ध न होने के कारण हुआ नुकसान- ए. पी. ए. नई दिल्ली	तकनीकी	
10	20	पहले से निधियों का जमा करना बाल भवन सोसाइटी, नई दिल्ली	ई. ई.	

11	21	संविदाकारों को अनभिप्रेत लाभ बाल भवन सोसाइटी, नई दिल्ली	ई. ई.	

31 मार्च, 1991 का समाप्त वर्ष

1	3.3	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन	प्रौढ़ शिक्षा विभाग	पी. ए. सी. द्वारा चुने गए
2	5	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	स्कूल	ए. टी. एन. लेखा परीक्षा को भेजा गया
3	8	परामर्शी कार्य- योजना एवं वास्तुकला महाविद्यालय	तकनीकी	
4	9	प्रेक्षागृह का निर्माण जामिया मिलिया इस्लामिया	यूनिवर्सिटी	
5	11	पुराने कम्प्यूटरों का निपटान भा० प्रौ० सं०, मद्रास	तकनीकी	ए. टी. एन. लेखा परीक्षा को भेजा गया
6	12	चिकित्सा लाभों का अनियमित भुगतान-भा० प्रौ० सं०, दिल्ली	तकनीकी	
7	14	चालू खाते में अधिक रोकड़ का रोके रखना (बैंक/रोकड़ शीट सहित)	तकनीकी	

31 मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष

1993 का नं० 1

1	7.2	शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	ई. टी.	पी. ए. सी. द्वारा चुना गया
2	7.3	उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो	भाषा	
3	7.4	स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार	ई. टी.	ए. टी. एन. लेखा परीक्षा को भेजा गया
4	7.5	स्कूल शिक्षा हेतु पर्यावरणीय अभिविन्यास	ई. टी.	ए. टी. एन. लेखा परीक्षा को भेजा गया
5	7.6	अनुदानों के भुगतान में अविवेक और अनियमिता	तकनीकी	
6	7.7	निधियों के निरर्थक के परिणामस्वरूप अनुदानों का अविवेकपूर्ण जारी करना भा० प्रौ० सं०, दिल्ली	तकनीकी	

1993 की सं. 11

7	12	सामुदायिक गान कार्यक्रम- रा. शै. अ. प्र. परि.	स्कूल	ए. टी. एन. लेखा परीक्षा को भेजे गए

8	13	ब्याज सुविधा का लाभ उठाने में असफलता रा. शै. अ. प्र. परि./ के. शै. प्रौ. संस्थान	ई. टी.	
9	14	क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, वारंगल	तकनीकी	
10	15	विद्युत प्रभारों का परिहार्य भुगतान, II	तकनीकी	ए. टी. एन. लेखा परीक्षा को भेजे गए
11	16	रोगी देखभाल संबंधी भत्तों का अप्राधिकृत भुगतान- यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल सांइस दिल्ली विश्वविद्यालय	यूनीवर्सिटी	
12	17	वेतन तथा भत्तों पर अप्राधिकृत व्यय- व्यावसायिक अध्ययन कालेज (वि० अ० आयोग)	विश्वविद्यालय	
13	18	सरकारी अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए कलाई घडियों का उपहार भा० प्रौ० संस्थान, बम्बई	तकनीकी	ए. टी. एन. लेखा परीक्षा को भेजे गए
14	19	वेतन के गलत निर्धारण के कारण 1.99 लाख रुपये का अधिक भुगतान भा० प्रौ० संस्थान, दिल्ली	तकनीकी	
15	20	अनियमित पदोन्नतियां जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय	
16	21	निधियों को रोकना- बिडला विश्वकर्मा एम. वी. इंजीनियरिंग कालेज, खेडा	तकनीकी	
1993 की सं० 6				
17	10.22	बिस्कुटों की खरीद- संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ	यू. टी.	
1993 की सं० 3				
18	3.7	सरकारी निधियों के लेखे में अनियमितताएं	यू. टी.	
19	3.8	निम्नतम संविदा की अनौचित्यपूर्ण नामंजूरी	यू. टी.	
20	3.9	अनुदान सहायता का उपयोग न किया जाना	यू. टी.	

प्रशासनिक चार्ट

D-8014
13-04-94

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

शिक्षा विभाग

मानव संसाधन विकास मंत्री

उप मंत्री

शिक्षा सचिव

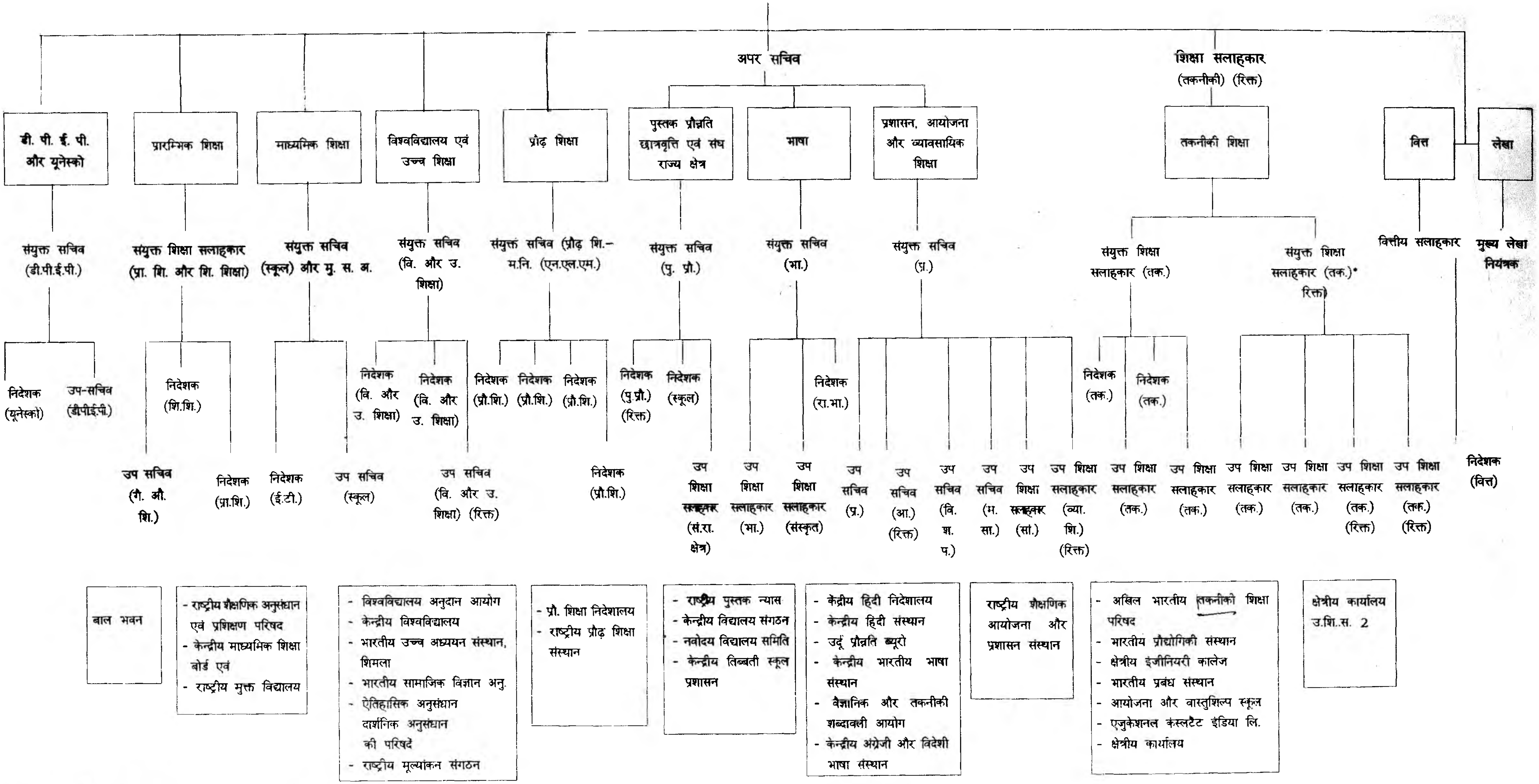

* इस प्रभार की देखभाल संयुक्त शिक्षा सलाहकार (श्री आवले) कर रहे है।